भारत

(वार्षिक सन्दर्भ-ग्रन्थ)

1966

सूचना और प्रसारण-मन्त्रालय, भारत-सरकार के गवेषणा और सन्दर्भ-विभाग-द्वारा अंग्रेजी में संकलित 'इण्डिया 1966' का हिन्दी-संस्करण



प्रकाशन-विभाग
सूचना और प्रसारण-मन्त्रालय
भारत-सरकार

फाल्गुन 1888 (मार्च 1967)

मूल्य : तीन रुपये पचास पैसे

निदेशक, प्रकाशन-विभाग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-6, द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक,
भारत-सरकार-मुद्रणालय, फरीदाबाद-द्वारा मुद्रित



आर्थिक पहलू और परिवार नियोजन

जी हां, हमारे जीवन में आर्थिक पहलू का प्रमुख हाथ रहता है। हममें से अधिकांश की आमदनी सीमित होती है और इस आमदनी में परिवार के सदस्यों के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, मनोरंजन और बचत होनी ही चाहिए। लेकिन चूंकि परिवार के सदस्य बढ़ते जाते हैं, इसलिए इस आमदनी के भी उतने ही हिस्से हो जाते हैं और प्रत्येक के लिए बहुत छोटा हिस्सा बच पाता है।

इसलिए, समझदार माता-पिता उतने ही बच्चे पैदा करने का फैसला कर लेते हैं, जितनों की वे ठीक से परवरिश कर सकते हैं। बच्चों को शिक्षा, अच्छी मात्रा में पौष्टिक खुराक और एक स्वस्थ जीवन मिलना चाहिए।

अपने परिवार को सीमित रखने के सम्बन्ध में निःशुल्क सलाह और जानकारी के लिए निकटतम परिवार कल्याण योजना केन्द्र में जाइये।

याद रखिए

छोटा परिवार, एक सुखी परिवार होता है।

डीए ६५/१६३

राष्ट्रीय बचत-पत्र

(प्रथम निर्गम)

धन लगाने का एक सुरक्षित और लाभकारी तरीका

धन लगाने की राशियां इस प्रकार हैं :

रु० १०   १००   १,०००

१० वर्ष बाद आपको मिलेगा

१८   १८०   १,८००

डाकघरों से प्राप्त किये जा सकते हैं

एक नई सीरीज में

राष्ट्रीय बचत-पत्र

(प्रथम निर्गम)

बैंक सीरीज

इसके भी वही फायदे हैं, इन्हें

स्टेट बैंक आफ इण्डिया व उसके सहायक बैंकों से खरीदा जा सकता है



राष्ट्रीय बचत संगठन

पूरा पता लिखने से चिट्ठी जल्दी पहुंचती है

अधूरा पता
लिखने से
चिट्ठी देर से
पहुंचती है

श्री ए.पी. मल्होत्रा
एडवोकेट
२०-सी, ग्रीन पार्क
नई दिल्ली-१६

श्री ए पी मल्होत्रा
एडवोकेट
नई दिल्ली



डाक व तार विभाग



हस्तशिल्प

हमारी गौरवपूर्ण विरासत

पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे हस्तशिल्पियों ने भारतीय हस्तशिल्प की गौरवपूर्ण विरासत को समृद्ध करने में अपना जीवन होम किया। यह हस्तशिल्प—जिसमें सौन्दर्य और उपयोगिता का अभूतपूर्व संगम है।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने, जिसकी स्थापना आज़ादी के बाद हुई, इस बहुमूल्य विरासत की ओर आकृष्ट करने के लिए इन शिल्पियों को सहारा और बढ़ावा दिया। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और बंगलौर स्थित क्षेत्रीय डिज़ायन केन्द्रों ने नए से नए डिज़ायनों का आविष्कार किया। इन डिज़ायनों में परम्परागत शिल्पों की आधारभूत भावना और सौंदर्य को साकार रूप देने के साथ-साथ उन्हें आधुनिक जरूरतों के लिए उपयोगी भी बनाया जाता है। नयी-नयी तकनीक व तरीके और साज-सामग्री का आविष्कार हुआ है। शिल्प जो कालान्तर में लुप्त हो गए उन्हें फिर से जीवित कर नया मोड़ दिया जा रहा है।

आज आपके जीवन में सौंदर्य और सुख-सुविधा को बढ़ाने के लिए विभिन्न किस्मों में हस्तशिल्प की वस्तुएँ मौजूद हैं। इनका खर्च कम है, उपयोग ज्यादा है।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड

डी ए ६५/२१४

आमुख

भारत के राष्ट्रीय जीवन तथा गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित अधिकृत जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'भारत : वार्षिक सन्दर्भ-ग्रन्थ' सर्वप्रथम 1954 में प्रकाशित किया गया। देश तथा विदेश के पाठकों ने इस ग्रन्थ का जो हार्दिक स्वागत किया, उससे प्रोत्साहित होकर इस ग्रन्थ के आगामी अंकों के कलेवर में वृद्धि करने की प्रेरणा मिली।

इस सन्दर्भ-ग्रन्थ में संकलित समस्त सामग्री सरकारी तथा अन्य अधिकृत स्रोतों से प्राप्त नवीनतम सूचनाओं पर आधारित है। स्थान-संकोच के कारण कुछ विषयों का केवल संक्षिप्त विवरण ही दिया जा सका है। ग्रन्थ के इस संस्करण का आकार, राष्ट्रीय संकटकाल की स्थिति के कारण, मितव्ययिता की दृष्टि से पूर्वापेक्षा छोटा कर दिया गया है।

इस बार जो परिवर्तन किए गए हैं, उनमे से कुछ इस प्रकार है—'संविधान' 'विधानमण्डल', 'कार्यपालिका' तथा 'न्यायपालिका' शीर्षक चार अध्यायों को मिलाकर संक्षिप्त करके 'सरकार' शीर्षक एक अध्याय के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 'सहायता तथा पुनर्वास' शीर्षक अध्याय को 'समाज-कल्याण' शीर्षक अध्याय मे मिला दिया गया है। 'भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन' शीर्षक अध्याय को विस्तृत रूप देकर अब उसे 'भारत तथा संसार' शीर्षक दे दिया गया है।

ग्रन्थ में राष्ट्रीय संकटकाल के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध मे भी एक परिशिष्ट दिया गया है जिसमे भारत-चीन-विवाद-सम्बन्धी घटनाओ (जनवरी 1962 से मार्च 1966 तक की) तथा भारत-पाकिस्तान-संघर्ष की घटनाओं का विवरण भी सम्मिलित है।

विगत कुछ वर्षों से भारत माप तथा तोल की मीट्रिक प्रणाली अपनाता आ रहा है। इसलिए इस सन्दर्भ-ग्रन्थ में दिए गए आंकड़े यथासम्भव मीट्रिक प्रणाली के अनुसार ही दिए गए हैं। पुराने माप तथा तोल को मीट्रिक प्रणाली के माप-तोल में बदलने के लिए परिशिष्ट के अन्त मे आवश्यक जानकारी भी सम्मिलित कर दी गई है।

विषय-सूची

अध्याय 1

भारतभूमि तथा उसके निवासी

भारत ससार का सातवां सबसे बडा तथा दूसरा सबसे अधिक जनसंख्यावाला देश है। इसके उत्तर मे हिमालय-पर्वत, दक्षिण में हिन्द-महासागर, पूर्व में बगाल की खाड़ी और पश्चिम मे अरब-सागर हैं। सारा-का-सारा देश भूमध्य-रेखा के उत्तर में 8° 4′ से 37° 6′ अक्षाश-रेखाओ तथा 68° 7′ से 97° 25′ पूर्वी देशान्तर-रेखाओ के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई लगभग 3,219 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक चौडाई लगभग 2,977 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,68,090 वर्ग किलोमीटर* है। इसकी स्थल-सीमा की लम्बाई 15,168 किलोमीटर तथा समुद्री किनारे की लम्बाई 5,689 किलोमीटर है।

प्राकृतिक पृष्ठभूमि

कश्मीर के उत्तर में भारत की सीमा पर मुज़ताग, अगिल तथा क्वेनलुन-पर्वत स्थित है। शेष भाग मे नेपालवाले प्रदेश को छोडकर इसे हिमालय ने घेर रखा है। उत्तर में भारत की सीमा से लगे देशो में चीन तथा नेपाल है। भारत के पूर्व मे पूर्व-पाकिस्तान (पश्चिम-बगाल, असम और त्रिपुरा-द्वारा घिरा हुआ) तथा बर्मा है। भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर पश्चिम-पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान है। दक्षिण में मन्नार की खाडी तथा पाक-जलडमरूमध्य भारत को श्रीलका से अलग करते है। बगाल की खाडी में स्थित अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह और अरब-सागर में स्थित लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी-द्वीपसमूह भी भारत के अग है।

प्राकृतिक रचना

प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से सम्पूर्ण देश को मुख्यत: तीन प्रदेशो में बाटा जा सकता है (1) हिमालय का विस्तृत पहाडी प्रदेश, (2) सिन्धु-गगा का मैदान तथा (3) दक्षिण-प्रायद्वीप।

हिमालय प्राय. तीन समानान्तर पर्वतश्रेणियो से मिलकर बना है जिनके बीच मे लम्बे-चौडे पठार और घाटिया है। इनमे कश्मीर तथा कुल्लू की घाटिया बडी उपजाऊ, विस्तृत और प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न है। हिमालय की इन पर्वतश्रेणियो में ससार की कुछ सबसे ऊची चोटिया है। अधिक ऊचाई के कारण आना-जाना केवल कुछ ही दर्रों से सम्भव है जिनमे जेलेप-दर्रा तथा नाटू-दर्रा प्रमुख है। ये दार्जिलिंग के पूर्वोत्तर मे चुम्बी-घाटी से होकर जानेवाले भारत-तिब्बत-व्यापार-मार्ग पर है। यह गिरिमाला लगभग 2,414 किलोमीटर लम्बी है।

सिन्धु-गगा का मैदान 2,414 किलोमीटर लम्बा तथा 241 से 321 किलोमीटर चौड़ा है और सिन्धु, गगा तथा ब्रह्मपुत्र के तीन नदीक्षेत्रों से मिलकर बना है। इसकी गणना

*1-1-66 की स्थिति के अनुसार

संसार के सबसे अधिक लम्बे-चौड़े उपजाऊ मैदानों तथा सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्रों में की जाती है । दिल्ली में बहनेवाली यमुना-नदी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के लगभग 1,609 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र मे समुद्रतल से धरातल की ऊंचाई में केवल 214 मीटर का अन्तर आता है ।

दक्षिण-प्रायद्वीप का पठार पर्वतों और पर्वतश्रेणियो के कारण (जिनकी ऊंचाई 458 से 1,220 मीटर तक की है) सिन्धु-गंगा के मैदान से अलग पड जाता है। इन श्रेणियो में प्रमुख हैं—अरावली, विन्ध्य, सतपुडा, मैकल तथा अजन्ता । प्रायद्वीप के एक ओर पूर्वी घाट की पर्वतमालाएं हैं जिनकी औसत ऊंचाई 610 मीटर है तथा दूसरी ओर पश्चिमी घाट की पर्वतमालाएं हैं जिनकी औसत ऊंचाई 915 से 1,220 मीटर तक है, पर कही-कही ये 2,440 मीटर तक भी ऊची हैं। प्रायद्वीप के दक्षिण मे नीलगिरि की पहाड़िया हैं। वहा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस मे मिलते हैं। पश्चिमी घाट कार्डेमन-पहाडियों तक फैला हुआ है ।

नदिया

भारत की नदियो को इन वर्गों मे बाटा जा सकता है: (1) हिमालय से निकलने-वाली नदिया, (2) दक्षिणी पठार की नदिया, (3) तटीय नदिया तथा (4) आन्तरिक नदीक्षेत्र की नदिया । हिमालय मे निकलनेवाली नदियो मे पानी बर्फ पिघलने से आता है । इसलिए उनमे पानी वर्ष-भर रहता है । वर्षा-ऋतु मे हिमालय पर मूसलाधार वर्षा होती है जिसमे इस ऋतु मे इन नदियो के कारण बहुधा बाढ भी आ जाया करती है । दक्षिणी पठार की नदियो मे सामान्यत वर्षा का ही पानी होने के कारण पानी कभी कम तो कभी अधिक रहता है । इनमे से बहुत-सी नदिया तो वर्ष के अधिकाश समय में सूखी ही रहती है । तटीय नदिया, विशेषकर पश्चिमी तट की नदियां, छोटी है और इनका जलक्षेत्र भी सीमित है । इनमे से भी अधिकांश नदिया काफी समय तक सूखी रहती है। पश्चिमी राजस्थान की आन्तरिक नदीक्षेत्रवाली नदिया बहुत कम हैं। ये अपने-अपने क्षेत्र मे ही अथवा साम्भर-झील-जैसी नमक की झीलो तक जाकर सूख जाती है, किसी समुद्र तक नही पहुच पाती। लूनी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो कच्छ के रन मे जाकर गिरती है।

गगा का नदीक्षेत्र सबसे बडा है । इसे भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग एक-चौथाई भाग से पानी मिलता है । इसके उत्तर मे हिमालय तथा दक्षिण में विन्ध्य-पर्वत हैं। इस क्षेत्र मे नदिया भी काफी है। गंगा, भागीरथी तथा अलकनन्दा के रूप मे हिमालय से निकलती है । यमुना, घाघरा, गण्डक तथा कोसी नदिया हिमालय से निकलकर गंगा में मिल जाती है। गंगा के नदीक्षेत्र के धुर पश्चिम में यमुना है जिसका उद्गम-स्थल यमुनोत्तरी है और प्रयाग मे वह गगा मे जा मिलती है । मध्यवर्ती भारत के उत्तर की ओर यमुना या गगा मे जाकर मिलनेवाली नदियो मे चम्बल, बेतवा तथा सोन उल्लेखनीय है ।

भारत का दूसरा सबसे बडा नदीक्षेत्र गोदावरी का है । भारत के क्षेत्रफल का लगभग दसवा भाग इसके अन्तर्गत आता है । पूर्व में ब्रह्मपुत्र तथा पश्चिम में सिन्धु

के नदीक्षेत्र भी लगभग इसी के बराबर हैं। भारत के प्रायद्वीपवाले भाग में कृष्णा का नदीक्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नदीक्षेत्र है। प्रायद्वीपवाले भाग के तीसरे सबसे बडे नदी-क्षेत्र से होकर महानदी बहती है। इसके उत्तर में नर्मदा तथा सुदूर दक्षिण में कावेरी के नदीक्षेत्र भी लगभग इतने ही बड़े हैं।

उत्तर का ताप्ती-नदीक्षेत्र तथा दक्षिण का पेण्णार-नदीक्षेत्र है तो छोटे, किन्तु कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं।

जलवायु

भारतीय मौसम-विज्ञान-विभाग ने ऋतुओ को चार भागो में बाटा है: (1) शीत-ऋतु (दिसम्बर से मार्च); (2) ग्रीष्म-ऋतु (अप्रैल से मई); (3) वर्षा-ऋतु (जून से सितम्बर) तथा (4) दक्षिण-पश्चिमी मानसून की वापसी की ऋतु (अक्तूबर-नवम्बर)।

वर्षा के आधार पर भारत के चार मुख्य जलवायु-प्रदेश है। असम का प्राय: सम्पूर्ण क्षेत्र और पश्चिमी घाटो के नीचे का पश्चिमी तट, जो उत्तर मे बम्बई से लेकर तिरुवनन्द-पुरम् तक फैला हुआ है, बहुत अधिक वर्षा के क्षेत्र है। इनके विपरीत कच्छ तक फैला राजस्थान-मरुस्थल और पश्चिम की ओर गिलगिट तक फैला हुआ कश्मीर का ऊंचा लद्दाख-पठार बहुत कम नमीवाले क्षेत्र हैं। वर्षानुक्रम के इन दोनों परस्पर-विरोधी क्षेत्रों के बीच क्रमश पर्याप्त वर्षावाला क्षेत्र और कम वर्षावाला क्षेत्र है। पहले क्षेत्र मे प्रायद्वीप के पूर्वी भाग की चौडी पट्टी सम्मिलित है जो उत्तर की ओर भारत के मैदानी क्षेत्र में और दक्षिण की ओर पूर्वी तटीय मैदानो मे आ मिलती है। दूसरा क्षेत्र पजाब के मैदानो से आरम्भ होकर विन्ध्य-पर्वत के पार दक्षिण के पठार के पश्चिमी भाग तक फैला हुआ है जिसमे मैसूर-पठार का एक बडा भाग सम्मिलित है।

शक्ति-संसाधन

कोयला—भारत मे कोयला मुख्यत: गोण्डवाना तथा तृतीय काल की चट्टानों मे पाया जाता है। अनुमान है कि हमारे देश मे सभी प्रकार के कोयले का कुल भण्डार लगभग 1 खर्ब 21 अर्ब 36 करोड मीट्रिक टन का है। झरिया, रानीगंज तथा पूर्व-बोकारो की कोयलाखानो मे 51.35 अर्ब मीट्रिक टन का भण्डार होने का अनुमान लगाया गया है।

भूरा कोयला—भूरा कोयला (लिग्नाइट) मद्रास, राजस्थान, गुजरात तथा कश्मीर में (3.53 अर्ब मीट्रिक टन) पाया जाता है। अनुमान है कि मद्रास-राज्य के दक्षिण-आरकाडु जिले मे नइवेलि और उसके आसपास के क्षेत्र में 3.39 अर्ब मीट्रिक टन भूरे कोयले का भण्डार है।

तेल—मोटे तौर पर लगाए गए एक अनुमान के अनुसार तेल भारत के 10,35,920 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में उपलब्ध है। तेल के प्रमुख क्षेत्र असम, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम-बंगाल, पंजाब, हिमाचलप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, खम्भात-कच्छ, गगा-घाटी, मद्रास-तट, आन्ध्र-तट, केरल-तट और अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह है।

जल-शक्ति—भारत के नदीक्षेत्रो के क्षमता-सम्बन्धी अध्ययन से पता चलता है कि इनकी पन-बिजली-क्षमता 4.11 करोड़ किलोवाट है।

खनिज-संसाधन

खनिज लोहा—अनुमान है कि भारत मे लोहे का भण्डार लगभग 22.4 अर्ब मीट्रिक टन का है जो संसार के कुल भण्डार का एक-चौथाई है। बिहार, उड़ीसा, मध्य-प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र और गोआ मे बहुमूल्य रक्तवर्ण-खनिज लोहा (हेमाटाइट) काफी मात्रा में पाया जाता है, जबकि चुम्बक-शक्तिवाला खनिज लोहा (मैग्नेटाइट) मद्रास, बिहार, उड़ीसा तथा हिमाचलप्रदेश मे पाया जाता है। स्पेथिक लोहे (कार्बोनेट) का भण्डार पश्चिम-बगाल में है। अनुमान है कि देश में सभी प्रकार के लोहे का कुल ज्ञात भण्डार लगभग 7.21 अर्ब मीट्रिक टन का है।

मेंगनीज—मैंगनीज के भण्डारो की दृष्टि से भारत का संसार के देशो में तीसरा स्थान है। अनुमान है कि 18 करोड मीट्रिक टन के कुल भण्डार में से लगभग 14 करोड मीट्रिक टन मैंगनीज मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश तथा राजस्थान मे ही है।

क्रोमाइट—क्रोमाइट मुख्यत बिहार, उडीसा, मैसूर, मद्रास तथा महाराष्ट्र में पाया जाता है। अनुमान है कि भारत में क्रोमाइट का कुल भण्डार 30 लाख मीट्रिक टन का है।

फ्लोराइट—गुजरात के बडौदा-जिले में अम्बाडूगर नामक स्थान मे एक करोड़ मीट्रिक टन फ्लोरस्पार का भण्डार होने का अनुमान लगाया गया है।

ऊष्मसह धातुए—आन्ध्रप्रदेश, मद्रास, मैसूर, राजस्थान तथा उत्तरप्रदेश के कई स्थानो मे मैग्नेसाइट प्राप्त हुआ है। इसका कुल भण्डार 5.8 करोड़ मीट्रिक टन होने का अनुमान है। अग्निजित मिट्टी लगभग सभी राज्यो में पाई जाती है किन्तु उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिम-बगाल इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका कुल भण्डार 2 94 करोड़ मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। क्यानाइट सबसे अधिक बिहार में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह धातु आन्ध्रप्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उड़ीसा मे भी मिलती है। सिलीमेनाइट-धातु असम मे पाई जाती है। यह केरल, मध्यप्रदेश तथा मैसूर मे भी पाई जाती है। कोरण्डम असम, मध्यप्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान मे पाया जाता है। अकेले मध्यप्रदेश में ही इस धातु का लगभग 4 लाख मीट्रिक टन का भण्डार है जिसमे से 1 लाख मीट्रिक टन बहुत बढ़िया किस्म का है। डोलोमाइट का 7.5 अर्ब मीट्रिक टन का भण्डार प० बगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, मैसूर तथा उत्तरप्रदेश में होने का अनुमान है।

सोना—अनुमान है कि मैसूर-राज्य की कोलार-सोना-खानों तथा रायचूर-जिले की हट्टी-सोना-खानो मे क्रमशः 38 लाख मीट्रिक टन तथा 6 लाख मीट्रिक टन सोने का भण्डार है।

तांबा—भारत में तांबे के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं—बिहार में सिंहभूमि (2.26 करोड़ मीट्रिक टन) और राजस्थान में खेतरी तथा दरीबो (10.6 करोड मीट्रिक टन)।

सीसा-जस्ता—राजस्थान के उदयपुर-जिले की जवार-खान ही एक ऐसा स्थान है जहां लगभग 2 करोड़ मीट्रिक टन सीसे-जस्ते का भण्डार है।

बॉक्साइट—बॉक्साइट भारत में कई स्थानों में मिलता है। बिहार, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा तथा गुजरात इसके मुख्य क्षेत्र हैं जहां कुल मिलाकर इसका लगभग 13.14 करोड़ मीट्रिक टन का भण्डार है। अनुमान लगाया गया है कि भारत में बढ़िया किस्म के बॉक्साइट का भण्डार 7.9 करोड़ मीट्रिक टन का है।

अभ्रक—भारत में अभ्रक आन्ध्रप्रदेश (1,550 वर्ग किलोमीटर), बिहार (3,880 वर्ग किलोमीटर) तथा राजस्थान (3,110 वर्ग किलोमीटर) में प्राप्त होता है। बिहार में प्राप्त होनेवाला अभ्रक संसार में सबसे बढ़िया किस्म का माना जाता है।

इल्मेनाइट—यह धातु मुख्यतः भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र-तटों की रेत में पाई जाती है। अनुमान है कि भारत में लगभग 30 करोड़ मीट्रिक टन इल्मेनाइट का भण्डार है।

नमक—भारत में नमक मुख्यतः समुद्र-तट (गुजरात, महाराष्ट्र तथा मद्रास), गुजरात तथा राजस्थान की झीलों और हिमाचलप्रदेश की सेंधा-नमक की खानो से प्राप्त होता है।

खड़िया मिट्टी—खड़िया मिट्टी सबसे अधिक राजस्थान मे और अन्यत्र मद्रास, उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, गुजरात तथा जम्मू-कश्मीर में पाई जाती है। भारत में लगभग 1.13 अर्ब मीट्रिक टन खड़िया मिट्टी का भण्डार है।

विविध खनिज पदार्थ—एपाटाइट का भण्डार बिहार (6 लाख मीट्रिक टन) तथा आन्ध्रप्रदेश (1.7 लाख मीट्रिक टन) में है। मद्रास में फॉसफेटयुक्त चट्टानों का भण्डार (1.27 लाख मीट्रिक टन) है। बाड़मेर मे बेण्टोनाइट मिट्टी के 2 करोड़ मीट्रिक टन का भण्डार होने का अनुमान है। पाइराइट (39.1 करोड़ मीट्रिक टन) बिहार में अमजोर नामक स्थान (शाहाबाद-जिला) में पाया जाता है।

जनसंख्या

1951 में भारत की कुल जनसंख्या* 36,09,50,365 थी। 1961 की जन-गणना के अनुसार यह 43,90,72,582 है।

सारणी 1 में भारत, उसके राज्यों और संघीय क्षेत्रों का क्षेत्रफल, जनसख्या तथा जन-घनत्व का विवरण दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश सबसे बड़ा है तथा सबसे अधिक जनसंख्या उत्तरप्रदेश में है। सबसे अधिक जन-घनत्व दिल्ली में है।

जन्म-दर तथा मृत्यु-दर

जन्म तथा मृत्यु के कतिपय आंकडे दर्ज न कराए जाने के कारण पजीकृत अकों पर आधारित जन्म-मृत्यु के आंकड़ों तथा जनगणना के अनुमानित आंकड़ों में अन्तर है।

*इसमें सिक्किम की जनसंख्या के आंकड़े (1961 में 1, 62, 189) सम्मिलित नहीं हैं

जनगणना के आकड़ो की सहायता से किए गए अध्ययन के अनुसार 1951 तथा 1961 के बीच भारत में जन्म की औसत दर प्रतिवर्ष एक हज़ार व्यक्तियों के पीछे 42, मृत्यु-दर प्रतिवर्ष एक हज़ार व्यक्तियो के पीछे 23 तथा जनसंख्या में वृद्धि प्रतिवर्ष एक हज़ार व्यक्तियों के पीछे 19 रही ।

सबसे ऊची जन्म-दर भारत के उत्तरी क्षेत्र में (43.6) और सबसे नीची जन्म-दर दक्षिणी क्षेत्र मे (38.5) थी। इसी प्रकार सबसे ऊंची मृत्यु-दर भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में (24.4) और सबसे नीची मृत्यु-दर उत्तरी क्षेत्र में (19.0) थी।

भारत में 14 वर्ष की अवस्था तक के बच्चो का अनुपात बहुत अधिक है और 55 वर्ष तथा उससे अधिक की अवस्था के लोगो की संख्या बहुत कम है। 1961 की जनगणना के अनुसार कुल जनसख्या में इनका अनुपात क्रमश: 41 प्रतिशत तथा 7.9 प्रतिशत है।

1951 मे 1,000 पुरुषो के पीछे 946 स्त्रियां थीं। 1961 की जनगणना के अनुसार भारत मे प्रति हज़ार पुरुषो के पीछे 941 स्त्रिया हैं। भारत के राज्यो में प्रति हज़ार पुरुषो के पीछे स्त्रियो का अनुपात पजाब में सबसे कम (864) है और केरल में सबसे अधिक (1,022)। सघीय क्षेत्रो में सबसे कम अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह में एक हज़ार पुरुषो के पीछे 617 स्त्रिया और सबसे अधिक गोआ, दमन तथा दीव में एक हज़ार पुरुषो के पीछे 1,071 स्त्रिया हैं।

जन-घनत्व

भारत, उसके विभिन्न राज्यो और सघीय क्षेत्रो में जन-घनत्व का विवरण सारणी 1 में दिया जा चुका है । 1921 मे प्रति वर्ग किलोमीटर का जन-घनत्व 79 था जो 1961 में 138 हो गया। इस प्रकार 1921 से 1961 तक के 40 वर्षों मे जन-घनत्व दुगुने से कम रहा।

सामाजिक ढांचा

धर्म

भारत के निवासी विभिन्न धर्मावलम्बी हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार इनमें हिन्दू 83.50 प्रतिशत, मुसलमान 10 70 प्रतिशत, ईसाई 2.44 प्रतिशत, सिख 1.79 प्रतिशत, बौद्ध 0 74 प्रतिशत, जैन 0 46 प्रतिशत और अन्य 0 37 प्रतिशत थे। इस प्रकार 1961 में हिन्दुओं की कुल सख्या 36,65,26,866; मुसलमानो की 4,69,40,799; ईसाइयों की 1,07,28,086; सिखों की 78,45,915; बौद्धों की 32,56,036, जैनो की 20,27,281 और अन्य धर्मावलम्बी लोगो की 16,11,935 थी ।

भाषाएं

1961 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 1,652 मातृभाषाएं बोली जाती थी। 91 प्रतिशत जनता संविधान में उल्लिखित 14 भाषाओं में से किसी-न-किसी भाषा को बोलती है। संविधान में उल्लिखित विभिन्न भाषाएं बोलनेवाले लोगों की संख्या का विवरण सारणी 2 में दिया गया है ।

सारणी 1

भारत, उसके राज्यों और संघीय क्षेत्रों का क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा जन-घनत्व

	क्षेत्रफल* (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	जन-घनत्व
भारत	32,68,090	43,90,72,582	139
राज्य			
असम†	2,03,399	1,22,09,330	60
आन्ध्रप्रदेश	2,75,244	3,59,83,447	131
उडीसा	1,55,860	1,75,48,846	113
उत्तरप्रदेश	2,94,366	7,37,46,401	251
केरल	38,869	1,69,03,715	435
गुजरात	1,87,091	2,06,33,350	110
जम्मू-कश्मीर	2,22,870	35,60,976	26‡
नागालैण्ड	16,488	3,69,200	22
पंजाब	1,22,010	2,03,06,812	166
पश्चिम-बंगाल	87,676	3,49,26,279	398
बिहार	1,74,008	4,64,55,610	267
मद्रास	1,29,966	3,36,86,953	259
मध्यप्रदेश	4,43,459	3,23,72,408	73
महाराष्ट्र	3,07,269	3,95,53,718	129
मैसूर	1,91,757	2,35,86,772	123
राजस्थान	3,42,267	2,01,55,602	59
संघीय तथा अन्य क्षेत्र			
अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमह	8,293	63,548	8
गोआ, दमन तथा दीव	3,733	6,26,667	168
दादरा तथा नगरहवेली	489	57,963	119
दिल्ली	1,483	26,58,612	1,793
पाण्डिचेरी	473	3,69,079	781
मणिपुर	22,346	7,80,037	35
लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी-द्वीपसमूह	28	24,108	865
हिमाचलप्रदेश	28,195	13,51,144	48
त्रिपुरा	10,451	11,42,005	109

*1-1-66 की स्थिति के अनुसार

†इसमें उ० पू० सीमान्त अभिकरण सम्मिलित है जिसका क्षेत्रफल 81,426 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 3,36,558 है।

‡प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या का जन-घनत्व निकालते समय जनगणना-वाले क्षेत्र (1,38,982 वर्ग किलोमीटर) को ही सम्मिलित किया गया है।

सारणी 2

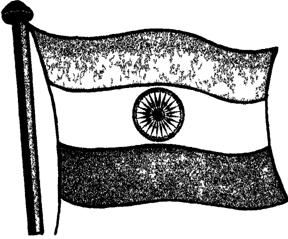
संविधान में उल्लिखित भाषाएं बोलनेवालों की संख्या

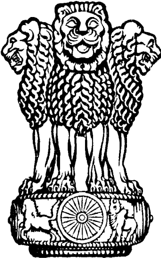
भाषा	बोलनेवालों की संख्या
हिन्दी	13,34,35,360
तेलुगु	3,76,68,132
बंगला	3,38,88,939
मराठी	3,32,86,771
तमिल	3,05,62,706
उर्दू	2,33,23,518
गुजराती	2,03,04,464
कन्नड	1,74,15,827
मलयालम	1,70,15,782
उड़िया	1,57,19,398
पंजाबी	1,09,50,826
असमिया	68,03,465
कश्मीरी	19,56,115
संस्कृत	2,544

नगरों तथा गांवों की जनसंख्या

देश की 43 92 करोड़ की कुल जनसख्या में से 7.89 करोड़ अर्थात् 18 प्रतिशत लोग नगरो तथा कस्बो मे और शेष 36 07 करोड़ अर्थात् 82 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। 1921-61 के बीच नगरो की जनसंख्या मे बराबर वृद्धि होती रही।

1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 107 बड़े नगर (एक लाख अथवा इससे अधिक की जनसंख्यावाले); 2,592 छोटे नगर तथा कस्बे और 5,66,878 गांव है।





सत्यमेव जयते

अध्याय 2

राष्ट्र के प्रतीक

राष्ट्रीय चिह्न

भारत का राष्ट्रीय चिह्न सारनाथ-स्थित अशोक के उस सिंह-स्तम्भ की अनुकृति है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तम्भ में चार सिंह हैं जो इसके शीर्ष भाग में एक चौरस पट्टी पर एक-दूसरे की ओर पीठ किए बैठे हैं। स्तम्भ के चारों ओर की इस चौरस पट्टी में एक हाथी, दौड़ते हुए एक घोड़े, एक साड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तिया है जिनके बीच-बीच मे घण्टीनुमा कमल के ऊपर चक्र बने हुए हैं। स्तम्भ के शीर्ष पर एक ही पत्थर से काटकर बनाया हुआ 'धर्मचक्र' भी था।

भारत-सरकार ने यह राष्ट्रीय चिह्न 26 जनवरी, 1950 को अपनाया। इसमें केवल तीन सिंह दिखाई पड़ते हैं। चौथा सिंह दृष्टिगोचर नही है। चौरस पट्टी के मध्य मे उभरी हुई नक्काशी मे एक चक्र है जिसके दाईं ओर एक साड और बाईं ओर एक घोड़ा है। राष्ट्रीय चिह्न के नीचे मुण्डकोपनिषद् का सूत्र 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि मे अकित है जिसका अर्थ है—केवल सत्य की ही विजय होती है।

राष्ट्रीय झण्डा

भारत की सविधान-सभा ने यह राष्ट्रीय झण्डा 22 जुलाई, 1947 को अपनाया जो भारत की महिलाओ की ओर से राष्ट्र को 14 अगस्त, 1947 के संविधान-सभा के अर्द्धरात्रिकालीन अधिवेशन मे समर्पित किया गया। सविधान-सभा के प्रस्ताव में कहा गया कि "भारत का राष्ट्रीय झण्डा आड़ा तिरंगा होगा जिसमे समान अनुपात में केसरिया, सफेद तथा हरे रग की पट्टिया होगी और सफेद पट्टी के बीच मे चर्खे के प्रतीक-स्वरूप गहरे नीले रग मे सारनाथ का सिंह-स्तम्भवाला धर्मचक्र होगा।

चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई जितना रहेगा और झण्डे की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 होगा।"

झण्डे का उपयोग

झण्डे का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत-सरकार ने 'झण्डा-संहिता—भारत' शीर्षक एक लघुपुस्तिका प्रकाशित की है। इस संहिता में उल्लिखित निर्देशों में झण्डे को किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के सामने झुकाने का निषेध है।

दूसरा कोई भी झण्डा अथवा चिह्न राष्ट्रीय झण्डे के ऊपर अथवा इसके दाहिनी ओर नहीं रखा जाना चाहिए। एक पंक्ति में ही अनेक झण्डे फहराने हो तो अन्य सभी झण्डे राष्ट्रीय झण्डे के बाईं ओर रहेंगे। जब अन्य झण्डो को ऊचा उठाया जाए तो राष्ट्रीय झण्डा सबसे ऊपर रहना चाहिए। राष्ट्रीय झण्डे के साथ-साथ एक ही रस्सी से और कोई झण्डा नहीं फहराया जाएगा। जहां एक ही बल्ली पर अलग-अलग रस्सिया लगी हों और सभी रस्सियां शिखर तक न पहुंचती हों, वहां राष्ट्रीय झण्डा उस बल्ली की सबसे ऊंची रस्सी से फहराया जाएगा।

यदि झण्डे को किसी खिड़की, छज्जे अथवा मकान के मुख-भाग से आड़ा अथवा किसी डण्डे पर झुकी हुई स्थिति में फहराना हो तो केसरिया भाग सबसे अगली ओर रहना चाहिए।

जब राष्ट्रीय झण्डा बल्ली के अलावा अन्य किसी ढंग से फहराया जाना हो तो दीवार पर आड़ा फहराए जाने की स्थिति में केसरिया पट्टी ऊपर रहनी चाहिए और सीधा लटकाए जाने की स्थिति में यह पट्टी झण्डे की दृष्टि से दाईं ओर रहनी चाहिए अर्थात् केसरिया पट्टी झण्डे की ओर मुंह करके खड़े व्यक्ति के बाईं ओर होगी। जब यह झण्डा पूर्व से पश्चिम अथवा उत्तर से दक्षिण की ओर जानेवाली सड़क के बीचोबीच फहराया जाना हो तब यह सीधा इस प्रकार लटकाया जाए कि केसरिया पट्टी पूर्व अथवा उत्तर की ओर रहे।

जुलूस या परेड में राष्ट्रीय झण्डा मार्च की दाईं ओर रहना चाहिए और यदि झण्डों की पंक्ति हो तो पंक्ति के बीच के ठीक सामने हो।

सामान्यतः राष्ट्रीय झण्डा समस्त महत्वपूर्ण सरकारी भवनों—उच्च न्यायालयों, सचिवालयों, आयुक्तों के कार्यालयों, कलक्टरों के कार्यालयों, जेलों और जिला-मण्डलों अथवा जिला-परिषदों तथा नगरपालिकाओं के कार्यालयों—पर फहराया जाना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ विशेष स्थानों पर भी राष्ट्रीय झण्डा फहराया जा सकता है।

भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के अपने-अपने निजी झण्डे हैं।

गणतन्त्र-दिवस, स्वतन्त्रता-दिवस, महात्मा गान्धी के जन्म-दिवस, राष्ट्रीय सप्ताह तथा राष्ट्रीय उल्लास के अन्य अवसरों-जैसे विशेष अवसरों पर राष्ट्रीय झण्डे के प्रयोग पर कोई रोक नहीं है। परन्तु इन अवसरों पर भी मोटरकारों पर इसके फहराने की खुली छूट नहीं है।

केन्द्रीय सरकार से पूर्व-अनुमति लिए बिना किसी व्यापारिक, कारोबारी अथवा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अथवा किसी व्यापार-चिह्न अथवा आकल्पन (डिजाइन) के रूप में राष्ट्रीय झण्डे का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है।

राष्ट्र-गान

विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर-द्वारा लिखित 'जन-गण-मन' को भारत के राष्ट्र-गान के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया गया। यह गीत सर्वप्रथम 27 दिसम्बर, 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था तथा सर्वप्रथम जनवरी 1912 में 'तत्वबोधिनी पत्रिका' में 'भारत-विधाता' शीर्षक से प्रकाशित हुआ था जिसके सम्पादक स्वयं श्री ठाकुर थे। कवीन्द्र रवीन्द्र ने 1919 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद स्वयं किया था। पूरे गीत में पांच पद हैं। इसका प्रथम पद, जिसे भारत की प्रतिरक्षा-सेनाओं ने अपना लिया है तथा जो साधारणतः समारोहों में गाया जाता है, इस प्रकार है:

जन-गण-मन-अधिनायक, जय हे भारत-भाग्य-विधाता
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा-द्राविड़-उत्कल-बंग
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा-उच्छल-जलधि-तरंग
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मांगे
गाहे तव जय-गाथा।

जन-गण-मंगलदायक जय हे भारत-भाग्य-विधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे ।।

राष्ट्रीय गीत

राष्ट्र-गान को स्वीकृति देने के साथ-साथ यह भी निर्णय किया गया कि श्री बंकिमचन्द्र चटर्जी-द्वारा लिखित 'वन्दे मातरम्' को भी 'जन-गण-मन' के समान ही दर्जा दिया जाए क्योंकि स्वतन्त्रता-संग्राम में 'वन्दे मातरम्' जन-जन का प्रेरणा-स्रोत था। मूल रूप में यह श्री बंकिमचन्द्र चटर्जी के 1882 में प्रकाशित 'आनन्द मठ' नामक उपन्यास में छपा था। राजनीतिक रंगमंच से यह गीत सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसके प्रथम पद का पाठ इस प्रकार है—

वन्दे मातरम् !
सुजलाम् सुफलाम् मलयज-शीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम् !
शुभ्रज्योत्स्ना-पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुर-भाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम् मातरम्!

राष्ट्रीय पंचांग (कैलेण्डर)

देश में प्रचलित विभिन्न पंचांगों की जांच करने और सम्पूर्ण भारत के लिए सही तथा एक समान पंचांग के बारे में सुझाव देने के लिए नवम्बर 1952 में जो समिति नियुक्त की गई थी, उसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। उस समिति की सिफारिश पर तथा राज्य-सरकारों से परामर्श करने के बाद भारत-सरकार ने देशभर के लिए राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक सम्वत् को अपनाने का निश्चय किया। इसका प्रथम मास चैत्र है और यह सामान्यतः 365 दिन का है। इस पंचांग के दिवस स्थायी रूप से अंग्रेज़ी (ग्रेगोरियन) पंचांग के अपने सम्बद्ध दिवसों के अनुरूप बैठते हैं। इस प्रकार 1 चैत्र 22 मार्च के दिन आता है। इस निश्चय के अनुसार 22 मार्च, 1957 को सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेज़ी (ग्रेगोरियन) पंचांग के साथ-साथ राष्ट्रीय पंचांग भी लागू कर दिया गया। राज्य-सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अंग्रेज़ी के कैलेण्डर के साथ-साथ क्रमशः राष्ट्रीय पंचांग का भी प्रयोग करने की व्यवस्था करें।

अध्याय 3

सरकार

संविधान-सभा ने भारत का संविधान अन्तिम रूप मे 26 नवम्बर, 1949 को स्वीकार किया और यह 26 जनवरी, 1950 से लागू हो गया।

संविधान की प्रस्तावना मे भारत के लोगों के इस संकल्प को स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतन्त्रता, समान सामाजिक स्थिति तथा अवसर प्राप्त होंगे और सबमे व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करनेवाले भ्रातृभाव को बढ़ावा दिया जाएगा।

संघ तथा उसका राज्यक्षेत्र*

भारत राज्यों का एक संघ है जिसके राज्यक्षेत्र में असम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, केरल, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, नागालैण्ड, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान तथा हरयाना के राज्य और अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह; गोआ, दमन तथा दीव; चण्डीगढ़, दादरा तथा नगरहवेली, दिल्ली; पाण्डिचेरी, मणिपुर, लक्षदीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी-द्वीपसमूह; हिमाचलप्रदेश तथा त्रिपुरा के संघीय क्षेत्र है।

नागरिकता तथा मताधिकार

संविधान में सम्पूर्ण भारत के लिए एकल तथा एक समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संघ के राज्यक्षेत्र मे जन्म लेने, भारतीय माता-पिता की सन्तान होने अथवा संविधान लागू होने से ठीक पहले पांच वर्ष तक भारत का निवासी होने की शर्त पूरी करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। अनुच्छेद 6 मे पाकिस्तान से आनेवाले विस्थापित व्यक्तियों के लिए भारत के नागरिक बनने की व्यवस्था है। विदेशो मे रहनेवाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, बशर्ते कि वे अपने निवासवाले देश मे स्थित भारतीय राजनयिक अथवा वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के पास अपने नाम दर्ज करा लें।

संविधान के अनुच्छेद 326 के अन्तर्गत ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है जो भारत का नागरिक हो तथा उस निर्धारित तिथि को, जो उपयुक्त विधानमण्डल-द्वारा नियत की जाए, 21 वर्ष से कम वय का न हो और जिसको संविधान अथवा किसी कानून-द्वारा अन्यत्र-वास, पागलपन, अपराध, भ्रष्टाचार अथवा गैरकानूनी कार्य के आधार पर अयोग्य न ठहराया गया हो।

***भाषा के सिद्धान्त के अनुसार 1 नवम्बर, 1966 को पंजाब को पंजाब तथा हरयाना नामक दो राज्यों में पुनर्संगठित किया गया और कुछ पहाड़ी क्षेत्र हिमाचलप्रदेश में मिला दिए गए। चण्डीगढ़ एक नया संघीय क्षेत्र बनाया गया।**

मूल अधिकार

संविधान में मोटे तौर पर सात प्रकार के मूल अधिकार गिनाए गए हैं। ये हैं : (1) समता का अधिकार; (2) अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार; (3) शोषण से रक्षा का अधिकार; (4) धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार; (5) अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति, भाषा आदि के संरक्षण तथा शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार; (6) सम्पत्ति का अधिकार और (7) सांविधानिक उपचारों का अधिकार।

राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त

राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त यद्यपि न्यायालयों-द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, तथापि देश के शासन में उनका ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। इनमें कहा गया है: "सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी जिसमें राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का पालन हो।" इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार सरकार का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक नागरिक (नर अथवा नारी) को जीवन-यापन के लिए यथेष्ट तथा समान अवसर दे; समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था करे; अपनी-अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमा के अनुसार सबको काम करने का समान अधिकार दे और बेरोजगारी, बुढ़ापे तथा बीमारी की अवस्था में सबको समान रूप से वित्तीय सहायता दे।

राज्य-नीति के अन्य निदेशक सिद्धान्तो के अन्तर्गत आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से कृषि तथा पशुपालन का प्रबन्ध करने; ग्रामीण क्षेत्रो मे कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन देने; मादक पेयों तथा औषधियो पर रोक लगाने; 14 वर्ष तक की अवस्था के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने; ग्राम-पचायतें बनाने और रहन-सहन के स्तर को ऊचा उठाने की व्यवस्था है।

केन्द्र

कार्यपालिका

केन्द्रीय कार्यपालिका के अन्तर्गत राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् होती है।

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का चुनाव सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत-द्वारा एक निर्वाचक-मण्डल करता है जिसमें संसद् के दोनों सदनों तथा राज्यो की विधान-सभाओ के निर्वाचित सदस्य होते है। राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम-से-कम 35 वर्ष की अवस्था का तथा लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह राष्ट्रपति-पद के लिए दूसरी बार भी चुना जा सकता है। अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति संविधान को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। संविधान के

विरुद्ध कार्य करने पर उसे अनुच्छेद 61 में निहित कार्यविधि के अनुसार राष्ट्रपति-पद से हटाया जा सकता है । राष्ट्राध्यक्ष होने की हैसियत से राष्ट्रपति को नियुक्तियां करने, संसद् का अधिवेशन बुलाने, उसको स्थगित करने, उसमें भाषण देने और उसे सन्देश भेजने तथा लोकसभा को भंग करने, संसद् की अनुपस्थिति में अध्यादेश (आर्डिनेंस) जारी करने, धन-विधेयक प्रस्तुत करने तथा विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने, क्षमा-दान करने, दण्ड रोकने अथवा उसमें कमी करने आदि के अधिकार प्राप्त है । राष्ट्रपति कार्यपालिका के इन अधिकारो का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा सरकारी अधिकारियों के माध्यम से करता है।

उप-राष्ट्रपति

उप-राष्ट्रपति का चुनाव सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत-द्वारा ससद् के दोनों सदनों के सदस्य करते है । उप-राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम-से-कम 35 वर्ष की आयु का तथा राज्यसभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए । उप-राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है । इसके अतिरिक्त बीमारी, अनुपस्थिति अथवा अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति के कार्य न कर सकने की अवस्था में अथवा राष्ट्रपति की मृत्यु, उसके पदत्याग अथवा पद से हटाए जाने के परिणाम-स्वरूप पद के रिक्त होने के बाद जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नही कर लिया जाता तब तक उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप मे कार्य करेगा । इस कार्यकाल में उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के समस्त अधिकारो का प्रयोग करेगा और उसके सभी कर्तव्य निभाएगा । इस कार्यकाल में वह राज्यसभा के सभापति-पद से अलग हो जाएगा ।

मन्त्रिपरिषद्

राष्ट्रपति को कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था है । प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । अन्य मन्त्रियो की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है । यद्यपि मन्त्रिपरिषद् का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर करता है, तथापि वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है । प्रधान मन्त्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद्-द्वारा केन्द्रीय प्रशासन-कार्यों तथा नए कानूनों के सम्बन्ध में दिए जानेवाले निर्णयो से अवगत कराता रहे।

1 दिसम्बर, 1966 की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् तथा उप-राष्ट्रपति डा० ज़ाकिर हुसैन के अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद् में निम्नलिखित मन्त्रिमण्डलीय मन्त्री, मन्त्रालयो के राज्य-मन्त्री—जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं होते—तथा उप-मन्त्री सम्मिलित थे ·

मन्त्रिमण्डलीय मन्त्री	विभाग
1. श्रीमती इन्दिरा गान्धी	प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति
2. श्री यशवन्तराव बलवन्तराव चह्वाण	स्वराष्ट्र

3.	श्री जगजीवन राम . .	श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास
4.	,, एम० सी० चगला . .	वैदेशिक मामले
5.	,, सदाशिवराव कान्होजी पाटील	रेल
6.	,, स्वरन सिंह . .	प्रतिरक्षा
7.	,, एन० संजीव रेड्डि . .	परिवहन, उड्डयन, जहाजरानी तथा पर्यटन
8.	,, सी० सुब्रह्मण्यम् . .	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता
9.	,, शचीन्द्र चौधुरी . .	वित्त
10.	,, सत्यनारायण सिन्हा . .	ससदीय मामले तथा सचार-साधन
11.	,, फखरुद्दीन अली अहमद .	शिक्षा
12	,, डी० सजीवय्य . .	उद्योग
13	,, अशोक मेहता . .	आयोजन तथा समाज-कल्याण
14	,, मनुभाई शाह . .	वाणिज्य
15	,, गोपालस्वरूप पाठक	विधि

मन्त्रालयों के राज्य-मन्त्री

16	श्री मेहरचन्द खन्ना . .	निर्माणकार्य, आवास तथा शहरी विकास
17.	,, राजबहादुर	सूचना और प्रसारण
18.	,, एस० के० दे . .	खान तथा धातु
19	कुमारी सुशीला नय्यर . .	स्वास्थ्य तथा परिवार-नियोजन
20.	श्री जयसुखलाल हाथी . .	प्रतिरक्षा
21.	,, के० रघुरामय्य .	पूर्ति, प्राविधिक विकास तथा सामग्री-आयोजन
22.	,, ओ० वी० अलगेसन् . .	पेट्रोलियम तथा रासायनिक पदार्थ
23.	डा० रामसुभगसिह . .	रेल
24.	,, के० एल० राव	सिंचाई तथा बिजली
25.	,, बलिराम भगत . .	वित्त
26.	,, ए० एम० तोमस . .	प्रतिरक्षा-उत्पादन
27.	,, टी० एन० सिंह .	लोहा तथा इस्पात
28.	,, सी० एम० पुणच्च . .	परिवहन तथा उड्डयन
29	,, सी० आर० पट्टाभिरामन्	विधि
30.	,, जगन्नाथ राव . .	ससदीय मामले तथा सचार-साधन
31.	,, दिनेश सिंह . .	वैदेशिक मामले
32.	,, बिभुधेन्द्र मिश्र . .	उद्योग
33.	,, पी० गोविन्द मेनन .	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता

उप-मन्त्री

34.	श्री शाहनवाज खां .	. श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास
35.	„ पूर्णेन्दु शेखर नस्कर	. स्वराष्ट्र
36.	„ बी० सूर्यनारायण मूर्ति	. स्वास्थ्य तथा परिवार-नियोजन
37.	„ ललित नारायण मिश्र	. वित्त
38.	श्रीमती टी० एस० सुन्दरम् रामचन्द्रन्	शिक्षा
39.	श्री डी० आर० चह्वाण	. श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास
40.	श्रीमती एम० चन्द्रशेखर् .	. समाज-कल्याण
41.	श्री शामनाथ .	. रेल
42.	„ बी० सी० भागवती .	. निर्माणकार्य, आवास तथा शहरी विकास
43.	„ श्यामधर मिश्र .	. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता
44.	„ प्रकाशचन्द्र सेठी .	. लोहा तथा इस्पात
45.	„ भक्तदर्शन .	. शिक्षा
46.	„ अण्णासाहेब शिन्दे .	. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता
47.	„ विद्याचरण शुक्ल .	. स्वराष्ट्र
48.	श्रीमती नन्दिनी शतपथी .	. सूचना और प्रसारण
49.	श्री इकबाल सिंह .	. पेट्रोलियम तथा रासायनिक पदार्थ
50.	„ मुहम्मदशफी कुरैशी	. वाणिज्य
51.	श्रीमती जहाआरा जयपालसिंह	. परिवहन तथा उड्डयन
52.	सैयद अहमद मेहदी .	. खान तथा धातु

संसदीय सचिव

1.	श्रीमती सरोजिनी महिषी	. अणु-शक्ति
2.	श्री भानुप्रकाश सिंह .	. संचार-साधन
3.	„ एस० सी० जामीर .	. वैदेशिक मामले
4.	„ डी० इरिंग .	. स्वराष्ट्र

राजभाषा

संविधान के अनुच्छेद 343 की व्यवस्था के अनुसार 26 जनवरी, 1965 से भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी हो गई । सरकारी कार्यों के लिए भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा । किन्तु 'राजभाषा-अधिनियम 1963' के खण्ड 3 के अधीन संघ के सभी सरकारी कार्यों तथा ससदीय कार्रवाइयों के लिए हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग 26 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी रहेगा । संविधान के अनुच्छेद 346 के अधीन संघ के सरकारी कार्यों के लिए इस समय प्रयुक्त होनेवाली भाषा (अथवा भाषाएं) ही राज्य तथा केन्द्र के बीच और दो राज्यों के बीच होनेवाले पत्र-व्यवहार की भाषा होगी ।

प्रशासनिक संगठन

प्रत्येक मन्त्री का काम प्रधान मन्त्री के परामर्श पर राष्ट्रपति-द्वारा निर्धारित किया जाता है । एक मन्त्री को एक मन्त्रालय अथवा किसी मन्त्रालय का एक भाग अथवा एक से अधिक मन्त्रालयों का भार सौंपा जाता है । मन्त्रियों की सहायता के लिए प्रायः उप-मन्त्री भी नियुक्त किए जाते हैं।

मन्त्रालय के मुख्य प्रशासन-अधिकारी को सचिव कहते हैं जो मन्त्रालय के प्रशासन तथा नीति-सम्बन्धी सभी मामलो में मन्त्री के मुख्य सलाहकार के रूप मे काम करता है। जब किसी मन्त्रालय का काम इतना अधिक हो जाता है कि उसे अकेला सचिव नही निबटा सकता, तब सुगमता की दृष्टि से एक संयुक्त सचिव के नियन्त्रण मे एक अथवा अधिक विभाग स्थापित कर दिए जा सकते हैं। प्रत्येक मन्त्रालय विभागो, शाखाओ तथा अनुभागों में विभाजित होता है जिनका कार्य-सचालन क्रमश. उप-सचिव (डिप्टी सेक्रेटरी), अवर सचिव (अण्डर सेक्रेटरी) तथा अनुभागाधिकारी (सेक्शन आफिसर) के अधीन होता है ।

प्रशासनिक सुधार

मार्च 1964 मे प्रशासनिक सुधार-विभाग स्थापित किया गया और मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय का सगठन तथा पद्धति-विभाग उसमे मिला दिया गया । केन्द्रीय सचिवालय में बड़े पुनस्सगठन-उपायो पर कार्य आरम्भ हुआ । राज्यो के प्रशासनिक सुधार-कार्यक्रमों के सम्बन्ध में राज्य-सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए रखा जाता है ।

पिछले सगठन तथा पद्धति-विभाग के प्रशिक्षण-कार्यक्रम को नया रूप दिया गया। भारतीय लोक प्रशासन-सस्था के सहयोग से सचालित पाठ्यक्रम के अधीन केन्द्र तथा राज्यो के मध्यम स्तर के अधिकारियों को और सचिवालय-प्रशिक्षण-विद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम के अधीन अनुभागाधिकारियो को प्रशिक्षण दिया जाता है।

विभाग के कार्यों के सम्बन्ध मे प्रशासन-समिति निर्देश देती रहती है जो मन्त्रिमण्डलीय सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिवों की समिति है।

देश के लोक प्रशासन की जाच करने और आवश्यकतानुसार उसके सुधार तथा पुनस्संगठन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से जनवरी 1966 मे एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार-आयोग स्थापित किया गया ।

सार्वजनिक सेवाएं

भारत के सविधान के अनुच्छेद 315 (1) मे राष्ट्रपति-द्वारा नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यों-सहित केन्द्रीय लोक सेवा-आयोग की स्थापना की व्यवस्था निहित है। 1 दिसम्बर, 1966 को केन्द्रीय लोक सेवा-आयोग के अध्यक्ष श्री बी० एन० झा थे । आयोग के अन्य सदस्य इस प्रकार थे : सर्वश्री बटुकसिंह, एन० एल० अहमद, श्रीमती बो० खोंगमन, सर्वश्री देशराज मेहता, ए० अप्पदुरइ, एम० एस० दोरइस्वामि तथा आर० सी० एस० सरकार ।

संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार आयोग (1) लिखित एवं मौखिक परीक्षाओ तथा पदोन्नति-द्वारा केन्द्रीय सरकार की सभी असैनिक सेवाओं तथा अन्य पदो के लिए

नियुक्तियां करता है और (2) नियुक्ति के तरीको, असैनिक सेवाओ तथा पदो पर नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण के लिए प्रयोग मे लाए जानेवाले सिद्धान्तों से सम्बन्धित सभी मामलो पर सरकार को परामर्श देता है ।

संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य-सरकारो की किसी असैनिक सेवा अथवा अखिल भारतीय सेवा मे नियुक्त कोई भी कर्मचारी अपने नियुक्ति-अधिकारी से छोटे पद के अधिकारी-द्वारा पद से नही हटाया जा सकता। इसके अतिरिक्त उस कर्मचारी को पद से हटाने या पदावनत करने से पहले उसे अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त अवसर देना भी आवश्यक है । परन्तु कुछ विशेष स्थितियो मे यह विशेषाधिकार देना अनिवार्य नही है।

विधानमण्डल

भारत एक प्रभुसत्ता-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है जिसमे शासन की संसदीय पद्धति अपनाई गई है तथा प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्रदान किया गया है । सम्पूर्ण प्रभुत्व अन्तत जनता मे निहित है । कार्यपालिका अपने सभी निर्णयो तथा कार्यकलाप के लिए विधानमण्डल के निर्वाचित प्रतिनिधियो के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी है ।

केन्द्रीय विधानमण्डल मे जिसे 'ससद्' कहते है, राष्ट्रपति तथा ससद् के दो सदन—राज्यसभा तथा लोकसभा—सम्मिलित है ।

राज्यसभा

राज्यसभा की अधिकतम सदस्य-सख्या 250 है जिसमे से 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों मे अपनी ख्याति के कारण राष्ट्रपति-द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाते है । शेष सदस्य निर्वाचित किए जाते है । राज्यसभा भग नही होती । इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते रहते है। राज्यसभा के सदस्यो का निर्वाचन परोक्ष प्रणाली से होता है तथा प्रत्येक राज्य के लिए सविधान की चौथी अनुसूची मे निर्धारित सदस्यो का निर्वाचन उस राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों-द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल सक्रमणीय मत-द्वारा किया जाता है। संघीय क्षेत्रो के प्रतिनिधि ससद्-द्वारा विहित विधि के अनुसार चुने जाते है। राज्यसभा का सदस्य अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक और 30 वर्ष से कम वय का न होना चाहिए।

लोकसभा

लोकसभा मे राज्यो से निर्वाचित सदस्यो की अधिकतम संख्या 500 है। ये सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यों के निर्वाचनक्षेत्रो से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते है । जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधि उस राज्य के विधानमण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति-द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाते है । लोकसभा मे सघीय क्षेत्रो के प्रतिनिधियों की अधिकतम सख्या 25 होती है जो संसद्-द्वारा विहित विधि के अनुसार चुने जाते है । यदि राष्ट्रपति यह समझे कि आग्ल-भारतीयो को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है तो वह 1970 तक उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा मे दो आग्ल-भारतीय सदस्य

नामनिर्दिष्ट कर सकता है । लोकसभा की अवधि, यदि वह पहले भंग न कर दी जाए, उसकी पहली बैठक की तिथि से पाच वर्ष के लिए होगी ।

राज्यसभा की कुल सदस्य-सख्या 238 है । इसमे से 226 राज्यो तथा संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधि और 12 राष्ट्रपति-द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति हैं । लोकसभा की वर्तमान सदस्य-संख्या 510 है । इनमे से 504 सदस्य सोलह राज्यों (जम्मू-कश्मीर-राज्य के छ सदस्यो-सहित जो वहा के विधानमण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति-द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए) और छ. सघीय क्षेत्रो—गोआ, दमन तथा दीव, दिल्ली; पाण्डिचेरी; मणिपुर, हिमाचलप्रदेश और त्रिपुरा—द्वारा सीधे चुने गए हैं और 6 सदस्य राष्ट्रपति-द्वारा आग्ल-भारतीयो, छठी अनुसूची के भाग 'ख' मे निर्दिष्ट क्षेत्रो; अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह, लक्षदीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी-द्वीपसमूह और दादरा तथा नगरहवेली के सघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किए गए है ।

अगले पृष्ठ की सारणी मे दोनो सदनो के सदस्यो का राज्यवार विभाजन तथा राजनीतिक दलों की सदस्य-सख्या (15 अप्रैल, 1966 की स्थिति के अनुसार ही) दी गई है ।

संसद् के कार्य तथा अधिकार

देश के लिए कानून बनाना और सरकार की आवश्यकताओ तथा राज्य की सेवाओ के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना ससद् के मुख्य कार्य है । मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है । यही सदन मन्त्रियो के वेतन तथा भत्तो को स्वीकृत देता है । लोकसभा सरकार के बजट को अथवा उसके किसी अन्य बड़े वैधानिक प्रस्ताव को पास करना अस्वीकार करके अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मन्त्रिपरिषद् को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है । ससद् को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयो, मुख्य निर्वाचन-आयुक्त और लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक को उनके पद से हटाने का भी अधिकार प्राप्त है ।

प्रत्येक कानून के लिए ससद् के दोनो सदनो की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है । यद्यपि वित्त-सम्बन्धी सभी प्रकार के कानूनों की सिफारिश राष्ट्रपति-द्वारा की जानी चाहिए तथापि अनुदानो, कर-सम्बन्धी प्रस्तावो तथा विनियोजनो को केवल लोकसभा ही स्वीकृति दे सकती है । ससद् को सार्वजनिक समस्याओ पर विचार करने तथा सरकार के विभिन्न विभागो के कार्यों की समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । अनुच्छेद 352* के अधीन सकटकालीन परिस्थितियों में संसद् को राज्य-सूचीवाले विषयो पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है । सविधान में सशोधन करने का अधिकार केवल ससद् को ही प्राप्त है ।

संसदीय समितियां

संसदीय समितियां संसद् के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त की जाती हैं । इन समितियों के तीन वर्ग है : (1) वे समितिया जो मुख्यत सदन के संगठन तथा

---

*चीनी आक्रमण से भारत की सुरक्षा संकट में पड़ जाने के कारण भारत के राष्ट्रपति ने 26 अक्तूबर, 1962 को देश में पहली बार संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा की ।

सारणी 3

संसद् में स्थानों का राज्यवार विभाजन तथा राजनीतिक दलों की सदस्य-संख्या

राज्य/संघीय क्षेत्र	राज्य-सभा	लोकसभा										
		स्थान	कांग्रेस	प्रजा-समाज-वादी	संयुक्त समाज-वादी	साम्य-वादी	साम्य-वादी (मार्क्स-वादी)	जनसंघ	स्वतन्त्र	अन्य दल*	निर्दलीय	योग
असम	7	13§	11§	1	—	—	—	—	—	1	—	13§
आन्ध्रप्रदेश	18	43	31	—	—	4	3	—	2	—	1	41‡
उड़ीसा	10	20	13	1	1	—	—	—	4	—	—	19‡
उत्तरप्रदेश	34	86	60	1	4	2	—	6	5	2	5	85‡
केरल	9	18	6	—	—	3	5	—	—	3	—	17‡
गुजरात	11	22	16	—	—	—	—	—	4	1	1	22
जम्मू-कश्मीर	4	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
नागालैण्ड	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
पंजाब	11	22	14	—	1	—	—	2	3	1	1	22
पश्चिम-बंगाल	16	36	22	—	—	7	2	—	—	1	4	36
बिहार	22	53	44	1	1	1	—	—	—	—	6	53
मद्रास	18	41	31	—	—	—	2	—	—	8	—	41
मध्यप्रदेश	16	36	26	3	1	—	1	3	—	—	2	36

महाराष्ट्र .	19	44	41	1	—	—	—	—	—	—	1	43‡
मैसूर . .	12	26	24	—	—	—	—	—	—	1	—	25‡
राजस्थान	10	22	14	—	—	—	—	1	4	—	3	22
अन्द० निको० द्वीपसमूह	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
गो० द० दीव	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2
दादरा-नगरहवेली .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
दिल्ली . .	3	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5
पाण्डिचेरी .	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
मणिपुर .	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
लक्ष० मिनि० द्वीपसमूह	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
हिमाचलप्रदेश .	2	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
त्रिपुरा . .	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
योग	226†	510**	375	9	8	17	15	12	22**	19	26**	503†

*स्तम्भ में सम्मिलित अन्य दल हैं: असम—पर्वतीय नेता-सम्मेलन 1; उत्तरप्रदेश—रिपब्लिकन पार्टी 2; केरल—मुस्लिम-लीग 2; क्रान्तिकारी समाजवादी दल 1; गुजरात—महागुजरात-जनता-परिषद् 1; गोआ, दमन तथा दीव—महाराष्ट्रवादी गोमन्तक 1; पंजाब—हरियाना-लोक समिति 1; पश्चिम-बंगाल—क्रान्तिकारी समाजवादी दल 1; लोक सेवक-संघ 1; मद्रास—द्रविड़-मुन्नेत्र-कज़गम 8 तथा मैसूर—लोक सेवक-संघ 1।

§उत्तर-पूर्व-सीमान्त क्षेत्र के एक सदस्य-सहित

‡आन्ध्रप्रदेश के दो और उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, केरल, महाराष्ट्र तथा मैसूर के एक-एक रिक्त स्थानों को छोड़कर

†नामनिर्दिष्ट 12 सदस्यों को छोड़कर

**राष्ट्रपति-द्वारा नामनिर्दिष्ट 2 आंग्ल-भारतीय सदस्य-सहित

15 अप्रैल, 1966 की स्थिति के अनुसार दोनो सदनों के सदस्यो के नाम नीचे दिए गए हैं ·

राज्यसभा

सभापति : डा० ज़ाकिर हुसेन

उपसभापति : श्रीमती वायलेट आल्वा

असम (7)

1. पूर्णानन्द चेटिया
2. ए० थाम्लुर
3. एफ० ए० अहमद
4 एम० पुरकायस्थ
5. ऊषा बरठाकुर, श्रीमती
6. बहरुल इस्लाम
7 रवीन्द्रनाथ काकोति

आन्ध्रप्रदेश (18)

8 दामोदरम सजीवय्य
9. मेरी नायडु, कुमारी
10 यर्रपुरेड्डि आ० रेड्डि
11. यल्ला रेड्डि
12. एन० वेंकटेश्वर राव
13 सीता युद्धवीर, श्रीमती
14. नागि रेड्डि
15. अकबरअली खा
16 पी० एम० राव
17. कोट पुन्नय्य
18. एम० वी० भद्रम्
19. एन० सजीव रेड्डि
20. वी० सी० केशवराव
21. पी० के० कुमारन्
22. सी० अम्मन्न राजा, श्रीमती
23. एन० नरोत्तम रेड्डि
24. के० वी० रघुनाथ रेड्डि
25. के० वेंगल रेड्डि

उड़ीसा (10)

26. बी० के० महान्ति
27. नारायण पात्र
28. श्रद्धाकर सुपकर
29. हनीफ मुहम्मद
30. बी० बी० दास
31. लोकनाथ मिश्र
32. बी० सी० पट्टनायक
33. मन्मथनाथ मिश्र
34. सुन्दरमणि पटेल
35. नन्दिनी शतपथी, श्रीमती

उत्तरप्रदेश (34)

36 दत्तोपन्त थेंगाडी
37. फरीदुलहक अन्सारी
38 महावीर प्रसाद शुक्ल
39 बशीर हुसन जैदी
40 उमाशकर दीक्षित
41. ए० सी० गिल्बर्ट
42. रामसिंह
43. टी० एन० सिंह
44. सरला भदौरिया, श्रीमती
45. महावीर प्रसाद भार्गव
46. श्यामसुन्दर नारायण तखा
47. अर्जुन अरोडा
48. के० एल० राठी
49. जोगेशचन्द्र चटर्जी
50. ए० अहमद
51. राजनारायण
52. शकधर
53. हयातुल्ला अन्सारी
54. गोपालस्वरूप पाठक
55. जोगेन्द्र सिंह
56. मुस्तफा रशीद शेरवानी
57. हीरावल्लभ त्रिपाठी
58. अनीस किदवई, श्रीमती

59. लीलाधर अस्थाना
60. चन्द्रशेखर
61. धर्मप्रकाश
62. इन्दिरा गान्धी, श्रीमती
63. सीताराम जयपुरिया
64. गौड़ मुराहरि
65. श्याम कुमारी खा, श्रीमती
66. सी० डी० पाण्डे
67. पी० एन० सप्रू
68. मदनमोहन सिह सिद्धू
69. अटल बिहारी वाजपेयी

केरल (9)

70 रिक्त
71 के० दामोदरन्
72 एस० एम० सेट
73. रिक्त
74. रिक्त
75. रिक्त
76. देवकी गोपिदास, श्रीमती
77. पालत कुञ्जीकोय
78. एम० एन० गोविन्दन् नायर्

गुजरात (11)

79 मणिबेन वी० पटेल
80. खण्डुभाई के० देसाई
81. जी० एच० वी० मोमिन
82. डाह्याभाई वल्लभभाई पटेल
83. खेमचन्दभाई सोभाभाई चावडा
84. सुरेश जे० देसाई
85. बी० एन० अन्ताणी
86. पी० जे० मेहता, श्रीमती
87. जयसुखलाल लालशंकर हाथी
88. मगनभाई शंकरभाई पटेल
89. माणेकलाल चुनीलाल शाह

जम्मू-कश्मीर (4)

90. ओम प्रकाश मेहता
91. गुलाम मुहम्मद मीर
92. कृष्णदत्त
93. मुहम्मद शफी कुरैशी

नागालैण्ड (1)

94. एम० वेरो

पंजाब (11)

95. अनूप सिंह
96 जगत नारायण
97. एम० कौर, श्रीमती
98. उत्तमसिंह दुग्गल
99. नरेन्द्र सिंह
100. नेकीराम
101. रघुबीर सिंह पजहजारी
102. सालिग राम
103 अब्दुल गनी
104. चमन लाल
105. सुरजीत सिंह अटवाल

पश्चिम-बंगाल (16)

106. सत्येन्द्र प्रसाद राय
107 डी० एल० सेनगुप्त
108 फुलरेणु गुह, श्रीमती
109. भूपेश गुप्त
110. मुहम्मद इसाक
111 राजपतसिंह दुगर
112 अरुण प्रकाश चटर्जी
113. चित्त बसु
114. बीरेन राय
115. मृगांक मोहन सुर
116 नौशेर अली
117. सुरेन्द्र मोहन घोष
118. नीरेण घोष
119. देवव्रत मुखर्जी
120. रामप्रसन्न राय
121. आर० के० भुवालका

बिहार (22)

122. ए० मुहम्मद चौधरी
123. आनन्द चन्द

124. जहांआरा जयपालसिंह, श्रीमती
125. आर० पी० जैन
126. अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
127. ब्रजकिशोर प्रसाद सिन्हा
128. रामबहादुर सिन्हा
129. शिशिर कुमार
130. शीलभद्र याजी
131. प्रतुल चन्द्र मित्र
132. आर० पी० खेतान
133. श्यामनन्दन मिश्र
134. बी० एन० मण्डल
135. राजेन्द्रप्रताप सिन्हा
136. एल० एन० मिश्र
137. महाबीर दास
138. धीरेन्द्र चन्द्र मलिक
139. मोहन सिंह ओबेराय
140. जगत किशोर प्रसाद नारायण सिंह
141. गंगाशरण सिंह
142. सैयद महमूद
143. बिपिन बिहारी वर्मा

मद्रास (18)

144. ए० के० ए० अब्दुल समद
145. टी० वी० आनन्दन्
146. एस० चन्द्रशेखर्
147. एस० एस० मारिस्वामि
148. ललिता राजगोपालन्, श्रीमती
149. एस० एस० वासन्
150. के० सुन्दरम्
151. एन० रामकृष्ण अय्यर्
152. जी० पी० सोमसुन्दरम्
153. आर० टी० पार्थसारथि
154. एन० आर० मुनिस्वामि
155. टी० चेंगलवरायन्
156. सी० एन० अण्णादुरइ
157. एम० जे० जमाल मोइउद्दीन
158. पी० थार्णुलिंगम्
159. जे० शिवषणमुखम् पिल्लइ
160. के० एस० रामस्वामि
161. एम० रत्नस्वामि

मध्यप्रदेश (16)

162. भवानी प्रसाद तिवारी
163. दयालदास कुर्रे
164. खूबचन्द्र बघेल
165. चक्रपाणि शुक्ल
166. प्रकाश चन्द सेठी
167. निरजन सिंह
168. निरजन
169. राजा एस० पी० सिंह
170. ए० डी० मणि
171. नन्दी किशोर
172. वी० चतुर्वेदी, श्रीमती
173. विमलकुमार मन्नालालजी चोरडिया
174. आर० एस० खाण्डेकर
175. लक्ष्मीनारायण दास
176. राम सहाय
177. सैयद अहमद

महाराष्ट्र (19)

178. आबिद अली
179. बाबूभाई एम० चिनाय
180 उद्धवराव साहेबराव पाटील
181. एस० के० वैशम्पायन
182. एम० एम० धारिया
183. एस० बी० बोबडे
184. अशोक रंजीतराम मेहता
185. जी० आर० पाटील
186. बी० डी० खोब्रागडे
187. विट्ठलराव तुकाराम नागपुरे
188. एम० सी० चगला
189. भीमराव शेवराव
190. कोदरदास कालिदास शाह
191. भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़
192. बिडेश तुकाराम कुलकर्णी
193. पण्ढरीनाथ सीताराम पाटील
194. धैर्यशीलराव यशवन्तराव पवार

195. तारा रामचन्द्र साठे, श्रीमती
196. गणपतराव देवजी तपासे

मैसूर (12)

197. मुल्क गोविन्द रेड्डि
198. शेर खा
199. सी० एम० पुणच्च
200. अन्नपूर्णादेवी तिम्मरेड्डि, श्रीमती
201. वायलेट आल्व, श्रीमती
202. एम० एस० गुरुपादस्वामि
203. एम० डी० नारायण
204. एन० श्रीराम रेड्डि
205. डी० पी० करमरकर
206 पाटील पुट्प्प
207. एम० गोविन्द रेड्डि
208. जे० वेंकटप्प

राजस्थान (10)

209. सादिक अली
210. देवी सिह
211. शान्ति लाल कोठारी
212. सुन्दर सिंह
213. दलपत सिह
214. मगला देवी, श्रीमती
215. अब्दुल शकूर
216. पी० एन० काटजू
217. जगन्नाथ प्रसाद
218. रमेश चन्द्र व्यास

दिल्ली (3)

219. आई० के० गुजराल
220. शान्ता वशिष्ठ, कुमारी
221. सन्तोख सिंह

पाण्डिचेरी (1)

222. पी० अब्राहम

मणिपुर (1)

223. एस० कृष्ण मोहन सिंह

हिमाचलप्रदेश (2)

224. चिरंजी लाल वर्मा
225. शिवानन्द रमौल

त्रिपुरा (1)

226. तरित मोहन दासगुप्त

राष्ट्रपति-द्वारा नामनिर्दिष्ट (12)

227. जयरामदास दौलतराम
228. एम० सी० सीतलवाद
229. जी० रामचन्द्रन्
230. शकुन्तला पराजपे, श्रीमती
231. डी० आर० गाडगिल
232. एम० अजमल खां
233. एम० एन० कौल
234. हरिवशराय बच्चन
235. आर० आर० दिवाकर
236. गोपाल सिंह
237. ताराचन्द
238. सत्यव्रत सिद्धान्तालकार

लोकसभा

अध्यक्ष : हुकम सिंह उपाध्यक्ष : एस० वी० कृष्णमूर्ति राव

निर्वाचन-क्षेत्र	सदस्य	दल
	असम (12)	
1. कचार	ज्योत्सना चन्द, श्रीमती	कांग्रेस
2. करीमगंज (सु०)	निहार रजन लस्कर	कांग्रेस
3. ग्वालपारा (सु०)	धरणीधर बसुमतारी	कांग्रेस
4. गुवाहाटी	हेम बरुआ	प्रजा-समाजवादी
5. जोरहाट	राजेन्द्र नाथ बरुआ	कांग्रेस
6. डिब्रुगढ	जोगेन्द्रनाथ हजोरिका	कांग्रेस
7. दरग	बिजयचन्द्र भागवती	कांग्रेस
8 धुबरी	गियासुद्दीन अहमद	कांग्रेस
9. नौगाव	लीलाधर कोटकी	कांग्रेस
10. बारपेटा	रेणुकादेवी बरकतकी, श्रीमती	कांग्रेस
11. स्वायत्तशासी जिले (सु०)	जी० गिलबर्ट स्वैल	पर्वतीय नेता-सम्मेलन
12. सिवसागर	प्रफुल्लचन्द्र बरुआ	कांग्रेस
	आन्ध्रप्रदेश (43)	
13. आदिलाबाद	जी० नारायण रेड्डि	कांग्रेस
14. अदोनी	पी० वेकटसुब्बयय्य	कांग्रेस
15. अनकापल्लि	एम० सूर्यनारायण मूर्ति	कांग्रेस
16. अनन्तपुर	उसमान अली खा	कांग्रेस
17. अमलापुरम् (सु०)	बय्या सूर्यनारायण मूर्ति	कांग्रेस
18. ओंगोल	एम० नारायणस्वामि	साम्यवादी (मार्क्सवादी)
19. एलूरु	वी० विमला देवी, श्रीमती	साम्यवादी
20. कडप	वाई० ईश्वर रेड्डि	साम्यवादी
21. करनूल	यशोदा रेड्डि, श्रीमती	कांग्रेस
22. करीमनगर	जे० आर० रमापति राव	कांग्रेस
23. काकिनाड	एम० तिरुमल राव	कांग्रेस
24. कावलि	बी० गोपाल रेड्डि	कांग्रेस
25. खम्मम्	टी० लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती	कांग्रेस
26. गदवाल	जे० रामेश्वर राव	कांग्रेस
27. गुडिवाडा	एम० अंकिनीडु	कांग्रेस

(सु०) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के सुरक्षित स्थानों के लिए कोष्ठकों में (सु०) अक्षर दिया हुआ है ।

1	2	3
28. गुण्टूर	के० रघुरामय्य	कांग्रेस
29. चित्तूर	एन० जी० रंगा	स्वतन्त्र
30. चापुरुपल्लि	आर० बी० गोपालकृष्ण रंगाराव	कांग्रेस
31. तिरुपति (सु०)	सी० दास	कांग्रेस
32. तेनालि	कोल्ला वेंकय्य	साम्यवादी (मार्क्सवादी)
33. नरसापुर	डी० बलरामराजु	काग्रेस
34. नरसीपटनम् (सु०)	एम० मच्छराजु	कांग्रेस
35. नलगोण्डा	रावनारायण रेड्डी	साम्यवादी
36. निज़ामाबाद	एच० सी० हेडा	कांग्रेस
37. नेल्लूरु (सु०)	बी० अजनप्प	कांग्रेस
38. पार्वतीपुरम् (सु०)	बी० सत्यनारायण	काग्रेस
39. पेद्दपल्लि (सु०)	एम० आर० कृष्ण	काग्रेस
40. मचिलीपटनम्	मण्डल वेंकटस्वामि	निर्दलीय
41. महबूबनगर (सु०)	जे० बी० एम० राव	काग्रेस
42. महबूबाबाद	आर० सुरेन्द्र रेड्डि	काग्रेस
43. मारकापुरम्	जी० वाई० रेड्डि	साम्यवादी
44. मिरयालगूड (सु०)	लक्ष्मी दास	साम्यवादी (मार्क्स-वादी)
45. मेदक	पी० हनुमन्त राव	कांग्रेस
46. राजमण्ड्रि	डी० सत्यनारायण राजु	काग्रेस
47. राजमपट	सी० एल० नरसिंह रड्डी	स्वतन्त्र
48. वरगल	बकर अली मिर्ज़ा	काग्रेस
49. विकाराबाद	सगम लक्ष्मीबाई, श्रीमती	कांग्रेस
50. विजयवाडा	के० एल० राव	काग्रेस
51. विशाखापटनम्	रिक्त	
52. श्रीकाकुलम्	बी० राजगोपाल राव	काग्रेस
53. सिकन्दराबाद	रिक्त	
54. हिन्दुपुर	के० वी० रामकृष्ण रेड्डि	कांग्रेस
55. हैदराबाद	गोपाल एस० मल्कोटे	कांग्रेस
	उड़ीसा (20)	
56. अनगुल	हरकृष्ण महताब	कांग्रेस
57. कटक	रिक्त	
58. कलाहाण्डी	प्रताप केसरी देव	स्वतन्त्र
59. केन्द्रापड़ा	सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	प्रजा-समाजवादी
60. केन्दुझर	लक्ष्मीनारायण भजदेव	काग्रेस

1	2	3
61. कोरापुट (सु०)	रामचन्द्र उलका	कांग्रेस
62. छत्रपुर	अनन्त त्रिपाठी शर्मा	कांग्रेस
63. जाजपुर (सु०)	रामचन्द्र मलिक	कांग्रेस
64. ढेंकानाल	वैष्णव चरण पट्टनायक	कांग्रेस
65. नबरंगपुर	जगन्नाथ राव	कांग्रेस
66. पुरी	बिभुधेन्द्र मिश्र	कांग्रेस
67. फुलबाणी (सु०)	राजेन्द्र कोहर	स्वतन्त्र
68. बलांगीर (सु०)	हृषीकेश महानन्द	स्वतन्त्र
69. बालेश्वर	गोकुलानन्द महान्ति	कांग्रेस
70. भजनगर	मोहन नायक	कांग्रेस
71. भद्रक (सु०)	कान्हू चरण जेना	कांग्रेस
72. भुवनेश्वर	पूर्णचन्द्र देवभज	कांग्रेस
73. मयूरभंज (सु०)	महेश्वर नायक	कांग्रेस
74. सम्बलपुर	किसन पट्टनायक	संयुक्त समाजवादी
75. सुन्दरगढ़ (सु०)	यज्ञनारायण सिंह	स्वतन्त्र
	उत्तरप्रदेश (86)	
76. अकबरपुर (सु०)	पन्ना लाल	कांग्रेस
77. अमरोहा	जे० बी० कृपालानी	निर्दलीय
78. अल्मोड़ा	जगबहादुर सिंह बिष्ट	कांग्रेस
79 अलीगढ़	बी० पी० मौर्य	रिपब्लिकन
80. आगरा	अचल सिंह	कांग्रेस
81. आजमगढ़	रामहर्ष यादव	कांग्रेस
82. इटावा	गोपीनाथ दीक्षित	कांग्रेस
83 इलाहाबाद	रिक्त	
84. उन्नाव	कृष्णदेव त्रिपाठी	कांग्रेस
85. एटा	बिशन चन्द सेठ	निर्दलीय
86. करीमगंज	पी० के० खन्ना	कांग्रेस
87. कानपुर	एस० एम० बनर्जी	निर्दलीय
88. कैराना	यशपाल सिंह	संयुक्त समाजवादी
89. कैसरगंज	बसन्त कुवरबा, श्रीमती	स्वतन्त्र
90. खुर्जा (सु०)	कन्हैया लाल बाल्मीकि	कांग्रेस
91. खरी	बालगोविन्द वर्मा	कांग्रेस
92. गढ़वाल	भक्तदर्शन	कांग्रेस
93. गाजीपुर	विश्वनाथ सिंह गहमरी	कांग्रेस

1	2	3
94. गोण्डा	एन० डाण्डेकर	स्वतन्त्र
95. गोरखपुर	सिंहासन सिंह	कांग्रेस
96. घाटमपुर (सु०)	तुलाराम	कांग्रेस
97. घोसी	जय बहादुर सिंह	साम्यवादी
98. चन्दौली	बालकृष्ण सिंह	कांग्रेस
99. चाइल (सु०)	मसुरिया दीन	कांग्रेस
100. जलेसर	कृष्णपाल सिंह	स्वतन्त्र
101. जालौन (सु०)	राम सेवक	कांग्रेस
102. जौनपुर	राजदेव सिंह	कांग्रेस
103. झांसी	सुशीला नय्यर, कुमारी	कांग्रेस
104. टिहरी-गढ़वाल	मानवेन्द्र शाह	कांग्रेस
105. डुमरियागंज	कृपाशंकर	कांग्रेस
106. देवरिया	विश्वनाथ राय	कांग्रेस
107. देहरादून	महावीर त्यागी	कांग्रेस
108. नैनीताल	कृष्णचन्द्र पन्त	कांग्रेस
109. प्रतापगढ़	अजितप्रताप सिंह	जनसंघ
110. पीलीभीत	मोहनस्वरूप	प्रजा-समाजवादी
111. फतेहपुर	गौरीशंकर कक्कड़	निर्दलीय
112. फर्रुखाबाद	राम मनोहर लोहिया	संयुक्त समाजवादी
113. फीरोजाबाद	शम्भुनाथ चतुर्वेदी	कांग्रेस
114. फूलपुर	विजयलक्ष्मी पण्डित, श्रीमती	कांग्रेस
115. फैजाबाद	ब्रजवासी लाल	कांग्रेस
116. बदायूं	ओंकार सिंह	जनसंघ
117 बरेली	बजराज सिंह	जनसंघ
118. बलरामपुर	सुभद्रा जोशी, श्रीमती	कांग्रेस
119. बलिया	मुरली मनोहर	कांग्रेस
120. बस्ती	केशवदेव मालवीय	कांग्रेस
121. बहराइच	राम सिंह	स्वतन्त्र
122. बसी (सु०)	शिव नारायण	कांग्रेस
123. बांदा	साविती निगम, श्रीमती	कांग्रेस
124. बांसगांव (सु०)	महादेव प्रसाद	कांग्रेस
125. बाराबंकी	रामसेवक यादव	संयुक्त समाजवादी
126. बिजनौर	प्रकाशवीर शास्त्री	निर्दलीय
127. बिल्हौर	ब्रज बिहारी मेहरोत्रा	कांग्रेस
128. बिसौली	अन्सार हरवानी	कांग्रेस
129. बुलन्दशहर	सुरेन्द्रपाल सिंह	कांग्रेस

1	2	3
130. मछलीशहर (सु०)	गणपति राम	कांग्रेस
131 मथरा	दिगम्बर सिंह	कांग्रेस
132. महाराजगंज	महादेव प्रसाद	कांग्रेस
133. मिर्जापुर	श्यामधर मिश्र	कांग्रेस
134. मिसरिख (सु०)	गोकरण प्रसाद	जनसंघ
135. मेरठ	शाहनवाज खा	कांग्रेस
136. मैनपुरी	बादशाह गप्त	कांग्रेस
137. मजफ्फरनगर	सुमत प्रसाद	कांग्रेस
138. मरादाबाद	मुजफ्फर हुसैन	स्वतन्त्र
139. मसाफिरखाना	रणंजय सिंह	कांग्रेस
140. मोहनलालगंज (सु०)	गंगा देवी, श्रीमती	कांग्रेस
141 रसडा	सरजू पाण्डेय	साम्यवादी
142. राबर्ट्सगज (सु०)	रामस्वरूप	कांग्रेस
143. रामपुर	एस० अहमद मेंहदी	कांग्रेस
144 रामसनेहीघाट (सु०)	रामानन्द शास्त्री	कांग्रेस
145. रायबरेली (सु०)	बैजनाथ कुरील	कांग्रेस
146 लखनऊ	बी० के० धवन	कांग्रेस
147 लालगज (सु०)	विश्राम प्रसाद	सयुक्त समाजवादी
148 वाराणसी	रघुनाथ सिंह	कांग्रेस
149. शाहजहापुर (सु०)	लखन दास	निर्दलीय
150. शाहाबाद	युवराजदत्त सिंह	जनसघ
151. सरधना	कृष्णचन्द्र शर्मा	कांग्रेस
152 सलेमपुर	विश्वनाथ पाण्डेय	कांग्रेस
153. सहारनपुर (सु०)	सुन्दरलाल	कांग्रेस
154. सालान	दिनेश सिह	कांग्रेस
155. सीतापुर	सूरज लाल शर्मा	जनसघ
156. सुल्तानपुर	कुवर कृष्ण वर्मा	कांग्रेस
157. हमीरपुर	मन्नूलाल द्विवेदी	कांग्रेस
158. हरदोई (सु०)	किन्दर लाल	कांग्रेस
159. हाता	काशीनाथ पाण्डेय	कांग्रेस
160. हाथरस (सु०)	नरदेव स्नातक	कांग्रेस
161. हापुड	कमला चौधरी, श्रीमती	कांग्रेस

केरल (18)

162. अम्बलपुझा	पी० के० वासुदेवन् नायर्	साम्यवादी
163. एर्णाकुलम्	ए० एम० तॉमस	कांग्रेस

1	2	3
164. कासरकोड	ए० के० गोपालन्	साम्यवादी (मार्क्सवादी)
165. कोजीकोड	सी० एच० मुहम्मद कोय	मुस्लिम-लीग
166. कोट्टयम्	मात्यु मणियगाडन्	कांग्रेस
167. कोल्लम् (क्विलोन)	एन० श्रीकण्ठन् नायर्	क्रान्तिकारी समाजवादी
168. चिरयिकिल	एम० के० कुमारन्	साम्यवादी
169. तलश्शेरि (तेल्लि-चेरि)	एस० के० पोट्टिक्काट्	साम्यवादी (मार्क्सवादी)
170. तिरुवनन्दपुरम् (त्रिवेन्द्रम्)	रिक्त	
171. तिरुवल्ल	रवीन्द्र वर्मा	कांग्रेस
172. त्रिशूर् (त्रिचुर)	के० के० वारियर्	साम्यवादी
173. पालकाड (सु०)	पी० कुञ्ञन्	साम्यवादी (मार्क्सवादी)
174. पोन्नानि	ई० के० इम्बिचिबाव	साम्यवादी (मार्क्सवादी)
175 बडगर	ए० वी० राघवन्	साम्यवादी (मार्क्सवादी)
176 मजेरि	मुहम्मद इस्माइल	मुस्लिम-लीग
177. मावेलिक्कर	आर० अच्युतन्	कांग्रेस
178. मुकुन्दपुरम्	पी० गोविन्द मेनन	कांग्रेस
179. मूवाट्टुपुज	चेरियान जे० काप्पन्	कांग्रेस
	गुजरात (22)	
180 अमरेली	जयाबेन वजुभाई शाह, श्रीमती	कांग्रेस
181. अहमदाबाद	इन्दुलाल के० याज्ञिक	म० जनता-परिषद्
182 आणन्द	नरेन्द्रसिंह आर० महीडा	निर्दलीय
183 कच्छ	हिम्मतसिंहजी	स्वतन्त्र
184 खेडा	प्रवीणसिंह एन० सोलंकी	स्वतन्त्र
185. जामनगर	मनुभाई शाह	कांग्रेस
186. जूनागढ	चित्तरंजन रघुनाथ राजा	कांग्रेस
187. दोहद (सु०)	पुरुषोत्तमदास हरिभाई भील	स्वतन्त्र
188. पचमहाल	डाह्याभाई जीवणजी नायक	कांग्रेस
189. पाटण	पुरुषोत्तमदास आर० पटेल	कांग्रेस
190. बड़ौदा	फतेहसिंहराव प्रतापसिंह राव गायकवाड	कांग्रेस
191. बनासकांठा	जोहराबेन ए० चावडा, श्रीमती	कांग्रेस
192 भरुच	छोटुभाई पटेल	कांग्रेस
193. भावनगर	जसवन्त मेहता	कांग्रेस
194. महेसाणा	मानसिंह पृथ्वीराज पटेल	कांग्रेस
195. माण्डवी (सु०)	छगनभाई एम० केदारिया	कांग्रेस

1	2	3
196. राजकोट	एम० आर० मसानी	स्वतन्त्र
197. बलसाड (सु०)	नानुभाई नीछाभाई पटेल	कांग्रेस
198. साबरकांठा	गुलजारीलाल नन्दा	कांग्रेस
199. साबरमती (सु०)	मूलदास भूधरदास वैश्य	कांग्रेस
200. सुरेन्द्रनगर	घनश्याम लाल ओझा	कांग्रेस
201. सूरत	मोरारजी आर० देसाई	कांग्रेस
	जम्मू-कश्मीर (6)*	
202.	शामलाल सराफ	कांग्रेस
203.	बख्शी अब्दुर्रशीद	कांग्रेस
204	अब्दुल गनी गोनी	कांग्रेस
205	गोपाल दत्त मेंगी	कांग्रेस
206.	इन्द्र मल्होत्रा	कांग्रेस
207.	नजीर हुसेन सम्नानी	कांग्रेस
	नागालैण्ड (1)*	
208.	एस० सी० जामीर	कांग्रेस
	पंजाब (22)	
209. अम्बाला (सु०)	चुन्नीलाल	कांग्रेस
210. अमृतसर	गुरमुख सिंह मुसाफिर	कांग्रेस
211. ऊना (सु०)	दलजीत सिंह	कांग्रेस
212. करनाल	रामेश्वरानन्द	जनसंघ
213. कांगड़ा	हेमराज	कांग्रेस
214 कैथल	देवदत्त पुरी	कांग्रेस
215. गुड़गांव	गजराजसिंह राव	कांग्रेस
216. गुरदासपुर	दीवानचन्द शर्मा	कांग्रेस
217. जालन्धर	स्वरन सिंह	कांग्रेस
218 झज्जर	जगदेवसिंह सिद्धान्ती	हरियाना-लोक समिति
219. तरनतारन	सुरजीत सिंह मजीठिया	कांग्रेस
220. पटियाला	हुकम सिंह	कांग्रेस†
221. फिलौर (सु०)	साधूराम	कांग्रेस
222. फीरोजपुर	इकबाल सिंह	कांग्रेस

*राष्ट्रपति-द्वारा नामनिर्दिष्ट

†हुकम सिंह कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे, परन्तु लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद नियमानुसार किसी भी राजनीतिक दल से उनका सम्बन्ध नहीं रह गया ।

1	2	3
223. भटिण्डा (सु०)	धन्ना सिंह गुलशन	स्वतन्त्र
224. महेन्द्रगढ़	युद्धवीर सिंह चौधरी	जनसंघ
225. मोगा (सु०)	बूटा सिंह	स्वतन्त्र
226. रोहतक	लहरी सिंह	निर्दलीय
227. लुधियाना	कपूर सिंह	स्वतन्त्र
228 संगरूर	रणजीत सिंह	कांग्रेस
229. हिसार	मणिराम बागड़ी	संयुक्त समाजवादी
230. होशियारपुर	अमरनाथ विद्यालकार	कांग्रेस
	पश्चिम-बंगाल (36)	
231. आसानसोल	अतुल्य घोष	कांग्रेस
232. औषग्राम (सु०)	मनमोहन दास	कांग्रेस
233 उलुबेडिया	पूर्णेन्दु नारायण झा	कांग्रेस
234. कलकत्ता (उ०प०)	अशोक कुमार सेन	कांग्रेस
235. कलकत्ता (द०प०)	इन्द्रजीत गुप्त	साम्यवादी
236 कलकत्ता (पू०)	रणेन सेन	साम्यवादी
237. कलकत्ता (म०)	हीरेन्द्र नाथ मुखर्जी	साम्यवादी
238. काटोया	शरदिश राय	साम्यवादी (मार्क्सवादी)
239. काथि (कौण्टइ)	बसन्त कुमार दास	कांग्रेस
240. कूचविहार (सु०)	पी० सी० बर्मन	कांग्रेस
241. घाटाल	शचीन्द्र चौधुरी	कांग्रेस
242. जलपाइगुडि	नलिनी रंजन घोष	कांग्रेस
243. जयनगर (सु०)	परेश नाथ कयाल	कांग्रेस
244. झाड़ग्राम (सु०)	सुबोध हंसदा	कांग्रेस
245. डायमण्ड हार्बर	सुधांशु भूषण दास	कांग्रेस
246. तमलुक	सतीश चन्द्र सामन्त	कांग्रेस
247. दार्जिलिंग	टी० मानेन	कांग्रेस
248. नवद्वीप	हरिपद चटर्जी	निर्दलीय
249. पुरुलिया	भजहरि माहातो	निर्दलीय
250. ब्यारकपुर	रेणु चक्रवर्ती, श्रीमती	साम्यवादी
251. वर्धमान	एन० सी० चटर्जी	निर्दलीय
252. बसिरहाट	हुमायुन कबिर	कांग्रेस
253. बहरमपुर	त्रिदिब कुमार चौधरी	क्रान्तिकारी समाजवादी
254. बांकुड़ा	रामगति बनर्जी	कांग्रेस
255. बारासत	अरुणचन्द्र गुह	कांग्रेस
256. बालुरघाट (सु०)	सरकार मुरमु	साम्यवादी
257. बीरभूम (सु०)	शिशिर कुमार साहा	कांग्रेस

1	2	3
258. मालदह	रेणुका राय, श्रीमती	कांग्रेस
259 मथुरापुर (सु०)	पूर्णेन्दुशेखर नस्कार	कांग्रेस
260. मेदिनीपुर	गोविन्द कुमार सिंह	कांग्रेस
261 मुर्शिदाबाद	सैयद बदरुद्दजा	निर्दलीय
262 रायगंज	चपलाकान्त भट्टाचार्य	कांग्रेस
263 विष्णुपुर (सु०)	पशुपति मण्डल	कांग्रेस
264. श्रीरामपुर	दीनेन भट्टाचार्य	साम्यवादी (मार्क्सवादी)
265 हावड़ा	महम्मद ईलियास	साम्यवादी
266 हुगली	प्रभात कार	साम्यवादी
	बिहार (53)	
267. औरंगाबाद	ललिता राज्यलक्ष्मी, श्रीमती	निर्दलीय
268 कटिहार	प्रिय गुप्त	प्रजा-समाजवादी
269. किशनगंज	मुहम्मद ताहिर	कांग्रेस
270 केसरिया	भीष्म प्रसाद यादव	कांग्रेस
271 खगड़िया	जियालाल मण्डल	कांग्रेस
272 गया	ब्रजेश्वर प्रसाद	कांग्रेस
273 गिरीडीह	बटेश्वर सिंह	निर्दलीय
274. गोड्डा	प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका	कांग्रेस
275. गोपालगंज	द्वारकानाथ तिवारी	कांग्रेस
276. चतरा	विजया राजे, श्रीमती	निर्दलीय
277. छपरा	रामशेखर प्रसाद सिंह	कांग्रेस
278 जमशेदपुर	उदयकर मिश्र	साम्यवादी
279. जमुई (सु०)	नयनतारा दास	कांग्रेस
280 जयनगर	यमुना प्रसाद मण्डल	कांग्रेस
281 जहांनाबाद	सत्यभामा देवी, श्रीमती	कांग्रेस
282. दरभंगा (सु०)	श्रीनारायण दास	कांग्रेस
283. दुमका (सु०)	सत्यचरण बेसरा	कांग्रेस
284. धनबाद	पी० आर० चक्रवर्ती	कांग्रेस
285 नवादा (सु०)	रामधनी दास	कांग्रेस
286. नालन्दा	सिद्धेश्वर प्रसाद	कांग्रेस
287. पटना	रामदुलारी सिन्हा, श्रीमती	कांग्रेस
288 पलामू	शशांक मंजरी, श्रीमती	निर्दलीय
289 पुपरी	शशिरंजन	कांग्रेस
290. पूर्णिया	फणिगोपाल सेन	कांग्रेस
291. बक्सर	अनन्तप्रसाद शर्मा	कांग्रेस

1	2	3
292. बगहा	कमलनाथ तिवारी	कांग्रेस
293. बांका	शकुन्तला देवी, श्रीमती	कांग्रेस
294. बाढ़	तारकेश्वरी सिन्हा, श्रीमती	कांग्रेस
295. बिक्रमगंज	रामसुभग सिंह	कांग्रेस
296. बेगूसराय	मथुरा प्रसाद मिश्र	कांग्रेस
297. बेतिया (सु०)	भोला रावत	कांग्रेस
298. भागलपुर	भागवत झा आजाद	कांग्रेस
299. मधुबनी	योगेन्द्र झा	कांग्रेस
300. महाराजगंज	कृष्णकान्त सिंह	कांग्रेस
301. महुआ (सु०)	चन्द्रमणि लाल चौधरी	कांग्रेस
302. मुंगेर	मधु लिमये	संयुक्त समाजवादी
303. मुजफ्फरपुर	दिग्विजय नारायण सिंह	कांग्रेस
304. मोतिहारी	बिभूति मिश्र	कांग्रेस
305. रांची (प०) (सु०)	जयपाल सिंह	निर्दलीय
306. रांची (पू०)	प्रशान्त कुमार घोष	निर्दलीय
307. राजमहल (सु०)	ईश्वर मरण्डी	कांग्रेस
308. रोसडा (सु०)	रामेश्वर साहू	कांग्रेस
309. लोहारदग्गा (सु०)	डेविड मुंजनी	कांग्रेस
310. शाहाबाद	बलिराम भगत	कांग्रेस
311. समस्तीपुर	सत्यनारायण सिन्हा	कांग्रेस
312 सहरसा	एल० चौधरी	कांग्रेस
313 सहसराम (सु०)	जगजीवन राम	कांग्रेस
314. सिंहभूम (सु०)	हरिचरण साय	कांग्रेस
315. सिवान	मुहम्मद युसुफ	कांग्रेस
316. सीतामढ़ी	नगेन्द्र प्रसाद यादव	कांग्रेस
317. सोनवर्षा (सु०)	तुलमोहन राम	कांग्रेस
318. हजारीबाग	बसन्त नारायण सिंह	निर्दलीय
319. हाजीपुर	राजेश्वर पटेल	कांग्रेस

मद्रास (41)

1	2	3
320. अरुप्पुकोट्टइ	काशीनाथ दुरइ	कांग्रेस
321. ईरोड्	एस० के० परमशिवन्	कांग्रेस
322. कडलूर्	टी० डी० रामभद्रन्	द्रविड़-मुन्नेत्र-कड़गम
323. करूर्	आर० रामनाथन् चेट्टियार्	कांग्रेस
324. कुम्भकोणम्	सी० आर० पट्टाभिरामन्	कांग्रेस
325. कृष्णगिरि	के० राजाराम	द्रविड़-मुन्नेत्र-कड़गम
326. कोइलपट्टि (सु०)	एस० सी० बालकृष्णन्	कांग्रेस

1	2	3
327. कोयमुत्तूर्	पी० आर० रामकृष्णन्	कांग्रेस
328. गोबिचेट्टिपालयम्	पी० जी० करुत्तिरुमन्	कांग्रेस
329. चिदम्बरम्	आर० कनकसबई	कांग्रेस
330. चेंगलपट्टु	ओ० वी० अलगेसन्	कांग्रेस
331. तंजावूर्	वी० वैरव तेवर्	कांग्रेस
332. तिरुकोइलूर् (सु०)	एल० इलयपेरुमाल्	कांग्रेस
333. तिरुचंगोडु	एस० कन्दप्पन्	द्रविड़-मुन्नेत्र-कजगम
334. तिरुच्चिरापल्लि	आनन्द नम्बियार्	साम्यवादी (मार्क्सवादी)
335. तिरुचेन्दूर्	टी० टी० कृष्णमाचारि	कांग्रेस
336. तिरुनेल्वेलि	पी० मुत्तय्या	कांग्रेस
337. तिरुपत्तूर्	आर० मुत्तुगोण्डर्	द्रविड़-मुन्नेत्र-कजगम
338. तिरुवण्णामलइ	आर० धर्मलिंगम्	द्रविड़-मुन्नेत्र-कजगम
339. तिरुवल्लूर्	वी० गोविन्दसामि नायडु	कांग्रेस
340. तेन्कासि	एम० पी० स्वामि	कांग्रेस
341 दिण्डिवनम्	आर० वेंकटसुब्बा रेड्डियार्	कांग्रेस
342. दिण्डुक्कल्	टी० एस० एस० रामचन्द्रन्, श्रीमती	कांग्रेस
343. नागपट्टिनम्	गोपालस्वामि तेनगोण्डार्	कांग्रेस
344. नागरकोइल्	ए० नेसमणि	कांग्रेस
345. नामक्कल् (सु०)	वी० के० रामस्वामि	कांग्रेस
346. नीलगिरि	अक्कमा देवी, श्रीमती	कांग्रेस
347. पुदुक्कोट्टइ	आर० उमानाथ	साम्यवादी (मार्क्सवादी)
348. पेरम्बलूर्	ऐरा सेलियन्	द्रविड़-मुन्नेत्र-कजगम
349. पेरियकुलम्	एम० मलइचामि	कांग्रेस
350. पोल्लाचि	सी० सुब्रह्मण्यम्	कांग्रेस
351. मद्रास (उ०)	पी० श्रीनिवासन्	कांग्रेस
352 मद्रास (द०)	के० मनोहरन्	द्रविड़-मुन्नेत्र-कजगम
353. मदुरइ	एन० एम० आर० सुब्बरामन्	कांग्रेस
354. मायूरम् (सु०)	एम० चन्द्रशेखर्, श्रीमती	कांग्रेस
355. मेलूर् (सु०)	पी० मरुत्तय्या	कांग्रेस
356. रामनाथपुरम्	एन० अरुणाचलम्	कांग्रेस
357. वन्दवासि	ए० जयरामन्	कांग्रेस
358. वेलूर्	टी० अब्दुल वहीद	कांग्रेस
359. श्रीपेरुमबुदूर् (सु०)	पी० शिवशंकरन्	द्रविड़-मुन्नेत्र-कजगम
360. सेलम्	एस० वी० रामस्वामि	कांग्रेस
	मध्यप्रदेश (36)	
361. इन्दौर	होमी एफ० दाजी	साम्यवादी (मार्क्सवादी)

1	2	3
362. उज्जैन	राधेलाल व्यास	कांग्रेस
363. खजुराहो	रामसहाय तिवारी	कांग्रेस
364 खण्डवा	महेशदत्त मिश्र	कांग्रेस
365. खरगोन	रामचन्द्र बड़े	जनसंघ
366. ग्वालियर	विजया राजे सिन्धिया, श्रीमती	कांग्रेस
367. गुना	रामसहाय शिवप्रसाद पाण्डेय	कांग्रेस
368. छिन्दवाड़ा	बी० एल० चाण्डक	कांग्रेस
369. जबलपुर	गोविन्द दास (सेठ)	कांग्रेस
370. जाजगीर	अमरसिंह सहगल	कांग्रेस
371. झबुआ (सु०)	यमुना देवी, श्रीमती	कांग्रेस
372. टीकमगढ़ (सु०)	कुरे माते	प्रजा-समाजवादी
373 दमोह (सु०)	सहोदरा बाई राय, श्रीमती	कांग्रेस
374 दुर्ग	मोहनलाल बाकलीवाल	कांग्रेस
375 देवास (सु०)	हुकमचन्द कचवाई	जनसंघ
376 बस्तर (सु०)	लखमू भवानी	निर्दलीय
377. बालाघाट	भोलाराम पारधी	प्रजा-समाजवादी
378. बालोदा बाजार (सु०)	मिनीमाता आगमदास गुरु, श्रीमती	कांग्रेस
379 बिलासपुर	चन्द्रभान सिंह	कांग्रेस
380 भिण्ड (सु०)	सूर्य प्रसाद	कांग्रेस
381 भोपाल	मैमूना सुल्ताना, श्रीमती	कांग्रेस
382. मण्डला (सु०)	एम० जी० उइके	कांग्रेस
383 मन्दसौर	उमाशंकर त्रिवेदी	जनसंघ
384 महासमुन्द	विद्याचरण शुक्ल	कांग्रेस
385. राजगढ़	भानुप्रकाश सिंह	कांग्रेस
386. राजनांदगाव	बीरेन्द्र बहादुर सिंह	कांग्रेस
387. रायगढ़	विजयभूषण सिंह देव	निर्दलीय
388. रायपुर (सु०)	श्याम कुमार देवी, श्रीमती	कांग्रेस
389 रीवा	शिवदत्त उपाध्याय	कांग्रेस
390. शहडोल (सु०)	बुद्धूसिंह उतिया	संयुक्त समाजवादी
391 शिवपुरी	वैदेही चरण पाराशर	कांग्रेस
392. सरगुजा (सु०)	बाबूनाथ सिंह	कांग्रेस
393. सागर	ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी	कांग्रेस
394 सिद्धि	आनन्दचरण जोशी	कांग्रेस
395. सिवनी (सु०)	एन० एम० वाडिवा	कांग्रेस
396. होशंगाबाद	एच० वी० कामत	प्रजा-समाजवादी

1	2	3
	महाराष्ट्र (44)	
397. अकोला	मुहम्मद मोहिबुल हक	कांग्रेस
398. अमरावती	बिमला देशमुख, श्रीमती	कांग्रेस
399. अहमदनगर	मोतीलाल के० फिरोदिया	कांग्रेस
400. उस्मानाबाद	तुलसीराम आबाजी पाटील	कांग्रेस
401. औरंगाबाद	भाऊराव डी० देशमुख	कांग्रेस
402 कराड	दाजीसाहेब रामराव चव्हाण	कांग्रेस
403. कुलाबा	भास्कर नारायण दिघे	कांग्रेस
404. कोपरगांव	अण्णसाहेब शिन्दे	कांग्रेस
405. कोल्हापुर	विश्वनाथ तुकाराम पाटील	कांग्रेस
406 खामगांव (सु०)	लक्ष्मणराव श्रावणजी भाटकर	कांग्रेस
407. खेड	रघुनाथ के० खाडिलकर	कांग्रेस
408. गोन्दिया (सु०)	बालकृष्ण आर० वासनीक	कांग्रेस
409. चान्दा	ताई कन्नमवार, श्रीमती	कांग्रेस
410. जलगाव	जे० एस० पाटील	कांग्रेस
411. जालना	रामराव नारायणराव लोणीकर	कांग्रेस
412. थाना	सोनूभाऊ डी० बसवन्त	कांग्रेस
413. धूलिया	सी० ए० रावन्दले	कांग्रेस
414 नन्दुरबार (सु०)	लक्ष्मण वेदु वाल्वी	कांग्रेस
415. नागपुर	एम० एस० अणे	निर्दलीय
416 नान्देड	तुलसीदास सुभानराव जाधव	कांग्रेस
417. नासिक	यशवन्तराव बी० चव्हाण	कांग्रेस
418. पण्डरपुर (सु०)	तयप्प हरि सोनवणे	कांग्रेस
419. परभणी	शिवाजीराव एस० देशमुख	कांग्रेस
420. पूना	रिक्त	
421. बम्बई नगर (उ०)	वी० के० कृष्ण मेनन	कांग्रेस
422. बम्बई नगर (द०)	एस० के० पाटील	कांग्रेस
423. बम्बई नगर (म० उ०) (सु०)	एन० एस० काजरोलकर	कांग्रेस
424 बम्बई नगर (म० द०)	बी० बी० गान्धी	कांग्रेस
425. बारामती	गुलाबराव के० जेढे	कांग्रेस
426 बीड़	द्वारका दास मन्त्री	कांग्रेस
427 बुलढाणा	शिवराम आर० राणे	कांग्रेस
428. भण्डारा	आर० एम० हजरनवीस	कांग्रेस
429. भिवण्डी (सु०)	यशवन्तराव मार्तण्डराव मुकणे	कांग्रेस
430 मालेगाव	माधवराव एल० जाधव	कांग्रेस

1	2	3
431. मिरज	विजयसिंहराव रामराव डफले	कांग्रेस
432. यवतमाल	देवराव शिवराम पाटील	कांग्रेस
433. रत्नागिरी	शारदा मुखर्जी, श्रीमती	कांग्रेस
434. राजपुर	नाथ पइ	प्रजा-समाजवादी
435. रामटेक	माधवराव बी० पाटील	कांग्रेस
436. लातूर (सु०)	तुलसीराम दशरथ काम्बले	कांग्रेस
437. वर्धा	कमलनयन बजाज	कांग्रेस
438. सातारा	किसन वीर	कांग्रेस
439. सोलापुर	एम० बी० कडाडि	कांग्रेस
440. हातकणंगले (सु०)	कृष्णजी लक्ष्मण मोरे	कांग्रेस

मैसूर (26)

441 उडिपि	रिक्त	
442 केनरा	जोकिम आल्व	कांग्रेस
443 कोप्पल	शिवमूर्ति स्वामि	लोक सेवक-संघ
444. कोलार (सु०)	दोड्ड तिम्मय्य	कांग्रेस
445 गुलबर्ग	महादेवप्प रामपुरे	कांग्रेस
446 चामराजनगर (सु०)	एम० एम० सिद्दय्य	कांग्रेस
447. चिक्कोडि	वसन्तराव एल० पाटील	कांग्रेस
448. चिकबल्लापुर	एच० सी० लिंग रेड्डि	कांग्रेस
449 चित्रदुर्ग	एस० वीरबसप्प	कांग्रेस
450 तिप्तुर	सी० आर० बसप्प	कांग्रेस
451 तुमकूर	एम० मरियप्प	कांग्रेस
452 धारवाड़ (उ०)	सरोजिनी बी० महिषी, श्रीमती	कांग्रेस
453. धारवाड़ (द०)	एफ० एच० मोहसिन	कांग्रेस
454. बंगलोर	एच० के० वीरण्ण गौड	कांग्रेस
455. बंगलोर (नगर)	के० हनुमन्तय्य	कांग्रेस
456 बीजापुर (उ०)	राजाराम जी० दुबे	कांग्रेस
457. बीजापुर (द०)	एस० बी० पाटील	कांग्रेस
458. बीदर (सु०)	रामचन्द्र वीरप्प	कांग्रेस
459. बेलगाम	एच० वी० कोजल्गि	कांग्रेस
460. बेल्लारि	टी० सुब्रह्मण्यम्	कांग्रेस
461. मंगलूर	ए० शंकर आल्व	कांग्रेस
462. मण्ड्य	एम० के० शिवनंजप्प	कांग्रेस
463. मैसूर	एम० शंकरय्य	कांग्रेस
464. रायचूर	जगन्नाथराव चन्द्रिकि	कांग्रेस
465. शिवमोग्ग	एस० वी० कृष्णमूर्ति राव	कांग्रेस

1	2	3
466. हासन	एच० सिद्धनंजप्प	कांग्रेस
	राजस्थान (22)	
467. अजमेर	मुकुटबिहारी लाल भार्गव	कांग्रेस
468. अलवर	काशीराम गुप्त	निर्दलीय
469. उदयपुर (सु०)	घुलेश्वर मीना	कांग्रेस
470. कोटा (सु०)	ओंकारलाल बरवा	जनसंघ
471. गंगानगर (सु०)	पन्नालाल बारूपाल	कांग्रेस
472. चित्तौड़गढ़	माणिक्य लाल वर्मा	कांग्रेस
473. जयपुर	गायत्री देवी, श्रीमती	स्वतन्त्र
474. जालौर	हरिश्चन्द्र माथुर	कांग्रेस
475. जोधपुर	लक्ष्मीमल सिंघवी	निर्दलीय
476. झालावाड़	ब्रजराज सिंह	कांग्रेस
477. झुंझनू	राधेश्याम आर० मोरारका	कांग्रेस
478. दौसा	पृथ्वीराज	स्वतन्त्र
479. नागौर	सुरेन्द्र कुमार दे	कांग्रेस
480. पाली	जसवन्तराज मेहता	कांग्रेस
481. बांसवाड़ा (सु०)	रतनलाल	कांग्रेस
482. बाड़मेर	तानसिंह	स्वतन्त्र
483. बीकानेर	करणीसिंहजी	निर्दलीय
484. भरतपुर	राजबहादुर	कांग्रेस
485. भीलवाड़ा	शिव चरण माथुर	कांग्रेस
486. सवाई माधोपुर (सु०)	केसर लाल	स्वतन्त्र
487. सीकर	रामेश्वर टांटिया	कांग्रेस
488. हिण्डौन	टीकाराम पालीवाल	कांग्रेस
	अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह (1)*	
489.	निरंजन लाल	कांग्रेस
	उत्तर-पूर्व-सीमान्त क्षेत्र (1)*	
490.	डी० इरिंग	कांग्रेस
	गोआ, दमन तथा दीव (2)	
491. पंजिम	पीटर ए० अलवारिस	प्रजा-समाजवादी
492. मारमागाओ	मुकुन्द पद्मनाभ शिंकरे	म० गो०

*राष्ट्रपति-द्वारा नामनिर्दिष्ट

1	2	3
	दादरा तथा नगरहवेली (1)*	
493.	सनजी रूपजी	कांग्रेस
	दिल्ली (5)	
494. करोलबाग (सु०)	नवल प्रभाकर	कांग्रेस
495. चादनी चौक	शामनाथ	कांग्रेस
496. दिल्ली सदर	शिवचरण गुप्त	कांग्रेस
477. नई दिल्ली	मेहरचन्द खन्ना	कांग्रेस
498. बाह्य दिल्ली	ब्रह्मपरकाश	कांग्रेस
	पाण्डिचेरी (1)	
499. पाण्डिचेरी	कु० शिवप्रकाशन्	कांग्रेस
	मणिपुर (2)	
500 आन्तरिक मणिपुर	एस० टी० सिंह	कांग्रेस
501. बाह्य मणिपुर (सु०)	आर० केशिंग	कांग्रेस
	लक्षदीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी-द्वीपसमूह (1)*	
502.	के० नल्लकोय लंगल	कांग्रेस
	त्रिपुरा (2)	
503. त्रिपुरा पश्चिम	बीरेन दत्त	साम्यवादी (मार्क्सवादी)
504. त्रिपुरा पूर्व (सु०)	दशरथ देव	साम्यवादी (मार्क्सवादी)
	हिमाचलप्रदेश (4)	
505. चम्बा	छतर सिंह	कांग्रेस
506. मण्डी	ललित सेन	कांग्रेस
507. महासू	वीरभद्र सिंह	कांग्रेस
508. सिरमौर (सु)	प्रताप सिंह	कांग्रेस
	आंग्ल-भारतीय (2)*	
509.	फ्रैंक एन्थनी	—
510.	ए० ई० टी० बैरो	—

*राष्ट्रपति-द्वारा नामनिर्दिष्ट

अधिकार-सम्बन्धी कार्यों के लिए नियुक्त की जाती हैं (2) वे समितियां जो सदनों को कानून-निर्माण के कार्यों में सहायता प्रदान करती हैं तथा (3) वे समितियां जिन्हें वित्तीय कार्य सौंपे जाते हैं। तीसरे वर्ग की समितियों में लोक लेखा-समिति तथा प्राक्कलन-समिति विशेष उल्लेखनीय है। एक अन्य महत्वपूर्ण समिति सरकारी आश्वासन-समिति है।

न्यायपालिका

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा अधिक-से-अधिक तेरह न्यायाधीश होते हैं जो राष्ट्रपति-द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। न्यायाधीश 65 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है तथा वह किसी एक उच्च न्यायालय अथवा दो अथवा दो से अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार कम-से-कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश; अथवा किसी एक उच्च न्यायालय अथवा दो अथवा दो से अधिक ऐसे न्यायालयों में कम-से-कम दस वर्ष तक वकील रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की सम्मति में कानून का प्रकाण्ड पण्डित हो। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अवकाशप्राप्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में अथवा किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता।

सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक संसद् के प्रत्येक सदन-द्वारा प्रमाणित दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर बहुमत तथा मत देनेवाले उपस्थित सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत से पास इस आशय का प्रस्ताव मिल जाने के बाद राष्ट्रपति उसको हटाए जाने का आदेश न दे दें।

1 दिसम्बर, 1966 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री अमल कुमार सरकार थे। अन्य न्यायाधीश इस प्रकार थे—सर्वश्री के० सुब्बाराव, के० एन० वांचू, हिदायतुल्ला, जे० सी० शाह, रघुबरदयाल, जे० आर० मुधोलकर, एस० एम० सिकरी आर० एस० बचावत, वी० रामस्वामि तथा जे० एम० शेलत।

भारत-सरकार के विधि-अधिकारी थे :

महान्यायवादी (एटर्नी जनरल) :	श्री सी० के० दफ्तरी
महाधिवक्ता (सॉलिसिटर जनरल) :	श्री एस० वी० गुप्ते
अतिरिक्त महाधिवक्ता :	श्री निरेन दे

न्यायाधिकार-क्षेत्र

सर्वोच्च न्यायालय को सीधे मुकदमे लेने तथा अपील सुनने का अधिकार है। केन्द्र तथा एक अथवा एक से अधिक राज्यों के बीच के झगड़े अथवा दो अथवा दो से अधिक राज्यों के पारस्परिक झगड़ों का निर्णय करने का अधिकार भी एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। इसके अतिरिक्त संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार लागू करवाने के सम्बन्ध में विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की व्याख्या का प्रश्न उठने की सम्भावनावाले मामलों में किसी उच्च न्यायालय-द्वारा दिए गए निर्णय, जारी की गई डिग्री अथवा अन्तिम

आदेश के सम्बन्ध में उसी उच्च न्यायालय-द्वारा प्रमाणपत्र दिए जाने पर अथवा उसके (सर्वोच्च न्यायालय) द्वारा विशेष अनुमति प्रदान किए जाने पर ही तथा इसी प्रकार दीवानी के ऐसे मामलों में, जिनमें झगड़े से सम्बन्धित राशि 20,000 रु० से कम न हो अथवा जिनके निर्णय, डिग्री अथवा अन्तिम आदेश में इतनी ही राशि की सम्पत्ति के लिए दावा किया गया हो, सम्बन्धित उच्च न्यायालय-द्वारा इस मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में किए जा सकने का प्रमाणपत्र दिए जाने पर अपील की जा सकती है। फौजदारी के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय (क) अभियुक्त को मुक्त करने के आदेश को रद्द करके उसे मृत्यु-दण्ड सुना दे; किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से अपने हाथों में ले ले और अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड सुना दे अथवा (ग) यह प्रमाणपत्र दे दे कि अमुक मामले के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त भारत के सभी न्यायालय तथा न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के अपील सुनने के व्यापक न्यायाधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण-द्वारा किसी भी मामले में दिए गए निर्णय, डिग्री, दण्ड अथवा आदेश पर अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति-द्वारा विशेष रूप से सौंपे गए मामलों में परामर्श देने का विशेष अधिकार भी प्राप्त है।

राज्य

संविधान के छठे भाग की व्यवस्था के अनुसार राज्यों की शासन-पद्धति केन्द्रीय सरकार के अनुरूप ही है।

कार्यपालिका

राज्य की कार्यपालिका के अन्तर्गत राज्यपाल तथा मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् होती है।

राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों की अवधि के लिए करता है किन्तु उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। 35 वर्ष से अधिक वयवाले भारतीय नागरिक को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है और कार्यपालिका-सम्बन्धी सभी कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल को इस सम्बन्ध में कुछ स्वेच्छाधीन अधिकार प्राप्त हैं कि वह (1) अपने राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों (यदि कोई हों) के बारे में तथा (2) सांविधानिक व्यवस्था भंग हो जाने की स्थिति में राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश करे।

मन्त्रिपरिषद्

संविधान के अधीन मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है जो राज्यपाल को उसके कार्यपालन में सलाह तथा सहायता देती है। मुख्य मन्त्री राज्यपाल-द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मन्त्री मुख्य मन्त्री के परामर्श पर राज्यपाल-द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मन्त्रिपरिषद् सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुरूप कार्य करती है और वह राज्य की विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

प्रशासनिक एकांश

प्रशासन का मुख्य एकांश जिला है जो कलक्टर तथा मजिस्ट्रेट के अधीन होता है। कलक्टर की हैसियत से यह अधिकारी राजस्व उगाहने तथा भूमि-प्रबन्ध की सब बातों (सिंचाई, कृषि और वन-सम्बन्धी पहलुओं तथा पंजीकरण को छोड़कर) की व्यवस्था करने के लिए डिवीजन के प्रधान 'कमिश्नर' अथवा राजस्व-मण्डल (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) के प्रति तथा उसके माध्यम से सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। जिला-मजिस्ट्रेट के रूप में वह जिले में शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने और उसके दण्ड-प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। इस कार्य के लिए मजिस्ट्रेट के नियन्त्रण में एक पुलिस-विभाग होता है जिसका प्रधान अधिकारी 'पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट' कहलाता है। असिस्टेण्ट अथवा डिप्टी कलक्टरों और मजिस्ट्रेटों के अतिरिक्त उसकी सहायता के लिए कार्यकारी इंजीनियर तथा असैनिक आपूर्ति-अधिकारी-जैसे कई अन्य जिला-अधिकारी भी होते हैं।

विभिन्न विकास-विभागों के सचिवों की एक अन्तर्विभागीय समिति के माध्यम से राज्य के मुख्यालयों के विकास-कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित किया जाता है। मुख्य सचिव अथवा योजना-विभाग का सचिव इस समिति का अध्यक्ष होता है। अधिकांश राज्यों में राज्य-योजना-मण्डल स्थापित किए गए हैं। इनमें प्रमुख गैरसरकारी व्यक्ति भी होते हैं।

विधानमण्डल

प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल होता है जिसके अन्तर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त दो सदन होते हैं, किन्तु असम, उड़ीसा, केरल, गुजरात, नागालैण्ड तथा राजस्थान में केवल एक-एक सदन की ही व्यवस्था है।* उच्च सदन विधान-परिषद कहलाता है तथा निचला सदन विधान-सभा। संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि संसद् किसी वर्तमान विधान-परिषद् को समाप्त करने अथवा किसी राज्य में उसकी स्थापना करने की व्यवस्था कर सकती है।

विधान-परिषद्

प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई से अधिक तथा किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। परिषद् के लगभग 1/3 सदस्य उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों-द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किए जाते हैं जो विधान-सभा के सदस्य नहीं हैं, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन नगरपालिकाओं, जिला-मण्डलों तथा अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचक-मण्डल करते हैं, 1/12 सदस्य शिक्षा-संस्थाओं (माध्यमिक स्तर के नीचे की नहीं) के पंजीकृत अध्यापक निर्वाचित करते हैं तथा 1/12 सदस्य वे पंजीकृत स्नातक निर्वाचित करते हैं जिन्हें उपाधि प्राप्त किए 3 वर्ष से अधिक अवधि हो गई हो। शेष सदस्य राज्यपाल-द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से लिए जाते हैं जिन्होंने साहित्य,

*** 'संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम 1958' में मध्यप्रदेश में विधान-परिषद् की स्थापना की व्यवस्था की गई और अगले वर्ष उसकी स्थापना हो जाएगी।**

विज्ञान, कला, सहकारिता तथा समाज-सेवा के क्षेत्र मे असाधारण कार्य किया हो। राज्यसभा की भांति ही विधान-परिषदें भी स्थायी है तथा इनके $\frac{1}{3}$ सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते है।

विधान-सभा

संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अधिक-से-अधिक 500 तथा कम-से-कम 60 सदस्य होते है जिनका निर्वाचन राज्य के निर्वाचन-क्षेत्रो से प्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान-सभा का कार्यकाल भी सामान्यत 5 वर्ष का होता है।

दो-दो सदनो के विधानमण्डलवाले दस राज्यो मे विधान-परिषदो की सदस्य-संख्या तथा सभी राज्यों की विधान-सभाओ तथा सघीय क्षेत्रो की क्षेत्रीय परिषदो के सदस्यो की सख्या और उनमें विभिन्न दलो की सदस्य-सख्या 1 फरवरी, 1966 की स्थिति के अनुसार अगले पृष्ठ की सारणी मे दी गई है।

अधिकार तथा कार्य

राज्य-विधानमण्डल को सविधान की सातवी अनुसूची की सूची 2 मे उल्लिखित विषयो पर एकान्तिक अधिकार प्राप्त है तथा सूची 3 मे उल्लिखित विषयो पर केन्द्र के साथ मिले-जुले अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल-द्वारा जारी किए गए अध्यादेशो के लिए विधानमण्डल की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है तथा मन्त्रि-परिषद् राज्य की विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

धन-विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार केवल विधान-सभा को है। विधान-परिषद् परिवर्तन के लिए केवल सुझाव ही दे सकती है, वह भी विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 14 दिन के अन्दर-अन्दर। परन्तु विधान-सभा उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

विधेयकों को रोके रखना

राज्य-विधानमण्डल-द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नही ले सकता जब तक उसे राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। स्वीकृति देने अथवा स्वीकृति रोके रखने के अधिकार के साथ-साथ राज्यपाल को कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ भी रोके रखने का अधिकार है।

कार्यपालिका पर नियन्त्रण

कार्यपालिका पर वित्तीय नियन्त्रण रखने के अधिकार का उपयोग करने के अतिरिक्त राज्य-विधानमण्डलो में कार्य-संचालन की सभी ससदीय पद्धतिया उपयोग में आती है। इस प्रकार राज्य का विधानमण्डल कार्यपालिका के नित्यप्रति के कार्य-सचालन पर निगरानी रखता है। इसकी अपनी प्राक्कलन तथा सार्वजनिक लेखा-समितिया भी होती है।

सारणी 4

राज्यों के विधानमण्डलों में स्थानों का विभाजन और विभिन्न दलों की सदस्य-संख्या §

राज्य/संघीयक्षेत्र	विधान-परिषद् में स्थानों की संख्या	विधान-सभा/क्षेत्रीय परिषद्										
		स्थानों की संख्या	कांग्रेस	स्वतन्त्र	साम्यवादी	प्रजा-समाजवादी	जनसंघ	समाजवादी	अन्य दल*	निर्दलीय	जोड़	रिक्त
असम	—	105	79	—	—	6	—	—	9	11	105	—
आन्ध्रप्रदेश	90	300	181	18	51	—	—	2	—	45	297	3
उड़ीसा@	—	140	80	1	4	11	—	—	36	7	139	1
उत्तरप्रदेश	108	430	248	14	14	39	49	24	10	32	430	—
केरल § .	—	133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गुजरात	—	154	110	26	—	8	—	—	1	7	152	2
जम्मू-काश्मीर	36	75	—	—	—	—	—	—	69	2	71	4
नागालैण्ड .	—	46	—	—	—	—	—	—	31	2	33	13
पंजाब	51	154	95	(2)†	7	—	8	(3)	21	16	152	2
पश्चिम-बंगाल .	75	252	157	—	49	5	—	—	29	12	252	—
बिहार	96	318	185	48	12	29	4	7	20	12	317	1
मद्रास	63	206	139	6	2	—	—	(1)	54	4	206	—
मध्यप्रदेश .	90×	288	144	(2)	(1)	32	39	14	16	35	288	5

महाराष्ट्र	78	264%	213	—	6	10	—	(1)	18	15	263	1
मैसूर . .	63	208	135	(8)	(3)	21	—	(1)	10	28	206	2
राजस्थान	—	176	89	(37)	4	2	14	5	3	20	174	2
गोआ, दमन तथा दीव	—	30	1	—	—	—	—	—	26	3	30	—
पाण्डिचेरी .	—	30	22	—	—	—	—	—	4	4	30	—
मणिपुर .	—	30	21	—	—	—	—	3	—	6	30	—
हिमाचलप्रदेश	—	41	34	3	1	—	—	—	—	3	41	—
त्रिपुरा .	—	30	17	—	13	—	—	—	—	—	30	—
योग	750	3,410	1,950	165	167	163	114	61	357	264	3,241‡	36

§ केरल को छोड़कर शेष सभी राज्यों के लिए 1 फरवरी, 1966 की स्थिति के अनुसार; केरल में राष्ट्रपति का शासन

*अन्य दलों में ये सम्मिलित हैं : असम—पर्वतीय नेता-सम्मेलन 8, क्रान्तिकारी साम्यवादी दल 1; उड़ीसा—गणतन्त्र-परिषद् 37; उत्तरप्रदेश—हिन्दू-महासभा 2, रिपब्लिकन 8; गुजरात—नूतन महागुजरात-जनता-परिषद् 1; जम्मू-कश्मीर—नेशनल कान्फ्रेन्स 66 (अधिकांश कांग्रेस में सम्मिलित), प्रजा-परिषद् 3; नागालैण्ड—राष्ट्रवादी संगठन 32; पंजाब—अकाली-दल 18, हरियाना-लोक-समिति 3; पश्चिम-बंगाल—फारवर्ड ब्लाक 13, क्रान्तिकारी समाजवादी दल 9, संयुक्त विप्लवी-परिषद् 1, लोक-सेवक-संघ 4, गोरखा-लीग 2; पाण्डिचेरी—पीपुल्स फ्रण्ट 4; बिहार—झारखण्ड 20; गोआ, दमन तथा दीव—महाराष्ट्रवादी गोमन्तक 14, संयुक्त गोआई दल 12; मद्रास—द्रविड़-मुन्नेत्र-कजगम 51; फारवर्ड ब्लाक 3; मध्यप्रदेश—रामराज्य-परिषद् 10, हिन्दू-महासभा 6; महाराष्ट्र—कृषक-मजदूर-दल 15, रिपब्लिकन 2, लोकतन्त्र-मोर्चा 1; मैसूर—महाराष्ट्र-एकीकरण-समिति 6, लोक-सेवक-संघ 4 तथा राजस्थान—रामराज्य-परिषद् 3।

@सामान्य चुनावों के बाद गणतन्त्र-परिषद् स्वतन्त्र-दल में विलयित

†कोष्ठकों में दिए गए अंक उस राज्य अथवा संघीय क्षेत्र के उन दलों की सदस्य संख्या के बारे में है जहां उन्हें भारत के निर्वाचन-आयोग-द्वारा सुरक्षित चिह्न प्रदान करने के लिए मान्यता नहीं दी गई ।

× अभी बनी नहीं

% नामनिर्दिष्ट सदस्य को छोड़कर

‡ 36 रिक्त स्थानों को छोड़कर

न्यायपालिका

उच्च न्यायालय

प्रत्येक राज्य में न्याय-प्रशासन के शीर्ष पर उच्च न्यायालय है।* प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा उतने न्यायाधीश होते हैं जितने राष्ट्रपति समय-समय पर आवश्यकतानुसार नियुक्त करे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उक्त विधि के साथ-साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से भी परामर्श लिया जाता है। मुख्य न्यायाधिपति तथा अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं। इन्हें अपने पद से हटाने की विधि भी वही है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निर्धारित है।

अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय को मूल अधिकार लागू कराने अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए न्यायाधिकार-क्षेत्र के अधीन किसी भी व्यक्ति, सत्ता अथवा सरकार के नाम निर्देश अथवा आदेश आदि जारी करने का अधिकार है।

अधीनस्थ न्यायालय

कुछ स्थानीय भिन्नता के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों का ढांचा तथा उनके कर्तव्य देश-भर में बहुत-कुछ एक-से होते हैं। प्रत्येक राज्य कई जिलों में बटा होता है जो जिला-न्यायाधीशों की अध्यक्षता में प्रमुख दीवानी-न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के अधीन आते हैं। उसके नीचे दीवानी-न्यायालयों के विभिन्न अधिकारी होते हैं।

फौजदारी के मुकदमों की सुनवाई मजिस्ट्रेट करते हैं। परन्तु गम्भीर मुकदमे सेशन के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए जिला-न्यायाधीश सेशन जज की हैसियत से काम करता है। न्याय-सम्बन्धी सभी कार्यों के लिए मजिस्ट्रेट (जिला-मजिस्ट्रेट-सहित) का पद उच्च न्यायालय के नियन्त्रण में होता है।

स्वायत्त शासन

स्थानीय निकाय मोटे तौर पर दो प्रकार के हैं शहरी तथा ग्रामीण। बड़े नगरों में इन निकायों को निगम और मध्यम तथा छोटे नगरों में नगरपालिकाएं (म्युनिसिपल कमेटियां अथवा म्युनिसिपल बोर्ड) कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वायत्त शासन में अब कुछ परिवर्तन किया गया है तथा विभिन्न राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया जा रहा है।

निगम (कारपोरेशन)

नगरनिगमों के अध्यक्ष 'महापौर' (मेयर) कहलाते हैं जो निगम के सदस्यों-द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। निगम के अधीन नगर के प्रशासन का कार्य निगम

---

*1 दिसम्बर, 1963 को स्थापित नागालैण्ड-राज्य भूतपूर्व असम-उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में लाया गया। तदनुसार इसी दिन से इसका नाम भी असम तथा नागालैण्ड-उच्च न्यायालय पड़ गया।

को इन तीनों सत्ताओं के अधीन होती है—(1) निगम की सामान्य परिषद्, (2) परिषद् की स्थायी समिति तथा (3) आयुक्त (कमिश्नर) अथवा कार्यकारी अधिकारी। निगम की कार्यपालिका-शक्ति आयुक्त (कमिश्नर) में निहित होती है जो विभिन्न निकायों के कर्तव्यों का निश्चय करता है तथा उनके काम की देखभाल करता है।

नगरपालिकाएं

निर्वाचित अध्यक्षों से युक्त नगरपालिकाओं का कार्य-संचालन भी समितियों के माध्यम से होता है। इनके नित्यप्रति के कार्य का संचालन एक कार्यकारी अधिकारी करता है।

जिलों में स्वायत्त शासन

पंचायती राज अथवा लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की नई प्रणाली के अधीन ग्राम, खण्ड (ब्लाक) तथा जिला-स्तरों पर त्रिस्तरीय स्वायत्तशासी निकाय स्थापित किए गए हैं। पंचायती राज-संस्था को विकास-कार्यक्रम तथा अन्य विषयों से सम्बन्धित अनेक शक्तियां तथा कर्तव्य सौंपे गए हैं। केरल, जम्मू-कश्मीर, नागालैण्ड तथा मध्य-प्रदेश को छोड़कर शेष सभी राज्यों में पंचायती राज कार्यान्वित किया जा रहा है।

ग्राम-पंचायतें

पंचायतों का निर्वाचन ग्राम-सभाएं करती हैं। गांव के सभी वयस्क व्यक्ति ग्राम-सभा के सदस्य होते हैं। ग्रामीणों-द्वारा अपने में से निर्वाचित इन पंचायतों पर कृषि, उत्पादन, ग्रामीण उद्योगों, सड़कों, गलियों, तालाबों तथा कुओं की देखभाल, सफाई, जल-निकास आदि का दायित्व है। कुछ स्थानों की पंचायतें प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तथा राजस्व उगाहने का काम भी करती हैं। वे मकानों, भूमि, मेलों तथा त्यौहारों और माल की बिक्री पर कर लगाती तथा लाभकारी सामुदायिक परिसम्पत्ति खड़ी करती हैं। इस समय देश में 2,12,398 ग्राम पंचायतें हैं।

ग्राम-स्तर पर प्रशासन-सम्बन्धी ये कार्य ग्राम-पंचायतें करती हैं, परन्तु न्याय-पालन-सम्बन्धी कर्तव्य न्याय-पंचायतें पूरा करती हैं। न्याय-पंचायतें छोटे अपराधों की सुनवाई कर सकती हैं। दण्ड देने की इनकी शक्तियां मामूली जुर्माना करने तक ही सीमित हैं।

अध्याय 4

प्रतिरक्षा

भारत की सशस्त्र सेनाओ के सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन तथा कार्य-सचालन पर नियन्त्रण रखने का उत्तरदायित्व प्रतिरक्षा-मन्त्रालय तथा सेना की तीनो शाखाओ के मुख्यालयो पर है। प्रतिरक्षा-मन्त्रालय का मुख्य कार्य इस बात की व्यवस्था करना है कि सेना की तीनों शाखाओं की गतिविधियो तथा उनके विकास में समुचित सामजस्य रहे; नीति-विषयक जिन मामलो का निर्णय सरकार करती है, उनसे तीनो मुख्यालयो को अवगत कराया जाए और उन्हें कार्यान्वित किया जाए तथा संसद् से प्रतिरक्षा-सम्बन्धी व्यय के लिए आवश्यक वित्तीय स्वीकृति ली जाए।*

संगठन

यद्यपि सेना की तीनो शाखाओ पर नियन्त्रण प्रतिरक्षा-मन्त्रालय का है, तथापि उनका कार्य-सचालन सामान्यत सीधे तौर पर उनके अपने-अपने सेनाध्यक्षो के नियन्त्रण में होता है। 15 जून, 1966 की स्थिति के अनुसार सेना की तीनो शाखाओं के अध्यक्ष इस प्रकार थे :

स्थल-सेनाध्यक्ष	जनरल पी० पी० कुमारमगलम्
वायु-सेनाध्यक्ष	एअर-चीफ-मार्शल अर्जुन सिंह
नौ-सेनाध्यक्ष	वाइस-एडमिरल ए० के० चटर्जी

स्थल-सेना

स्थल-सेना चार कमानो में सगठित है—दक्षिणी कमान, पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान तथा मध्यवर्ती कमान। प्रत्येक कमान का मुख्य अधिकारी लेफ्टिनेण्ट-जनरल के पद का एक 'जनरल ऑफिसर कमाण्डिग-इन-चीफ' होता है। प्रत्येक कमान विभिन्न शाखाओ में बटी होती है तथा प्रत्येक शाखा मेजर-जनरल के पद के एक 'जनरल ऑफिसर कमाण्डिग' के अधीन होती है। ये शाखाए भी उप-शाखाओं में बट जाती हैं और प्रत्येक उप-शाखा एक 'ब्रिगेडियर' के अधीन होती है।

दिल्ली-स्थित स्थल-सेना का मुख्यालय स्थल-उपसेनाध्यक्ष तथा सह-सेनाध्यक्ष की सहायता से स्थल-सेनाध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। अन्य तीन मुख्य सेना-अधिकारी हैं—एड्जुटेण्ट-जनरल, क्वार्टरमास्टर-जनरल तथा आर्डनेन्समास्टर-जनरल। दो अन्य शाखाएं हैं—प्रमुख इंजीनियरवाली शाखा तथा सैनिक सचिव-वाली शाखा।

---

*चीनी आक्रमण के कारण उत्पन्न संकटकाल का सामना करने के लिए गठित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-परिषद् का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

नौ-सेना

नौ-सेना का मुख्यालय भी दिल्ली में ही है। नौ-सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए चार मुख्य अधिकारी हैं। नौ-सेनाध्यक्ष के अधीन निम्नलिखित चार कार्य-सचालन और प्रशासनिक कमानें (एक समुद्र पर तथा तीन तट पर) हैं—(1) फ्लैग ऑफिसर कमाण्डिंग, भारतीय जहाजी बेड़ा; (2) फ्लैग ऑफिसर, बम्बई; (3) कमोडोर-इन-चार्ज, कोचीन तथा (4) कमोडोर (पूर्वी तट), विशाखापटनम्।

भारतीय जहाजी बेडे में इस समय 'आई० एन० एस० विक्रान्त' (नौ-सेना का फ्लैगशिप), 'आई० एन० एस० मैसूर', 'आई० एन० एस० दिल्ली', दो ध्वसक स्क्वॉड्रन, 'आई० एन० एस० राजपूत, रणजीत, राणा, गोदावरी, गोमती तथा गगा और आधुनिकतम पनडुब्बीमार तथा विमान-वेधी रणपोतों (ऐण्टी-एअरक्राफ्ट फ्रिगेटो) सहित 'आई० एन० एस० ब्रह्मपुत्र, ब्यास, बेतवा, खुकरी, कृपाण, कुठार, तलवार तथा त्रिशूल' नामक नए और 'आई० एन० एस० कावेरी, कृष्णा तथा तीर' नामक अनेक रणपोत-स्क्वॉड्रन पहले के हैं। तीन सुरगवेधक स्क्वॉड्रनो में 'आई० एन० एस० कोंकण, कारवाड, काकिनाड, कन्ननूर, कडलूर, बसीन तथा बिमलीपटम्' नामक जहाज है।

नौ-सेना के लिए छोटे आकार के जहाज़ अब भारत में ही बनाए जाने लगे हैं। अब तक ऐसे चार जहाज बनाए जा चुके है। इनमें से एक विशाखापटनम् के हिन्दुस्तान-जहाजनिर्माण घाट-द्वारा निर्मित 'आई० एन० एस० दर्शक' नामक सर्वेक्षण-जहाज और कलकत्ता में बनी 'आई० एन० एस० अजय, अभय तथा अक्षय' नामक तीन समुद्री प्रतिरक्षा-नौकाएं हैं।

बम्बई-स्थित नौ-सैनिक गोदी-क्षेत्र में एक नवनिर्मित 'क्रूज़र ग्रेविंग गोदी' जनवरी 1962 में उपयोग के लिए चालू कर दी गई। इस गोदी में नौ-सेना के विमान-वाहक जहाज भी स्थान पा सकते हैं।

नौ-सेना ने तटीय रक्षा-चौकियो का नियन्त्रण 1964 तथा 1965 में अपने हाथ मे ले लिया। बम्बई-स्थित 'आई० एन० एस० त्राता' का कार्य 24 दिसम्बर, 1964 को तथा कोयमुत्तूर-स्थित 'आई० एन० एस० अग्रणी' का कार्य 18 सितम्बर, 1965 को आरम्भ हो गया।

'आई० एन० एस० जरावा' में सभी आवश्यक सुविधाओ की व्यवस्था कर दी गई है जिससे पोर्ट-ब्लेयर-स्थित नौ-सैनिक टुकड़ी उस क्षेत्र के विभिन्न द्वीपो को गश्त लगा सके। मुरगांव (मारमागाओ) स्थित 'आई० एन० एस० गोमन्तक' तथा दाबोले (दाबोलिम) स्थित 'आई० एन० एस० हंस' गोआ के नौ-सैनिक अधिकारो के अधीन कर दिए गए हैं।

वायु-सेना

वायु-सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए चार मुख्य अधिकारी हैं जिनके नियन्त्रण में वायु-सेना के मुख्यालय की मुख्य शाखाएं हैं।

वायु-सेना के मुख्यालय के अधीन पांच बडी कमानें है जो 'पश्चिमी वायु-कमान', 'प्रशिक्षण-कमान', 'अनुरक्षण-कमान', 'पूर्वी वायु-कमान' तथा 'मध्यवर्ती वायु-कमान' कहलाती हैं। 1952 में ससद्-द्वारा पारित 'आरक्षित तथा सहायक वायु-सेना-अधिनियम' के अधीन सात सहायक वायु-सेना-स्क्वॉड्रन बनाए गए। इन सभी के कर्मचारी इस समय वायु-सेना में कार्य कर रहे हैं।

वायु-सेना मे विभिन्न प्रकार के परिवहन तथा बमवर्षक विमानों के साथ-साथ वैम्पायर, तूफानी, मिस्टियर, हण्टर, नेट तथा मिग-21 जैसे लड़ाकू विमान हैं।

प्रशिक्षण-संस्थान

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-कालेज

1960 में नई दिल्ली मे स्थापित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-कालेज मे सेना की तीनो शाखाओ के वरिष्ठ अधिकारियो को ब्रिटेन के इम्पीरियल डिफेन्स-कालेज के ढाचे पर युद्ध-सम्बन्धी सैनिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राज-नीतिक पहलुओं और युद्ध-कला के उच्च निर्देशन तथा सैन्य-सचालन की विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-अकादमी

खडकवासला-स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-अकादमी में प्रवेश पाने के लिए केन्द्रीय लोक सेवा-आयोग की लिखित और मौखिक परीक्षाए पास करनी पडती है। ये परीक्षाए वर्ष में दो बार होती है तथा पन्द्रह से साढे सत्रह वर्ष की आयु के मैट्रिक-पास अविवाहित लडके इसमें प्रवेश पा सकते हैं। प्रशिक्षण-काल मे इन्हे विवाह करने की अनुमति नहीं है।

अकादमी के प्रशिक्षार्थियो के लिए 30 रुपये मासिक जेबखर्च को छोड़कर अन्य सभी व्यय की व्यवस्था सरकार स्वय करती है। जिन प्रशिक्षार्थियो के सरक्षको की मासिक आय 300 रुपये से कम होती है, उनके इस जेबखर्च की भी व्यवस्था सरकार करती है।

अकादमी मे सेना की तीनों शाखाओ के प्रशिक्षार्थियो के लिए 3 वर्ष के मिले-जुले पाठ्यक्रम की व्यवस्था है जिसके बाद सैन्यशिक्षार्थी अपने-अपने सैन्य-सेवा-प्रतिष्ठानो में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

प्रतिरक्षा-सेवा-कर्मचारी-कालेज

दक्षिण-भारत के वेलिंग्टन-स्थित प्रतिरक्षा-सेवा-कर्मचारी-कालेज मे प्रतिवर्ष सेना की तीनो शाखाओं के लगभग 100 अधिकारियो को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहा का पाठ्यक्रम 10 मास का है।

सशस्त्र सेना-चिकित्सा-कालेज

पूना-स्थित सशस्त्र सेना-चिकित्सा-कालेज मे नए राजादिष्ट चिकित्सा-अधिकारियो को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं के चिकित्सा-अधिकारियो

के लिए परिचय-पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था है। यहां कुछ विशिष्ट विषयों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कालेज

देहरादून-स्थित इस कालेज मे उन विद्यार्थियो को प्रशिक्षण दिया जाता है जो बाद में सेना में नौकरी करने के इच्छुक होते हैं।

स्थल-सेना-कालेज तथा विद्यालय

देहरादून-स्थित भारतीय सैनिक-अकादमी स्थल-सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रधान केन्द्र है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-अकादमी से उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियो को सेना मे नियुक्त करने के पूर्व यहा एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी इसमे प्रवेश पा सकते हैं। अकादमी में सैन्य-शिक्षार्थियो को बडा कठोर और श्रमसाध्य प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन्हे सेना सम्बन्धी मूल ज्ञान से, जो प्रत्येक सैनिक अधिकारी के लिए आवश्यक होता है, अवगत करा दिया जाए।

खडकी-स्थित सैनिक इजीनियरी-कालेज मे अधिकारियों तथा अन्य सैनिको को सैनिक इजीनियरी का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इनके अतिरिक्त स्थल-सेना के अन्य प्रमुख प्रशिक्षण-केन्द्र है —मऊ का स्कूल आफ सिग्नल्स, देवलाली का स्कूल ऑफ आर्टिलरी, मऊ का इनफैण्ट्री स्कूल, जबलपुर का आर्डनेन्स स्कूल तथा अहमदनगर का आर्मर्ड कोर सेण्टर तथा स्कूल।

नौ-सेना के प्रशिक्षण-केन्द्र

विशिष्ट प्राविधिक पाठ्यक्रमो के प्रशिक्षण को छोडकर नौ-सेना के सभी अधिकारियो तथा कर्मचारियो के प्रशिक्षण का कार्य कोचीन, बम्बई तथा विशाखापटनम्-स्थित नौ-सेना के प्रशिक्षण-केन्द्रो मे होता है। कोचीन-स्थित 'आई० एन० एस० वेन्दुरुथि' तथा नौ-सेना के विमान-केन्द्र 'गरुड' नौ-सेना के प्रमुख प्रशिक्षण-केन्द्र हैं। लोनावला (महराष्ट्र) स्थित 'आई० एन० एस० शिवाजी' पर मेकैनिकल इजीनियरों तथा शिल्पियो को प्रशिक्षण दिया जाता है। नौ-सेना के जामनगर-स्थित इलेक्ट्रिकल स्कूल 'आई० एन० एस० वलसुरा' में बिजली-सम्बन्धी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। नौ-सेना मे भर्ती होनेवाले नए रगरूटो को विशाखापटनम्-स्थित 'आई० एन० एस० सिरकार्स' पर प्रशिक्षण दिया जाता है। पूर्ति तथा सचिवालय-शाखा के अधिकारियो तथा कर्मचारियो को बम्बई-स्थित 'आई० एन० एस० हमला' मे प्रशिक्षण दिया जाता है। समुद्री प्रशिक्षण जहाजी बेड़े-द्वारा प्रदान किया जाता है।

वायु-सेना के कालेज तथा विद्यालय

विमान चलाने की शिक्षा ग्रहण करनेवाले चालकों को इलाहाबाद-स्थित विमानचालक-प्रशिक्षण-प्रतिष्ठान मे उड्डयन का बुनियादी प्रशिक्षण तथा जोधपुर-स्थित वायु-सेना-उड्डयन-कालेज में माध्यमिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे आगे

का प्रशिक्षण हैदराबाद के वायु-सेना-केन्द्र के जेट-प्रशिक्षण तथा परिवहन-प्रशिक्षण-विभागों में दिया जाता है।

कोयमुत्तूर-स्थित वायु-सेना-प्रशासनिक कालेज में वायु-सेना के प्रशासनिक अधिकारियो को तथा बंगलोर में स्थापित उड्डयन-चिकित्सा-विद्यालय में चिकित्सा-अधिकारियो को प्रशिक्षण दिया जाता है। जालहल्लि-स्थित वायु-सेना-प्राविधिक कालेज में इंजीनियरी-अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उड्डयन-प्रशिक्षको को ताम्बरम्-स्थित एक विद्यालय में अलग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

प्रतिरक्षा-सामग्री, उत्पादन तथा अनुसन्धान

1965 में प्रतिरक्षा-सामग्री का नया विभाग स्थापित किया गया। इस विभाग का कार्य सशस्त्र सेनाओ के लिए आवश्यक उपकरणो के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र के ससाधनो का उपयोग करना है। देश में प्रतिरक्षा-उत्पादन की कुशल व्यवस्था, इसके समन्वयन तथा इसको सुदृढ बनाने के लिए 1962 में चीनी आक्रमण के तुरन्त बाद प्रतिरक्षा-उत्पादन-विभाग स्थापित किया गया।

शस्त्रास्त्र-कारखाना-महानिदेशालय के नियन्त्रण मे 24 शस्त्रास्त्र-कारखाने है जिनमें सशस्त्र सेनाओ के लिए गोलाबारूद तथा अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण होता है।

निरीक्षण-महानिदेशालय प्रतिरक्षा-सामग्री के परीक्षण तथा निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है। नई प्रतिरक्षा-वस्तुओ के निर्माण के कारखानो की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार को सुझाव देने के उद्देश्य से मई 1964 में प्रतिरक्षा-उत्पादन-मण्डल की स्थापना की गई।

प्रतिरक्षा-उत्पादन में वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेना की तीनो शाखाओ के प्राविधिक विकास-प्रतिष्ठानो और प्रतिरक्षा-विज्ञान-संगठन को मिलाकर जनवरी 1958 में प्रतिरक्षा-मन्त्री के वैज्ञानिक परामर्शदाता के अधीन एक अनुसन्धान तथा विकास-संगठन स्थापित किया गया। प्रतिरक्षा-उत्पादन के महानियन्त्रक के अधीनस्थ उत्पादन-सगठन के साथ इसका सीधा सम्बन्ध है और इसका मुख्य उद्देश्य सेना की तीनों शाखाओ के लिए आवश्यक सैन्य-सामग्री के सम्बन्ध में पूर्ण स्वावलम्बन प्राप्त करना है।

भारतीय सैनिक कर्मचारियों की देखरेख मे अनुसन्धान तथा विकास-संगठन ने सशस्त्र सेनाओं के लिए कई उल्लेखनीय वस्तुओ का निर्माण तथा विकास किया है।

शस्त्रास्त्र-कारखाने

शस्त्रास्त्र-कारखानो का कार्यक्षेत्र काफी व्यापक है। अक्तूबर 1962 में आपात स्थिति की घोषणा के बाद इनका उत्तरदायित्व काफी बढ गया है। इन कारखानो के पुनस्सरथापन के लिए एक सविस्तर पंचवर्षीय योजना बनाई गई है।

चार नए कारखानों की स्थापना का विचार किया गया है। 1964-65 में इन कारखानों मे 1 अर्ब 1 करोड 49 लाख रुपये के मूल्य के उपकरणों तथा

वस्तुओं का निर्माण हुआ। 1965-66 में इससे भी अधिक निर्माण की आशा थी।

सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा-उद्यम

मिग-21-विमान के निर्माण के कारखानों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ 'हिन्दुस्तान-एअरोनौटिक्स लिमिटेड' नामक कारखाना स्थापित किया गया। बंगलोर-स्थित 'हिन्दुस्तान-एअरक्राफ्ट लिमिटेड' तथा कानपुर-स्थित 'एअरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो' इसके अधीन आ गए हैं।

नासिक, कोरापुट तथा हैदराबाद में 3 मिग-कारखानों की स्थापना की दिशा में प्रगति हुई है। विमानों के निर्माण-कार्यक्रम के पहले चरण का कार्य 1966-67 के प्रारम्भ में आरम्भ होगा। अन्ततोगत्वा 1968-69 से विमानों के लिए आवश्यक अधिकांश पुर्जों का निर्माण देशी कच्ची सामग्री से ही होने लगेगा।

भूमि को समतल करनेवाली भारी मशीनों के निर्माण के लिए 'भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड' नामक नया उद्यम स्थापित किया गया है। सिकन्दराबाद के प्रागा-मशीन-औजार-कारखाने को प्रतिरक्षा-मन्त्रालय ने अपने हाथ में ले लिया है।

'हिन्दुस्तान-एअरक्राफ्ट लिमिटेड' में जेट-विमानों का निर्माण होने से जेट-स्क्वॉड्रनों को सुयोजित रूप दिया जा सका। सुपरसॉनिक जेट-लड़ाकू विमानों (मारुत) के निर्माण में काफी प्रगति हुई। बंगलोर में हेलिकौप्टरों के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। भारतीय वायु-सेना को इस कारखाने में सर्वप्रथम बने कुछ 'कृषक' विमान दिए गए। जेट-प्रशिक्षण-विमान 'किरण' के विकास का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इस कारखाने की कानपुर-शाखा ने 3 एचएस-748 विमान और तैयार किए। भारतीय विमान-निगम ने इस शाखा को 15 विमानों के निर्माण का आर्डर दिया है।

1956 में अपना कार्य आरम्भ करके बंगलोर-स्थित 'भारत इलेक्ट्रौनिक्स लिमिटेड' ने अपने उत्पादन को विविध रूप देकर 70 से अधिक विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया। 1965-66 में इस कारखाने में 9 5 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन हुआ।

बम्बई की मझगांव-गोदियों के विस्तार का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है। कलकत्ता के गार्डनरीच-कारखानों में नौ-सेना से सम्बन्धित कई नई वस्तुओं का उत्पादन हुआ।

विशेष कार्य

देश की रक्षा करने के अपने कर्तव्य के अतिरिक्त भारत की सशस्त्र सेनाएं समय-समय पर कई अन्य आपात कार्यों में भी हाथ बटाती हैं। इनमें मुख्य हैं : (क) असैनिक शासन-व्यवस्था में सहायता, (ख) बाढ़, अकाल तथा भूचाल से

पीड़ित व्यक्तियों की सहायता, (ग) पन-बिजली तथा अन्य योजनाओ के निर्माण तथा विकास के लिए उपयोगी फोटो-सर्वेक्षण और (घ) बेकार भूमि का पुनरुद्वार। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से भारतीय सेनाओ ने कोरिया-युद्धविराम-सन्धि-करार तथा 20 जुलाई, 1954 को जेनेवा में हुई युद्धविराम-सन्धि के अधीन स्थापित 'अन्तर्राष्ट्रीय वियतनाम, लाओस तथा कम्बोडिया-नियन्त्रण तथा अधीक्षण-आयोगो' की सिफारिशो को कार्यान्वित करने मे भी सहायता दी। 16 नवम्बर, 1956 को सयुक्त राष्ट्रसघीय आपात सेना में सम्मिलित होने के लिए एक भारतीय सैन्य टुकडी मिस्र भी भेजी गई जहा उसने शान्ति-स्थापन मे पर्याप्त योगदान दिया। 1958 में लगभग 70 सैनिक अधिकारियो ने लेबनॉन मे सयुक्त राष्ट्रसघीय पर्यवेक्षक-दल के साथ कार्य किया। कागो मे सयुक्त राष्ट्रसघीय सेना के साथ कार्य कर रहे लगभग 700 भारतीय सैन्य कर्मचारियो के अतिरिक्त मार्च 1961 में लड़ाका सैनिको का एक ब्रिगेड भी वहा भेजा गया। अक्तूबर 1961 में भारत ने वायु-सेना-कर्मचारियों की निगरानी मे छ. कैनबरा-जेट-विमान कागो भेजे। देश में सकटकाल की स्थिति होने की दृष्टि से कुछ कर्मचारी कागो से अप्रैल 1963 में वापस बुला लिए गए। कुछ सैनिक अधिकारी यमन भेजे गए। एक चिकित्सा-टुकडी लाओस भेजी गई।

क्षेत्रीय सेना

क्षेत्रीय सेना सर्वप्रथम अक्तूबर 1949 में सगठित की गई थी। इसका उद्देश्य देश के नवयुवकों को अवकाश के समय सैनिक प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करना है। संकटकाल में इस सेना को सशस्त्र सेनाओ की सहायता के लिए बुलाया जा सकता है।

आवश्यक योग्यता रखनेवाला 18 से 35 वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति क्षेत्रीय सेना में भर्ती हो सकता है। क्षेत्रीय सेना दो प्रकार की है—देहाती तथा शहरी। रंगरूटो का प्रशिक्षण देहाती सेना में 30 दिन का तथा शहरी सेना मे 32 दिन का होता है। शहरी सेना मे प्रशिक्षण सन्ध्या-समय सप्ताहान्त में अथवा छुट्टियो के दिन दिया जाता है। प्रशिक्षण लेते हुए अथवा अन्य प्रकार से नियुक्त क्षेत्रीय सेना के अधिकारियो तथा जवानो को लगभग वही वेतन, भत्ता, राशन तथा चिकित्सा की सुविधाएं दी जाती हैं जो नियमित सेना के उनके समान पदाधिकारियो को उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ शर्तों के अधीन उपदान (ग्रेच्युटी), अशक्यता-पेंशन और परिवार-पेंशन भी प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय सेना के कर्मचारी पदक तथा पुरस्कार आदि भी प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय सैन्यशिक्षार्थी-दल

इस दल में विद्यालयो तथा कालेजो के छात्र और छात्राएं भर्ती हो सकती है। इसमें तीन टुकड़ियां होती है: सीनियर, जूनियर और बालिका। प्रथम दोनो टुकडियों की स्थल, नौ तथा वायु-शाखाएं है।

कुछ सैन्यशिक्षार्थियों को सामान्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 1964 में सभी सक्षम कालेज-छात्रों के लिए राष्ट्रीय सैन्य-शिक्षार्थी-दल में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया। 1 जनवरी, 1966 को इस दल में कुल 17,15,400 सैन्यशिक्षार्थी थे। इस दल की बालिका सैन्यशिक्षार्थियों की संख्या 1,54,400 थी।

सहायक सैन्यशिक्षार्थी-दल

सहायक सैन्यशिक्षार्थी-दल विद्यालयो के उन छात्रो तथा छात्राओं को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है जिन्हें राष्ट्रीय सैन्यशिक्षार्थी-दल में प्रवेश नही मिलता। इसके स्थान पर अब राष्ट्रीय स्वस्थता-दल स्थापित किया गया है।

भूतपूर्व सैनिकों की भलाई

भूतपूर्व सैनिको को सरकारी तथा गैरसरकारी नौकरियो, व्यावसायिक तथा प्राविधिक धन्धो, कृषि-भूमि और परिवहन-सेवाओ मे काम दिलाने के लिए प्रतिरक्षा-मन्त्रालय में एक पुनर्वास-निदेशालय है। भूतपूर्व सैनिको को कृषि का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे सामुदायिक विकास-योजनाओं में ग्रामसेवक के रूप में नियुक्त किए जा सकें। पुलिस, चौकसी तथा उत्पाद-शुल्क-विभागो में, जहा सैनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, नियुक्तिया करते समय भूतपूर्व सैनिको का प्राथमिकता दी जाती है।

'सैनिक, नाविक तथा वायु-सैनिक-मण्डल' नामक एक गैरसरकारी संगठन भी भूतपूर्व सैनिको तथा उनके परिवारवालो को उपयोगी सहायता प्रदान करने में बडा महत्वपूर्ण योग दे रहा है। मण्डल का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वह राज्यों के मण्डलो की गतिविधियों में सामजस्य स्थापित करता है। राज्य-मण्डल जिला-मण्डलों के कार्यों की देखरेख करते हैं। उपर्युक्त मण्डल की निधि के अतिरिक्त (जिसमें से अन्य भूतपूर्व सैनिको को विशेष पेंशनें दी जाती हैं) कई अन्य केन्द्रीय निधियां भी है जिनमें से झण्डा-दिवस-निधि, सशस्त्र सेना-उपकार-निधि तथा सशस्त्र सेना-पुनस्सगठन-निधि प्रमुख है।

अध्याय 5

शिक्षा

भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व मूलतः राज्य-सरकारों पर है। केन्द्रीय सरकार शिक्षा की सुविधाओं में समन्वय स्थापित करती है, विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा के स्तर निश्चित करती है और अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था करती है। विद्यालयिक शिक्षा में समन्वय केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श-मण्डल की एक स्थायी समिति के माध्यम से स्थापित किया जाता है। अलीगढ़, दिल्ली, बनारस तथा विश्वभारती-विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व की अन्य ऐसी संस्थाओं के संचालन का दायित्व, जिनके बारे में संसद् निदेश करे, भारत-सरकार पर है।

शिक्षा के राष्ट्रीय रूप तथा विकास के प्रश्न पर सरकार को सलाह देने के लिए डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा-आयोग अक्तूबर 1964 में स्थापित किया गया था जिसने 29 जून, 1966 को सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी।

1963-64* में भारत में कुल 6,94,188 शिक्षालय थे जिनमें 6,02,29,000 विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे थे। अध्यापकों की संख्या 19.29 लाख थी और उन शिक्षालयों पर कुल 1 अर्ब 75 करोड़ 27 लाख रुपये व्यय हुए।

योजना तथा शिक्षा

शिक्षा की विकास-योजनाओं का काम केन्द्र तथा राज्य-सरकारें मिलकर करती हैं। अधिकांश राज्यीय योजनाओं के लिए केन्द्र से सहायता मिलती है। 1966-81 की अवधि के लिए केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय आयोजन-मण्डली काम कर रही है। पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी योजनाओं की अवधि में शिक्षा पर हुए व्यय का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है

सारणी 5

योजनाओं के अन्तर्गत व्यय

(अर्ब रुपया में)

	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना	चौथी योजना (प्रस्तावित व्यय)
प्रारम्भिक शिक्षा .	0.85	0 95	2 09	3.99
माध्यमिक शिक्षा	0.2	0 51	0.88	2 79
विश्वविद्यालय-शिक्षा .	0.14	0 48	0 82	1 32
शिक्षा की अन्य योजनाएं	0.14	0 27	0.29	4.5
योग .	1 33	2 21	4 08	12.6

*आरम्भिक आंकड़े

साक्षरता

1961 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर लोगो की संख्या 10,55,25,997, (24 प्रतिशत) है। इनमें से 7,79,46,274 (अर्थात् 34 5 प्रतिशत) पुरुष तथा 2,75,79,723 (अर्थात् 13 प्रतिशत) स्त्रियां हैं।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

1950-51 में पूर्व-प्राथमिक विद्यालयो की संख्या 303 थी। उनमें 21,649 विद्यार्थी तथा 866 अध्यापक थे और उन पर 11.98 लाख रुपये व्यय किए गए। 1962-63* में इन विद्यालयो की संख्या 1950-51 की तुलना में आठ गुने से कुछ अधिक हो गई अर्थात् पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2,502 हो गई। उनमें 1,64,109 विद्यार्थी तथा 5,221 अध्यापक थे और उन पर 87.05 लाख रुपये व्यय हुए।

प्राथमिक शिक्षा

विद्यालयिक शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारो को परामर्श केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श-मण्डल की एक स्थायी विद्यालयिक शिक्षा-समिति देती है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने की दिशा में असम, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम-बगाल, मध्यप्रदेश, मैसूर तथा राज्यस्थान में कानून बना दिए गए हैं। विद्यालयो में भरपूर प्रवेश की योजनाए तैयार की गई है तथा 1966 के अन्त तक 15 लाख अध्यापको के प्रशिक्षण की योजनाए बनाई गई हैं। 15 राज्यो में शिक्षा-संस्थाए स्थापित की जा चुकी है।

1950-51 में प्राथमिक शिक्षा के मान्यता-प्राप्त विद्यालयो की सख्या 2,09,671 थी जिनमें 1,82,93,967 विद्यार्थी तथा 5,37,918 अध्यापक थे और इन पर 36.49 करोड़ रुपये व्यय किए गए। 1962-63* मे इन विद्यालयो की संख्या 3,66,584 हो गई। उनमें 3,12,86,982 विद्यार्थी तथा 8,32,155 अध्यापक थे और उन पर 93 29 करोड़ रुपये व्यय हुए।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जहा 1950-51 में कुल 20,884 माध्यमिक विद्यालय; 52,32,009 विद्यार्थी; 2,12,000 अध्यापक तथा 30.74 करोड़ रुपये की व्यय-राशि थी, वहां 1962-63* में विद्यालयो की संख्या 82,846; विद्यार्थियो की संख्या 2,26,70,066 तथा अध्यापको की सख्या 7,88,647 हो गई। इनकी व्यय-राशि 1 अर्ब 46 करोड़ 23 लाख रुपये तक जा पहुची।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा-मण्डल की स्थापना की जा चुकी है जो एक समान अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की व्यवस्था करेगा। यह मण्डल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित

*आरम्भिक आंकड़े (संशोधित)

होते रहनेवाले लोगो के बच्चो की आवश्यकताए पूरी करेगा और भारत अथवा विदेशो के उस माध्यमिक विद्यालय को अपनी सेवाए देगा जो इसकी परीक्षाओ के लिए विद्यार्थी तैयार करना चाहे । 1965 में मण्डल से सम्बद्ध 523 विद्यालयों के लगभग 22,000 विद्यार्थियो ने परीक्षा दी। 1965-66 में देश में 86 केन्द्रीय विद्यालय थे जिनमे 35,000 से अधिक विद्यार्थी थे।

बुनियादी शिक्षा

शिक्षा-प्रणाली के विद्यालयिक स्तर पर अब बुनियादी शिक्षा ही दी जाती है। इस प्रणाली के अधीन व्यावहारिक शिक्षा के साथ-साथ बच्चो के प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण पर भी ध्यान दिया जाता है। यह शिक्षा कताई, बुनाई, बागबानी, बढ़ईगीरी-जैसे उत्पादक कार्यों के माध्यम से दी जाती है।

जूनियर तथा सीनियर बुनियादी विद्यालयो मे शिक्षा प्राप्त करके निकलनेवाले विद्यार्थियो के लिए बुनियादी ढग की माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करने के हेतु उत्तर-बुनियादी विद्यालय स्थापित किए गए है। ऐसे विद्यार्थियों की कठिनाइयो को दूर करने के लिए एक-सी परीक्षा की योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार उत्तर-बुनियादी विद्यालयों मे सिखाए जानेवाले शिल्पो को बहुद्देश्यीय विद्यालयो के वैकल्पिक विषयों के समान माना जाएगा।

1950-51 मे जूनियर बुनियादी विद्यालयो तथा सीनियर बुनियादी विद्यालयो की सख्या क्रमश 33,379 तथा 351 थी जिनमे क्रमश 28,46,240 तथा 66,382 विद्यार्थी थे। इन पर क्रमश 3.94 करोड तथा 21 लाख रुपये व्यय किए गए थे। 1962-63* मे जूनियर, सीनियर तथा उत्तर-बुनियादी विद्यालयों की सख्या क्रमश 78,937; 16,745 तथा 24 थी। इनमे विद्यार्थियो की सख्या क्रमश: 1,03,71,622, 39,34,027 तथा 5,510 रही और इन पर क्रमश 28.51 करोड; 19.55 करोड तथा 5 लाख रुपये व्यय हुए।

राष्ट्रीय शिक्षा-शोध तथा प्रशिक्षण-परिषद् के एक विभाग के रूप मे 1956 में स्थापित राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा-सस्था बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र मे अनुसन्धान करने तथा अध्यापको आदि का पथ-प्रदर्शन करने मे सलग्न है।

व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा

1950-51 मे कृषि, कला तथा शिल्प, वाणिज्य, इंजीनियरी, वन-उद्योग, उद्योग, औषध, शारीरिक शिक्षा, अध्यापक-प्रशिक्षण, पशु-चिकित्सा आदि की शिक्षा के लिए 2,339 सस्थान थे जिनमे 1,87,194 विद्यार्थी तथा 11,598 अध्यापक थे। इन पर लगभग 3.69 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। 1962-63* मे ऐसे संस्थानो की संख्या 3,844 हो गई। इनमें 4,24,171 विद्यार्थी तथा 29,749 अध्यापक थे और इन पर 13.08 करोड़ रुपये व्यय हुए।

---

*आरम्भिक आंकड़े (संशोधित)

विशिष्ट विद्यालय-शिक्षा

विशिष्ट शिक्षा-संस्थानों के अधीन विकलांगो तथा सामाजिक कार्यकर्ताओ के विद्यालय और संगीत, नृत्य, ललित कला, प्रौढ़ शिक्षा आदि के विद्यालय आते हैं। 1950-51 मे देश मे इस प्रकार के 52,813 सस्थान थे जिनमें विद्यार्थियो तथा अध्यापकों की सख्या क्रमशः 14,04,443 तथा 16,686 थी और इन पर 2.33 करोड रुपये व्यय किए गए थे। 1962-63* मे ऐसे संस्थानो की सख्या 2,68,533 हो गई जिनमे विद्यार्थियों की सख्या 25,66,999 तथा अध्यापकों की संख्या 30,776 थी और इन पर 3.38 करोड़ रुपये व्यय हुए।

उच्चतर तथा विश्वविद्यालय-शिक्षा

भारत मे उत्तर-माध्यमिक शिक्षा के लिए कला तथा विज्ञान-कालेज, व्यावसायिक शिक्षा के कालेज, विशिष्ट शिक्षा के कालेज, अनुसन्धान-संस्थान तथा विश्वविद्यालय हैं। जिन राज्यो में उच्चतर माध्यमिक तथा इण्टरमीडिएट-शिक्षा-मण्डल, है, वहा इण्टर-मीडिएट से आगे के पाठ्यक्रमो, परीक्षाओ तथा उपाधि-विरतरण आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालयो के हाथ मे है।

1925 मे स्थापित अन्तर्विश्वविद्यालय-मण्डल विश्वविद्यालय-सम्बन्धी समस्याओ पर विचार-विमर्श करने तथा भारत के विश्वविद्यालयो-द्वारा दी जानेवाली उपाधियो को परस्पर मान्यता प्रदान कराने की व्यवस्था करता है।

विश्वविद्यालयो के अतिरिक्त देश मे ऐसे अनेक सस्थान है जो उच्चतर शिक्षा प्रदान करते हैं। पिलानी की बिडला-प्रौद्योगिक तथा विज्ञान-सस्था, नई दिल्ली की भारतीय कृषि-अनुसन्धान-सस्था, बगलोर की भारतीय विज्ञान-सस्था, नई दिल्ली के जामिया-मिलिया, नई दिल्ली के भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन-विद्यालय, हरिद्वार के गुरुकुल-कागडी-विश्वविद्यालय, वाराणसी की काशी-विद्यापीठ, अहमदाबाद की गुजरात-विद्यापीठ तथा बम्बई की टाटा-समाजविज्ञान-सस्था को 'विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग-अधिनियम 1956' के सन्दर्भ मे विश्वविद्यालय माना गया है। 'वैज्ञानिक अनुसन्धान' शीर्षक अध्याय मे उल्लिखित कई प्रयोगशालाओ तथा सस्थानो को अन्तर्विश्वविद्यालय-मण्डल ने उच्चतर अनुसन्धान-केन्द्रो के रूप मे मान्यता प्रदान कर रखी है। इनके अतिरिक्त वृन्दावन के गुरुकुल-विश्वविद्यालय-जैसे कुछ राष्ट्रीय सस्थान भी है जिनके द्वारा दी जानेवाली उपाधियो को भारत-सरकार ने नौकरियां के मामले मे मान्यता प्रदान की है।

1950-51 में देश में 27 विश्वविद्यालय, 7 शिक्षा-मण्डल, 18 अनुसन्धान-संस्थान, 92 विशिष्ट कालेज, 208 व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा-कालेज और 498 कला तथा विज्ञान-कालेज थे जिनमें कुल 4,03,519 विद्यार्थी तथा 24,453 अध्यापक थे। इन पर 17.68 करोड रुपये व्यय किए गए थे। इसी प्रकार 1962-63* में 55 विश्वविद्यालय, 13 शिक्षा-मण्डल, 44 अनुसन्धान-सस्थान, 257 विशिष्ट शिक्षा-कालेज, 1,077 व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा-कालेज और 1,200 कला

*आरम्भिक आंकड़े (संशोधित)

तथा विज्ञान-कालेज थे जिनमें 11,61,693 विद्यार्थी तथा 75,130 अध्यापक थे। इन पर 74 करोड़ रुपये व्यय हुए।

भारत के विश्वविद्यालय

1965 में भारत में निम्नलिखित 62 विश्वविद्यालय थे। इनके स्थापना-वर्ष कोष्ठकों में दिए गए है :

अण्णामलइ-विश्वविद्यालय, अण्णामलइनगर (1929), अलीगढ़-विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (1921), आगरा-विश्वविद्यालय, आगरा (1927); आन्ध्रप्रदेश-कृषि-विश्वविद्यालय, हैदराबाद (1964), आन्ध्र-विश्वविद्यालय, वाल्टेर (1926); इन्दिरा-कला-संगीत-विश्वविद्यालय, खैरागढ (1956); इन्दौर-विश्वविद्यालय, इन्दौर (1964); इलाहाबाद-विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (1887), उड़ीसा-कृषि तथा प्रौद्योगिकी-विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (1962); उत्कल-विश्वविद्यालय, कटक (1943); उत्तरप्रदेश-कृषि-विश्वविद्यालय, पन्तनगर, नैनीताल (1960); उत्तर-बंगाल-विश्वविद्यालय, सिलिगुडि (1962), उदयपुर-विश्वविद्यालय, उदयपुर (1962); उस्मानिया-विश्वविद्यालय, हैदराबाद (1918); एस० एन० डी० टी० महिला-विश्वविद्यालय, बम्बई (1951) कल्याणी-विश्वविद्यालय, कल्याणी, पश्चिम-बंगाल (1960), कलकत्ता-विश्वविद्यालय, कलकत्ता (1857), कर्नाटक-विश्व-विद्यालय, धारवाड़ (1949); कामेश्वरसिंह-दरभंगा-संस्कृत-विश्वविद्यालय, दरभंगा (1961), कुरुक्षेत्र-विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (1956), केरल-विश्वविद्यालय, तिरु-वनन्तपुरम् (1937), कृषि-विश्वविद्यालय, लुधियाना (1962); कृषि-विज्ञान-विश्वविद्यालय, बंगलार (1964); गुजरात-विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (1949), गुवाहाटी-विश्वविद्यालय, गुवाहाटी (1948); गोरखपुर-विश्वविद्यालय, गोरख-पुर (1957), जबलपुर-विश्वविद्यालय, जबलपुर (1957), जम्मू-कश्मीर-विश्वविद्यालय, श्रीनगर (1948); जवाहरलाल नेहरू-कृषि-विश्वविद्यालय, जबलपुर (1964); जादवपुर-विश्वविद्यालय, जादवपुर (1955); जीवाजी-विश्व-विद्यालय, ग्वालियर (1964); जोधपुर-विश्वविद्यालय, जोधपुर (1962), दिल्ली-विश्वविद्यालय, दिल्ली (1922), नागपुर-विश्वविद्यालय, नागपुर (1923); पंजाब-विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ (1947); पंजाबी-विश्वविद्यालय, पटियाला (1962), पटना-विश्वविद्यालय, पटना (1917); पूना-विश्वविद्यालय, पूना (1949); बड़ौदा-विश्वविद्यालय, बड़ौदा (1949); बनारस-हिन्दू-विश्व-विद्यालय, वाराणसी (1916); बम्बई-विश्वविद्यालय, बम्बई (1857); बर्धमान-विश्वविद्यालय, बर्धमान (1960), बिहार-विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (1962); बंगलोर-विश्वविद्यालय, बंगलोर (1964); भागलपुर-विश्वविद्यालय, भागलपुर (1960); मगध-विश्वविद्यालय, बोधगया (1962); मद्रास-विश्वविद्यालय, मद्रास (1857), मराठवाडा-विश्वविद्यालय, औरंगाबाद (1958); मैसूर-विश्वविद्यालय, मैसूर (1916); रविशंकर-विश्वविद्यालय, रायपुर (1964); रवीन्द्रभारती, कलकत्ता (1962), रांची-विश्वविद्यालय, रांची (1960); राजस्थान-विश्वविद्यालय, जयपुर (1947); रुड़की-विश्वविद्यालय, रुड़की (1949); लखनऊ-विश्वविद्यालय, लखनऊ (1921); वाराणसेय संस्कृत-

विश्वविद्यालय, वाराणसी (1958); विक्रम-विश्वविद्यालय, उज्जैन (1957); विश्वभारती-विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन (1951); शिवाजी-विश्वविद्यालय, कोल्हापुर (1962); श्रीवेंकटेश्वर्-विश्वविद्यालय, तिरुपति (1954); सरदार वल्लभभाई-विद्यापीठ, वल्लभनगर, आणन्द (1955) तथा सागर-विश्वविद्यालय, सागर (1946) ।

विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग

1948 मे नियुक्त विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग की सिफारिशो के अनुसार 1953 मे विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग की स्थापना की गई । इस सम्बन्ध में 1956 में एक अधिनियम बनाया गया जिसके अधीन विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग को विश्वविद्यालय-शिक्षा की उन्नति तथा समन्वय के लिए आवश्यक कदम उठाने और विश्वविद्यालयो में अध्यापन, परीक्षा तथा अनुसन्धान के मानदण्ड निश्चित करने और उनका पालन करवाने का काम सौंपा गया । आयोग को विभिन्न विश्वविद्यालयो को अनुदान देने तथा विकास-योजनाओं को कार्यान्वित करने का भी अधिकार दिया गया । 30 अप्रैल, 1966 को डा० डी० एस० कोठारी विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के अध्यक्ष थे तथा सर्वश्री एस० धवन, बी० शिवराव, डी० एस० रेड्डि, डी० सी० पावते, पी० एन० कृपाल, टी० पी० सिंह, अली यावर जग तथा ए० आर० वाडिया इसके सदस्य । श्री ० के० एल० जोशी आयोग के सचिव थे ।

उच्चतर प्राविधिक शिक्षा

देश मे प्राविधिक शिक्षा (इजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी) की सुविधाओ में पर्याप्त विस्तार हो रहा है । 1951 में देश में इजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी की शिक्षा देनेवाले कुल 53 डिग्री-सस्थान तथा 89 डिप्लोमा-सस्थान थे जिनमे क्रमश 4,788 तथा 6,216 विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था थी । 1965* में इन संस्थानो की सख्या क्रमश 133 तथा 274 हो गई जिनमे 23,000 तथा 43,000 विद्यार्थियो के लिए व्यवस्था थी और इनमे से क्रमश 10,100 तथा 17,500 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके निकले ।

तीसरी पचवर्षीय योजना मे आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी प्राप्त करने के उद्देश्य से 23 इंजीनियरी-कालेज (8 प्रादेशिक कालेज-सहित) तथा 94 बहुधन्धी शिक्षा-सस्थान स्थापित करने की योजना थी । इनमे से 21 कालेजो तथा 75 बहुधन्धी शिक्षा-सस्थानो में काम आरम्भ हुआ । चण्डीगढ़ मे एक वास्तुकला-कालेज स्थापित किया गया है तथा अन्य कालेजो को स्नातकोत्तर सुविधाए प्रदान की गई हैं । राज्यो की योजनाओ के अधीन महिलाओ के लिए निर्धारित किए गए 24 बहुधन्धी शिक्षा-संस्थानों में से 17 स्थापित किए जा चुके हैं । उद्योगो तथा अन्य प्राविधिक उद्यमों में काम करनेवाले व्यक्तियों के लिए आशिक समय के डिप्लोमा-पाठ्यक्रमो की व्यवस्था करने के उद्देश्य से 18 केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं ।

खड़गपुर-स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी-सस्था का कार्य 1951 में आरम्भ हुआ । बम्बई तथा मद्रास की भारतीय प्रौद्योगिकी-सस्थाओं में विद्यार्थियो को सबसे पहले

*आरम्भिक आंकड़े

क्रमश: 1958 तथा 1959 में प्रवेश दिया गया और कानपुर की संस्था में 1960 में। जब ये संस्थाएं पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी तब प्रत्येक में स्नातक-पूर्व तथा स्नातकोत्तर-स्तर पर क्रमश: 1,600 तथा 400 विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। खड़गपुर और दिल्ली की भारतीय प्रौद्योगिकी-संस्थाओं में स्नातक-पूर्व तथा स्नातकोत्तर-स्तर पर क्रमश: 2,000 तथा 400 और 1,250 तथा 300 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। 1965-66 में इन संस्थाओं में 7,984 विद्यार्थियों को प्रवेश मिला। खड़गपुर, बम्बई तथा मद्रास की संस्थाओं में बी० एम०-सी० के तीनवर्षीय विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था आरम्भ की गई है। कानपुर, खड़गपुर तथा मद्रास की संस्थाओं में स्नातक-पूर्व-स्तर पर वैमानिकी इंजीनियरी का भी पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है। अहमदाबाद तथा कलकत्ता में दो प्रबन्ध-संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष कोष के सहयोग से बम्बई में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी-प्रशिक्षण-संस्था स्थापित की जा रही है जिसमें प्रतिवर्ष 1,400 प्राविधिज्ञ शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

ग्रामीण उच्चतर शिक्षा

ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-समिति के सुझाव पर ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के विकास-सम्बन्धी सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-परिषद् 1956 में स्थापित की गई थी। परिषद् ने ग्रामीण संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए 14 संस्थाएं चुनीं जिन्होंने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। सरकार ने ग्रामीण अर्थशास्त्र तथा सहकारिता, ग्रामीण समाज-विज्ञान तथा सामुदायिक विकास के स्नातकोत्तर-डिप्लोमाओं को विश्वविद्यालय की एम० ए० की उपाधि के समकक्ष मान लिया है।

गारगोटी की ग्रामीण संस्था के सामान्य शिक्षा तथा अध्यापक-प्रशिक्षण-डिप्लोमा-पाठ्यक्रम को नौकरी के लिए बी० ए० बी० टी० के समकक्ष मान लिया गया है।

सामाजिक शिक्षा

सामाजिक शिक्षा से देश में चल रहे सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के लिए शिक्षा का एक आधार तैयार होता है। सामाजिक शिक्षा के अन्तर्गत निरक्षरता-उन्मूलन, पुस्तकालय-सेवाओं का विकास, नागरिकता की शिक्षा, सांस्कृतिक तथा मनोरंजन-कार्य, दृश्य-श्रव्य साधनों का उपयोग और सामुदायिक विकास के लिए युवक तथा महिला-मण्डलों का संगठन-जैसे विषय आते हैं।

उच्च कर्मचारियों को सामाजिक शिक्षा के कार्य का प्रशिक्षण लेने तथा विशिष्ट समस्याओं पर समुचित अनुसन्धान करने की सुविधा देने के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा-केन्द्र स्थापित किया गया है। दिल्ली-विश्वविद्यालय में स्थापित पुस्तकालय-संस्था पुस्तकालयों के क्षेत्र में इसी प्रकार का कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में

वयस्कों को निरन्तर शिक्षा-सुविधाएं जुटाने के लिए जनता-कालेजों तथा विद्यापीठों की व्यवस्था है।*

अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण

अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण-सम्बन्धी कार्यों के विकास के लिए 1961 में एक राष्ट्रीय शिक्षा-अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण-परिषद् स्थापित की गई। 1963 से परिषद् ने शिक्षा-अनुसन्धान-विज्ञान के प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था आरम्भ की। इसकी प्रशासन-समिति की सहायता शैक्षणिक अध्ययन-मण्डल, केन्द्रीय शैक्षणिक साहित्य-समिति, नियुक्ति-समिति, वित्त-समिति तथा कार्य-समिति करती है। मण्डल तीन स्थायी उप-समितियों के माध्यम से काम करते हुए अनुसन्धान, प्रशिक्षण तथा विस्तार-सम्बन्धी परियोजनाओं की जांच करने के अतिरिक्त परिषद् की अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण-सम्बन्धी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है। परिषद् ने 'शिक्षा-सम्बन्धी वार्षिकी' प्रकाशित करने के साथ-साथ तीन पत्रिकाएं भी प्रकाशित करने का निर्णय किया है।

1965-66 में परिषद् ने 30 बड़ी अनुसन्धान-परियोजनाएं आरम्भ की और 65 प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों, गोष्ठियों तथा सम्मेलनों की व्यवस्था की। इसने राष्ट्रीय विज्ञान-मेला-सम्मेलन का भी आयोजन किया।

हिन्दी का विकास

हिन्दी के विकास, प्रचार तथा समृद्धि के कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं:

(1) हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों (कानून-इतर) की रचना, समीक्षा, समन्वय तथा उनको अन्तिम रूप देना; (2) हिन्दी की टाइप-मशीनों तथा दूरमुद्रकों (टेली-प्रिण्टरों) के अक्षरफलकों का एक समान रूप निर्धारित करना; (3) हिन्दी की आशुलिपि (शार्टहैण्ड) की एक प्रामाणिक प्रणाली तैयार करना; (4) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में क्षेत्रीय आधार पर हिन्दी-अध्यापक-प्रशिक्षण-कालेज खोलना; (5) नागरी-प्रचारिणी-सभा-द्वारा 10 खण्डों में एक हिन्दी-विश्वकोष तैयार करवाना जिसके पहले तीन खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं और चौथा खण्ड पूरा होनेवाला है, (6) विभिन्न विषयों के प्रामाणिक ग्रन्थ तैयार करना; (7) हिन्दी के चुने हुए कवियों तथा उपन्यासकारों की रचनाओं की पारिभाषिक शब्दावली-सम्बन्धी अनुक्रमणिकाएं तैयार करना और प्रसिद्ध लेखकों की चुनी हुई रचनाओं के संकलन प्रकाशित करना; (8) द्विभाषी तथा बहुभाषी शब्दकोष तैयार करना; (9) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में द्विभाषी वर्णमाला-चार्ट तैयार करना; (10) विदेशी भाषाओं की ख्यातिप्राप्त पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करना; (11) देवनागरी-लिपि का सर्वमान्य रूप निर्धारित करना; (12) कला और शिल्प की विशिष्ट शब्दावली के संकलन तथा अनुक्रमण का कार्य; (13) अन्य प्रादेशिक भाषाओं की ध्वनियों के सुचारु लेखन के लिए देवनागरी-

*विकलांगों की शिक्षा के लिए 'समाज कल्याण' शीर्षक अध्याय देखें।

लिपि में उपयुक्त चिह्न बनाना; (14) वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषयों की मान्य पुस्तकों के अनुवाद और प्रकाशन का कार्य; (15) हिन्दी के प्रचार तथा विकास के लिए क्षेत्रीय कार्यालय-सहित एक केन्द्रीय हिन्दी-निदेशालय की स्थापना; (16) वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली के लिए एक स्थायी आयोग नियुक्त करना; (17) त्रैमासिक पत्रिका 'भाषा' का प्रकाशन; (18) विदेशी पाठकों के लिए प्रारम्भिक पुस्तकें तैयार करना, (19) हिन्दी-भाषा में दक्षिण-भारतीय भाषाएं स्वयं सीखने के लिए पुस्तकें तैयार करना; तथा (20) आगरा में हिन्दी-अध्यापक-प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान-संस्था की स्थापना।

युवक-कल्याण

युवक-कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों में ये उल्लेखनीय हैं (क) प्रतिवर्ष अन्तर्विश्वविद्यालय-समारोह आयोजित किए जाते है तथा अन्त कालेज-समारोह संगठित करने के लिए विश्वविद्यालयो को सहायता दी जाती है; (ख) ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानो की यात्रा करने के लिए युवको के लिए किराये में रिआयत तथा वित्तीय सहायता दी जाती है; (ग) देश में युवक-विश्रामगृह स्थापित करने के लिए युवक-विश्रामगृह-संघ तथा राज्य-सरकारो को सहायता दी जाती है; (घ) विश्वविद्यालयों को युवक-कल्याण-मण्डल तथा समितिया सगठित करने के लिए सहायता दी जाती है, (ङ) विद्यार्थियो में शारीरिक श्रम के प्रति प्रतिष्ठा-भाव जागृत करने का प्रयास किया जाता है, और (च) विश्वविद्यालयो तथा अन्य शिक्षा-संस्थानों के लिए मनोरंजन-सम्बन्धी सुविधाओ की व्यवस्था की जाती है।

अक्तूबर मे 1965 मे होनेवाला दसवा अन्तर्विश्वविद्यालय-युवक-समारोह राष्ट्रीय सकटकाल को ध्यान में रखते हुए रद्द कर देना पड़ा।

शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद

राष्ट्रीय स्वस्थता-दल

कुंजरू-समिति-द्वारा की गई सिफारिशो के अनुसार शारीरिक शिक्षा का एक सुगठित कार्यक्रम विद्यालय-स्तर पर लागू कर दिया गया है। इस कार्यक्रम को प्रारम्भ में सभी हाई स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों मे लागू करने का विचार है। 15,000 से अधिक शारीरिक-शिक्षा-अध्यापको ने तत्सम्बन्धी पाठ्यक्रम की शिक्षा ग्रहण कर ली है। 1957 मे ग्वालियर मे स्थापित लक्ष्मीबाई-शारीरिक शिक्षा-कालेज की गतिविधियो मे निरन्तर वृद्धि होती आ रही है।

सामान्य जनता मे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की आवश्यकता के प्रति अनुकूल भावना पैदा करने के उद्देश्य से 1960 में राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता-अभियान नामक एक योजना आरम्भ की गई। इस अभियान के महत्व को देखते हुए भारत-सरकार ने उच्च शारीरिक कुशलता का प्रदर्शन करनेवाले व्यक्तियो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की भी व्यवस्था की है।

खेल-कूद

खेल-कूद-विषयक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से (क) राष्ट्रीय खेल-कूद-संगठनों को सहायता दी गई, भारतीय टीमों को विदेशों में खेलने के लिए भेजा गया, विदेशी टीमों को भारत में आकर खेलने के लिए आमन्त्रित किया गया, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और (ख) राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में खेल-कूद-परिषदें स्थापित की गई हैं।

1961 में पटियाला में स्थापित राष्ट्रीय खेल-कूद-संस्था में अब तक 701 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षण-योजना के अधीन इस संस्था ने विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर 31 प्रादेशिक शिक्षण-केन्द्र स्थापित किए हैं। देश में खेल-कूद के विकास के सम्बन्ध में भारत-सरकार तथा खेल-कूद-संघों को परामर्श देने के लिए एक अखिल भारतीय खेल-कूद-परिषद् विद्यमान है।

अध्याय 6

सांस्कृतिक गतिविधियां

कला तथा संस्कृति की अभिवृद्धि और जनता में कला के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ललित कला-अकादमी, संगीत-नाटक-अकादमी तथा साहित्य-अकादमी के माध्यम से की जाती है। सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रति जनता को जागरूक बनाए रखने के लिए सरकार जनसम्पर्क के कुछ उपलब्ध साधनों का भी यथाशक्ति उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक संस्थाएं भी परम्परागत कला-शिल्पों की उन्नति में योग दे रही हैं।

कला

ललित कला-अकादमी

1954 में स्थापित ललित कला-अकादमी ललित कलाओं की अभिवृद्धि में योग देने के अतिरिक्त चित्रकला, मूर्तिकला आदि के विकास तथा पोषण के कार्यक्रम भी बनाती है। साथ ही यह अकादमी प्रादेशिक अथवा राज्यीय अकादमियों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करती है, विभिन्न कला-शैलियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देती है और तत्सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करने के साथ-साथ प्रदर्शनियों, कलाकारों तथा कलाकृतियों का आदान-प्रदान करके अन्त: प्रादेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क स्थापित करने में योग देती है।

ललित कला-अकादमी प्रतिवर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय कला-प्रदर्शनी का आयोजन करती है जो बाद में विभिन्न राज्यों की राजधानियों में भी दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह भारत में पौर्वात्य तथा पाश्चात्य देशों की कलाओं एवं शिल्पों और विदेशों में भारतीय कलाओं एवं शिल्पों की प्रदर्शनियों का भी आयोजन करती है। समय-समय पर कला की विभिन्न विधाओं के विषय में विचारगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। अकादमी राष्ट्रीय कला-प्रदर्शनी में भाग लेनेवाले प्रमुख कलाकारों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत भी करती है। 1966 के पुरस्कार-विजेताओं की सूची परिशिष्ट में देखिए।

ललित कला-अकादमी अब तक कला-सम्बन्धी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुकी है जिनमें 'मुगल मिनिएचर्स', 'पोर्टफोलियो ऑफ कण्टेम्पोरेरी पण्टिग', 'कृष्णा लीजेण्ड इन पहाड़ी-पेण्टिंग', 'अजन्ता-पेण्टिंग', 'मेवाड-पेण्टिंग', 'किशनगढ़-पेण्टिंग', 'बीरभूम टेराकोटाज', बून्दी-पेण्टिंग', 'पेण्टिंग्स ऑफ द सुल्तान्स एण्ड एम्परर्स ऑफ इण्डिया इन अमेरिकन कलेक्शन्स', 'मिनिएचर पेण्टिंग्स ऑफ खजांची कलेक्शन', 'गोल्डन फ्ल्यूट', 'साउथ इण्डियन ब्रौंजेज', 'ड्राइंग ऐण्ड पेण्टिंग्स ऑफ रवीन्द्रनाथ टैगोर' तथा 'इण्डियन मिनिएचर्स' के सचित्र पोस्टकार्ड उल्लेखनीय हैं। समसामयिक भारतीय कला को ललित कला-माला के अधीन गगनेन्द्रनाथ ठाकुर, चावड़ा, धनराज भगत, पणिक्कर, पी० दास गुप्त, बेन्द्रे, रवि वर्मा, राम किंकर, हलधर, हुसेन तथा हेब्बर-जैसे प्रसिद्ध

चित्रकारों के बारे में पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई हैं। अकादमी 'ललित कला (ऐन्शियण्ट)' और 'ललित कला (कण्टेम्पोरेरी)' नामक अर्द्धवार्षिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित करती है। अकादमी ने चित्रकार-परिचय-ग्रन्थ तथा विभिन्न विचारगोष्ठी-विवरण भी प्रकाशित किए हैं।

सूचना और प्रसारण-मन्त्रालय के प्रकाशन-विभाग ने भी कला-सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किए हैं जिनमें 'इण्डियन आर्ट थ्रू द एजेज', 'हेरिटेज ऑफ इण्डियन आर्ट', 'आर्किटेक्चर ऐण्ड स्कल्पचर ऑफ इण्डिया', 'द वे ऑफ बुद्ध', 'कांगड़ा वैली पेण्टिंग', 'बशौली पेण्टिंग' तथा 'कण्टेम्पोरेरी इण्डियन पेण्टिंग' उल्लेखनीय हैं।

कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के आदर-स्वरूप अकादमी अपने अधि-सदस्यों (फैलोज) को ताम्रपत्र, अंगवस्त्र तथा पांच हजार रुपये नकद प्रदान करती है।

राष्ट्रीय आधुनिक कला-संग्रहालय

1954 में स्थापित राष्ट्रीय आधुनिक कला-संग्रहालय में लगभग 2,394 कलाकृतियां संग्रहीत हैं जो विगत सौ वर्षों की कला-प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन कराती है। इस संग्रहालय में सर्वश्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नन्दलाल बोस, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय, डी० पी० राय चौधरी, अमृता शेरगिल तथा सुधीर खास्तगीर-जैसे लब्ध-प्रतिष्ठ कलाकारों और अन्य अनेक आधुनिक कलाकारों तथा शिल्पकारों की कृतियां संग्रहीत हैं।

नृत्य, नाटक तथा संगीत

संगीत-नाटक-अकादमी

1953 में स्थापित तथा 1961 में संस्था के रूप में पंजीकृत संगीत-नाटक-अकादमी नृत्य, नाटक तथा संगीत को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। यह अकादमी अनुसन्धानकार्य को प्रोत्साहन देती है, नाटक-केन्द्रों तथा प्रशिक्षण-संस्थाओं की स्थापना में सहयोग देती है, विचारगोष्ठियों तथा समारोहों का आयोजन करती है, पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान करती है, साहित्य प्रकाशित करती है, संस्थाओं को सहायता-अनुदान देती है और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है।

अकादमी अपने द्वारा मान्यता-प्राप्त संस्थाओं तथा अपने से सम्बद्ध असम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, केरल, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, मद्रास, मध्यप्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान की प्रादेशिक अकादमियों के साथ निकट का सम्पर्क रखती है। ये प्रादेशिक अकादमियां राष्ट्रीय संगठन को देश की विभिन्न कलाओं का सर्वेक्षण करने में सहयोग देती हैं। नाटकों को प्रोत्साहन देने के लिए अकादमी नाटक-प्रतियोगिताओं की भी व्यवस्था करती है।

अकादमी नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाटक-विद्यालय तथा एशियाई रंगमंच-संस्था और इम्फाल में मणिपुर-नृत्य-कालेज का संचालन कर रही है।

संगीत-नाटक-अकादमी प्रतिवर्ष संगीत, नृत्य तथा नाटक के क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकारों को पुरस्कार भी देती है। 1964-65 के पुरस्कार-विजेताओं की सूची परिशिष्ट में देखिए।

आकाशवाणी-नाटक

आकाशवाणी के नाटकों के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अत्युत्तम नाटकों का प्रसारण किया जाता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से समस्त प्रादेशिक भाषाओं में एक साथ प्रसारित किया जाता है। अब तक ऐसे 115 से अधिक नाटक प्रसारित किए जा चुके हैं।

आकाशवाणी-संगीत-सम्मेलन

आकाशवाणी के इस वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य जनता में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न करना और हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत के कलाकारों-द्वारा विभिन्न रागों तथा रागिनियों में गायन प्रस्तुत करवाना है। इसके अतिरिक्त सुगम संगीत का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाता है। 1965 में दिल्ली में सात और बम्बई तथा कलकत्ता में एक-एक संगीत-अधिवेशन हुए। दिल्ली में हुए सात अधिवेशनों में से एक में कर्नाटक संगीत तथा रवीन्द्र संगीत प्रस्तुत किया गया। दक्षिण-भारत में मद्रास में पांच, बंगलोर में दो और कोझीकोड, तिरुचि, विजयवाड़ा तथा हैदराबाद में एक-एक अधिवेशन हुए। प्रतिवर्ष संगीत-प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है जिसमें प्रतिभाशाली नवयुवक कलाकार पुरस्कृत किए जाते हैं। सम्मेलन के साथ-साथ संगीत-गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है जिनमें संगीत के विकास से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार-विनिमय होता है।

राष्ट्रीय संगीत-कार्यक्रम

1952 में आरम्भ किए गए आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत-कार्यक्रम में चोटी के कलाकारों का संगीत प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत के बीच अधिक-से-अधिक तारतम्य स्थापित करना है। 1965 में भारतीय शास्त्रीय संगीत की परम्परा के सोदाहरण कार्यक्रम प्रसारित किए गए। इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रादेशिक संगीत तथा लोक संगीत का भी प्रसारण होता रहता है।

विशेष कार्यक्रम

1965 में आकाशवाणी ने त्यागराज, तानसेन, वासुदेवाचार्य तथा कनकदास-जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों की स्मृति में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया।

राष्ट्रीय गीतिनाट्य-कार्यक्रम

यह कार्यक्रम प्रत्येक तीन महीने में एक बार दिल्ली-केन्द्र से प्रसारित किया जाता है जिसे आकाशवाणी के अन्य सभी केन्द्र रिले करते हैं। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ गीतिनाट्य प्रस्तुत किए जाते हैं। 1965 में अजगर कुरवंचि (तमिल), ऊषानूं स्वप्न (गुजराती), एकनाथ सेवा विलासम (तेलुगु) तथा वीरांगना (हिन्दी) गीतिनाट्य प्रसारित किए गए।

वाद्यवृन्द

1952 में स्थापित आकाशवाणी का राष्ट्रीय वाद्यवृन्द वाद्य-संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परम्परागत रागों और लोक-धुनों पर आधारित रचनाएं प्रसारित की जाती हैं।

अन्य आकाशवाणी-कार्यक्रम

थोड़े समय के शास्त्रीय संगीत-कार्यक्रम (सुगद्ध संगीत) भी प्रसारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संगीत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आकाशवाणी-द्वारा वृन्दगान, सुगम संगीत, लोक संगीत तथा भक्ति-संगीत और बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा दिल्ली-केन्द्रों से पश्चिमी संगीत के कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। 1965 में देशभक्ति तथा वीरतापूर्ण गीत-प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें देश की मुख्य-मुख्य भाषाओं में हुई रचनाओं का पाठ हुआ।

साहित्य

साहित्य-अकादमी

1954 में स्थापित साहित्य-अकादमी एक राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य भारतीय वाङ्मय का विकास तथा उच्च साहित्यिक मानदण्ड स्थिर करना, सभी भारतीय भाषाओं में साहित्य-रचना को प्रोत्साहन देना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना और इस प्रकार देश की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ बनाना है।

भारतीय साहित्य की ग्रन्थ-सूची (20वीं शताब्दी) तैयार करना साहित्य-अकादमी का एक प्रमुख कार्य है। इस ग्रन्थसूची में बीसवीं शताब्दी में रचित 14 भारतीय भाषाओं के साहित्यिक महत्व के समस्त ग्रन्थों तथा भारत में प्रकाशित अथवा भारतीयों-द्वारा रचित अंग्रेजी-ग्रन्थों का उल्लेख रहेगा। 1961 में अकादमी ने 'भारतीय लखक-परिचय-ग्रन्थ' प्रकाशित किया।

साहित्य-अकादमी के प्रकाशित 403 ग्रन्थों में से कालिदासरचित 'कुमार-सम्भव', 'मेघदूत' तथा 'विक्रमोर्वशीय' के आलोचनात्मक संस्करण, असमिया, उड़िया, कन्नड़, बंगला तथा मलयालम-साहित्यों के इतिहास; 'एन्थोलोजी ऑफ संस्कृत लिटरेचर' के दो खण्ड; प्राचीन संस्कृत-रचना 'अशोकवदन' की टीका; असमिया, उर्दू, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी तथा मलयालम-कविताओं के काव्य-संग्रह; असमिया तथा पंजाबी के लोकगीत, असम तथा बंगाल के वैष्णव गीतिकाव्य; कन्नड़ तथा गुजराती के एकांकी; कन्नड, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी, सिन्धी तथा हिन्दी की कहानियां; कन्नड़ में निबन्ध-संग्रह, भारती की चुनी हुई कविताओं का कन्नड, तमिल तथा तेलुगु में संग्रह; राजवाडे, आगरकर तथा चिपलूणकर के मराठी-गद्य-संग्रह; गुजराती में नानालाल की चुनी हुई रचनाएं; भरतचन्द्र, चैतन्य और क्षेमानन्द की बंगला में चुनी हुई रचनाएं और शाह अब्दुल लतीफ, सामी, सचल तथा दीवान कौड़ामल के सिन्धी-गद्य-संग्रह; वल्लतोल की चुनी हुई कविताएं (हिन्दी में); कन्नड में बसवण्णा की रचनाएं; 'ए सिम्पोजियम ऑन कण्टेम्पोरेरी इण्डियन लिटरेचर'; 'एन एन्थोलौजी ऑफ कण्टेम्पोरेरी इण्डियन शॉर्ट स्टोरीज़' तथा रूसी-हिन्दी-शब्दकोश प्रमुख हैं।

अकादमी ने उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वाङ्मय तथा पंजाबी में सरदार पूरन सिंह की कविताएं भी प्रकाशित करने का कार्य आरम्भ किया है।

अधिकांश भारतीय तथा कई विदेशी साहित्यिक ग्रन्थों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और ये प्रकाशित भी हो चुके हैं। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं (आठ खण्ड) का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए जाने का निश्चय किया गया है। ऐसे 70 अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। उपर्युक्त आठ खण्डों में से पांच का देवनागरी में रूपान्तर हो चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य-गोष्ठी के अवसर पर रवीन्द्रनाथ-शताब्दी-ग्रन्थ प्रकाशित किया गया जिसमें विश्व के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकारों के लेख प्रकाशित किए गए। 1963 में रोम्यां रोलों के ग्रन्थ 'द लाइफ ऑफ विवेकानन्द' के अनुवाद का कार्य भी आरम्भ हुआ।

साहित्य-अकादमी ने 1965 में विभिन्न भारतीय भाषाओं में 41 ग्रन्थ प्रकाशित किए। अन्य कुछ प्रकाशनों की तैयारी जारी है जिनमें तिब्बती-हिन्दी-शब्दकोश तथा 'राजतरंगिणी' का अनुवाद सम्मिलित है। अकादमी अंग्रेज़ी तथा संस्कृत में क्रमश: 'इण्डियन लिटरेचर' तथा 'संस्कृत-प्रतिभा' नामक दो अर्द्धवार्षिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित कर रही है।

साहित्य-अकादमी प्रतिवर्ष भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट ग्रन्थों पर पुरस्कार भी प्रदान करती है। 1965 के पुरस्कार-विजेताओं की सूची परिशिष्ट में देखिए।

गान्धी-वाङ्मय

1956 के आरम्भ में सूचना और प्रसारण-मन्त्रालय ने महात्मा गान्धी के भाषणों, पत्रों तथा लेखों का एक सम्पूर्ण संग्रह प्रकाशित करने की योजना पर कार्य आरम्भ किया था। अंग्रेज़ी में अठारह (1884 से 1920 तक से सम्बन्धित) तथा हिन्दी में पन्द्रह खण्ड प्रकाशित किए जा चुके हैं।

साहित्यिक प्रसारण

1956 में आकाशवाणी-द्वारा पहली बार सर्वभाषा-कवि-सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह कवि-सम्मेलन अब प्रतिवर्ष होता है जिसमें देश के प्रमुख कवि भाग लेते हैं।

सृजनात्मक साहित्य की विभिन्न विधाओं से सम्बद्ध साहित्यकारों का एक अखिल भारतीय समारोह पहले-पहल 1956 में आयोजित किया गया था। अब यह समारोह प्रतिवर्ष होता है। 1965 में हुए समारोह में विभिन्न भाषाओं के कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया जिनका बाद में हिन्दी-रूपान्तर प्रस्तुत किया गया।

1960 से आरम्भ किए गए राष्ट्रीय समसामयिक साहित्य-कार्यक्रम में भारत की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक रचनाओं के सम्बन्ध में श्रोताओं को अवगत कराया जाता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक तीन महीने के बाद अन्तिम गुरुवार को आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित किया जाता

है और इसमें कविताओं, छोटी कहानियों तथा अन्य साहित्यिक रचनाओं का समावेश रहता है।

1955 से प्रतिवर्ष पटेल-स्मारक-व्याख्यानमाला में प्रतिष्ठित व्यक्तियों-द्वारा दिए जानेवाले व्याख्यानों का उद्देश्य लोगों के ज्ञान में वृद्धि करना है। 1958 से आयोजित लाड-स्मारक-व्याख्यान मराठी में मराठी-भाषी क्षेत्र के प्रसारण-केन्द्रों से प्रसारित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट)

उच्च कोटि के साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने तथा उसे उचित मूल्य पर सुलभ करने के उद्देश्य से 1957 में राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास की स्थापना की गई थी। अब तक इसके 125 प्रकाशन निकल चुके हैं। यह न्यास शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा विज्ञानेतर विषयों के उत्कृष्ट ग्रन्थ भी प्रकाशित करता है और भारतीय तथा विदेशी साहित्यिक ग्रन्थों के अनुवाद तथा एक प्रादेशिक भाषा से दूसरी प्रादेशिक भाषा में भारतीय साहित्यिक ग्रन्थों के अनुवाद प्रकाशित करने की ओर भी ध्यान देता है।

1966 में न्यास ने लखनऊ में एक राष्ट्रीय पुस्तक-प्रदर्शनी तथा हिन्दी-प्रकाशन-विचारगोष्ठी का भी आयोजन किया।

अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक सद्भावना-प्रसार

सांस्कृतिक दलों का आदान-प्रदान

1959-60 में आरम्भ किए गए इस कार्यक्रम के अधीन राज्य-सरकारों-द्वारा चुने गए सांस्कृतिक दल एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाते हैं। 1965-66 में दस राज्यों के सांस्कृतिक दल अन्य राज्यों में गए।

कलाकारों का आदान-प्रदान

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों के संगीत तथा नृत्य आदि के प्रति रुचि करने के लिए कलाकारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करना है।

खुले रंगमंच

ग्रामीण क्षेत्रों में नाटकों, नृत्य तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए खुले रंगमंचों की व्यवस्था की जा रही है। अब तक विभिन्न राज्यों में 328 रंगमंचों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है।

रंगमंच-मण्डलियों को सहायता

देश में नाटकों को प्रोत्साहन देने की चार विभिन्न योजनाओं के स्थान पर एक नई विस्तृत योजना राज्य-सरकारों के पास विचारार्थ भेज दी गई है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र सेनाओं के लिए सांस्कृतिक मण्डलियां

1965-66 में सैनिकों के मनोरंजन के लिए गायकों, संगीतज्ञों, नर्तकों, जादूगरों के दल तथा नाटक-मण्डलियां सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजी गईं।

सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान

पंजीकृत सांस्कृतिक संस्थाओं को भवन बनाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध

वैदेशिक सम्पर्क-विभाग

केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के शिक्षा-विभाग में एक वैदेशिक सम्पर्क-विभाग स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ मैत्री तथा सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना है।

प्रदर्शनियां

विदेशों में समय-समय पर भारतीय कला तथा संस्कृति-सम्बन्धी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार भारत में भी अन्य देशों की कला तथा संस्कृति-सम्बन्धी प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं।

सांस्कृतिक करार

अफगानिस्तान, इण्डोनीशिया, ईराक, ईरान, चेकोस्लोवाकिया, जापान, टर्की, नार्वे, पोलैण्ड, बल्गारिया, मंगोलिया, यूगोस्लाविया यूनान, रूमानिया, संयुक्त अरब-गणराज्य, सोवियत रूस तथा हंगरी के साथ भारत के सांस्कृतिक करार हो चुके हैं।

अनुदान

भारत तथा अन्य देशों के बीच निकट सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने में लगीं भारत तथा विदेश-स्थित समितियों तथा संस्थानों को सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी गई।

भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क-परिषद्

भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नवम्बर 1949 में इस परिषद् की स्थापना की गई थी। यद्यपि इसका सारा व्यय भारत-सरकार उठाती है, तथापि यह परिषद् अपने-आप में एक स्वतन्त्र संस्था है। यह परिषद् एक त्रैमासिक पत्रिका अंग्रेजी में तथा दूसरी अरबी-भाषा में प्रकाशित करती है। दुर्लभ पाण्डुलिपियों तथा भारत-सम्बन्धी अन्य महत्त्व-पूर्ण पुस्तकों के प्रकाशन और भारतीय प्रकाशनों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद कराने का भी काम यह परिषद् कर रही है।

पुरातत्त्व

1861 में स्थापित भारत की पुरातत्त्व-सर्वेक्षण-संस्था प्राचीन स्थानों की खुदाई राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित किए गए प्राचीन स्मारकों के संरक्षण, शिलालेखों के अध्ययन तथा प्रदर्शन, संग्रहालयों में प्राचीन पवित्र अवशेषों के संरक्षण और अभिलेखों तथा समीक्षाओं के प्रकाशन के काम करती है। इस संस्था ने संयुक्त अरब-गणराज्य में नूबिया के ध्वंसावशेषों को बचाने में सहायता दी तथा अपने तीन अभियान-दल नेपाल भेजे। विगत कुछ वर्षों में कई प्राचीन स्थानों की खुदाई का कार्य किया गया। यह संस्था 'एन्शियण्ट इण्डिया' तथा 'इण्डियन आर्कियालौजी—ए रिव्यू' शीर्षक दो पत्रिकाएं भी नियमित रूप से प्रकाशित करती है।

अध्याय 7

वैज्ञानिक अनुसन्धान

विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के सम्बन्ध में भारत-सरकार की नीति 31 मार्च, 1958 को संसद् में प्रस्तुत किए गए एक प्रस्ताव में स्पष्ट की गई थी। सरकार की इस नीति का प्रधान उद्देश्य विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान की अभिवृद्धि करना, देश में उच्चकोटि के अनुसन्धान-वैज्ञानिक तैयार करना; वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण-कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना; जनता की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, व्यक्तिगत तौर पर वैज्ञानिक खोज तथा वैज्ञानिक ज्ञान के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहन देना तथा देशवासियों को विज्ञान से होनेवाले लाभ उपलब्ध कराना है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्

भारत में वैज्ञानिक अनुसन्धान का काम सरकार के तत्त्वावधान में मुख्यत. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्, उसके नियन्त्रण में स्थापित विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं अथवा संस्थाएं और उससे सहायता-प्राप्त विश्वविद्यालय तथा संस्थान करते हैं। यह परिषद् योग्य व्यक्तियों को शोधवृत्तियां देने तथा विज्ञान-सम्बन्धी जानकारी का प्रसार करने का कार्य करती है। विदेशों से लौटनेवाले सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा प्राविधिक कर्मचारियों को आरम्भ में काम पर लगाने का उत्तरदायित्व भी इसी परिषद् पर है। यह परिषद् देश के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों की सूची रखने की भी व्यवस्था करती है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद परिषद् ने देश के विभिन्न स्थानों में निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए हैं :

(1) राष्ट्रीय भौतिकीय प्रयोगशाला, नई दिल्ली; (2) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना; (3) केन्द्रीय ईंधन-अनुसन्धान-संस्था, जीलगोडा (बिहार); (4) केन्द्रीय कांच तथा चीनी बर्तन-अनुसन्धान-संस्था, जादवपुर (पश्चिम-बंगाल); (5) केन्द्रीय खाद्य-प्रौद्योगिकी-अनुसन्धान-संस्था, मैसूर; (6) राष्ट्रीय धातुकर्म-प्रयोगशाला, जमशेदपुर; (7) केन्द्रीय भेषज-अनुसन्धान-संस्था, लखनऊ; (8) केन्द्रीय सड़क-अनुसन्धान-संस्था, नई दिल्ली, (9) केन्द्रीय विद्युत्-रसायन-अनुसन्धान-संस्था, काराइक्कुडि (मद्रास); (10) केन्द्रीय चमड़ा-अनुसन्धान-संस्था, मद्रास; (11) केन्द्रीय भवन-अनुसन्धान-संस्था, रुड़की; (12) केन्द्रीय इलेक्ट्रौनिक्स इंजीनियरी-अनुसन्धान-संस्था, पिलानी (राजस्थान); (13) राष्ट्रीय वनस्पति-उद्यान, लखनऊ; (14) केन्द्रीय नमक तथा समुद्री रसायन-अनुसन्धान-संस्था, भावनगर (गुजरात); (15) केन्द्रीय खनन-अनुसन्धान-केन्द्र, धनबाद (बिहार); (16) प्रादेशिक अनुसन्धानशाला, हैदराबाद; (17) भारतीय परीक्षणात्मक औषध-संस्था, कलकत्ता; (18)

बिड़ला-औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक संग्रहालय, कलकत्ता; (19) प्रादेशिक अनुसन्धानशाला, जम्मू-तावी (जम्मू-कश्मीर); (20) केन्द्रीय मेकैनिकल इंजीनियरी-अनुसन्धान-संस्था, दुर्गापुर (पश्चिम-बंगाल), (21) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य-इंजीनियरी-अनुसन्धान-संस्था, नागपुर; (22) राष्ट्रीय वैमानिकी-प्रयोगशाला, बंगलोर; (23) प्रादेशिक अनुसन्धानशाला, जोरहाट (असम); (24) केन्द्रीय भारतीय औषध-वनस्पति-सगठन, लखनऊ; (25) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण-संगठन, चण्डीगढ़; (26) भारतीय पेट्रोलियम-संस्था, देहरादून; (27) राष्ट्रीय भू-भौतिकी-अनुसन्धान-संस्था, हैदराबाद; (28) विश्वेश्वरय्य-औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक संग्रहालय, बंगलोर, (29) भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अभिलेखन-केन्द्र, नई दिल्ली; (30) राष्ट्रीय सागर-विज्ञान-संस्था, नई दिल्ली, (31) राष्ट्रीय पंजिका-एकांश, नई दिल्ली; (32) केन्द्रीय आकल्पन (डिजाइन) तथा इंजीनियरी-संगठन, नई दिल्ली; (33) प्रादेशिक अनुसन्धानशाला, भुवनेश्वर; (34) मफतलाल-वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक संग्रहालय, बम्बई, (35) राष्ट्रीय जीव-विज्ञान-प्रयोगशाला, नई दिल्ली, (36) संचरनात्मक इंजीनियरी-अनुसन्धान-केन्द्र, रुड़की; (37) औद्योगिक विष-विज्ञान-अनुसन्धान-केन्द्र, लखनऊ; (38) अनुसन्धान-समन्वय, औद्योगिक जन-सम्पर्क तथा विस्तार-सेवा-एकांश (प्रतिरक्षा-समन्वय तथा पेटेण्ट-एकांश-सहित), नई दिल्ली; तथा (39) वैज्ञानिक अनुसन्धान-सर्वेक्षण तथा आयोजन-एकांश (अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग-एकांश-सहित), नई दिल्ली।

अनुसन्धान-कार्य को प्रोत्साहन

अन्य प्राविधिक संस्थाओ, औद्योगिक प्रयोगशालाओ तथा विश्वविद्यालयो के वैज्ञानिको को भी सहायता-अनुदान दिए जाते है। सहायता-अनुदान देने की 700 से अधिक योजनाएं चल रही है। व्यावहारिक परिणामो के अतिरिक्त इससे एक लाभ यह भी हो रहा है कि इन परियोजनाओ के माध्यम से युवक अनुसन्धानकर्ताओं को प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त होती है तथा स्वतन्त्र अनुसन्धान-कार्य के लिए क्रियाशील केन्द्रों का विकास होता है। अवकाश-प्राप्त तथा प्रसिद्ध वैज्ञानिको को वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त होनहार नवयुवको को जूनियर तथा सीनियर शोधवृत्तियां भी दी जाती है। इस समय विश्वविद्यालयो, प्रयोगशालाओ तथा अन्य अनुसन्धान-संगठनों में ऐसी 1,450 से अधिक शोधवृत्तियो की व्यवस्था है।

सहकारी अनुसन्धान-संस्थाएं

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रो मे सहकारी अनुसन्धान-संस्थाओ को पूंजीगत तथा आवर्ती व्यय में सहायता तथा प्राविधिक परामर्श योजनाएं बनाने, विशेषज्ञ तथा सामग्री जुटाने में दिया जाता है। इस प्रकार की ग्यारह संस्थाए कपड़ा, रबड़, रेशम, नकली रेशम, रंगलेप, प्लाईवुड, सीमेण्ट, ऊन, पटसन तथा चाय-उद्योगों में काम कर रही हैं। फाउण्ड्री, ऑटोमोबाइल, रेडियो तथा इलेक्ट्रौनिक-उद्योगो के लिए भी ऐसी संस्थाएं स्थापित की जा रही है।

जन-सम्पर्क तथा विस्तार-सेवा

उद्योग, व्यापारिक संस्थाओ तथा अनुसन्धान से लाभ उठानेवाले अन्य

व्यक्तियों/संस्थाओं/ के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रयोगशालाओं में जन-सम्पर्क-एकांश स्थापित किए गए हैं जो उन्हें वैज्ञानिक जानकारी के बारे में बताते हैं ।

प्रकाशन तथा सूचना

एक निदेशालय के माध्यम से प्राविधिक रिपोर्टें, साहित्य-सर्वेक्षणों के विवरण, पाक्षिक समाचार-बुलेटिनें आदि प्रकाशित की जाती हैं। निदेशालय 'वेल्थ ऑफ इण्डिया' (शब्दकोश) और 'द जर्नल ऑफ साइण्टिफिक ऐण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च', 'द इण्डियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री', 'द इण्डियन जर्नल ऑफ प्योर ऐण्ड एप्लाइड फिज़िक्स', 'द इण्डियन जर्नल ऑफ टेक्नोलौजी, रिसर्च ऐण्ड इण्डस्ट्री' तथा 'द इण्डियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेण्टल बॉयॉलौजी' शीर्षक पत्रिकाएं प्रकाशित करता है । इसका भारतीय भाषा-एकांश हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में पत्रिकाओं तथा विज्ञान-सम्बन्धी लोकप्रिय पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य करता है।

विज्ञान-मन्दिर

सामुदायिक विकास-परियोजना-क्षेत्रों में 'विज्ञान-मन्दिर' नामक 52 वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। प्रत्येक केन्द्र में एक प्रयोगशाला और योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं। ये केन्द्र ग्रामीणों में वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करते हैं तथा उन्हें वैज्ञानिक जानकारी के उपयोग के बारे में बताते हैं। अप्रैल 1963 से इनका प्रशासनिक नियन्त्रण राज्य-सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों को सौंपा जा चुका है ।

अणु-शक्ति तथा अन्तरिक्ष-शोध

अणुशक्ति-आयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए अणु-शक्ति के विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम की योजना बनाने तथा उसे कार्यरूप में परिणत करने के लिए उत्तरदायी है। यह कार्यक्रम अणुशक्ति-विभाग-द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

अणु-शक्ति के क्षेत्र में अनुसन्धान तथा विकास-कार्य करने का मुख्य केन्द्र बम्बई के निकट ट्रॉम्बे-स्थित अणुशक्ति-प्रतिष्ठान है । ट्रॉम्बे-प्रतिष्ठान में तीन आणविक भट्ठियां हैं—पहली 'अप्सरा', दूसरी चालीस मेगावाट-क्षमता की 'कनाडा-भारत-भट्ठी तथा तीसरी परीक्षणात्मक भट्ठी 'ज़रलीना' । ट्रॉम्बे-प्रतिष्ठान में एक थोरियम-संयन्त्र, एक यूरेनियम-धातु-संयन्त्र, एक भारी पानी-समाहरण-सयन्त्र तथा प्रयोगशालाएं भी हैं। भारत संसार के उन पांच देशों में से एक है जिनमें प्ल्यूटोनियम-संयन्त्र हैं।

ट्रॉम्बे-स्थित रेडियो-रसायन तथा आइसोटोप-प्रयोगशालाओं में रेडियोआइसोटोप तैयार किए जाते हैं। इलेक्ट्रौनिक्स-प्रयोगशालाओं में अणु-शक्ति-सम्बन्धी कार्य के लिए आवश्यक सभी इलेक्ट्रौनिक उपकरणों का निर्माण किया जाता है। ये उपकरण विदेशों को भी भेजे जाते हैं।

इस प्रतिष्ठान में अधिक शक्तिवाले शून्यक उपकरणों का विकास किया गया तथा ऐसे अनेक उपकरणों का निर्माण हुआ।

कृषि के क्षेत्र में विकिरण की जीव-रसायन-सम्बन्धी गतिविधियों के आधारभूत पहलुओं के अध्ययन तथा रश्मिविकिरण-द्वारा खाद्य-पदार्थों को सुरक्षित रखने की प्रणालियों के विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा चुका है।

रोगों को पहचानने तथा उनके उपचार में रेडियोआइसोटोपों का उपयोग करने के लिए 1963 में एक विकिरण-चिकित्सा-केन्द्र स्थापित किया गया।

आणविक खनिज-विभाग आणविक खनिज-पदार्थों का पता लगाने, खनिज प्रौद्योगिकी का विकास करने, आणविक खनिज-पदार्थों की खुदाई करने तथा उनके संरक्षण के लिए विस्तृत सर्वेक्षण-कार्य करता है। भारत संसार में सबसे अधिक थोरियम पाए जाने के लिए काफी समय से प्रसिद्ध है। बंगाल तथा बिहार की सीमाओं पर मोनाजाइट के भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने का पता चला है। बिहार में यूरेनियम के काफी अधिक मात्रा में प्राप्त होने की सम्भावना है। यूरेनियमजनित वस्तुएं तैयार करने के लिए जादूगुडा में एक यूरेनियम-कारखाना स्थापित किया गया है।

अणु-विद्युत् के क्षेत्र में देश में दो केन्द्रों पर कार्य जारी है। बम्बई से 96 किलोमीटर दूर तारापुर में 3,80,000 किलोवाट के बिजलीघर के बनकर 1968 के अन्त तक तैयार होने की आशा है। 2,00,000 किलोवाट की क्षमता का दूसरा बिजलीघर राजस्थान में राणा प्रतापसागर में बनाया जा रहा है। चौथी योजना की अवधि में इसकी क्षमता दूनी करने तथा मद्रास-राज्य में महाबलिपुरम् के निकट कल्पाक्कम् में 4,00,000 किलोवाट की क्षमता का तीसरा अणु-बिजलीघर बनाने का निर्णय किया गया है। चौथी योजना के अन्त में देश में अणु-शक्ति से दस लाख किलोवाट से अधिक बिजली तैयार होने की आशा है।

परमाणु-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से सम्बन्धित अनुसन्धान-कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान-संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई है। बम्बई-स्थित टाटा-मूलभूत अनुसन्धान-संस्था परमाणु-विज्ञान तथा गणितमूलक अनुसन्धान के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केन्द्र है। कलकत्ता की साहा-परमाणु-भौतिकी-संस्था तथा अहमदाबाद की भौतिकीय अनुसन्धानशाला को सहायता प्राप्त होती है। कश्मीर में 9,000 फुट की ऊंचाई पर गुलमर्ग में उच्चस्थलीय अनुसन्धानशाला स्थापित की जा रही है। मद्रास-राज्य के कोडइकानल् नामक स्थान में भी एक ऐसी ही प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा विज्ञान-संस्थाओं में इस विभाग की ओर से छात्रवृत्तियां दिए जाने की भी व्यवस्था है।

अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग से सम्बन्धित नीतियां तैयार करने तथा उनको कार्यान्वित करने में परामर्श तथा सहायता देने के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय अन्तरिक्ष-शोध-समिति स्थापित की गई है। केरल-स्थित तुम्बा-भूमध्यरेखीय रॉकेट-संचालन-केन्द्र से 21 नवम्बर, 1963 से अब तक कई रॉकेट सफलतापूर्वक छोड़े जा चुके हैं।

अन्य विभागों-द्वारा अनुसन्धान-कार्य

केन्द्रीय सिंचाई तथा बिजली-मण्डल के तत्वावधान में देश में 11 जलगति (हाइड्रौलिक) अनुसन्धान-केन्द्र हैं। पूना के निकट खडकवासला-स्थित केन्द्रीय पन-बिजली तथा सिंचाई-अनुसन्धान-केन्द्र इनमें प्रमुख है।

परिवहन तथा असैनिक उड्डयन-मन्त्रालय के अधीन स्थापित अनुसन्धान तथा विकास-निदेशालय विमान-निर्माण के कार्यों की देखभाल करता है।

कलकत्ता-स्थित भारत की वनस्पति-सर्वेक्षण-संस्था देश की वनस्पति-सम्पत्ति से सम्बन्धित कार्य करती है। एक केन्द्रीय वनस्पति-प्रयोगशाला और कलकत्ता के राष्ट्रीय सूखे पौधे तथा वनस्पति-संग्रहालय के अतिरिक्त इलाहाबाद, देहरादून, कोयमुत्तूर, पूना तथा शिलङ्ग में इसके प्रादेशिक केन्द्र हे। इसकी ओर से शिवपुर (हावड़ा) में भी एक भारतीय वनस्पति-उद्यान है।

भारत की प्राणिविज्ञान-सर्वेक्षण-संस्था प्राणिविज्ञान-सम्बन्धी मानक वस्तुओं का तथा भारत की भौगोलिक प्राणिविज्ञान-सम्बन्धी जानकारी का संग्रह करती है। जबलपुर, जोधपुर, देहरादून, पटना, पूना, मद्रास तथा शिलङ्ग में इसके सात प्रादेशिक केन्द्र हैं।

भारत की भू-विज्ञान-सर्वेक्षण-संस्था भारत के भू-विज्ञान-सम्बन्धी मानचित्र तैयार करती है। इसके अधीन 8 प्रादेशिक केन्द्र है।

कलकत्ता-स्थित अपने मुख्यालय-सहित भारत की नृतत्व-सर्वेक्षण-संस्था देश में तत्सम्बन्धी सर्वेक्षण-कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। यह संस्था अनसन्धान-कार्य भी करती है। नागपुर, मैसूर तथा शिलङ्ग और अन्दमान तथा निकोबार-द्वीप समूह में इसके प्रादेशिक केन्द्र हैं।

1875 में पूरे देश के आधार पर सर्वप्रथम संगठित भारतीय मौसम-विज्ञान-विभाग मौसम-सम्बन्धी स्थिति की पूर्व-सूचनाए देने का कार्य करता है।

नई दिल्ली में अपने मुख्यालय-सहित राष्ट्रीय अनुसन्धान-विकास-निगम का मुख्य कार्य वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्, सरकारी विभागो, विश्वविद्यालयों, अनुसन्धान-संस्थानो तथा व्यक्तियो के पेटेण्ट तथा पेटेण्ट-भिन्न आविष्कारो का, लोक हित मे लाभ तथा अन्य दृष्टि से, विकास तथा पूरा-पूरा उपयोग करना है।

देहरादून-स्थित भारतीय सर्वेक्षण-संस्था तलरूप-सर्वेक्षण करती है तथा भारत का अद्यावधिक मानचित्र तैयार करती है।

देहरादून की वन-अनुसन्धान-संस्था भवन-निर्माण के लिए इमारती लकड़ी के उपयोग से सम्बन्धित अनुसन्धान-कार्य करती है।

नई दिल्ली में आकाशवाणी का एक अनुसन्धान-एकाश रेडियो-तरंगो तथा रेडियो-रिसीवरों की डिजाइन तथा कार्यकुशलता-सम्बन्धी समस्याओं की जांच करता है।

रेल-कारखानों की समस्याओ के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करने के लिए रेल-मण्डल ने लखनऊ में एक अनुसन्धान-केन्द्र खोल रखा है जिसके दो उपकेन्द्र लोणावला तथा चित्तरंजन में हैं।

सड़क-विकास तथा सड़क-निर्माण-सामग्री, राजपथों तथा पुलों के निर्माण और बन्दरगाह-सम्बन्धी समस्याओ को हल करने का कार्य परिवहन-मन्त्रालय के अधीन स्थापित सड़क-संगठन करता है।

अन्य संस्थाएं

वैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में देश में और भी कई अनुसन्धान-संगठन कार्य कर रहे हैं जिनके लिए वित्त की व्यवस्था गैर-सरकारी संस्थाएं करती हैं अथवा उन्हें सरकार सहायता देती है। इनमें बीरबल-साहनी-वनस्पतिविज्ञान-संस्था, लखनऊ; बोस-संस्था, कलकत्ता; भारतीय विज्ञान-प्रोत्साहन-संघ, कलकत्ता; भारतीय विज्ञान-संस्था, बंगलोर; भौतिकीय अनुसन्धानशाला, अहमदाबाद; महाराष्ट्र-विज्ञान-प्रचार-संघ, पूना तथा श्रीराम-औद्योगिक अनुसन्धान-संस्था, दिल्ली प्रमुख हैं।

चिकित्सा-अनुसन्धान

1912 में स्थापित भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद् देश में होनेवाले चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्यों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। कलकत्ता, पूना, बम्बई, मद्रास तथा हैदराबाद में इसके अनुसन्धान-केन्द्र हैं।

दिल्ली की राष्ट्रीय संचारी रोग-संस्था (भारत की भूतपूर्व मलेरिया-संस्था) में संचारी रोगों के सम्बन्ध में शोधकार्य किया जाता है।

1956 में नई दिल्ली में स्थापित अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान-संस्था एक संसदीय अधिनियम के अनुसार चिकित्सा-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के सम्बन्ध में शोध करती है।

चिकित्सा-कालेजों तथा सम्बद्ध चिकित्सालयों के अतिरिक्त देश में विशेष अध्ययन के लिए अनेक संस्थाएं हैं। कलकत्ता की अखिल भारतीय सफाई-विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य-संस्था में उन लोगों के लिए चिकित्सा-सम्बन्धी तथा निरोधात्मक औषधि के प्रयोग का परीक्षण किया जाता है जो भारत के लिए नई है। कलकत्ता के ऊष्णप्रदेशीय (ट्रॉपिकल) औषधि-विद्यालय में ऊष्णप्रदेशीय क्षेत्रों के रोगों के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया जाता है। दिल्ली का ग्रामीण स्वास्थ्य-प्रशिक्षण-केन्द्र ग्रामीण स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में शोध करता है।

गिण्डि (मद्रास) स्थित किंग-निरोधात्मक औषधि-संस्था में कीटाणुओं से फैलने-वाले रोगों के बारे में अनुसन्धान किया जाता है तथा टीके तैयार किए जाते हैं।

1962 में नई दिल्ली में स्थापित केन्द्रीय परिवार-नियोजन-संस्था भारत में तत्सम्बन्धी अभियान के विभिन्न पहलुओं के ज्ञान के प्रसार का काम करती है।

दिल्ली की वल्लभभाई पटेल-वक्ष-संस्था में क्षय-रोग तथा अन्य वक्ष-रोगों के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया जाता है।

चेंगलपट्टु की केन्द्रीय कुष्ठ-शिक्षण तथा अनुसन्धान-संस्था में कुष्ठ-रोग-सम्बन्धी सभी प्रकार का अनुसन्धान किया जाता है।

बम्बई की हॉफकिन-संस्था में बड़े पैमाने पर टीके तैयार किए जाते हैं। प्लेग की रोकथाम तथा इलाज का यह प्रमुख केन्द्र है। अब पौष्टिक आहार, मलेरिया तथा विषाणुजनित (वॉयरस) रोगों के क्षेत्र में भी इस संस्था ने कार्य आरम्भ कर दिया है।

बम्बई के भारतीय कैंसर-अनुसन्धान-केन्द्र में कैंसर के सम्बन्ध में खोज की जाती है। यह केन्द्र भारत में कैंसर की व्यापकता के बारे में सर्वेक्षण कर रहा है।

कसौली की केन्द्रीय अनुसन्धान-संस्था में जीव-रसायन आदि की समस्याओं की जांच-पड़ताल की जाती है। इस सस्था का अपना एक सग्रहालय भी है।

कूनूर्-स्थित पैस्ट्योर-संस्था मे इन्फ्ल्यूएंजा तथा पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न रोगों (रैबीज) आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य किया जाता है।

केन्द्रीय भेषज-प्रयोगशाला, कलकत्ता मे औषधियो का रासायनिक अनुसन्धान किया जाता है।

इनके अतिरिक्त अन्य गैर-सरकारी अनुसन्धान-सगठनों मे बगाल-व्याधि उन्मुक्ति-अनुसन्धान-सस्था विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

कृषि-अनुसन्धान

1929 में स्थापित तथा जनवरी 1966 में पूर्ण स्वतन्त्र तथा केन्द्रीय संस्था के रूप में पुन सगठित भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् कृषि तथा पशुपालन-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य को प्रोत्साहन देती है। कृषि-अनुसन्धान-सांख्यिकी-सस्था कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्र में सांख्यिकी की विधियां लागू करने का शोधकार्य करती है।

दिल्ली की भारतीय कृषि-अनुसन्धान-सस्था कृषि-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य करनेवाली सबसे पुरानी सस्था है। खाद्य फसलो के बारे में जाच करने के लिए इस सस्था में एक प्रयोगशाला तथा विस्तृत खेत हैं। इसने एक बार भग कर दी गई केन्द्रीय जिन्स-समितियो की सभी अनुसन्धानशालाओ तथा अनुसन्धान-संस्थानो को भी अपने हाथ में ले लिया है।

इज्जतनगर की भारतीय पशु-चिकित्सा-अनुसन्धान-सस्था मे पशुओं के रोगों का अध्ययन तथा उपचार होता है। करनाल की राष्ट्रीय दुग्धशाला-अनुसन्धान-संस्था में किस्म-नियन्त्रण के उद्देश्य से दूध के नमूनो का विश्लेषण किया जाता है। कटक की केन्द्रीय चावल-अनुसन्धान-सस्था तथा शिमला की केन्द्रीय आलू-अनुसन्धान-संस्था में क्रमश चावल तथा आलू-सम्बन्धी अनुसन्धान किए जाते हैं।

मण्डपम्-स्थित केन्द्रीय तटवर्ती मछली-अनुसन्धान-केन्द्र में समुद्रतट पर पाई जानेवाली खाद्य मछलियो की जाच-पडताल की जाती है।

ब्याराकपुर का केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली-अनुसन्धान-केन्द्र तालाबों तथा नदियों में पाई जानेवाली (अन्तर्देशीय) मछलियों के सम्बन्ध में जाच-पड़ताल करता है।

कोचीन तथा एर्णाकुलम् के केन्द्रीय मछली औद्योगिक अनुसन्धान-केन्द्रों में मछली पकड़ने के सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री और मछली तथा मछली-उत्पादनों के परिरक्षण के बारे में अध्ययन किया जाता है।

अध्याय 8

स्वास्थ्य

भारत के लोगों के सामान्य स्वास्थ्य मे निरन्तर हो रहे सुधार की जानकारी निम्न सारणी से प्राप्त होती है जिसमें जन्म के समय अपेक्षित आयु और जन्म-दर तथा मृत्यु-दर दिखाई गई है :

सारणी 6

स्वास्थ्य-सम्बन्धी आकड़े

जन्म के समय अपेक्षित आयु			प्रति सहस्र जन्म-दर तथा मृत्यु-दर		
वर्ष	पुरुष	स्त्रियां	वर्ष	जन्म-दर	मृत्यु-दर
	(वर्ष)	(वर्ष)			
1941-50	32 5	31.7	1941-50	39.9	27.4
1956	41 9	40.6	1951-60	41.7	22.8
1963	48 7	47.4	1961-65	41.0	17.2

मूलतः स्वास्थ्य-कार्यक्रम का दायित्व राज्य-सरकारो पर है। केन्द्रीय सरकार पचवर्षीय योजनाओ के अधीन देश में स्वास्थ्य के स्तर मे सुधार करने की बडी योजनाएं आरम्भ करती है तथा उनके लिए सहायता देती है। स्वास्थ्य तथा परिवार-नियोजन-कार्यक्रमो का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य-सेवाओ में वृद्धि करना, लोगो के स्वास्थ्य मे उत्तरोत्तर सुधार करना और अधिकाधिक कार्यकुशलता तथा उत्पादन-क्षमता के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है। पहली तथा दूसरी योजना मे स्वास्थ्य तथा परिवार-नियोजन-कार्यक्रमो पर हुए क्रमश. 1.4 अर्ब रुपये तथा 2.25 अर्ब रुपये के व्यय की तुलना में तीसरी योजना मे 3 अर्ब 41 करोड़ 80 लाख रुपये व्यय किए गए।

रोगों की रोकथाम तथा उनका नियन्त्रण

मलेरिया

1953 मे प्रारम्भ किया गया राष्ट्रीय मलेरिया-नियन्त्रण-कार्यक्रम 1 अप्रैल, 1958 से राष्ट्रीय मलेरिया-उन्मूलन-कार्यक्रम मे बदल दिया गया। यह कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार-द्वारा राज्य-सरकारो के सहयोग और अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास-संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य-संगठन की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। अनुसन्धान तथा जाच-पड़ताल का और सस्था के चिकित्सा-अधिकारियो तथा जिला-स्वास्थ्य-कर्मचारियो को मलेरिया-उन्मूलन का प्रशिक्षण देने का दायित्व राष्ट्रीय संचारी रोग-सस्था पर है। बंगलोर, बड़ौदा, भुवनेश्वर, लखनऊ, शिलङ तथा हैदराबाद में छः समन्वय-संगठन स्थापित किए गए है।

सम्पूर्ण देश में 393.25 मलेरिया-एकांश काम कर रहे हैं। मलेरिया के रोगियों की कुल संख्या, जो 1950-51 में अनुमानतः 10 करोड़ थी, घटकर 1964-65 में 87,000 रह गई। 1965-66 में केरल से यह रोग बिल्कुल लुप्त हो गया। अन्य राज्यों में प्रगति जारी है।

फाइलेरिया

1955 में आरम्भ किए गए राष्ट्रीय फाइलेरिया-नियन्त्रण-कार्यक्रम के अधीन इस रोग से पीड़ित रोगियों को ओषधियां बांटी जाती है तथा मच्छरों का नाश करने के उपाय किए जाते हैं। इस समय 67.4 नियन्त्रण-एकांश कार्य कर रहे हैं। लगभग 2.819 करोड़ व्यक्तियों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है जिससे प्रकट हुआ कि देश में 12.2 करोड़ से अधिक व्यक्ति फाइलेरिया-ग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं। कोज़ीकोड, राजमण्ड्रि तथा वाराणसी के फाइलेरिया-प्रशिक्षण-केन्द्रों ने इन स्थानों का सर्वेक्षण किया। तीसरी योजना की अवधि में आन्ध्रप्रदेश, केरल तथा मध्यप्रदेश में विशेष फाइलेरिया-कार्यालय खोले गए।

क्षयरोग

अनुमान है कि देश में लगभग 60-70 लाख व्यक्ति क्षयरोग से पीड़ित हैं। 1949 में प्रारम्भ हुए बी० सी० जी० टीका-आन्दोलन के अधीन दूसरी योजना के अन्त तक 16.4 करोड़ व्यक्तियों को, जिनमें से 7.8 करोड़ व्यक्ति 15 वर्ष से कम वय के थे, क्षयरोग से सुरक्षा प्रदान की गई। 1965 में 86.3 लाख व्यक्तियों की जांच की गई तथा 54.34 लाख व्यक्तियों को टीके लगाए गए। इस काम में 197 क्षयरोग-निवारक टुकड़ियां लगी हुई हैं।

तीसरी योजना की अवधि में पांच क्षयरोग-प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण-केन्द्र खोले जानेवाले थे। आठ केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। 1966-67 में एक नया केन्द्र खोला जानेवाला है। दिल्ली की वल्लभभाई पटेल-वक्ष-संस्था-जैसी अन्य कई संस्थाओं में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। 10 विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण-केन्द्रों में भी चिकित्सकों को क्षयरोग-सम्बन्धी डिप्लोमा-पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-कोप तथा विश्व स्वास्थ्य-संगठन की सहायता से बंगलौर में स्थापित राष्ट्रीय क्षयरोग-संस्था में राज्यों में जिला-क्षयरोग-नियन्त्रण-कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए चिकित्सा-अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। देश में इस समय 34,517 रोगीशय्याओं से युक्त 427 क्षयरोग-उपचारालय हैं। अब तक 27 चलते-फिरते एक्स-रे-एकांश स्थापित किए जा चुके हैं।

मद्रास के क्षयरोग-रसायन-चिकित्सा-केन्द्र तथा मदनपल्लि के क्षयरोग-शोध-एकांश में शोधकार्य चल रहा है। मदनपल्लि-क्षेत्र-अनुसन्धान-एकांश-द्वारा मदनपल्लि में तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में किए गए अध्ययन से पता चला कि बारह वर्षों की अवधि में टीकों तथा उपचार के द्वारा इसका प्रकोप अब आधा ही रह गया है।

भारत का क्षयरोग-संघ सबसे बड़ा स्वयंसेवी सगठन है जो अपनी स्थापना (1939) के समय से वैज्ञानिक तथा समन्वित ढग से क्षयरोग के उन्मूलन का कार्य करता आ रहा है। यह संघ ऐसे अनेक सस्थान भी चला रहा है जिनमें कर्मचारियों को क्षयरोग के बारे में प्रशिक्षण देने तथा क्षयरोगियो की चिकित्सा की नवीनतम विधियो का प्रदर्शन करने की व्यवस्था है।

कुष्ठरोग

देश में लगभग 25 लाख व्यक्तियो के कुष्ठरोग से पीडित होने का अनुमान लगाया गया है। लगभग 20 प्रतिशत लोगो के रोगग्रस्त होने का कारण रोग-संक्रामकता है। इसका प्रकोप आन्ध्रप्रदेश तथा मद्रास में अधिक और उड़ीसा, उत्तरप्रदेश (पूर्वी भाग), पश्चिम-बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र तथा मैसूर में कुछ कम है।

1955 में आरम्भ हुई राष्ट्रीय कुष्ठरोग-नियन्त्रण-योजना के द्वारा इसकी काफी रोकथाम हो रही है। इस समय देश मे 174 नियन्त्रण-एकाश है। प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रो से सम्बद्ध 694 सर्वेक्षण, शिक्षा तथा उपचार-केन्द्र और 30 स्वयंसेवी सगठन इस योजना के अधीन कार्य कर रहे है। दिसम्बर 1965 तक 2.58 करोड व्यक्तियो की जाच की गई; 5,49,532 रोगियो का पता चला तथा 5,09,718 व्यक्तियो का उपचार किया गया।

नागपुर के अखिल भारत-कुष्ठरोग-प्रशिक्षण-केन्द्र तथा चेंगलपट्टु (मद्रास) की केन्द्रीय कुष्ठ-शिक्षण तथा शोध-संस्था मे चिकित्सको के लिए कुष्ठरोग-सम्बन्धी अल्पकालीन परिचय-पाठ्यक्रमो की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा-कर्मचारियो को दस केन्द्रो में प्रशिक्षण दिया जाता है।

1875 मे स्थापित 'मिशन टु लेपर्स' नामक एक स्वयसेवी सगठन, हिन्द-कुष्ठ-निवारण-सघ, महारोगी-सेवा-मण्डल, गान्धी-स्मारक कुष्ठ-प्रतिष्ठान, रामकृष्ण-मिशन तथा विदर्भ-महारोगी-सेवा-मण्डल भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे है।

यौन-रोग

16 वर्ष पूर्व अनुमान था कि लगभग 5 प्रतिशत व्यक्ति उपदश (सिफलिस) रोग से पीडित थे और लगभग इतने ही व्यक्ति सूज़ाक (गनोरिया) से। आन्ध्र-प्रदेश, उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ जिलो मे 'याज़' रोग फैला हुआ है।

1949 में विश्व स्वास्थ्य-सगठन-द्वारा हिमाचलप्रदेश मे नियुक्त एक प्रदर्शन-टुकड़ी ने सर्वेक्षण तथा लोगो का उपचार करने का कार्य किया और राज्य-सरकारो-द्वारा भेजी गई टुकड़ियो को प्रशिक्षण दिया।

योजना-आयोग के स्वास्थ्य-विभाग की यौन-रोग-सम्बन्धी उपसमिति ने 1953 में स्थिति पर विचार किया और देश मे इस रोग के उपचार-केन्द्रों का

काफी अभाव बताया। उपसमिति ने प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक यौनरोग-उपचारालय और प्रत्येक राज्य मे एक मुख्य उपचारालय तथा एक प्रयोगशाला खोले जाने पर ज़ोर दिया। दूसरी और तीसरी योजनाओं की अवधियों में क्रमश: 5 राज्यीय मुख्य उपचारालय तथा 95 जिला-उपचारालय और 2 मुख्य उपचारालय तथा 40 जिला-उपचारालय खोले गए।

सितम्बर 1959 में पंजाब की कुल्लू-घाटी की सम्पूर्ण जनसंख्या के उपचार का कार्य आरम्भ किया गया। आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र में याज-निरोधक टुकड़ियो ने अधिकांश लोगो का उपचार किया। उत्तरप्रदेश के सीमान्त क्षेत्रो तथा देहरादून-जिले के जौनसारबावर-क्षेत्र में यौनरोग-विरोधी सघन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

नई दिल्ली के प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन-केन्द्र और मद्रास की यौन-रोग-विज्ञान-संस्था में चिकित्सा-कर्मचारियो के लिए यौन-रोग के आधुनिकतम उपचार के प्रशिक्षण तथा स्नातकोत्तर-प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

इन्फ्ल्युएंज़ा

कुनूर की पैस्ट्योर-संस्था मे 1950 में एक इन्फ्ल्युएंज़ा-केन्द्र खोला गया था। इस केन्द्र में इन्फ्ल्युएंज़ा से सम्बन्धित समस्याओ का अध्ययन तथा उनके बारे में अनुसन्धान किया जाता है।

चेचक

1962 मे आरम्भ हुआ राष्ट्रीय चेचक-उन्मूलन-कार्यक्रम 223 जिलो में पूरा हो चुका है और अन्य 101 जिलो में जारी है। 43.9 करोड़ व्यक्तियो को एक अथवा दो बार टीके लगाए जा चुके हैं। 1963-64 में इसका प्रकोप कम होने से पता चला कि यह कार्यक्रम काफी सफल रहा।

कोढ़

राष्ट्रीय कोढ़-रोग-नियन्त्रण-कार्यक्रम 1963-64 में आरम्भ हुआ। सबसे अधिक प्रकोपवाले क्षेत्रों—उत्तरप्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान—को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई। कार्यक्रम गुजरात, जम्मू-कश्मीर, बिहार तथा मध्यप्रदेश में भी आरम्भ किए गए हैं। इस समय 56 क्षेत्र-एकांश अपना काम कर रहे हैं। 1964-65 के अन्त तक 31.06 लाख व्यक्तियो का उपचार हुआ। 1965-66 तक इस सम्बन्ध में तीसरी योजना के निर्धारित लक्ष्य (55.4 लाख) से अधिक व्यक्तियों का उपचार किए जाने की आशा थी।

कैंसर

कैंसर-सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन का कार्य बम्बई के टाटा-स्मारक चिकित्सालय तथा भारतीय कैंसर-अनुसन्धान-केन्द्र, मद्रास की कैंसर-संस्था, कलकत्ता के राष्ट्रीय चित्तरंजन-अनुसन्धान-केन्द्र, हैदराबाद की रेडियम-संस्था तथा कैंसर-

चिकित्सालय, कलकत्ता के चित्तरंजन-कैंसर-चिकित्सालय, कानपुर की कैंसर-संस्था, नेयूर् के मिशन-चिकित्सालय और आगरा के एस० एम० एस० चिकित्सा-कालेज में होता है। चन्दननगर में भी एक क्षेत्र-अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किया जा चुका है। देश के 18 चिकित्सालयों में 'कोबाल्ट बीम थेरापी-एकांश' हैं।

पोषण तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट का निवारण

भारत मे 1935 से हो रहे सर्वेक्षणो मे पता चलता है कि मात्रा तथा पौष्टिक पदार्थों की दृष्टि से भारतीयो का भोजन पूर्ण नही है। भारतीयो के भोजन में प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ, खनिज तथा विटामिन-जैसे आवश्यक खाद्य तत्वों का अभाव रहता है।

भोजन की पौष्टिकता मे वृद्धि करना मुख्यत एक आर्थिक समस्या है जिसका सम्बन्ध भारत की अर्थ-व्यवस्था के विकास से है। फिर भी गर्भवती स्त्रियों, दूध पिलाने-वाली माताओं, विद्यालयों के विद्यार्थियो तथा औद्योगिक मजदूरों-जैसे कुछ वर्गों के लोगो मे पौष्टिक पदार्थों के अभाव की पूर्ति करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे है।

सयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल-सकट-कोष के दूध-वितरण-कार्यक्रम के अधीन 1948 से अब तक 16 करोड पौण्ड से अधिक दूध-चूर्ण बाटा गया। कुल 21 लाख माताओं तथा बच्चो को दूध मिला। 80 लाख बच्चों को दोपहर का भोजन अथवा दूध दिया जाता है।

राष्ट्रीय पोषण-नीति तैयार करने के लिए जून 1960 मे स्थापित भारतीय चिकित्सा-शोध-परिषद् की राष्ट्रीय पोषण-परामर्श-समिति भारत-सरकार को पोषण-सम्बन्धी मामलों मे परामर्श देने के अतिरिक्त पोषण-शोध-सम्बन्धी योजनाए तैयार करती है और उनके सम्बन्ध मे नीति निर्धारित करती है। भोजन-मानकीकरण-उपसमिति तथा मजदूर-परिवार-पोषण-उपसमिति ने अपनी-अपनी रिपोर्टें दे दी हैं।

कलकत्ता की अखिल भारतीय स्वास्थ्य-विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य-संस्था-द्वारा 1947 से आहार-शास्त्रियों के लिए डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पंजाब, पश्चिम-बगाल, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र मे पोषण के अभाव के कारण उत्पन्न रोगों के उपचार के लिए 12 आहार-घर स्थापित किए गए है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल-सकट-कोष, खाद्य तथा कृषि-सगठन और विश्व स्वास्थ्य-सगठन की सहायता से आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम-बगाल, मद्रास, मध्यप्रदेश, मैसूर तथा हिमाचलप्रदेश मे एक पोषण तथा प्रशिक्षण-कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट का निवारण

'खाद्य पदार्थ-मिलावट-निवारण-अधिनियम 1954' तथा इसके अधीन बनाए गए नियम सम्पूर्ण देश में लागू हैं और अपराधियों को कड़ा दण्ड देने की

व्यवस्था है। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय खाद्य-मानक-समिति तथा केन्द्रीय खाद्य-प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। अधिनियम को अधिक कारगर बनाने के लिए संसद् ने 1964 में इसमें संशोधन करके मिलावट के लिए अधिक सज़ा देने की व्यवस्था की। यह संशोधन 1 मार्च, 1965 से लागू हो गया।

जल-पूर्ति तथा सफाई

राष्ट्रीय जल-पूर्ति तथा सफाई-कार्यक्रम

1954 में आरम्भ किया गया राष्ट्रीय जल-पूर्ति तथा सफाई-कार्यक्रम तीसरी योजना की अवधि में भी जारी रहा। तीसरी योजना के अन्तर्गत शहरी योजनाओं के लिए 88.95 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण योजनाओं के लिए 16.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 369 में से अधिकांश शहरी जलपूर्ति-योजनाओं, 100 शहरी नाली-योजनाओं और 148 ग्रामीण जल-पूर्ति तथा सफाई-योजनाओं का काम, जिन पर प्रथम दो योजनाओं में 1 अर्ब 2 करोड़ 17 लाख रुपये व्यय हुए, पूरा हो चुका है। तीसरी योजना की अवधि में और अधिक सघन कार्य किया गया।

इस कार्यक्रम के लिए अपेक्षित लोक स्वास्थ्य-इंजीनियरी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था है। प्रशिक्षण-कार्यक्रम कलकत्ता, गिण्डि (मद्रास), रुड़की तथा अन्य प्रादेशिक केन्द्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों को अपनी योजनाएं बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में प्राविधिक परामर्श देने के लिए केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य-इंजीनियरी-संगठन स्थापित किया गया है।

चिकित्सा-सहायता तथा चिकित्सा-सेवा

चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्यों पर है। इस सम्बन्ध में कुछ धर्मार्थ संस्थाओं से भी सहायता मिलती है। तीसरी योजना का उद्देश्य 1965-66 में 2,40,100 रोगीशय्याओं से युक्त 14,600 चिकित्सालय तथा औषधालय खोलने का है। 1965-66 के लिए 5,000 प्राथमिक स्वास्थ्य-एकांशों की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया है। 1965-66 तक 10,000 मातृ तथा शिशु-कल्याण-केन्द्र स्थापित हो जाएंगे। 1964 के अन्त में 2,76,226 रोगीशय्याओं से युक्त 4,503 चिकित्सालय तथा 10,511 औषधालय स्थापित किए गए और 4,373 प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों तथा 8,444 मातृ तथा शिशु-कल्याण-केन्द्रों का काम भी चालू था।

1964 के अन्त में 1,03,024 चिकित्सक, 73,000 औषधि-विक्रेता तथा 65,063 नर्सें थीं। देश में 5,259 दन्तचिकित्सक थे।

केन्द्रीय सरकार-स्वास्थ्य-योजना

1 जुलाई, 1954 से आरम्भ की गई और प्रारम्भ में दिल्ली तथा नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों तक ही सीमित यह योजना नवम्बर 1963 से बम्बई के लिए भी लागू कर दी गई। ये सुविधाएं कुछ स्वायत्तशासी तथा अर्द्धसरकारी संगठनों के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को भी दी जा रही हैं।

चन्दा 50 पैसे से लेकर 12 रु० तक का मासिक देना पड़ता है। केन्द्रीय सरकार के निवृत्तिवेतन-भोगी व्यक्ति इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। निर्धारित शुल्क देने पर इस योजना का लाभ कुछ क्षेत्रों के जनसाधारण भी प्राप्त कर सकते हैं।

आयुर्वेदिक अध्ययन तथा अनुसन्धान-संस्था

आयुर्वेदिक अध्ययन तथा अनुसन्धान-संस्था की स्थापना के उद्देश्य से 1953 में जामनगर में स्थापित केन्द्रीय देशी चिकित्सा-प्रणाली-अनुसन्धान-संस्था को आयुर्वेद के स्नातकोत्तर-प्रशिक्षण-केन्द्र तथा गुलाबकुंवरबा-आयुर्वेद-महाविद्यालय के साथ मिला दिया गया है। इस संस्था के चिकित्सालयों में 214 रोगीशय्याओं की व्यवस्था है।

हरिद्वार-स्थित आयुर्वेदिक ओषधीय पौध-सर्वेक्षण-एकांश सहारनपुर, यमुनोत्तरी, गंगोत्तरी, केदार तथा भिलगना-घाटियों के क्षेत्रों में समय-समय पर सर्वेक्षण करता रहता है।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी प्रणालियों के अनुसन्धान की तदर्थ योजनाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देश में आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-प्रणालियों के अध्ययन-अध्यापन के लिए 50 से अधिक कालिज तथा विद्यालय हैं।

शिक्षा

जामनगर का स्नातकोत्तर-आयुर्वेदिक प्रशिक्षण-केन्द्र अब आयुर्वेदिक अध्ययन तथा अनुसन्धान-संस्था का ही एक अंग घोषित कर दिया गया है। अप्रैल 1963 से ऐसा दूसरा केन्द्र बनारस-हिन्दू-विश्वविद्यालय में चालू है। एक केन्द्रीय शुद्ध आयुर्वेदिक शिक्षा-मण्डल भी स्थापित किया गया है। राज्य-सरकारों से कहा गया है कि वे अपने यूनानी-चिकित्सा-कालेजों में 1966-67 के सत्र से वह यूनानी-चिकित्सा-पाठ्यक्रम लागू करें जिसे तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त कर दी गई है। देशी प्रणालियों की चिकित्सा का नियमन करने के लिए लगभग सभी राज्यों में राज्य-मण्डल स्थापित कर दिए गए हैं।

होमियोपैथी

इस समय 30 से अधिक संस्थाएं होमियोपैथी का प्रशिक्षण देती हैं जिनमें से कुछेक को राज्य-मण्डलों से मान्यता प्राप्त है। एक होमियोपैथी-सलाहकार समिति केन्द्रीय सरकार को इसके विकास के सम्बन्ध में परामर्श देती है। इस प्रणाली के अध्ययन के लिए एक-सा पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए दो उपसमितियां नियुक्त की गईं हैं।

लोणावला-स्थित कैवल्यधाम एस० एम० वाई० एम० समिति में चिर-कालिक गल-शोथ (ब्रौन्काइटिस) तथा दमा के योगोपचार के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया जाता है। प्रकृति-निकेतन-न्यास ने कलकत्ता में एक नैसर्गिक उपचार-प्रशिक्षण-संस्था स्थापित की है। नैसर्गिक उपचार का प्रशिक्षण भीमावरम्, जयपुर तथा वाराणसी में भी दिया जाता है।

भेषज-निर्माण तथा नियन्त्रण

भेषज-नियन्त्रण

भेषज-अधिनियम तथा भेषज-नियम जम्मू-कश्मीर को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में लागू हैं। भेषज-अधिनियम को लागू करने की प्राविधिक बातों के बारे में परामर्श देने के लिए एक भेषज-प्राविधिक सलाहकार मण्डल तथा इस अधिनियम को देश-भर में समान रीति से लागू करने के लिए केन्द्र और राज्य-सरकारों को परामर्श देने के उद्देश्य से भेषज-सलाहकार समिति की स्थापना की गई है।

सर्वप्रथम भारतीय भेषज-संहिता 1955 में प्रकाशित हुई तथा 1960 में इसका पूरक पत्र प्रकाशित हुआ। 1960 में भारत की राष्ट्रीय सूत्र-संहिता भी प्रकाशित हुई। इन दोनों प्रकाशनों के परिवर्द्धित संस्करण तैयार किए जा रहे हैं। 1 जनवरी, 1964 को लाइसेंसप्राप्त ओषधि-निर्माताओं की अखिल भारतीय सूची भी प्रकाशित की गई।

कलकत्ता-स्थित केन्द्रीय भेषज-प्रयोगशाला में भेषजों के नमूनों की जांच-पड़ताल की जाती है।

'ओषधि तथा जादू-टोना-द्वारा उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम'

1 अप्रैल, 1955 से लागू तथा 1963 में संशोधित इस अधिनियम के अनुसार उन सभी आपत्तिजनक विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया जिनमें यौन-रोगों तथा स्त्री-रोगों के अद्भुत उपचार तथा वासनोत्तेजक ओषधियों का प्रचार किया जाता है। परिवार-नियोजन के महत्व को देखते हुए गर्भनिरोधक उपायों के बारे में विज्ञापन देने की अनुमति अवश्य दे दी गई है।

भेषज-निर्माण

मद्रास के गिण्डि नामक स्थान में 1948 में बी० सी० जी० टीका-प्रयोगशाला स्थापित की गई। फरवरी 1966 तक इसमें 3,75,64,008 सी० सी० बी० सी० जी० के टीके तथा 6,06,60,037 सी० सी० यक्ष्मि (ट्यूबरकुलिन) तैयार की गई। यह प्रयोगशाला सभी राज्यों तथा बी० सी० जी० आन्दोलन में लगी संस्थाओं को और अफगानिस्तान तथा श्रीलंका को यक्ष्मि तथा बी० सी० जी० के टीके देती है। पाकिस्तान, बर्मा तथा मलयशिया में सं० रा० अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-कोष-द्वारा संचालित परियोजनाओं के लिए भी टीके इसी प्रयोगशाला से जाते हैं।

1905 में स्थापित कसौली की केन्द्रीय अनुसन्धान-संस्था में टी० ए० बी०, हैजा, पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न रोगों तथा इन्फ्लुएंज़ा आदि के लिए वैक्सीन तैयार किए जाते हैं। पिम्परी-स्थित 'हिन्दुस्तान-एण्टीबॉयोटिक्स (लिमिटिड)', तथा दिल्ली-स्थित डी० डी० टी० कारखाने में 1955 में उत्पादन-कार्य प्रारम्भ हो गया।

बम्बई की हॉफकिन-संस्था में सल्फा-भेषज तैयार किए जाते हैं। 'इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज़ (इण्डिया) लिमिटेड' तथा टाटा-उद्योग बी० एच० सी० (बेंज़ीन हैक्ज़ाक्लोराइड) तैयार करते हैं।

करनाल, कलकत्ता, बम्बई, गुवाहाटी, मद्रास तथा हैदराबाद में 6 भेषज-डिपो हैं जो सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं को उपयुक्त किस्म की ओषधियां देते हैं।

शिक्षा तथा प्रशिक्षण

चिकित्सा-सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था करना सामान्यतः राज्यों का कर्तव्य है। भारत-सरकार का कार्यक्षेत्र उच्चतर अध्ययन और अनुसन्धान तथा विशेष प्रशिक्षण की विशिष्ट योजनाओं तक सीमित है।

इस समय देश में 87 चिकित्सा-कालेज, 13 दन्तचिकित्सा-कालेज तथा एलोपैथी-चिकित्सा-प्रणाली का प्रशिक्षण देनेवाली 11 अन्य संस्थाएं हैं। चिकित्सा-सम्बन्धी-शिक्षा में विस्तार के फलस्वरूप 1965 में चिकित्सा-शिक्षा-संस्थानों में 10,625 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया जबकि 1955 में केवल 3,660 विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया गया था। तीसरी योजना की अवधि में अमृतसर, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा लखनऊ के दन्तचिकित्सा-कालेजों का विस्तार करने और हैदराबाद तथा त्रिरुवनन्तपुरम् में नए दन्तचिकित्सा-कालेज खोलने के लिए भी सहायता दी गई। चुने हुए चिकित्सकों को विभिन्न चिकित्सा-प्रणालियों तथा शल्य-चिकित्सा का स्नातकोत्तर-प्रशिक्षण देने के लिए कुछ चिकित्सा-शिक्षा-संस्थानों का स्तर ऊंचा किया गया है।

तीसरी योजना में चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा-कालेजों के खोले जाने तथा विस्तार की योजनाएं भी सम्मिलित हैं। स्नातकोत्तर-पाठ्यक्रमों की शिक्षा लेनेवाले शिक्षार्थियों के लिए 56.3 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई है। दिल्ली-चिकित्सालय-योजना के अधीन 1965-66 में 377 शिक्षार्थी छात्रवृत्तियों के लिए चुने गए।

केन्द्रीय स्वास्थ्य-शिक्षा-कार्यालय

नवम्बर 1956 में स्थापित यह कार्यालय विभिन्न राष्ट्रीय तथा राज्यीय स्वास्थ्य-कार्यक्रमों के माध्यम से देश में स्वास्थ्य-शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कार्य करता है। यह कार्यालय दो मासिक तथा दो त्रैमासिक पत्रिकाएं प्रकाशित करता है।

अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान-संस्था

1956 में नई दिल्ली में एक अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान-संस्था स्थापित की गई। इस संस्था में चिकित्सा-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं-सम्बन्धी अनुसन्धान और पूर्व-स्नातक-पाठ्यक्रम तथा कुछ विषयों के स्नातकोत्तर-पाठ्यक्रमों के अध्ययन की व्यवस्था है। एक चिकित्सा-कालेज के अतिरिक्त इस संस्था के अधीन एक दन्त-चिकित्सा-कालेज तथा एक डा० राजेन्द्रप्रसाद-चाक्षुप-विज्ञान-केन्द्र होंगे। 1964-65 में स्नायु-शल्यचिकित्सा (न्यूरोसर्जरी) तथा ग्रामीण ओषधि-सम्बन्धी दो नए विभाग खोले गए। एक चक्षु-कोष तथा मोग-उपचार (केराटोप्लास्टी) एकांश भी स्थापित किया जा चुका है।

इस समय इस संस्था के चिकित्सालय मे 555 रोगीशय्याओ की व्यवस्था है। इसका अपना एक पुस्तकालय भी है।

विशिष्ट प्रशिक्षण

नर्सों के प्रशिक्षण की सुविधाएं इन्दौर, जयपुर, नई दिल्ली, पूना, बम्बई, वेलूर तथा हैदराबाद के नर्सिग-कालेजो और देश के लगभग सभी बडे चिकित्सालयो मे उपलब्ध हैं। 1965 के अन्त तक देश के 491 नर्सिग-विद्यालयो तथा कालेजो मे 30,175 विद्यार्थियो को भर्ती किया गया जिनमे से 10,554 उत्तीर्ण हुए।

भारत की मलेरिया-सस्था की गतिविधियो में वृद्धि किए जाने के परिणामस्वरूप जुलाई 1963 में उद्घाटित राष्ट्रीय संचारी रोग-सस्था संचारी रोगो से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओ के सम्बन्ध में अध्ययन करनेवाला केन्द्र है। यह संस्था राष्ट्रीय फाइलेरिया-नियन्त्रण-कार्यक्रम का भी मार्गदर्शन करती है।

परिवार-नियोजन

योजना-आयोग के शब्दों मे परिवार-नियोजन-कार्यक्रम का उद्देश्य (क) देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारणो का सही-सही पता लगाना; (ख) परिवार-नियोजन के लिए उपयुक्त उपाय खोजना जिससे इसका व्यापक रूप से प्रचार किया जा सके और (ग) सरकारी चिकित्सालयों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य-संस्थाओ मे परिवार-नियोजन के बारे मे परामर्श देने की व्यवस्था करना है।

तीसरी योजना मे परिवार-नियोजन के लिए 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में कुल व्यय 25.55 करोड़ रुपये का हुआ होगा। इसमे यह बात मूल रूप मे मान ली गई है कि 'योजनाबद्ध विकास का केन्द्र-बिन्दु निश्चित अवधि के लिए जनसंख्या मे वृद्धि की निर्धारित दर बनाए रखना होना चाहिए।' 'देश की परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए परिवार-नियोजन को एक मुख्य विकास-कार्यक्रम के तौर पर ही अपनाना पर्याप्त नही है, बल्कि इसे एक ऐसे राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप मे अपनाने की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य व्यक्ति, परिवार तथा देश के लिए उन्नत जीवन सुलभ करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना हो।' इस कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा मे परिवार-नियोजन के लिए लोगो को शिक्षित करने तथा उनमे रुचि पैदा करने, तत्सम्बन्धी सेवाओं का प्रबन्ध करने, प्रशिक्षण देने, सामान जुटाने और इसके विभिन्न पक्षो के बारे मे अनुसन्धान करने की व्यवस्था की गई है।

संगठनात्मक रूप

परिवार-नियोजन-कार्यक्रम बनाने के लिए सितम्बर 1956 मे स्थापित केन्द्रीय परिवार-नियोजन-मण्डल के स्थान पर अब केन्द्रीय परिवार-नियोजन-परिषद् स्थापित कर दी गई है। परिषद् की पहली बैठक 31 दिसम्बर, 1965 को हुई। तीन बड़ी समितियां तथा राज्यो मे परिवार-नियोजन-मण्डल स्थापित किए गए है। एक परिवार-नियोजन-कार्यक्रम-मूल्यांकन तथा आयोजन-समिति

स्थापित की गई है । इनके अतिरिक्त जिला-समितियां तथा ताल्लुक-उपसमितियां भी बनाई गई है और अधिकाश राज्यों मे पूरे समय के परिवार-नियोजन-अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ।

केन्द्रीय सगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए हाल मे किए गए उपायों मे अगस्त 1965 मे हुई परिवार-नियोजन-आयुक्त की नियुक्ति भी सम्मिलित है। छ प्रादेशिक कार्यालय भी स्थापित किए गए है।

परिवार-नियोजन-सेवा/परिवार-नियोजन-केन्द्र

इस समय देश मे 1,341 शहरी तथा 6,783 ग्रामीण परिवार-कल्याण-आयोजन-केन्द्र है । इनके अतिरिक्त 1965 मे 9,971 चिकित्सा-संस्थानो के माध्यम से गर्भनिरोधक उपादान वितरित किए गए । पूरे समय के 172 चलते-फिरते विसङ्क्रमण-एकाशो के अतिरिक्त 2,300 चिकित्सालयो में विसङ्क्रमण की सुविधाए उपलब्ध है ।

शिक्षा तथा प्रशिक्षण

परिवार-नियोजन के सम्बन्ध मे लोगो को शिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रचार-साधनो का उपयोग किया जा रहा है । ।

कलकत्ता, दिल्ली तथा बम्बई के केन्द्रीय परिवार-नियोजन-प्रशिक्षण-केन्द्रो मे राज्यो के प्रमुख कर्मचारियो तथा शिक्षको को प्रशिक्षण दिया जाता रहा । राज्य-सरकारो ने 19 प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किए है। अब तक 42,017 व्यक्तियो को अल्पकालीन पाठ्यक्रमो का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

गर्भनिरोधक उपादान

उपर्युक्त कार्यक्रम जुलाई 1965 मे आरम्भ हुआ । अब तक 1,567 चिकित्सको को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । 1965 के अन्त तक 5,41,736 स्त्रियो ने गर्भ-निरोधक उपादान का उपयोग किया ।

अनुसन्धान

बम्बई-स्थित जनाकिकी-प्रशिक्षण-शोध-केन्द्र मे जाच-पडताल और भारतीय तथा विदेशी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का काम जारी है। कलकत्ता, दिल्ली, धारवाड़, पूना, मद्रास तथा तिरुवनन्तपुरम् में छ अन्य जनाकिकी-केन्द्र स्थापित किए जा चुके है। 8 सस्थानों तथा विश्वविद्यालयो मे तत्सम्बन्धी अध्ययन कार्य जारी है । 131 योजनाओ पर काम चल रहा है।

अध्याय 9

समाज-कल्याण

मद्यनिषेध

संविधान-द्वारा सरकार को यह निदेश दिया गया है कि वह देशभर में मादक वस्तुओं का उपभोग बन्द करने का सतत प्रयत्न करे। अपनी मद्यनिषेध-सम्बन्धी नीतियों को कार्यरूप देने में राज्यों को जो अनुभव प्राप्त हुए, उनके प्रकाश में संविधान के इस निदेश को कार्यान्वित करने के लिए कार्यक्रम आदि बनाने के उद्देश्य से दिसम्बर 1954 में मद्यनिषेध-जांच-समिति नियुक्त की गई। लोकसभा ने एक प्रस्ताव-द्वारा 31 मार्च, 1956 को समिति की इस मुख्य सिफारिश की पुष्टि की कि मद्यनिषेध के कार्यक्रम को देश की विकास-योजनाओं का एक अनिवार्य अंग बना दिया जाए। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि देशभर में मद्यनिषेध शीघ्र तथा प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए योजना बनाई जाए।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में मद्यनिषेध को स्वेच्छाप्रेरित समाज-कल्याण-आन्दोलन का रूप देने का निश्चय किया गया जिसके अनुसार इसे सार्वजनिक नीति के रूप में अपनाकर सफल बनाने के लिए ठोस प्रशासनिक कदम उठाने, इसमें जनता तथा स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग प्राप्त करने और मद्यनिषेध लागू किए जाने से राज्य-सरकारों के राजस्व में होनेवाली सम्भावित कमी को पूरा करने की व्यवस्था की गई।

मद्यनिषेध-कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने, विभिन्न राज्यों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने तथा उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों से परिचित रहने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय मद्यनिषेध-समिति स्थापित की गई है। यह समिति मद्यनिषेध के प्रचार के लिए उपाय सुझाने, इसके आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओं के बारे में अनुसन्धान करने और इस कार्य में लगे सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देने के कार्य भी करती है।

जनवरी 1963 में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने मद्यनिषेध के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया तथा वे इस निर्णय पर पहुंचे कि वर्तमान प्रणाली में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। अप्रैल 1963 में इसके अध्ययनार्थ योजना-आयोग-द्वारा एक अध्ययन-मण्डली नियुक्त की गई जिसकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

प्रगति

भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में लागू मद्यनिषेध-नीति की प्रगति संक्षेप में इस प्रकार है: गुजरात, मद्रास तथा महाराष्ट्र में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है। मैसूर-राज्य में बंगलोर के कुछ ताल्लुकों और गुलबर्गा तथा रायचूर-जिलों को छोड़कर शेष सब स्थानों में मद्यनिषेध लागू है। असम के कामरूप, ग्वालपारा तथा नौगांव-जिलों में, आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर, कडप्पा, करनूल, कृष्णा, गुण्टूर, चित्तूर, नेलूर,

पश्चिम-गोदावरी, पूर्व-गोदावरी, विशाखापटनम् तथा श्रीकाकुलम्-जिलों में; उड़ीसा के कटक, कोरापुट, गंजम, पुरी तथा बालेश्वर-जिलों मे; उत्तरप्रदेश मे आंशिक रूप से; केरल के कोझीकोड, कन्नानूर, तिरुवनन्दपुरम् तथा पालकाड-जिलो मे, कोल्लम् तथा त्रिचूर्-जिलो के 5 ताल्लुकों तथा एर्णाकुलम्-जिले के फोर्ट कोचीन-क्षेत्र मे; पंजाब के केवल रोहतक-जिले में, मध्यप्रदेश के दमोह, नरसिंहपुर, खण्डवा, विदिशा, सागर तथा होशंगाबाद-जिलों में, दुर्ग, बिलासपुर तथा रायपुर के कुछ भागो और भूतपूर्व भोपाल-रजवाड़े के क्षेत्रो मे और राजस्थान मे केवल सिरोही-जिले के आबू-क्षेत्र में मद्यनिषेध लागू है। पश्चिम-बंगाल तथा बिहार मे इस सम्बन्ध मे कार्रवाई की जा रही है।

आंशिक मद्यनिषेधवाले राज्यो मे शराब के बिक्रीवाले स्थानो की संख्या मे कमी की जा रही है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिनो पर शराब की दुकाने बन्द रखी जाती है। प्राय. सभी राज्यो मे मद्यनिषेध-सलाहकार मण्डल अथवा समितिया स्थापित की गई है।

संघीय क्षेत्रों मे मद्यनिषेध धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है। दिल्ली मे देशी शराब की दुकानों पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए है, क्लबो के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है, क्लबो में विदेशी शराब केवल कुछ ही सदस्यो को दी जा सकती है, निषेध-दिवसों की संख्या बढ़ा दी गई है तथा सभी प्रकार की देशी शराब पर लगनेवाले शुल्कों मे वृद्धि कर दी गई है। हिमाचलप्रदेश के बिलासपुर-जिले और चम्बा, मण्डी तथा महासू-जिलो के कुछ क्षेत्रो में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है। अन्य क्षेत्रों मे देशी शराब के कोटे धीरे-धीरे वर्ष-प्रति-वर्ष कम किए जा रहे है। सार्वजनिक मद्यपान पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह, मणिपुर, त्रिपुरा आदि अन्य संघीय क्षेत्रों में भी मद्यनिषेध की दिशा मे कदम उठाए जा रहे हैं।

1 अप्रैल, 1959 से केवल ओषधि के रूप मे अफीम के उपयोग को छोड़कर, भारतभर मे इसका पूर्ण निषेध कर दिया गया है। भाग तथा गाजा की बिक्री पर भी प्रतिबन्ध लगा दिए गए है।

कुव्यवस्थित लोगों के कल्याण के उपाय

सामाजिक रक्षा (देखभाल) कार्यक्रम

तीसरी योजना की 3.58 करोड़ रुपये की सामाजिक रक्षा (देखभाल) योजनाओं के उद्देश्य ये थे—(1) बाल-अपराधो की रोकथाम तथा बाल-अपराधियो का सुधार, (2) 'महिला तथा बालिका-अनैतिक व्यापार-दमन-अधिनियम 1956' लागू करना, (3) भीख मागने तथा आवारागर्दी की रोकथाम, (4) जेलों मे कल्याण-सेवाओ की व्यवस्था और (5) परिवीक्षण।

वेश्यावृत्ति का दमन

18 वर्ष से कम वय की बालिकाओ का वेश्यावृत्ति के लिए क्रय-विक्रय करने-वालों के लिए भारतीय दण्ड-विधान में 10 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने (धारा

366क, 372 तथा 373) की व्यवस्था है। इसी प्रकार वेश्यावृत्ति के लिए 21 वर्ष से कम आयु की स्त्रियों को विदेशों से लानेवालो को भी दण्ड दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 'महिला तथा बालिका-अनैतिक व्यापार-दमन-अधिनियम 1956' नामक एक विशेष अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के अधीन लगभग सभी राज्यो में नियम बनाए जा चुके है।

बाल-अपराधी

चार राज्यों को छोडकर शेष सभी राज्यों में 'बाल-अधिनियम 1960' की भांति इस सम्बन्ध मे कानून लागू किए जा चुके है जो संघीय क्षेत्रो के लिए भी लागू होंगे। दूसरे योजनाकाल के अन्त मे देश मे 50 बाल-अपराध-न्यायालय, 112 बाल-अपराधी-सुधारगृह, 70 प्रमाणित विद्यालय, 122 सक्षम व्यक्ति-संस्थान, 24 परिवीक्षण-छात्रालय, 7 बाल-दोष-सुधार-विद्यालय, 7 बाल-सुधारक विद्यालय, 55 बाल-अनाथ तथा अपराधी-कल्याण-संगठन, 300 वैतनिक परिवीक्षण-अधिकारी तथा 60 अवैतनिक परिवीक्षण-अधिकारी थे। तीसरी योजना की अवधि मे 23 बाल-अपराधी-सुधारगृह, 12 प्रमाणित विद्यालय, 3 बाल-गृह तथा 1 बाल-दोष-सुधार-विद्यालय स्थापित किए गए।

भिखारी

दण्ड-विधान-संहिता के अनुसार आवारा लोग तथा भीख मागनेवाले दोनो ही, एक समान है तथा ऐसे लोगों को कानूनी तौर पर दण्ड देने की व्यवस्था है। अधिकाश राज्यो मे सार्वजनिक स्थानों मे भीख मागने पर रोक लगाने के लिए विशेष अधिनियम बनाए गए है।

भिक्षावृत्ति कराने के उद्देश्य से जो व्यक्ति बच्चों को उठा ले जाते है, उनके विरुद्ध कडी कार्रवाई करने के लिए 'भारतीय दण्ड-संहिता (संशोधन) अधिनियम 1959' पास किया गया। इस अधिनियम के अधीन भिक्षावृत्ति के उद्देश्य से बच्चो का अपहरण अथवा अग-भग करना अपराध है और इनके लिए प्रतिरोधक दण्ड देने तथा बच्चो के अग-भग के अपराध मे आजीवन कारावास तक का दण्ड देने की व्यवस्था है।

विभिन्न राज्यो मे भिखारियो की देखरेख तथा उनके पुनर्वास मे योग देने-वाली संस्थाए विद्यमान है। केन्द्रीय देखभाल-कार्यक्रमो के अधीन भिखारी-गृह स्थापित करने, जेलखानो मे कल्याण-अधिकारी नियुक्त करने तथा सुधारक संस्थानो से निकले लोगो के लिए आश्रमादि बनाने में सहायता दी गई। दूसरी योजना की अवधि मे विभिन्न राज्यो तथा संघीय क्षेत्रो में 29 भिखारी-गृह स्थापित किए गए। सरकार ने बाल-भिखारियो की प्रथा के उन्मूलन के लिए संस्थागत-भिन्न सेवाओ की व्यवस्था करने की एक योजना को स्वीकृति दे दी है। यह योजना हैदराबाद मे तथा आशिक रूप से बम्बई मे लागू की जा चुकी है।

केन्द्रीय सुधार-सेवा-कार्यालय

अगस्त 1961 मे केन्द्रीय सुधार-सेवा-कार्यालय स्थापित किया गया। यह कार्यालय एक-सी नीति तैयार करने, राष्ट्रीय आधार पर आकड़े इकट्ठे करने, भारत

और विदेशी सरकारों तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के बीच सूचना का आदान-प्रदान करने और अपराध की रोकथाम तथा अपराधियों के सुधार के बारे में अध्ययन तथा अनुसन्धान की व्यवस्था करेगा। यह कार्यालय सुधारात्मक उपायों के विषय में केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों को विशेष परामर्श भी देता है। कार्यालय 'सोशल डिफेन्स' नाम की त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है।

केन्द्रीय समाज-कल्याण-मण्डल

अगस्त 1953 में स्थापित केन्द्रीय समाज-कल्याण-मण्डल के मुख्य कार्य ये हैं—समाज-कल्याण-संगठनों की आवश्यकताओ का सर्वेक्षण करना; उनके कार्य-क्रमों तथा परियोजनाओ की जाच करना; विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा राज्यीय विभागों-द्वारा दी जानेवाली सहायता में समन्वय स्थापित करना; स्वयसेवी सगठनो की स्थापना में योग देना तथा सुयोग्य सस्थाओं को वित्तीय सहायता देना। मण्डल की सभी कल्याण-योजनाएं स्वयसेवी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की गई।

मण्डल की गतिविधियो के विकेन्द्रीकरण के लिए लगभग सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में समाज-कल्याण-सलाहकार मण्डल स्थापित किए गए हैं।

अपनी स्थापना के समय से 1965 के अन्त तक मण्डल ने 7.4 करोड़ रुपये के अनुदानो को स्वीकृति दी। 1961 मे सहायता-अनुदान-कार्यक्रम का विकेन्द्री-करण करके राज्य-मण्डलों को भी कुछ सीमा तक सहायता-अनुदान स्वीकार करने तथा देने का अधिकार दे दिया गया। मण्डल के कार्यों के लिए 1965-66 के लिए लगभग 2.0575 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे।

ग्रामीण कल्याण-विस्तार-परियोजनाएं

मण्डल ने अगस्त 1954 में अपनी सीधी निगरानी में ग्रामीण कल्याण-विस्तार-परियोजना आरम्भ की। प्रत्येक परियोजना मे लगभग 20,000 की जनसख्या के लगभग 25-30 गाव आते हैं। इन परियोजनाओ के कार्यक्रम मे बालवाड़ियो, मातृत्व तथा शिशु-स्वास्थ्य-सेवाओ, महिला-साक्षरता तथा समाज-शिक्षा, कला-कौशल-केन्द्रो और मनोरजन-केन्द्रो की व्यवस्था करने का कार्य सम्मिलित है।

दूसरे योजनाकाल के अन्त तक ऐसी 418 परियोजनाओ का कार्य आरम्भ किया जा चुका था जिनके अधीन 79.48 लाख की जनसंख्या के 10,499 गावो मे स्थापित 2,027 केन्द्र आते हैं। तब से ये परियोजनाए महिला-मण्डलो तथा स्थानीय स्वयंसेवी कल्याण-संगठनों के अधीन कर दी गई हैं। इन सगठनो को उपयुक्त अनुदान दिए जाते हैं। पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रो में 40 केन्द्रो से युक्त ऐसी आठ परियोजनाओं की व्यवस्था का भार अभी मण्डल के ही हाथ मे है।

अप्रैल 1957 से सामुदायिक विकास-खण्ड भी इन परियोजनाओ के कार्यक्षेत्र मे आ गए। इन क्षेत्रों में मूल ढांचे से भिन्न समन्वित ढाचे की परियोजनाए स्थापित की गई हैं। ऐसी प्रत्येक परियोजना में 60 हज़ार से 70 हज़ार तक की जनसख्यावाले सौ गाव आते

हैं। 1965 के अन्त में देश में 2,342 केन्द्र-सहित ऐसी 264 परियोजनाएं थीं। इस वर्ष पांच परियोजनाएं, जिनका काम पांच वर्षों तक चल चुका था, स्वयंसेवी संगठनों को सौंप दी गईं। 1965 के अन्त तक 616 महिला-मण्डल/स्वयंसेवी संगठन अब तक कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं के 1,593 केन्द्रों की व्यवस्था कर रहे थे।

शहरी कल्याण-विस्तार-परियोजनाएं

इन परियोजनाओं का उद्देश्य गन्दी बस्तीवाले क्षेत्रों के निवासियों के लिए सामुदायिक कल्याण-केन्द्रों की व्यवस्था करना है। दिसम्बर 1965 तक शहरी क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों की ओर से 16 राज्यों में ऐसी 65 परियोजनाओं का काम जारी था।

विजयवाड़ा तथा हैदराबाद की दो औद्योगिक सहकारी समितियों की ओर से काम चाहनेवाली 400 महिलाओं को काम मिला हुआ है। नागपुर की एक अन्य समिति की ओर से 30 महिलाओं को काम मिला हुआ है।

बाल-अवकाश-गृह

पहाड़ी तथा ठण्डे स्थानो में कम आयवाले लोगों के बच्चों के लिए 620 अवकाश-शिविरों की व्यवस्था करने के लिए दी गई 20 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता से 1964 के अन्त तक 31,000 बच्चो को लाभ प्राप्त हुआ। यह योजना भारतीय बाल-कल्याण-परिषद् की ओर से समन्वित की जा रही है। अनुदानों को स्वीकृति देने के अधिकार अब राज्य-मण्डलों को दे दिए गए हैं। यह योजना 1965 में भी लोकप्रिय रही।

रात्रिकालीन विश्रामगृह

विभिन्न राज्यो के बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों में आश्रयहीन मजदूरो के लिए 26 रात्रिकालीन विश्रामगृहो की व्यवस्था है। इनका संचालन करने के लिए भारत-सेवक-समाज को अनुदान दिए जाते हैं।

सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य काम चाहनेवाली महिलाओं तथा विकलांग व्यक्तियो के लिए काम तथा मजदूरी की व्यवस्था करना और परिवार की आय-सम्बन्धी कमी पूरी करना है। इस कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय समाज-कल्याण-मण्डल ने वाणिज्य तथा उद्योग-मन्त्रालयों से प्राविधिक सहायता लेकर अनेक उत्पादन-एकांश खोले हैं।

आदिमजातीय महिला-कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण

दुमका (बिहार) तथा दोहद (गुजरात) के दो प्रशिक्षण-केन्द्रों में 2 से 3 वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है।

विकलांगों की शिक्षा तथा नियोजन

विकलांग विद्यार्थियों को आजीविका कमाने तथा समाज के उपयोगी सदस्य बनने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से इनको छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। 1965-66

में 78 अन्ध, 34 बहरे तथा 211 अन्य विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गईं।

देश के 115 अन्ध-विद्यालयों तथा प्रशिक्षण-केन्द्रों में से देहरादून का राष्ट्रीय अन्ध-केन्द्र प्रमुख है। बहरे विद्यार्थियों के 71 संस्थानों में से हैदराबाद के प्रशिक्षण-केन्द्र में छः प्रकार के व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। सितम्बर 1965 तक 2,570 विकलांग व्यक्तियों को काम दिलाया गया।

प्रौढ़ महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम

इस कार्यक्रम के अधीन 18-30 वय-वर्ग की प्रौढ़ महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। 1964 के अन्त तक 722 पाठ्यक्रमों के लिए 16,000 से अधिक महिलाओं को भर्ती किया गया। 1965 के अन्त तक 73 नए पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई।

सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य-विज्ञान और देखभाल-कार्यक्रम

देखभाल-कार्यक्रम और सामाजिक तथा नैतिक परामर्श-समितियों की सिफारिशों के अनुसार आरम्भ किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुधार-संस्थाओं से निकले व्यक्तियों, महिलाओं तथा बच्चों की देखभाल तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना है। यह कार्यक्रम राज्य-सरकारें केन्द्रीय सरकार की सहायता से और केन्द्रीय समाज-कल्याण-मण्डल तथा राज्यीय समाज-कल्याण-मण्डलों के परामर्श से कार्यान्वित करती हैं। इस कार्यक्रम के अधीन 91 जिला-संरक्षणगृह तथा 50 राज्य-देखभालगृह स्थापित किए जा चुके हैं।

बाल-कल्याण

बाल-देखभाल-समिति की सिफारिशों के आधार पर संगठित बाल-कल्याण-सेवाओं की योजनाओं का उद्देश्य पारिवारिक वातावरण से युक्त आदर्श बाल-गृहों तथा नई बालवाड़ियो की स्थापना करना, वर्तमान बालवाड़ियों की स्थिति में सुधार करना, अनाथ बच्चों की देखभाल के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना और बच्चों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण आदि की उचित व्यवस्था करना है। बच्चों के लिए सचित्र साहित्य के प्रकाशन का भी कार्य किया जाएगा।

संगठित सेवा-परियोजनाएं

एक वर्ष से सोलह वर्ष तक के बच्चों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस योजना में 30 प्रदर्शन-परियोजनाओं की स्थापना की व्यवस्था रखी गई है। प्रत्येक परियोजना पर अनुमानतः 5-8 लाख रुपये व्यय होंगे। 1965-66 में 17 परियोजनाओं के लिए 24.5 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।

पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण-केन्द्र

11-14 वर्ष के बच्चों को अनेक विषयों का पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इस योजना के अधीन तीसरी योजना की अवधि में देश में 65 केन्द्र स्थापित

करने का कार्यक्रम रखा गया। फरवरी 1964 में नरेन्द्रपुर (कलकत्ता), बम्बई, मद्रास, लुधियाना तथा सिकन्दराबाद में पांच प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किए जाने के बाद देश के विभिन्न भागों में 50 केन्द्र और खुल चुके हैं।

बाल-सेविका-प्रशिक्षण-केन्द्र

सरकार से सहायता प्राप्त करके बाल-कल्याण-कार्यों में लगे संस्थानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाल-सेविका-प्रशिक्षण-केन्द्रों की व्यवस्था आरम्भ की गई। भारतीय बाल-कल्याण-परिषद् की ओर से संचालित ऐसे 20 प्रशिक्षण-केन्द्रों की स्थापना के लिए तीसरी योजना में 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। 1965 के अन्त में देश में ऐसे 15 केन्द्र थे।

सीमान्त क्षेत्र-कार्यक्रम

उ० पू० सी० अभिकरण, काल्पा, लेह, लाहौल, चम्बोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ की कल्याण-विस्तार-परियोजनाएं और कच्छ तथा बनासकांठा के 20 केन्द्र 1965 में अपना कार्य करते रहे। उ० पू० सी० अभिकरण में तीन परियोजनाए और आरम्भ की गईं। कच्छ तथा बनासकांठा में 10 शिविरों और पश्चिम-बंगाल के सीमान्त क्षेत्रों में चार शिविरों के आयोजन के लिए अनुदानों को स्वीकृति दी गई।

प्रशिक्षण तथा उत्पादन-केन्द्र

समाज-कल्याण तथा पुनर्वास-निदेशालय की ओर से दिल्ली के विभिन्न भागो में 18 प्रशिक्षण तथा उत्पादन-केन्द्रो की व्यवस्था है और अब तक लगभग 25,617 महिलाओ को विभिन्न शिल्पो का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। निदेशालय अनाथ महिलाओं तथा उनके बच्चो के लिए निवास-गृह की भी व्यवस्था करता है और वृद्ध तथा अशक्त व्यक्तियों को मासिक सहायता देता है।

विस्थापित व्यक्तियों के लिए आश्रयगृह

पाकिस्तान से आनेवाले विस्थापित तथा निराश्रित व्यक्तियों को आश्रय देने तथा उनके भरण-पोषण के लिए आश्रयगृह तथा अशक्तगृह स्थापित किए गए थे। इस समय ऐसे स्थानों की संख्या 40 है जिनमें लगभग 38,000 व्यक्ति आश्रय पा रहे हैं। इनके अतिरिक्त पश्चिम-बंगाल के 30 बाल-संस्थानों में लगभग 900 विस्थापित अनाथ बच्चो का भरण-पोषण किया जा रहा है और लगभग 3,000 अन्य व्यक्तियों को नकद वित्तीय सहायता दी जा रही है।

सहायता तथा पुनर्वास

पूर्व-पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति

पूर्व-पाकिस्तान से अल्पसंख्यक लोगों का भारत में आना, जो 1946 में आरम्भ हुआ, 1958 के अन्त तक निरन्तर जारी रहा। इस समय तक लगभग 41.71 लाख

व्यक्ति भारत आ चुके थे। इनमें से लगभग 6.67 लाख परिवारों को फिर से बसा दिया गया है और इन पर लगभग 2.02 अर्ब रुपये व्यय हुए। केवल पश्चिम-बंगाल को छोड़कर शेष सभी राज्यों में पूर्व-पाकिस्तान से आए विस्थापितों की आवास-सम्बन्धी समस्या का समाधान हो चुका है। पश्चिम-बंगाल में तत्सम्बन्धी कार्य के लिए 22 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है। 10.32 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी हैं।

जनवरी 1964 में पूर्व-पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगे होने के परिणामस्वरूप अल्पसंख्यकों का भारत मे आना फिर से आरम्भ हुआ। 18 फरवरी, 1966 तक पूर्व-पाकिस्तान से लगभग 8.02 लाख शरणार्थी भारत आए। इनमें से लगभग 5.01 लाख पश्चिम-बगाल में, 1.85 लाख असम में तथा 1.15 लाख त्रिपुरा में पहुंचे। इस बार नई बात यह रही कि पूर्व-पाकिस्तान से आनेवाले विस्थापितों में बौद्धों तथा ईसाइयो की संख्या भी कई हजार रही।

आनेवाले नए विस्थापित परिवारों के आवास के लिए स्थापित किए गए 71 सहायता-शिविरो में लगभग 43,000 परिवार रहते हैं। राज्य-सरकारों ने इस कार्य के लिए 1.93 लाख एकड़ भूमि देने का निवेद दिया है। 31 लघु उद्योग-योजनाओ को भी स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें लगभग 2,500 व्यक्ति काम प्राप्त कर सकेंगे।

दण्डकारण्य-योजना

पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापितो को बसाने के लिए दण्डकारण्य-योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के बस्तर-जिले में और उड़ीसा के कलाहाण्डी तथा कोरापुट-जिलों मे 77,800 वर्ग किलोमीटर-क्षेत्र साफ करके कृषियोग्य बना दिया गया है। दण्ड-कारण्य-विकास-सस्था की स्थापना सितम्बर 1958 में की गई थी। 1.7 लाख एकड़ से अधिक भूमि का सुधार किया जा चुका है जिसमें 12,095 विस्थापित परिवार बसाए जा चुके हैं। आदिमजातियों के बसाए जाने के लिए निर्धारित क्षेत्र में से 21,692 एकड़ भूमि उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश-सरकारो को दे दी गई है और उसमें 1,845 परिवारों को बसाया जा चुका है। अब तक 42,391 एकड़ भूमि में कृषि की जाने लगी है। किसानों को खाली बैठने के दिनों में काम से लगाए रखने के लिए 8 स्थानों में औद्योगिक केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। मलेरिया का उन्मूलन किया जा चुका है और 212 विद्यालयो में 14,500 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दिसम्बर 1965 तक इस परियोजना पर 27.35 करोड़ रु० व्यय किए जा चुके थे।

राष्ट्रीय विकास-दल

शिविरों में रहनेवाले सक्षम विस्थापित व्यक्तियों के स्वयंसेवी संगठन 'राष्ट्रीय विकास-दल' को पुनर्वास तथा विकास-परियोजनाओं के कार्यों में लगा दिया गया है। दल में 400-400 सहकारियों के तीन-तीन पक्षों के चार खण्ड होते हैं। योग्य सहकारियों को विभिन्न शिल्पों का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल सहकारियों को क्रमशः 130 रु०, 105 रु० तथा 80 रु० प्रतिमास दिया जाता है।

पुनर्वास-उद्योग-निगम

पूर्व-पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को उद्योगों के माध्यम से काम दिलाने के लिए 1959 में स्थापित उपर्युक्त निगम मुख्यत: पश्चिम-बंगाल में 28 औद्योगिक एकांशों की व्यवस्था करता है। निगम की गतिविधियों के क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया है।

पश्चिम-पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति

पश्चिम-पाकिस्तान से 47,40,000 विस्थापित व्यक्ति भारत आए। उनके पुनर्वास पर 2 अर्ब रुपये व्यय किए गए। क्षतिपूर्ति लगभग सबको दी जा चुकी है। 4.95 लाख दावेदारो को 1.8756 अर्ब रुपये दिए जा चुके हैं।

कश्मीरी विस्थापितों का पुनर्वास

1959 में भारत-सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों को सहायता देने का निश्चय किया। इसके अनुसार कृषि-भूमि पर बसे प्रत्येक परिवार को 1,000 रुपये तथा अन्य भूमि पर बसे परिवारों को 3,500 रुपये देने का निर्णय किया गया। 1965 के अन्त तक 3.34 करोड़ रुपये के अनुदान दिए गए।

अगस्त-सितम्बर 1965 में भारत-पाक-संघर्ष के बाद जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 2.5 लाख व्यक्ति विस्थापित हो गए थे। इनके पुनर्वास तथा इनकी सहायता पर 1.4 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किया जा चुका है। छम्ब-जौरियां-क्षेत्र के एक लाख विस्थापित व्यक्तियो के पुनर्वास पर अनुमानत: लगभग 8 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

अन्य सहायता-कार्य

संकटकालीन सहायता-संगठन

बाढ़, अकाल तथा भूकम्प आदि जैसी परिस्थितियों में सहायता पहुंचाने के लिए लगभग सभी राज्यों, तथा संघीय क्षेत्रो में संकटकालीन सहायता-संगठन स्थापित किए गए हैं। इन्हें संकटकालीन परिस्थितियो में उचित कार्य करने का भार सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय संकटकालीन सहायता-संगठन के एक अंग के रूप में नागपुर में एक प्रशिक्षण-संस्था भी स्थापित की गई है जिसमें कर्मचारियों को सहायता-कार्य से सम्बन्धित विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा।

स्वदेश वापस लौटनेवाले व्यक्तियों को सहायता

जून 1963 से अब तक 1,40,000 भारतीय बर्मा से स्वदेश लौट आए हैं। इनको सरकार से सभी प्रकार की सहायता मिलती है। देश में फिर से बसने में सहायता के रूप में सरकार इन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती है। 15 जनवरी, 1966 तक

पुनर्वास की सहायता पानेवाले ऐसे 14,000 व्यक्तियों में से 8,594 व्यक्तियों को कारोबार-सम्बन्धी ऋण दिए गए तथा 3,028 व्यक्तियों को काम।

अफ्रीका के पुर्तगाली उपनिवेशों से स्वदेश वापस आए 2,300 व्यक्तियों में से अधिकांश गुजरात में बस गए तथा उन्हें सरकार से अनेक सुविधाएं प्राप्त हुईं।

विस्थापित व्यक्ति-सहायता तथा कल्याण-निधि, जिसे जनता से भी धन प्राप्त होता है, पाकिस्तानी आक्रमण के फलस्वरूप उजड़े व्यक्तियों, पूर्व-पाकिस्तान से आए व्यक्तियों और बर्मा, श्रीलंका तथा अन्य स्थानों से स्वदेश वापस आए व्यक्तियों की देखभाल करती है।

प्रधान मन्त्री का राष्ट्रीय सहायता-कोष

प्रधान मन्त्री का राष्ट्रीय सहायता-कोष नवम्बर 1947 में स्थापित किया गया था। तब से लेकर 1965 के अन्त तक इस कोष में 2.71 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसमें से भूकम्प, बाढ़, सूखा, अकाल, आग आदि से पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने में लगभग 2.55 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए जा चुके हैं। आरम्भ में पाकिस्तान से आनेवाले विस्थापित व्यक्तियों और बाद में राष्ट्रीय संकट की स्थिति की घोषणा किए जाने के पश्चात् सीमान्त क्षेत्रों से आनेवाले पीड़ित व्यक्तियों को भी इस कोष से सहायता दी गई थी।

चीनी आक्रमण से त्रस्त सीमान्त क्षेत्रों के लोगों की सहायता के लिए एक अलग खाता खोल दिया गया है जिसमें अब तक प्राप्त 9.32 लाख रुपयों में से 2.89 लाख रुपयों का उपयोग किया जा चुका है।

अध्याय 10

अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग

भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियो तथा अन्य पिछड़े वर्गों का शैक्षणिक तथा आर्थिक दृष्टि से उत्थान करने और उनकी परम्परागत सामाजिक अयोग्यताओ को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक सुरक्षा तथा सरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। संविधान मे कहा गया है कि (1) अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए तथा इसका किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध कर दिया जाए (अनु० 17); (2) इन जातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितो की रक्षा की जाए और इन्हें सभी प्रकार के शोषण तथा सामाजिक अन्याय से बचाया जाए (अनु० 46), (3) हिन्दुओ के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार समस्त हिन्दुओ के लिए खोल दिए जाए (अनु० 25); (4) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयो, होटलो तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानो, कुओं, ताल-तालाबों, स्नान-घाटो और ऐसी सड़को तथा सार्वजनिक स्थानो का उपयोग करने पर लगी सभी रुकावटें हटाई जाए जिनका पूरा या कुछ व्यय सरकार उठाती है अथवा जो जन-साधारण के निमित्त समर्पित है (अनु० 15); (5) इन जातियो को कोई भी धन्धा या व्यापार अपनाने का अधिकार दिया जाए (अनु० 19); (6) सरकार-द्वारा संचालित अथवा सरकारी कोष से सहायता पानेवाले शिक्षालयों में उनके प्रवेश पर कोई रुकावट न रखी जाए (अनु० 29); (7) सरकारी नौकरियो मे इनकी नियुक्ति के हितों का ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य है, अत. इसके लिए स्थान सुरक्षित रखे जाए (अनु० 16 तथा 335); (8) संसद् तथा राज्य-विधानमण्डलों मे 20 वर्ष की अवधि तक इन्हे विशेष प्रतिनिधित्व की सुविधा दी जाए (अनु० 330,332 तथा 334); (9) इनके कल्याण तथा हितों की सुरक्षा के प्रयोजन से राज्यो में सलाहकार परिषदो तथा पृथक् विभागों की स्थापना की जाए और केन्द्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए (अनु० 164, 338 तथा 5वी अनुसूची) और (10) अनुसूचित तथा आदिम-जाति-क्षेत्रो के प्रशासन तथा नियन्त्रण के लिए विशेष व्यवस्था की जाए (अनु० 244 और 5वीं तथा 6ठी अनुसूचियां)।

1961 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों की संख्या क्रमशः 6 45 करोड़ तथा 2.99 करोड़ है।

अस्पृश्यता-निवारण के उपाय

'अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955'

यह अधिनियम 1 जून, 1955 को लागू हुआ। इसके अधीन अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना-स्थल पर जाने तथा वहा उपासना करने और पवित्र तालाब, कुएं अथवा सोते से पानी लेने से रोकना दण्डनीयअपराध है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सामाजिक अयोग्यता लागू करना—किसी दुकान

सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक चिकित्सालय अथवा शिक्षालय, होटल अथवा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर जाने से रोकना; किसी भी सड़क, नदी, कुएं, ताल-तालाब, नल, स्नानघाट, शौचलय, धर्मशाला, सराय अथवा मुसाफिरखाने तथा होटल-भोजनालय में रखे बर्तनों का उपयोग करने से रोकना दण्डनीय अपराध है। व्यवसाय अथवा व्यापार-धन्धे के बारे में कोई अयोग्यता लादना; किसी धर्मार्थ संस्था से लाभ प्राप्त करने पर रोक लगाना; किसी भी क्षेत्र में निवासोपयोगी स्थान का निर्माण करने अथवा उसमें रहने अथवा कोई सामाजिक अथवा आर्थिक कृत्य अथवा अनुष्ठान करने के सम्बन्ध में रोक लगाना इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति के हरिजन होने के कारण उसके हाथ कोई चीज न बेचने अथवा उसका कोई काम न करने; अस्पृश्यता-उन्मूलन के फलस्वरूप मिले अधिकारों का उपयोग करने के कारण किसी व्यक्ति को सताने, चोट पहुचाने, परेशान करने अथवा उसका बहिष्कार करने अथवा ऐसे व्यक्ति को जाति-बहिष्कृत करने में योग देनेवाले व्यक्ति को भी दण्ड दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन

भारत-सरकार 1954 से अस्पृश्यता-उन्मूलन-आन्दोलन के लिए आर्थिक सहायता देती आ रही है। इस कार्य के लिए सरकारी तथा गैरसरकारी, दोनो प्रकार की, संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। राज्य-सरकारो ने भी अपने जिला-अधिकारियो तथा अन्य अधिकारियो को, जिनका सम्पर्क जनता से पड़ता है, यह आदेश दिया है कि वे इस कुप्रथा का अन्त करने पर विशेष बल दें। जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित करने तथा उसका सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से लगभग सभी राज्यो मे हरिजन-दिवस तथा हरिजन-सप्ताह मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश राज्यों मे 'अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955' लागू करने के लिए छोटी-छोटी समितिया नियुक्त की गई है। इस कार्य के लिए पुस्तक-पुस्तिकाओं, विज्ञापनों तथा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों का उपयोग किया जा रहा है।

अस्पृश्यता-समिति

अस्पृश्यता के प्रश्न और अनुसूचित जातियो की शिक्षा तथा उनके आर्थिक उत्थान की समस्याओं पर विचार करने के लिए अप्रैल 1965 मे श्री एल० एलियपेरुमल की अध्यक्षता मे एक समिति स्थापित की गई।

विधानमण्डलों तथा पंचायतों में प्रतिनिधित्व

संविधान के अनुच्छेद 330, 332 तथा 334 के अनुसार राज्यों की अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों की जनसंख्या के अनुपात से इन लोगो के लिए लोकसभा तथा राज्य की विधान-सभाओ मे, संविधान लागू होने के बाद से 20 वर्ष की अवधि के लिए, स्थान सुरक्षित रखे गए है। लोकसभा मे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के लिए क्रमश. 77 और 35 स्थान सुरक्षित हैं। इसी प्रकार राज्यों के विधान-मण्डलों में इनके लिए सुरक्षित स्थानों की कुल संख्या क्रमशः 471 तथा 227 है।

पंचायती राज लागू होने के बाद ग्राम-पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखकर इनके उचित प्रतिनिधित्व की सुरक्षित व्यवस्था कर दी गई है।

सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व

खुली प्रतियोगिता-द्वारा देशव्यापी आधार पर की जानेवाली नियुक्तियों में 12½ प्रतिशत स्थान तथा अन्य प्रकार से की जानेवाली नियुक्तियों में 16⅔ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। अनुसूचित आदिमजातियों के लिए दोनों स्थितियों में 5-5 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी इनके लिए स्थान सुरक्षित हैं। इन्हीं श्रेणियों में होनेवाली पदोन्नति के सम्बन्ध में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों के लिए क्रमशः 12½ तथा 5 प्रतिशत रिक्त स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं।

नौकरियों में इन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से वय-सीमा में छूट, योग्यताओं के मानदण्ड में रिआयत आदि की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त स्थान सुरक्षित रखने का सिद्धान्त उन नौकरियों के सम्बन्ध में भी लागू कर दिया गया है जो केवल पदोन्नति तथा विभागीय उम्मीदवारों की प्रतियोगिता-परीक्षा-द्वारा भरी जाती हैं। यदि सुरक्षित स्थानों के लिए अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिमजातियों का कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता तो स्थान अरक्षित माने जाते हैं। सुरक्षित रिक्त स्थान कभी कुल रिक्त स्थानों के 45 प्रतिशत से अधिक नहीं रहेंगे।

इन जातियों तथा आदिमजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने के विषेश आदेशों को निश्चित रूप से कार्यान्वित किए जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों में सम्पर्क-अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस सम्बन्ध में कुछ राज्य-सरकारों ने भी इन वर्गों के लिए पद सुरक्षित करने के सम्बन्ध में नियम बनाए हैं तथा राज्यों की नौकरियों में इन्हें अधिक स्थान दिलाने की दिशा में कदम उठाए हैं।

श्री एन० आर० मलकानी की अध्यक्षता में भंगीकार्य के परम्परागत अधिकारों के प्रश्न पर विचार करने के लिए अप्रैल 1965 में एक वर्ष के लिए एक समिति स्थापित की गई।

अनुसूचित तथा आदिमजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

असम के स्वायत्तशासी आदिमजातीय क्षेत्र

छठी अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार संयुक्त खासी-जैन्तिया-पहाड़ियों, गारो-पहाड़ियों, मिज़ो-पहाड़ियों, उत्तर-कचार-पहाड़ियों तथा मिकिर-पहाड़ियों के जिलों में एक प्रादेशिक परिषद् तथा पांच जिला-परिषदें स्थापित की गई हैं। प्रत्येक जिला-परिषद् में अधिक-से-अधिक 24 सदस्य होते हैं तथा उनमें से तीन-चौथाई सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। इन परिषदों को विधान तथा नियम बनाने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं। इनको कुछ वित्तीय तथा कराधान-अधिकार भी प्राप्त हैं।

अन्य राज्यों में आदिमजाति-सलाहकार परिषदें

संविधान की पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रवाले राज्यों में आदिमजाति-सलाहकार परिषदों की स्थापना की व्यवस्था है। आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में ऐसी परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं। ये परिषदें अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिए सम्बन्धित मामलों में राज्यपालों को सलाह देती हैं। असम, केरल तथा मैसूर में भी ऐसे सलाहकार मण्डल बनाए गए हैं। अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह, मणिपुर, हिमाचल-प्रदेश तथा त्रिपुरा में भी आदिमजाति-सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं।

कल्याण तथा सलाहकार संस्थाएं

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए आयुक्त

संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत संविधान में की गई सुरक्षा-सम्बन्धी व्यवस्था की जांच-पड़ताल करने तथा इसको कार्यरूप देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अवगत कराने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इस विशेष अधिकारी (आयुक्त) की सहायता के लिए 17 उप-आयुक्त भी नियुक्त किए गए हैं।

केन्द्रीय सलाहकार मण्डल

ससत्सदस्यो तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओ को आदिमजातीय क्षेत्रो के विकास और अनुसूचित आदिमजातियो तथा अनुसूचित जातियो के कल्याण-कार्यों से सम्बद्ध करने के लिए भारत-सरकार ने दो केन्द्रीय सलाहकार मण्डल स्थापित किए हैं—एक आदिमजातीय क्षेत्रों के कल्याण के लिए तथा दूसरा हरिजनों के कल्याण के लिए। ये मण्डल इन वर्गों की भलाई से सम्बन्धित मामलो पर भारत-सरकार को सलाह देते तथा इन जातियों के लिए कल्याण-योजनाएं बनाते हैं।

राज्यों में कल्याण-विभाग

संविधान के अनुच्छेद 164 (1) की व्यवस्था के अनुसार उड़ीसा, बिहार तथा मध्यप्रदेश में एक-एक मन्त्री के अधीन कल्याण-विभाग स्थापित कर दिए गए हैं। नागालैण्ड को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और मणिपुर तथा त्रिपुरा में भी कल्याण-विभाग स्थापित किए जा चुके हैं।

कल्याण-योजनाएं

संविधान के अनुच्छेद 339 (2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्यों की अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उनको निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 275 (1) के अधीन केन्द्र से इन वर्गों के कल्याण की स्वीकृत योजनाओं के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के सुधार के लिए राज्यों को सहायता-अनुदान दिए जाने की अपेक्षा की गई है।

पहली तथा दूसरी योजनाओं के अधीन क्रमशः 32 करोड़ रु० तथा 79 करोड़ रु० के निर्धारित व्यय में से कल्याण-योजनाओं पर क्रमशः 27 करोड़ रु० तथा 67 करोड़ रु० व्यय किए गए।

तीसरी योजना के अधीन हुई 1 अर्ब रु० की व्यवस्था में से गैरसरकारी संस्थाओं को सहायता-अनुदान देने के लिए 1.25 करोड़ रु० केन्द्र को और शेष 98.75 करोड़ रु० कल्याण-योजनाओं के लिए विभिन्न राज्यो तथा संघीय क्षेत्रों को दिए गए।

केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारो के अतिरिक्त विभिन्न स्वयसेवी कल्याण-संगठन अनेक क्षेत्रों में उपयोगी समाज-सेवा करते आ रहे है। पूना की 'सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी' अन्य पिछड़े वर्गों के हितो की देखभाल करती है तथा नई दिल्ली की राष्ट्रीय शिक्षा-शोध तथा प्रशिक्षण-परिषद् अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों, दोनो, के हितों की।

शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएं

इन जातियो को शिक्षा की अधिक-से-अधिक सुविधाए देने के लिए उपाय किए जा रहे है। व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। विद्यार्थियों को नि.शुल्क पढाई, छात्रवृत्तियो, पुस्तकों, लेखन-सामग्री आदि की सुविधाए दी जा रही हैं। अनेक स्थानो पर दोपहर का भोजन देने की भी व्यवस्था है।

1944-45 मे भारत-सरकार ने अनुसूचित जातियो के विद्यार्थियो को छात्रवृत्तिया देने की एक योजना आरम्भ की थी। 1948-49 मे अनुसूचित आदिमजातियो तथा 1949-50 मे पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियो को भी छात्रवृतियो का लाभ प्राप्त हुआ। यह योजना 1959-60 से विकेन्द्रित कर दी गई।

1953-54 मे भारत-सरकार ने इन वर्गों के सुपात्र विद्यार्थियो को विदेशो मे अध्ययन के लिए भी छात्रवृत्तिया देने की एक योजना आरम्भ की। 1955-56 से ऐसी छात्रवृत्तियो की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई। असम, गुजरात, बिहार तथा महाराष्ट्र-राज्यों की सरकारे भी पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को विदेशो मे अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां देती है।

केन्द्रीय सरकार ने सभी प्राविधिक तथा शिक्षा-सस्थानो को सुझाया है कि वे इन वर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए स्थान सुरक्षित रखे, उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित अकों मे कमी करें तथा अधिकतम वय-सीमा बढ़ाए। देश की विभिन्न संस्थाएं सरकार के इन सुझावों को कार्यरूप दे रही है।

आर्थिक उन्नति के अवसर

1961 की जनगणना के अनुसार 1.49 करोड़ अनुसूचित आदिमजातीय लोग कृषि करते थे जिनमे से 33.33 लाख कृषि-मजदूर थे। अनुसूचित जातीय लोगो के सम्बन्ध मे ये आकड़े क्रमश: 2.19 करोड़ तथा 1.04 करोड़ थे। तीसरी योजना के प्रथम तीन वर्षों मे 86,248 एकड़ भूमि अनुसूचित जातीय तथा 51,017 एकड़ भूमि आदिमजातीय भूमिहीन किसानों को दी गई जिससे 47,814 परिवारों को लाभ हुआ। कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों मे खेती स्थान बदल-बदलकर करने की प्रथा है। तीसरी योजना मे ऐसी खेती करनेवाले किसानो के लिए एक ही स्थान पर खेती की व्यवस्था करके उन्हे ठीक से बसाने के लिए अनेक उपाय किए गए।

सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में ऋण, आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था के द्वारा कुटीर उद्योगों के विकास की योजनाएं भी आरम्भ की गई हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां भी स्थापित की गई है।

ऋण के भार से दबे हुए व्यक्तियों को, जिनमे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लोग भी सम्मिलित है, आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध मे लगभग सभी राज्यों में कानून विद्यमान है। असम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम-बंगाल, बिहार तथा मध्यप्रदेश में अनुसूचित आदिमजातियो को भूमि-अधिकार देने के लिए भी कानून बनाए गए हैं।

अन्य कल्याण-योजनाएं

अन्य कल्याण-योजनाओ में मकान बनाने के लिए नि शुल्क अथवा नाममात्र के मूल्य पर दी जानेवाली भूमि, ऋण के रूप में सहायता, हरिजन-कर्मचारियो के लिए मकान बनाने के प्रयोजन से स्थानीय निकायो को दी जानेवाली आर्थिक सहायता तथा सहायता-अनुदान आदि उल्लेखनीय है। कई राज्यों मे अनुसूचित जातियो के लोगो को कानूनी सहायता भी दी जाती है।

आदिमजाति-अनुसन्धान-संस्थाएं

असम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान मे आदिमजाति-अनुसन्धान-संस्थाएं स्थापित की गई हैं जिनमें आदिम-जातीय कला, संस्कृति तथा रीति-रिवाजों का विशद अध्ययन किया जाता है। गुवाहाटी-विश्वविद्यालय, बम्बई की नृतत्व-संस्था, गुजरात-अनुसन्धान-समिति, गुजरात-विद्यापीठ तथा बम्बई-विश्वविद्यालय मे भी इस सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य चल रहा है। पश्चिम-बंगाल की सांस्कृतिक अनुसन्धान-संस्था ने राज्य के आदिमजातीय क्षेत्र के जीवन के कई पहलुओ पर महत्वपूर्ण रिपोर्टे प्रकाशित की है। भारत-सरकार का नृतत्व-विभाग तथा उत्तर-पूर्व-सीमान्त अभिकरण-प्रशासन अनुसन्धान करनेवाले दो अन्य संस्थान है।

आदिमजाति-विकास-खण्ड

दूसरी योजना की अवधि मे एक केन्द्रीय कार्यक्रम के अधीन 43 विकास-खण्ड आरम्भ किए गए जिनका उद्देश्य सामुदायिक विकास के सामान्य ढाचे पर आदिमजातीय क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन करके इन क्षेत्रो का सर्वतोमुखी विकास करना था। इन खण्डों में से प्रत्येक पर प्रथम तथा अगले पांच-पाच वर्षों में क्रमशः 27 लाख रु० तथा 10 लाख रु० व्यय किए गए। स्वर्गीय डा० वेरियर एल्विन की अध्यक्षता में एक समिति ने इनके कार्य की जांच की। तीसरी योजना की अवधि में लगभग 450 आदिमजाति-विकास-खण्ड (25,000 की जनसख्या से युक्त 517.96 वर्ग किलो-मीटर में फैला प्रत्येक खण्ड) आरम्भ किए जाने को थे। 1963-64 के अन्त में ऐसे 163 खण्डों का काम जारी था जिनमें दूसरी योजना की अवधि में आरम्भ किए गए 43 विशेष बहूद्देश्यीय आदिमजाति-विकास-खण्ड सम्मिलित नहीं थे।

अध्याय 11

जनसम्पर्क के साधन

प्रसारण

देश के समस्त महत्वपूर्ण सास्कृतिक तथा भाषा-क्षेत्रो मे आकाशवाणी के इस समय कुल मिलाकर 34 मुख्य तथा 17 सहायक केन्द्र हैं। इनका वर्गीकरण निम्नलिखित 4 अंचलों में किया गया है :

उत्तर : दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, जालन्धर, जयपुर, शिमला, भोपाल इन्दौर तथा रांची

पश्चिम : बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद, पूना, राजकोट, भुज तथा गोआ

दक्षिण : मद्रास, तिरुच्चिरापल्लि, विजयवाडा, तिरुवनन्दपुरम्, कोजीकोड, हैदराबाद, बंगलोर तथा धारवाड

पूर्व : कलकत्ता, कटक, गुवाहाटी, कुर्सियोंग, कोहिमा, इम्फाल तथा पोर्ट-ब्लेयर

इनके अतिरिक्त रेडियो-कश्मीर के भी दो केन्द्र जम्मू तथा श्रीनगर में हैं। गुवाहाटी-केन्द्र से सम्बद्ध एक कम शक्तिवाला केन्द्र पासीघाट में स्थापित किया गया है। सहायक केन्द्र अजमेर, कडप, ग्वालियर, जबलपुर, जयपुर, तिरुनेल्वेलि, तिरुवनन्दपुरम्, बीकानेर, भद्रावती, रामपुर, रायपुर, वाराणसी, विशाखापटनम्, सम्बलपुर, सांगली, सिलिगुड़ि तथा त्रिशूर् में हैं। 7 मार्च, 1966 को देश में 110 सम्प्रेषण-यन्त्र (ट्रांसमीटर) तथा 49 प्रापण (रिसीविंग) केन्द्र थे।

तीसरी योजना के अधीन आरम्भ की गई योजनाओ के पूरे होने पर भारत के 77 प्रतिशत लोग मध्यमतरग पर कार्यक्रम सुन सकेंगे। आकाशवाणी के अधीन उस समय 37 मुख्य केन्द्र; 23 सहायक केन्द्र; 108 मध्यमतरंगीय तथा 32 लघुतरंगीय सम्प्रेषण-यन्त्र, दिल्ली में एक टेलीविजन-सम्प्रेषण-यन्त्र और कलकत्ता में अधिक शक्तिशाली मध्यमतरंगीय सम्प्रेषण-यन्त्र होगे।

कार्यक्रम-रचना

आकाशवाणी के लगभग आधे कार्यक्रम संगीत के लिए नियत हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रमों में समाचारों, समाचार-दर्शन, वार्ताओं, रूपकों, नाटको तथा वाद-विवाद आदि के अन्तर्गत अनेक विषय आ जाते हैं। प्रत्येक बुधवार को राष्ट्रीय वार्ता-कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है जिसके अन्तर्गत सुप्रसिद्ध विद्वान कला, विज्ञान तथा साहित्य के बारे में वार्ताएं प्रसारित करते हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करते हैं।

विविधभारती

अक्तूबर 1965 में इस अखिल भारतीय पंचरंगी कार्यक्रम के आठ वर्ष पूरे हो गए। यह कार्यक्रम सभी दिन 12½ घण्टे प्रसारित किया जाता है। शनिवार को राष्ट्रीय संगीत-कार्यक्रम के स्थान पर उन लोगो के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है जिन्हें शास्त्रीय संगीत में रुचि नही है। बम्बई तथा मद्रास से शक्तिशाली सम्प्रेषण-यन्त्रों-द्वारा प्रसारित किए जाने के अतिरिक्त विविधभारती-कार्यक्रम अब देश के 26 केन्द्रों से मध्यम-तरंग पर सुना जा सकता है।

विशिष्ट श्रोताओं के लिए कार्यक्रम

देहाती भाइयो के कार्यक्रमों में देहाती जीवन के सभी पहलुओं पर विभिन्न माध्यमों से प्रकाश डाला जाता है। कृषि, स्वास्थ्य तथा सफाई-सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से ग्रामीण कार्यक्रम प्रतिदिन लगभग 2 घण्टे प्रसारित किया जाता है। ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चो की रुचि के विषयो पर भी वार्ताएं प्रसारित की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार की सहायता-योजना के अधीन विभिन्न राज्य-सरकारों को देहाती क्षेत्रो में लगाने के लिए 1,17,000 सामुदायिक रेडियो-सेट दिए गए।

17 नवम्बर, 1959 को देशभर में आकाशवाणी-ग्राम-गोष्ठियों का कार्य आरम्भ किया गया। इन गोष्ठियों में प्रसारकों तथा श्रोताओ के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। ये गोष्ठियां ऐसे गांवो में आयोजित की जाती है जो साप्ताहिक कार्यक्रमो के सम्बन्ध में नियमित रूप से विचार-विमर्श करके अपने सुझाव आकाशवाणी-केन्द्र को भेजते हैं। 1965 के अन्त में विभिन्न राज्यों में ऐसी लगभग 13,000 ग्राम-गोष्ठियो का कार्य जारी था।

खेत और घर-कार्यक्रमो के आयोजन तथा प्रसारण के सम्बन्ध में उचित निर्देश देने के लिए मुख्यालय में एक खेत और घर-एकाश स्थापित किया जा चुका है और ऐसे ही एकांश जालन्धर, तिरुचि, दिल्ली, पटना, पूना, बंगलोर, रायपुर, विजयवाडा, लखनऊ तथा सम्बलपुर में स्थापित किए जा रहे है।

इस समय विद्यालयों के लिए कार्यक्रम 25 केन्द्रों से सप्ताह में 4-6 दिन प्रसारित किए जाते हैं। 1965 के अन्त में यह कार्यक्रम देश के 29,620 विद्यालयों में सुना जाता था।

विश्वविद्यालयो के विद्यार्थियो के लिए प्रसारित किए जानेवाले कार्यक्रमों में शैक्षणिक विषयों पर वार्ताएं तथा वाद-विवाद सम्मिलित रहते हैं। हिन्दी, अंग्रेज़ी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रति वर्ष अन्तर्विश्वविद्यालय-वाद-विवाद तथा आकाशवाणी-नाटक-प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की जाती है।

आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र से महिलाओ तथा बच्चो के विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। महिलाओं के कार्यक्रम में गृह-प्रबन्ध, बच्चों की देखभाल, पोषण आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। बच्चों के कार्यक्रम में वार्ताएं, कहानियां, समूहगान, प्रश्नोत्तरी, नाटक आदि प्रसारित किए जाते हैं। 1965 के अन्त में देश में 3,000 महिला-श्रवण-क्लब तथा 5,500 बाल-श्रवण-क्लब थे।

औद्योगिक मजदूरों के लिए अहमदाबाद, इन्दौर, इलाहाबाद, कलकत्ता, कोजीकोड, तिरुचि, तिरुवनन्तपुरम्, दिल्ली, नागपुर, पोर्ट-ब्लेयर, बंगलोर, बम्बई, मद्रास, भोपाल, रांची, लखनऊ, विजयवाडा तथा हैदराबाद से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। कुर्सियोंग तथा गुवाहाटी से असम के चायबागान-मजदूरों तथा उनके परिवारों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। 1965 के अन्त में देश में 285 औद्योगिक श्रोता-गोष्ठियां थी।

सशस्त्र सेनाओ के लिए अहमदाबाद, गुवाहाटी, जम्मू, दिल्ली, भुज, राजकोट, श्रीनगर तथा सिलिगुड़ि से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। 87 आदिमजातीय बोलियों में भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। समय-समय पर उन स्थानो पर संगीत-कार्यक्रम आयोजित किए जाते है जहां सैनिक तैनात हैं।

पंचवर्षीय योजना-प्रचार

इस कार्यक्रम में श्रोताओं को योजना के कार्य में सहयोग देने के लिए अपनी सहायता स्वयं करने की प्रेरणा दी जाती है। 1965 में योजना के विभिन्न पक्षो से सम्बन्धित 8,682 कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

कार्यक्रमों का आदान-प्रदान

आकाशवाणी का अन्तर्देशीय कार्यक्रम-आदान-प्रदान-एकाश विभिन्न केन्द्रों में महत्वपूर्ण कार्यक्रमो के आदान-प्रदान की व्यवस्था करता है। 1965 में लगभग 17,000 कार्यक्रमो का आदान-प्रदान किया गया तथा विदेशो से इस एकांश को 2,500 कार्यक्रम प्राप्त हुए। इसी प्रकार एक एकाश विदेशो के साथ कार्यक्रमों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करता है। यह एकाश एक त्रैमासिक बुलेटिन भी प्रकाशित करता है जिसमें वितरण के लिए उपलब्ध कार्यक्रमो का पूरा ब्यौरा दिया जाता है।

स्वरांकन-सेवा (ट्रांसक्रिप्शन सर्विस)

इसके पुस्तकालय मे 13,000 से अधिक टेप हैं जिनमें देश के प्रसिद्ध सामाजिक तथा राजनीतिक नेताओ के भाषणो के रिकार्ड और हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत-घरानों के प्रसिद्ध कलाकारो के सगीत-रिकार्ड आदि सम्मिलित हैं। स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू के भाषणों को विषयानुसार सुरक्षित रखने के उपाय किए गए हे। इन रिकार्डों के वितरण आदि का कार्य केन्द्रीय टेप-कोष करता है।

परामर्श-समितियां

केन्द्रीय कार्यक्रम-परामर्श-समिति आकाशवाणी को कार्यक्रम तैयार तथा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में परामर्श देती है। आकाशवाणी की संगीत-नीति निर्धारित करने के लिए एक केन्द्रीय संगीत-परामर्श-मण्डल है। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र के लिए कार्यक्रम-परामर्श-समितियों तथा ग्रामीण कार्यक्रम-परामर्श-समितियों आदि की व्यवस्था है।

समाचार-सेवाएं

आकाशवाणी से प्रतिदिन अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में क्रमशः नौ तथा आठ बार; असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी तथा मलयालम में तीन-तीन बार; कश्मीरी, डोगरी तथा गोरखाली में दो-दो बार और उ० पू० सी० अभिकरण की असमिया में एक बार समाचार प्रसारित किए जाते है। कश्मीरी, उर्दू, बंगला तथा उ० पू० सीमान्त अभिकरण में बोली जानेवाली असमिया में प्रतिदिन समाचार-टिप्पणियां भी प्रसारित की जाती हैं।

विभिन्न 29 भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में प्रतिदिन 159 समाचार-बुलेटिनें प्रसारित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रों से प्रादेशिक समाचार भी प्रसारित किए जाते है। आकाशवाणी से समाचार-दर्शन-कार्यक्रम प्रति-सप्ताह अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में क्रमशः चार तथा तीन बार प्रसारित किए जाते है। प्रत्येक रविवार को सामयिक घटनाओं पर एक साप्ताहिक वार्ता के अतिरिक्त 'संसद्-समीक्षा', 'आज की बात' जैसे दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

विदेश-सेवा-कार्यक्रम

अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूज़ीलैण्ड तथा यूरोप के श्रोताओ के लिए प्रतिदिन 20 भाषाओं में रात-दिन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। विदेशो में बसे भारतीयों के लिए हिन्दी, तमिल, गुजराती तथा कोंकणी में और अभारतीय श्रोताओं के लिए 15 भाषाओ में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। 1965 में कार्यक्रम 8,000 घण्टे से अधिक समय प्रसारित हुआ।

रेडियो-सेटों का उत्पादन

1964 में 4,74,648 रेडियो-सेट तैयार किए गए। जनवरी-अगस्त 1965 में 3,58,308 रेडियो-सेट तैयार हुए। 31 दिसम्बर, 1965 को 54,05,973 व्यक्तियों के पास रेडियो-लाइसेंस थे।

टेलीविज़न

भारत में टेलीविज़न-कार्यक्रम नई दिल्ली मे 15 सितम्बर, 1959 से हुआ। यह कार्यक्रम दिल्ली में 25 मील की परिधि मे देखा जा सकता है। दिल्ली-क्षेत्र मे इस समय 184 टेली-क्लब है।

15 अगस्त, 1965 से कार्यक्रम एक घण्टे का कर दिया गया। इसमें महिलाओं, नवयुवकों तथा बच्चो की रुचि के कार्यक्रम तथा महीने में एक बार डेढ घण्टे के रूपक चलचित्र के कार्यक्रम सम्मिलित रहते है।

243 विद्यालयों में लगभग 484 टेलीविजन-सेट लगाए गए हैं। धीरे-धीरे दिल्ली के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो में इसकी व्यवस्था हो जाएगी। अनुमान है कि इसके द्वारा 24,000 से अधिक विद्यार्थी विज्ञान की, 35,000 विद्यार्थी सामाजिक विषयों की तथा 70,000 विद्यार्थी अंग्रेज़ी की शिक्षा लेते हैं। इस समय दिल्ली में 700 से अधिक टेलीविज़न-सेट हैं।

पत्र-पत्रिकाएं

भारत के समाचारपत्र-पंजीकार की सितम्बर 1965 में प्रकाशित नौवीं रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसम्बर, 1964 को देश में कुल 8,161 पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थीं। 1963 में इनकी संख्या 7,790 थी।

कुल 8,161 पत्र-पत्रिकाओं में से 514 दैनिक पत्र, 46 सप्ताह में तीन बार तथा दो बार-निकलनेवाली पत्रिकाएं और शेष 7,601 साप्ताहिक अथवा जल्दी-जल्दी प्रकाशित होनेवाली पत्रिकाएं थी।

सबसे अधिक पत्र-पत्रिकाएं 1,179 महाराष्ट्र-राज्य से निकलती थी। इसके बाद क्रमश: उत्तरप्रदेश (1,096), पश्चिम-बंगाल (1,024), दिल्ली (826) तथा मद्रास (730) का स्थान था।

भाषा के अनुसार पत्र-पत्रिकाओ के वर्गीकरण से प्रकट होता है कि सबसे अधिक पत्र-पत्रिकाएं (1,754) हिन्दी में प्रकाशित होती थी। इसके बाद क्रमश अग्रेजी (1,708), उर्दू (772), बंगला (559), गुजराती (482), मराठी (437), तमिल (435), तेलुगु (285), कन्नड़ (261), मलयालम (252), पंजाबी (193), उड़िया (70), असमिया (29) तथा संस्कृत (22) का स्थान था। द्विभाषी, बहुभाषी तथा अन्य भाषाओं की क्रमश. 578, 162 तथा 162 पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी।

समाचारपत्रों की ग्राहक-संख्या

1964 में प्रकाशित हो रहीं कुल 4,889 पत्र-पत्रिकाओ की ग्राहक-सख्या (अर्थात् बिक्रीवाली तथा निःशुल्क वितरित प्रतियो की सख्या) 2 करोड़ 7 लाख 44 हज़ार थी। 1964 में इनकी ग्राहक-संख्या में पिछले वर्ष की अपेक्षा 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाषा के अनुसार सबसे अधिक वृद्धि (11.6 प्रतिशत) मलयालम की पत्र-पत्रिकाओ की ग्राहक-संख्या में हुई। इसके बाद तमिल (9 4 प्रतिशत), बगला (8.5 प्रतिशत) तथा अंग्रेज़ी (7.9 प्रतिशत) का स्थान रहा। 1964 में 367 दैनिक पत्रो की कुल ग्राहक-संख्या 56.93 लाख थी।

पिछले वर्षों की भांति 1964 में भाषाओं के अनुसार सबसे अधिक ग्राहक-संख्या (52.93 लाख) अंग्रेज़ी-पत्रों की थी। इसके बाद हिन्दी-पत्रो का स्थान था जिनकी ग्राहक-संख्या 39.17 लाख थी। अन्य भाषाओं के पत्रो की ग्राहक-संख्या इस प्रकार थी—तमिल 23.68 लाख, मलयालम 14.68 लाख, मराठी 13.55 लाख, गुजराती 12.75 लाख, बंगला, 11.64 लाख, उर्दू 10 93 लाख, तेलुगू 7.68 लाख, कन्नड़ 5.75 लाख, पंजाबी 2 65 लाख, उड़िया 1.41 लाख, असमिया 1.24 लाख, तथा संस्कृत 16 हज़ार।

समाचारपत्र-कागज

1965-66 में देश की पत्र-पत्रिकाओं को 1,14,450 मीट्रिक टन समाचारपत्र-कागज़ प्राप्त हुआ जिसमें से 99,450 मीट्रिक टन कागज़ आयात किया हुआ था। विदशी विनियम के अभाव तथा समाचारपत्र-कागज़ कम प्राप्त होने के कारण पत्र-पत्रिकाओं को इसकी आपूर्ति प्रतिबन्धित है।

समाचारपत्र-सलाहकार समिति

समाचारपत्रों के लिए समाचारपत्र-कागज तथा मुद्रणयन्त्रों की उपलब्धि और आयात-सम्बन्धी नीति के विषय में सरकार को परामर्श देने के लिए 12 मई, 1964 के प्रस्ताव के अनुसार एक सलाहकार समिति स्थापित की गई है। इस समिति के अध्यक्ष सूचना और प्रसारण-उपमन्त्री हैं और इसके सदस्यो में से तीन प्रतिनिधि 'भारतीय तथा पूर्वी समाचारपत्र-समाज' के, दो प्रतिनिधि 'भारतीय भाषा-समाचारपत्र-संघ' के तथा पांच गैरसरकारी प्रतिनिधि सरकार-द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति हैं।

पत्र-सूचना-कार्यालय

पत्र-सूचना-कार्यालय (प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो) पत्र-पत्रिकाओं को अंग्रेज़ी तथा 12 भारतीय भाषाओं में भारत-सरकार की नीतियों, योजनाओं, सफलताओं तथा अन्य गतिविधियो के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करता है। 31 दिसम्बर, 1965 को भारत-सरकार के मुख्यालय से सम्बद्ध भारतीय तथा विदेशी संवाददाताओं की संख्या 258 थी।

पत्र-सूचना-कार्यालय की हिन्दी तथा उर्दू-सूचना-सेवाओं का संचालन इसके नई दिल्ली-स्थित कार्यालय से तथा अन्य भारतीय भाषाओं की सूचना-सेवाओं का संचालन अहमदाबाद तथा बम्बई (गुजराती), एर्णाकुलम् (मलयालय), कटक (उड़िया), कलकत्ता (बंगला), गुवाहाटी (असमिया), जालन्धर (पंजाबी), नागपुर, पूना तथा बम्बई (मराठी), बगलोर (कन्नड़), मद्रास (तमिल) तथा हैदराबाद (तेलुगु) के प्रादेशिक कार्यालयो से किया जाता है। हिन्दी-सेवा का सचालन कलकत्ता, जयपुर, पटना, भोपाल, लखनऊ तथा वाराणसी के कार्यालयो से भी होता है। उर्दू-पत्रों को इसी प्रकार की सहायता कलकत्ता, जालन्धर, श्रीनगर तथा हैदराबाद के कार्यालयों से प्राप्त होती है। 19 प्रादेशिक तथा शाखा-कार्यालय दूरमुद्रको (टेलीप्रिण्टरो) द्वारा मुख्यालय से सम्बद्ध हैं। पंजिम (गोआ) भी दूरमुद्रक-द्वारा बम्बई से सम्बद्ध है।

राज्यो की राजधानियों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानो में सूचना-केन्द्र स्थापित करने की एक योजना के अनुसार अजमेर, इन्दौर, जयपुर, जालन्धर, तिरुवनन्दपुरम्, नई दिल्ली, नागपुर, पटना, बंगलोर, बम्बई, भुवनेश्वर, भोपाल, मद्रास, मदुरइ, राजकोट, लखनऊ, विजयवाड़ा, शिलङ श्रीनगर, हुबली तथा हैदराबाद में सूचना-केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

छोटे समाचारपत्र-सम्बन्धी जांच-समिति

मई 1964 में श्री आर० आर० दिवाकर की अध्यक्षता में उपर्युक्त समिति स्थापित की गई जो छोटे समाचारपत्रों, विशेषकर आठवी अनुसूची में उल्लिखित भाषाओंवाले समाचारपत्रों, की कठिनाइयों तथा समस्याओं की जाच करेगी और सरकार को इनकी सहायता के लिए उपाय सुझाएगी। समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 1965 में दे दी।

प्रेस की स्वतन्त्रता

संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को भाषण करने तथा विचारों की अभीव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है। न्यायालयों के मतानुसार इस

अधिकार में प्रेस की स्वतन्त्रता का अधिकार भी सम्मिलित है। 'संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम 1951' के अधीन संसद् इस अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बना सकती है।

प्रेस के सम्बन्ध में चार मुख्य केन्द्रीय कानून हैं: (1) 'पत्र-पत्रिका (प्रेस) तथा पुस्तक-पंजीकरण-अधिनियम 1867'; (2) 'श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध-अधिनियम 1955'; (3) 'पुस्तक तथा समाचारपत्र-प्रदाय (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम 1954' तथा (4) 'संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन-सुरक्षा) अधिनियम 1956'। कुल 10 वर्ष कार्य करने के बाद किसी भी कारण से अथवा कार्य करने की अवधि तीन वर्ष से कम न होने पर अन्तःकरण के आधार पर भी स्वेच्छा से पदत्याग करने पर श्रमजीवी पत्रकार को उपदान देने की व्यवस्था के लिए 1962 में 'श्रमजीवी पत्रकार-अधिनियम' में संशोधन किया गया। इसमें समय-समय पर पत्रकारो के लिए वेतनमण्डलो की नियुक्ति की भी व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के अनुसार भूतपूर्व मध्यभारत के उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जी० के० शिन्दे की अध्यक्षता में 13 नवम्बर, 1963 को दूसरा श्रमजीवी पत्रकार-वेतन-मण्डल नियुक्त किया गया। समाचार-पत्रों के पत्रकार-भिन्न कर्मचारियो की वेतन-दरें निर्धारित करने के लिए एक अन्य वेतन-मण्डल और नियुक्त किया गया है। वेतन-मण्डलो का कार्य जारी है।

प्रेस-परिषद्-अधिनियम

'प्रेस-परिषद् अधिनियम 1965' के द्वारा प्रेस-परिषद् की स्थापना के लिए प्रेस-आयोग की सिफारिश को कार्यान्वित करने का उद्देश्य रखा गया है। इसके अनुसार प्रेस-परिषद् समाचारपत्रो को अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाए रखने और समाचारपत्रो तथा पत्रकारो के लिए आचार-संहिता तैयार करने में सहायता देगी।

चलचित्र

1965 में भारत में 326 चलचित्र बने। इनमें से 2 अंग्रेजी, 3 उड़िया, 21 कन्नड़, 1 कोंकणी, 5 गुजराती, 56 तमिल, 50 तेलुगू, 5 पंजाबी, 30 बंगला, 14 मराठी, 31 मलयालम, 1 सिन्धी तथा 107 हिन्दी (उर्दू-सहित) के थे। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय चलचित्र-जांच-मण्डल ने 913 लघुचित्रो के भी सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति दी।

भारतीय चलचित्र-संस्था

सूचना और प्रसारण-मन्त्रालय के तत्वावधान में 1961 में भारतीय चलचित्र-संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था में निर्देशन एव कथालेखन, चलचित्र-सम्पादन, चलचित्र-फोटोग्राफी और ध्वनि-इजीनियरी तथा ध्वन्याकन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

बाल-चलचित्र-समिति

बाल-चलचित्र-समिति मई 1955 में स्थापित हुई थी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी चलचित्रो का निर्माण करना तथा उनके निर्माण को प्रोत्साहन देना है। भारत-सरकार इस समिति को सहायता-अनुदान देती है। बाल-चलचित्र-आन्दोलन को व्यापक बनाने के लिए कई राज्यों में राज्यीय समितियां भी स्थापित कर दी गई है। बाल-चलचित्र-समिति अब तक 45 चलचित्र तैयार कर

चुकी है। इसके अतिरिक्त समिति ने दो रूपक तथा तीन वृत्तचित्र और तीन रूसी तथा पांच ब्रिटिश चलचित्र भी स्वीकार किए।

1957 में वेनिस में हुए अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र-समारोह में इस संस्था के 'जलदीप' नामक चलचित्र को सर्वोत्तम बालोपयोगी चलचित्र घोषित किया गया। समिति-द्वारा तैयार किए गए 'दिल्ली की कहानी' तथा 'ईद-मुबारक' को 1960 में चलचित्रों के राजकीय पुरस्कारों में योग्यता के प्रमाणपत्र मिले। 1961 में 'सावित्री' नामक चलचित्र को भी ऐसा ही पुरस्कार मिला। इसी चलचित्र को 1962 के वैंकोवर-अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र-समारोह में भी योग्यता का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। 1963 में 'पाच पुतलियां' शीर्षक चलचित्र को अ०भा० योग्यता का प्रमाणपत्र मिला। समिति के कुछ चलचित्रों को अन्तर्राष्ट्रीय बाल-चलचित्र-समारोहों में दिखाया गया।

दिसम्बर 1964 में समिति के 3 चलचित्रों का प्रदर्शन लन्दन के सिनेमाघरों में हुआ तथा एक चलचित्र केनिया-ब्राडकास्टिंग-कम्पनी-द्वारा टेलीविजन पर दिखाया गया।

समिति गन्दी बस्तियो तथा बाल-सुधारगृहों में रहनेवाले बच्चों को नि:शुल्क चलचित्र दिखाने के अतिरिक्त सिनेमाघरो में चलचित्र-प्रदर्शनियो का भी आयोजन करती है। समिति की बाल-पत्रिका का प्रथम अक प्रकाशित हो चुका है।

अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र-समारोह

1965 में अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र-समारोहों में निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए :

रूपकचित्र (फीचर फिल्म)

(1) 'निर्जन सैकते' को भारत के तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र-समारोह में **सर्वोत्तम अभिनेत्री के लिए पुरस्कार** मिला।

(2) 'हमारा घर' को गौट्‌वालदौफ (चेकोस्लोवाकिया) में हुए प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय बाल तथा नवयुवक चलचित्र-समारोह में **विशेष पंच-पुरस्कार** मिला।

(3) 'चारुलता' को बर्लिन के अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र-समारोह में **सर्वोत्तम निर्देशक के लिए पुरस्कार** तथा सर्वोत्तम चलचित्र होने के लिए **कैथोलिक पंच-पुरस्कार** भी प्राप्त हुआ।

(4) 'शेक्सपियरवाला' को बर्लिन के अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र-समारोह में **सर्वोत्तम अभिनेत्री के लिए पुरस्कार** मिला।

(5) 'आरोही' को अठारहवें लोकार्नो-चलचित्र-समारोह मे **'मानव-सम्बन्धों के उन्नयन' के लिए रजत पदक** प्राप्त हुआ।

वृत्तचित्र (डाक्युमेण्टरी फिल्म)

(1) 'ऐण्ड माइल्स टु गो' को भारत के तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र-समारोह में **विशेष पुरस्कार** मिला।

(2) 'ऑवर नेशनल गेम—हॉकी' को इटली मे हुई इक्कीसवी अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद-चित्रपट्टी-प्रतियोगिता मे **कांसे की तिपाई** प्राप्त हुई।

(3) 'वन डे' को मेलबोर्न के चलचित्र-समारोह में **योग्यता का डिप्लोमा** मिला।

(4) 'माउण्टेन विजिल' को वर्साई में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक चलचित्र-समारोह में **पंच के विशेष उल्लेख का प्रमाणपत्र** मिला।

(5) 'फॉक डान्सेज़ ऑफ इण्डिया' को न्यूयार्क के बफेलो-समारोह में **अभिनय-श्रेणी का प्रमाणपत्र** मिला।

चलचित्रों को राजकीय पुरस्कार

कला तथा शिल्प की दृष्टि से उत्कृष्ट तथा उच्च कोटि के चलचित्रों और सांस्कृतिक तथा शिक्षाप्रद चलचित्रों को सरकार 1954 से प्रतिवर्ष पुरस्कार देती आ रही है। रूपक-चित्रों, वृत्तचित्रों तथा बाल-चलचित्रों आदि के लिए अलग-अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। 1965 में पुरस्कृत चलचित्रों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

हाल ही में असम, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र-सरकारों ने भी क्रमश असमिया, तेलुगु, गुजराती तथा मराठी-चलचित्रों के लिए पुरस्कारों की व्यवस्था की है।

वृत्तचित्र (डाक्युमेण्टरी) तथा समाचारचित्र (न्यूज़रील)

लघुचित्रों (शॉर्ट्स) तथा समाचारचित्रों का निर्माण मुख्य रूप से केन्द्रीय सूचना और प्रसारण-मन्त्रालय का चलचित्र-विभाग करता है। 1965 के अन्त तक इस विभाग ने 907 समाचारचित्र तथा 811 लघुचित्र प्रदर्शन के लिए दिए। 1965 में अन्य निर्माताओं ने भी 20 चित्र तैयार किए। लघुचित्र तथा समाचारचित्र 13 भाषाओं में तैयार किए जाते हैं।

समाचारचित्रों में देश-विदेश में घटनेवाली महत्वपूर्ण तथा रोचक घटनाओं के चित्र सम्मिलित रहते हैं। विदेशों की घटनाओं के चित्र समाचारचित्र-सम्बन्धी सामग्री के निःशुल्क आदान-प्रदान के एक करार के रूप में 25 संगठनों से प्राप्त किए जाते हैं। देश में घटनेवाली घटनाओं के आलोक चित्र (फोटो) देश के विभिन्न भागों में स्थित 14 केमरामैन लेकर भेजते हैं।

प्रत्येक सिनेमाघर के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह एक बार के खेल में वृत्तचित्र, वैज्ञानिक तथा शिक्षाप्रद चलचित्रों और सामयिक घटनाओं के बारे में 2,000 फुट लम्बे चलचित्रों का प्रदर्शन करे। चलचित्र-विभाग प्रत्येक सिनेमाघर में प्रदर्शन के लिए सप्ताह में एक समाचारचित्र अथवा एक वृत्तचित्र उपलब्ध करता है।

सरकारी तथा अर्द्धसरकारी विभागों, शिक्षा-संस्थाओं, चिकित्सालयों तथा समाज-कल्याण-संगठनों को प्रदर्शन के प्रयोजन से चलचित्र उधार दिए जाते हैं।

विदेश-स्थित 81 भारतीय दूतावासों को भी प्रचार के लिए स्वीकृत वृत्तचित्र दिए जाते हैं। समाचारचित्रों का एक विशेष मासिक समुद्रपारीय संस्करण तैयार करके विदेश-स्थित 39 केन्द्रों को भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त चलचित्र-विभाग ने कुछ बाहरी देशों के सिनेमाघरों में तथा टेलीविज़न पर भी अपने वृत्तचित्र दिखाने की व्यवस्था कर रखी है।

चलचित्र-जांच-अवस्था

जनवरी 1951 में एक केन्द्रीय चलचित्र-जांच-मण्डल की स्थापना की गई। अध्यक्ष-सहित जांच-मण्डल के आठ सदस्य हैं जो भारत-सरकार-द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जांच-मण्डल का प्रधान कार्यालय बम्बई में है। इसके अतिरिक्त कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में भी इसके प्रादेशिक कार्यालय हैं।

प्रत्येक चलचित्र पर एक परीक्षण-समिति विचार करती है। इस समिति की सिफारिश पर ही प्रमाणपत्र देने अथवा न देने का निर्णय किया जाता है। अस्वीकृति की अवस्था में निर्माता पुनरीक्षण-समिति से पुर्नविचार के लिए अपील कर सकता है। चलचित्र-निर्माता को परीक्षण-समिति तथा पुनरीक्षण-समिति, दोनों, के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाता है। अन्ततः मण्डल के निर्णय के विरुद्ध भारत-सरकार के पास अपील की जा सकती है।

चलचित्रों को दिए जानेवाले प्रमाणपत्रों की दो श्रेणियां हैं। जो चलचित्र सर्वत्र तथा सब दर्शकों को दिखाए जा सकते हैं, उन्हें 'यू' (यूनिवर्सल) का प्रमाणपत्र और जो केवल वयस्क व्यक्तियों (18 वर्ष से अधिक आयुवाले) को दिखाए जा सकते हैं, उन्हें 'ए' (एडल्ट) का प्रमाणपत्र दिया जाता है।

1965 में केन्द्रीय चलचित्र-जाच-मण्डल ने 2,617 चलचित्रों की जाच की। मण्डल ने 1,358 चलचित्रों को 'यू' के तथा 137 चलचित्रों को 'ए' के प्रमाणपत्र दिए। 29 चलचित्रों (28 विदेशी तथा 1 भारतीय) को प्रमाणपत्र नहीं दिए गए। 1,314 चलचित्र 'मुख्यतः शिक्षामूलक' घोषित किए गए।

चलचित्र-सलाहकार समिति

चलचित्र-उद्योग के विभिन्न संगठनों के परामर्श से भारत-सरकार ने एक चलचित्र-सलाहकार समिति नियुक्त की है जो सरकार तथा चलचित्र-उद्योग के बीच अधिक सम्पर्क स्थापित करेगी और सरकार को इस मामले में सलाह देगी।

चलचित्र-वित्त-निगम

चलचित्र-जांच-समिति की सिफारिश पर भारत-सरकार ने 1 करोड़ रुपये की पूंजी से मार्च 1960 में चलचित्र-वित्त-निगम स्थापित किया। निगम अच्छे चलचित्रों के निर्माताओं को ऋण देता है। राष्ट्रीय समस्याओं पर आधारित कथावस्तु को प्राथमिकता दी जाती है। निगम से ऋण-प्राप्त 18 चलचित्र दिसम्बर 1965 के अन्त में प्रदर्शन के लिए जारी किए गए। इनमें से 10 चलचित्रों को राजकीय पुरस्कार प्राप्त हुए।

चलचित्र-सम्बन्धी चित्रपट्टियों तथा उपकरणों का आयात

1965 में 2 करोड़ 75 लाख 78 हजार रुपये के मूल्य की कच्ची चित्रपट्टियों, 21.07 लाख रुपये के मूल्य की तैयार चित्रपट्टियों, 1.63 लाख रुपये के मूल्य के ध्वन्यांकन-उपकरणों तथा 38.37 लाख रुपये के मूल्य के प्रोजेक्शन-उपकरणों का आयात किया गया।

भारतीय चलचित्रों का निर्यात

भारतीय चलचित्रों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से सूचना और प्रसारण-मन्त्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एक चलचित्र-निर्यात-प्रोत्साहन-समिति स्थापित की गई है। जनवरी-सितम्बर 1965 में चलचित्रों के निर्यात से भारत ने लगभग 1,67,37,000 रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त की।

प्रकाशन

राष्ट्रीय ग्रन्थ-सूची

'पुस्तक-प्रदाय (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम 1954' के अधीन कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय को भारत में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति प्राप्त होती है जिससे भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थसूची-एकाश एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थसूची तैयार करने में समर्थ हुआ है। त्रैमासिक ग्रन्थसूची के रूप में इसका प्रकाशन अक्तूबर 1957 से आरम्भ हुआ। जनवरी 1964 से इसे मासिक का रूप दिया जा चुका है। 1958 तथा 1962 से सम्बन्धित पुस्तकों की ग्रन्थसूचियां प्रकाशित हो चुकी हैं।

गज़ेटियर

दूसरी पंचवर्षीय योजना के सामान्य शिक्षा-विकास-कार्यक्रम के अंग के रूप में भारत-सरकार ने 1957 में 'गज़ेटियर्स ऑफ इण्डिया' के संशोधन का कार्य आरम्भ किया। 'गज़ेटियर ऑफ इण्डिया' का प्रथम खण्ड प्रकाशित हो चुका है। दूसरे खण्ड के संकलन का कार्य जारी है। शेष दो खण्डों पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

कापीराइट

'कापीराइट-अधिनियम 1957', जिससे तत्सम्बन्धी सभी पिछले कानूनों में संशोधन हुआ, जनवरी 1958 में लागू हुआ। 31 दिसम्बर, 1965 तक 4,534 रचनाओं के कापीराइट का पंजीकरण हुआ।

प्रकाशन-विभाग

सूचना और प्रसारण-मन्त्रालय का प्रकाशन-विभाग अंग्रेज़ी, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में लोकप्रिय पुस्तक-पुस्तिकाएं तथा चित्र-संग्रह आदि तैयार करने; उनका प्रकाशन, वितरण तथा विक्रय करने और जनता को देश की संस्कृति, सरकारी गतिविधियों, विभिन्न विकास-कार्यक्रमों की प्रगति तथा पर्यटन-योग्य स्थानों के सम्बन्ध में अधिकृत जानकारी उपलब्ध करने का कार्य करता है।

केन्द्रीय सरकार के सामान्य प्रकाशनों का प्रकाशन करनेवाली संस्था होने के अतिरिक्त यह विभाग राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास तथा केन्द्रीय समाज-कल्याण-मण्डल-जैसे संगठनों के साहित्य-प्रकाशन का भी कार्य करता है। यह विभाग राष्ट्रीय संग्रहालय, ललित कला-अकादमी, अखिल भारत हस्तशिल्प-मण्डल आदि के प्रकाशनों के वितरण की भी व्यवस्था करता है।

प्रकाशन-विभाग 12 पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहा है जिनमें से 'आजकल' (हिन्दी तथा उर्दू) जैसी सांस्कृतिक और 'भगीरथ', 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी तथा अंग्रेजी) तथा 'योजना' (हिन्दी तथा अंग्रेजी) जैसी आयोजन-विषयक पत्रिकाएं उल्लेखनीय हैं। भारत से बाहर के पाठकों के लिए 'इण्डियन ऐण्ड फॉरेन रिव्यू' तथा 'ट्रैवलर इन इण्डिया' शीर्षक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं।

1965 में इस विभाग ने सामान्य रुचि की और पर्यटन तथा योजना-प्रचार-सम्बन्धी विभिन्न भाषाओं की 229 पुस्तकें तथा पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं। विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तिकाओं की 17,6 लाख प्रतियां बेची तथा 24 लाख प्रतियां निःशुल्क बांटी गईं जिनमें पाकिस्तानी आक्रमण-सम्बन्धी प्रकाशन भी सम्मिलित थे।

विज्ञापन तथा दृश्य-प्रचार

विज्ञापन तथा दृश्य-प्रचार-निदेशालय

भारत-सरकार की विज्ञापन तथा दृश्य-प्रचार-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व विज्ञापन तथा दृश्य-प्रचार-निदेशालय पर है। निदेशालय पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करवाने, मुद्रित प्रचार-सामग्री तैयार करने और विभिन्न मन्त्रालयों तथा विभागों की ओर से वर्गीकृत विज्ञापनों आदि के प्रकाशन की व्यवस्था करता है। प्रचार-सम्बन्धी सामग्री अंग्रेज़ी, हिन्दी तथा 11 प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित की गई।

1965 में प्रदर्शनी-विभाग ने देश के विभिन्न भागों में 350 प्रदर्शनियों की व्यवस्था की जिनमें 'श्री जवाहरलाल नेहरू का स्वप्न तथा हमारा उद्देश्य' प्रदर्शनी भी सम्मिलित थी। 'द नेशन प्रिपेयर्स' नामक एक अन्य प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ जो करगिल तथा लेह-सहित देश के विभिन्न भागों में दिखाई गई। इसके अतिरिक्त इस विभाग ने परिवार-नियोजन-सम्बन्धी प्रदर्शनियों की भी व्यवस्था की।

निदेशालय ने 1965 में कुल 9,678 विज्ञापन जारी किए तथा मुद्रित प्रचार-सामग्री की 6.44 करोड़ प्रतियां तैयार कीं। राज्यों के सूचना तथा प्रचार-निदेशालय अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं।

भारतीय विज्ञापन-परिषद्

1959 में स्थापित भारतीय विज्ञापन-परिषद् एक सलाहकार संस्था है जो विज्ञापन की प्रणालियां निर्धारित करने के अतिरिक्त विज्ञापन में शिक्षा की समस्याओं आदि की ओर भी ध्यान देती है।

क्षेत्र-प्रचार

भारत-सरकार के क्षेत्र प्रचार-निदेशालय के प्रादेशिक तथा क्षेत्र-प्रचार-एकांश और राज्यीय सूचना/जनसम्पर्क-विभागों के क्षेत्र-एकांश क्षेत्र-प्रचार का कार्य करते हैं। 1965 में भारत-सरकार के 86 क्षेत्र-प्रचार-एकांशों ने देश के 17,765 स्थानों का निरीक्षण किया; 30,670 सार्वजनिक सभाओं की व्यवस्था की; 23,698 चलचित्रों का प्रदर्शन किया और 5,510 नाटक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया।

भारतीय जनसम्पर्क-साधन-संस्था

यह संस्था जनसम्पर्क-साधन-विषयक उन्नत अध्ययन के लिए स्थापित की गई है। इसकी व्यवस्था का भारत-सरकार-द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष-सहित एक कार्यकारी परिषद् पर है। संस्था की ओर से केन्द्रीय तथा राज्यीय सरकारों के सूचना तथा प्रचार-कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आरम्भ हो चुका है। यह संस्था समय-समय पर जनसम्पर्क-साधन-सम्बन्धी समस्याओं पर विचारगोष्ठियों का भी आयोजन करेगी।

प्रसारण तथा सूचना-साधन-समिति

भारत-सरकार ने दिसम्बर 1964 में श्री ए० के० चन्द की अध्यक्षता में एक प्रसारण तथा सूचना-साधन-समिति स्थापित की। समिति रेडियो तथा टेलीविजन-सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

अध्याय 12

आर्थिक ढांचा

प्राकृतिक संसाधनों तथा मानव-शक्ति की दृष्टि से भारत एक सम्पन्न देश है और इसके मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के पूर्ण उपयोग की अभी काफी गुंजाइश है। भारत की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि पर ही आधारित है और देश की लगभग आधी राष्ट्रीय आय कृषि तथा उससे सम्बद्ध व्यवसायों से प्राप्त होती है जिनमें देश के लगभग तीन-चौथाई मज़दूर काम करते हैं। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से राष्ट्रीय आयोजन का यह उद्देश्य रहा है कि औद्योगिक विकास की दिशा में प्रगति की जाए तथा साथ ही कृषि की उत्पादन-क्षमता भी बढ़ाई जाए। पिछले कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था में शुद्ध विनियोग की मात्रा बढ़ रही है। 1962-63 के अन्त में यह राष्ट्रीय आय का लगभग 12.7 प्रतिशत था।

राष्ट्रीय आय तथा प्रति-व्यक्ति-आय

1964-65 के प्रारम्भिक प्राक्कलनों के अनुसार राष्ट्रीय आय तथा प्रति-व्यक्ति-आय चालू मूल्यों के आधार पर क्रमश: 2 खर्ब 10 करोड़ रुपये तथा 421.5 रुपये थी और 1948-49 के मूल्यों के अनुसार क्रमश. 1 खर्ब 50 अर्ब 50 करोड़ रुपये तथा 317 रुपये थी।

1964-65 के प्रारम्भिक आंकड़ो के अनुसार राष्ट्रीय आय के प्रमुख व्यवसायगत क्षेत्रों में से कृषि, पशुपालन, वन-उद्योग तथा मछलीपालन से 1 खर्ब 2 अर्ब 70 करोड़ रु० (51.3 प्रतिशत); खनन, निर्माणकारी तथा लघु उद्योगों से 36 अर्ब रु० (18 प्रतिशत); वाणिज्य, परिवहन तथा संचार-साधनो से 29.6 अर्ब रु० (14.8 प्रतिशत) और अन्य व्यवसायों, सरकारी नौकरियो, घरेलू सेवाओं तथा गृह-सम्पत्ति आदि से 32.9 अर्ब रु० (16.4 प्रतिशत) की आय हुई। इस प्रकार कुल आय 2 खर्ब 1 अर्ब 20 करोड़ रु० की हुई। इसमें से विदेशों में अर्जित 1.1 अर्ब रु० की आय निकाल दें तो शुद्ध आय 2 खर्ब 10 करोड़ रु० बच रहेगी।

प्रारम्भिक आंकड़ो के अनुसार 1964-65 के लिए राष्ट्रीय आय के सूचनांक (आधार वर्ष 1948-49 = 100) चालू मूल्यों के अनुसार 231.3 तथा 1948-49 के मूल्यों के अनुसार 174.0 थे। इसी प्रकार प्रति-व्यक्ति-आय के ये सूचनांक क्रमशः 168.9 तथा 127.0 थे।

राष्ट्रीय आय तथा व्यय में सरकार का अंश

1962-63 के प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार 1 खर्ब 54 अर्ब 80 करोड़ रुपये की कुल राष्ट्रीय आय में से सरकारी उद्योगों तथा प्रशासन की आय 18.4 अर्ब रुपये (11.9 प्रतिशत) थी। उक्त वर्ष में 1 खर्ब 68 अर्ब 40 करोड़ रुपये के कुल राष्ट्रीय व्यय में से सरकारी सेवाओं तथा उद्योगों का व्यय 27.8 अर्ब रुपये का था जिसमें 12.1 अर्ब रुपये का पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित है।

बचत तथा विनियोग-अनुमान

1962-63 में सरकारी, घरेलू तथा पारिवारिक (ग्रामीण तथा शहरी) क्षेत्रों में बचत चालू मूल्यों के आधार पर क्रमशः 4 अर्ब 10 करोड़ 10 लाख रु०, 1 अर्ब 4 करोड़ 70 लाख रु० तथा 9 अर्ब 83 करोड 60 लाख रु० (2.37 अर्ब रु० तथा 7 अर्ब 46 करोड़ 60 लाख रु०) और 1948-49 के मूल्यो के आधार पर क्रमशः 3.56 अर्ब रु०, 90.8 करोड रु० तथा 8 अर्ब 53 करोड़ 90 लाख रु० (1 अर्ब 97 करोड़ 20 लाख रु० तथा 6 अर्ब 56 करोड़ 70 लाख रु०) की रही ।

1962-63 में बचत तथा शुद्ध पूजी के रूप मे विनियोग चालू मूल्यो के आधार पर क्रमशः 14 अर्ब 98 करोड 40 लाख रु० तथा 4 अर्ब 45 करोड़ 50 लाख रु० का रहा और 1948-49 के मूल्यों के आधार पर क्रमश. 13 अर्ब 70 लाख रु० तथा 3 अर्ब 93 करोड़ 70 लाख रु० का रहा।

नियोजन

देश में कुल बेरोजगार व्यक्तियो की संख्या का ठीक-ठीक अनुमान अभी तक नही लगाया जा सका है। रोजगार-केन्द्रो के आंकड़ो मे मुख्यत. शहरी क्षेत्रो का ही विवरण रहता है और इन केन्द्रो में सभी बेरोजगार लोग अपना नाम दर्ज नही कराते।

1965 के अन्त में रोजगार-केन्द्रो के रजिस्टरो मे विभिन्न प्रकार के रोजगार चाहनेवाले 25,85,473 व्यक्तियो के नाम दर्ज थे।

मजदूरों तथा आयोजन-काल में व्यवस्थित रोजगारो के कुछ आकडे आयोजन-वाले अध्यायन में दिए गए है।

अर्थव्यवस्था का रूप

ग्रामीण परिवारों की प्रकट सम्पत्ति

भारत के रिज़र्व बंक के साख्यिकी-विभाग द्वारा भारत की प्रकट सम्पति के विषय में किए गए अनुमानो का विवरण 1964 के सस्करण में दिया गया था।

बाद के अध्ययनो के अनुसार जून 1962 के अन्त में ग्रामीण परिवारो की कुल प्रकट सम्पत्ति 3 खर्ब 61 अर्ब 56 करोड की होने का अनुमान लगाया गया जिसमें से पुनः उपयोग मे लाई जा सकनेवाली परिसम्पत्ति 1 खर्ब 36 अर्ब 15 करोड़ रु० की थी।

परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण के अनुसार सबसे अधिक परिसम्पत्तिवाले दो वर्गों के परिवारो (10,000-20,000 रु० तथा 20,000 रु० से अधिक की परिसम्पत्तिवाले) के पास ग्रामीण भारत की कुल प्रकट सम्पत्ति की लगभग 58 प्रतिशत थी। इसी प्रकार सबसे कम परिसम्पत्तिवाले दो वर्गों के परिवारो (500 रु० से कम तथा 500-1,000 रु० की परिसम्पत्तिवाले) के पास केवल 2.5 प्रतिशत थी।

अखिल भारत-स्तर पर प्रति कृषक तथा कृषकभिन्न-परिवार की औसत परिसम्पत्ति क्रमशः 6,609 रु० तथा 1,574 रु० की बैठी।

अखिल भारत-स्तर पर ग्रामीण परिवारों की कुल प्रकट सम्पत्ति में से स्वामित्व-वाली तथा विशेषाधिकार-धीन भूमि 62.3 प्रतिशत, आवास-भवन 17.5 प्रतिशत, अन्य भूमि 3.6 प्रतिशत, पशु 7.5 प्रतिशत, खेती में काम आनेवाले उपकरण 1.3 प्रतिशत, अन्य कार्यों में काम आनेवाले उपकरण 0.4 प्रतिशत, बैलगाड़ी 0.7 प्रतिशत, अन्य परिवहन-उपकरण 0.4 प्रतिशत तथा टिकाऊ पारिवारिक परिसम्पत्ति 6.3 प्रतिशत है।

ग्रामीण ऋण

जून 1962 के अन्त में सभी ग्रामीण परिवारों पर शेष नकद ऋण अनुमानतः 27.89 अर्ब रु० था।

कृषकों को ऋण सबसे अधिक कृषिजीवी महाजनों से प्राप्त हुआ। इनके बाद सहकारी समितियों, व्यापारियों तथा कमीशन एजेण्टों, सम्बन्धियों, सरकार, जमींदारों और वाणिज्य-बैंकों से ऋण मिला। ऋण मुख्यतः घर-खर्च के लिए लिया जाता रहा। लगभग 25 प्रतिशत ऋण पर कोई ब्याज नही लिया गया।

जोत (ग्रामीण क्षेत्र)

1963 में प्रकाशित राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण की पांचवीं रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जोत लगभग 6.2 करोड़ एकड़ की होने का अनुमान लगाया गया जो कुल 33.6 करोड़ एकड भूमि में फैली हुई है। औसत जोत 5.43 एकड़ की बैठती है। लगभग 5 प्रतिशत जोत (9 प्रतिशत क्षेत्र) संयुक्त रूप से की जानेवाली खेती के अधीन है। एक पचमांश कृषि-भूमि विभिन्न प्रकार के किरायों के आधार पर विभिन्न प्रकार की काश्तकारी-व्यवस्था के अधीन पट्टे पर ली हुई थी। लगभग 72 प्रतिशत जोतो का उपयोग पूर्णतः अथवा अंशतः कृषि-कार्यों के लिए होता था।

जोत (शहरी क्षेत्र)

शहरी क्षेत्रवाली जोत के सम्बन्ध मे राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण के आठवें दौर (जुलाई 1954-अप्रैल 1955) से पता चला कि भारत के औसत शहरी परिवार के पास 1.42 एकड़ की जोत थी और भूमिहीन परिवार 58.62 प्रतिशत, कुछ भूमि रखनेवाले परिवार 41.38 प्रतिशत, औसत परिवार 4 35 व्यक्ति का तथा औसत कृषिवाली जोत 0.93 एकड़ की थी।

कारखाने

1961 की जनगणना के आधार पर प्राप्त आंकड़ों से पता चला कि देश के शहरी क्षेत्र में छोटे-बड़े कुल कारखानों की संख्या 14,27,284 थी जिनमें से 2,00,642 कारखानों में बिजली का उपयोग होता था तथा शेष में ईंधन के अन्य साधनों का। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-बडे कुल 33,72,390 कारखाने थे जिनमें से 40,996 कारखानों में बिजली का उपयोग होता था।

कार्यशील व्यक्ति

1961 की जनगणना की सामान्य आर्थिक सारणियों [भागII—ख (i)] के आधार

पर भारत के कार्यशील व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायगत मजदूरों की श्रेणियों में तथा कार्य न करनेवाले व्यक्तियों में विभाजित किया गया है। भारत के कुल कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 18,86,76,000 थी जिनमें से 9,96,21,000 कृषक; 3,15,21,000 कृषि-मजदूर; 52,21,000 खनन, मछलीपालन, बागान तथा वन-उद्योग में काम करनेवाले व्यक्ति; 1,20,31,000 पारिवारिक उद्योगों में लगे व्यक्ति; 79,76,000 अन्य उत्पादक उद्योगों में लगे व्यक्ति; 20,60,000 निर्माणकार्य करनेवाले व्यक्ति; 76,54,000 व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में लगे व्यक्ति; 30,20,000 परिवहन तथा संचार-साधनों में काम करनेवाले व्यक्ति; 1,95,72,000 अन्य सेवाओं में लगे व्यक्ति तथा 25,02,61,000 कार्य न करनेवाले व्यक्ति थे।

आवास-रूपरेखा

जनगणनावाले प्रत्येक 1,000 परिवारों में से भारत में 13 परिवार तो ऐसे थे जिनके पास कोई नियमित कमरा नहीं था। 490 परिवारों में से प्रत्येक के पास 1 कमरा, 264 परिवारों में से प्रत्येक के पास 2 कमरे, 113 परिवारों में से प्रत्येक के पास 3 कमरे, 59 परिवारों में से प्रत्येक के पास 4 कमरे तथा 60 परिवारों में से प्रत्येक के पास 5 अथवा उनसे अधिक कमरे थे।

1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 10.8 करोड़ घर (8.9 करोड़ घर गांवों में तथा 1.9 करोड़ घर शहरों में) थे जिनमें से 7.9 करोड़ घरों का उपयोग निवास तथा निवास-दुकान आदि के लिए होता था। शेष में से 2.2 करोड़ घरों का उपयोग दुकानों, होटलों, कार्यालयों, कारखानों, दवाखानों आदि के लिए होता था और अन्य 62 लाख घर खाली थे।

भारत के प्रत्येक परिवार के पास औसतन 1.97 कमरे (1.98 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 1.93 शहरी क्षेत्रों में) थे। औसतन प्रति एक कमरे में ग्रामीण क्षेत्रों में 2.58 व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्रों में 2.61 व्यक्ति रहते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में 93.6 प्रतिशत परिवारों के अपने निजी घर थे जबकि शहरी क्षेत्रों में 46.2 प्रतिशत परिवारों के ही अपने निजी घर थे।

व्यय का स्वरूप

जुलाई 1959 तथा जून 1960 के बीच के राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण के पन्द्रहवें दौर के परिणामों के अनुसार गांवों में उपभोक्ता-व्यय 247 रुपये प्रति-व्यक्ति प्रतिवर्ष तथा शहरों में 334.6 रुपये था। खाद्य वस्तुओं पर उपभोक्ता-व्यय गांवों में 69.2 प्रतिशत तथा शहरों में 61.4 प्रतिशत होता था। वस्त्रों पर प्रतिवर्ष व्यय गांवों में 19.7 रुपये प्रति-व्यक्ति तथा शहरों में 20.7 रुपये प्रति-व्यक्ति था।

ग्रामों, कस्बों तथा शहरों में उपभोक्ता-व्यय का स्वरूप

ग्रामों, कस्बों तथा शहरों में उपभोक्ता-व्यय का सर्वेक्षण करने से पता चला कि अनाज पर व्यय ग्रामों में लगभग 42.4 प्रतिशत, कस्बों में 24.6 प्रतिशत तथा शहरों में 15.5 प्रतिशत है। सब प्रकार से खाद्य पदार्थों पर कुल उपभोक्ता-व्यय ग्रामों तथा कस्बों की तुलना में शहरों में अधिक था।

ग्रामों की तुलना में कस्बों तथा शहरों में शिक्षा-सम्बन्धी व्यय और कर आदि अधिक हैं। परन्तु कुल मिलाकर सारे देश के लिए व्यय का ढांचा, देश में ग्रामों की बहुलता के कारण, ग्रामों-जैसा ही है।

कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास के बड़े नगरों के 1958-59 के मध्यम वर्ग-परिवार-सर्वेक्षण के अनुसार मध्यम वर्ग के परिवारों में सामान्यतः 100 रुपये से 500 रुपये तक की मासिक आयवाले परिवारो का ही बहुमत रहा।

कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास के बड़े-बड़े नगरो के मजदूरों-परिवारो में अधिकता कलकत्ता में 60-90 रु० मासिक आयवाले, दिल्ली तथा मद्रास में 90-120 रु० मासिक आयवाले और बम्बई में 120-150 रु० मासिक आयवाले परिवारों की रही।

मूल्य

पिछले कुछ वर्षों से भारत में थोक मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे है। खाद्य वस्तुओं, शराब तथा तम्बाकू; ईंधन, शक्ति, बिजली तथा स्नेहकों और औद्योगिक कच्चे माल तथा तैयार माल के थोक मूल्यों का सामान्य सूचनाक, जो 1955-56 में 1952-53 के 100 से घटकर 92.5 रह गया था, 1960-61 में 124.9, 1961-62 में 125.1 1962-63 में 127.9, 1963-64 में 135.3 तथा 1964-65 में 152.7 हो गया। जनवरी 1966 के दूसरे सप्ताह के अन्त में यह सूचनांक 169 5 रहा।

उपभोक्ता-मूल्य

दिसम्बर 1965 में मजदूर-वर्ग के उपभोक्ता-मूल्य के सूचनाक में लगभग 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1956-57 में यह सूचनांक (आधार-वर्ष 1949=100) 107, 1960-61 में 124, 1961-62 में 127, 1962-63 में 131, 1963-64 में 137 तथा 1964-65 में 157 था। दिसम्बर 1965 में यह सूचनांक 173 था।

अध्याय 13

आयोजन

भारत में आयोजन की आवश्यकता का अनुभव व्यक्तिगत रूप से लोग, जनसमुदाय, कांग्रेस-दल तथा सरकार स्वाधीनता-प्राप्ति के बहुत पहले से ही कर रही थी। इसी उद्देश्य से अनेक समितियो का संगठन किया गया था और युद्धोत्तर-पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए सुझाव रखे गए थे। देश के ससाधनो का अधिक-से-अधिक सार्थक तथा सन्तुलित ढंग से उपयोग करने की एक योजना बनाने के लिए स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद ही मार्च 1950 में योजना-आयोग का गठन हुआ। देश के जनमत के अनुसार तैयार की गई पहली पंचवर्षीय योजना दिसम्बर 1952 में संसद् में प्रस्तुत की गई।

उद्देश्य

आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश मे विकास-कार्य आरम्भ करना रखा गया जिससे लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठे तथा उन्नत जीवन बिताने के लिए उन्हें नए अवसर प्रदान किए जा सकें। योजना का उद्देश्य संसाधनों के विकास के साथ-साथ मानवीय गुणों का भी विकास करने का है जिससे देश का सामाजिक ढांचा यहां के लोगो की आवश्यकताओ तथा आकाक्षाओं के अनुरूप बन सके।

पहली तथा दूसरी योजनाओं में राष्ट्रीय तथा प्रति-व्यक्ति-आय को दुगना करने (पहली योजना के आरम्भ के स्तर की तुलना में) और उपभोग का स्तर ऊंचा करने के दीर्घकालीन उद्देश्य निश्चित किए गए। 1951-61 की दशाब्दी में जन-सख्या में वृद्धि की तीव्र गति तथा इस प्रकार की अन्य प्रवृत्तियो को ध्यान में रखते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1975-76 तक प्राप्त करने के लिए ये दीर्घकालीन उद्देश्य रखे गए (i) राष्ट्रीय आय मे वृद्धि की दर लगभग 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो जिससे राष्ट्रीय आय दुगुनी से अधिक हो सके (1960-61 के मूल्यों के अनुसार 1960-61 की 1 45 खर्ब रुपये से बढकर 1975-76 मे 3. 4 खर्ब रुपये) और प्रति-व्यक्ति-आय 61 प्रतिशत बढ़ सके (1960-61 की 330 रु० से बढ़कर 1975-76 में 530 रु०)*; (ii) कृषि से भिन्न क्षेत्रों मे 4. 6 करोड से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए जिससे कृषि पर आश्रित लोगो की संख्या 70 प्रतिशत से घटकर 60 प्रतिशत रह जाए और (iii) सविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार 14 वर्ष तक की अवस्था के सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए।

जनसंख्या मे वृद्धि को एक निश्चित दर पर बनाए रखने, पूंजी लगाने की वर्तमान 11 प्रतिशत की दर बढ़ाकर तीसरी योजना के अन्त में 14-15 प्रतिशत तथा

*इस अध्याय में दिए गए राष्ट्रीय आय तथा प्रति-व्यक्ति-आय-सम्बन्धी आंकड़े 'आर्थिक ढांचा' शीर्षक अध्याय में दिए गए बाद की गणनाओं पर आधारित आंकड़ों से कुछ भिन्न हैं।

पांचवीं योजना के अन्त में 19-20 प्रतिशत करने; बचत की 8.5 प्रतिशत की दर (1960-61) को बढ़ाकर तीसरी योजना के अन्त में 11.5 प्रतिशत तथा पांचवीं योजना के अन्त में 18-19 प्रतिशत करने और लगभग दस वर्ष की अवधि में अपनी अर्थ-व्यवस्था को विदेशी सहायता से मुक्त करके आत्मनिर्भर बनाने के हमारे कुछ अन्य लक्ष्य हैं जिन्हें प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया गया है।

पहली तथा दूसरी योजनाएं

भविष्य में आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र प्रगति के लिए सुदृढ आधार तैयार करने के उद्देश्य से पहली पंचवर्षीय योजना (1951-52 से 1955-56) में कृषि, सिंचाई, बिजली तथा परिवहन पर अधिक बल दिया गया। सामाजिक परिवर्तन तथा परम्परागत ढांचे में सुधार की बुनियादी नीतिया भी इसी में अपनाई गईं जिनका पूर्ण विकास दूसरी योजना की अवधि में हुआ। दूसरी योजना (1956-57 से 1960-61) में इन नीतियो को आगे बढाकर राष्ट्र के सम्मुख समाजवादी ढग के समाज का लक्ष्य रखने के साथ-साथ बुनियादी तथा बडे उद्योगो के विकास पर ज़ोर दिया गया। इसमें देश के आर्थिक विकास मे सरकारी क्षेत्र के प्रमुख योगदान का भी निर्देश किया गया।

पहली दोनो योजनाओ के अन्तर्गत 1 खर्ब 1 अर्ब 10 करोड रुपये का विनियोग हुआ जिसमें से 52 1 अर्ब रुपये सरकारी क्षेत्र* में लगे तथा 49 अर्ब रुपये गैर-सरकारी क्षेत्र में। फलत अर्थ-व्यवस्था मे विनियोग का औसत वार्षिक स्तर दशाब्दी के आरम्भ के 5 अर्ब रुपये से बढकर दशाब्दी के अन्त में 16 अर्ब रुपये का हो गया।

पहली तथा दूसरी योजनाओ मे कृषि तथा सिंचाई के कार्यक्रमो पर सरकारी क्षेत्र की कुल-व्यय राशि का क्रमश. 31 तथा 20 प्रतिशत भाग लगाया गया। उद्योगो तथा खनिज-पदार्थो पर पहली योजना मे कुल व्यय का 4 प्रतिशत भाग लगाया गया जो दूसरी योजना मे बढाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। इसी प्रकार परिवहन तथा संचार-साधनों पर भी व्यय के प्रतिशत पहली योजना की तुलना मे दूसरी योजना में अधिक बढ़ा दिए गए।

पहली योजना के कुल 19.6 अर्ब रुपये के व्यय मे से 17.72 अर्ब रुपये (90 प्रतिशत) आन्तरिक साधनों से जुटाए गए। दूसरी योजना के भी कुल 46 अर्ब रूपये के व्यय मे से 35.1 अर्ब रुपये** (76 प्रतिशत) आन्तरिक साधनों से जुटाए गए। बाकी धन विदेशी सहायता के रूप मे प्राप्त हुआ।

दूसरी योजना में कई नए सीधे तथा परोक्ष कर लगाए गए। इसके बाद योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति लगभग 9 48 अर्ब रुपये की घाटे की व्यवस्था रखकर की गई।

---

*सरकारी क्षेत्र में 13.5 अर्ब रुपये का चालू व्यय भी हुआ।

**इसमें अमेरिका की सरकारी कानून-480 की निक्षेप-राशि में से रिज़र्व बैंक और स्टेट बैंक-द्वारा सरकार को दी गई राशियां सम्मिलित हैं।

पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना के दस वर्षों (1951-61) में राष्ट्रीय आय में अनुमानतः 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई और प्रति-व्यक्ति-आय में 16 प्रतिशत की।

औद्योगिक क्रान्ति की नीव वस्तुतः इसी दशक में रखी गई। इस सम्बन्ध में दूसरी योजना के पांच वर्षों की अवधि उद्योग की महत्त्वपूर्ण प्रगति तथा विस्तार के लिए उल्लेखनीय है। पिछली दशाब्दी में प्राप्त मुख्य सफलताएं तीसरी योजना के लक्ष्यों तथा सफलताओ के साथ पृष्ठ 132 की सारणी 8 में दी गई हैं।

औद्योगिक प्रगति तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दरें वस्तुतः और ऊंची होतीं यदि कुछ अपरिहार्य कठिनाइया सामने न आ जातीं। ये कठिनाइया मुख्यतः निम्न-लिखित थीं—(1) कृषिगत उत्पादन का विकास रुक-रुक कर हुआ। जो विकास हुआ, वह भी औद्योगिक विकास तथा निर्यात-वृद्धि की दरें बढाने के लिए पर्याप्त नही था; (2) विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण कुछ बिजली-परियोजनाओ, नई उर्वरक-परियोजनाओं तथा भारी रासायनिक पदार्थ-परियोजनाओं का काम ठीक समय पर आरम्भ न हो सका, (3) निर्यात-कार्यक्रम पंचवर्षीय योजनाओं का अभिन्न अंग न समझे जाने के कारण भारत का निर्यात-व्यापार इस दशाब्दी में प्रगति नही कर सका; और (4) प्रशासनिक दोषो के कारण उद्योग तथा कृषि के क्षेत्रों में कुछ परियोजनाओ के तैयार किए जाने तथा कार्यान्वयन में अपरिहार्य रूप से बिलम्ब भी हो गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना

उद्देश्य

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-62 से 1965-66) के उद्देश्य ये थे: (1) राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि करना तथा बिनियोग (पूंजी लगाने) का ऐसा ढाचा बनाए रखना जिससे अनुवर्ती योजना में वृद्धि की यह दर बनी रह सके; (2) खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और उद्योग तथा निर्यात की आवश्यकेताएं पूरी करने के लिए कृषि-उत्पादन में वृद्धि करना; (3) बुनियादी उद्योगों का विस्तार करना तथा मशीनें बनाने की क्षमता को बढ़ाना; (4) देश के श्रम-साधनो का अधिकाधिक उपयोग करना तथा रोजगार के अवसरों को काफी अधिक बढ़ाना; और (5) उत्तरोत्तर समान अवसर अधिक जुटाना, आय तथा सम्पत्ति की असमानता में कमी करना तथा आर्थिक शक्ति का समुचित विभाजन करना। इस अवधि में राष्ट्रीय आय में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि होनी थी जिससे वह 1960-61 की 1,45 खर्ब रुपये से बढ़कर 1965-66 (1960-61 के मूल्यों के अनुसार) में लगभग 1.9 खर्ब रुपये हो जाए और प्रति-व्यक्ति-आय में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि होनी थी जिससे वह 1960-61 की 330 रु० से बढ़कर 1965-66 में 385 रु० की हो जाए।

व्यय तथा आबण्टन

तीसरी योजना के कार्यक्रमों पर सरकारी क्षेत्र में 80 अर्ब रुपये से अधिक तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में 41 अर्ब* रुपये की लागत आने का अनुमान है। इन कार्यक्रमों में चौथी योजना की तैयारी के भी कुछ कार्यक्रम सम्मिलित थे। सरकारी क्षेत्र के लिए 75 अर्ब रुपये के वित्तीय संसाधनों का अनुमान लगाया गया है। नीचे दी गई सारणी में वित्तीय व्यय का मुख्य शीर्षकों के अनुसार विभाजन दिखाया गया है। इन शीर्षकों के अधीन दूसरी योजना की अवधि में हुआ व्यय भी साथ में दिखाया गया है :

सारणी 7

मुख्य शीर्षकों के अधीन सरकारी क्षेत्र में होनेवाला व्यय

शीर्षक	दूसरी योजना कुल व्यय (अर्ब रुपये)	दूसरी योजना प्रतिशत	तीसरी योजना कुल व्यवस्था (अर्ब रुपये)	तीसरी योजना प्रतिशत
कृषि तथा सामुदायिक विकास	5.3	11	10.68	14
बड़े तथा मध्यम सिंचाई-कार्य	4.2	9	6.5	9
बिजली	4.45	10	10 12	13
ग्राम तथा लघु उद्योग	1.75	4	2.64	4
संगठित उद्योग और खनिज-पदार्थ	9	20	15.2	20
परिवहन तथा संचार-साधन	13	28	14.86	20
समाज-सेवाएं तथा विविध	8.3	18	13	17
अन्य	—	—	2	3
योग	46	100	75	100

सरकारी क्षेत्र में 75 अर्ब रुपये के कुल व्यय में से विनियोग (पूंजीगत व्यय के रूप में) 63 अर्ब रुपये का तथा चालू व्यय 12 अर्ब रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। तीसरी योजना की अवधि मे गैर-सरकारी क्षेत्र-द्वारा 41 अर्ब रुपये की पूंजी लगाए जाने का अनुमान था। इस प्रकार दोनो क्षेत्रो में कुल 1.04 खर्ब रुपये की पूंजी लगाई जानी थी। सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पूजी-विनियोग का प्रमुख विकास-शीर्षकों में वितरण पृष्ठ 135 की सारणी 9 मे दिखाया गया है।

तीसरी योजना के आरम्भ में बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या अनुमानत. 90 लाख (बाद के अनुमानों के अनुसार 80 लाख) थी। इसके अतिरिक्त 1.5 से 1.8 करोड़ व्यक्तियों को अल्परोज़गार प्राप्त थे। तीसरी योजना की अवधि में लगभग 1.7 करोड़ नए व्यक्ति रोज़गार पाना चाहते थे। योजना में केवल 1.4 करोड़ व्यक्तियों के लिए ही रोज़गार की व्यवस्था की गई जिनमें से लगभग 35 लाख व्यक्तियों को कृषि-कार्यों

*इसमें 2 अर्ब रुपये की वह राशि सम्मिलित नहीं है जिसे सरकारी क्षेत्र से गैर-सरकारी क्षेत्र को हस्तान्तरित किए जाने का अनुमान है।

सारणी 8

पहली दो योजनाओं की सफलताएं और तीसरी योजना के मुख्य लक्ष्य तथा सफलताएं

	सफलताएं							लक्ष्य
	1950-51	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66*	1965-66
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कृषि-उत्पादन का सूचनांक (1949-50=100)	95.6	142 2	144 8	137 5*	142 6*	157 6		176
खाद्यान्न-उत्पादन (करोड़ मीट्रिक टन) .	5 083	8.202	8 271	7 845†	8 024†	8 84‡	7 6	10.16
नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की खपत (लाख मीट्रिक टन) .	0 56	2 03	2 54	3 38	3 83	5.09	6	10 16
सहकारिता : अल्प तथा मध्यमकालीन ऋण (अर्ब रुपये)	0.229	2 019	2 295	2 535	2.941	3.284*	3.802	5.3
बड़े तथा मध्यम सिंचाई-कार्य :								
क्षमता (करोड़ एकड़)	2.38	1 17	1 22	1 33	1 43	1.58	1.8	2.95
उपयोगिता (करोड़ एकड़)	2 38	0 83	0 91	1 03	1 11	1.21	1.38	2.88
औद्योगिक उत्पादन का सूचनांक (1956=100)§ . .	73.5	130.1	138 3	150.6	162 7	174.8	अनुपलब्ध	242@

उत्पादन :								
इस्पात की सिल्लियां (लाख मी० टन)	14.7	34.8	43.3	54	59.4	61.4	62	93.5
अल्युमीनियम (हज़ार मी० टन)	4	18.3	19.9	42 6	54	54.1	74	81.3
मशीनी औज़ार (करोड़ रुपये)	0 3	7	9 3	12 6	20 1	20	22	30
गन्धक अम्ल (लाख मी० टन)	1.01	3.68	4 3	4 85	6 02	6.95	6.75	15.24
पेट्रोलियमजनित वस्तुएं (करोड मी० टन)	0.02	0 58	0.62	0 69	0.8	0.84	0.99	1.002
सूती वस्त्र :								
मिल के बने (अर्ब मीटर)	3.401	4.649	4.686	4.498	4.484	4.676	4.709	5 304
विकेन्द्रित क्षेत्र के (अर्ब मीटर)	0.814	2.089	2.429	2.502	2.926	3.069	3.185	3.2
खनिज-पदार्थ :								
लोहा (करोड मी० टन)	0.3	1.1	1.3	1.35	1 48	1.51	2.2	3.05
कोयला (करोड़ मी० टन)	3.28	5.55	5.52	6.38	6.63	6.44	6.7	9.86
विद्युत् : प्रस्थापित क्षमता (करोड कि० वा०)	0.23%	0.558	0.621	0.69	0.76	0.84	1.02	1.27

*प्रारम्भिक

†आंशिक रूप से संशोधित प्राक्कलन

‡अन्तिम प्राक्कलन

§1951 तथा 1960-64 के वर्षों के लिए

@तीसरी योजना म उल्लिखित 329 का अंक 1951=100 पर आधारित था। अब यह 1956=100 के अनुसार 242 हो गया।

%आंकड़े 1950 के कलेण्डर-वर्ष के लिए

सारणी 8 (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
रेल : ढोया गया माल (करोड मी० टन)	9.3	15.62	16.05	17.88	19.11	19.38	20.5	24.89
सड़क-परिवहन : लाख व्यापारिक मोटरगाड़ियां	1.16	2.24	2.44	2.66	2.8	3.03	3.28	3.65
जहाजरानी : टन-भार (लाख जी० आर० टी०)	3.9	8.6	9.1	10.6	12.9	14	15.4	10.9
सामान्य शिक्षा : विद्यालयों में विद्यार्थी (करोड़) .	2.35	4.47	4.98	5.43	5.88	6.38	6.77	6.39
प्राविधिक शिक्षा : इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी (डिग्री-स्तर पर वार्षिक हज़ार प्रवेश-संख्या)	4.1	13.8	15.9	17.1	21	23.8	28	19.1
स्वास्थ्य :								
चिकित्सालयों में रोगी-शय्या (लाख) .	1.13	1.86	1.93	2.2	2.39×	—	2.4	2.4
चिकित्सक (हज़ार) .	56	70	72	75	76.4	82.3	86	81
निर्यात (अर्ब रुपये)	0.061	6.42	6.61	6.85	7.93	8.39	अनुपलब्ध	8.5

×दिसम्बर 1963 तक

सारणी 9

दूसरी तथा तीसरी योजनाओं मे पूजी-विनियोग

(अर्ब रुपये)

शीर्षक	दूसरी योजना				तीसरी योजना			
	सरकारी क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र	योग	प्रतिशत	सरकारी क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र	योग	प्रतिशत
कृषि तथा सामुदायिक विकास	2.1	6.25	8.35	12	6.6	8	14.6	14
बड़े तथा मध्यम सिंचाई-कार्य	4.2	*	4.2	6	6 5	*	6.5	6
बिजली . . .	4.45	0.4	4.85	7	10.12	0.5	10.62	10
ग्राम तथा लघु उद्योग .	0.9	1.75	2.65	4	1.5	2.75	4.25	4
संगठित उद्योग तथा खनिज-पदार्थ	8.7	6.75	15.45	23	15.2	10.5	25.7	25
परिवहन तथा संचार-साधन .	12.75	1.35	14.1	21	14.96	2.5	17.36	17
समाज-सेवा तथा विविध .	3.4	9.5	12.9	19	6.22	10.75	16.97	16
अन्य . . .	—	5	5	8	2	6	8	8
योग . .	36.5	31†	67.5	100	63	41†	104	100

*कृषि तथा सामुदायिक विकास में सम्मिलित

†सरकारी क्षेत्र से गैर-सरकारी क्षेत्र को हुए हस्तान्तरण को छोड़कर

में और लगभग 1.05 करोड़ व्यक्तियों को कृषि से भिन्न कार्यों में काम दिलाना था। तीसरी योजना की अवधि में अल्परोजगार-प्राप्त व्यक्तियों को भी पूरा काम दिए जाने की सम्भावना थी। इस प्रकार 30 लाख नए व्यक्तियों के लिए अन्य रोजगारों की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता थी। तीसरी योजना में इसे एक आवश्यक उद्देश्य के रूप में लिया गया था तथा इस दिशा में अनेक प्रभावी प्रयत्न किए गए।

तीसरी योजना की प्रगति

तीसरी योजना की अवधि मार्च 1966 के अन्त में पूरी हो गई। वित्तीय अर्थ में योजना के लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। प्रतिकूल मौसम के कारण कृषि-उत्पादन में भारी कमी होने, पहले से सचेत न रहने की भूल, योजनाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होने, विदेशी सहायता प्राप्त करने की वार्ताओं में तथा उपकरण प्राप्त करने में अधिक समय लगने, सीमाओं पर आक्रमण होने तथा दूसरी योजना की कुछ त्रुटियों के फलस्वरूप कई उत्पादन तथा क्षमता-लक्ष्यों की प्राप्ति न हो सकी।

तीसरी योजना के प्रथम 4 वर्षों में राष्ट्रीय आय में (1948-49 के मूल्यों के अनुसार) लगभग 18.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रति-व्यक्ति-आय भी (1948-49 के मूल्यों के अनुसार) बढ़कर 1964-65 में 317 रुपये हो गई।

कृषि-उत्पादन का सूचनांक (जून 1950 में समाप्त होनेवाला वर्ष = 100) 1960-61 के 142.2 से बढ़कर 1961-62 में 144.8 हो गया। योजना के दूसरे वर्ष में उत्पादन में भारी कमी होने के कारण 1962-63 का सूचनांक 137.5 रहा। तीसरे तथा चौथे वर्षों में उत्पादन में सुधार हुआ और सूचनांक क्रमश: 142.6 तथा 157.6 हो गए। 1965-66 के योजना के अन्तिम वर्ष में उत्पादन में फिर कमी हुई। इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में कोई प्रगति न हो सकी।

इस स्थिति को ठीक करने के लिए कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने के कार्यक्रमों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई। कृषि तथा सामुदायिक विकास के लिए निर्धारित व्यय-राशि बढ़ाकर 1965-66 के लिए 2.98 अर्ब रुपये कर दी गई। छोटे सिंचाई तथा भू-संरक्षण-कार्यक्रमों और बड़ी सिंचाई-योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की गई। योजना की अवधि में कृषि तथा सामुदायिक विकास पर कुल मिलाकर निर्धारित राशि से लगभग 45 करोड़ रुपये अधिक व्यय होने की सम्भावना है।

उद्योग के क्षेत्र में स्थिति इसकी तुलना में अधिक अच्छी रही। योजना के पहले वर्ष में तो उत्पादन कम रहा पर दूसरे तथा तीसरे वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती दिखाई पड़ी किन्तु 1964-65 में यह फिर कुछ कम हो गई। इस कमी का मुख्य कारण कोयले के उत्पादन में कमी होने का रहा।

दूसरी योजना की बिजली-योजनाओं के सम्बन्ध में मुख्यत: विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण प्रगति धीमी रही। इसके परिणामस्वरूप तीसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में देश के कई भागों में बिजली का अभाव रहा। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनेक उपाय किए गए जिसके परिणामस्वरूप बिजली की प्रस्थापित क्षमता बढ़ते-बढ़ते 1965-66 में लगभग 1.02 करोड़ किलोवाट तक पहुंच गई।

परिवहन के क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति हुई। सड़क-परिवहन-कार्यक्रमो के सम्बन्ध में भी उल्लेखनीय प्रगति हो रही है।

धन का उपयोग निर्धारित कार्यक्रमो से भिन्न अन्य कार्यक्रमो के लिए किए जाने के कारण अनेक समाज-सेवा-कार्यक्रमो पर उल्टा प्रभाव पडा।

सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियो की भर्ती में तो कोई कमी नही आई, पर अध्यापक-विद्यार्थी-अनुपात नीचे हो गया जिससे शिक्षा का सामान्य स्तर कुछ नीचे गिरा। प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र मे प्रगति उत्साहवर्द्धक रही। इजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के डिग्री-स्तर पर वार्षिक प्रवेश-सख्या 1963-64 मे निर्धारित लक्ष्य से अधिक रही। योजना के अन्तिम दो वर्षो मे प्रवेश-सख्या मे और वृद्धि हुई। स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रशिक्षण-कार्यक्रमो की दिशा मे महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई।

रोजगारों की स्थिति के सम्बन्ध मे प्राप्त नवीनतम आकडो से पता चलता है कि तीसरी योजना में लगभग 95 लाख रोजगारो की व्यवस्था की गई।

पृष्ठ 139 की सारणी 10 में योजना की व्यय-व्यवस्था का स्वरूप तथा योजना-काल के व्यय का विवरण विकास के मुख्य शीर्षकों के अनुसार दिखाया गया है।

पाच वर्षों में हुआ 84 62 अर्ब रुपये का व्यय कुल योजना-व्यवस्था का 112.8 प्रतिशत है। परिवहन पर हुआ व्यय न केवल अन्य शीर्षकों के अधीन हुए व्यय की तुलना में ही बहुत अधिक रहा बल्कि योजना में मूलत. रखी गई राशि से भी 5 97 अर्ब रुपये अधिक रहा। कृषि, विद्युत् तथा उद्योग पर हुए व्यय में भी वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि होती रही। राज्यो में भी विद्युत् पर ही व्यय अधिक हुआ। समाज-सेवाओ तथा विविध शीर्षकों के अधीन होनेवाले व्यय मे चौथे तथा पाचवे वर्षो मे बहुत अधिक वृद्धि हुई।

योजना के प्रथम 4 वर्षों में विदेशी सहायता 17 23 अर्ब रुपये के लगभग रही तथा 6 86 अर्ब रुपये की घाटे की व्यवस्था। करो से काफी अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। सरकारी उद्योगो (रेलो को छोड़कर) की बचत मे भी वृद्धि हुई। इसी प्रकार बाजार-ऋणों तथा छोटी बचतों मे भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती दिखाई पडी। बजट से होनेवाली प्राप्तियो में भी काफी अधिक वृद्धि होती दिखाई पड़ी।

चौथी योजना

उद्देश्य

चौथी योजना की भी मुख्य समस्या यही बनी हुई है कि सामाजिक स्थिरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय उत्पादन मे तेजी से वृद्धि कैसे की जाए।

तीसरी योजना के उत्पादन अथवा क्षमता के निर्धारित लक्ष्यो की कमियो को देखते हुए चौथी योजना के उद्देश्य तथा कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किए जाने है कि मुद्रास्फीति न होने दी जाए, उपभोग के स्तर को ऊचा किया जाए, आय तथा सम्पत्ति का अधिक समान वितरण हो, मानवीय संसाधनों का द्रुततर विकास हो और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से प्रगति हो। तदनुसार स्मरणपत्र में चौथी योजना की प्रारम्भिक रूप-

रेखा इस प्रकार दी गई है : (1) कृषि के क्षेत्र में कम-से-कम 5 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हो और सम्भव हो तो इससे अधिक, (2) इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों तथा कृषि-औजारो के उत्पादन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए, (3) सूती वस्त्र, चीनी, औषधियां, मिट्टी का तेल, कागज आदि-जैसी आवश्यक उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाया जाए, (4) सीमेण्ट तथा भवन-निर्माण-सम्बन्धी अन्य सामग्रियों के उत्पादन में वृद्धि की जाए, (5) धातु, रसायनों, मशीननिर्माण, खनन, विद्युत् तथा परिवहन-उद्योगो के क्षेत्र में चालू योजनाओ को शीघ्र-से-शीघ्र पूरा किया जाए और नई योजनाओ का काम हाथ में लिया जाए, (6) समाज-सेवाओं के क्षेत्र में अधिक-से-अधिक सम्भव सुविधाएं दी जाए, और (7) इन सभी दिशाओ में संगठित प्रयासों के द्वारा अधिक-से-अधिक रोजगार की व्यवस्था की जाए तथा सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन दिया जाए।

व्यय का वितरण—केन्द्र तथा राज्य

केन्द्र, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के बीच व्यय के परीक्षात्मक वितरण के अधीन सरकारी क्षेत्र के कुल 1 खर्ब 56 अर्ब 20 करोड़ रुपये के व्यय में से केन्द्र का भाग 75.25 अर्ब रुपये, राज्यो का भाग 76 6 अर्ब रुपये तथा संघीय क्षेत्रो का भाग 4.35 अर्ब रुपये रखने का विचार किया गया है। केन्द्रवाले व्यय मे से 3.25 अर्ब रुपये कृषि पर, 35 करोड़ रुपये सिंचाई पर, 3 अर्ब रुपये बिजली पर, 1.7 अर्ब रुपये लघु उद्योगो पर, 30.6 अर्ब रुपये सगठित उद्योगो पर 24.9 अर्ब रुपये परिवहन तथा सचार-साधनों पर, 10 59 अर्ब रुपये समाज-सेवाओ पर और 86 करोड़ रुपये विविध कार्यों पर व्यय होगे।

चुने हुए लक्ष्य

चौथी योजना के उत्पादन तथा विकास-लक्ष्य योजना की अवधि में 2.26 खर्ब रुपये के होनेवाले व्यय के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। खाद्यान्नो के उत्पादन को 9.2 करोड़ मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1970-71 में 12 करोड़ मीट्रिक टन, कपास के उत्पादन को 63 लाख गांठ से बढ़ाकर 85 लाख गाठ तथा गन्ने के उत्पादन को 1.1 करोड़ मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1.35 करोड़ मीट्रिक टन करने का विचार किया गया है। बड़ी तथा मध्यम सिंचाई-परियोजनाओ से 1.4 करोड़ एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधाए प्राप्त होगी। प्रस्थापित विद्युत्-उत्पादन-क्षमता भी 1.17 करोड़ किलोवाट से बढ़कर 2.2 करोड़ किलोवाट तक लगभग दुगुनी हो जाएगी। औद्योगिक उत्पादन का काफी अधिक विस्तार किया जाएगा। 1970-71 में रेलो-द्वारा 50 प्रतिशत अधिक माल ढोया जाएगा। संचार-साधनों के क्षेत्र में 7 लाख टेलीफोन और लगाए जाएंगे। विद्यालयों की संख्या तथा तत्सम्बन्धी सुविधाओ में भी काफी अधिक विस्तार होगा।

व्यय का स्वरूप

चौथी योजना में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के प्रस्तावित व्यय का आकार तथा स्वरूप अगली सारणी 11 में दिखाए गए हैं।

सारणी 10

1961-66 में हुआ तीसरी योजना का व्यय तथा व्यय-सम्बन्धी प्रगति

(अर्ब रुपये)

मुख्य शीर्षक	केन्द्र तथा राज्य (संयुक्त)							केवल राज्य	
	1961-66 वित्तीय	1961-62 वास्तविक	1962-63 वास्तविक	1963-64 वास्तविक	1964-65 संशोधित मान	1965-66 सम्भावित अनुमान	1961-66 अपेक्षित	1961-66 वित्तीय व्यवस्था	1961-66 अपेक्षित
कृषि तथा सामुदायिक विकास	10.68	1.49	1.74	2.02	2 9	2.98	11.13	9.38	9.61
बड़े तथा मध्यम सिंचाई-कार्य (बाढ़-नियन्त्रण-सहित)	6.5	1 06	1.15	1.24	1.48	1.67	6.6	6.41	6.24
विद्युत् . .	10.12	1 4	1.78	2.59	3.14	3.2	12.11	8.82	0.92
उद्योग तथा खनिज-पदार्थ	15.2	1 91	2.57	3 43	4.43	4.64	16.98	0.8	1
ग्राम तथा लघु उद्योग	2.64	0 38	0.41	0.43	0.51	0.65	2.38	1.35	1.02
परिवहन तथा संचार-साधन	14 86	2.9	3 47	4.61	4.95	4.9	20.38	2.38	2.83
समाज-सेवाएं तथा विविध	13	2 03	2.29	2.42	3 76	4.09	14.59	9 33	9
अन्य . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—
योग .	75	11.17	13.41	16.74	21.17	22.13	84 62	38.47	40.62

सारणी 11

मुख्य शीर्षकों के लिए प्रस्तावित परिव्यय (चौथी योजना)

(अर्ब रुपये)

मुख्य शीर्षक	सरकारी क्षेत्र			गैर-सरकारी क्षेत्र-विनियोग	कुल विनियोग	कुल योजना-परिव्यय
	योग	चालू व्यय	विनियोग			
कृषि	24	8.75	15.25	7	22.25	31
सिचाई	10	—	10	—	10	10
बिजली	19.5	—	19.5	0.5	20	20
लघु उद्योग	4.5	1.7	2.8	4	6.8	8.5
सगठित उद्योग	32	—	32	24	56	56
परिवहन तथा संचार-साधन	30	—	30	6.5	36.5	36.5
शिक्षा	14	7.67	6.33	1	7.33	15
वैज्ञानिक अनुसन्धान	1.75	0.85	0.9	—	0.9	1.75
स्वास्थ्य	10.9	4.13	6.77	—	6.77	10.9
आवास तथा निर्माण-कार्य	4	—	4	14.7	18.7	18.7
पिछडे वर्गों का कल्याण	2.05	1.6	0.45	—	0.45	2.05
समाज-कल्याण	0 65	0.5	0.15	0.1	0.25	0.75
कारीगर-प्राशक्षण तथा श्रम-कल्याण	1.45	0.85	0.6	—	0.6	1.45
जन-सहयोग	0 15	0.1	0.05	—	0.05	0.15
ग्रामीण कार्य	0 25	—	0.25	—	0.25	0.25
पुनर्वास	0.5	0 1	0.4	—	0.4	0.5
विविध	0.5	—	0.5	—	0.5	0.5
अन्य	—	—	—	12	12	12
सर्व योग	156.2	26.25	129.95	69.8	199.75	226

तीसरी तथा चौथी योजनाओं में विकास के मुख्य शीर्षकों के अनुसार सरकारी क्षेत्र की निर्धारित राशियों तथा प्रतिशत-वितरण का तुलनात्मक विवरण नीचे की सारणी में दिखाया गया है :

सारणी 12

तीसरी तथा चौथी योजनाओं की तुलनात्मक व्यवस्था

(अर्ब रुपये)

मुख्य शीर्षक	तीसरी योजना में अपेक्षित व्यय	चौथी योजना में निर्धारित राशि	प्रतिशत-वितरण	
			स्तम्भ 2 का	स्तम्भ 3 का
कृषि	10 9	24	13 3	15 4
सिंचाई	6 48	10	7 9	6 4
	17.38	34	21 2	21.8
बिजली	11 87	19 5	14 5	12 4
लघु उद्योग	2 33	4 5	2 8	2 9
संगठित उद्योग	16 62	32	20 3	20.5
परिवहन तथा संचार-साधन	19.4	30	23.6	19.2
	50.22	86	61 2	55 0
शिक्षा	5.57	14	6 8	9
वैज्ञानिक अनुसन्धान	0 72	1 75	0.9	1 1
स्वास्थ्य	3.45	10 9	4 2	7.0
आवास तथा निर्माण-कार्य	1 12	4	1 4	2 6
पिछड़े वर्गों का कल्याण	1 04	2.05	1 3	1 3
समाज-कल्याण		0 65		0 4
कारीगर-प्रशिक्षण तथा श्रम-कल्याण		1.45		0.9
जन-सहयोग	2.5	0.15	3	0 1
		34 95		22 4
		0.25		0.2
ग्रामीण कार्य		0.5		0.3
पुनर्वास		0.5		0 3
विविध		1.25		0.8
अन्य				
सर्व योग	82	156.2	100	100

वित्तीय संसाधन

प्रारम्भिक प्राक्कलनों के आधार पर चौथी योजना के लिए आवश्यक वित्त के लिए 2.15 खर्ब रुपये की राशि उपलब्ध होने की आशा है। इसमें से 70 अर्ब रुपये की राशि गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त होने की सम्भावना है। सरकारी क्षेत्र के प्राक्कलन इस धारणा पर आधारित हैं कि योजना-भिन्न व्यय में कमी करने तथा करों की वर्तमान दरों के आधार पर अधिक-से-अधिक राजस्व उगाहने के उपाय किए जाएंगे। एक सुदृढ़ वित्तीय नीति के लिए यह आवश्यक होगा कि केन्द्रीय सरकार रिज़र्व बैंक से निश्चित सीमा तक ही उधार ले।

विदेशी ससाधनों के सम्बन्ध में योजना की अवधि में निर्यात से 51 अर्ब रुपये की आय होने का अनुमान लगाया गया है। आयात पर (सरकारी कानून-480 के अधीन होनेवाले आयातों को छोड़कर) 72 अर्ब रुपये व्यय होने की सम्भावना है। इस प्रकार 21 अर्ब रुपये का घाटा रहता है। विदेशी विनिमय के भुगतानो तथा प्राप्तियों के बीच कुल अन्तर 32 अर्ब रुपये के लगभग का रहता है जिससे यह पता चलता है कि कितनी विदेशी सहायता की आवश्यकता है।

स्मरणपत्र तैयार किए जाने के बाद हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप योजना-आयोग ने राष्ट्रीय विकास-परिषद् के विचारार्थ सितम्बर 1965 में 'चौथी पंच-वर्षीय योजना—ससाधन, परिव्यय तथा कार्यक्रम' शीर्षक दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नए आयोजन के अनुसार चौथी योजना का प्रस्तावित व्यय सरकारी क्षेत्र के लिए 1.45 खर्ब रुपये तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए 70 अर्ब रुपये निर्धारित किया गया है। सरकारी क्षेत्र का व्यय इस प्रकार रहगा—कृषि 23.72 अर्ब रुपये, सिंचाई 9.24 अर्ब रु०, बिजली 18 28 अर्ब रु०, लघु उद्योग 3 95 अर्ब रु०, संगठित उद्योग 28.66 अर्ब रु०, परिवहन तथा सचार-साधन 27.68 अर्ब रु०, शिक्षा 12.6 अर्ब रु०, वैज्ञानिक अनुसन्धान 1 48 अर्ब रु०, स्वास्थ्य 5 78 अर्ब रु०, जल-पूर्ति 3 71 अर्ब रु०, आवास 2 97 अर्ब रु०, पिछड़े वर्गों का कल्याण 1.88 अर्ब रु०, समाज-कल्याण 54 करोड रु०, कारीगर-प्रशिक्षण तथा श्रम-कल्याण 1.43 अर्ब रु०, जन-सहयोग 12 करोड रु०, ग्रामीण कार्य (पहाड़ी क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र) 1.48 अर्ब रु०, पुनर्वास 69 करोड रु० और विविध 79 करोड़ रु०। परिषद् ने व्यय का यह प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया पर पाकिस्तानी आक्रमण को देखते हुए इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता अनुभव की गई।

चौथी योजना का प्रारूप सितम्बर 1966 में प्रकाशित हुआ। 1966-67 की वार्षिक योजना तैयार की जा चुकी है जिसके अनुसार कृषि तथा सामुदायिक विकास, सिंचाई तथा बिजली, उद्योग तथा खनन, परिवहन तथा संचार-साधन, समाज-सेवाओं और विविध कार्यों पर कुल मिलाकर केन्द्र, राज्यों तथा संघीय-क्षेत्रों में क्रमश: 10 अर्ब 89 करोड़ 37 लाख रु०, 9 अर्ब 31 करोड 72 लाख रु० तथा 60.45 करोड़ रु० व्यय करने की योजना बनाई गई है।

अध्याय 14

सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की ग्रामीण जनता की वैयक्तिक तथा सामूहिक भलाई करना है। यह कार्यक्रम पहले-पहल 2 अक्तूबर, 1952 को 55 चुनी हुई परियोजनाओ में आरम्भ किया गया था तथा प्रत्येक परियोजना के क्षेत्र में 1,300 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए 2 लाख की जनसंख्या के 300 गाव रखे गए थे। सामुदायिक विकास-कार्यक्रम 'अपनी सहायता आप करने' का कार्यक्रम है अर्थात् ग्रामीण जनता स्वयं ही योजनाएं बनाकर उन्हें कार्यान्वित करे और सरकार की ओर से उसे केवल प्राविधिक मार्गदर्शन तथा वित्तीय सहायता मिले। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य गांव के प्रत्येक व्यक्ति में आत्मनिर्भरता का तथा ग्राम-समाज में पहल की भावना का विकास करना है। पंचायतो, सहकारी समितियो, विकास-मण्डलो आदि-जैसी जनता की संस्थाओ-द्वारा गाव में सामूहिक चिन्तन तथा मिल-जुलकर कार्य करने की भावना को प्रोत्साहन दिया जाता है।

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में सर्वोपरि प्राथमिकता कृषि को दी गई है। इसके अतिरिक्त उत्तम संचार-साधनो तथा आवास की व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सफाई की सुविधाओ में सुधार, शिक्षा के प्रसार, महिला तथा बाल-कल्याण और कुटीर तथा लघु उद्योगो के विकास-कार्यक्रम इसके अन्तर्गत आते हैं।

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम खण्डों के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। प्रत्येक खण्ड में सामान्यत· 390–520 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए साठ-सत्तर हजार की जनसख्या के 100 गाव होते हैं। अप्रैल 1958 से पूर्व यह कार्यक्रम तीन अलग-अलग चरणो में चलाया जा रहा था। परन्तु नई प्रणाली के अनुसार प्रत्येक खण्ड में पाच वर्ष भरपूर विकास-कार्य पूरा हो चुकने के बाद दूसरा चरण आरम्भ होता है तथा उसमें अगले पाच वर्षों तक अपेक्षाकृत कम व्यय किया जाता है। खण्ड का दूसरा चरण पूरा होने पर यह आयोजन तथा विकास का स्थायी अंग बन जाता है। जहा ऐसा पर्याप्त रूप से नहीं होता, वहां राज्य-सरकारें दूसरे चरण के बाद जारी रहनेवाले खण्डो के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये के न्यूनतम व्यय की व्यवस्था करती हैं। पहला चरण आरम्भ होने से पूर्व प्रत्येक खण्ड को 'पूर्व-विस्तार-अवस्था' में से गुजरना पडता है जिसमें कार्यक्रम मात्र कृषि-विकास तक ही सीमित रखा जाता है।

राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने 12 जनवरी, 1958 को लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण-सम्बन्धी अध्ययन-मण्डली की सिफारिशों को मानकर पंचायती राज की स्थापना के लिए कुछ सिद्धान्त निश्चित किए। इस व्यवस्था के अधीन ग्राम, खण्ड तथा जिला-स्तरो पर स्वायत्तशासी स्थानीय निकाय होंगे। पंचायती राज-संस्थानों को विकास तथा स्थानीय शासन-सम्बन्धी विशेषाधिकार प्राप्त रहेंगे। असम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, गुजरात, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर तथा राजस्थान में पंचायती राज लागू किया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी इसके लिए कानून बना दिए गए हैं अथवा बनाए जा रहे हैं।

ग्राम-स्तर पर सामुदायिक विकास-कार्यक्रम कार्यान्वित करने में पंचायतें, विद्यालय तथा सहकारी समितियां-जैसी बुनियादी संस्थाएं काम करती हैं। निर्वाचित पंचायत क्षेत्र के समस्त विकास-कार्यक्रमों की देखरेख करती हैं तथा सहकारी समिति आर्थिक क्षेत्र में योग देती है। ग्राम के विद्यालय को एक सामुदायिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है जो शिक्षा, सस्कृति, मनोरजन तथा सम्बद्ध क्षेत्रो में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त महिला तथा युवक-सगठनो, किसान-सघों, कारीगर-सघों को भी पंचायत के विकास-कार्यों से सम्बद्ध किया जा रहा है।

1965 के अन्त तक 40.46 करोड की जनसंख्या के 5 67 लाख गांवो के लिए प्रथम, द्वितीय तथा उत्तर-द्वितीय चरणों के 5,259½ खण्ड इसके अधीन आ गए।

वित्त

संसाधन

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए धन की व्यवस्था जनता तथा सरकार मिलकर करती है। प्रत्येक खण्ड-क्षेत्र मे विकास-योजनाए जनता से नकदी अथवा श्रम के रूप में अशदान मिलने पर ही आरम्भ की जाती है। इन परियोजनाओं के लिए सरकार-द्वारा दी जानेवाली वित्तीय सहायता के अधीन केन्द्र तथा राज्य-सरकारे आवर्तक मदो पर होनेवाले व्यय को समान रूप से तथा अनावर्तक मदो पर होनेवाले व्यय को 3.1 के अनुपात से वहन करती है। सिंचाई तथा भूमि-पुनरुद्धार-जैसे कार्यो के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारो को ऋण के रूप मे आवश्यक वित्तीय सहायता देती है। इसके अतिरिक्त राज्य-सरकारे खण्डो में जो कर्मचारी आदि नियुक्त करती हैं, उन पर होनेवाले व्यय का आधा भाग भी केन्द्रीय सरकार वहन करती है।

जनता-द्वारा योगदान

31 मार्च, 1965 तक सरकार ने कुल 4 अर्ब 48 करोड़ 68 लाख रुपये व्यय किए तथा जनता ने 1 अर्ब 41 करोड 84 लाख रुपये के मूल्य का योगदान दिया जो कुल सरकारी व्यय का लगभग 32 प्रतिशत था।

योजनाओं के अन्तर्गत व्यय

पहली तथा दूसरी योजनाओ की अवधि में सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों पर 2 अर्ब 35 करोड 60 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। तीसरी योजना की अवधि मे 3 अर्ब 21 करोड 90 लाख रुपये व्यय किए गए जिसमें से 2 अर्ब 87 करोड़ 70 लाख रुपये सामुदायिक विकास-कार्यक्रमो के लिए, 28 2 करोड़ रुपये पचायतो के लिए तथा 6 करोड़ रुपये केन्द्रीय योजनाओ के लिए रखे गए थे।

संगठन

केन्द्र में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता-मन्त्रालय पर है। आधारभूत नीति-सम्बन्धी प्रश्न एक उच्चस्तरीय केन्द्रीय समिति के सम्मुख रखे जाते हैं जिसके अध्यक्ष प्रधान मन्त्री हैं।

राज्यो में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का दायित्व राज्य-सरकारों पर

है। इसके लिए वहां राज्यीय विकास-समितिया है। इन समितियों में मुख्य मन्त्री (अध्यक्ष), विकास-मन्त्री तथा विकास-आयुक्त (सचिव के रूप में) होते हैं।

1963 में एक कार्य-दल ने कृषि-उत्पादन के अन्तर्विभागीय तथा संस्थागत समन्वय की वर्तमान व्यवस्था पर पुर्नविचार किया। इसने राज्यो मे एक संगठित कृषि तथा ग्रामीण विकास-विभाग स्थापित करने का सुझाव दिया। इस विभाग के सचिव को कृषि-उत्पादन तथा ग्रामीण विकास-आयुक्त के रूप में कार्य करना होगा।

जिलों में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का दायित्व अनुविहित जिला-परिषदो पर है। इन परिषदो में जनता के प्रतिनिधि, खण्ड-पचायत-समितियों के अध्यक्ष, जिलो के ससत्सदस्य तथा विधानसभाई सदस्य होते है।

खण्ड-स्तर पर कार्यक्रम की देखरेख खण्ड-पचायत-समिति करती है। इस समिति में निर्वाचित सरपच और महिलाओ, पिछडे वर्गो तथा अनुसूचित जातियो के प्रतिनिधि होते हैं। खण्ड-विकास-अधिकारी तथा आठ विस्तार-अधिकारी—कृषि, सहकारिता, पशुपालन आदि के विशेषज्ञ—पचायत-समिति के निर्देशन मे कार्य करते है। इसके अतिरिक्त युवक-मण्डल, कृषक-मण्डल, महिला-मण्डल आदि भी अपने-अपने क्षेत्र में पचायत का हाथ बंटाते है। ग्राम-स्तर पर ग्राम-सेवक बहूद्देश्यीय विस्तार-कर्मचारी के रूप मे कार्य करता है और उसके अधीन 10 गाव होते है।

विस्तार-संगठन

खण्ड तथा ग्राम-स्तरों पर विस्तार-सगठन एक तो ग्रामीणो को प्रामाणिक जानकारी आदि उपलब्ध कराता है और दूसरे उनकी समस्याओ को अध्ययन तथा समाधान के लिए अनुसन्धान-संगठनो के पास भेजता है। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों, उत्तम कृषि-समितियो, महिला-मण्डलो आदि के माध्यम से सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहन देना भी इस संगठन के दायित्व में है।

खण्ड-विकास-समितियां

जिन राज्यो मे अभी पचायती राज स्थापित (विकेन्द्रीकरण) नही किया गया है, उनमें खण्ड-विकास-समितिया कार्य करती है। इन समितियो मे पचायतो और सहकारी समितियो के प्रतिनिधि, कुछ प्रगतिशील कृषक, समाज-सेवा-कार्यकर्ता, महिलाएं, उस क्षेत्र के संसत्सदस्य तथा विधान-सभा के सदस्य होते है। ये समितियां अपने-अपने क्षेत्रो की विकास-योजनाओ के आयोजन, पहल, स्वीकृति तथा निष्पादन के लिए उत्तरदायी होती है।

प्रशिक्षण

सम्पूर्ण प्रशिक्षण-कार्यक्रम की देखरेख कुछ प्रशिक्षण-केन्द्रो के माध्यम से राष्ट्रीय सामुदायिक विकास-अध्ययन तथा शोध-परिषद् करती है।

मुख्य प्रशिक्षण-सस्था—राष्ट्रीय सामुदायिक विकास-सस्था—हैदराबाद-स्थित अपनी अध्ययन, शोध तथा शिक्षण-शाखाओ के द्वारा काम करती है। अध्ययन-शाखा मुख्य कर्मचारियो—प्रशासनिक, प्राविधिक तथा गैर-सरकारी—को परिचय-प्रशिक्षण देती है। शोध-शाखा में वर्तमान समस्याओ पर विचार करके उनका समाधान ढूंढा जाता है। शिक्षण-शाखा शिक्षकों तथा साथ-ही-साथ जिला-पंचायत-अधिकारियो

आदि के लिए पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करती है। दिसम्बर 1965 तक इनमें 192 शिक्षक तथा 390 जिला-पंचायत-अधिकारी आदि प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे। अध्ययन-शाखा द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों में 1,476 अधिकारियों ने भाग लिया।

खण्ड-विकास-अधिकारियों तथा खण्ड-विस्तार-अधिकारियो के प्रशिक्षण के लिए 12 परिचय तथा अध्ययन-केन्द्र और समाज-शिक्षा-संयोजको तथा मुख्य सेविकाओं के प्रशिक्षण के लिए अन्य 13 केन्द्र हे। 1965 के अन्त तक इन केन्द्रों में 4,189 खण्ड-विकास-अधिकारियों, 7,372 समाज-शिक्षा-सयोजको (पुरुष तथा महिला) तथा 5,469 विस्तार-अधिकारियो ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आदिमजातीय विकास-खण्डों के 475 कर्मचारियो ने आदिमजातीय जीवन तथा संस्कृति-सम्बन्धी प्रशिक्षण लिया। समाज-शिक्षा-सयोजक-प्रशिक्षण-केन्द्रो में प्राथमिक विद्यालय-अध्यापक-प्रशिक्षण-संस्थानो के 1,555 मुख्य अध्यापको तथा 2,194 शिक्षको को भी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त इन केन्द्रो में प्रशिक्षण-सस्थानो (माध्यमिक विद्यालयो) के 55 शिक्षको ने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया।

इस समय ग्राम-सेवको के प्रशिक्षण के लिए 100 प्रशिक्षण-केन्द्र हे जिनमें 74,948 ग्राम-सेवक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है। इसी अवधि में 8,375 ग्राम-सेविकाओं ने भी 44 गृह-विज्ञान-शाखाओ में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

1965 के अन्त तक 13 केन्द्रों में 6,834 विस्तार-अधिकारियो (सहकारिता)* को प्रशिक्षित किया गया। दो संगठित प्रशिक्षण-केन्द्र—एक निलोखेडी में तथा दूसरा हैदराबाद में—विस्तार-अधिकारियो (उद्योगो) के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं।

भारत-सरकार-द्वारा संचालित 3 मुख्य प्रशिक्षण-केन्द्रो में स्वास्थ्य-कर्मचारियो को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त सहायक दाइयों के 213 प्रशिक्षण-संस्थानों में 1965 के अन्त तक 3,690 स्वास्थ्य-कर्मचारियो को प्रशिक्षण दिया गया।

ग्राम-सेवको के कार्य में सहायता देनेवाले व्यक्तियो के प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी अवधि के शिविरों की व्यवस्था की जाती है। जून 1965 के अन्त तक लगभग 69.3 लाख ग्राम-सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया।

लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर 123 पंचायती राज-प्रशिक्षण-केन्द्रो में पंचायती राज-संस्थानों के सदस्यों, पदाधिकारियों तथा सचिवों के प्रशिक्षण का एक विशाल कार्यक्रम आरम्भ किया गया।

पंचायती राज-प्रशिक्षण-केन्द्रो के 317 प्रशिक्षकों ने नई दिल्ली-स्थित केन्द्रीय पंचायती राज-संस्था में 1965 के अन्त तक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

सफलताएं

इस कार्यक्रम की अधिक महत्त्वपूर्ण सफलताएं अगले पृष्ठ की सारणी में दी गई हैं।

*मध्यवर्ती विभागीय अधिकारियों-सहित

सारणी 13

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम की सफलताए

मदें	जून में समाप्त होनेवाले वर्ष की		जून में समाप्त होनेवाले वर्ष की प्रतिखण्ड	
	1963-64	1964-65	1963-64	1964-65
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कृषि				
बांट गए सुधरे बीज (क्विण्टल)	37,85.400	46.91,300	847	1,035
बाटा गया रासायनिक उर्वरक (क्विण्टल)	1.92,58,400	2,09,35,500	4,329	4,620
बाटे गए कीटनाशक (क्विण्टल)	1,57,496	2,21709	49	70
बाटे गए सुधरे औज़ार	7,93,957	7,88,641	178	174
कृषि-प्रदर्शन	9,73,500	10,98,700	218	243
खोदे गए खाद के गढे	94,99,200	1,00,19,100	1.125	2.211
2. छोटे सिचाई-कार्य				
छोटे सिचाई-कार्यों से सीची जानेवाली अतिरिक्त भूमि (हेक्टर)	4,84,435	5.18,416	135	143
3. पशुपालन				
दिए गए सुधरी नस्ल के पशु	36,472	34,059	9 9	9 3
दिए गए सुधरी नस्ल के पक्षी	10,24,482	10,68,117	229	236
दी गई छोटी मछलिया	7,24,14,100	7,16,24,100	16,196	15,806
बधिया किए गए पशु	32,30,900	38,46,600	723	860
पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान	9,75.643	9,03,222	219	200

सारणी 13 (क्रमशः)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. ग्राम तथा लघु उद्योग				
चालू किए गए अम्बर-चर्खे	8 313	5,717	2.3	1.5
लगाए गए ईंट-भट्ठे	19 583	21.255	6.2	6 7
बनाई गईं ईंटे	1 90,34,60,000	1,53,70,20,000	6,25,000	5,05,000
बनाई गईं खपरैले	36,93 00,000	38.15,90,000	1,30,000	1,25,000
बाटी गई सिलाई की मशीने	9,727	7,590	2 2	2 0
चमड़ा-कमाई के नए गड्ढे	2,682	1,238	0 6	0 3
चालू की गई सुधरी घानियां	781	582	0 2	0 2
खोले गए चमडा-कमाई-केन्द्र	339	279	0 1	0 1
मधुमक्खियों के छत्ते	20,884	17 438	6 6	5 6
बाटे गए सुधरे औजारों और उपकरणो का मूल्य :				
(क) लोहे के (रु०)	4,47,308	4,89,066	133	130
(ख) लकडी के (रु०)	3,97,401	5,02,060	125	133
5. समाज-शिक्षा				
खोले गए वयस्क-साक्षरता-केन्द्र	47,818	54,002	11	13
साक्षर बनाए गए वयस्क	8,20,579	10 20,928	184	225
खोले गए वाचनालय	15,772	11,814	3 4	2 6
स्थापित किए गए युवक-क्लब तथा किसान-सघ	59 323	41,480	13.3	9 2
सदस्य-संख्या	8,63,349	6,68,463	198	170
आयोजित कार्यशील ग्राम-सहायक-शिविर	12,646	10,155	3.5	2.9
प्रशिक्षित किए गए कार्यशील नेता	6,25,987	5,85,778	162	133

6. महिला-कार्यक्रम				
स्थापित की गई महिला-समितियां/मण्डल	26,314	30,174	5 9	6.7
सदस्य-सख्या	5,20,365	4,74,203	117	105
आयोजित महिला-शिविर	6,691	7,302	1.7	1.6
महिला-शिविर-सदस्य	1,81,630	1,73,116	47	39
स्थापित की गईं बालवाड़ियां	10,662	10,109	2.7	2.5
बालवाड़ी-विद्यार्थी	2,71,623	2,68,846	68	67
7. स्वास्थ्य तथा ग्राम-सफाई				
बनाए गए ग्राम-शौचालय	1,08,890	90,890	24	20
बनाई गईं पक्की नालिया (वर्ग मीटर)	23,62,300	28,61,000	531	633
पक्की की गई ग्रामीण गलिया (वर्ग मीटर)	11,00,600	12,26,800	302	340
बनाए गए पानी सोखने के गड्ढे	2,74,990	2,40,320	75	66
खोदे गए पीने के पानी के कुएं	44,089	35,933	10	8
पीने के पानी के कुओ की मरम्मत	49,721	43,047	11	10
8. संचार-साधन				
बनाई गई कच्ची सडकें (किलोमीटर)	27,470	29,609	6.2	6.5
वर्तमान कच्ची सड़को का सुधार (किलोमीटर)	43,130	52,461	10	12
बनाई गईं पुलिया	26,429	22,863	6 0	5.0

अध्याय 15

वित्त

सार्वजनिक वित्त

संविधान के अधीन धन एकत्र करने तथा व्यय करने का अधिकार केन्द्र तथा राज्यों के बीच बांट दिया गया है। केन्द्र तथा राज्यों के राजस्व के स्रोत भी प्रायः भिन्न हैं। इसलिए देश में एक से अधिक बजट तथा एक से अधिक राज-कोष (सरकारी खजाने) हैं।

संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि (1) कोई कर कानूनी अधि-कार के बिना लगाया अथवा उगाहा नहीं जा सकता, (2) सरकारी निधियों में से व्यय केवल संविधान में उल्लिखित विधि के अनुसार ही किया जा सकता है, तथा (3) कार्यपालिकाएं केवल संसद्-द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही सरकारी धन व्यय कर सकती हैं।

केन्द्रीय सरकार का समस्त राजस्व तथा व्यय दो अलग-अलग लेखों में दिखाया जाता है—(1) समेकित निधि, तथा (2) सरकारी लेखा। 'भारत की समेकित निधि' में केन्द्रीय सरकार का समस्त राजस्व, ऋण की राशि तथा ऋणों के भुगतान से प्राप्त राशि सम्मिलित है। इस निधि में से संसद्-द्वारा पारित अधि-नियम के अधीन प्राप्त अधिकार के आधार पर ही धन निकाला जा सकता है। शेष सभी प्राप्तियां तथा व्यय—जमा-राशियां, सेवा-निधि, प्रेषित राशियां आदि—सरकारी लेखे में डाले जाते हैं जिसके लिए संसद् की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिनके सम्बन्ध में 'वार्षिक विनियोजन-अधिनियम' में कोई व्यवस्था नहीं होती, संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अनु-सार एक 'भारतीय आकस्मिक निधि' भी है।

संविधान के अधीन प्रत्येक राज्य के लिए भी एक-एक समेकित निधि तथा सरकारी लेखा बनाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार राज्यों में आकस्मिक निधियां भी हैं।

रेल-विभाग के अपने अलग कोष तथा लेखे हैं। उसका बजट भी पृथक् रूप से संसद् में प्रस्तुत किया जाता है। अन्य विनियोजनों तथा व्यय की भांति रेल-बजट के विनियोजन तथा व्यय पर भी संसद् तथा लेखा-परीक्षक का नियन्त्रण रहता है।

राजस्व का आवण्टन

केन्द्रीय सरकार के राजस्व के मुख्य स्रोत ये हैं: सीमा-शुल्क, केन्द्रीय सर-कार-द्वारा लगाए जानेवाले उत्पाद-शुल्क, निगम-कर तथा आय-कर (कृषि-आय पर

लगाए जानेवाले करों को छोड़कर)। धन-कर तथा व्यय-कर से प्राप्त होनेवाला राजस्व भी केन्द्र को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त रेल तथा डाक-तार-विभाग भी केन्द्र के सामान्य राजस्व में अंशदान करते है।

राज्यों के राजस्व के मुख्य स्रोत ये हैं : राज्य-सरकारो-द्वारा लगाए जानेवाले कर तथा शुल्क, केन्द्रीय सरकार-द्वारा लगाए जानेवाले करो का अश तथा केन्द्र से प्राप्त होनेवाला अनुदान। राज्यों के कर-राजस्व का 80 प्रतिशत से कुछ अधिक भाग लगान, बिक्री-कर, राज्यीय उत्पाद-शुल्क, पंजीयन तथा स्टाम्प-शुल्क और आय-कर तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्को के अंश से प्राप्त होता है जो राज्यों के कुल राजस्व का आधे से अधिक भाग है। सम्पत्ति-कर, चुगी तथा सीमा-कर स्थानीय वित्त के मुख्य स्रोत हैं।

केन्द्र-द्वारा राज्यों को संसाधनों का हस्तान्तरण

भारत में सघीय वित्त-प्रणाली की मुख्य बात केन्द्र-द्वारा राज्यो को ससाधनो का हस्तान्तरण है। करो आदि में अपने भाग के अतिरिक्त राज्य-सरकारों को अनुदान और विकास-योजनाओं तथा पुनर्वास के लिए भी ऋण दिए जाते हैं। दूसरी योजना की अवधि में राज्यों को हस्तान्तरित किए गए ससाधन पहली योजना की तुलना में दुगुने से भी अधिक थे। तीसरी योजना की अवधि में इनमें निरन्तर वृद्धि होती रही। तत्सम्बन्धी ब्यौरा पृष्ठ 159 की सारणी 17 में दिया गया है।

वित्त-आयोग

5 मई, 1964 को नियुक्त चौथे वित्त-आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 अगस्त, 1965 को दे दी।

वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट

प्रतिवर्ष फरवरी के अन्त मे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रत्याशित राजस्व तथा व्यय का विवरण ससद् में रखा जाता है जिसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' अथवा 'बजट' कहते हैं। राजस्व तथा व्यय के अनुमानो के अतिरिक्त इस विवरण में (1) पिछले वर्ष की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, तथा (2) पूंजीगत व्यय की व्यवस्था करने के प्रस्ताव भी रहते हैं।

बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद ससद् के दोनो सदनो में उस पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श होता है तथा प्रभारित व्यय से भिन्न व्यय के अनुदान लोकसभा में 'अनुदानों की मागो' के रूप में रखे जाते है। सामान्यतः प्रत्येक मन्त्रालय के लिए अनुदानो की माग अलग-अलग की जाती है। इस प्रकार संसद् एक विनियोजन-अधिनियम पास करके प्रतिवर्ष समेकित निधि में से धन निकालने का अधिकार प्रदान करती है। बजट के कर-प्रस्ताव एक अन्य विधेयक मे रखे जाते हैं जिसे वर्ष के 'वित्त-अधिनियम' के रूप में पास किया जाता है। इसी प्रकार राज्य-सरकारें भी अपने-अपने विधानमण्डलों में, वित्तीय वर्ष आरम्भ होने से पूर्व, आय-व्यय के अनुमान प्रस्तुत करके उपर्युक्त संसदीय प्रणाली के अनुसार व्यय के लिए विधानमण्डल की स्वीकृति प्राप्त करती हैं।

लेखा-परीक्षा

संविधान में कहा गया है कि लेखा-परीक्षा करनेवाले अधिकारी, जो कार्य-पालिका के अधीन नही होते, केन्द्र तथा राज्य-सरकारों के हिसाब-किताब की जांच करें तथा देखें कि वे अपने अधिकार से बाहर तो कुछ व्यय नहीं करती। संविधान में यह भी आदेश दिया गया है कि प्रत्येक सरकार के व्यय का हिसाब-किताब उसके विधानमण्डल-द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

बजट-अनुमान 1966-67

28 फरवरी, 1966 को लोकसभा में प्रस्तुत 1966-67 के बजट-अनुमानों में 24 अर्ब 7 करोड 41 लाख रु० का व्यय तथा 26 अर्ब 17 करोड 12 लाख रु० का राजस्व (वर्तमान करो के आधार पर) दिखाया गया है। 1965-66 के संशोधित अनुमानो के अनुसार व्यय तथा राजस्व क्रमशः 21 अर्ब 87 करोड 42 लाख रु० तथा 24 अर्ब 69 करोड 51 लाख रु० के रहे। इस प्रकार सारणी 14 मे 1966-67 के बजट में 2 अर्ब 9 करोड 71 लाख रु० की बचत दिखाई गई है।

भारत-सरकार का पूंजीगत बजट

भारत-सरकार के 1966-67 के पूंजीगत बजट में 19 अर्ब 51 करोड़ 57 लाख रु० की आय तथा 22 अर्ब 77 करोड 90 लाख रु० के व्यय का अनुमान है। 1965-66 के संशोधित अनुमानो के अनुसार 90 अर्ब 31 करोड 17 लाख रु० की आय तथा 23 अर्ब 28 करोड 20 लाख रु० के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

केन्द्र तथा राज्यों की बजट-सम्बन्धी स्थिति

सारणी 15 तथा सारणी 16 मे क्रमश भारत-सरकार और सभी राज्यो की (सम्मिलित) 1950-51, 1964-65 तथा 1965-66 की बजट-सम्बन्धी स्थितियो का विवरण दिया गया है।

सार्वजनिक ऋण तथा कुल देनदारियां

सार्वजनिक ऋण

भारत-सरकार का पहले का शेष सार्वजनिक ऋण 1965-66 तथा 1966-67 के अन्त मे क्रमश· 80 अर्ब 50 करोड़ रुपये तथा 89 अर्ब 20 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। इनमें से क्रमश 54 अर्ब 20 करोड़ 62 लाख रुपये तथा 56 अर्ब 26 करोड 81 लाख रुपये का ऋण भारत में और क्रमश· 26 अर्ब 29 करोड़ 18 लाख रुपये तथा 32 अर्ब 93 करोड़ 44 लाख रुपये का ऋण विदेशो में होगा। भारतवाले ऋण में से क्रमश. 34 अर्ब 69 करोड़ 40 लाख रुपये तथा 35 अर्ब 59 करोड़ 80 लाख रुपये के स्थायी ऋण और 19 अर्ब 51 करोड 22 लाख रुपये तथा 20 अर्ब 67 करोड़ 1 लाख रुपये के चल ऋण होंगे।

सारणी 14

भारत-सरकार का बजट (राजस्व तथा व्यय)

(राजस्व-लेखा)

(रुपये)

मदें	1964-65 लेखा	1965-66 बजट	1965-66 संशोधित	1966-67 बजट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजस्व				
सीमा-शुल्क .	3,97,50,00,000	4,19,50,00,000*	5,31,20,00,000	5,60,00,00,000 +52,00,000†
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क . .	8,01,51,00,000	8,19,19,00,000*	8,61,35,00,000	9,69,70,00,000 +42,27,00,000†§
निगम-कर . . .	3,14,05,00,000	3,71,60,00,000	3,30,00,00,000	3,40,00,00,000 +36,07,00,000†
आय-कर . .	2,66,55,00,000	2,91,50,00,000	2,60,00,00,000	2,70,00,00,000 +24,45,00,000†
सम्पदा-शुल्क . . .	5,43,00,000	7,40,00,000	7,00,00,000	7,40,00,000 +70,00,000†

*'वित्त (सं० 2) अधिनियम 1965' के द्वारा लागू उपायों से 80.33 करोड़ रु० का सीमा-शुल्क तथा 25.92 करोड़ रु० का केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्राप्त होने की आशा थी ।

†बजट-प्रस्तावों का प्रभाव

§राज्यों को देय 10.07 करोड़ रु० की केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कवाली राशि छोड़कर

सारणी 14 (क्रमशः)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धन-कर	10,60,00,000	13,50,00,000	14,00,00,000	14,00,00,000
व्यय-कर	44,00,000	1,55,00,000	75,00,000	75,00,000 —60,00,000†
दान-कर	2,22,00,000	3,10,00,000	3,00,00,000	3,00,00,000 —1,71,00,000†
अन्य शीर्षक	22,49,00,000	23,87,00,000	24,76,00,000	26,47,00,000 +50,00,000†
ऋण-सेवाएं	2,57,28,00,000	2,96,73,00,000	3,16.46,00,000	3,60,62,00,000
प्रशासनिक सेवाएं	8,85,00,000	9,51,00,000	9,36,00,000	9,45,00,000
सामाजिक तथा विकास-सेवाएं	27,86,00,000	23,57,00,000	24,19,00,000	22,56,00,000
बहुद्देशीय नदी-योजनाएं आदि	10,00,000	13,00,000	12,00,000	12,00,000
सरकारी निर्माणकार्य आदि	4,93,00,000	3,94,00,000	4,22,00,000	4,15,00,000
परिवहन तथा संचार-साधन	7,46,00,000	6,75,00,000	8,20,00,000	8,45,00,000
मुद्रा तथा टकसाल	53,72,00,000	61,69,00,000	62,55,00,000	64,94,00,000
विविध	24,14,00,000	25,47,00,000	26,69,00,000	19,07,00,000
अंशदान तथा विविध समायोजन	31,58,00,000	34,81,00,000	35,07,00,000	43,34,00,000
असाधारण मदें	1,23,02,00,000	60,50,00,000	80,72,00,000	30,66,00,000
घटाइए— राज्यों को देय आय-कर का भाग	(—) 1,23,77,00,000	(—) 1,21,27,00,000	(—) 1,23,34,00,000	(—) 1,30,45,00,000
घटाइए— राज्यों को देय सम्पदा-शुल्क का भाग	(—) 6,78,00,000	(—) 7,17,00,000	(—) 6,79,00,000	(—) 7,11,00,000 —69,00,000†

योग—राजस्व	22,29,08,00,000	23,45,87,00,000	24,69,51,00,000	26,17,12,00,000 +1,01,51,00,000†
राजस्व-लेखे में घटा	—	—	—	—
योग	22,29,08,00,000	23,45,87,00,000	24,69,51,00,000	27,18,63,00,000
व्यय				
करों तथा शुल्कों का संग्रह	26,30,00,000	28,88,00,000	29,64,00,000	30,84,00,000
ऋण-सेवाएं	3,16,41,00,000	3,56,11,00,000	3,72,61,00,000	4,14,83,00,000
प्रशासनिक सेवाए	81,87,00,000	91,36,00,000	92,21,00,000	1,10,08,00,000
सामाजिक तथा विकास-सेवाए	1,67,56,00,000	1,84,66,00,000	1,77,73,00,000	1,95,57,00,000
बहुद्देश्यीय नदी-योजनाए आदि	1,12,00,000	1,98,00,000	1,90,00,000	2,03,00,000
सरकारी निर्माणकार्य आदि	20,89,00,000	22,98,00,000	21,77,00,000	23,83,00,000
परिवहन तथा सचार-साधन	10,66,00,000	10,62,00,000	10,94,00,000	1,09,41,00,000
मुद्रा तथा टकसाल	14,72,00,000	16,40,00,000	17,03,00,000	17,82,00,000
विविध	95,29,00,000	1,16,27,00,000	1,27,36,00,000	1,52,35,00,000
अंशदान तथा विविध समायोजन	4,00,24,00,000	4,72,64,00,000	4,85,69,00,000	6,14,07,00,000
असाधारण मदें	1,27,27,00,000	65,84,00,000	81,48,00,000	37,38,00,000
प्रतिरक्षा-सेवाए (शुद्ध)	6,92,85,00,000	7,48,74,00,000	7,69,06,00,000	7,97,67,00,000
योग—व्यय	19,55,18,00,000	21,16,48,00,000	21,87,42,00,000	24,07,41,00,000
राजस्व-लेखे में बचत	2,73,90,00,000	2,29,39,00,000	2,82,09,00,000	3,11,22,00,000
योग	22,29,08,00,000	23,45,87,00,000	24,69,51,00,000	27,18,63,00,000

† बजट-प्रस्तावों का प्रभाव

‡ बिक्री-कर से सम्बन्धित

सारणी 15

भारत-सरकार की बजट-सम्बन्धी स्थिति

(रुपये)

	1950-51	1964-65		1965-66
	(लेखा)	(बजट)	(संशोधित)	(बजट)
1. राजस्व-लेखा				
(क) राजस्व*	4,05,86,00,000	19,59,74,00,000	20,79,20,00,000	21,82,69,00,000†
(ख) व्यय‡	3,46,64,00,000	18,76,75,00,000	18,50,05,00,000	19,52,47,00,000
(ग) बचत (+) अथवा घाटा (—)	+59,22,00,000	+82,99,00,000	+2,29,15,00,000	+2,30,22,00,000
2. पूंजी-लेखा				
(क) आय§	1,04,45,00,000	18,61,95,00,000	17,90,84,00,000@	19,28,72,00,000
(ख) व्यय	1,82,59,00,000	20,25,58,00,000	20,80,00,00,000	21,00,34,00,000
(ग) बचत (+) अथवा घाटा (—)	—78,14,00,000	—1,63,63,00,000	—2,89,16,00,000	—1,71,62,00,000
3. विविध (शुद्ध) %	+15,26,00,000	—16,04,00,000	—20,29,00,000	—54,86,00,000
4. कुल बचत (+) अथवा घाटा (—)	—3,66,00,000	—96,68,00,000	—80,30,00,000	+3,74,00,000
निम्नलिखित-द्वारा पूरा किया गया :				
(क) राजकोष-हुण्डियां × वृद्धि (—)	—16,10,00,000	—96,00,00,000	—72,00,00,000	+2,96,00,000

(ख) नकद शेष				
कमी (—)	+12,44,00,000	—68,00,000	—8,30,00,000	+78,00,000
(1) पूर्वशेष	1,49,50,00,000	50,21,00,000	58,30,00,000	50,00,00,000
(2) इतिशेष	1,61,94,00,000	49,53,00,000	50,00,00,000	50,78,00,000

टिप्पणी : ये लेखे अस्थायी हैं। 1965-66 के बजट-अनुमान वे हैं जो लोकसभा में प्रस्तुत किए गए।

*उत्पाद-शुल्कों तथा अन्य करों में राज्यों का भाग छोड़कर

†बजट-प्रस्तावों के प्रभाव-सहित

‡उत्पाद-शुल्कों तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्कों में राज्यों के भाग के भुगतान को छोड़कर

§राजकोष-हुण्डियों से होनेवाली आय को छोड़कर

@1960-61 की 50 करोड़ रुपये, 1963-64 की 75 करोड़ रुपये तथा 1964-65 (संशोधित) की 50 करोड़ रुपये की तदर्थ राजकोष-हुण्डियों को छोड़कर

%इंग्लैण्ड तथा भारत के बीच नकदी के प्रेषण तथा हस्तान्तरण और रिजर्व बैंक की निक्षेप-राशियां-सहित

×अधिकांशतः रिजर्व बैंक को बेची गई

सारणी 16

सभी राज्यों की (सम्मिलित) बजट-सम्बन्धी स्थिति

(रुपये)

	1951-52 (लेखा)	1964-65 (बजट)	1964-65 (संशोधित)	1965-66 (बजट)
1. राजस्व-लेखा				
राजस्व	3,96,40,00,000	15,55,90,00,000	16,14,30,00,000	17,55,20,00,000 (17,59,30,00,000)
व्यय	3,92,60,00,000	15,48,00,00,000	16,41,10,00,000	18,40,60,00,000
बचत (+) अथवा घाटा (—)	+3,80,00,000	+7,90,00,000	—26,80,00,000	—85,40,00,000 (—81,30,00,000)
2. पूंजी-लेखा				
आय	1,35,00,00,000	9,46,00,000,00	10,87,50,00,000	11,33,60,00,000
व्यय	1,88,70,00,000	9,95,80,00,000	10,98,00,00,000	11,24,10,00,000
बचत (+) अथवा घाटा (—)	—53,70,00,000	—49,80,00,000	—10,50,00,000	+9,50,00,000
3. विविध (शुद्ध)	+1,60,00,000	—4,10,00,000	—2,40,00,000	—4,90,00,000
4. कुल बचत (+) अथवा घाटा (—)	—48,30,00,000	—46,00,00,000	—39,70,00,000	—80,80,00,000 (—76,70,00,000)
5. नकद-शेष में वृद्धि (+) अथवा कमी (—)	—10,80,00,000	+41,60,00,000	—3,70,00,000	—70,60,00,000
(क) पूर्वशेष	61,50,00,000	+8,50,00,000	—8,70,00,000	—12,40,00,000
(ख) इतिशेष	50,70,00,000	—33,10,00,000	—12,40,00,000	—83,00,00,000
6. प्रतिभूतियों की खरीद (+) अथवा बिक्री (—)	—37,60,00,000	—4,40,00,000	—36,10,00,00	—10,10,00,000

सारणी 17

राज्यों को हस्तान्तरित संसाधन

(अर्ब रुपये)

	कर तथा शुल्क	अनुदान			ऋण	योग
		राजस्व-लेखे से	पूंजीगत लेखे से	केन्द्रीय सड़क-निधि से		
पहली योजना . .	3.267	2.48	0 238	0 159	7 985	14.129
दूसरी योजना	7 111	6 679	0 591	0.19	14.108	28.679
तीसरी योजना :						
1961-62 (वास्तविक) . . .	1.784	1.99	0 159	0 017	4 524	8 464
1962-63 (वास्तविक) . .	2 241	2 004	0 19	0 028	5.235	9.698
1963-64 (वास्तविक)	2 595	2 054	0 224	0.035	6 239	11.147
1964-65 (वास्तविक) . . .	2 579	2.556	0.29	0 045	6 908	12.378
1965-66 (संशोधित) . . .	2.761	2.99	0 476	0 039	8 194	14.46
1966-67 (बजट) . .	3.503	3 469	0 487	0.039	6 594	14.092

कुल देनदारियां

भारत-सरकार की कुल देनदारियां 1965-66 तथा 1966-67 के अन्त में क्रमशः 1 खर्ब 13 अर्ब 82 करोड़ 63 लाख रुपये की तथा 1 खर्ब 23 अर्ब 95 करोड़ 60 लाख रुपये की होने का अनुमान लगाया गया है जिनमे से सार्वजनिक ऋण क्रमशः 80 अर्ब 49 करोड 80 लाख रुपये तथा 89 अर्ब 20 करोड़ 25 लाख रुपये, छोटी बचत-योजनाओं की कुल राशि क्रमशः 15 अर्ब 20 करोड 81 लाख रुपये तथा तथा 16 अर्ब 55 करोड़ 81 लाख रुपये, अन्य अनिधिबद्ध ऋण क्रमशः 12 अर्ब 44 करोड़ 69 लाख रुपये तथा 12 अर्ब 28 करोड़ 18 लाख रुपये और सुरक्षित निधि तथा निक्षेप-राशि (सम्मिलित) क्रमशः 5 अर्ब 67 करोड़ 33 लाख रुपये तथा 5 अर्ब 91 करोड 36 लाख रुपये की होंगी।

पूंजीगत परिव्यय तथा दिए गए ऋण

1966-67 के अन्त में भारत-सरकार का पूजीगत परिव्यय विभागीय संस्थाओ पर 33 अर्ब 5 करोड 90 लाख रुपये; सरकारी कम्पनियो, वित्तीय सस्थाओं तथा अन्य कम्पनियो-निगमो में सरकार का विनियोग 18 अर्ब 99 करोड 71 लाख रुपये, प्रतिरक्षा-सेवाओं, सार्वजनिक निर्माण-कार्यों तथा व्यापार-योजनाओ आदि पर 20 अर्ब 55 करोड 25 लाख रुपये होने और राज्यो एव संघीय क्षेत्रो की सरकारों तथा विदेशी सरकारो आदि को 60 अर्ब 68 करोड़ 28 लाख रुपये के ऋण दिए जाने का अनुमान लगाया गया है।

राज्य-सरकारो की ऋण-स्थिति अगले पृष्ठ की तालिका में दी हुई है।

द्रव्य (मनी) पूर्ति तथा मुद्रा (करेंसी)

1965 में जनता के पास उपलब्ध द्रव्य में 3 अर्ब 75 करोड 10 लाख रुपये* की वृद्धि हुई। यह वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम (9 6 प्रतिशत) रही। जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में काफी वृद्धि हुई और यह 2 अर्ब 3 करोड 60 लाख रुपये की रही जबकि निक्षेप राशि में वृद्धि थोडी (1 अब 71 करोड 50 लाख रु० की) हुई।

इस वृद्धि का कारण सरकार को बैंको-द्वारा दिए जानेवाले ऋण, निजी क्षेत्र को दिए जानेवाले शुद्ध बैंक-ऋण तथा जनता के प्रति सरकार की शुद्ध मुद्रा-देनदारी मे वृद्धि होने का था।

मुद्रा

1965 में लोगों के पास उपलब्ध मुद्रा‡ (छोटे सिक्के-सहित) में 2 अर्ब 16 करोड 10 लाख रुपये की और वृद्धि हुई जिससे मुद्रा-संचलन 29 49 अर्ब रुपये का हो गया।

1965 में एक रुपये के सिक्को (एक रुपये के नोट-सहित) तथा छोटे सिक्कों में क्रमशः 90 लाख रु० तथा 2 3 करोड़ रु० के सिक्कों की वृद्धि हुई। 1965 के अन्त में देश में 26 अर्ब 75 करोड़ 30 लाख रुपये के नोट, 1 अर्ब 76 करोड़ 30 लाख रुपये के एक रुपयेवाले सिक्के तथा 97.4 करोड़ रुपये के छोटे सिक्के चलन में थे।

***अक्तूबर-नवम्बर 1965 में बेहरीन से विशेष मुद्रा वापस न ले ली गई होती तो यह वृद्धि 3.83 अर्ब रुपये की बैठती।**

‡इसमें बैंकों तथा राजकोषों में रुके नोट तथा रुपये के सिक्के सम्मिलित हैं पर पाकिस्तान से लौटे हुए 43 करोड़ रुपये के नोट सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें रद्द किया जाना है।

सारणी 18

राज्य-सरकारों की ऋण-स्थिति*

(रुपये)

	1951-52	1955-56 (संशोधित अनुमान)	1960-61	1964-65 (संशोधित अनुमान)
1. सार्वजनिक ऋण				
(क) स्थायी ऋण	1,33,71,00,000	2,64,48,00,000	4,93,12,00,000†	7,22,58,00,000‡
(ख) चल ऋण	15,66,00,000	8,20,00,000	41,75,00,000	39,86,00,000
(ग) केन्द्रीय सरकार से ऋण	2,38,54,00,000	8,76,07,00,000	20,15,81,00,000	36,23,35,00,000‡
(घ) अन्य ऋण	—	—	51,57,00,000	1,20,35,00,000
2. अनिधिबद्ध ऋण	57,37,00,000	83,19,00,000	1,34,93,00,000	2,05,42,00,000
3. कुल ऋण	4,45,28,00,000	12,31,94,00,000	27,37,17,00,000	47,11,56,00,000

*1951-52 तथा 1955-56 के आंकड़ों में 'ग' भाग के राज्य सम्मिलित नहीं हैं।

†जनसंख्या के अनुपात से केरल के लिए निर्धारित राशि छोड़कर।

‡प० बंगाल के 1.95 करोड़ रु० के पहले के शेष (विभाजन-पूर्व) ऋणों को छोड़कर।

दशमिक सिक्के

सितम्बर 1965 के अन्त तक जारी किए गए दशमिक सिक्कों का विवरण इस प्रकार है .

सिक्के	रुपये में मूल्य
1 पैसावाले	4,17,93,000
2 पैसेवाले	4,29,81,000
3 पैसेवाले	49,01,000
5 पैसेवाले	7,85,75,000
10 पैसेवाले	13,07,60,000
25 पैसेवाले . .	12,79,83,000
50 पैसेवाले . . .	9.95,12,000
रुपयेवाले	63,08,000

अल्युमीनियम-मैग्नेशियम-मिश्रित धातु के दो पैसेवाले सिक्के

अल्युमीनियम-मैग्नेशियम-मिश्रित धातु के दो पैसेवाले सिक्के 1 अक्तूबर, 1965 से रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के सभी कार्यालयों में जारी किए गए।

बेहरीन से भारतीय मुद्रा की वापसी

बेहरीन-सरकार ने अपने यहा प्रचलित विशेष भारतीय नोटो के स्थान पर 16 अक्तूबर, 1965 से 'दीनार' नामक मुद्रा चालू करने का निर्णय किया। इस प्रकार नोटों तथा सिक्को के विनिमय से उत्पन्न भारत की स्टर्लिंग-सम्बन्धी कुल देनदारी के एक-तिहाई भाग अथवा 20 लाख पौण्ड, जो भी कम हो, का भुगतान 30 अप्रैल, 1966 को अथवा उसके पूर्व बेहरीन-सरकार को कर दिया जाना था। शेष देनदारी समान वार्षिक किस्तो में 10 वर्षों में भुगता दी जाएगी। अक्तूबर-नवम्बर 1965 मे बेहरीन से 7.86 करोड़ रुपये के मूल्य के विशेष खाड़ी-नोट तथा भारतीय सिक्के वापस ले लिए गए। खाड़ी-स्थित अन्य क्षेत्रो में इन नोटो तथा सिक्कों का चलन अभी जारी रहेगा।

महाजनी-व्यवस्था (बैंकिंग)

इस वर्ष अनुसूचित बैंको की कुल जमा-राशि में 3.61 अर्ब रुपये की वृद्धि हुई और यह राशि बढ़कर 28 86 अर्ब रुपये की हो गई। बैंक से मिलनेवाली उधार-राशि मे 2.94 अर्ब रुपये की वृद्धि हुई। इसका कारण 1964-65 के काम के तेज़ी के दिनो में बैंक की उधार-राशि में हुई वृद्धि थी।

अनुसूचित बैंकों की सावधि-जमा-राशि में 1965 में 1.74 अर्ब रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। मांग-जमा-राशि मे केवल 1.88 अर्ब रुपये की ही वृद्धि हुई। 1965 के अन्त में कुल जमा-राशि में से सावधि-जमा-राशि 53 प्रतिशत थी।

अनुसूचित बैंकों ने 7 मई, 1965 तक रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया से 1.64 अर्ब रुपये उधार लिए। इतना उधार अभी तक कभी नही लिया गया था। 31 दिसम्बर, 1965 को सरकार की पहले की शेष उधार-राशि 19 करोड रुपये की थी। इस वर्ष बैंकों ने सरकारी सिक्योरिटियो मे 64 करोड़ रुपये का और विनियोग किया। रिज़र्व बैंक की नकद तथा रोकड़-राशि मे भी 41 करोड रुपये की वृद्धि हुई।

सामान्य तथा विशिष्ट उधार-नियन्त्रण

सितम्बर 1964 मे रिज़र्व बैंक-द्वारा लगाए गए मुद्रा-सम्बन्धी प्रतिबन्धो तथा खाद्यान्नो की फसल काफी अच्छी होने के बावजूद मूल्यो में कोई कमी आती दिखाई नही पडी। नवम्बर 1964 तथा जनवरी 1965 के बीच कभी-कभी तो असाधारण वृद्धि देखने में आई। यद्यपि उधार-राशि मे वृद्धि इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा कम रही, तथापि उधार-जमा-अनुपात फरवरी 1965 के प्रथम सप्ताह में 75 प्रतिशत तक पहुच गया। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश बैंक-दर के बढ़कर 7 प्रतिशत हो जाने के कारण भारत तथा ब्रिटेन की द्रव्य-दरो के बीच पाई जानेवाली भिन्नता से देश की विदेशी विनिमय की सुरक्षित राशि पर भारी दबाव पडा। तदनुसार बैंक ने 17 फरवरी, 1965 को बैंक-दर पूरे 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी।

उधारवाली राशि पर अधिक नियन्त्रण लगाए रखने की बैंक की नीति के अनुसार तथा आयात-नियमन के एक अतिरिक्त उपाय के रूप में बैंक ने आयातों पर अग्रिम जमा-राशि की योजना लागू की और असुरक्षित अग्रिम राशियो पर लगे प्रतिबन्ध और कड़े कर दिए। इसके अनुसार 29 जून, 1965 को बैंक ने आयातको को आदेश दिया कि वे 1 जुलाई, 1965 को अथवा उसके बाद भारत मे आयात किए गए माल के मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर की राशि बैंक में अग्रिम जमा-राशि के रूप में जमा करा दें। इन जमा-राशियां का बैंको-द्वारा भारत-सरकार की राजकोष-हुण्डियो में विनियोग होना था तथा आयातको को यह धन जमा कराने की तिथि अथवा ऐसे आयातो के सम्बन्ध में हुए अन्तिम भुगतान की तिथि, जो भी बाद की हो, से अधिक-से-अधिक दो महीने के अन्दर-ही-अन्दर वापस किया जाना था। अमेरिका के सरकारी कानून-480 के अधीन होनेवाले आयातो तथा सरकारी आयातो-सहित कुछ प्रकार के आयातो को इस व्यवस्था से छूट दे दी गई। आयात-सम्बन्धी अग्रिम जमा-राशि-योजना 19 अगस्त से समाप्त कर दी गई और अप्रतिबन्धित अग्रिम राशियो पर लगे प्रतिबन्ध 9 सितम्बर से हटा दिए गए। मूल्यों को आगे न बढने देने के लिए विभिन्न वस्तुओ के सम्बन्ध में विशिष्ट उधार-नियन्त्रण-सम्बन्धी अनेक उपाय किए गए।

1965-66 के काम की तेज़ी के दिनों के लिए उधार-नीति

22 नवम्बर, 1965 को रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया ने 1965-66 के काम की तेज़ी के दिनों (नवम्बर 1965-अप्रैल 1966) के लिए अपनी उधार-नीति की

घोषणा की । बैंक ने आपात स्थिति को तथा 1965-66 में हुए कम खाद्य-उत्पादन की दृष्टि से मूल्यों की स्थिरता के महत्व को ध्यान में रखते हुए कुछ प्राथमिकतावाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में विशिष्ट उदार ऋण-सुविधाओं की व्यवस्था लागू की है । बैंक स्वयं अपने ही सशाधनों से इन दिनों की उधार-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है ।

नई योजनाओं के अधीन अनुसूचित बैंकों-द्वारा ली गई उधार-राशियां उनके शुद्ध परिसमापन-अनुपात की गणना के लिए रिजर्व बैंक से लिए गए कुल उधारों में सम्मिलित रहेंगी ।

रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की नई उधार-राशि की स्वीकृति देने के पहले उससे पूर्व-अनुमति प्राप्त कर लें । जहां तक वर्तमान उधार-राशि की सीमा का प्रश्न है, ऐसी पूर्व-अनुमति की आवश्यकता उस समय होगी जब 1 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की उधार-राशि की सीमा वर्तमान स्तरों से अधिक बढ़ाई जाती हो । रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह आश्वासन भी दिया है कि उसकी उधार-नीति आगे भी लचीली बनी रहेगी ।

बैंक तथा बैंक-कार्यालय

1965 में 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम 1934' की दूसरी अनुसूची में न तो कोई बैंक सम्मिलित किया गया और न कोई इसमें से निकाला गया । इस प्रकार अनुसूचित बैंकों की सख्या 76 ही रही । स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की 130 तथा अन्य बैंकों की 337 शाखाएं खोली गईं । फलस्वरूप दिसम्बर 1965 के अन्त में अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की कुल सख्या 5,913 थी ।

महाजनी-व्यवस्था-सम्बन्धी विधान

'महाजनी-व्यवस्था-कानून (सहकारी समितियों को लागू) अधिनियम 1965' को 25 सितम्बर, 1965 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई । सरकार ने उपर्युक्त अधिनियम लागू होने की तिथि 1 मार्च, 1966 निर्धारित की । इस अधिनियम के अनुसार 'महाजनी-संस्थाएं (बैंकिंग कम्पनियां) अधिनियम 1949' का नामकरण 'महाजनी-व्यवस्था (बैंकिंग) नियमन अधिनियम 1949' हो जाएगा ।

निक्षेप-बीमा-निगम

निक्षेप-बीमा-निगम की स्थापना 1 जनवरी, 1962 को हुई थी । निगम का काम किसी बैंक के फेल हो जाने की स्थिति में उसमें जमा करानेवालों की राशि को सुरक्षा प्रदान करना है । इस योजना के अधीन कार्य कर रहे सभी व्यापारिक बैंकों ('बैंकिंग कम्पनी अधिनियम 1949 के अन्तर्गत आनेवाले) को बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है जिनकी संख्या दिसम्बर 1965 के अन्त में 109 थी । निगम की चुकती पूंजी 1 करोड़ रुपये की है जो रिजर्व-बैंक-द्वारा लगाई गई है । निगम की निक्षेप-बीमा-निधि की राशि 31 दिसम्बर, 1964 को 3.21 करोड़ रुपये की थी ।

'निक्षेप-बीमा-निगम अधिनियम 1961' के खण्ड 16 के अधीन बीमाकृत निक्षेप-राशियो के सम्बन्ध में निगम 9 बैंको के लिए देनदार है जिनमें से एक बैंक को कलकत्ता-उच्च न्यायालय-द्वारा भग किए जाने का आदेश दे दिया गया था और शेष बैंक केन्द्रीय सरकार-द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अधीन अन्य बकों के साथ मिला दिए गए थे।

निगमित-क्षेत्र

30 नवम्बर, 1965 को भारत मे ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनियो की कुल सख्या 27,144 थी। इनकी कुल चुकता पूजी 27 अर्ब 8 करोड 60 लाख रुपये की थी। इन कम्पनियो मे से 5,971 पब्लिक लिमिटेड कम्पनिया तथा 21,173 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनिया थी जिनकी चुकता पूंजी क्रमश: 13 अर्ब 8 करोड 20 लाख रुपये तथा 14 अर्ब 40 लाख रुपये की थी। इसके अतिरिक्त लाभ न कमानेवाली कम्पनियो की सख्या 1,168 थी।

नई कम्पनियां

अप्रैल-नवम्बर 1965 की अवधि में 958 नई कम्पनियां पंजीकृत हुई जिनकी कुल अधिकृत पूजी 2 अर्ब 6 करोड 49 लाख रुपये की थी। इनमें से 100 पब्लिक लिमिटेड तथा 858 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनिया थी जिनकी अधिकृत पूजी क्रमश: 1 अर्ब 8 करोड 54 लाख रु० तथा 97.95 करोड रु० की थी।

संगठित पूंजी

31 मार्च, 1965 को समाप्त होनेवाले वर्ष मे ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनियो ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के लिए 46.13 करोड़ रु० की तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियो के लिए 1 अर्ब 40 करोड 59 लाख रु० की पूजी संगठित की। अप्रैल-सितम्बर 1965 में क्रमश: 20.68 करोड़ रु० तथा 52.05 करोड़ रु० की पूजी सगठित की गई।

सरकारी कम्पनियां

नवम्बर 1965 के अन्त में देश में सरकारी कम्पनियों (अर्थात् ऐसी कम्पनिया जिनमें कम-से-कम 51 प्रतिशत अश-पूजी केन्द्र अथवा राज्य-सरकार की अथवा दोनो की है) की सख्या 196 थी। इनकी चुकता पूजी 11.76 अर्ब रुपये की थी। मार्च 1965 तक 183 सरकारी कम्पनियो में से 51 कम्पनियां केन्द्रीय सरकार की; 118 राज्य-सरकारों की; 1 केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारो की सम्मिलित; 5 केन्द्रीय सरकार तथा गैर-सरकारी हितो के साझे की और 8 कम्पनिया केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी हितो के सम्मिलित साझे की थी।

विदेशी कम्पनियां

31 मार्च, 1965 को देश में 586 ऐसी विदेशी कम्पनियों का काम चालू था जो भारत से बाहर स्थापित की गई थीं।

बीमा-व्यवसाय

सार्वजनिक तथा निजी बीमा

1 सितम्बर, 1956 से, जब भारतीय जीवन-बीमा-निगम की स्थापना हुई, देश में जीवन-बीमा-व्यवसाय मुख्य रूप से निगम और कुछ सीमा तक भारत-सरकार के डाक-तार-विभाग तथा कुछ राज्य-सरकारों के हाथ में है ।

आग, समुद्री तथा अन्य विविध प्रकार का बीमा-व्यवसाय भारतीय कम्पनियों तथा भारत-स्थित विदेशी कम्पनियों के हाथ में है । इसके अतिरिक्त कुछ राज्य-सरकारों ने भी इस व्यवसाय को हाथ में ले रखा है ।

सरकारी बीमा-योजनाएं

आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरल, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान की सरकारें बीमा-व्यवसाय करती हैं जिसका लाभ केवल उनके अपने कर्मचारियों को मिलता है । 1 सितम्बर, 1956 से भारतीय जीवन-बीमा-निगम ने भारत में जीवन-बीमा-व्यवसाय का अधिकार एकमात्र अपने लिए सुरक्षित कर लिया, किन्तु 'जीवन-बीमा-निगम-अधिनियम' के अधीन राज्य-सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अनिवार्य जीवन-बीमा का कार्य कर सकती हैं ।

भारतीय बीमा-संघ

भारत में जीवन-बीमा के राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बीमा-संघ की जीवन-बीमा-परिषद् तथा उसकी कार्यपालिका-समिति भंग कर दी गई और सामान्य बीमा-परिषद् की सदस्यता सामान्य बीमा-व्यवसाय करनेवाले लोगों तक ही सीमित है ।

अनिवार्य पुनर्बीमा

'बीमा (संशोधन) अधिनियम 1961' के अधीन, जो 1 अप्रैल, 1961 से लागू हुआ, प्रत्येक बीमाकर्ता के लिए अपने व्यवसाय के उस भाग का, जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे (उसके व्यवसाय के अधिक-से-अधिक तीस प्रतिशत के बराबर), अनिवार्य रूप से पुनर्बीमा करवाना आवश्यक कर दिया गया है ।

सामान्य बीमा

बीमा-कम्पनियां

31 दिसम्बर, 1965 को भारत में 'बीमा-अधिनियम 1938' के अधीन दर्ज भारतीय तथा भारतीय-भिन्न बीमा-कम्पनियों की संख्या क्रमश: 72 तथा 64 थी ।

इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन-बीमा-निगम आग, समुद्री, जीवन तथा विविध बीमा-व्यवसाय के लिए भी इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया गया है । इसने सामान्य बीमा का काम 1 अप्रैल, 1964 से चालू कर दिया । 1964-65 में जीवन-बीमा-निगम को शुद्ध प्रीमियम के रूप में 38.9 लाख रु० प्राप्त हुए ।

1964 में आग, समुद्री तथा विविध बीमा-व्यवसाय से भारतीय बीमा-कम्पनियों को शुद्ध प्रीमियम के रूप में भारत में कुल 33.88 करोड़ रु० तथा भारत से बाहर 18.14 करोड़ रु० की आय हुई। भारतीय-भिन्न बीमा-कम्पनियों ने शुद्ध प्रीमियम के रूप में भारत में 10.83 करोड़ रु० प्राप्त किए।

परिसम्पत्ति तथा विनियोग

31 दिसम्बर, 1964 को भारतीय बीमा-कम्पनियों के सामान्य बीमा-व्यवसाय की कुल परिसम्पत्ति 1 अर्ब 1 करोड़ 62 लाख रु० के मूल्य की थी। 1963 तथा 1962 के अन्त में इनकी परिसम्पत्ति का मूल्य क्रमशः 90.22 करोड़ रु० तथा 82.03 करोड़ रु० का था।

जीवन-बीमा-व्यवसाय

भारतीय जीवन-बीमा-निगम की स्थापना 1 सितम्बर, 1956 को हुई। इसने 245 बीमा-कम्पनियो (जिनमें 3 सरकारी बीमा-विभाग भी थे) की समस्त परिसम्पत्ति तथा देनदारियो का दायित्व ग्रहण कर लिया। 31 मार्च, 1965 को निगम के 36 विभागीय कार्यालय, 388 शाखा-कार्यालय, 145 उपकार्यालय तथा 181 विकास-केन्द्र थे।

नया व्यवसाय

मार्च 1965 मे समाप्त होनेवाले वर्ष मे 7 अर्ब 46 करोड़ 82 लाख रु० के बीमा-सम्बन्धी 15,31,672 प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा 7 अर्ब 1 करोड़ 8 लाख रु० के 14,44,352 बीमापत्र जारी किए गए। पिछले वर्ष 7 अर्ब 57 करोड़ 80 लाख रु० के 17,51,217 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा 7 अर्ब 2 करोड़ 76 लाख रु० के 16,46,291 बीमापत्र जारी किए गए थे।

कुल व्यवसाय

31 मार्च, 1965 को भारत मे 37.66 अर्ब रुपये के 1,06,30,000 तथा भारत से बाहर 1.12 अर्ब रुपये के 1.92 लाख बीमापत्र जारी थे। इस प्रकार वर्ष के अन्त में कुल व्यवसाय 38.78 अर्ब रु० का हुआ।

विदेशों में कारोबार

निगम अदन, केनिया, तन्जानिया, फिजी, ब्रिटेन, मलयशिया, मॉरिशस, यूगाण्डा, सिंगापुर तथा हांगकांग में नया कारोबार करता है। इस वर्ष निगम को इन देशो से 12.97 करोड़ रुपये के 10,238 बीमा-प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा इसने 11.05 करोड़ रुपये के 8,751 बीमापत्र जारी किए।

आवास-योजनाओं के लिए वित्त-व्यवस्था

इस वर्ष विभिन्न आवास-योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिए राज्य-सरकारों को 15 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए। विभिन्न राज्यों की सहकारी आवास-वित्त-समितियों को 3.4 करोड़ रुपये दिए गए।

'अपना घर बनाइए' योजना 89 केन्द्रों में जारी रही। 1 सितम्बर, 1965 से यह योजना 29 अन्य केन्द्रों में भी लागू कर दी गई। यह योजना अब भारत के एक लाख तथा उससे अधिक की जनसंख्यावाले सभी नगरों तथा कस्बों में और एक लाख से कम की जनसंख्या के कुछ अन्य केन्द्रों में भी लागू है। इस वर्ष मकानों के निर्माण के लिए बीमाधारियों को 2.47 करोड़ रुपये के 939 ऋण दिए गए। अन्य योजनाओं के अधीन चार कम्पनियों को 52.5 लाख रु० के ऋण तथा एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की सहकारी कर्मचारी-आवास-समिति को 5 लाख रु० के ऋण दिए गए।

निगम अपने कर्मचारियों-द्वारा संगठित सहकारी आवास-समितियों को भी ऋण देता है। इस वर्ष विभिन्न केन्द्रों में 12 समितियां स्थापित की गई तथा 12 समितियों के 78.61 लाख रु० के ऋण-प्रार्थनापत्रों को स्वीकृति दी गई। अब तक 34 समितियों ने इस योजना से लाभ उठाया और उन्हें 1,70,12,000 रु० के ऋणों की स्वीकृति मिली। 33 कर्मचारियों के लिए भी 7.04 लाख रु० के ऋणों की स्वीकृति दी गई।

राज्य-सरकारों तथा सहकारी आवास-वित्त-समितियों को अन्य योजनाओं के अधीन ऋण के रूप में 31 मार्च, 1965 तक निगम ने देश में मकानों के निर्माण के लिए 76.18 करोड़ रुपये की सहायता दी।

विनियोग

मार्च 1965 के अन्त तक निगम ने 8 अर्ब 42 करोड़ 12 लाख रुपय का विनियोग कर रखा था। निगम का जीवन-बीमा-सम्बन्धी विनियोग 31 मार्च, 1965 को देश में 8,22,00,66,000 रुपये का तथा भारत के बाहर विदेशों में 17,95,39,000 रुपये का था।

अन्य बीमा

इधर कुछ वर्षों में लागू की गई 'आपात हानि-लाभ (माल/कारखाने) बीमा-योजना' तथा 'युद्ध-हानि-लाभ (समुद्र) बीमा-योजना' के सम्बन्ध में परिशिष्ट में 'संकटकालीन स्थिति' शीर्षक के अधीन उल्लेख किया गया है।

अध्याय 16

कृषि

भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनता अपनी जीविका के लिए भूमि पर निर्भर करती है और देश की लगभग आधी राष्ट्रीय आय कृषि तथा उससे सम्बद्ध व्यवसायों से प्राप्त होती है। देश से निर्यात की जानेवाली अधिकांश वस्तुएं और सूती कपड़ा, पटसन तथा चीनी-जैसे कुछ बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही प्राप्त होता है। मूंगफली तथा चाय के उत्पादन में भारत का स्थान संसार-भर में प्रथम है और लाख का उत्पादन तो प्राय: सारा-का-सारा भारत में ही होता है। चावल, पटसन, खण्डसारी, तिल, राई तथा अरण्डी के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरे नम्बर पर है।

भूमि का उपयोग

देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.68 करोड़ हेक्टर है। इसमें से 29.98 करोड़ हेक्टर* भूमि अर्थात् कुल क्षेत्रफल के 91.8 प्रतिशत भाग के ही आकड़े उपलब्ध हैं। 1962-63 के आकड़ों के अनुसार उस वर्ष 5.67 करोड़ हेक्टर भूमि में वन थे, 3.71 करोड़ हेक्टर भूमि में चरागाह, वृक्ष, कुंज आदि थे तथा 2.09 करोड़ हेक्टर भूमि परती थी। इसके अतिरिक्त 4.89 करोड़ हेक्टर भूमि कृषि के लिए उपलब्ध नहीं थी। कृषि कुल 15.61 करोड़ हेक्टर भूमि में होती थी।

सिंचित भूमि

सिंचाई की व्यवस्था कुल कृषिवाली भूमि में से लगभग 19 प्रतिशत भाग में है। 1950-51 में नहरों, ताल-तालाबों, कुओं आदि से 2.08 करोड़ हेक्टर भूमि की सिंचाई होती थी। 1962-63 में 2.57 करोड़ हेक्टर भूमि सिंचाई के अधीन आ गई।

भारत में कृषि-उत्पादन की दो मुख्य विशेषताएं हैं: एक तो यह कि इस देश में विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा होती हैं और दूसरी यह कि अन्य फसलों की अपेक्षा अनाज की फसलों को अधिक महत्व दिया जाता है।

मौसम

भारत में फसलों के दो मौसम हैं—खरीफ तथा रबी। चावल, ज्वार, बाजरा, मकई, कपास, गन्ना, तिल तथा मूंगफली खरीफ की मुख्य फसलें हैं और गेहूं, जौ, चना, अलसी, राई तथा सरसों रबी की मुख्य फसलें हैं।

उत्पादन

तीसरी योजना के प्रथम तीन वर्षों की तुलना में 1964-65 में देशभर में मौसम काफी अनुकूल रहा। खाद्यान्नों, तिलहनों तथा गन्ना के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 8.84 करोड़ मीट्रिक टन रहा। चावल का उत्पादन 3.87 करोड़

***इसमें गोआ, दमन तथा दीव; नागालैण्ड; उ०पू०सी० अभिकरण और पाण्डिचेरी-सम्बन्धी आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।**

मीट्रिक टन रहा। गन्ना, मूंगफली तथा तिलहनो का उत्पादन अब तक के उत्पादनों में सबसे अधिक हुआ। पटसन तथा कपास का उत्पादन कम रहा।

मुख्य फसलों का क्षेत्र तथा उत्पादन

1950-51 तथा 1964-65 मे मुख्य फसलो के क्षेत्र तथा उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन अगले पृष्ठ की सारणी मे दिया गया है।

कृषि-उत्पादन (सभी जिन्स) का सामान्य सूचनाक, जो 1950-51 में 95.6 था, 1964-65 में 157.6 रहा।

खाद्यान्नों का आयात

1965 मे खाद्यान्नो के आयात मे काफी वृद्धि की गई। इस वर्ष 2 अर्ब 90 करोड 32 लाख रुपये के मूल्य के कुल 74.6 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आयात हुआ। अमेरिका से गेहू तथा चावल का आयात अमेरिका के सरकारी कानून-480-करार के अधीन हुआ और लगभग 95,400 मीट्रिक टन गेहू व्यापारिक आधार पर प्राप्त किया गया। आस्ट्रेलिया से भेंट-स्वरूप प्राप्त 1.5 लाख मीट्रिक टन गेहू को छोडकर शेष गेहू व्यापारिक आधार पर खरीदा गया। कनाडा से गेहू का आयात कनाडा के विशेष खाद्य-सहायता-कार्यक्रम के अधीन हुआ। बर्मा, कम्बोडिया, थाइलैण्ड, सयुक्त अरब-गणराज्य तथा पाकिस्तान से चावल व्यापारिक रूप से प्राप्त किया गया। 1965 मे [illegible] 83 लाख मीट्रिक टन चावल, 65.83 लाख मीट्रिक टन गेहू तथा आटा और [illegible],000 मीट्रिक टन अन्य अनाजो का आयात हुआ।

खाद्य-स्थिति

1965 के अधिकाश समय मे देश की खाद्य स्थिति सकटपूर्ण बनी रही। इसमें सन्देह नही कि 1964-65 मे खाद्यान्नो का उत्पादन 8.4 करोड मीट्रिक टन का रहा जितना अब तक कभी नहीं हुआ था, किन्तु इतना उत्पादन होने पर भी पिछले दो वर्षों के उत्पादन मे आई कमी के प्रभाव को दूर न किया जा सका। इसके अतिरिक्त 1965 में देश मे इधर के वर्षों मे सबसे बडे सूखे का प्रकोप हुआ जिसके फलस्वरूप 1965-66 की फसल को काफी क्षति पहुची।

1965 मे अनाजो का आयात बढाकर 75 लाख मीट्रिक टन का कर दिया गया। अतिरिक्त आयात के लिए भी व्यवस्था की गई है। अपने सरकारी कानून-480 के अधीन अमेरिका ने 1965-66 के अपने वित्तीय वर्ष मे 65 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा मोटा अनाज इस देश को भेजने की स्वीकृति दी। देश मे उत्पादित खाद्यान्नों की वसूली के भी अधिक-से-अधिक प्रयत्न किए गए। 1964-65 मे केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारो ने 31 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा। महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम-बगाल तथा केरल के कम उत्पादनवाले राज्यो को केन्द्रीय भण्डार से दिए जानेवाले अनाज की मात्रा में भी काफी वृद्धि की गई।

राशनिंग तथा वसूली

परम्परागत रूप से काफी अधिक उत्पादनवाले राज्यों के उत्पादन में भारी कमी आने तथा सरकार के भण्डारो में सगृहीत खाद्यान्नो के क्षेत्रो तथा व्यक्तियों में उचित वित-

रण की सुनिश्चित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दो महत्वपूर्ण कदम उठाए—शहरी क्षेत्रों में राशनिंग की व्यवस्था लागू करना और देश में अधिक-से-अधिक खाद्यान्न वसूल करके एकत्रित करना। वृहत्तर कलकत्ता, मद्रास, कोयमुत्तूर, विशाखापटनम्, हैदराबाद, सिकन्दराबाद तथा कानपुर के नगरों में अनुविहित राशनिंग पहले से ही लागू की जा चुकी है। अन्य राज्यों में बड़े-बड़े नगरों में अनुविहित राशनिंग की व्यवस्था लागू करने का कार्य जारी है। इसी बीच अधिकांश शहरी क्षेत्रों में तथा उन ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक राशनिंग-व्यवस्था लागू कर दी गई है जहां खाद्यान्नों का वितरण सस्ते अनाज की दूकानों के माध्यम से किया जाता है।

राज्य-सरकारों ने अधिक-से-अधिक खाद्यान्न वसूल करने की आवश्यकता का अनुभव कर लिया है। वसूली की व्यवस्था लागू करने के सिद्धान्त को भी स्वीकार कर लिया गया है।

मूल्य-नीति

जनवरी 1965 में धान, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना तथा अन्य दालों, गन्ना, तिलहन, कपास और पटसन-जैसी कृषि-जिन्सों के लिए मूल्य-नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में सरकार को निरन्तर सलाह देने के लिए और देश की कुल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुगठित तथा सन्तुलित मूल्य-ढांचा तैयार करने के लिए भारत-सरकार ने कृषि-मूल्य-आयोग नियुक्त किया। आयोग ने 1965-66 के लिए कपास-सम्बन्धी मूल्य-नीति, 1965-66 के मौसम के लिए खरीफ के अनाज-सम्बन्धी मूल्य-नीति, 1966-67 के मौसम के लिए पटसन-सम्बन्धी मूल्य-नीति के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें कीं। इसके अतिरिक्त आयोग ने रबी की फसल के खाद्यान्नों, गन्ना आदि से सम्बन्धित मूल्य-नीति के कुछ पहलुओं पर भी सरकार को परामर्श दिया। आयोग को खेती करनेवाले किसानों से परामर्श मिलते रहने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सितम्बर 1965 में एक किसान-मण्डल स्थापित किया।

आयोग-द्वारा की गई सिफारिशों तथा विभिन्न राज्यों के मुख्य मन्त्रियों-द्वारा प्रकट किए गए विचारों के आधार पर भारत-सरकार ने जून 1965 में 1965-66 के लिए खरीफ की फसल के अनाजों के न्यूनतम मूल्यों की घोषणा की।

भारत-पाकिस्तान-संघर्ष आरम्भ होने के बाद किसानों ने, विशेषकर पंजाब के सीमान्त क्षेत्रों में, कुछ अनाज दिया। अक्तूबर 1965 में धान का मूल्य पंजाब के कुछ केन्द्रों में न्यूनतम स्तर से भी नीचे गिर गया। किसानों के हितों की रक्षा के लिए पंजाब-सरकार ने धान काफी अधिक मात्रा में खरीदा जिससे मूल्य न्यूनतम स्तर से ऊपर ही बने रहे।

भारत का खाद्य-निगम

दक्षिणी राज्यों में मुख्यत खाद्यान्न खरीदने, संग्रह करने और इनके यातायात तथा वितरण के उद्देश्य से 1 जनवरी, 1965 को स्थापित भारत के खाद्य-निगम ने मद्रास में केन्द्रीय कार्यालय और हैदराबाद, बंगलौर, तिरुवनन्दपुरम्, चण्डीगढ़, जयपुर तथा भुवनेश्वर में क्षेत्रीय कार्यालय और विजयवाडा में एक उपक्षेत्रीय कार्यालय खोले। एक क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद में भी स्थापित करने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। महत्वपूर्ण केन्द्रों में जिला-कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं।

सारणी 19

मुख्य फसलों का क्षेत्र तथा उत्पादन

फसल	क्षेत्र (हेक्टर)		उत्पादन (मीट्रिक टन)	
	1950-51	1964-65	1950-51	1964-65
चावल	3,08,10,000	3,60,77,000	2,05,76,000	3,87,32,000
ज्वार	1,55,71,000	1,80,12,000	54,95,000	98,11,000
बाजरा	90,23,000	1,17,12,000	25,95,000	44,65,000
मक्का	31,59,000	45,91,000	17,29,000	45,58,000
रागी	22,03,000	24,29,000	14,29,000	19,21,000
अन्य मोटा अनाज	46,05,000	45,55,000	17,50,000	19,77,000
गेहूं	97,46,000	1,34,53,000	64,62,000	1,20,78,000
जौ	31.13,000	26,68,000	23,78,000	24,78,000
चना	75,70,000	90,11,000	36,51,000	57,63,000
अरहर	21,81,000	24,73,000	17,19,000	18,94,000
अन्य दाल	93,40 000	1,25,02,000	30.41,000	47,21,000
आलू	2,40.000	4,17,000	16,60,000	34,52,000
गन्ना	17,07,000	25,44,000	5,70,51,000	12,21,27,000
काली मिर्च	80.000	1 03,000	21,000	24,000
लाल मिर्च	5,92,000	7,14,000	3.51,000	4,55,000
सोंठ	17,000	22,000	15,000	21,000
तम्बाकू	3,57,000	4,23,000	2,61,000	3,70,000
मूंगफली	44,94,000	70 72,000	34,81,000	61,78,000

अरण्डी	5,55,000	4,49,000	1,03,000	1,01,000
तिल	22,04,000	25,03,000	4,45,000	4,66,000
राई तथा सरसों	20,71 000	28,14,000	7,62,000	13,75,000
अलसी	14,03,000	20,11,000	3,67,000	4,66,000
कपास	58,82,000	81,54,000	28,75,000 गाठें*	54,08,000 गाठें*
पटसन	5,71,000	8,41,000	33,09,000 गाठें*	60,79,000 गाठें*
मेस्ता	—	3,59,000		15,89,000 गाठें*
चाय	3,14,000	अनुपलब्ध	2,75,000	अनुपलब्ध
कहवा	91,000	,,	25,000	,,
रबड़	58,000	,,	14,000	,,
नारियल	6,22,000	,,	3,58,00,00,000 (संख्या)	,,

*प्रत्येक गांठ= 180 किलोग्राम

अप्रैल 1965 से निगम ने आन्ध्रप्रदेश, केरल, मद्रास तथा मैसूर के उन सभी गोदामों और चावल तथा गेहू के भण्डारो को अपने अधिकार मे ले लिया जो पहले केन्द्रीय सरकार के अधीन थे। इन गोदामो की कुल सग्रह-क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन से कुछ अधिक की थी। निगम ने दक्षिणी राज्यों मे आटा-मिलो को आयातित गेहू देने और इन मिलों-द्वारा उत्पादित गेहू की वस्तुओ के वितरण का कार्य भी स्वय ग्रहण कर लिया। निगम ने अप्रैल-दिसम्बर 1965 मे गेहू से बनी 10 7 करोड रुपये के मूल्य की वस्तुओ की बिक्री की।

निगम ने दक्षिणी राज्यो मे चावल की वसूली के बाद की कारवाई का भी भार अपने ऊपर ले लिया। इन कारवाइयो के अधीन अप्रैल-दिसम्बर 1965 मे लगभग 7 31 लाख मीट्रिक टन चावल इधर-उधर भेजा गया।

नवम्बर 1965 मे खरीफ का नया मौसम आरम्भ होने के साथ-साथ निगम ने केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य-सरकारो की ओर से दक्षिणी राज्यो में चावल/धान की प्रत्यक्ष खरीद का कार्य किया। जनवरी 1966 से राजस्थान तथा उडीसा-स्थित केन्द्रीय गोदाम निगम के अधीन आ गए।

संग्रह-क्षमता

1 जनवरी, 1965 को भारत-सरकार की सग्रह-क्षमता 18 57 लाख मीट्रिक टन की थी। 1965 में यह सग्रह-क्षमता बढाकर 19 1 लाख मीट्रिक टन की कर दी गई। जनवरी-मार्च 1966 मे इस क्षमता मे 69,600 मीट्रिक टन की और वृद्धि की गई जिसके फलस्वरूप कुल सग्रह-क्षमता लगभग 29 10 लाख मीट्रिक टन की हो गई।

विकास-कार्यक्रम

तीसरी योजना मे सामुदायिक विकास-योजनाओ के अधीन कृषि-कार्यक्रम-सहित कृषि-उत्पादन के कार्यक्रमो पर व्यय के लिए 6 अर्ब 1 करोड 56 लाख रुपये की व्यवस्था की गई जबकि दूसरी योजना मे इन कार्यक्रमो के लिए 2 अर्ब 60 करोड 65 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। इस राशि के अतिरिक्त सहकारिता के लिए 80 1 करोड रुपये और बड़ी तथा मध्यम सिचाई-परियोजनाओ के लिए 5 अर्ब 99 करोड 34 लाख रुपये की भी व्यवस्था की गई।

1965-66 मे राज्यों तथा सघीय क्षेत्रा के कृषि-कार्यक्रमा पर होनेवाले परिव्यय में काफी वृद्धि की गई। 1965-66 के लिए 2 अर्ब 60 लाख रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई थी। 1965-66 मे चौथी योजना की योजनाओ के लिए 6 2 करोड रुपये और निर्धारित किए गए। इस वर्ष केन्द्र की योजनाओं के लिए 19.5 करोड रुपय के परिव्यय की व्यवस्था की गई। ये व्यवस्थाए सामुदायिक विकास तथा सहकारिता के कार्यक्रमो मे कृषि-विकास और बड़ी तथा मध्यम सिचाई-योजनाओ पर होनेवाले परिव्यय से अलग है।

कृषि-उत्पादन बढाने के मुख्य प्राविधिक कार्यक्रम, जिन पर सघन कार्य किया जा रहा है, ये है—(1) छोटी सिचाई, (2) भूमि-संरक्षण, बारानी खेती तथा भूमि-सुधार, (3) खाद तथा उर्वरक की पूर्ति, (4) बीज-उत्पादन तथा वितरण, (5) पौध-

संरक्षण, (6) अच्छे हल और सुधरे कृषि-औज़ार तथा वैज्ञानिक कृषि । राष्ट्रीय संकट-काल को ध्यान में रखते हुए कृषि-विकास-कार्यक्रमों को और बढ़ावा दिया जा रहा है ।

नवम्बर 1963 में केन्द्र में कृषि-उत्पादन-मण्डल स्थापित किया गया । अनेक राज्यों में कृषि-उत्पादन-आयुक्त अथवा विशेष सचिव नियुक्त किए गए हैं । उपर्युक्त मण्डल तथा इसकी सचिव-समिति समय-समय पर महत्वपूर्ण नीति-विषयक मामलों पर विचार करती रहती हैं ।

छोटी सिंचाई

तीसरी योजना के अधीन 51 8 लाख हेक्टर भूमि पर छोटी सिंचाई-योजनाओं-द्वारा सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया जबकि दूसरी योजना में केवल 36 42 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई का ही लक्ष्य रखा गया था । 1965-66 में छोटी-सिंचाई-कार्यक्रमों के लिए पहले 61 08 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई थी जो बाद को बढ़ाकर 76 93 करोड़ रुपये का कर दिया गया ।

विस्तृत कार्यक्रमों के अधीन उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जिनके थोड़े समय में पूरे होने का तथा जिनसे तुरन्त लाभ प्राप्त होने की आशा है । वर्तमान बड़ी तथा मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं के क्षेत्र में नए कुओं तथा प्राइवेट नलकूपों का निर्माण किया जा रहा है । 1965-66 में छोटी सिंचाई-योजनाओं के लिए दी जानेवाली वित्तीय सहायता के रूप में परिवर्तन किया गया जिससे सब लिफ्ट-सिंचाई-योजनाएं आर्थिक सहायता-कार्यक्रम के अधीन आ जाएं ।

परीक्षण-नलकूप-संगठन देश के विभिन्न भागों में भूमिगत पानी की खोज करता रहता है । 1961-62 से 1964-65 तक के समय में इस संगठन ने 198 नलकूपों के लिए खुदाई की । इसी अवधि में 450 उत्पादन-नलकूपों का निर्माण किया गया । जून 1964 से जनवरी 1966 तक की अवधि में 198 स्थानों में नलकूपों की खुदाई का कार्य किया गया जिनमें से 131 सफल रहे । संगठन ने विभिन्न राज्यों में अन्य 908 नलकूपों की खुदाई का अथवा खुदाई में सहायता देने का कार्य भी किया ।

तीसरी योजना के प्रथम चार वर्षों में छोटी-सिंचाई-योजनाओं से 37 64 लाख हेक्टर भूमि को लाभ प्राप्त हुआ । 1965-66 में अन्य 14 97 लाख हेक्टर भूमि को लाभ पहुंचने की आशा थी ।

भूमि-संरक्षण, बारानी खेती तथा भूमि-सुधार

तीसरी योजना में विभिन्न भूमि-संरक्षण-कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए 72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई जबकि पहली योजना में केवल 1 6 करोड़ रुपये की तथा दूसरी योजना में 18 करोड़ रुपये की ही व्यवस्था की गई थी ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भूमि-संरक्षण-सम्बन्धी उपायों से लगभग 40 47 लाख हेक्टर भूमि को लाभ पहुंचने की आशा थी । 1965-66 में 165 भूमि-संरक्षण-योजनाओं का कार्य जारी था । केन्द्र-द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के अधीन 80,938 हेक्टर भूमि में विभिन्न संरक्षण-उपाय किए जाने की आशा है । 33 बारानी

खेती-प्रदर्शन-परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है तथा 12 परियोजनाओं का कार्य जारी है।

अखिल भारत-मिट्टी तथा भूमि-उपयोग-सर्वेक्षण-योजना के अधीन 1965-66 के अन्त तक 43 5 लाख हेक्टर भूमि का सर्वेक्षण पूरा हो जाने की आशा थी। 16 मिट्टी-सर्वेक्षण तथा भूमि-उपयोग-सम्बन्धी रिपोर्टें तत्सम्बन्धी राज्य-सरकारों को दे दी गई।

उन्नत बीज

1965-66 में खाद्यान्नों के उन्नत बीज 4.86 करोड़ हेक्टर भूमि में बोए गए। बीज-उत्पादन-कार्यक्रम को नया रूप दे दिया गया है तथा राज्य-सरकारों से इसके प्रति विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया है। उन्नत बीजों के उत्पादन, विधायन तथा प्रमाण-नसम्बन्धी गहन प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय बीज-निगम तथा भारतीय कृषि-अनुसन्धान-संस्था-द्वारा प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जा रही है।

1963 में स्थापित राष्ट्रीय बीज-निगम को देशभर में मिश्रित फसलों के लिए आधार बीज के उत्पादन तथा उपलब्धि का कार्य सौंपा गया है।

खाद तथा उर्वरक

1964-65 में 2,508 शहरी केन्द्रों में 35 3 लाख मीट्रिक टन शहरी खाद तैयार की गई। 1965-66 में लगभग 39 लाख मीट्रिक टन शहरी खाद के उत्पादन की आशा थी। मल तथा मलमूत्रयुक्त पानी के उपयोग की योजनाओं का काम जारी रहा और प्रतिदिन लगभग 87 करोड़ लिटर मल तथा मलमूत्रयुक्त पानी से 12,788 हेक्टर से अधिक भूमि की सिंचाई की जाती रही।

विशेष कृषि-विकास-कार्यक्रम के अधीन शहरी खाद तथा मलमूत्र-उपयोग-योजनाओं को और अधिक महत्व दिया गया। इस सम्बन्ध में राज्य-सरकारों को 1 31 करोड़ रुपये की राशि और दी गई। 1965-66 में 87 लाख हेक्टर भूमि में हरी खाद दिए जाने की आशा थी।

नत्रजन उर्वरकों के उपयोग में तेजी से वृद्धि हो रही है। किन्तु देश में इसके अपर्याप्त उत्पादन तथा विदेशी विनिमय के अभाव के कारण इसकी पूरी आवश्यकता की पूर्ति करना अब तक सम्भव नहीं हो सका है।

1965-66 में अनुमानत. 6 लाख मीट्रिक टन नत्रजन-उर्वरक के उपभोग की आशा थी। 1965-66 में 1.5 लाख मीट्रिक टन फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों का उपभोग हुआ। अक्तूबर 1964 में स्थापित उर्वरक-समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर 1965 में दे दी। इसकी मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

पौध-संरक्षण तथा टिड्डी-नियन्त्रण

पौध-संरक्षण, संगरोध तथा भण्डार-निदेशालय अपने 14 केन्द्रीय पौध-संरक्षण-केन्द्रों-द्वारा फसलों में लगनेवाले कीड़ों तथा बीमारियों का नियन्त्रण करने के लिए प्राविधिक परामर्श, उपकरणों, कीटनाशकों तथा प्रशिक्षणप्राप्त व्यक्तियों के रूप में सहायता

देता रहा। केन्द्र चुने हुए ग्राम-पंचायत-क्षेत्रों में सघन पौध-संरक्षण-कार्य का भी संगठन करते हैं।

1965-66 में 4.1 लाख किलोग्राम तथा 4,240 लिटर कीटनाशक और लगभग 16,200 पौध-संरक्षण-यन्त्र राज्यों के कृषि-विभागो को दिए गए। निदेशालय के विमानो ने अनेक राज्यों में कुल मिलाकर 67,178 हेक्टर से अधिक भूमि की फसलो पर कीटनाशक छिड़के। 1965-66 में देश में टिड्डियो के दलो का कोई आक्रमण नहीं हुआ।

लगभग 11,000 व्यक्तियों को पौध-संरक्षण-उपायो तथा विधियों के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया। 1965-66 के अन्त तक 1 66 करोड़ हेक्टर भूमि में पौध-संरक्षण-उपायो के प्रयोग किए जाने का अनुमान है।

सघन कृषि-जिला-कार्यक्रम

कुछ अनुकूल क्षेत्रो की उत्पादन-क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने की दृष्टि से फोर्ड-प्रतिष्ठान की वित्तीय सहायता के साथ 1961-62 में 'सघन कृषि-जिला-कार्यक्रम' की योजना आरम्भ की गई थी। इस कार्यक्रम के दो उद्देश्य हैं—अनाज के वर्तमान अभाव की पूर्ति के लिए उत्पादन मे वृद्धि करना तथा ऐसी वृद्धि के लिए अत्यन्त प्रभावकारी उपायो का प्रदर्शन करना। इसके अतिरिक्त एक उद्देश्य यह भी है कि किसानो को ऋण, बीजों, उर्वरको, कीटनाशको तथा औजारो की सुविधाएं जुटाने के साथ-साथ उन्हें कृषि-की उन्नत विधियां अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाए।

आरम्भ मे यह योजना चुने हुए 7 जिलो—अलीगढ (उत्तरप्रदेश), तंजावूर, (मद्रास), पश्चिम-गोदावरी (आन्ध्रप्रदेश), पाली (राजस्थान), रायपुर (मध्य-प्रदेश), लुधियाना (पंजाब) तथा शाहाबाद (बिहार)—में कार्यान्वित की गई। बाद मे इसे सम्बलपुर (उड़ीसा), आलप्पि तथा पालकाड (केरल), सूरत (गुजरात), मण्ड्य (मैसूर), बर्धमान (पश्चिम-बंगाल), भण्डारा (महाराष्ट्र) तथा कचार (असम) के आठ जिलों तथा दिल्ली के सघीय क्षेत्रो मे भी लागू किया गया।

1964-65 मे यह कार्यक्रम 280 खण्डों में जारी था। सघन कृषि-क्षेत्र-कार्यक्रम 1964-65 में 114 जिलो के 1,084 खण्डो में आरम्भ किया गया जो 1965-66 में बढ़ाकर 1,285 खण्डो में लागू कर दिया जानेवाला था। इसके फलस्वरूप लुधियाना-जिले में गेहू की उपज दूनी हो गई है और अलीगढ में मक्का तथा जौ की उपज में क्रमश. 90 तथा 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कृषि-पुनर्वित्त-निगम

कृषि, पशुपालन, दुग्धालय, मुर्गीपालन तथा मछलीपालन के विकास के लिए पुनर्वित्त तथा अन्य किसी रूप से मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देने के उद्देश्य से 'कृषि-पुनर्वित्त-अधिनियम 1963' के अधीन कृषि-पुनर्वित्त-निगम स्थापित किया गया।

निगम की अधिकृत पूजी 25 करोड़ रुपये की तथा जारी पूजी 5 करोड़ रुपये की है। यह पूंजी भारत के रिजर्व बैंक, केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंकों तथा

राज्यीय सहकारी बैंकों और अनुसूचित बैंकों, भारत के जीवन-बीमा-निगम, बीमा तथा विनियोग-कम्पनियों, सहकारी बीमा-समितियों ने लगा रखी है। निगम के अंशों को केन्द्रीय सरकार से गारण्टी प्राप्त है।

भारत-सरकार ने निगम को 5 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण दे रखा है जिसका लौटाया जाना 15 वर्षों के बाद आरम्भ होगा। निगम की व्यवस्था का भार 9 सदस्यों के एक संचालक-मण्डल पर है जिसमें प्रबन्ध-सचालक तथा अध्यक्ष के रूप में भारत के रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं। अन्य संचालकों में तीन प्रतिनिधि भारत-सरकार के, एक प्रतिनिधि रिजर्व बैंक का, एक-एक प्रतिनिधि केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंको तथा राज्यीय सहकारी बैंकों का और एक प्रतिनिधि अनुसूचित बैंकों, जीवन-बीमा-निगम, बीमा तथा विनियोग-कम्पनियो (सम्मिलित) का है।

केन्द्रीय सहकारी भूमि-बन्धक बैंको, राज्यीय सहकारी बैंको तथा अनुसूचित बैंकों को, जो निगम के अशधर है, निगम से पुनर्वित्त की सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। ये सुविधाएं मध्यमकाल तथा दीर्घकाल के लिए मिलती है। निगम अब तक 1.3 करोड़ रुपये दे चुका है।

केन्द्रीय मशीनीकृत खेत

1956 में राजस्थान में सूरतगढ नामक स्थान में लगभग 12,141 हेक्टर भूमि में एक केन्द्रीय मशीनीकृत खेत स्थापित किया गया। एक ऐसा ही मशीनीकृत खेत 1964-65 में राजस्थान-नहर-क्षेत्र में जेतसर में स्थापित किया गया।

1965-66 में सूरतगढ़वाले खेत में 1,344 हेक्टर भूमि में खरीफ के मौसम में तथा 2,165 हेक्टर भूमि मे रबी के मौसम मे बुआई की गई। इसी प्रकार जेतसरवाले खेत में 1,137 हेक्टर भूमि में खरीफ के तथा 174 हेक्टर भूमि में रबी के मौसमों में बुआई हुई।

कृषि-विपणन (मार्केटिंग)

देश मे बिक्री का समुचित प्रबन्ध करने का काम विपणन तथा निरीक्षण-निदेशालय पर है। कृषि-उत्पादन तथा पशुधन का वर्गीकरण 'कृषि-उत्पादन (वर्गीकरण तथा अंकन) अधिनियम 1937' के उपबन्धो के अधीन किया जाता है। 'समुद्री सीमा-शुल्क-अधिनियम' के खण्ड 19 के अधीन निर्यात की जानेवाली कच्ची तम्बाकू, सन, ऊन, सूअर के बाल, निम्बुघास-तेल, चन्दन के तेल, खसखस के तेल, मिर्च, इलायची, काली मिर्च, आवला, अखरोट तथा विभिन्न वनस्पति-तेलों-जैसी वस्तुओ का वर्गीकरण आवश्यक है। 1965-66 मे अदरक, आलू, प्याज, हल्दी, लहसुन, दालो आदि के लिए भी वर्गीकरण आवश्यक कर दिया गया। इसके अतिरिक्त आन्तरिक व्यापार के लिए घी, तेल, मक्खन, कपास, अण्डे, गेहूं का आटा, चावल, आलू, गुड, फल, मधु आदि के वर्गीकरण की व्यवस्था है।

इस सम्बन्ध में नागपुर में एक केन्द्रीय नियन्त्रण-प्रयोगशाला और गुण्टूर, मद्रास, कोचीन, कानपुर, राजकोट, कलकत्ता तथा बम्बई में सात प्रादेशिक नियन्त्रण-

प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। एक अन्य प्रादेशिक प्रयोगशाला दिल्ली के पास गाजियाबाद में स्थापित किए जाने की सम्भावना है।

मण्डियों का नियमन

देश में कृषि-उत्पादन के विपणन के लिए अच्छी मण्डियों की व्यवस्था करने की दिशा में अब तक 1,528 मण्डियो का नियमन किया जा चुका है।

विपणन-जांच तथा सर्वेक्षण

कृषि-जिन्सों के विपणन का अब तक कई बार सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा 1937 से अब तक निदेशालय 130 से अधिक विपणन-सर्वेक्षण-रिपोर्टें प्रकाशित कर चुका है। 16 अन्य रिपोर्टें प्रेस में है।

कृषि-विपणन-कर्मचारियों का प्रशिक्षण

कृषि-विपणन-कर्मचारियो के प्रशिक्षण के लिए तीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है जिसके अधीन 1965-66 में 322 कर्मचारियो ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

'फलोत्पाद तथा प्रशीतन-व्यवस्था-आदेश'

'फलोत्पाद-आदेश 1955' के अधीन इस उद्योग में किस्म-नियन्त्रण की व्यवस्था लागू करने तथा वैज्ञानिक ढंग से उसकी अभिवृद्धि करने का कार्य जारी रहा और पहले की भांति इस वर्ष भी 90 लाइसेंस दिए गए। 1965-66 में 2,157 फल-सरक्षण-कारखानो तथा 1,420 फल-पदार्थ-व्यापारियों का निरीक्षण हुआ जिसके फलस्वरूप 58 अनधिकृत कारखाना-मालिकों का पता लगा। 'आवश्यक जिन्स-अधिनियम 1955' के अधीन जनवरी 1965 से 'प्रशीतन-व्यवस्था (कोल्ड स्टोरेज) आदेश 1965' लागू हुआ जिसके अनुसार प्रशीतन-व्यवस्थावालों को भारत-सरकार के कृषि-विपणन-सलाहकार से लाइसेंस लेना होता है। अब तक 560 लाइसेंस दिए जा चुके हैं।

वन-उद्योग

भारतीय वनो का कुल क्षेत्रफल 6.95 लाख वर्ग किलोमीटर है जो देश की कुल भूमि का लगभग 22 प्रतिशत है। भारत का वन-क्षेत्र न केवल अनुपात की ही दृष्टि से छोटा है बल्कि हमारे वन जहा-तहां असमान रूप से फैले हुए हैं तथा उनकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता अन्य देशो की तुलना मे बहुत कम है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 1952 के राष्ट्रीय वन-नीति-सकल्प में कहा गया था कि वन बढ़ाकर कुल भूमि के 33.3 प्रतिशत भाग मे लगाए जाने चाहिए।

उत्पादन

1961-62 में भारतीय वनो से लगभग 50,13,75,000 रु० के मूल्य की 1,61,87,000 घन मीटर इमारती तथा दूसरी लकड़ियां निकाली गई।

वनो से कागज, दियासलाई तथा पर्तदार (प्लाइवुड) लकड़ी-उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलने के साथ-साथ गोद, राल (रेजिन), चमड़ा कमाने का सामान,

जड़ी-बूटियां आदि भी प्राप्त होती हैं। 1961-62 में वनों से लगभग 12,10,61,000 रु० के मूल्य की उपर्युक्त तथा अन्य फुटकर वस्तुएं प्राप्त हुईं।

विकास-योजनाएं

तीसरी योजना के अधीन राज्यों के वन-उद्योग-विकास-कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि-वनों के विकास, कम खर्चीले पौधे लगाने, अवनत वनों के पुनः स्थापन, वन के संचार-साधनों और सड़कों के सुधार, वन-सम्बन्धी अनुसन्धान के विकास तथा वन-संरक्षण की दिशा में भी कार्य किए गए। 1965-66 में 28,733 हेक्टर भूमि में तेजी से उगनेवाले वृक्षों की पौध लगाई जानी थी। केन्द्रीय वन-उद्योग-मण्डल की सिफारिश पर राज्य-सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय वन-नीति के कार्यान्वयन के अध्ययनार्थ एक केन्द्रीय वन-उद्योग-आयोग नियुक्त किया गया है।

पशुपालन तथा दुग्धालय-उद्योग

1956 तथा 1961 की पंचवर्षीय गणनाओं के अनुसार देश के पशुधन, मुर्गे-मुर्गियों तथा कृषि-यन्त्रों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है.

सारणी 20

पशुधन, मुर्गे-मुर्गियों तथा कृषि-यन्त्रों की संख्या

	1956 की गणना	1961 की गणना
(1)	(2)	(3)
(क) पशुधन		
(1) गाय-बैल	15,90,00,000	17,60,00,000
(2) भैंस तथा भैंसे	4,50,00,000	5,10,00,000
(3) भेड़ें	3,90,00,000	4,00,00,000
(4) बकरे-बकरियां	5,50,00,000	6,10,00,000
(5) घोड़े तथा टट्टू	10,00,000	10,00,000
(6) अन्य पशु (खच्चर, गधे, ऊंट तथा सूअर)	70,00,000	70,00,000
(ख) मुर्गे-मुर्गियां	9,50,00,000	11,40,00,000
(ग) कृषि-यन्त्र		
(1) हल		
लकड़ी के	3,61,42,000	3,83,72,000
लोहे के	13,76,000	22,98,000
(2) बैलगाड़ियां	1,09,68,000	1,20,72,000
(3) गन्ना पेरने के कोल्हू		
बिजलीवाले	23,000	33,000
बैलवाले	5,45,000	5,90,000

सारणी 20 (क्रमशः)

(1)	(2)	(3)
(4) तेल से चलनेवाले इंजिन (सिंचाई के पम्प-सहित)	1,23,000	2,30,000
(5) बिजलीवाले पम्प (सिंचाई के लिए)	47,000	1,60,000
(6) ट्रैक्टर (केवल कृषि के लिए)	21,000	31,000
(7) घानियां		
5 सेर तथा उससे अधिक की	96,000	78,000
5 सेर से कम की	2,12,000	1,72,000

पशु-नस्ल-सुधार-नीति

आज से दस से अधिक वर्षों पूर्व निर्धारित की गई अखिल भारत-पशु-नस्ल-सुधार-नीति में संशोधन किया जा चुका है। इस नीति के अनुसार इस कार्यक्रम के अधीन कई विस्तृत क्षेत्र आ जाएंगे।

सघन पशु-विकास-कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में कई सघन पशु-विकास-खण्ड स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये खण्ड यथासम्भव दुग्धालय-परियोजनाओं के दूध-उत्पादन-केन्द्रों के आस-पास स्थापित किए जाएंगे। भारत-सरकार ने आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, गुजरात, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा मैसूर में 22 सघन पशु-विकास-खण्डों की स्थापना की स्वीकृति दे दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक खण्ड में पांच वर्षों में दूध-उत्पादन में 30 प्रतिशत वृद्धि करना है।

केन्द्रग्राम-योजना

दुग्ध-उत्पादन में वृद्धि करने तथा बैलों की कार्य-क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से पहली योजना में आरम्भ की गई अखिल भारतीय केन्द्रग्राम-योजना का कार्य तीसरी योजना में भी काफी बड़े पैमाने पर जारी रहा। 1964-65 में 32 नए केन्द्रग्राम-खण्ड स्थापित किए गए तथा 15 वर्तमान खण्डों का विस्तार किया गया। 3 अन्य खण्डों के कार्य को सघन किया गया। इसके अतिरिक्त 2 केन्द्रीय वीर्य-संग्रहण-केन्द्र तथा 2 विपणन-विभाग स्थापित किए गए।

चारा तथा चारा-विकास-योजना

15 राज्यों तथा 3 संघीय क्षेत्रों में चालू चारा तथा चारा-विकास-योजना के अधीन गांवों में चारा तथा चरागाह के नमूने के खेत (प्लॉट) और चारा-प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित करने, खेतिहरों के बीच चारा-फसलें लगाने की सामग्री वितरित करने, चारा सुरक्षित रखने के स्थानों के निर्माण को प्रोत्साहन देने, चुने हुए पशुओं को

सन्तुलित चारा खिलाने तथा पशुधन-फार्मों में चरागाहो को सुधारने की व्यवस्था है। 1964-65 में चारे के नमूने के 148 खेत स्थापित किए गए, 9 खेतो में चारा-उन्नयन कार्य आरम्भ हुआ तथा 11 खेतो में बीज-उत्पादन का कार्य।

बछड़ा-पालन-योजना

इस योजना का उद्देश्य दुधारू गाय-भैंस रखनेवाली दूध-बस्तियो में 6 मास के चुने हुए बछडे खरीदना और इन्हें मान्यताप्राप्त पशुपालको तथा सहकारी सगठनो को नि:शुल्क देना है। अप्रैल 1965-जनवरी 1966 में हरिणघाटा तथा आरे-दूध-बस्तियों से 1,080 बछडे लेकर बाटे गए।

गोशाला-विकास-योजना

इस योजना का लक्ष्य दूध-उत्पादन में वृद्धि करने तथा अच्छी नस्ल के साड उपलब्ध करने के प्रयत्नो की सहायता के लिए पशु-नस्ल-सुधार तथा दूध-उत्पादन-केन्द्रो के रूप में गोशालाओं से लाभ उठाना है। तीसरी पचवर्षीय योजना में 168 गोशालाओं का विकास करने का प्रस्ताव था।

गोसदन-योजना

इस योजना का उद्देश्य अनावश्यक तथा बेकार पशुओं को अलग करके दूर वन-क्षेत्रों में स्थापित गोसदनों में भेजना है। तीसरी योजना में ऐसे एकत्रण-केन्द्रों की स्थापना पर बल दिया गया।

सुअरपालन

अप्रैल 1965-जनवरी 1966 में अलीगढ, आरे तथा हरिणघाटा के प्रादेशिक सूअर-नस्ल-सुधार-केन्द्र तथा सूअरमांस-कारखानो ने नस्ल-सुधार के लिए अन्य राज्यो को 334 सूअर बेचे। चौथा केन्द्र गन्नावरम (आन्ध्रप्रदेश) में खोले जाने का काम जारी है।

दुग्धालय

दुग्धालय विकास-कार्यक्रमों में शहरी दूध-सयन्त्रो, पशु-बस्तियो, दूध-उत्पादन-कारखानों तथा मक्खन निकालने के केन्द्रों की स्थापना ग्रामीण दुग्धालय-विस्तार तथा प्राविधिक कर्मचारियो के प्रशिक्षण के कार्यक्रम सम्मिलित है।

इस वर्ष बडौदा तथा बगलोर में दो नए दुग्धालय-सयन्त्रो का काम चालू हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य 35 दूध-योजनाओं को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। संगठित दुग्धालयो में इस समय प्रतिदिन औसतन 13 लाख लिटर दूध निकाला जाता है। 1964-65 में आणन्द में स्थापित पशु-चारा-कारखाने में प्रतिदिन लगभग 100 मीट्रिक टन चारा तैयार किया गया।

इस वर्ष आणन्द तथा महेमाना में दो दूध-चूर्ण-कारखाने चालू हुए। अमृतसर तथा राजकोट के दूध-संयन्त्रों में पहले से ही दूध-चूर्ण तैयार किया जाता है। अलीगढ़ तथा बरौनी के मक्खन निकालने के केन्द्रों के अतिरिक्त एक नया मक्खन-केन्द्र जूनागढ में भी चालू हो गया। मिरज तथा विजयवाडा में भी दूध-संयन्त्रों की स्थापना का कार्य पूरा होने को है।

लुधियाना के दूध-संयन्त्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-कोष 38.5 लाख रु० के उपकरण देगा। दुग्धालय-सम्बन्धी प्रशिक्षण आणन्द, आरे, इलाहाबाद, करनाल, बंगलोर तथा हरिणघाटा के 6 केन्द्रों में दिया गया। खाद्य तथा कृषि-संगठन के एक कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण के लिए 9 व्यक्ति डेनमार्क भेजे गए।

अन्य पशु-योजनाएं

उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पंजाब तथा मध्यप्रदेश में बेकार घूमनेवाले तथा जंगली पशुओं को पकड़ने की योजना के अधीन दिसम्बर 1965 तक 18,588 पशु पकड़े गए जिनमें से 2,138 पशु नस्ल-विस्तार के लिए दिए गए, 711 पशु दण्डकारण्य में बसे लोगों को दिए गए तथा 4,235 पशु गोसदनों में भेज दिए गए।

बेकार सांडों तथा घटिया बछड़ों को बधिया करने की एक योजना उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, पंजाब, प० बंगाल, मैसूर, राजस्थान तथा त्रिपुरा में लागू है जिससे घटिया पशुओं की वृद्धि को रोका जा सके। 1965-66 में ऐसे 1.3 लाख पशुओं को बधिया किया गया।

हड्डी-खाल-कमाई तथा मृत पशु-उपयोग-योजना के अधीन लखनऊ के बख्शी-का-तालाब-स्थित आदर्श प्रशिक्षण तथा उत्पादन-केन्द्र में नीदरलैण्ड-सरकार और खाद्य तथा कृषि-संगठन की सहायता से हड्डी तथा खाल कमाने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक 425 प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न काम का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

मुर्गीपालन

अधिकांश मुर्गीपालन-विकास-योजनाओं के सम्बन्ध में तीसरी योजना के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। कई मामलों में तो सफलता लक्ष्य से भी अधिक प्राप्त हुई। तीसरी योजना के लक्ष्यों के विरुद्ध 80 राज्यीय मुर्गीपालन-केन्द्रों तथा 41 मुर्गीपालन-विस्तार-केन्द्रों का विस्तार किया जा चुका है, 53 सघन मुर्गी-पालन-विकास-खण्ड, 12 विपणन-केन्द्र, 20 बत्तख-विस्तार-केन्द्र तथा 41 चारा-निर्माण केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं और लगभग 21,100 व्यक्तियों को मुर्गी-पालन की आधुनिक विधियों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 1965-66 में अन्य 4 सघन मुर्गीपालन-विकास-खण्ड तथा 1 बत्तख-विस्तार-केन्द्र की स्थापना, 5 राज्यीय मुर्गीपालन-केन्द्रों के विस्तार तथा 255 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिए जाने की आशा थी। केन्द्रीय सरकार ने निजी क्षेत्र में मुर्गीपालन-केन्द्रों की स्थापना के लिए 85.48 लाख रुपये की ऋण-सम्बन्धी सुविधाएं भी दीं।

1965-66 में बंगलोर, दिल्ली तथा भुवनेश्वर के मुर्गीपालन-केन्द्रों में 26 लाख अण्डों के उत्पादन की आशा थी।

मैसूर की केन्द्रीय खाद्य-प्रौद्योगिकी-अनुसन्धान-संस्था में अण्डा-चूर्ण तैयार करने की एक आदर्श परियोजना का कार्य आरम्भ किया गया है।

मछलीपालन

1964 में 13.2 लाख मीट्रिक टन मछलियां पकड़ी गईं। मछली तथा उनसे प्राप्त पदार्थ हमारे विदेशी व्यापार के महत्वपूर्ण अंग हैं। 1964 में 6.53 करोड़ रुपये के मूल्य की मछलियां तथा उनसे प्राप्त पदार्थों का निर्यात किया गया और 1965 के पहले 10 महीनों में 5.27 करोड़ रु० के मूल्य का।

मछलीपालन-विकास-कार्यक्रम के दो भाग हैं—समुद्री मछलीपालन तथा अन्तर्देशीय मछलीपालन। पहले कार्यक्रम में मछलियां पकड़ने की नौकाओं के मशीनीकरण, मछलियां पकड़ने के नए स्थानों की खोज करने, मछलियां पकड़ने के तरीकों में सुधार करने, मछलीपालन के लिए आवश्यक सामान अधिक मात्रा में जुटाने और मछलियों के परिरक्षण, परिवहन तथा विपणन की सुविधाएं जुटाने की व्यवस्था की गई है। अन्तर्देशीय मछलीपालन से सम्बन्धित योजनाओं का उद्देश्य सर्वेक्षण-द्वारा-उत्पादन बढ़ाना, मछलीपालन की विधियां लागू करना, मछली-विकास के स्रोतों की खोज करना तथा जलाशयों में मछलीपालन का विकास करना है।

मछली पकड़ने की नौकाओं के मशीनीकरण तथा उनकी उपयुक्त डिजाइनों के विकास का कार्य पहली दो योजनाओं में आरम्भ किया गया। 1961-65 तक 1,600 नौकाओं में (उन्हें चलाने के लिए) मशीनें लगा दी गईं। इस सम्बन्ध में प्रगति के धीमी रहने का कारण आयातों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना है। 1,137 समुद्री डीजल-इंजिनों के आयात के लिए ठेके या करार किए जा चुके हैं। 710 इंजिन देश में ही तैयार किए जाने की आशा है। देश की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने के लिए जापानी तथा नार्वे की फर्मों के साथ मिलकर काम करने की योजनाएं विचाराधीन हैं।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का केन्द्र अपनी 22 नौकाओं-द्वारा मछलियों की अधिकतावाले स्थानों का पता लगाने का कार्य कर रहा है। भारत-नार्वे-परियोजना के अधीन 7 जहाज इस काम में लगे हुए हैं। केन्द्रीय समुद्री मछलीपालन अनुसन्धान-संस्था के सहयोग से 'वरुण' और 'कलावा' नामक दो अनुसन्धान-जहाज निर्यमित अनुसन्धान का कार्य करते रहे। एर्णाकुलम् में समुद्री कारखाना भी लगभग पूरा होने को है।

मछली पकड़ने के 30 बन्दरगाह-केन्द्रों में विनियोगपूर्व-सर्वेक्षण करने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष कोष से वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त की गई।

मछलीपालन-विस्तार-एकांश

8 मछलीपालन-विस्तार-एकांशों ने मछलीपालन-सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर अल्पकालीन प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जिनमें राज्यीय मछलीपालन-विभागों, सामुदायिक विकास-खण्डों, मछली उत्पन्न करनेवालों तथा मछुओं की ओर से 2,744 व्यक्तियों ने भाग लिया। इन एकांशों ने हार्मोन-इंजेक्शनों के द्वारा मछलियों के नस्ल-सुधार की विधि का प्रदर्शन किया तथा 53 लाख छोटी मछलियों का उत्पादन किया।

मछली-विपणन तथा सहकारी संस्थाएं

जहाजों अथवा नावों से मछली उतारे जानेवाले स्थानो से आन्तरिक क्षेत्रों तक मछलियां तुरन्त तथा सुरक्षित रूप से ले जाए जाने की सुविधा के लिए कुछ वर्ष पहले प्रयोग के रूप में प्रशीतन की व्यवस्था से युक्त रेल-डिब्बों का उपयोग आरम्भ किया गया था। 1965 में प्रशीतन की व्यवस्था से युक्त 6 भण्डार स्थापित किए गए। इस वर्ष ऐसे 4 सयन्त्रों के लगाए जाने की आशा है जहां मछलिया बर्फ में जमाकर सुरक्षित रखी जाएगी।

1965 में मछलीपालन-सहकारी समितियो की चालू पूंजी के लिए 30 लाख रुपये के ऋणो को स्वीकृति दी गई।

कृषि-मजदूर

प्रथम कृषि-मजदूर-जाच 1950-51 मे 800 गावो में की गई थी। दूसरी जांच 1956-57 मे 3,600 गावो मे की गई तथा 28,560 नमूना-कृषि-मजदूर-परिवारो के सम्बन्ध मे आकडे एकत्र किए गए। इस जाच की अखिल भारतीय रिपोर्ट 1960 मे प्रकाशित हुई जिसकी मुख्य बाते इस सन्दर्भ-ग्रन्थ के 1961 से 1965 तक के संस्करणो मे दा जा चुकी है।

ग्रामीण मजदूर-जांच

1963 में ग्रामीण मजदूर-जाच के नाम से दूसरी जांच की गई तथा उसका काम जारी है। राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण के अठारहवें और उन्नीसवें दौर में क्रमश. ग्रामीण मजदूर-परिवारो की आय तथा उपभोग-व्यय और रोजगारी, बेरोजगारी आय तथा ऋण-भार के आंकड़े एकत्र किए गए।

कृषि-मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण

'न्यूनतम मजदूरी-अधिनियम 1948' का उद्देश्य कृषि-मजदूरों की आय में सुधार करना है। इस अधिनियम के अधीन अधिकांश राज्यो में कृषि-मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने भी कुछ कृषि-शोध-संस्थानो तथा सैनिक फार्मों में न्यनतम मजदूरी निर्धारित कर दी है।

अध्याय 17

भूमि-सुधार

पहली पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया गया कि भू-स्वामित्व तथा खेती का ढाचा राष्ट्रीय विकास की एक आधारभूत समस्या है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस नीति का पुनः निरूपण किया गया तथा भूमि-नीति के उद्देश्य ये रखे गए—कृषि-व्यवस्था से कृषि-उत्पादन के मार्ग में आनेवाली अड़चनों का निराकरण किया जाए और ऐसी परिस्थिति पैदा की जाए कि उससे यथाशीघ्र एक ऐसी कृषि-अर्थव्यवस्था का जन्म हो जिसके अधीन कार्यक्षमता तथा उत्पादन, दोनो, में वृद्धि हो और साथ ही सम-समाज की स्थापना तथा सामाजिक असमानताओं का उन्मूलन हो।

तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य दूसरी योजना मे निर्धारित नीति को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना है। हाल के वर्षो मे तत्सम्बन्धी कानून को लागू करने की दिशा मे कई राज्यों मे काफी प्रगति हो चुकी है। नवम्बर 1963 मे राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने वर्तमान स्थिति पर विचार किया तथा सभी राज्य-सरकारो से भूमि-सुधार के कार्य को तीसरी योजना के समाप्त होने के पहले पूरा करने का आग्रह किया। चौथी योजना-सम्बन्धी स्मरणपत्र मे इस बात पर बल दिया गया कि कृषि-उत्पादन तथा सामाजिक नीति की दृष्टि से बनाए गए भूमि-कानून को तीसरी योजना की समाप्ति के पूर्व ही पूर्णत कार्यान्वित किया जाए और उसकी त्रुटियो को स्वीकृत नीतियो तथा कार्यक्रमो के अनुसार यथासम्भव शीघ्र दूर किया जाए।

मध्यवर्ती लोगो का उन्मूलन

मध्यवर्ती लोगो के उन्मूलन का कार्य अधिकाशत. पूरा हो चुका है। इसके परिणामस्वरूप 2 करोड काश्तकारो का सरकार के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित हो चुका है।

राज्य-सरकारो के सम्मुख अब मुख्य समस्या क्षतिपूर्ति के निर्धारण तथा उसके भुगतान की है। पुनर्वास-अनुदान तथा ब्याज-सहित क्षतिपूर्ति कुल 5.7 अर्ब रु० की होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें से अब तक लगभग 3 अर्ब रु० दिए जा चुके है।

काश्तकारी की व्यवस्था मे सुधार

योजनाओं में काश्तकारी-व्यवस्था में सुधार के बारे में जो सिफारिशे की गई हैं, उनका मुख्य उद्देश्य (1) लगान में कमी करना, (2) पट्टे की सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा (3) काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देना है। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में काफी प्रगति हो चुकी है।

जोत की अधिकतम सीमा

जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए पंजाब-राज्य के भूतपूर्व पंजाब-क्षेत्र को छोड़कर, जहा सरकार को उन भूमियो पर काश्तकार बसाने का अधिकार दे दिया गया है जो भूमिपतियो के खुद काश्त के लिए निर्धारित की गई सीमाओं से अधिक हैं, शेष सभी राज्यो में कानून बना दिए गए हैं।

सीमा-निर्धारण के दो पक्ष हैं—(क) भविष्य के लिए तथा (ख) वर्तमान जोतो के बारे मे। भविष्य के लिए जोत की अधिकतम सीमाए असम में 50 एकड़, आन्ध्रप्रदेश मे 18 से 216 एकड, उड़ीसा मे 20 से 80 एकड, उत्तर-प्रदेश में 12½ एकड़, केरल में 15 से 36 एकड़; गुजरात मे 19 से 132 एकड़; जम्मू-कश्मीर मे 22¾ एकड; पजाब में 30 स्टैण्डर्ड एकड, पश्चिम-बगाल मे 25 एकड, बिहार मे 20 से 60 एकड, मद्रास में 24 से 120 एकड़, मध्यप्रदेश में 25 से 75 एकड; महाराष्ट्र मे 18 से 126 एकड़; मैसूर में 18 से 144 एकड़, राजस्थान मे 25 से 336 एकड; दिल्ली में 24 से 60 एकड़, मणिपुर मे 25 एकड; हिमाचलप्रदेश के चम्बा-जिले में 30 एकड तथा अन्य क्षेत्रो में 125 रु० की मालगुज़ारी के अन्तर्गत आनेवाली भूमि और त्रिपुरा मे 25 से 75 एकड निश्चित कर दी गई है।

वर्तमान जोत की विभिन्न राज्यो मे अधिकतम सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है : असम मे 50 एकड़; आन्ध्रप्रदेश मे 27 से 324 एकड; उडीसा में 20 से 80 एकड, उत्तरप्रदेश मे 40 से 80 एकड, केरल में 15 से 36 एकड़; गुजरात मे 19 से 132 एकड; जम्मू-कश्मीर में 22¾ एकड; पजाब में 30 स्टैण्डर्ड एकड, पश्चिम-बगाल मे 25 एकड, बिहार मे 20 से 60 एकड, मद्रास में 24 से 120 एकड, मध्यप्रदेश मे 25 से 75 एकड, महाराष्ट्र मे 18 से 126 एकड़; मैसूर मे 27 से 216 एकड़, राजस्थान मे 25 से 336 एकड़, दिल्ली में 24 से 60 एकड, मणिपुर मे 25 एकड़, हिमाचलप्रदेश के चम्बा-जिले मे 30 एकड़ तथा अन्य क्षेत्रों में 125 रु० की मालगुज़ारी के अन्तर्गत आनेवाली भूमि और त्रिपुरा में 25 से 75 एकड़।

जम्मू-कश्मीर मे 4.5 लाख एकड भूमि प्राप्त करके बाट दी गई है। पश्चिम-बगाल मे 7 8 लाख एकड़ भूमि फालतू करार दी गई है तथा राज्य-सरकार ने 4.35 लाख एकड़ कृषि-भूमि प्राप्त कर ली है जो साझे की खेती करनेवालो तथा भूमिहीनो को वार्षिक पट्टे पर दी जा रही है। उत्तरप्रदेश में 2.2 लाख एकड़ भूमि फालतू करार दी गई है जिसमें से 95,598 एकड़ भूमि बांटी जा चुकी है। महाराष्ट्र में चीनी-कारखानो के पासवाली 90,918 एकड़ भूमि फालतू करार दी गई तथा सरकार ने 57,247 एकड भूमि अपने अधिकार में ले ली है। सहकारी कृषि-समितियों के गठन होने तक इस भूमि की व्यवस्था महाराष्ट्र-राज्य-कृषि-निगम के अधीन रहेगी। इसके अतिरिक्त ज़मीन्दारोंवाली 76,924 एकड़ भूमि फालतू करार दी गई है। असम में 24,666 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है। मद्रास में फालतू भूमिवाले 10,449 मामलो में से 32 मामलों में पूरी व्यवस्था की जा चुकी है तथा 729 एकड़ भूमि फालतू करार दी

गई है । पंजाब में 3.92 लाख स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि फालतू करार दी गई जिसमें से 1.22 लाख स्टण्डर्ड एकड़ भूमि का काश्तकारों को बसाने के लिए उपयोग किया गया है । आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, हिमाचलप्रदेश तथा त्रिपुरा के कुछ भागों में इस बारे में उपबन्ध लागू किए गए, नियम बनाए गए तथा प्रारम्भिक कार्रवाई की जा रही है। उड़ीसा तथा मैसूर में नियमों के लागू किए जाने के पूर्व ही उनमें संशोधन कर दिया गया ।

चकबन्दी

दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्त तक चकबन्दी-सम्बन्धी कार्य 2.95 करोड़ एकड़ भूमि में पूरा हो चुका था । मुख्यतः उत्तरप्रदेश, पंजाब, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में प्रगति हुई और योजना में निर्धारित लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त कर लिए जाने की आशा है । तीसरी योजना में 3.1 करोड़ एकड भूमि में चकबन्दी करने का उद्देश्य रखा गया था ।

भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों मे विभाजन

उत्तराधिकार-सम्बन्धी कानूनों, अनियमित हस्तान्तरणों तथा पट्टों का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि जोतवाली भूमि के उत्तरोत्तर छोटे-छोटे टुकडे होते चले गए जिससे कृषि-उत्पादन को भारी धक्का लगा । अत. सरकार की नीति यह है कि हस्तान्तरण, विभाजन तथा पट्टों का नियमन करके इस प्रवृत्ति को रोका जाए ।

इस सम्बन्ध मे असम, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, गुजरात, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा और आन्ध्रप्रदेश तथा मैसूर के भूतपूर्व हैदराबाद-क्षेत्र में कानून बनाए जा चुके है । उडीसा, पंजाब तथा पश्चिम-बंगाल में अभी तक ये कानून लागू नही किए जा सके है । आन्ध्र-प्रदेश तथा मैसूर में विधेयकों पर विचार किया जा रहा है ।

सहकारी कृषि

पहली तथा दूसरी पचवर्षीय योजनाओं मे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में सहकारी कृषि के महत्व पर बल दिया गया था । दूसरी योजना का लक्ष्य सहकारी कृषि के विकास के लिए सुदृढ आधार तैयार करना था जिससे आनेवाले दस वर्षों में कृषिवाली भूमि का काफी बड़ा भाग सहकारी कृषि के अधीन आ जाए ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि मे देश के चुने हुए सामुदायिक विकास-खण्डों में 10-10 सहकारी कृषि-समितियों की 318 आदर्श परियोजनाओं का संगठन किया जाना था जिससे सहकारी कृषि की उपयोगिता तथा इसके लाभ के विषय में किसानों को भली-भांति समझाया जा सके । इन क्षेत्रो के बाहर संगठित समितियों को भी प्रोत्साहन दिया जाना था ।

तीसरी योजना की अवधि में 3,180 आदर्श सहकारी कृषि-समितियों के संगठन के कार्यक्रम की दिशा में नवम्बर 1965 के अन्त तक 2,32,458 एकड़ क्षेत्र में 40,017 की सदस्यता की 2,328 समितियों का संगठन हुआ। इसके अतिरिक्त आदर्श परियोजनाओं के क्षेत्रों के बाहर 2,55,672 एकड़ भूमि में काम करनेवाली 2,192 सहकारी कृषि-समितिया स्थापित की गई जिनके सदस्यों की संख्या 46,969 थी। तीसरी योजना के अन्त में कुल 5,300 समितियो की स्थापना की सम्भावना थी।

आदर्श परियोजनाओ के काम का मूल्याकन करने के लिए स्थापित संचालन-समिति ने सुझाव दिया है कि चौथी योजना के लिए सफलता प्राप्त करनेवाले क्षेत्रो तथा सम्भावित सफलतावाले क्षेत्रो मे पूर्ण व्यवस्थित ढग से कार्य किया जाना चाहिए।

सहकारी कृषि के कार्यक्रम का आयोजन करने तथा इसे प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी कृषि-सलाहकार मण्डल स्थापित किया गया है। नवम्बर 1964 में इसका पुनर्गठन किया गया। सहकारी कृषि-कार्यक्रम के आयोजन तथा प्रसार के लिए 14 राज्यों में सलाहकार मण्डल स्थापित किए जा चुके हैं तथा एक राज्य मे राज्य-सहकारिता-परिषद् की उपसमिति नियुक्त की गई है। चुने हुए विस्तार-प्रशिक्षण-केन्द्रो में 13 सहकारी कृषि-विभाग स्थापित किए जा चुके हैं तथा अब तक इनमे 1,132 सचिव प्रशिक्षण ले चुके हैं।

दण्डकारण्य-विकास-प्राधिकारी ने विस्थापितो के लाभ के लिए सहकारी कृषि-समितियां स्थापित करने का निश्चय किया है। मैसूर-राज्य की तुगभद्रा-सिंचाई-परियोजना-क्षेत्र-स्थित भूमि के लिए भी एक विशेष योजना बनाई गई है।

भूदान

भूदान-आन्दोलन का सूत्रपात करने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे को है। आन्दोलन के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विनोबा भावे कहते है : "न्याय तथा समानता के सिद्धान्त पर आधारित समाज में भूमि सबकी होनी चाहिए। इसलिए हम भूमि की भिक्षा नही मांग रहे बल्कि उन गरीबों का हिस्सा मांग रहे हैं जो भूमि प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी हैं। इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य बिना संघर्ष के इस देश में सामाजिक तथा आर्थिक दुर्व्यवस्था को दूर करना है।"

व्यावहारिक रूप में भूदान-आन्दोलन का अर्थ भूमिहीन व्यक्तियों में बांटने के लिए लोगों से उनकी अपनी भूमि के छठे भाग का स्वेच्छा से दान करने का अनुरोध करना है। कृषि से भिन्न क्षेत्रों में यह आन्दोलन सम्पत्तिदान, बुद्धिदान, जीवनदान, साधनदान तथा गृहदान के रूप में चल रहा है।

यह आन्दोलन, जो 18 अप्रैल, 1951 को छोटे रूप में आरम्भ हुआ, अब सम्पूर्ण देश में फैल गया है। इस आन्दोलन का लक्ष्य 5 करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करने का है जिससे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कृषि के लिए कुछ-न-कुछ भूमि दी जा सके। इसने अब ग्रामदान का व्यापक रूप धारण कर लिया है।

इस आन्दोलन के फलस्वरूप अक्तूबर 1965 के अन्त तक लगभग 42 लाख एकड़ भूमि दान में मिली तथा 11,370 गाव ग्रामदान-आन्दोलन में सम्मिलित हुए। प्राप्त भूमि में से 11 लाख एकड़ भूमि भूमिहीनो में बांटी जा चुकी है।

अनेक राज्यो में भूदान तथा ग्रामदान मे मिली भूमि के हस्तान्तरण तथा वितरण के लिए कानून बनाए जा चुके हैं। कुछ राज्यो मे 'सहकारी समिति-अधिनियम' के अधीन ग्रामदानवाली भूमि की व्यवस्था के लिए उपकानून बनाए जा चुके हैं।

अध्याय 18

सहकारिता-आन्दोलन

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सहकारी विकास का एक समन्वित कार्यक्रम तैयार किया गया। इसके अनुसार सहकारिता-आन्दोलन को केवल ऋण की व्यवस्था करने तक ही सीमित न रखकर, आर्थिक गतिविधि के कुछ अन्य पक्ष (विपणन, माल तैयार करना गोदाम आदि) भी इसके कार्यक्षेत्र में ले लिए गए। नवम्बर 1958 में राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने निश्चय किया कि सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण समाज के आधार पर प्राथमिक एकांश के रूप में संगठित किया जाए और ग्रामीण स्तर पर सामाजिक तथा आर्थिक विकास का दायित्व पूर्ण रूप से ग्राम-सहकारी संस्था तथा ग्राम-पंचायत पर डाला जाए। इसके साथ ही परिषद् ने यह भी निश्चय किया कि सहकारिता-आन्दोलन का विकास इस प्रकार किया जाए कि तीसरी योजना के अन्त तक सभी ग्रामीण परिवार इसके अधीन आ जाए। दूसरी योजना के अन्त तक की सफलताओं तथा तीसरी योजना के लिए रखे गए लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है

सारणी 21

योजना के लक्ष्य तथा सफलताएं

	दूसरी योजना के अन्त तक की सफलताएं (अनुमानित)	तीसरी योजना के लिए रखे गए लक्ष्य
प्राथमिक सहकारी समितिया . .	2.1 लाख	2 3 लाख
सदस्य-संख्या .	1 7 करोड़	3.7 करोड़
सहकारिता-आन्दोलन के अधीन लाए गए ग्राम	—	100 प्रतिशत
सहकारिता-आन्दोलन के अधीन आए किसान .	33 प्रतिशत	60 प्रतिशत
सहकारी समितियो के माध्यम से दिए जाने-वाले ऋण :		
अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन	2 03 अर्ब रुपये	5 3 अर्ब रुपये
दीर्घकालीन . .	38 करोड़ रुपये	1 5 अर्ब रुपये

इसके अतिरिक्त 600 प्राथमिक विपणन-समितिया स्थापित करने और गावो में 2,200 गोदाम तथा प्रमुख मण्डियों में 980 गोदाम बनवाने की भी व्यवस्था की गई है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य-अवधीय मूल्याकन में कृषि-सम्बन्धी सहकारी ऋण के योजना-लक्ष्यों में काफी कमी आने का अनुमान लगाया गया। इसलिए सहकारिता के विकास के लिए एक सविस्तर कार्यक्रम तैयार किया गया जो सम्पूर्ण देश के

लिए लागू होगा। सघन कृषि-क्षेत्र-कार्यक्रम के लिए चुने हुए अधिकाश जिलों में इसके कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी गई है।

नवम्बर 1965 में बम्बई में हुए वार्षिक राज्यीय सहकारिता मन्त्री-सम्मेलन में कृषि-उत्पादन तथा कृषि-वस्तुओं के विपणन के लिए अधिक ऋण की व्यवस्था करने के अनेक उपाय सुझाए गए जिससे कम धनवाले लोगो को सहायता प्राप्त हो सके और सहकारी कृषि तथा सहकारी उपभोक्ता-समितियो आदि को प्रोत्साहन मिल सके।

सम्मेलन ने यह भी निर्णय किया कि ऋण देने की विधि को सरल बनाया जाए तथा फसल के आधार पर ऋण देने की प्रणाली अविलम्ब लागू की जाए। सम्मेलन ने कृषि-वस्तुओ के सहकारी विपणन के सम्बन्ध मे विचार किया। विपणन-समितियां 1964-65 मे 1 अर्ब रु० की बिक्री के विरुद्ध चौथी योजना के अन्त तक अपनी बिक्री 8 5 अर्ब रु० तक बढा सकेगी।

कृषि-भिन्न ऋण के क्षेत्र मे सहकारी सस्थाओं के कार्यसचालन की जाच करने तथा इनके उचित विकास के सम्बन्ध मे उपाय सुझाने के लिए मई 1963 में एक अध्ययन-दल नियुक्त किया गया था। दिसम्बर 1963 में इस दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी। मुख्यत: शहरी बैंकों तथा कर्मचारी-ऋण-समितियों से सम्बन्धित इस दल ने एक लाख से अधिक की जनसंख्यावाले प्रत्येक कस्बे मे एक शहरी बैंक खोलने की सिफारिश की। इसने 50 से अधिक कर्मचारियोंवाले प्रत्येक सस्थान मे कर्मचारी-ऋण-समिति स्थापित किए जाने का भी सुझाव दिया।

सहकारी आवास-समिति-सम्बन्धी कार्य-दल ने प्रत्येक राज्य मे सहकारी आवास-सगठनों के लिए सघीय रूप की सिफारिश की।

दिसम्बर 1964 मे लोकसभा मे प्रस्तुत 'महाजनी कानून (सहकारी समितियां से सम्बन्धित) विधेयक' सितम्बर 1965 मे ससद्-द्वारा पास कर दिया गया। तत्सम्बन्धी अधिनियम मार्च 1966 से लागू हुआ।

सहकारी समितियों की स्थिति

1963-64 में देश में कुल [illegible],56,410 सहकारी समितियां थी, जिनमे से प्राथमिक समितियो के सदस्यों की सख्या [illegible],52,89,219 थी तथा उनकी कार्यसचालन-पूजी कुल मिलाकर 20 अर्ब 99 करोड 16 लाख रु० की थी, जबकि 1951-52 में इन समितियों की सख्या 1,85,630, प्राथमिक समितियों की सदस्य-सख्या 1,3[illegible],91,687 तथा उनकी कुल कार्यसचालन-पूजी 3 अर्ब 6 करोड 51 लाख रु० की ही थी।

5 व्यक्तियों के एक औसत भारतीय परिवार को आधार मानकर अनुमान लगाया गया कि जून 1963 के अन्त तक साधारणत 20.78 करोड़ व्यक्ति अथवा लगभग 45.4 प्रतिशत भारतीय जनता सहकारिता से लाभ प्राप्त करने लगी थी।

ऋण-समितियां

भारत में सर्वप्रथम जो सहकारी समितियां बनी, वे ऋण-समितियां थी तथा आज भी वही सबसे महत्वपूर्ण समितियां हैं। ऋण-समितियो का ढाचा त्रिस्तरीय है। राज्य-

स्तर पर राज्यीय सहकारी बैंक, जिला-स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा ग्राम-स्तर पर प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियां होती हैं। कुछ राज्यो में अनाज-बैंक कृषको को जिन्स के रूप में ऋण देते हैं। कृषि के लिए दीर्घकालीन ऋण केन्द्रीय तथा प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक और जनता को महाजनी तथा ऋण की सुविधाए शहरी बैंक तथा कर्मचारी-ऋण समितियां प्रदान करती है।

राज्यीय तथा केन्द्रीय सहकारी-बैंक

1963-64 में देश मे 21 राज्यीय सहकारी बैंक थे जिनकी सदस्य-सख्या 23,157 थी। इसी प्रकार केन्द्रीय सहकारी बैंको तथा उनके सदस्यों की सख्या क्रमश 372 तथा 3,65,009 थी। राज्यीय बैंको में 3 अर्ब 28 करोड 21 लाख रुपये की तथा केन्द्रीय बैंको में 4 अर्ब 60 करोड़ 32 लाख रुपये की कार्यचालन-पूजी लगी हुई थी। 1963-64 में राज्यीय बैंको ने 17 करोड 88 लाख रुपये के ऋण दिए तथा केन्द्रीय बैंकों ने 5 अर्ब 29 करोड 14 लाख रुपये के।

कृषि-ऋण-समितियां

जून 1964 के अन्त मे देश मे 2,09,622 कृषि-ऋण-समितिया थी जिनकी सदस्य-संख्या 2,37,28,000 थी। 1963-64 में इन समितियो ने 2 अर्ब 97 करोड़ 14 लाख रुपये के ऋण दिए।

अनाज-बैंक

जून 1964 के अन्त में देश में 9,007 अनाज-बैंक थे जिनकी सदस्य-सख्या 13.47 लाख थी। इन्होने ऋण के रूप मे 3 14 करोड़ रुपये दिए।

केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक

केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक, जो कृषको को प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंकों के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण देते हैं, ऋण-पत्र जारी करके पूजी जुटाते है। 1963-64 में 4,32,933 सदस्यो से युक्त 18 बैंकों में से 11 बैंको ने 24 99 करोड रुपये के ऋण-पत्र जारी किए। इन्होने 29.58 करोड रुपये के ऋण दिए।

प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक

1963-64 के अन्त मे देश के 583 प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंको में से 65 प्रतिशत बैंक आन्ध्रप्रदेश, मद्रास तथा मैसूर में ही थे। इनकी सदस्य-सख्या 12,78,316 थी तथा इन्होंने 23.21 करोड रुपये के ऋण दिए।

कृषि-भिन्न ऋण-समितियां

इनके अधीन शहरी बैंक तथा कर्मचारी-ऋण-समितियां आदि आती है। जून 1964 के अन्त में देश में ऐसी 13,323 समितिया थी। इनकी सदस्य-संख्या 56.77 लाख थी। इन्होंने 1 अर्ब 99 करोड़ 57 लाख रुपये के ऋण दिए।

ऋणेतर समितियां

जून 1964 के अन्त में देश की विभिन्न प्रकार की ऋणेतर समितियो की स्थिति अगले पृष्ठ की सारणी में दी गई है ।

सारणी 22

ऋणेतर समितियों की संख्या, सदस्य-संख्या तथा कार्यचालन-पूंजी

समिति का स्वरूप	संख्या	सदस्य-संख्या	कार्यचालन-पूंजी (करोड़ रुपये)
विपणन-समितियां			
राज्यीय	21	5,937	14 48
केन्द्रीय	159	95,997	15.89
प्राथमिक	3,166	19,15,645	41.49
गन्ना-पूर्ति-समितियां			
राज्यीय	2	147	44
केन्द्रीय	69	8,846	95
प्राथमिक	9,269	26,74,816	13 62
दुग्ध-संघ	126	19,612	7.16
दुग्ध-पूर्ति-समितियां	5,942	4,33,954	3.87
कृषि-समितियां	5,850	1,47,324	8.17
सिंचाई-समितियां	1,499	64,211	2.66
चीनी-कारखाने	70	2,39,512	88.34
कपास-समितियां	151	83,831	5.8
अन्य माल तैयार करनेवाली समितियां	8,467	3,18,830	6 63
बुनकर-समितियां			
राज्यीय	21	7,823	7.68
केन्द्रीय	117	7,695	1.55
प्राथमिक	12,733	13,13,363	27.12
बुनाई-मिलें	47	32,238	13.16
अन्य औद्योगिक समितियां	25,065	11,84,639	26 65
उपभोक्ता-समितियां			
थोक	210	2,52,081	10.85
प्राथमिक	9,900	19,13,147	12 61
आवास-समितियां			
राज्यीय	10	4,154	18.67
प्राथमिक	9,886	6,20,058	95.73
मछुआ-समितियां	2,923	3,00,847	3.11
बीमा-समितियां	7	11,033	1.05
अन्य ऋणेतर समितियां	23,166	17,02,913	27.84

अन्य समितियां

निरीक्षण-संघ

1963-64 में देश में 924 निरीक्षण-संघ थे जिनसे 54,255 समितियां सम्बद्ध थीं। ये संघ ऋण-समितियों तथा अन्य विशिष्ट समितियों के कार्य की देखभाल करते हैं।

सहकारी संघ तथा संस्थाएं

जून 1964 के अन्त में देश में 20 राज्य-सहकारी संघ तथा संस्थाएं और 206 जिला-संघ तथा संस्थाएं थीं। इनसे सम्बद्ध समितियों की संख्या क्रमशः 52,812 और 44,710 थी। इन संघों तथा संस्थाओं ने 5,45,325 सदस्यों; 1,09,651 अवैतनिक पदाधिकारियों तथा 13,969 वैतनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। राज्यीय संघों की कुल आय 1,77,12,000 रुपये की थी जिसमें से 1,01,73,000 रुपये उन्हें सरकारी अनुदानों के रूप में मिले। जिला-संघों तथा संस्थाओं की कुल आय 30.99 लाख रुपये थी जिसमें से 8 81 लाख रुपये सरकारी अनुदानो के रूप में मिले।

परिसमापनाधीन समितियां

1963-64 के आरम्भ में 25,430 सहकारी समितियां परिसमापनाधीन थीं। उस वर्ष परिसम्पत्तियों के मूल्य के रूप में 1,15,50,000 रु० मिले तथा 1,06,15,000 रुपये की देनदारियां भुगताई गईं।

अध्याय 19

सिंचाई तथा बिजली

सिंचाई

अनुमान लगाया गया है कि भारत के जल-संसाधन 1 खर्ब 67 अर्ब 25 करोड़ 99 लाख घन मीटर है जिसमे से सिंचाई के लिए लगभग 55 अर्ब 50 करोड़ 66 लाख घन मीटर पानी का ही उपयोग किया जा सकता है। 1951 तक सिंचाई के लिए लगभग 9 अर्ब 37 करोड़ 44 लाख घन मीटर पानी (कुल जल-ससाधन का 5.6 प्रतिशत अथवा उपयोग मे लाए जा सकनेवाले पानी का 17 प्रतिशत) का उपयोग किया गया। दूसरी योजना के अन्त तक लगभग 14 अर्ब 80 करोड़ 18 लाख घन मीटर पानी (कुल जल-ससाधन का 8.9 प्रतिशत अथवा उपयोग मे लाए जा सकनेवाले पानी का 27 प्रतिशत) उपयोग मे लाया गया। तीसरी योजना मे 4 अर्ब 93 करोड 39 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी का उपयोग किए जाने की आशा थी जिससे 36 प्रतिशत उपयोगी पानी काम मे आता।

नदियो के बहाव को सिंचाई की नहरो मे मोड़ने की सम्भावनाए अब लगभग समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए भविष्य मे सिंचाई का विकास करने की योजनाओ का उद्देश्य वर्षा-ऋतु के दिनो मे बहनेवाले अतिरिक्त जल को बांध बनाकर संगृहीत करना है जिससे वर्षाभाव के दिनो मे उसका उपयोग किया जा सके। जिन क्षेत्रों मे नदियो अथवा नहरो से सिंचाई नहीं हो सकती, उन क्षेत्रों मे तालाबो तथा कुओं के निर्माण और अन्य साधनो से सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है।

1927 मे स्थापित केन्द्रीय सिंचाई तथा बिजली-मण्डल पर देश मे सिंचाई तथा बिजली के क्षेत्र मे आधारभूत अनुसन्धान-कार्य करने तथा देश के विभिन्न भागो में स्थापित 21 अनुसन्धान-केन्द्रो के काम मे समन्वय स्थापित करने का दायित्व है।

केन्द्रीय जल तथा बिजली-आयोग को राज्य-सरकारो के परामर्श से बाढ़-नियन्त्रण, सिंचाई, नौकानयन तथा पन-बिजली के उत्पादन के लिए सम्पूर्ण देश के जल-ससाधनो का नियन्त्रण, उपयोग तथा सरक्षण करने की योजनाए आरम्भ करने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा उन्हे आगे बढने का काम सौपा गया है। इसके अतिरिक्त देशभर मे तापीय (थर्मल) बिजली का विकास करने की योजनाओं और बिजली के वितरण तथा उपयोग का भी दायित्व इसी आयोग पर है।

सिंचाई तथा बहूद्देश्यीय परियोजनाएं

मुख्य सिंचाई तथा बहूद्देश्यीय परियोजनाओ का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है

गण्डक-परियोजना (बिहार)

गण्डक-सिंचाई तथा बिजली-परियोजना के सम्बन्ध मे नेपाल-सरकार तथा भारत-सरकार ने एक अन्तर्राष्ट्रीय करार पर 4 दिसम्बर, 1959 को हस्ताक्षर किए। यह एक

अन्तर्राज्योय परियोजना है जिसमें उत्तरप्रदेश तथा बिहार के राज्य भाग लेंगे और इससे नेपाल को भी सिंचाई तथा बिजली की सुविधाएं प्राप्त होंगी।

इस परियोजना मे, जिस पर 1 अर्ब 11 करोड 38 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है, भैंसालोटन (बिहार) में गण्डक-नदी पर 743 मीटर लम्बे बाध के निर्माण, मुख्य पश्चिमी नहर से बिहार के सारन-जिले मे 4 84 लाख हेक्टर भूमि और उत्तरप्रदेश के गोरखपुर तथा देवरिया-जिलों में 3.44 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई; मुख्य पूर्वी नहर से बिहार के चम्पारन, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा-जिलो मे सिचाई और नेपाल की मुख्य पश्चिमी नहर पर 15 मेगावाट की प्रस्थापित क्षमता के बिजलीघर के निर्माण के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। बाध का निर्माणकार्य तथा सभी नहरों का खुदाई का कार्य जारी है।

कोसी-परियोजना (बिहार)

इस परियोजना मे, जिस पर अनुमानत. 64 23 करोड रुपये व्यय होंगे, हनुमाननगर (नेपाल) मे एक बाध, कोसी नदी के दोनो ओर 240-240 किलोमीटर लम्बे बाढ़-तटबन्धों तथा पूर्वी कोसी-नहर-प्रणाली के निर्माण का कार्यक्रम रखा गया है।

बाध का निर्माणकार्य पूरा हो चुका है। नेपाल-नरेश ने 24 अप्रैल, 1965 को उसका उद्घाटन किया। बाढ-तटबन्धो का निर्माणकार्य 1959 मे पूरा हो चुका था।

इसके अतिरिक्त इस परियोजना के द्वितीय चरण मे कोसी-बिजलीघर तथा पश्चिमी कोसी-नहर के निर्माण और पूर्वी कोसी-नहर के विस्तार की व्यवस्था की गई है। कोसी-बिजलीघर का निर्माणकार्य जारी है।

काकरापार-परियोजना (गुजरात)

इस परियोजना का सम्बन्ध तापी-घाटी के विकास से है। इसके अधीन 621 मीटर लम्बे तथा 14 मीटर ऊंचे बाध का निर्माण जून 1953 मे पूरा हो गया। नहरो तथा सहायक नहरो का अधिकांश मिट्टी-कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना के पूरे होने पर सूरत-जिले मे 2 27 लाख हेक्टर भूमि की सिचाई होगी।

पाचवी योजना की अवधि में 61.2 करोड रुपये की अनुमानित लागत से पूरी होनेवाली उकई-बहूद्देश्यीय परियोजना नामक एक नई परियोजना से 85,000 हेक्टर भमि की सिंचाई के अतिरिक्त सिंचाई की और सुविधा मिलेगी।

तावा-बहूद्देश्यीय-परियोजना (मध्यप्रदेश)

इस परियोजना पर संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 47 करोड रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है। इसके अधीन मध्यप्रदेश के होशंगाबाद-जिले में तावा-नदी पर एक जलाशय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 1,330 मीटर लम्बा बांध मिट्टी का होगा और इसके दाएं तथा बाएं किनारो से निकलनेवाली 221 किलोमीटर लम्बी दो नहरों से प्रतिवर्ष 3.2 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई होगी। 42 मेगावाट की प्रस्थापित क्षमता के दो बिजलीघरों का भी निर्माण किया जाएगा।

भद्रा-जलाशय-परियोजना (मैसूर)

35.75 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से पूरी होनेवाली इस परियोजना से मैसूर-राज्य के शिवमोग्ग, चिकमंगलूर चित्रदुर्ग तथा बेल्लारि-जिलों में 99,015 हेक्टर भूमि की सिंचाई होगी और इसके अधीन 40,400 किलोवाट की कुल प्रस्थापित क्षमता के दो बिजलीघरों का निर्माण होगा।

ऊपरी कृष्णा-परियोजना (मैसूर)

इस परियोजना में मैसूर के बीजापुर-जिले के आलमट्टि तथा सिद्धापुर नामक स्थानों में कृष्णा-नदी पर क्रमशः 1,631 तथा 6,949 मीटर लम्बे दो बाघ बनाए जाएंगे जिनसे निकलनेवाली 392.6 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहरों से 24,282 हेक्टर भूमि की सिंचाई होगी। इस परियोजना पर 59 करोड रुपये व्यय होने का अनुमान है।

मलप्रभा-परियोजना (मैसूर)

20 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय की इस परियोजना के अधीन मैसूर-राज्य के बेलगाम-जिले में मलप्रभा-नदी पर 154 मीटर लम्बे तथा 43 मीटर ऊंचे बाघ के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। दाएं किनारे की नहर से धारवाड, बेलगाम तथा बीजापुर-जिलों में 1 2 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई होगी।

नागार्जुनसागर-परियोजना (आन्ध्रप्रदेश)

आन्ध्रप्रदेश-सरकार की इस योजना के अधीन कृष्णा-नदी पर 1,450 मीटर लम्बे एक पक्के बाघ तथा नदी के दोनों किनारों पर एक-एक नहर के निर्माण का कार्यक्रम रखा गया है। नहरों से कृष्णा-डेल्टा में 8 1 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई होगी। बाघ तथा नहर का निर्माणकार्य 1970-71 में पूरा होने की आशा है। इस परियोजना पर 1 अर्ब 49 करोड 53 लाख रुपये के व्यय का अनुमान है।

तुंगभद्रा-परियोजना (आन्ध्रप्रदेश-मैसूर)

यह परियोजना आन्ध्रप्रदेश तथा मैसूर-राज्य मिलकर कार्यान्वित कर रहे हैं। इसके अधीन मल्लापुरम के स्थान पर तुगभद्रा-नदी पर 2,450 मीटर लम्बा तथा 49 30 मीटर ऊचा बाघ; 745 किलोमीटर लम्बी तीन नहरें तथा तीन बिजलीघर बनाने की व्यवस्था है। बाघ का निर्माणकार्य जुलाई 1958 में पूरा हो गया। नहरों से 4 2 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई होगी।

हीराकुड-बांध-परियोजना (उड़ीसा)

4,800 मीटर लम्बा हीराकुड-बाघ संसार का सबसे लम्बा बाघ है। इसे दो चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है तथा इससे उड़ीसा के सम्बलपुर तथा बलांगीर जिलों में 2 43 लाख हेक्टर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। मार्च 1965 तक पहले चरण के कार्य पर 65 56 करोड रुपये व्यय हुए। 14.96 करोड रुपयें की लागत के दूसरे चरण का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। परियोजना का पूरा कार्य चौथी योजना की अवधि में पूरा हो जाएगा।

भाखड़ा-नंगल-परियोजना (पंजाब तथा राजस्थान)

यह देश की सबसे बड़ी बहुद्देश्यीय नदी-घाटी-योजना है। इससे पंजाब तथा राजस्थान, दोनों, को लाभ पहुंचेगा। इस पर 1 अर्ब 75 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। पूरी परियोजना में सतलुज-नदी पर 226 मीटर ऊंचे भाखड़ा-बाध, 29 मीटर ऊंचे नंगल-बाध, 64 किलोमीटर लम्बी नंगल-पन-नहर, भाखड़ा-बाध के बाए किनारे पर एक बिजलीघर, पन-नहर के गंगुवाल तथा कोटला नामक स्थानों पर दो बिजलीघरो, लगभग 1,104 किलोमीटर लम्बी नहर और 3,360 किलोमीटर से अधिक लम्बी सहायक नहरो के निर्माणकार्य सम्मिलित हैं। 1946 में आरम्भ की गई यह परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। 22 अक्तूबर, 1963 को स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। 1964-65 में इससे 13 02 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई हुई। तीनो बिजलीघरो की मिली-जुली प्रस्थापित क्षमता 604 मेगावाट है।

बियास-परियोजना (पंजाब–राजस्थान)

इस परियोजना के दो भाग हैं—(1) बियास-सतलुज-शृंखला तथा (2) बियास-बाध। यह परियोजना भी पंजाब तथा राजस्थान-राज्यो का सम्मिलित उद्यम है। इससे पंजाब के 5 26 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई होगी।

राजस्थान-नहर-परियोजना (राजस्थान)

राजस्थान-नहर-परियोजना पर अब 1.84 अर्ब रु० की लागत आने का अनुमान लगाया गया है तथा इस परियोजना से राजस्थान के बीकानेर-जिले में 11.6 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई होगी। इसके दो भाग हैं—(1) 214 4 किलोमीटर लम्बी राजस्थान-पूरक नहर तथा (2) 469 8 किलोमीटर लम्बी राजस्थान-नहर। 1969-70 तक सम्पूर्ण राजस्थान-पूरक नहर तथा राजस्थान-नहर का 196.3 किलोमीटर लम्बा भाग तैयार हो जाने की आशा है। इसके दूसरे चरण में नहर के शेष भाग के पूरे होने की आशा है।

चम्बल-परियोजना (मध्यप्रदेश तथा राजस्थान)

मध्यप्रदेश तथा राजस्थान-सरकारों-द्वारा सयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही इस परियोजना के पहले चरण में गान्धीसागर-बाध, गान्धीसागर-बिजलीघर, कोटा-बांध तथा इसके दोनो किनारों पर नहरो के निर्माण का कार्यक्रम रखा गया है। नहर-प्रणाली से 4.46 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई होने के अतिरिक्त 80,000 किलोवाट बिजली का भी उत्पादन होगा। गान्धीसागर-बाध तथा बिजलीघर का निर्माणकार्य पूरा हो चुका है और 19 नवम्बर, 1960 से बिजली-उत्पादन प्रारम्भ हो गया। कोटा-बाध का निर्माणकार्य भी पूरा हो गया तथा सिंचाई के लिए पानी 20 नवम्बर, 1960 को जारी कर दिया गया। इस परियोजना के दूसरे चरण में राणा प्रतापसागर-बांध तथा उसकी तलहटी में एक बिजलीघर का आरम्भ हुआ निर्माण-कार्यक्रम सम्मिलित है। दूसरे चरण के पूरे होने पर 1 21 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई होगी तथा 90,000 किलोवाट बिजली

का उत्पादन होगा। इसके तीसरे चरण के कार्यक्रम में जवाहरसागर-बांध तथा एक बिजलीघर के निर्माण का कार्यक्रम सम्मिलित है जिसके पूरे होने पर 60,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा।

रामगंगा-नदी-परियोजना (उत्तरप्रदेश)

गंगा की एक बड़ी सहायक रामगंगा-नदी पर गढ़वाल-जिले में 123.6 मीटर ऊंचे एक बांध तथा 75.6 मीटर ऊंचे दूसरे बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना से 6.9 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई होगी तथा इसके दूसरे बांध के निकट 113 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पांचवीं योजना की अवधि में पूरी होनेवाली इस परियोजना पर 91.7 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।

मयूराक्षी-परियोजना (पश्चिम-बंगाल)

पश्चिम-बंगाल-सरकार की यह परियोजना मुख्यतः एक सिंचाई-योजना ही है यद्यपि इसके अधीन 4,000 किलोवाट की क्षमता का एक जलविद्युत्-संयन्त्र भी लगाया जाएगा। जून 1955 में 47.24 मीटर ऊंचे तथा 612.6 मीटर लम्बे मार्सेंजोर-बांध का, जिसे अब कनाडा-बांध का नाम दिया गया है, निर्माण पूरा हुआ। नहरों से प्रतिवर्ष 2.47 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई होगी।

कलकत्ता-बन्दरगाह को जहाजरानी-योग्य बनाए रखने की परियोजना (पश्चिम-बंगाल)

हुगली की निरन्तर बिगड़ती जा रही स्थिति से कलकत्ता-बन्दरगाह के बन्द हो जाने की आशंका को देखते हुए इस सम्बन्ध में तुरन्त उपाय करना आवश्यक हो गया है।

कलकत्ता-बन्दरगाह की इस समस्या पर विशेषज्ञ लोग पिछले सौ वर्षों से विचार करते आ रहे हैं। इस स्थिति का सुधारने का एकमात्र हल यही है कि गंगा पर एक बांध का निर्माण किया जाए। यह कार्य गंगा-बांध-परियोजना के नाम से किया जाएगा।

दामोदर-घाटी-निगम (पश्चिम-बंगाल तथा बिहार)

इस परियोजना के अधीन तिलैया, कोनार, माइथान तथा पंचेट के स्थानों पर चार संग्रहण-बांध और कोनार को छोड़कर प्रत्येक के साथ 1.04 लाख किलोवाट की क्षमतावाले पन-बिजलीघर बनाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बोकारो, दुर्गापुर तथा चन्द्रपुरा में कुल 6.25 लाख किलोवाट की क्षमता के तीन तापीय बिजलीघर भी बनाने की व्यवस्था है। 1.25-1.25 लाख किलोवाट की क्षमता के दो और एकांश स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार कुल विद्युत्-उत्पादन-क्षमता 9.79 लाख किलोवाट की हो जाएगी।

राष्ट्रीय परियोजना-निर्माण-निगम लिमिटेड

जनवरी 1957 में कम्पनी-अधिनियम के अधीन 2 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक पूंजी से इस निगम की स्थापना की गई थी। इसकी अंश-पूंजी में केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ असम, उत्तरप्रदेश, केरल, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान की राज्य-सरकारें भी भागीदार हैं।

'सिन्धु-जल-सन्धि 1960'

सिन्धु तथा उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के अधिकारों तथा दायित्वों के निर्धारण से सम्बन्धित सन्धि पर भारत के प्रधान मन्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 19 सितम्बर, 1960 को कराची में हस्ताक्षर किए। 12 जनवरी, 1961 को नई दिल्ली में दोनों सरकारों के बीच पुष्टि-पत्रों का विनिमय होने पर 'सिन्धु-जल-सन्धि' 1 अप्रैल, 1960 से लागू हो गई।

स्थायी सिन्धु-आयोग मार्च 1965 के अन्त तक के 5 वर्षों के अपने वार्षिक प्रतिवेदन भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों को दे चुका है। उपर्युक्त सन्धि के अनुच्छेद 5 की व्यवस्था के अनुसार 6 वार्षिक किस्तें भारत की ओर से विश्व-बैंक को दी जा चुकी हैं।

विकास-कार्यक्रम

पहली योजना के प्रारम्भ में सभी सिंचाई-साधनों से 2,16,03,000 हेक्टर भूमि की सिंचाई की जाती थी जिसमें से 96.64 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई बड़ी तथा मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं-द्वारा होती थी। पहली योजना के अन्त (1955-56) में कुल सिंचाई-अधीन क्षेत्र 2,35,95,000 हेक्टर हो गया तथा दूसरी योजना के अन्त (1960-61) में यह 2,87,91,000 हेक्टर। अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त (1965-66) में कुल सिंचाई-अधीन क्षेत्र 3,49,43,000 हेक्टर हो जाएगा जिसमें से 1,57,20,000 हेक्टर भूमि की सिंचाई बड़ी तथा मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं-द्वारा होगी।

तीसरी योजना की अवधि में सिंचाई तथा बाढ़-नियन्त्रण-कार्यक्रम पर 6.61 अर्ब रुपये व्यय किए जाएंगे। इसमें से 4.42 अर्ब रुपये दूसरी योजना की परियोजनाओं को जारी रखने पर, 1.58 अर्ब रुपये नई परियोजनाओं पर तथा 61 करोड़ रुपये बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, भू-क्षरण की रोक आदि की योजनाओं पर व्यय किए जाएंगे।

अन्तर्देशीय नौकानयन

अब तक जो बहुद्देश्यीय योजनाएं पूरी की गईं अथवा की जा रही हैं, उनका एक उद्देश्य अन्तर्देशीय नौकानयन की सुविधाएं भी प्रदान करना है। दामोदर-घाटी-परियोजना की दुर्गापुर से त्रिबेणी तक की 137 किलोमीटर लम्बी सिंचाई-नौकानयन-नहर हाल ही में बनकर तैयार हुई जो राणीगंज के कोयला-क्षेत्र को कलकत्ता से मिलाती है। हीराकुड-बांध-जलाशय से नियमित रूप से पानी मिलने से ढोलपुर से कटक तक महानदी-नदी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। तुंगभद्रा-परियोजना की मैसूर की ओर निकली नहर से भी नौकानयन की सुविधा मिलने की सम्भावना है।

बिजली

1925 तक बिजली-उत्पादन की प्रगति बड़ी धीमी थी। 1925 में इसकी कुल प्रस्थापित क्षमता केवल 1,62,341 किलोवाट थी। इसके बाद हुई प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्च 1964 में सार्वजनिक उपयोग के

बिजलीघरों की प्रस्थापित क्षमता 62.28 लाख किलोवाट तक जा पहुंची। 1951 से मार्च 1964 तक की अवधि में विद्युत्-उत्पादन की क्षमता 5 अर्ब 86 करोड़ 19 लाख किलोवाट-घण्टे से बढ़कर 2.55 खर्ब कलोवाट-घण्टे हो गई।

संसाधन

भारत के नदी-क्षेत्रों के विद्युत्-क्षमता-सम्बन्धी अध्ययन से पता चलता है कि देश में 4 करोड़ किलोवाट जलविद्युत् का उत्पादन किया जा सकता है। भारत में बिजली के विकास की स्थिति इस समय इस प्रकार है :

उडीसा, केरल, जम्मू-कश्मीर, पजाब तथा मैसूर	मुख्यतः जलविद्युत्
गुजरात, पश्चिम-बगाल, बिहार तथा राजस्थान	मुख्यतः तापीय विद्युत्
असम, आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, मद्रास, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र	आंशिक तापीय विद्युत् तथा आंशिक जलविद्युत्

बिजली-विकास का संगठन

भारत में विद्युत-उत्पादन तथा उसके वितरण की व्यवस्था काफी समय तक 1910 के 'भारतीय बिजली-अधिनियम' के अनुसार होती रही। 1948 के 'विजली (पूर्ति) अधिनियम' के अधीन 1950 मे सम्पूर्ण देश के लिए एक केन्द्रीय बिजली-प्राधिकार तथा सभी राज्यो के लिए राज्य-बिजली-मण्डलो की स्थापना करने की व्यवस्था की गई।

क्षेत्रीय बिजली-मण्डल

उपलब्ध ईंधन तथा पनबिजली-ससाधनो से अधिक-से-अधिक सम्भावित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से देश को पाच क्षेत्रो मे बाट दिया गया है। फरवरी-मार्च 1964 में इसी उद्देश्य से पाच क्षेत्रीय बिजली-मण्डलो को रचना की गई—उत्तरी (उत्तरप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली. पजाब, राजस्थान तथा हिमाचलप्रदेश) ; दक्षिणी (आन्ध्रप्रदेश, केरल, मद्रास तथा मैसूर) ; पूर्वी (उडीसा, पश्चिम-बगाल, बिहार तथा दामोदर-घाटी-निगम-प्रणाली) , पश्चिमी (गुजरात, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र) और उत्तर-पूर्वी (असम, उत्तर-पूर्व-सीमान्त अभिकरण, नागालैण्ड, मणिपर तथा त्रिपुरा)। इन मण्डलों को परामर्श देने तथा निम्न कार्य करने का काम सौंपा गया है—

(i) क्षेत्र की बिजली-विकास-योजनाओ की प्रगति पर विचार करना ;
(ii) क्षेत्र की प्रणालियों की योजना बनाना तथा उनके सगठित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ;
(iii) क्षेत्र के विद्युत्-उत्पादन-संयन्त्रो के लिए समन्वित सन्धारण-कार्यक्रम तैयार करना ;
(iv) कार्यान्वयन-कार्यक्रम निश्चित करना ;
(v) प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओ के अतिरिक्त राज्यो के बीच विनिमय के लिए उपलब्ध बिजली की मात्रा का पता लगाना और
(vi) क्षेत्र में बिजली के विनिमय-सम्बन्धी उपयुक्त तटकर-ढांचे के सम्बन्ध में सुझाव देना।

स्वामित्व

1925 तक बिजली-विकास का कार्य मुख्यतः प्राइवेट कम्पनियों के ही हाथ में था। 1925-29 के बीच कुछ राज्यों ने बिजली-विकास की योजनाएं आरम्भ की। मार्च 1964 में प्राइवेट कम्पनियों के अधिकार में 23.8 प्रतिशत प्रस्थापित क्षमता थी।

गांवों में बिजली

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मद्रास, महाराष्ट्र तथा मैसूर में अच्छी प्रगति हुई है। निम्न सारणी में बिजली-लगे गांवों तथा शहरों का विवरण दिया गया है।

पहली योजना के आरम्भ में केवल 3,641 गांवों में ही बिजली लगी हुई थी। इस दिशा में प्रगति पहली तथा दूसरी योजनाओं की अवधि में ही हुई। तीसरी योजना के प्रारम्भ में बिजली की व्यवस्था से युक्त गांवों की संख्या लगभग 26,900 हो गई। मार्च 1965 के अन्त तक तीसरी योजना की अवधि मे अन्य 19,000 गांवों में बिजली लगाई गई। तीसरी योजना के अन्त तक लक्ष्य से 7,800 अधिक गांवों में बिजली लगाए जाने की आशा थी।

सारणी 23

बिजली-लगे शहर तथा गांव

जनसंख्या	कुल संख्या (1951की जनगणना के अनुसार)	जिनमें 31 मार्च तक बिजली लगी			
		1951	1956	1961	1965 (अनुमानित)
1,00,000 से ऊपर	73	49	73	73	73
50,000 से 1,00,000	111	88	111	111	111
10,000 से 50,000	1,257	500	716	1,099	1,257
10,000 से नीचे	5,70,051	3,603	9,619	26,891	46,016
योग	5,71,492	4,240	10,519	28,174	47,457

विकास-कार्यक्रम

पहली योजना के आरम्भ में देश में कुल प्रस्थापित बिजली-उत्पादन-क्षमता 23 लाख किलोवाट थी। पहली योजना की अवधि में इस क्षमता में 11.2 लाख किलोवाट (49 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। दूसरी योजना की अवधि में यह क्षमता 34.2 लाख

किलोवाट से बढ़कर 56 लाख किलोवाट हो गई। इस प्रकार इस अवधि में 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तीसरी योजना के अन्त तक व्यापारिक उपयोग के लिए यह क्षमता 1.02 करोड किलोवाट हो जाने की आशा थी। इस कार्यक्रम के पूरे होने पर प्रति-व्यक्ति-बिजली-उत्पादन-क्षमता 1966 मे 81 किलोवाट-घण्टे हो जाने की आशा थी जो 1951 में 18 किलावाट-घण्टे, 1956 मे 28 किलोवाट-घण्टे तथा 1961 मे 47 किलोवाट-घण्टे थी।

तीसरी योजना मे सरकारी क्षेत्र में बिजली के विकास पर अनुमानत. 12.77 अर्ब रु० के परिव्यय की सम्भावना है तथा निजी क्षेत्र मे 50 करोड रु० के।

परमाणु-विद्युत्

उपलब्ध ऊर्जा (एनर्जी) को ध्यान मे रखते हुए आनेवाले वर्षों मे ऊर्जा की माग को पूरा करने मे परमाणु-विद्युत् एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग देगी। बम्बई के निकटस्थ तारापुर में एक परमाणु-विद्युत्-केन्द्र बनाने की योजना है। इसमे दो आणविक भट्ठिया होगी जिनमें से प्रत्येक 190 मेगावाट विद्युत् का उत्पादन करेगी। यह परमाणु-विद्युत्-केन्द्र 1968 के अन्त में चालू हो जाएगा। 200 मेगावाट की क्षमता का दूसरा-परमाणु-विद्युत्-केन्द्र राजस्थान मे राणा प्रतापसागर बाध के निकट बनाया जा रहा है तथा इसका कार्य 1969-70 मे चालू हो जाने की आशा है। चौथी योजना मे राणा प्रतापसागर-बाध के परमाणु-विद्युत्-केन्द्र की क्षमता मे 200 मेगावाट की ओर वृद्धि करने तथा 400 मेगावाट की क्षमता का तीसरा परमाणु-विद्युत्-केन्द्र मद्रास-राज्य के कालपक्कम् नामक स्थान में स्थापित करने के कार्यक्रमो को स्वीकृति दी जा चुकी है।

मुख्य बिजली-परियोजनाएं

मचकुण्ड-परियोजना (आन्ध्रप्रदेश)

आन्ध्रप्रदेश तथा उडीसा-सरकारो की इस सयुक्त परियोजना के अधीन मच-कुण्ड-नदी पर एक 53.5 मीटर ऊचा तथा 410 मीटर लम्बा बाध बनाया गया है। 6 विद्युत्-उत्पादन-एकाशो का काम चालू हो गया है। इस समय इस बिजलीघर की कुल प्रस्थापित क्षमता 1,14,750 किलोवाट है।

श्रीसैलम्-जलविद्युत्-परियोजना (आन्ध्रप्रदेश)

38.48 करोड रुपये के अनुमानित व्यय की इस परियोजना के अधीन कृष्णा-नदी पर 117.5 मीटर ऊचे तथा 514 मीटर लम्बे पक्के बाध के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जलाशय से निकलनेवाले पानी का उपयोग बाध के निचले सिरे पर स्थित बिजलीघर में विद्युत्-उत्पादन के लिए करने का विचार किया गया है। पहले 110 मेगावाट के चार विद्युत्-उत्पादन-एकाशो का काम चालू होगा तथा बाद में तीन एकाश और चालू किए जाएंगे। बिजलीघर का निर्माण हो रहा है तथा इसका लाभ पाचवी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में मिलने की आशा है।

कोत्तगूडेम-तापीय विद्युत्-केन्द्र (आन्ध्रप्रदेश)

कोत्तगूडेम-तापीय विद्युत्-केन्द्र के पहले चरण के कार्यक्रम मे दो बिजली-उत्पादन एकाश लगाए जाएगे। निर्माणकार्य जारी है तथा एकाशो का काम चालू हो चुकने की

आशा है। बिजलीघर तथा बाध के निर्माण पर 22.93 करोड़ रु० की अनुमानित लागत आने की आशा है। दूसरे चरण के कार्यक्रम में 10.77 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से दो एकाश और लगाए जाएंगे। तीसरे चरण के अधीन 19.65 करोड की अनुमानित लागत से तीन एकांश और लगाए जाने की सम्भावना है।

निचली सीलेरु-जलविद्युत्-योजना (आन्ध्रप्रदेश)

इस योजना मे सीलेरु-नदी पर 61 मीटर ऊचे बाध के निर्माण का कार्यक्रम रखा गया है। जलाशय में संगृहीत जल से 1,22,400 किलोवाट बिजली उत्पन्न की जाएगी जिसके लिए पहले चार उत्पादन-एकाश लगाए जाएगे तथा बाद में दो एकाश और। इस बिजलीघर का काम 1969-70 मे चालू हो जाने की आशा है।

नाहरकटिया-तापीय परियोजना (असम)

नामरूप-उर्वरक-कारखाने को बिजली पहुंचानेवाले तीन विद्युत्-उत्पादन-एकाशो की स्थापना की परियोजना के पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है। इस पर 8.62 करोड रु० के व्यय हो चुकने का अनुमान है। दूसरे चरण के कार्यक्रम में ऐसे ही दो एकाश और लगाए जाएगे।

बरौनी-तापीय विद्युत्-केन्द्र (बिहार)

उत्तर-बिहार में बिजली की बढती हुई मांग की पूर्ति के लिए 30 मेगावाट की क्षमता के एक वाष्प-विद्युत्-केन्द्र की स्थापना को दूसरी योजना मे स्वीकृति दी गई थी। बरौनी का तेल-शोधनागार स्थापित किए जाने के बाद 15 मेगावाट का तीसरा सेट स्थापित किए जाने का निर्णय किया गया था। 5 19 करोड रुपये की लागत की 45 मगावाट की कुल प्रस्थापित क्षमतावाली परियोजना पूरी हो चुकी है। दो अन्य एकाशो की स्थापना का कार्य जारी है जिस पर 8 9 करोड के व्यय का अनुमान है।

पथराटु-तापीय विद्युत्-केन्द्र (बिहार)

48.2 करोड़ रुपये की लागत (प्रथम चरण) का पथराटु-तापीय विद्युत्-केन्द्र पथराटु रेल-स्टेशन से 5.4 किलोमीटर तथा हजारीबाग-जिले मे रामगढ़ से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रथम चरण के छ. एकाशो मे से 50 मेगावाट के एक एकाश का काम चालू हो गया है तथा शेष एकाशो का स्थापन-कार्य 1967-68 मे पूरा हो जाएगा। चौथी योजना मे आरम्भ होनेवाले दूसरे चरण के विस्तार-कार्यक्रम मे चार एकाश होगे।

धुवारण (खम्भात) तापीय विद्युत्-केन्द्र (गुजरात)

सौराष्ट्र तथा गुजरात की बिजलो की बढती हुई माग की पूर्ति के लिए 34.08 करोड़ रुपये के व्यय से धुवारण में एक तापीय विद्युत्-केन्द्र स्थापित किया जाना है। बिजलीघर में चार विद्युत्-उत्पादन-एकांश होंगे। दो अन्य एकांश चौथी योजना की अवधि में 22.76 करोड़ रु० की लागत से लगाए जाने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है।

इडिकि-जलविद्युत्-परियोजना (केरल)

एर्णाकुलम् के 160 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में पेरियार् की ऊंची पर्वतमाला पर स्थित 62.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की इस परियोजना के अधीन दो मुख्य

बांधों से घिरे एक जलाशय तथा प्रारम्भ में तीन एकाशों से युक्त एक बिजलीघर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अन्य तीन एकाश बाद में लगाए जाएगे। पहले उत्पादन-एकांश का कार्य 1970-71 में चालू हो जाएगा।

सतपुड़ा-तापीय विद्युत्-केन्द्र (मध्यप्रदेश)

मध्यप्रदेश तथा राजस्थान की 37 8 करोड रु० की अनुमानित लागत की इस संयुक्त परियोजना के अधीन बेतूल-जिले में पाथरखेडा-कोयला-खान के पास एक तापीय विद्युत्-केन्द्र स्थापित किया जाएगा जहा 5 उत्पादन-एकाश लगाए जा रहे हैं। परियोजना का कार्य 1968-69 के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

मेट्टूर-सुरंग-जलविद्युत्-योजना (मद्रास)

11.81 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की चार एकाशो की इस योजना के द्वारा मेट्टूर-जलाशय से मिलनेवाले 20,000 क्युजेक पानी के उपयोग की व्यवस्था की गई है। तीन विद्युत्-उत्पादन-एकाश लगाए जा चुके हैं तथा चौथे का कार्य 1966 के मध्य से चालू होने की आशा थी।

कोयना-परियोजना (महाराष्ट्र)

यह परियोजना मुख्य रूप से बम्बई और पूना तथा इनके निकटवर्ती क्षेत्रो मे बिजली की मांग को पूरा करने के लिए जनवरी 1954 मे आरम्भ की गई थी। इसके 60-60 हजार की किलोवाट-क्षमता के चारो एकाशो का काम चालू हो चुका है। इस पर लगभग 38.28 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

इसके दूसरे चरण मे जलाशय की जल-सग्रहण-क्षमता में वृद्धि करने तथा 14 61 करोड रु० की अनुमानित लागत से चार और विद्युत्-उत्पादन-एकाशो की स्थापना का उद्देश्य रखा गया है। पहले एकाश का काम चालू हो गया है तथा तीन एकाशो का काम 1966-67 मे आरम्भ होने की आशा है।

शरावती-जलविद्युत्-परियोजना (मैसूर)

इस परियोजना को तीन चरणो में पूरा करने का विचार किया गया है। पहले चरण के लिंगनामक्कि-गाव के निकट जलाशय से युक्त 55.2 मीटर ऊंचे बाध के निर्माण तथा दो विद्युत्-उत्पादन-एकांशो की स्थापना का कार्यक्रम पूरा हो गया है। दूसरे चरण मे बाध को ऊचा करने तथा शरावती-बिजलीघर में 6 और विद्युत्-उत्पादन-एकांशो की स्थापना का विचार किया गया है। तीसरे चरण में दो अन्य एकांशों की स्थापना के कार्यक्रम को चौथी योजना में पूरा करने की स्वीकृति मिल चुकी है। तीनो चरणो के कार्य पर कुल 1 अबं 23 करोड 51 लाख रुपये की लागत आने का अनमान है।

तालचेर-तापीय केन्द्र (उड़ीसा)

इस योजना के अधीन तालचेर-क्षेत्र में, जहां घटिया कोयले का काफी बड़ा भण्डार है, 30.35 करोड़ रुपये की लागत से चार उत्पादन-एकाशों के एक तापीय बिजली-घर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

यमुना-जलविद्युत्-योजना (उत्तरप्रदेश)

इस योजना के अधीन यमुना-नदी तथा उसकी सहायक टौंस-नदी के जल का उपयोग करने का कार्यक्रम दो चरणों में पूरा करने का निश्चय किया गया है जिन पर कुल मिलाकर 72.71 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है। पहले चरण में दो बिजलीघर होंगे तथा दूसरे चरण में टौंस-नदी पर एक मोड-बांध बनाने का कार्यक्रम है।

रेण्ड-बांध-परियोजना (उत्तरप्रदेश)

इस परियोजना के अधीन उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर-जिले मे पिपरी नामक गांव के पास रेण्ड-नदी पर 91 5 मीटर ऊंचा तथा 992 मीटर लम्बा बांध बनाने का विचार किया गया है। बाध के नीचे बने बिजलीघर में 300 मेगावाट की कुल क्षमता के छः एकांश है। बिजली का उपयोग कुटीर, मध्यम तथा बडे उद्योगो के संचालन और पम्प-द्वारा सिंचाई के लिए किया जा रहा है।

ओबा-तापीय विद्युत्-केन्द्र (उत्तरप्रदेश)

इस परियोजना के 27·25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के प्रथम चरण में पांच विद्युत्-उत्पादन-एकांशों से युक्त बिजलीघर सिंगरौली-कोयलाखानों के निकट 1967-68 के अन्त तक स्थापित किया जाएगा। इसके दूसरे चरण में चौथी योजना के अधीन बिजलीघर में तीन एकाश और सम्मिलित किए जाने हैं।

बंण्डेल-तापीय केन्द्र (पश्चिम-बंगाल)

32 करोड रुपये की लागत से चार विद्युत्-उत्पादन-एकाशो का यह बिजलीघर तेजी से विकसित होते हुए औद्योगिक क्षेत्र के मध्य में हुगली-नदी के निकट कलकत्ता से 46 किलोमीटर उत्तर में बनाया गया है। तीन एकाशो का कार्य चालू हो गया है।

बदरपुर-तापीय विद्युत्-केन्द्र (दिल्ली)

चौथी योजना के अधीन बदरपुर में 34 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तीन विद्युत्-उत्पादन-एकाशो से युक्त एक केन्द्रीय तापीय विद्युत्-केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति मिल चुकी है। इस केन्द्र से उत्तरप्रदेश, पजाब तथा दिल्ली को बिजली उपलब्ध की जाएगी।

बाढ़-नियन्त्रण

1954 की वर्षा-ऋतु में देश के विभिन्न भागो में आई भयकर बाढ़ को ध्यान में रखते हुए भारत-सरकार ने सितम्बर 1964 में बाढ-नियन्त्रण का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया। इस कार्यक्रम को तीन भागों में बांटा गया तथा पहले दो वर्षों में मुख्यतः जांच-पड़ताल तथा आंकडे इकट्ठे करने का कार्य किया गया। अगले चार-पांच वर्षों में अर्थात् दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में तटबन्धों तथा नाले-नालियों का सुधार करके बाढ़-सुरक्षा के उपाय करने का लक्ष्य रखा गया था। दो चरणों का काम लगभग पूरा हो चुका है। तीसरे चरण में कुछ जलाशय तथा तटबन्ध आदि बनाने की योजना है।

केन्द्रीय बाढ़-नियन्त्रण-मण्डल के अतिरिक्त 15 राज्यो में बाढ़-नियन्त्रण-मण्डल है जिनको प्राविधिक मामलो में प्राविधिक सलाहकार समितिया सहायता देती है। 4 नदी-आयोग (बाढ) भी केन्द्रीय मण्डल की सहायता करते है । 1954-55 से अब तक विभिन्न राज्यों की एक-एक करोड रुपये अथवा उससे अधिक लागत की 7 वृहद् योजनाए तथा एक करोड रुपये से कम लागतवाली 1,355 लघु योजनाए केन्द्र-द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हे । इन पर क्रमशः 20.54 करोड़ रुपये तथा 64 72 करोड़ रुपये व्यय होंगे । इसके अतिरिक्त राज्य-सरकारो ने भी 96 योजनाओ को स्वीकृति दी है जिन पर 2.81 करोड रु० का परिव्यय होगा ।

इस सम्बन्ध मे भारत का सर्वेक्षण-विभाग आकाश मे फोटो आदि लेने का कार्य कर रहा है । विभिन्न राज्यो में तटबन्ध आदि बनाने के काम में अच्छी प्रगति हुई है । विभिन्न राज्यो में लगभग 6,942 किलोमीटर लम्बे तटबन्धो के निर्माण तथा 7,885 किलोमीटर लम्बी नालियो की खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। 80 नगरो को बाढ अथवा भूमि-क्षरण से बचाने के लिए उपाय किए जा चुके हे तथा 4,300 गावो को बाढ-स्तर से ऊंचा कर दिया गया है ।

तीसरी योजना मे बाढ-नियन्त्रण के लिए 61 करोड रुपये की व्यवस्था की गई थी । तीसरी योजना की अवधि मे 85 करोड रु० के व्यय होने की आशा है जबकि 1966-67 के लिए 8.72 करोड रु० का व्यय निर्धारित किया गया है ।

चौथी योजना के लिए 30 योजनाओ पर कार्य करने के सम्बन्ध में पहले से स्वीकृति दी जा चुकी है ।

अध्याय 20

उद्योग

1959 से आरम्भ किए गए भारत के उद्योगो के वार्षिक सर्वेक्षण के पूर्व उद्योगों की गणना तथा नमूना-सर्वेक्षण करने की प्रथा चली आ रही थी।

सर्वेक्षण मे प्रतिरक्षा-मन्त्रालय के नियन्त्रण में आनेवाले कारखानो, तेल-सग्रह-डिपो तथा प्राविधिक प्रशिक्षण-सस्थाओ को छोडकर शेष वे सभी कारखाने आते हैं जिनमे पिछले 12 महीनो मे किसी भी दिन 10 अथवा इनसे अधिक मज़दूर काम कर रहे थे तथा मशीनो को चलाने के लिए बिजली का उपयोग होता था अथवा 20 अथवा इनसे अधिक मज़दूर मशीनो के लिए बिजली के उपयोग के बिना काम करते थे। जबकि मशीनो के लिए बिजली का उपयोग करने के साथ-साथ 50 अथवा इनसे अधिक मज़दूरवाले कारखाने और मशीनो के लिए बिजली का उपयोगन करके 100 अथवा इनसे अधिक मज़दूरवाले कारखाने इस सर्वेक्षण मे पूर्णत आते है, शेष कारखाने सम्भाव्यता के आधार पर आते हैं।

1961 मे हुए सर्वेक्षण के अनुसार देश मे 9,161 पंजीकृत कारखाने थे जिनमे से 8,930 कारखानो से ही विवरण प्राप्त हुए। कारखानो की कुल उत्पादनशील पूंजी 23 अर्ब 74 करोड 15 लाख रुपये की थी।

इन कारखानो मे कुल 30,49,736 व्यक्ति काम पर लगे हुए थे।

मज़दूरो को वेतन, मज़दूरी तथा अन्य लाभ के रूप मे कुल 5 अर्ब 35 करोड 73 लाख रु० दिए गए।

उद्योगो पर कुल व्यय 27 अर्ब 5 करोड 41 लाख रु० का हुआ तथा इनमें उत्पादन 36 अर्ब 93 करोड 32 लाख रु० के मूल्य का।

नवम्बर 1965 के अन्त मे देश मे 27,144 ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनियां थी जिनमे कुल 27 अर्ब 8 करोड़ 60 लाख रु० की चुकता पूंजी लगी हुई थी।

औद्योगिक नीति

स्वतन्त्र भारत की औद्योगिक नीति सर्वप्रथम 1948 में घोषित की गई थी जिसमे एक मिली-जुली अर्थव्यवस्था का उद्देश्य रखा गया था। भारत मे समाजवादी ढग के समाज की स्थापना करने की नीति स्वीकार किए जाने पर 30 अप्रैल, 1956 को एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। अनुसूची 'क' के उद्योगो पर सरकार का पूरा नियन्त्रण है तथा अनुसूची 'ख' मे सम्मिलित किए गए उद्योगो का स्वामित्व सरकार धीरे-धीरे ग्रहण करेगी।

उद्योगों का नियमन

1948 में घोषित प्रथम औद्योगिक नीति के अनुसार सविधान मे सशोधन करके 'उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम 1951' लागू किया गया। इस अधिनियम के अधीन सभी वर्तमान तथा नए औद्योगिक प्रतिष्ठानो और वर्तमान प्रतिष्ठानो के विस्तार

के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। सरकार को किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान की जांच-पड़ताल करने तथा आवश्यक निदेश देने का अधिकार दे दिया गया। यदि इसमें कुव्यवस्था जारी रहे तो इसका प्रबन्ध अथवा नियन्त्रण सरकार को अपने हाथ में लेने का अधिकार भी मिल गया। इसी अधिनियम से सरकार को अनुसूचित उद्योगों-द्वारा तैयार की गई किसी वस्तु के समान वितरण तथा उचित मूल्यों को सुनिश्चित करने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। उद्योगो के विकास तथा नियमन-सम्बन्धी मामलो पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद् तथा भिन्न-भिन्न उद्योगो के लिए अलग-अलग विकास-परिषदें स्थापित करने की व्यवस्था कर दी गई।

इन अधिकारो के द्वारा सरकार का उद्देश्य देश के ससाधनो का उचित उपयोग करना, बड़े तथा लघु उद्योगो का सन्तुलित विकास करना और विभिन्न उद्योगो का प्रादेशिक रूप से उचित विभाजन करना है। इस समय इस अधिनियम के अधीन 162 उद्योग आते हैं। अधिनियम की व्यवस्थाओ के अधीन अनुसूचित उद्योगो के विकास तथा नियमन के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए केन्द्रीय उद्योग-सलाहकार परिषद् स्थापित की गई है। उद्योगो के लिए अलग-अलग विकास-परिषदें भी स्थापित कर दी गई हैं। इस समय विभिन्न उद्योगो के लिए 14 परिषदें कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगो का अध्ययन करने के उद्देश्य से समय-समय पर कुछ विशेषज्ञ-समितियां तथा मण्डल (पैनल) भी नियुक्त किए गए हैं। 1965 में इस अधिनियम के अधीन 546 नए उद्योगो को लाइसेंस दिए गए। प्रतिरक्षा-सम्बन्धी उद्योगो के उत्पादन में वृद्धि करने के उपायो को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है।

निजी क्षेत्र के अपर्याप्त पूंजीवाले महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास के लिए सरकार विशेष शर्तों पर ऋण देकर अथवा पूंजी में साझेदार बनकर वित्तीय सहायता देती है। पूर्ति तथा निपटान-महानिदेशालय तथा भारत-सरकार के केन्द्रीय क्रय-सगठन स्वदेशी वस्तुएं खरीदकर स्वदेशी उद्योगो को प्रोत्साहन देते आ रहे हैं।

उत्पादकता

देश में उत्पादन में वृद्धि करने के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा इस सम्बन्ध में नवीनतम विधियों का उपयोग करने के लिए फरवरी 1958 में एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् की स्थापना की गई जिसमें सरकार, मालिकों, श्रमिकों आदि के प्रतिनिधि हैं। इस परिषद् की स्थापना का उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना है। इसके अधीन अब तक 47 स्थानीय परिषदें तथा 6 प्रादेशिक निदेशालय स्थापित किए जा चुके हैं। कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने के उपायो पर विचार करने के लिए इस परिषद ने कृषि-उत्पादकता-विभाग भी स्थापित किया है। परिषद् 1966 के वर्ष को भारत-उत्पादकता वर्ष के रूप में ले रही है। भारत मई 1961 में स्थापित एशिया-उत्पादकता-सगठन का स्थापक-सदस्य है जो इस क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है।

मानकीकरण

केन्द्रीय उद्योग-मन्त्रालय के अधीन काम करनेवाला भारतीय मानक-संस्थान जिन्सो, वस्तुओ, प्रक्रियाओ आदि के लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। यह 'आई

एस आई' का प्रमाणपत्र भी देता है। 1965 के अन्त तक 3,267 भारतीय मानक प्रकाशित तथा 1,188 लाइसेंस जारी किए गए।

औद्योगिक वित्त

जुलाई 1948 में स्थापित भारत का औद्योगिक वित्त-निगम औद्योगिक संस्थाओं को दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम धन के रूप में वित्तीय सहायता देता आ रहा है। 1960 के संशोधित अधिनियम-द्वारा निगम को औद्योगिक संस्थाओं के अंश (शेयर) सीधे खरीदने का भी अधिकार दे दिया गया। अपनी स्थापना के समय से मार्च 1964 के अन्त तक निगम ने 1 अर्ब 90 करोड़ 50 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता को स्वीकृति दी तथा 1 19 अर्ब रु० के ऋण दिए जा चुके थे।

राज्य-वित्त निगम उन मध्यम तथा लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं जो अखिल भारतीय निगम के क्षेत्र में नहीं आते। 1963-64 में इन निगमों ने 17 9 करोड़ रु० के ऋण को स्वीकृति दी जिसमे में 12.5 करोड़ रुपये दे दिए गए।

गैरसरकारी क्षेत्र मे औद्योगिक उद्यमों की सहायता के लिए जनवरी 1955 में स्थापित भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग-निगम ने 1963 के अन्त तक 248 कम्पनियों को 83 2 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता देने की स्वीकृति दी जिनमें से 105 कम्पनियां नई थीं।

योजना में सम्मिलित उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए औद्योगिक संस्थाओं को बैंकों-द्वारा दिए गए ऋणों के आधार पर फिर से ऋण देने की सुविधाएं देने के उद्देश्य से जून 1958 में उद्योग-पुनर्वित्त निगम (लिमिटेड) स्थापित किया गया। सितम्बर 1964 में इस निगम का कार्यभार औद्योगिक विकास-बैंक ने अपने ऊपर ले लिया।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम सूती वस्त्र तथा पटसन-उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा पुनःसंस्थापन के लिए और मशीनी औजार-एकांशों के विस्तार के लिए सरकार की ओर से विशेष ऋण देने की व्यवस्था करने के लिए 1954 में स्थापित किया गया था। अक्तूबर 1965 के अन्त तक इस निगम ने पटसन तथा सूती वस्त्र-उद्योगों के लिए 28.02 करोड़ रु० के ऋणों को स्वीकृति दी जिसमें से 16.77 करोड़ रु० दे दिए गए। प्राक्कलन-समिति की सिफारिशों के आधार पर निगम ने ऋण के लिए नए प्रार्थनापत्र स्वीकार करना बन्द कर दिया है। निगम ने किस्तों पर सूती तथा पटसन-वस्त्र-उद्योगों को मशीनें देना भी आरम्भ किया है। अक्तूबर 1965 तक इस योजना के अधीन सहायता के रूप में इसने 3 लाख रु० से अधिक की राशि दी।

चलचित्र-वित्त-निगम के सम्बन्ध में 'जनसम्पर्क के साधन' शीर्षक अध्याय में उल्लेख किया जा चुका है।

संसद् के एक अधिनियम के अधीन जुलाई 1964 में स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास-बैंक रिज़र्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में एक शीर्ष संस्थान तथा साथ-ही-साथ

उद्योगों को सीधी वित्तीय सहायता देनेवाला एक अभिकरण है। इसकी अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रु० की है जो बढाकर 1 अर्ब रु० की की जा सकती है।

फरवरी 1964 में 'यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट 1963' लागू हुआ। यूनिटें 1 जुलाई, 1964 से बेची जाने लगी। जून 1965 में समाप्त होनेवाले वर्ष में 19.13 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की यूनिटें बेची गई। 16 नवम्बर, 1964 से ट्रस्ट बेची गई यूनिटें फिर से खरीदने भी लगा। इसने 2 1 प्रतिशत बेची गई यूनिटें फिर से खरीदने का प्रस्ताव रखा।

औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध देशो से अन्तर्राष्ट्रीय प्राविधिक सहायता-योजनाओं अथवा सीधे करारो के अधीन प्राविधिक सहायता प्राप्त करने के प्रयासो का उल्लेख 'भारत तथा ससार' शीर्षक अध्याय में किया गया है।

विदेशी पूंजी

द्रुत औद्योगिक विकास के लिए पूंजीगत ससाधनों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने देश में किसी वस्तुविशेष की पर्याप्त उत्पादन-क्षमता के अभाववाले तथा विदेशी फर्मों से जानकारी की अपेक्षा रखनेवाले उद्योगों के लिए विदेशी सहायता मांगी है। विदेशी पूंजी-विषयक नीति का स्पष्टीकरण अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति-विषयक प्रस्ताव तथा 1949 में संविधान-सभा मे दिए गए प्रधान मन्त्री के वक्तव्य में किया गया है।

1962 के अन्त मे देश के उद्योग-धन्धों में 7 अर्ब 35 करोड़ 50 लाख रु० की विदेशी पूंजी लगी हुई थी। 10 7 करोड़ रु० की सरकारी पूंजी निजी क्षेत्र मे लगी हुई थी। गैरसरकारी क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास-बैंक से 56 करोड़ रु० की और अमेरिकी एक्जिम बैंक तथा एड से 8 करोड़ रु० से कुछ कम की पूंजी मिली। अमेरिका के सरकारी कानून-480 की एक निधि में से 5 करोड़ रु० का ऋण तथा चेकोस्लोवाकिया से 3.5 करोड़ रु० का आस्थगित ऋण मिला।

1962 मे देश मे 38.7 करोड़ रु० की विदेशी पूंजी का विनियोग हुआ। सरकारी क्षेत्र की भारत की विदेशी देनदारी 18 92 अर्ब रु० की थी। भारत की 7 37 अर्ब रु० की गैरसरकारी देनदारी तथा 66 करोड़ रु० की महाजनी के क्षेत्र की देनदारी को मिलाकर कुल देनदारी 26 95 अर्ब रु० की थी। भारत की विदेशी परिसम्पत्ति 6 10 अर्ब रु० की थी। इस प्रकार कुल शुद्ध देनदारी 20.85 अर्ब रु० की रही।

उद्योगों का विकास

प्रारम्भिक स्थिति

भारत में सुव्यवस्थित रूप से उद्योग का आरम्भ 1854 में हुआ जब मुख्यत: भारतीय पूंजी से बम्बई में सूती-वस्त्र-मिल-उद्योग का आरम्भ हुआ। पटसन-उद्योग का जन्म अधिकाशत विदेशी पूंजी से 1855 में कलकत्ता के निकट हुआ। पहले महायुद्ध के पूर्व तक देश में इन्हीं दो बड़े उद्योगों तथा कोयला-उद्योग का विकास हुआ। पहले तथा दूसरे महायुद्धो के समय में तथा उसके बाद औद्योगिक विकास को और गति

मिली। 1922 से उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की नीति अपनाए जाने से भारतीय उद्योगों के विकास में काफी सहायता मिली। कई उद्योगों का विस्तार हुआ तथा अनेक नए उद्योगों—इस्पात, चीनी, इंजीनियरी, काच, ओद्योगिक रासायनिक पदार्थ, साबुन, वनस्पति—की स्थापना हुई लेकिन उनका उत्पादन इतना कम था कि न्यूनतम आन्तरिक माग भी पूरी नही हो पाती थी।

पहली तथा दूसरी योजनाओं में प्रगति

पहली तथा दूसरी योजनाओ की अवधि (1951-52 से 1960-61) में उद्योग-धन्धों में काफी प्रगति हुई। दूसरी योजना के पाच वर्षो में हुई प्रगति विशेष उल्लेखनीय है। सरकारी क्षेत्र में 10-10 लाख टन की क्षमतावाले 3 इस्पात-कारखाने स्थापित किए गए तथा गैरसरकारी क्षेत्र के दो वर्तमान इस्पात-कारखानो की क्षमता बढ़ाकर क्रमशः 20 लाख टन तथा 10 लाख टन कर दी गई। बिजली के भारी सामान तथा भारी मशीनी औज़ार-उद्योगो और भारी मशीन-निर्माण तथा भारी इजीनियरी-उद्योगों की स्थापना हुई। सीमेण्ट तथा कागज़ के उत्पादन के लिए मशीनें बनाना पहली बार आरम्भ किया गया। रासायनिक उद्योगो मे भी अच्छी प्रगति हुई। इसके फलस्वरूप बुनियादी रासायनिक पदार्थों—नत्रजनयुक्त उर्वरको, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश तथा गन्धक-अमल के—अतिरिक्त देश मे कई नए उत्पादनो—यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, पेनिसिलीन, समाचारपत्र-कागज़, रग-सामग्री आदि—का भी निर्माण आरम्भ हुआ। अन्य अनेक उद्योगों—साइकिलो, सिलाई-मशीनो, टेलीफोन, बिजली का सामान, कपड़ा तथा चीनी की मशीनो—के उत्पादन में ठोस वृद्धि हुई। कर्मचारी वर्ग ने नए हुनर सीखे तथा नए वर्ग के उद्योग-प्रबन्धको का विकास हुआ। सगठित औद्योगिक उत्पादन दस वर्षो मे प्रायः दुगुना हो गया। औद्योगिक उत्पादन का सूचनाक 1950-51 के 100 से बढ़कर 1960-61 मे 191 हो गया। नई औद्योगिक बस्तिया बस गई तथा देश के मुख्य नगरो के आस-पास विभिन्न प्रकार के कारखाने स्थापित हुए।

लेकिन हमारे सभी निर्धारित लक्ष्य पूरे नही हो सके। इस्पात तथा उर्वरको का उत्पादन निर्धारित लक्ष्यो से काफी कम रहा क्योकि इनके संयन्त्र निश्चित समय से काफी पीछे चालू हो सके। भोपाल की भारी बिजली-सामान-परियोजना का काम भी इस्पात तथा उर्वरक-कारखानो की भाति विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण निर्धारित समय से पिछड़ा रहा।

दूसरी योजना की अनेक परियोजनाओ पर वास्तविक लागत उनके लिए निर्धारित राशि से काफी अधिक आई। तीसरी योजना में अधिक ठीक अनुमान लगाने पर बल दिया गया। दूसरी योजना (1956-61) में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओ पर कुल 7.7 अर्ब रु० की पूजी लगाई गई जबकि मूल अनुमान 5 6 अर्ब रु० का था। गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल 8.5 अर्ब रु० की पूंजी लगाई गई जबकि मूल अनुमान 6 85 अर्ब रुपये का था। इतनी अधिक पूजी (मूल अनुमानो से लगभग 30 प्रतिशत से भी अधिक) लगाने पर भी दूसरी योजना के लिए निर्धारित मूल उत्पादन-लक्ष्य लगभग 85-90 प्रतिशत ही पूरे किए जा सके।

तीसरी योजना के विकास-कार्यक्रम

तीसरी योजना में बुनयादी महत्ववाले उद्योगो तथा उत्पादक सामग्री-उद्योगो—विशेष रूप से मशीन-निर्माण-कार्यक्रमों—पर विशेष बल दिया गया। इनसे सम्बन्धित जानकारी, प्राविधिक जानकारी तथा इनके डिज़ाइन तैयार करने की क्षमता प्राप्त करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया जिससे आनेवाले योजना-कालो में हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो जाए तथा बाहरी सहायता से बहुत-कुछ मुक्त रहे। इस सम्बन्ध मे अग्रता-क्रम यह रखा गया

(1) दूसरी योजना की उन परियोजनाओ को पूरा करना जो अभी पूरी नही की जा सकी थी अथवा जो रोक दी गई थी,

(2) भारी इंजीनियरी तथा मशीन-निर्माण-उद्योगो, ढलाई, मिश्र-धातु औज़ार तथा विशेष इस्पात, लोहा तथा इस्पात-उद्योगो की क्षमता का विस्तार करना और उर्वरको तथा पेट्रोलियम की वस्तुओ का उत्पादन बढाना,

(3) मुख्य बुनयादी कच्चे सामान तथा उत्पादक सामग्री—अल्युमीनियम, खनिज तेलो, बुनयादी कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायनो—का उत्पादन बढ़ाना,

(4) अनिवार्य आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं—औषधियो, कागज़, कपडा, चीनी, वनस्पति-तेलो तथा मकान बनाने के सामान के उद्योगो—का उत्पादन बढाना।

तीसरी योजना के अधीन उद्योगो तथा खनिज-पदार्थो पर कुल 29 93 अर्ब रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी। इनके लिए 13.38 अर्ब रुपये की विदेशी मुद्रा की राशि भी निर्धारित की गई थी।

इस राशि मे से 18.08 अर्ब रुपये सरकारी क्षेत्र मे लगाए जाने थे तथा 11 85 अर्ब रुपये गैरसरकारी क्षेत्र मे। सरकारी क्षेत्र के 18 08 अर्ब रुपये के पूंजी-विनियोग में बागान-उद्योगो को दी गई सहायता, हिन्दुस्तान-जहाजनिर्माणघाट को दी गई निर्माण-सहायता, राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् तथा भारतीय मानक-संस्थान के कार्यक्रम और तोल तथा माप की मीट्रिक प्रणाली के विस्तार पर होनेवाले व्यय, राष्ट्रीय उद्योग-विकास-निगम के माध्यम से गैरसरकारी क्षेत्र को दी जानेवाली सहायता और प्रत्यक्ष ऋण सम्मिलित नही थे।

सब मिलाकर 18 82 अर्ब रुपये की व्यवस्था अपेक्षित थी, जबकि कुल 15.2 अर्ब रुपये की ही व्यवस्था की जा सकी थी। परियोजनाओ की रिपोर्टों के आधार पर सविस्तर जानकारी उपलब्ध होने के फलस्वरूप 'तीसरी योजना—मध्य-अवधीय मूल्याकन' में प्राक्कलित लागत में वृद्धि सामान्यत. औद्योगिक विकास के क्षेत्र मे 16 3 अर्ब रुपये तथा खनिज-विकास के क्षेत्र मे 6.62 अर्ब रुपये की रहेगी। सरकारी क्षेत्र मे इसी प्रकार क्रमशः 12 25 अर्ब रु० तथा 5 29 अर्ब रु० का विनियोग होगा।

औद्योगिक उत्पादन

1950-51 तथा 1964-65 का वास्तविक औद्योगिक उत्पादन नीचे दी गई सारणी में दिखाया गया है। औद्योगिक उत्पादन के सूचनांक अगली सारणी में दिए गए हैं।

सारणी 24

चुने हुए उद्योगों का उत्पादन

	1950-51	1964-65
1—खनिज		
1. कोयला (मीट्रिक टन) . .	3,28,00,000	6,44,00,000
2. खनिज लोहा (मीट्रिक टन) .	30,00,000	1,51,00,000
2—धातुकर्म-उद्योग		
3. कच्चा लोहा (मीट्रिक टन) .	16,00,000	66,70,000
4. इस्पात-पिण्ड (मीट्रिक टन) .	15,00,000	61,40,000
5. तैयार इस्पात (मीट्रिक टन) .	10,00,000	44,30,000
6. इस्पात साचा (मीट्रिक टन) .	—	55,000
7. अल्युमीनियम (मीट्रिक टन) .	4,000	54,100
8. तांबा (मीट्रिक टन) .	7,100	9,400
3—मशीनी इंजीनियरी-उद्योग		
9 मशीनी औजार (रुपये) .	30,00,000	25,70,00,000
10. मालगाड़ी के डिब्बे .	—	24,200
11. मोटरगाडिया . . .	16,500	70,800
(क) व्यापारिक . .	8,600	36,800
(ग) मोटरकार . .	7,900	34,000
12. मोटर साइकिल तथा स्कूटर .	—	37,400
13. बिजली से चलनेवाले पम्प .	35,000	1,84,000
14. डीज़ल-इंजिन . .	5,500	74,100
15. बाइसिकिल . .	99,000	14,42,000
16. सिलाई-मशीनें . .	33,000	3,30,000
4—बिजली-इंजीनियरी-समान-उद्योग		
17. बिजली के टासफार्मर (के० वी० एम्प्लीफायर) . .	1,80,000	35,90,000
18. बिजली के मोटर (अश्व-शक्ति) .	99,000	14,36,000
19. बिजली के पंखे . .	2,00,000	12,75,000
20. बिजली के बल्ब . .	1,40,00,000	6,81,00,000
21. रेडियो-सेट . . .	54,000	5,12,000

सारणी 24 (क्रमशः)

	1950-51	1064-65
22. बिजली के केबल तथा तार		
(क) अल्युमीनियम के (मीट्रिक टन)	1,700	48,800
(ख) तांबे के (मीट्रिक टन)	5,000	5,300
5—रसायन तथा सम्बद्ध उद्योग		
23 नत्रजन-उर्वरक (मीट्रिक टन) .	9,000	2,33,000
24 फॉस्फेटयुक्त उर्वरक (मीट्रिक टन)	9,000	1,31,000
25. गन्धक अम्ल (मीट्रिक टन)	1,01,000	6,95,000
26 सोडा ऐश (मीट्रिक टन) .	45,000	2,86,000
27 कास्टिक सोडा (मीट्रिक टन)	12,000	1,92,000
28. कागज़ तथा गत्ता (मीट्रिक टन) .	1,16,000	4,94,000
29. रबड़ के टायर तथा ट्यूब		
(क) मोटरगाड़ियों के .	उपलब्ध नहीं	21,50,000
(ख) साइकिलों के	उपलब्ध नहीं	1,64,50,000
30 सीमेण्ट (मीट्रिक टन) . .	27,00,000	98,00,000
31. रिफ्रैक्टरिया (मीट्रिक टन)	2,37,000	6,91,000
32 पेट्रोलियम-उत्पादन (मीट्रिक टन)	2,00,000	84,00,000
6—वस्त्र-उद्योग		
33. पटसन की वस्तुएं (मीट्रिक टन) .	8,37,000	12,92,000
34. सूती धागा (किलाग्राम)	53,40,00,000	96,70,00,000
35. सूती-वस्त्र (मीटर) .	4,21,50,00,000	7,74,50,00,000
(1) मिल का (मीटर)	3,40,10,00,000	4,67,60,00,000
(2) विकेन्द्रित (मीटर) .	81,40,00,000	3,06,90,00,000
36. रेयन-धागा (मीट्रिक टन)	2,100	72,200
37. ऊनी वस्त्र		
(1) ऊन (किलोग्राम)	87,00,000	2,03,00,000
(2) वस्त्र (मीटर)	1,11,10,000	1,12,00,000
7—खाद्य-पदार्थ		
38. चीनी (मीट्रिक टन)		
(नवम्बर-अक्तूबर) .	11,30,000	32,60,000
39. चाय (किलोग्राम) .	27,70,00,000	37,30,00,000
40. कहवा (मीट्रिक टन)	21,000	63,400
41. वनस्पति (मीट्रिक टन) .	1,70,000	3,66,000
8—बिजली (उत्पादित) (नील* किलो० घण्टे)	0.53	2.9

*1 नील=100 खर्ब

सारणी 25

औद्योगिक उत्पादन के सूचनांक

(आधार वर्ष 1956=100)

	1951	1965 (जन०-अक्तू०)*
सामान्य सूचनांक	73 5	184 0†
खनन तथा संग्रह	87 0	181 9
खाद्य-निर्माण	79 6	144 6
सिगरेट	81 6	210 0
सूती वस्त्र	80 1	123 3
ऊनी वस्त्र	70 7	110 8
कृत्रिम सूत	64.8	219 9
पटसन की वस्तुएं	78.8	125 9
जूते (चमड़े के)	91 5	237 0
लकड़ी तथा कार्क	55.3	229 9
कागज तथा कागज की वस्तुएं	66 5	248 1
चमड़े तथा फर से बनी वस्तुएं (जूते तथा पहनने के अन्य वस्त्रों को छोड़कर)	109 5	139 9
रबड की वस्तुएं	75 4	218 2
रासायनिक पदार्थ तथा रासायनिक वस्तुएं	72.9	237 6
पेट्रोलियम-वस्तुएं	6 4	229 5
धातु-भिन्न खनिज पदार्थ	64 4	231.5
मूल धातुएं	83 5	269 2
धातु से बनी वस्तुएं	54 4	241.7
मशीनें (बिजली की मशीनों को छोड़कर)	45 2	480 3
बिजली के उपकरण, मशीनें आदि	43.6	310.6
परिवहन-उपकरण	46.1	204 2
विद्युत्	60 9	322.3

*अस्थायी

†मौसम के अनुसार समंजित

मुख्य उद्योग

सूती वस्त्र

1947 में भारत में 1 अर्ब 29 करोड़ 60 लाख पौण्ड सूत तथा 3 अर्ब 76 करोड़ 20 लाख गज सूती वस्त्र बना था । तब से अब तक सूत तथा सूती वस्त्र के उत्पादन में अच्छी प्रगति हुई है । 1961 के आरम्भ में वस्त्र-उद्योग में लगभग 1.22 अर्ब रुपये की पूंजी लगी हुई थी जिसमें इस समय लगभग 10 लाख लोगों को काम मिला हुआ है । भारत में इस समय 562 सूती वस्त्र-मिलें हैं जिनमें 1 57 करोड़ तकुए तथा 2.04 लाख करघे लगे हुए हैं।

1965 में 38 नए एकाशों की स्थापना तथा 56 एकाशो के पर्याप्त विस्तार के लिए लाइसेंस दिए गए। 14 नई मिलें स्थापित की गईं। सूती वस्त्र-उद्योग के क्षेत्र में सहकारी मिलें भी स्थापित हो चुकी हैं।

1965 में अनुमानतः 4.606 अर्ब मीटर सूती वस्त्र तथा 94 करोड़ किलोग्राम सूत का उत्पादन हुआ । हथकरघों तथा बिजली के करघो से 3 अर्ब मीटर वस्त्र तैयार हुआ । तीसरी-योजना की अवधि में आधुनिकीकरण तथा पुनःसस्थापन पर 81 62 करोड़ रु० व्यय किए गए ।

पटसन

1961 के वार्षिक उद्योग-सर्वेक्षण के अनुसार भारत में पटसन की 96 मिलें थी जिनमें से 95 मिलो में (जिनमें से विवरण प्राप्त हुए) कुल मिलाकर 71 59 करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई थी । इनमें 2,25,317 व्यक्ति काम पर लगे हुए थे।

1965 में 13 9 लाख मीट्रिक टन पटसन की वस्तुओ का उत्पादन हुआ ।

1964 में पटसन-उद्योग तथा व्यापार ने तीसरी योजना के उत्पादन तथा निर्यात-लक्ष्यो से आगे निकलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया । उत्पादन 13 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य से 24,000 मीट्रिक टन अधिक तथा निर्यात 1.61 अर्ब रुपये के मूल्य के 10 लाख मीट्रिक टन (लक्ष्य से एक लाख मीट्रिक टन अधिक) के रहे। 1965 में उत्पादन 13.9 लाख मीट्रिक टन तथा निर्यात 1 84 अर्ब रुपये के मूल्य के 10 लाख मीट्रिक टन के रहे।

कताई-व्यवस्था का आधुनिकीकरण-कार्य पूरा हो चुका है । पटसन-उद्योग के सम्बन्ध में सभी महत्वपूर्ण विषयो पर सरकार को परामर्श देने के लिए सितम्बर 1964 में एक पटसन-वस्त्र-सलाहकार मण्डल स्थापित किया गया।

चीनी

आरम्भ से लेकर अब तक चीनी-उद्योग ने जो उन्नति की है, उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1931-38 में भारत में चीनी की कुल 32 मिलें थी जिनमें 1.6 लाख टन चीनी बनाई गई थी परन्तु 1960-61 में चीनी की 175 मिलें थीं जिनमें 30 29 लाख मीट्रिक टन चीनी तैयार की गई। 1964-65 में अब तक सबसे अधिक 32.58 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ और 1965 में 2.62 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया गया।

सीमेण्ट

भारत में पोर्टलैण्ड सीमेण्ट का उत्पादन 1904 में मद्रास में आरम्भ हुआ । इस उद्योग का वास्तविक विकास 1912-13 में तीन कम्पनियों के निर्माण के साथ हुआ। 1965-66 के अन्त में देश में सीमेण्ट-उद्योग की कुल वार्षिक प्रस्थापित क्षमता अनुमानत: 1.26 करोड़ मीट्रिक टन की थी। 1965 में 1.058 करोड़ मीट्रिक टन सीमेण्ट का उत्पादन हुआ । तीसरी पचवर्षीय योजना के लिए सीमेण्ट-उद्योग की प्रस्थापित क्षमता का लक्ष्य 1.524 करोड़ मीट्रिक टन तथा इसके उत्पादन का लक्ष्य 1.321 मीट्रिक टन निर्धारित किए गए थे।

देश में चने के भण्डारों का सर्वेक्षण करने, उनका अनुमान लगाने तथा जाच करने; सीमेण्ट-उत्पादन-क्षमता निर्धारित करने और सभी सहायक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारतीय सीमेण्ट-निगम (सरकारी कम्पनी) की स्थापना की गई ।

एस्बस्टस सीमेण्ट की प्रस्थापित क्षमता 4 16 लाख मीट्रिक टन है जिसमें 2.8 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि को स्वीकृति मिल चुकी है तथा कार्य जारी है । 1965 में 4 27 लाख मीट्रिक टन एस्बस्टस सीमेण्ट का उत्पादन हुआ ।

कागज तथा गत्ता

भारत में मशीन से कागज बनाने का काम 1870 में कलकत्ता के निकट स्थापित बालि-मिलों के साथ आरम्भ हुआ। दूसरे महायुद्ध के समय में इनकी सख्या बढकर 15 हो गई तथा 1944 में कुल उत्पादन 1,03,884 टन का हुआ । 1950 से इस उद्योग मे काफी प्रगति हुई जिसकी प्रस्थापित क्षमता बढ़कर 5 54 लाख मीट्रिक टन हो गई है । इस समय क्षमता अनुमानतः 6.66 लाख मीट्रिक टन की है । 1950 में कुल 1 09 लाख टन कागज तथा गत्ते का उत्पादन हुआ जो बढते-बढ़ते 1965 में अनुमानत 5.2 लाख मीट्रिक टन हो गया।

भारत में समाचारपत्र-कागज बनाने का सबसे पहला कारख़ाना 1947 में नेपा-नगर (मध्यप्रदेश) मे चालू हुआ । 1948 में मध्यप्रदेश-सरकार ने इसे अपने नियन्त्रण में ले लिया। 1958 में इसके पुनर्गठन के बाद भारत-सरकार तथा मध्यप्रदेश-सरकार की इसमें क्रमश. 2 55 करोड़ रु० तथा 1.7 करोड़ रु० की अंश-पूजी रही। इस कारखाने में कागज बनाने का काम जनवरी 1955 में आरम्भ हुआ । इसकी कुल प्रस्थापित क्षमता 30,000 मीट्रिक टन है जिसे बढ़ाकर 75,000 मीट्रिक टन करने का विचार किया गया है । तीसरी योजना का लक्ष्य 1.5 लाख मीट्रिक टन की प्रस्थापित क्षमता का रखा गया है। 1955-56 में इस कारखाने में 3,455 मीट्रिक टन कागज बना। यह परिमाण 1962-63 में 26,515 मीट्रिक टन तक जा पहुचा। अप्रैल 1965-जनवरी 1966 में उत्पादन 25,274 मीट्रिक टन का रहा ।

फोटो-फिल्में

11 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से उदकमण्लम् में एक फ्रासीसी संस्था के सहयोग से सरकार-द्वारा नवम्बर 1960 में स्थापित 'हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स

मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड' में 1966 से एक्स-रे-फिल्म, ग्राफिक आर्ट-फिल्म तथा फोटो-फिल्म तैयार किए जाने की आशा थी।

लोहा तथा इस्पात

आधुनिक रीति से लोहा तथा इस्पात बनाने का पहला प्रयास 1830 में दक्षिण-आर्काट में किया गया था जो असफल रहा। फिर 1874 में झरिया की कोयला-खानों के निकट 'बराकर-आयरन-वर्क्स' नाम से एक कारखाना स्थापित किया गया जिसे 1889 में 'बंगाल-आयरन ऐण्ड स्टील-कम्पनी' ने अपने अधिकार में ले लिया। 1900 में इस कारखाने में कुल उत्पादन 35,560 टन का हुआ। साक्ची (बिहार) में 1907 में स्व० जमशेदजी टाटा-द्वारा स्थापित 'टाटा-आयरन ऐण्ड स्टील-कम्पनी' ने 1911 में कच्चे लोहे तथा 1913 में इस्पात का उत्पादन किया। इसके अतिरिक्त 1908 में आसान-सोल (बंगाल) के निकट हीरापुर में 'इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील-कम्पनी' तथा 1923 में भद्रावती में 'मैसूर-स्टेट-आयरन-वर्क्स' (अब 'मैसूर-आयरन ऐण्ड स्टील लिमिटेड') की स्थापना हुई। 1939 तक इस्पात तथा कच्चे लोहे का वार्षिक उत्पादन क्रमश 8 लाख तथा 18 लाख टन तक जा पहुचा। दूसरे महायुद्ध से इस उद्योग को और गति मिली। 1965 में 45.32 लाख मीट्रिक टन तैयार इस्पात तथा 69 56 लाख मीट्रिक टन कच्चे लोहे का उत्पादन हुआ।

दूसरे योजना-काल में वर्तमान इस्पात-कारखानों—'टाटा-आयरन ऐण्ड स्टील-कम्पनी' तथा 'इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील-कम्पनी' की क्षमता बढाने का लक्ष्य रखा गया था। 'टाटा-आयरन ऐण्ड स्टील-कम्पनी' का तैयार इस्पात का उत्पादन बढाकर 15 लाख मीट्रिक टन तथा 'इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील-कम्पनी' का उत्पादन बढाकर 8 लाख मीट्रिक टन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। दोनो का विस्तार-कार्यक्रम पूरा हो चुका है। टाटा का उत्पादन-लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया है। चौथी योजना की अवधि में टाटा-कम्पनी के उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना है तथा इण्डियन-कम्पनी के उत्पादन में वृद्धि करने की योजना भी स्वीकार कर ली गई है। 'मैसूर-आयरन वर्क्स' का उत्पादन बढाकर 1 लाख मीट्रिक टन करने का विस्तार-कार्यक्रम भी पूरा हो गया है। जून 1961 में पंजीकृत 'मैसूर-आयरन ऐण्ड स्टील लिमिटेड' ने अप्रैल 1962 में मैसूर-वर्क्स की व्यवस्था स्वयं सम्हाल ली। सरकार ने 24 लाख मीट्रिक टन की कुल क्षमता को स्वीकृति दे दी है जो चौथी योजना के अन्त तक प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

दूसरे पंचवर्षीय योजना-काल में सरकारी क्षेत्र में दस-दस लाख टन सिल्लियों की उत्पादन-क्षमतावाले 3 इस्पात-कारखाने राउरकेला (उड़ीसा), भिलाई (मध्यप्रदेश) तथा दुर्गापुर (पश्चिम-बंगाल) में स्थापित किए गए। इन तीनो इस्पात-कारखानों का प्रबन्ध सरकारी कम्पनी 'हिन्दुस्तान-स्टील लिमिटेड' के अधीन है जिसकी अधिकृत पूंजी 6 अर्ब रुपये की है।

राउरकेला-कारखाने का विस्तार-कार्य 1967 के मध्य तक पूरा होने की आशा है। भिलाई-कारखाने के विस्तार का कार्य 1966 के मध्य तक पूरा होने की आशा थी तथा दुर्गापुर-कारखाने का 1966 के अन्त तक।

एक अन्य इस्पात-कारखाना जनवरी 1965 में हुए एक करार के अधीन सोवियत रूस के प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग से बोकारो में भी खोला जा रहा है । इसके पूर्व 1 अर्ब रु० की प्रारम्भिक अंश-पूंजी के साथ 'बोकारो-स्टील लिमिटेड' नामक एक नई कम्पनी स्थापित की गई थी । परियोजना की सविस्तार रिपोर्ट रूस से दिसम्बर 1965 में मिली । यह परियोजना दो चरणो में पूरी होगी । रूस-सरकार ने 1.9 करोड़ रूबल का ऋण देने का प्रस्ताव रखा है जो 12 वर्षों में लौटाए जाएंगे । निर्माणकार्य 1966 के मध्य में आरम्भ होकर इसके पहले चरण के कार्य के 1969 में पूरे होने की आशा है ।

विशेष तथा मिश्रित इस्पात का उत्पादन देश में दूसरी-योजना में भी हुआ । तीसरी योजना में इस पर विशेष ध्यान दिया गया । चौथी-योजना के अन्त में 5 लाख मीट्रिक टन की माग का अनुमान है । 'हिन्दुस्तान-स्टील लिमिटेड' की मिश्रित इस्पात-परियोजना का उत्पादन-कार्य 1967 में आरम्भ होगा ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात-कारखानों को धुला कोयला उपलब्ध करने के लिए 'हिन्दुस्तान-स्टील लिमिटेड' के दुर्गापुर, दुगडा पाथरदिह तथा भोजुडिह में अपने कोयला-धुलाईघर है । दुगडा में दूसरे एकाश के 1966 के अन्त तक पूरा तैयार हो जाने की आशा थी । धुला हुआ कोयला राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम के करगलि-धुलाईघर से भी प्राप्त होता है ।

चौथी योजना के प्रस्ताव में 1.65 करोड मीट्रिक टन इस्पात-पिण्ड, 35 लाख मीट्रिक टन फाउण्ड्री-योग्य लौहपिण्ड तथा 5 लाख मीट्रिक टन की मिश्रित इस्पात की तैयार वस्तुओ के उत्पादन का लक्ष्य रखने का विचार है । इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्तमान इस्पात-कारखानो का पूरा-पूरा विस्तार तथा बोकारो-इस्पात-कारखाने के अतिरिक्त एक नया कारखाना और स्थापित किया जाएगा ।

इंजीनियरी

सरकार 1947 से इंजीनियरी-उद्योग का विकास करने के लिए विशेष प्रयास करती आ रही है तथा अनेक वस्तुओं के सम्बन्ध मे भारत स्वावलम्बी हो चुका है । इस समय देश में प्रतिवर्ष 2 अर्ब रु० के मूल्य की औद्योगिक मशीनें बनाई जाती हैं ।

1965 में लगभग सभी प्रकार की औद्योगिक मशीनो का उत्पादन 1964 की तुलना मे अधिक रहा । इसी प्रकार विद्युत् तथा हल्की मशीनो के उद्योगो में भी काफी वृद्धि हुई ।

इस्पात तथा अन्य कच्चे माल की पूर्ति मे वृद्धि होते रहने से मशीन-निर्माण-उद्योग गति पकड़ रहा है । उद्योगो के लिए आवश्यक बुनियादी कच्चे माल तथा पुर्जों का उत्पादन करनेवाले उद्योगो की स्थापना पर बल दिया गया है ।

भारत-सरकार ने 1952 में नाहन-फाउण्ड्री, जिसकी स्थापना 1872 मे एक गैर-सरकारी सगठन-द्वारा की गई थी, भूतपूर्व सिरमौर-रियासत से अपने अधिकार में ले ली तथा उसकी व्यवस्था एक सरकारी कम्पनी को सौंप दी जिसकी अधिकृत पूजी 1 करोड़ रु० की है । फाउण्ड्री में मुख्यत: कृषि-औजार तैयार किए जाते हैं । आधुनिकीकरण तथा विविध प्रकार के उत्पादन की व्यवस्था हो जाने के बाद फाउण्ड्री में विभिन्न

प्रकार की विद्युत्-मोटरो का निर्माण भी आरम्भ हुआ । सितम्बर 1964 में इसका प्रशासनिक नियन्त्रण हिमाचलप्रदेश-सरकार को सौंप दिया गया ।

भारत में खराद-मशीनें सबसे पहले मई 1956 में बंगलोर के निकट जालहल्लि-स्थित मशीनी औज़ार-कारखाने में तैयार की गई । यह कारखाना अब सरकारी 'हिन्दुस्तान-मशीन-टूल्स लिमिटेड' कहलाता है। दूसरे मशीनी औज़ार-निर्माण-एकाश के निर्माण की परियोजना मई 1961 में पूरी हो गई। इन दोनों एकाशो मे अप्रैल-दिसम्बर 1965 में 1,023 मशीनो का निर्माण हुआ जिनका मूल्य 5.78 करोड रुपये था । पजाब में पिंजौर नामक स्थान पर स्थापित किए गए दूसरे मशीनी-औज़ार-कारखाने मे अक्तूबर 1963 में काम चालू हो गया तथा अप्रैल-दिसम्बर 1965 मे इसमें 130 मशीनो का निर्माण हुआ । कलमश्शेरि (केरल) के कारखाने में अक्तूबर 1964 में काम आरम्भ हो गया तथा अप्रैल-दिसम्बर 1965 में 222 मशीनो का निर्माण हुआ। हैदराबाद के कारखाने में परीक्षण के तौर पर दिसम्बर 1965 में काम आरम्भ हुआ। हिन्दुस्तान-मशीन-टूल्स का चौथी योजना की अवधि मे पाच कारखाने और स्थापित करने का विचार है । 2.5 करोड रु० की लागत से नवम्बर 1962 मे पूरे हुए इस संस्था के घड़ी-कारखाने में, जिसमें प्रतिवर्ष 2,40,000 घड़िया बनाई जाएगी, अप्रैल-दिसम्बर 1965 में 1,22,203 घडिया तैयार हुई ।

चेकोस्लोवाकिया की सहायता से राची में एक भारी मशीन-औज़ार-सयन्त्र स्थापित किया जा रहा है। निर्माणकार्य आरम्भ हो गया है तथा उपकरण प्राप्त हो रहे हैं।

1.22 करोड रु० की अनुमानित लागत से बगलोर में केन्द्रीय मशीनी औज़ार-सस्था की स्थापना की गई जो डिजाइनिंग, प्रशिक्षण, मानकीकरण, प्रोटोटाइप-निर्माण, अनुसन्धान आदि का कार्य करेगी । सिकन्दराबाद के प्रागा-औज़ार-कारखाने ने 1963-64 में 1.05 करोड रुपये के मूल्य के औज़ारो का निर्माण किया। दिसम्बर 1963 से यह कारखाना प्रतिरक्षा-उपकरण तथा सामग्री के निर्माण के लिए प्रतिरक्षा-उत्पादन-विभाग के नियन्त्रण में कर दिया गया।

डाक तथा तार-विभाग की टेलीफोन-तारो की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रूप-नारायणपुर (पश्चिम-बगाल) में स्थापित 'हिन्दुस्तान-केबल्स-फैक्टरी' में 1954 में उत्पादन आरम्भ हुआ । इस कारखाने में जनवरी-सितम्बर 1965 मे लगभग 3.35 करोड रुपये के मूल्य के 6,945 किलोमीटर लम्बे केबल-तारो का निर्माण हुआ । इस कारखाने का विस्तार किया जाना है ।

कलकत्ता-स्थित 'नेशनल इन्स्ट्रूमेण्ट्स-फैक्टरी' 1830 में स्थापित हुई थी। जून 1957 में इस कारखाने को 'नेशनल इन्स्ट्रूमेण्ट्स लिमिटेड' नामक सरकारी कम्पनी में परिवर्तित कर दिया गया। इसमे अनेक प्रकार के वैज्ञानिक तथा सूक्ष्म पुर्जे तैयार होते है। 1964 में इस कारखाने मे 98.42 लाख रु० के मूल्य के पुर्जे बने। दुर्गापुर में 4 करोड़ रुपये की लागत से ऐनक के काच बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है। इसे भी 'नेशनल इन्स्ट्रूमेण्ट्स लिमिटेड' के अधीन कर दिया गया है। इस कारखाने का निर्माणकार्य जारी है ।

मार्च 1964 में पंजीकृत 'इन्स्ट्रूमेण्टेशन लिमिटेड' नामक नई कम्पनी सोवियत रूस के सहयोग से कोटा में सूक्ष्म औजार-सयन्त्र तथा पालकाड (केरल) में मशीनी औजार-संयन्त्र स्थापित करेगी ।

चित्तरंजन-रेल-इंजिन-कारखाने के विकास-कार्यक्रम में इस्पात का एक भारी ढलाई-कारखाना लगाने का कार्यक्रम सम्मिलित है जिससे भारतीय रेलो की तत्सम्बन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति देश में ही हो सके। तदनुसार 10,000 मीट्रिक टन की उत्पादन-क्षमतावाला एक ढलाई-कारखाना स्थापित किया जा रहा है । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम के कार्यक्रम में भी ऐसे कारखाने खोलने के लिए व्यवस्था सम्मिलित है।

बिजली के भारी उपकरणो के निर्माण के लिए अगस्त 1956 मे 'हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड' नामक एक सरकारी कम्पनी स्थापित की गई। तत्सम्बन्धी कारखाना भोपाल मे खोला जा रहा है। इस कारखाने के कुछ भागों में जुलाई 1960 से कार्य आरम्भ हो गया। 1964-65 में 6.11 करोड रु० के मूल्य की वस्तुओ का उत्पादन हुआ । रानीपुर (हरिद्वार) मे सोवियत रूस की सहायता से भारी बिजली-उपकरण-सयन्त्र लगाया जा रहा है । चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित की जानेवाली हैदराबाद के निकट रामचन्द्रपुरम् तथा तिरुवेरुम्बूर् की दो परियोजनाओ की रिपोर्टें भी स्वीकार की जा चुकी है। दोनो परियोजनाओं के लिए आवश्यक अधिकाश मशीनें आ चुकी है तथा इनका आंशिक उत्पादन-कार्य 1965 मे आरम्भ हो गया।

भारी औद्योगिक मशीनो के निर्माण की व्यवस्था अक्तूबर 1954 में स्थापित राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम (एक सरकारी कम्पनी) विशेष रूप से कर रहा है। निगम ने अनेक परियोजनाओ की जाच का कार्य पूरा कर लिया है। बिहार में राची के निकट हटिया में एक भारी मशीन-निर्माण-संयन्त्र और दुर्गापुर (पश्चिम-बंगाल) मे एक कोयला-खनन-मशीन-सयन्त्र तथा ऐनको के काच बनाने का कारखाना स्थापित करने मे सहायता प्राप्त करने के लिए 1957 में रूस-सरकार के साथ एक करार किया गया। भारी-मशीन-निर्माण-सयन्त्र के पास ही चेकोस्लोवाकिया की सहायता से ढलाई-कारखाना भी खोला जाएगा । इन परियोजनाओ के प्रशासन के लिए दिसम्बर 1958 मे एक 'हैवी इजीनियरिग कार्पोरेशन' (अधिकृत पूजी 50 करोड़ रु०) की स्थापना की गई। चेकोस्लोवाकिया-सरकार के सहयोग से स्थापित किया जानेवाला 10 हज़ार मीट्रिक टन की क्षमता का भारी मशीनी औजार-निर्माण-कारखाना भी इस निगम के अधीन होगा। रांची के कारखाने की स्थापना की दिशा में सन्तोषजनक प्रगति हुई है। 1965 में 6,680 मीट्रिक टन के भार की कई वस्तुओं का निर्माण हुआ।

कोयला-खनन-मशीन-परियोजना अप्रैल 1965 में स्थापित खनन तथा सम्बद्ध मशीन-परियोजना के अधीन आ गई है । कोयला-खनन-मशीन-परियोजना के लिए आवश्यक 1,021 मशीनी औज़ारों में से 832 लगा दिए गए हैं। ढलाई-कारखाने की स्थापना में काफी प्रगति हुई है ।

रेल-इंजिन तथा सवारीडिब्बे

सरकार ने रेल-इंजिनों तथा डिब्बो के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होने की दृष्टि से रेल-मन्त्रालय के अधीन चित्तरंजन (पश्चिम-बंगाल) मे रेल-इंजिन-कारखाना, वाराणसी

(उत्तरप्रदेश) में डीजल-रेल-इंजिन-कारखाना तथा पेरम्बूर् (मद्रास) में जोड़हीन सवारीडिब्बा-कारखाना स्थापित किए हैं।

चित्तरंजन-रेल-इंजिन-कारखाने में प्रतिवर्ष स्टैण्डर्ड किस्म के 200 से अधिक इंजिनों के बराबर डब्ल्यूजी, डब्ल्यूटी, डब्ल्यूपी तथा डब्ल्यूएल किस्म के इंजिन तैयार किए जाते हैं। अब तक इस कारखाने से लगभग 2,000 रेल-इंजिन प्राप्त हो चुके हैं। 1965-66 में 138 इंजिनों के निर्माण की आशा थी। बिजली से चलनेवाले रेल-इंजिनों का निर्माण 1961 में आरम्भ हुआ तथा 1965 के अन्त तक 48 ए०सी० बिजलीवाले रेल-इंजिनों का उत्पादन हुआ। इस समय प्रतिवर्ष बिजली के 60 रेल-इंजिनों का निर्माण होता है। 1966-67 के अन्त तक प्रतिवर्ष 150 बिजली-रेल-इंजिनों के उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लिए जाने की आशा है।

इसी कारखाने में स्थापित 10,200 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमतावाले इस्पात-ढलाई-कारखाने का काम नवम्बर 1963 में आरम्भ हुआ और जुलाई 1965 से प्रतिमास 600 मीट्रिक टन का उत्पादन होने लगा। निर्धारित क्षमता 1966 के अन्त तक प्राप्त कर लिए जाने की आशा थी। इसका काम आरम्भ होने से तीसरी-योजना के चौथे वर्ष के अन्त तक इसमें 1,725 अतिरिक्त बायलरों का निर्माण हुआ।

वाराणसी में स्थापित किए गए प्रतिवर्ष बड़ी लाइन के 150 डीजल-बिजली-रेल-इंजिनों की क्षमता के डीजल रेल-इंजिन-कारखाने में आयात किए गए पुर्जों को जोड़कर रेल-इंजिन तैयार करने से काम आरम्भ हुआ। पहला रेल-इंजिन जनवरी 1964 में तैयार हुआ। 1965 के अन्त तक 12 रेल-इंजिन जोड़कर तैयार कर दिए गए तथा 37 इंजिनों का निर्माण हुआ। प्रतिवर्ष 150 रेल-इंजिनों के निर्माण का लक्ष्य 1967 के अन्त में प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

सरकारी सहायता-प्राप्त 'टाटा-इंजीनियरिंग ऐण्ड लोकोमोटिव-वर्क्स' में मध्यम लाइन के प्रतिवर्ष 60-65 रेल-इंजिन बनाए जाते हैं। 1964-65 में इस कारखाने में 68 वाष्प-रेल-इंजिन बने। भारत वाष्प से चलनेवाले रेल-इंजिनों के बारे में स्वावलम्बी हो गया है तथा अब वह इनका निर्यात भी कर सकेगा। मालडिब्बों तथा सवारी-डिब्बों की भी यही स्थिति है।

पेरम्बूर्-स्थित जोड़हीन सवारीडिब्बा-कारखाने में उत्पादन-कार्य अक्तूबर 1955 में आरम्भ हुआ। तब से अब तक इस कारखाने से 4,700 सवारीडिब्बे प्राप्त हो चुके हैं। 1957-58 में कारखाने में सम्मिलित किए गए उपस्करण-एकांश ने 1965 के अन्त तक 2,700 सवारीडिब्बे पूरे किए। इसके अतिरिक्त 'भारत-अर्थमूवर्स लिमिटेड' (भूतपूर्व 'हिन्दुस्तान-एअरक्राफ्ट लिमिटेड') प्रतिवर्ष बड़ी लाइन के लगभग 300 सवारीडिब्बे और गैरसरकारी क्षेत्र की 'जेसप्स' नामक कम्पनी प्रतिवर्ष मध्यम लाइन के लगभग 300 सवारीडिब्बे तथा बड़ी लाइन के बिजली के 70 सवारीडिब्बे तैयार करती है।

रेलों की मालडिब्बा-सम्बन्धी आवश्यकता अधिकांशतः गैरसरकारी क्षेत्र के उत्पादन से पूरी होती है जिसकी वर्तमान वार्षिक उत्पादन-क्षमता लगभग 36,000-38,000 मालडिब्बों की है। मरम्मत-कारखानों में भी प्रतिवर्ष लगभग 7,000 मालडिब्बों की मरम्मत कर दी जाती है।

जहाज-निर्माण

सरकार ने मार्च/1952 में 'सिन्धिया-स्टीमशिप-नेवीगेशन-कम्पनी' से विशाखा-पटनम् का जहाज-निर्माण-कारखाना खरीदकर उसका प्रबन्ध-भार 'हिन्दुस्तान-जहाज-निर्माणघाट (लिमिटेड)' को सौंप दिया। अब इसकी कुल अंश-पूंजी सरकार की है। यह कारखाना डीज़ल से चलनेवाले चार आधुनिक जहाज प्रतिवर्ष बना सकता है। इस कारखाने में बना पहला जहाज मार्च 1948 में पानी में उतारा गया। इस कारखाने की व्यवस्था अब पूर्णतः भारतीयों के हाथ में है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कारखाने मे 75,000 से 90,000 सकल टन-भार तक के जहाज तैयार करने का विचार था। तीसरी योजना की अवधि में 2.44 करोड़ रु० की अनुमानित लागत का एक विकास-कार्यक्रम तैयार किया गया। सरकार 1967-68 से प्रतिवर्ष 12,300-12,300 डीडब्ल्यूटी के 6 जहाजों के निर्माण की क्षमता कर देने के लिए इसके पुनर्गठन का विचार कर रही है। चौथी योजना के कार्यक्रम पर 12.9 करोड़ रु० का व्यय होने की सम्भावना है।

कोचीन मे दूसरा जहाज-निर्माण-कारखाना स्थापित करने का प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किया जा चुका है जिसकी प्रारम्भिक निर्माण-क्षमता 60,000 सकल टन-भार प्रतिवर्ष होगी तथा बाद में यह बढ़कर 80,000 सकल टन-भार प्रतिवर्ष कर दी जाएगी। तीसरी योजना में इसके लिए 20 करोड रुपये की व्यवस्था रखी गई थी। फरवरी 1965 मे जापान की एक संस्था 'मित्सुबिशि हैवी इण्डस्ट्रीज' के साथ कारखाने-वाले स्थान के सर्वेक्षण तथा परियोजना-सम्बन्धी सविस्तर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर हुए।

विमान

'हिन्दुस्तान-एअरोनौटिक्स लिमिटेड' से सम्बन्धित विस्तृत विवरण 'प्रतिरक्षा' शीर्षक अध्याय मे देखिए।

रासायनिक पदार्थ तथा ओषधियां

प्रथम महायुद्ध से भारतीय रसायन-उद्योग को बड़ी गति मिली। फिर भी द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने तक रासायनिक पदार्थों के लिए भारत आयात पर ही निर्भर करता था। इस महायुद्ध ने इस उद्योग को और गति प्रदान की। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद रसायन-उद्योग का काफी विकास हुआ। इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र में सिन्दरी-कारखाने की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। गैर-सरकारी क्षेत्र में 1946-50 में देश में रसायन-उद्योग की 60 कम्पनियां स्थापित हुई। तीसरी योजना की अवधि में गन्धक अम्ल, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश तथा कैल्शियम कार्बाइड आदि के उत्पादन में वृद्धि होती रही। कुछ रासायनिक पदार्थों का निर्माण भारत में पहली बार हुआ। प्लास्टिक की वस्तुओं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

भारत-सरकार ने संयुक्त राष्ट्र-संघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-कोष तथा विश्व-स्वास्थ्य-संगठन की सहायता से डीडीटी बनाने का एक कारखाना दिल्ली में स्थापित किया जिसकी अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रु० की है। इस कारखाने का उत्पादन-कार्य अप्रैल 1955 में आरम्भ हुआ तथा 1958 में इसकी उत्पादन-क्षमता दुगुनी हो गई।

1964-65 में इसमे 1,480 मीट्रिक टन डीडीटी का उत्पादन हुआ। केरल-राज्य के आलुवाय (अल्वाए) नामक स्थान पर स्थापित दूसरे डीडीटी-कारखाने (पूजी-लागत 97 लाख रु०) में भी जुलाई 1958 से उत्पादन आरम्भ हो चुका है तथा 1964-65 में इसमें 1,244 मीट्रिक टन डीडीटी का उत्पादन हुआ। दिल्ली तथा आलुवाय के कारखानों के विस्तार-कार्यक्रमों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

भारत-सरकार ने पूना के निकट पिम्परी नामक स्थान में एक पेनिसिलीन-कारखाना स्थापित किया। इस कारखाने ने अपना उत्पादन-कार्य अगस्त 1955 में आरम्भ किया। कारखाने की व्यवस्था 'हिन्दुस्तान एन्टीबॉयोटिक्स लिमिटेड' के हाथ में है जिसकी अधिकृत पूजी 4 करोड़ रु० की है। कारखाने मे उत्पादन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जनवरी-अक्तूबर 1965 में 48 538 एमएमयू का उत्पादन हुआ।

पिम्परी में 2.75 करोड़ रुपये की लागत से लगाया गया 40-45 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की आरम्भिक क्षमता का स्ट्रेप्टोमाइसीन-सयन्त्र फरवरी 1963 मे चालू हो गया। इसकी क्षमता दूनी की जा चुकी है। जनवरी-अक्तूबर 1965 मे 46,797 किलोग्राम स्ट्रेप्टोमाइसीन तथा डिहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसीन का उत्पादन हुआ।

टेट्रासाइक्लीन के 1 5 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के उत्पादन के लिए एक मार्गदर्शक संयन्त्र स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष 50 मीट्रिक टन विटामिन 'सी' के उत्पादन के लिए एक संयन्त्र स्थापित करने की योजना स्वीकृत कर ली गई है। इसके लिए पिम्परी में एक मार्गदर्शक सयन्त्र लगाया जा चुका है तथा परीक्षण के तौर पर इसका कार्य आरम्भ हो गया है। 250 किलोग्राम प्रतिवर्ष के हिसाब से हेमाइसिन का भी उत्पादन किया जा रहा है।

उर्वरक

1965 मे देश मे 2,43,884 मीट्रिक टन नत्रजन-उर्वरक का उत्पादन हुआ। सरकार-द्वारा 28 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित सिन्दरी-उर्वरक-कारखाने का उत्पादन-कार्य अक्तूबर 1951 में आरम्भ हुआ। अप्रैल-दिसम्बर 1965 मे इस कारखाने में 2,46,722 मीट्रिक टन अमोनियम सल्फेट तैयार हुआ। कोयला-भट्ठी-सयन्त्र से प्राप्त होनेवाली सम्पूर्ण 1 करोड़ घनफुट गैस का उपयोग करके उत्पादन मे 60 प्रतिशत वृद्धि करने की योजना 15 करोड़ रुपये की लागत से पूरी कर ली गई है। अप्रैल-दिसम्बर 1965 में इस कारखाने मे 14,755 मीट्रिक टन यूरिया तथा 37,898 मीट्रिक टन डबल-साल्ट तैयार हुआ।

नंगल मे 3,88,000 मीट्रिक टन नाइट्रो-लाइमस्टोन तथा 14-15 मीट्रिक टन भारी पानी के वार्षिक उत्पादन के लिए 30 करोड़ रु० की लागत से भारत के उर्वरक-निगम के अधीन एक कारखाना स्थापित किया जा चुका है। इसके उर्वरक-सयन्त्र में फरवरी 1961 में काम आरम्भ हो गया तथा अप्रैल-दिसम्बर 1965 की अवधि मे इसमें 2,80,510 मीट्रिक टन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन हुआ। भारी पानी तैयार करने के संयन्त्र मे उत्पादन सर्वप्रथम अगस्त 1962 में हुआ। जनवरी 1966 के अन्त तक इसमें 4,176 मीट्रिक टन यूरिया तथा 7,261 मीट्रिक टन नाइट्रोफॉस्फेट तैयार हुए। निगम की 45,000; 80,000 तथा 1.35 लाख मीट्रिक टन नत्रजन की वार्षिक

क्षमता की क्रमशः नामरूप; गोरखपुर तथा दुर्गापुर-परियोजनाओं का निर्माणकार्य जारी है। नवम्बर 1965 में चालू ट्रॉम्बे-उर्वरक-कारखाना देश का सबसे बड़ा कारखाना है और इसमें प्रतिवर्ष 90,000 मीट्रिक टन नत्रजन, 45,000 मीट्रिक टन फॉस्फेट (90,000 मीट्रिक टन यूरिया तथा 3.3 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोफॉस्फेट के रूप में) का उत्पादन होगा। राउरकेला-उर्वरक-कारखाने में उत्पादन-कार्य 1 दिसम्बर, 1962 को आरम्भ हो गया। नइवेलि में स्थापित दूसरे एकांश का नियमित उत्पादन-कार्य मार्च 1966 में आरम्भ होनेवाला था।

विशाखापटनम् तथा कोत्तगुडेम (आन्ध्रप्रदेश), बड़ौदा (गुजरात), कोटा (राजस्थान) गोआ और कानपुर (उत्तरप्रदेश) में भी उर्वरक सयन्त्र लगाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। उड़ीसा-विकास-निगम-द्वारा तालचेर में स्थापित किए जानेवाले कारखाने में भी उर्वरक का उत्पादन किया जा सकता है। एन्नोर् (मद्रास) के गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने में उत्पादन-कार्य जनवरी 1963 में आरम्भ हुआ।

चौथी योजना में प्रतिवर्ष 24 लाख मीट्रिक टन नत्रजन-उर्वरक के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

खनिज-पदार्थ तथा खनन

तेल

दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ तक देश में तेल केवल डिगबोई (असम) के आस-पास निकाला जाता था। तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग के तत्वावधान में अनेक स्थानों पर तेल-क्षेत्रों की खोज की जा रही है। परिणामस्वरूप गुजरात, असम, पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार तथा मद्रास में भू-छेदन का कार्य जारी है और 1966 के मध्य में पश्चिम-बंगाल में भी आरम्भ किया जाना था। गुजरात में तेल काफी अधिक मात्रा में पाए जाने का पता लगा है और इस समय प्रतिवर्ष 22 लाख मीट्रिक टन तेल निकाला जा रहा है। यह तेल ट्रॉम्बे-स्थित बर्मा-शेल तथा एस्सो-शोधनागारों और बड़ौदा के निकट कोयली के शोधनागार को दिया जा रहा है। कुछ तेल अहमदाबाद-बिजली-कम्पनी को भी दिया जा रहा है। गुजरात में प्राकृतिक तथा अन्य प्रकार की गैस पाए जाने का भी पता लगा है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग को असम में रुद्रसागर तथा लकवा में भी तेल पम्प जाने का पता चला है। रुद्रसागर में 1966 के मध्य से परीक्षण के तौर पर प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन तेल निकाले जाने की आशा थी।

आयोग समुद्री तटों पर भी तेल की खोज करने में लगा हुआ है। आयोग इटली की कम्पनी 'एजिप' तथा अमेरिका की 'फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी' के साथ मिलकर ईरान में तेल की खोज का काम करने में भी लगा हुआ है।

पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में देश की पेट्रोल-सम्बन्धी सारी-की-सारी आवश्यकताएं आयात करके पूरी की जाती थीं क्योंकि डिगबोई-स्थित असम-तेल-कम्पनी के शोधनागार का उत्पादन कुल आवश्यकता के 5 प्रतिशत से कुछ अधिक था।

पहली योजना मे पेट्रोल साफ करने के तीन शोधनागार स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। इनमें से न्यूयार्क की 'स्टैण्डर्ड वैक्यम आयल कम्पनी' (अब 'एस्सो') द्वारा 1954 में तथा लन्दन की 'बर्मा शेल कम्पनी' द्वारा 1955 मे दो शोधनागार ट्रॉम्बे में तथा तीसरा 'कालटेक्स कम्पनी' द्वारा 1957 मे विशाखापटनम् मे स्थापित किया गया। इन सब शोधनागारो की विधायित पेट्रोलियम की वार्षिक उत्पादन-क्षमता (1957 के अन्त में) लगभग 43 लाख मीट्रिक टन की थी। 1965 मे इन शोधनागारों ने लगभग 82 लाख मीट्रिक टन पेट्रोलियम निकाला। रूमानिया के सहयोग से गुवाहाटी के पास नूनमती में 7 5 लाख मीट्रिक टन की क्षमतावाले सरकारी क्षेत्र के तेल-शोधनागार में 1 जनवरी, 1962 को कार्य आरम्भ हो गया तथा अब इसमे पूरी क्षमता मे काम हो रहा है। इस पर लगभग 17.7 करोड़ रुपये की लागत आई।

रूस के सहयोग से बरौनी नामक स्थान मे एक अन्य तेल-शोधनागार स्थापित किया गया। इसमे प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रिक टन तेल साफ किया जाता है। 10 लाख मीट्रिक टनवाले पहले एकाश का जनवरी 1965 मे उदघाटन हुआ तथा उस वर्ष 4 9 लाख मीट्रिक टन तेल साफ किया गया। दूसरे एकाश के अगस्त 1966 तक तैयार हो जाने की आशा थी। 1967 के मध्य से इसकी क्षमता 30 लाख मीट्रिक टन की को जा रही है।

सोवियत रूस के सहयोग से बडौदा के पास कोयली मे 20 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमतावाला तेल-शोधनागार स्थापित किया जा चुका है जिसमें गुजरात मे प्राप्त तेल साफ किया जाएगा। 10 लाख मीट्रिक टनवाले पहले एकाश का काम अक्तूबर 1965 मे चालू हो गया तथा इसमे उत्पादन प्रस्थापित क्षमता से अधिक हो रहा है। दूसरे एकाश का कार्य 1966 के मध्य तक चालू हो जाने की आशा थी। 1967 से इसकी क्षमता बढ़ाकर 30 लाख मीट्रिक टन की जा रही है।

भारतीय तेल-निगम के सरकारी क्षेत्र के उपर्युक्त तीनो शोधनागारों में 1965 में 15.6 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल साफ किया गया।

कोचीन-क्षेत्र मे 25 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता का एक अन्य तेल-शोधनागार स्थापित करने के लिए भारत-सरकार, एक भारतीय फर्म तथा अमेरिका की 'फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी' ने अप्रैल 1963 मे एक करार पर हस्ताक्षर किए। इसका कार्य 1966 के उत्तरार्ध मे आरम्भ होने की आशा थी। नवम्बर 1965 मे हुए एक अन्य करार के अधीन भारत-सरकार, राष्ट्रीय ईरानी तेल-कम्पनी (नेशनल ईरानियन ऑयल कम्पनी) तथा 'पैन अमेरिकन इण्टरनेशनल ऑयल कम्पनी' की एक सहायक कम्पनी 'एमोको' के मिले-जुले नियन्त्रण में एक शोधनागार मद्रास में स्थापित किया जाना है। इसकी क्षमता 25 लाख मीट्रिक टन की होगी तथा इसका काम 1968 के मध्य मे आरम्भ होने की आशा है। हल्दिया में 25 लाख मीट्रिक टन की प्रारम्भिक क्षमतावाले एक अन्य शोधनागार की स्थापना के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

सितम्बर 1965 में भारत-सरकार तथा अमेरिका की 'एस्सो स्टैण्डर्ड ईस्टर्न कम्पनी' के बीच बम्बई मे एक स्नेहक (लुब्रिकेटिंग) तेल-सयन्त्र की स्थापना के लिए एक करार

सम्पन्न हुआ। 1.45 लाख मीट्रिक टन की क्षमतावाले इस संयन्त्र का काम 1967 के अन्त में आरम्भ होने की आशा है।

सरकार तथा अमेरिका के 'लुब्रिजल कारपोरेशन' के बीच एक करार और हुआ जिसके अधीन बम्बई में एक रासायनिक जुड़वां संयन्त्र स्थापित किया जा रहा है। इसका उत्पादन-कार्य 1968 मे आरम्भ होने की आशा है।

भारतीय तेल-निगम

पेट्रोलियम-उत्पादनो के विपणन तथा वितरण के लिए जून 1959 मे 'इण्डियन ऑयल-कम्पनी लिमिटेड' नामक एक सरकारी कम्पनी स्थापित की गई।

तेल-शोधनागारो तथा विपणन-कार्यों मे अधिक समन्वय स्थापित करने के लिए 'इण्डियन ऑयल-रिफाइनरीज़ लिमिटेड' तथा 'इण्डियन ऑयल-कम्पनी' को मिलाकर 1 सितम्बर, 1964 को भारतीय तेल निगम (इण्डियन ऑयल-कारपोरेशन) नामक एक नई सस्था स्थापित कर दी गई। निगम बाहर से स्नेहक तेल आदि का आयात और सरकारी क्षेत्र के शोधनागारो की वस्तुओ के वितरण का कार्य करता है।

ऑयल-इण्डिया लिमिटेड

फरवरी 1959 मे असम मे 'ऑयल-इण्डिया लिमिटेड' की स्थापना की गई जिसमें भारत-सरकार तथा 'बर्मा-ऑयल-कम्पनी' बराबर के साझेदार है। यह सस्था असम के नाहरकटिया, हुगडिजान तथा मोरान-क्षेत्रो मे पेट्रोलियम तथा कच्चा तेल निकालती है। 1965 मे इसने दो सरकारी शोधनागारो तथा डिगबोई-शोधनागार को 17 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल दिया।

1964 मे भारत ने पेट्रोलियम से बनी 97 लाख मीट्रिक टन वस्तुओ का आयात किया तथा पेट्रोलियम से बनी वस्तुओ के निर्यात से 4.84 करोड रुपये प्राप्त किए।

कोयला तथा भूरा कोयला (लिग्नाइट)

खानो से कोयला निकालने का काम भारत मे पहले-पहल 1814 मे राणीगंज (बंगाल) में आरम्भ हुआ था। देश मे रेलो के सस्थापन से इस उद्योग को गति मिली तथा अनेक ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनिया स्थापित हुई जिनका स्वामित्व अधिकाशतः यूरोपीय लोगों के अधीन था।

1868 के बाद कोयले के उत्पादन मे तेज़ी से वृद्धि हुई। उस वर्ष कुल 5 लाख टन कोयला निकाला गया जो बढ़ते-बढते 1965-66 में दिसम्बर 1965 तक 4.96 करोड़ मीट्रिक टन तक जा पहुचा।

तीसरी योजना के अधीन 1965-66 तक प्रतिवर्ष 9.85 करोड मीट्रिक टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था।

भिलाई तथा राउरकेला-इस्पात-संयन्त्रों के लिए कोयले की व्यवस्था करने के उद्देश्य से नवम्बर 1958 में लगभग 2 46 करोड़ रु० की लागत से एक कोयला-धुलाई-घर करगलि (बिहार) में खोला गया था जो राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम के अधीन है। 1965 में इसमें 12.52 लाख मीट्रिक टन कोयला धोया गया। कठरा, सवांग तथा गिडी के तीन अन्य कोयला-धुलाईघरों का निर्माण हो रहा है।

नइवेलि की भूरा-कोयला-परियोजना में प्रतिवर्ष 35 लाख मीट्रिक टन भूरा कोयला निकालने का लक्ष्य रखा गया।

अन्य खनिज-पदार्थ

1964 में खानों में नित्यप्रति औसतन लगभग 6,67,425 व्यक्ति काम करते थे। खानों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम-बंगाल बिहार, मध्यप्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान में हैं। जिन खनिज-पदार्थों की विस्तृत रूप से खुदाई की जाती है, उनमें कोयला (820 खानें), अभ्रक (650 खाने), खनिज मैंगनीज (359 खानें), खनिज लोहा (261 खानें), चूना (245 खानें), सेलखडी (119 खानें), चीनी मिट्टी (104 खानें), अग्निजित मिट्टी (82 खानें), बेराइट (74 खानें), खड़िया मिट्टी (70 खानें), डोलोमाइट (51 खानें) तथा बॉक्साइट (49 खानें) उल्लेखनीय हैं। खनिज-पदार्थों के उत्पादन में प्रतिवर्ष अच्छी वृद्धि हुई। अनुमान है कि 1965 में निकाले गए खनिज-पदार्थों का मूल्य लगभग 2.25 अर्ब रुपये था जबकि 1931 में केवल 23.9 करोड़ रु० के मूल्य के ही खनिज-पदार्थ निकाले गए थे।

तेल, प्राकृतिक गैस तथा कोयला से भिन्न अन्य खनिज-पदार्थों की प्राप्ति के लिए नवम्बर 1958 में स्थापित राष्ट्रीय खनिज-पदार्थ-विकास निगम (लिमिटेड) ने जापान को निर्यात करने के लिए प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रक टन पक्का खनिज लोहा निकालने के लिए किरिबुरु-खान को छेड़ा। बैलादिला-क्षेत्र मे जापान को ही निर्यात करने के लिए प्रतिवर्ष 40 लाख मीट्रिक टन पक्का खनिज लोहा निकालने के उद्देश्य से निगम एक खान को छेड़ रहा है। इसमें से उत्पादन 1967 के प्रारम्भ में आरम्भ होने की आशा है।

निगम खेतरी (राजस्थान) से मिलनेवाले तांबे को पिघलाने का एक संयन्त्र लगाने जा रहा है। इसी प्रकार जस्ता पिघलाने का एक सयन्त्र विशाखापटनम् में लगाया जा रहा है।

जस्ता पिघलाने का दूसरा सयन्त्र एक गैर-सरकारी फर्म-द्वारा उदयपुर (राजस्थान) में लगाया जानेवाला था। फर्म के असफल रहने पर अक्तूबर 1965 में यह कार्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। जवार (राजस्थान) के जस्ता-भण्डार के उपयोग के लिए जनवरी 1966 में 'हिन्दुस्तान-जिंक (पी०) लिमिटेड' नामक नई सरकारी कम्पनी पंजीकृत की गई।

कोयना (महाराष्ट्र) तथा कोरबा (मध्यप्रदेश) में स्थापित की जानेवाली दो नई अल्युमीनियम-परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवम्बर 1965 में 'भारत-अल्युमीनियम कम्पनी (पी०) लिमिटेड' नामक नई सरकारी कम्पनी स्थापित की गई। इनके लिए हंगरी तथा रूस से समझौता वार्ताएं चल रही है।

बागान-उद्योग

चाय

1834 तथा 1865 के बीच चाय का उत्पादन सरकारी बागानों में ही होता था। 1865 से चाय-बागानों की व्यवस्था मुख्यतः यूरोपीय व्यापारियों के हाथ में आ गई।

विगत कुछ वर्षों में देश में चाय की खेती के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। 1935-36 में चाय का उत्पादन 39.5 करोड़ पौण्ड का था परन्तु 1965 में 36.64 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन तथा 19.65 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात हुआ।

कहवा

कहवा की योजनाबद्ध खेती 1830 में आरम्भ हुई थी तथा 1862 में यह उद्योग अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा किन्तु तभी विनाशकारी कीड़ों तथा ब्राजील के कहवे की होड़ के कारण देश में इसकी प्रगति अवरुद्ध हो गई। उसके बाद पुन: अथक प्रयास किए गए और आज इस देश में कहवे की अच्छी-खासी खेती होती है। 1965-66 में 60,500 मीट्रिक टन कहवे का उत्पादन तथा 23,003 मीट्रिक टन कहवे का निर्यात हुआ।

रबड़

के बागान अपेक्षाकृत बहुत बाद में लगाए गए। 1965 में रबड के बागान लगभग 1.04 लाख एकड़ भूमि में थे तथा 49,390 मीट्रिक टन रबड़ का उत्पादन हुआ।

सामान्य

चाय, कहवा तथा रबड के बागान देश की कृषि-भूमि के लगभग 0.4 प्रतिशत भाग में हैं और मुख्यत: उत्तर-पूर्व में तथा दक्षिण-पूर्वी समुद्र-तट पर स्थित हैं। इनमें 12 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है तथा इनके निर्यात से भारत को अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। प्रतिवर्ष एक अर्ब रुपये की विदेशी मुद्रा तो केवल चाय से ही प्राप्त होती है। आरम्भ में कहवे तथा रबड का भी निर्यात किया जाता था परन्तु आजकल इनकी खपत देश में ही हो जाती है।

चाय, कहवा तथा रबड-उद्योगों की विस्तृत जांच-पडताल करने के लिए अप्रैल 1954 में एक बागान-जाच-आयोग नियुक्त किया गया था जिसने 1965 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें की। तीसरी पचवर्षीय योजना में बागान-उद्योग के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई। चाय का उत्पादन 33.22 करोड़ किलोग्राम से बढाकर 41 करोड़ किलोग्राम, कहवे का उत्पादन 48,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 80,000 मीट्रिक टन तथा रबड़ का उत्पादन 26,400 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 45,000 मीट्रिक टन किया जाना था। चाय का निर्यात 21.22 करोड़ किलोग्राम से बढाकर 25 करोड़ किलोग्राम तथा कहवे का निर्यात अब से दुगना कर दिया जाना था। चाय-उद्योग की उन्नति के लिए चाय-मण्डल भारत तथा विदेशों में अनेक योजनाओं पर अमल कर रहा है। कहवे तथा रबड़ का उत्पादन बढ़ाने की ओर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

लघु तथा कुटीर उद्योग

यों तो देश में बड़े उद्योगों का बहुत विकास हुआ है, फिर भी भारत अभी मुख्य रूप से लघु उद्योगों का ही देश है। अनुमान लगाया गया है कि देश के कुटीर उद्योगों में लगभग 2 करोड़ व्यक्ति काम करते हैं जिनमें से लगभग 50 लाख व्यक्ति केवल हथ-करघा-उद्योग में ही लगे हुए हैं।

लघु उद्योगों का संगठन करने का दायित्व मुख्यत: राज्य-सरकारों पर है। राज्य-सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने ये संगठन स्थापित किए हैं—केन्द्रीय लघु उद्योग-संगठन (जो लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा उनके विकास के लिए उत्तरदायी है), अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग-आयोग, अखिल भारतीय हस्तशिल्प-मण्डल, अखिल भारतीय हथकरघा-मण्डल, लघु उद्योग-मण्डल, नारियल-जटा-मण्डल तथा केन्द्रीय रेशम-मण्डल।

सरकार, सरकारी वित्त-निगम तथा महाजनी-संस्थाए लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देती है। लघु उद्योगों को दिल खोलकर ऋण देने के लिए बैंकों तथा अन्य ऋण-संस्थानो को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने जुलाई 1960 से मान्यताप्राप्त ऋण-संस्थानों-द्वारा लघु उद्योगों को दी गई अग्रिम राशियों की गारण्टी देने की एक योजना लागू की जो 1963 से सारे देश में लागू कर दी गई। रिज़र्व बैंक को इस उद्देश्य से 'गारण्टी-संगठन' करार दिया गया। किसी भी अग्रिम राशि के सम्बन्ध मे दी गई गारण्टी के विरुद्ध अधिक-से-अधिक 1 लाख रुपये प्राप्त किए जा सकते है।

इस योजना के अधीन इस समय सुविधाए देने के लिए 95 ऋण-संस्थानो को मान्यता दी गई है। जुलाई 1960 में योजना लागू होने के समय से 1965 के अन्त तक गारण्टी-संगठन को 1 अर्ब 15 करोड 98 लाख रु० की राशि की गारण्टी के लिए 27,262 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए तथा 91.46 करोड़ रु० की राशि के लिए 22,802 गारण्टिया दी गई। 1965 के अन्त तक कुल 7.79 लाख रु० के दावों को चुकता किया गया।

औद्योगिक बस्तिया बसाने के लिए राज्य-सरकारो को केन्द्रीय ऋण भी दिए जाते है। इन बस्तियों का उद्देश्य लघु औद्योगिक एकाशों को शहरी क्षेत्रों से हटाकर उपयुक्त स्थानों में लगाना है। मार्च 1965 के अन्त में पूरी हुई 235 बस्तियो मे से 154 बस्तियों में लगभग 46,600 व्यक्ति काम कर रहे थे और इन बस्तियो के 2,586 एकाशो ने 60 करोड़ रु० के मूल्य की वस्तुओ का उत्पादन किया।

लघु उद्योगों को प्राविधिक सहायता देने का एक कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार ने 'औद्योगिक विस्तार-सेवा' के नाम से आरम्भ किया। अब तक 16 लघु उद्योग-सेवा-सस्थाएं, 6 शाखा-संस्थाए तथा 66 विस्तार/उत्पादन/प्रशिक्षण-केन्द्र खोले जा चुके है जो विभिन्न व्यवसायो को प्राविधिक सुविधाए प्रदान करते है। लघु उद्योगो को प्राविधिक मामलो में सहायता देने के लिए विदेशो से भी विशेषज्ञ बुलाए जाते है तथा भारतीय शिक्षार्थी बाहर भेजे जाते है।

सरकार लघु उद्योगो के क्षेत्र मे सहकारी समितियो के विकास को भी प्रोत्साहन दे रही है। इस कार्यक्रम का तेजी से विस्तार हो रहा है। दूसरी योजना के अन्त में देश में कुल 33,266 औद्योगिक सहकारी समितिया थी। जून 1963 के अन्त मे इनकी संख्या 43,500 तक पहुंच गई जिनमें 81 करोड रु० की पूंजी लगी हुई थी और जिनके सदस्यो की सख्या 29.5 लाख थी। जून 1965 के अन्त में इनकी सख्या 51,000 हो जाने की आशा थी। अनुमान लगाया गया है कि इनकी संख्या अब (तीसरी योजना के अन्त मे) 53,500 होगी। स्वतन्त्र कारीगरों तथा प्राविधिज्ञो को नए-नए आविष्कार

करने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक आविष्कार-प्रोत्साहन-मण्डल की स्थापना की गई है।

इसके अतिरिक्त फरवरी 1955 में राष्ट्रीय लघु उद्योग-निगम की स्थापना की गई। सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित करके इस निगम का ठेका-विभाग छोटे कारखानों को ठेके आदि दिलवाने की व्यवस्था करता है। जनवरी 1959 से यह निगम छोटे कारखानों को स्टेट बैंक-द्वारा दिए जानेवाले ऋणों की गारण्टी भी दे रहा है। निगम ने किस्तों पर मशीनें देने की योजना भी आरम्भ की है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली में चार सहायक निगम स्थापित कर दिए गए हैं। निगम को केन्द्रीय सरकार अनुदान तथा ऋण प्रदान करती है।

1952 में हस्तशिल्प (दस्तकारी) की वस्तुओ के उत्पादन तथा उनकी बिक्री की समुचित व्यवस्था के लिए भारत मे अखिल भारतीय हस्तशिल्प-मण्डल स्थापित किया गया। दिल्ली मे इसके मुख्यालय-सहित मण्डल के पाच क्षेत्रीय कार्यालय तथा चार आकल्पन (डिज़ाइन) केन्द्र है। इसने बंगलोर में एक केन्द्रीय हस्तशिल्प-विकास-केन्द्र तथा दिल्ली में एक केन्द्रीय हस्तशिल्प-संग्रहालय भी स्थापित किए है। देशभर में 160 से अधिक भण्डार खोले जा चुके है। तीसरी योजना में इन भण्डारों के माध्यम से कारीगरों तथा उनकी सहकारी समितियों को देने के लिए 5 लाख रु० की व्यवस्था रखी गई थी। 1961 की जनगणना के अनुसार 3.72 लाख हस्तशिल्प-प्रतिष्ठानो में 10.12 लाख व्यक्ति लगे हुए थे। हस्तशिल्प तथा हथकरघा-निर्यात-निगम प्रदर्शनियो आदि के द्वारा विदेशों मे प्रचार कर रहा है। हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात में काफी वृद्धि हो रही है। इस समय प्रतिवर्ष लगभग 25 करोड रु० के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात होता है।

नारियल-जटा-उद्योग मुख्यत. एक कुटीर उद्योग है। कुछ कारखानो में लकड़ी के करघे भी है जिन पर हाथ से काम किया जाता है। अनुमान है कि 1.42 लाख मीट्रिक टन नारियल-जटा की रस्सियों के वार्षिक उत्पादन में से लगभग 90 प्रतिशत का उत्पादन केवल केरल में ही होता है।

भारत में नारियल-जटा से बननेवाली वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने तथा उनको प्रोत्साहन देने का कार्य नारियल-जटा-मण्डल को सौपा गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में नारियल जटा-उद्योग के लिए 3.13 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी। तीसरी योजना मे नारियल-जटा से बनी वस्तुओं की किस्म सुधारने तथा उनका निर्यात बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। 1965 मे 10.69 करोड़ रु० के मूल्य की नारियल-जटा से बनी 7.2 लाख मीट्रिक टन वस्तुओ का निर्यात हुआ। उत्पादन के लिए मशीनों के उपयोग की दिशा मे प्रयास जारी है।

जनवरी-जून 1965 में भारत मे 10 69 लाख किलोग्राम कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ। इसमे से लगभग आधा उत्पादन मैसूर-राज्य मे ही हुआ। पश्चिम-बंगाल, असम, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश तथा बिहार में भी काफी मात्रा मे रेशम का उत्पादन होता है। 1949 में स्थापित केन्द्रीय रेशम-मण्डल रेशम-उद्योग के विकास की व्यवस्था करता है। असम, पश्चिम-बंगाल, बिहार तथा मैसूर में चार प्रादेशिक अनुसन्धान-संस्थाएं स्थापित की गई हैं। ये प्रादेशिक संस्थाएं तथा मैसूर की अखिल भारतीय रेशम-कीड़ापालन-प्रशिक्षण-संस्था इस उद्योग के लिए लोगों को प्रशिक्षण भी देती है।

पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने ग्राम तथा लघु उद्योगों पर लगभग 2.18 अर्ब रु० व्यय किए। तीसरी पचवर्षीय योजना में इनके लिए 2.64 अर्ब रु० की व्यवस्था की गई थी जिसमें से 38 करोड़ रु० हथकरघा-उद्योग पर, 92.4 करोड़ रु० खादी तथा ग्राम-उद्योगो पर, 7 करोड़ रु० रेशम-कीड़ा-पालन पर, 3.2 करोड़ रु० नारियल-जटा-उद्योग पर, 8.6 करोड़ रु० हस्तशिल्पों पर, 84.6 करोड रु० लघु उद्योगो पर तथा 30 2 करोड़ रुपये औद्योगिक बस्तियों पर व्यय हुए।

खादी-उद्योग

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग-आयोग सहकारी समितियों, पंजीकृत संस्थानो और राज्य-सरकारों तथा उनके द्वारा स्थापित मण्डलो के माध्यम से खादी-उद्योग को वित्तीय सहायता देता है। खादी के प्रचार-प्रसार के लिए खादी तथा सिले-सिलाए कपडो पर दी जानेवाली छूट 6 अप्रैल, 1964 से बन्द कर दी गई तथा हथकते सूत की निःशुल्क बुनाई की सुविधावाली एक नई योजना लागू की गई 1952-53 मे 1.94 करोड रु० की खादी बनी तथा 1 95 करोड रु० की बिकी। 1964-65 मे 8 करोड 6 लाख 26 हजार वर्ग मीटर खादी बनी तथा 21.12 करोड़ रु० की बिकी। इस उद्योग मे 19 5 लाख व्यक्ति लगे हुए हैं।

तीसरी योजना मे खादी तथा ग्रामोद्योग-आयोग-द्वारा खादी का विकास नए सिरे से बनाए गए कार्यक्रमो के अनुसार करने पर बल दिया गया जिससे चुने हुए सम्बद्ध क्षेत्रो अथवा ग्राम-इकाइयो का सगठित ग्राम-विकास करने का भरसक प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार 3,000 ग्राम-इकाइयो का सगठन करने का लक्ष्य रखा गया। प्रत्येक इकाई में 5,000 की जनसंख्यावाला एक ग्राम अथवा ग्राम-समूह होगा। स्थानीय उपलब्ध सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करने की योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे यथासम्भव स्थानीय आत्म-निर्भरता प्राप्त हो सके। ये योजनाएं पंजीकृत संस्थाओं, सेवा-सहकारी तथा ग्राम-पंचायतो-द्वारा निष्पादित की जाएगी। वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता की व्यवस्था करने और प्रशिक्षण की सुविधाएं जुटाने का दायित्व आयोग पर है। कार्यक्रमो की तैयारी तथा उनके निष्पादन का दायित्व राज्य-मण्डलो तथा ग्राम--स्तर के स्थानीय निकायो पर रहेगा। इस योजना का उद्देश्य शहरी मण्डियों पर निर्भर होने से धीरे-धीरे मुक्ति पाना, स्थानीय उपयोगिता की वस्तुओ के उत्पादन मे वृद्धि करना और सुधरी विधियो-द्वारा उत्पादन तथा आय में वृद्धि करना है। आशा थी कि तीसरी योजना के अन्त तक लगभग 40-50 प्रतिशत खादी की वस्तुएं स्थानीय मण्डियो मे बेची जा सकेंगी तथा इनका मूल्य 15-20 प्रतिशत कम किया जा सकेगा।

अम्बर-चर्खा

1956 में 4 तकुओंवाला एक उन्नत प्रकार का चर्खा अपनाया गया जिसके निर्माण तथा वितरण और उसके लिए प्रशिक्षकों, बढ़इयों आदि के प्रशिक्षण का एक सम्मिलित कार्यक्रम 1956-57 में लागू किया गया। अम्बर-चर्खा में कुछ सुधार भी किए गए जिससे सूत की उत्पादन-क्षमता काफी बढ़ जाएगी।

अध्याय 21

व्यापार

विदेशों के साथ व्यापार

1964-65 में भारत ने विदेशों के साथ लगभग 20 अर्ब 77 करोड़ 37 लाख रुपये के मूल्य का व्यापार किया जिसमें से आयात तथा निर्यात क्रमशः 12 अर्ब 62 करोड़ 81 लाख रुपये तथा 8 अर्ब 14 करोड़ 56 लाख रुपये के मूल्य के थे। 1950-51 से भारत के निर्यात तथा आयात-व्यापार और विदेशों के साथ हुए कुल व्यापार तथा व्यापार-सन्तुलन का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी 26

भारत का विदेशी-व्यापार

(अर्ब रुपए)

वर्ष	आयात	निर्यात	विदेशी व्यापार (कुल मूल्य)	व्यापार-सन्तुलन
1950-51 .	6 7291	6.0171	12.7462	— 0.712
1955-56	6.9275	5.994	12.9215	— 0.9335
1960-61	11.2248	6.4207	17.6455	—4.8041
1961-62 .	10.9308	6.6034	17.5342	—4.3274
1962-63 .	11.3315	6.8549	18.1864	—4.4766
1963-64	12.2375	7.9325	20.17	—4.305
1964-65 .	12.6281	8.1456	20.7737	—4.4825

देश के विकास आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक अधिकाधिक आयात के कारण प्रतिकूल व्यापार-सन्तुलन दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से बढ़ता ही रहा है। व्यापार-सन्तुलन की यह प्रतिकूलता 1961-62 में रुक गई और तब से आयात पर लगे प्रतिबन्धों तथा निर्यात में हुई वृद्धि के फलस्वरूप घाटा कम होता जा रहा है।

भुगतान-सन्तुलन

अगले पृष्ठ की सारणी 27 में चालू भुगतान-सन्तुलन की स्थिति दी गई है।

आयात

1965 में कुल आयात 13.83 अर्ब रुपये का हुआ। 1965 में सबसे अधिक आयात मशीनों का हुआ। आयातित वस्तुओं में इसके बाद अनाजों, तांबा, जस्ता, उर्वरकों, कच्चा पटसन, परिवहन-उपकरणों का स्थान आता है।

सारणी 27

कुल भुगतान-सन्तुलन

(रुपये)

	1961-62	1964-65
1. आयात	10,06,00,00,000	13,96,00,00,000
गैर-सरकारी	6,41,70,00,000	6,12,50,00,000
सरकारी	3,64,30,00,000	7,83,50,00,000
2. निर्यात	6,68,30,00,000	8,02,70,00,000
3. व्यापार-सन्तुलन (2−1)	—3,37,70,00,000	—5,93,30,00,000
4. मुद्रा-भिन्न स्वर्ण	—	16,00,00,000
5. सरकारी हस्तान्तरण-भुगतान	45,90,00,000	1,23,80,00,000
6. अन्य अलक्षित मदे (शुद्ध)	—14,60,00,000	16,80,00,000
7. चालू भुगतान-सन्तुलन (शुद्ध) (3+4+5)	—3,06,40,00,000	—4,36,70,00,000
8. भूल-चूक	7,80,00,000	—71,20,00,000
9. सरकारी ऋण (सकल)	2,74,10,00,000	5,89,10,00,000
10. अन्य पूंजीगत लेन-देन (शुद्ध)	—40,20,00,000	—1,37,30,00,000
11. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के साथ लेन-देन (शुद्ध)	58,40,00,000	—
(क) निकासी	1,19,10,00,000	47,60,00,000
(ख) पुनर्भुगतान,	60,70,00,000	47,60,00,000
12. सुरक्षित विदेशी-विनिमय में कमी	—6,30,00,000	—56,10,00,000
13. चालू भुगतान-सन्तुलन (घाटा) (8 से 11 तक का योग)	2,93,80,00,000	3,25,50,00,000

प्रतिकूल मौसम के कारण देश के उत्पादन में भारी कमी होने के फलस्वरूप इस वर्ष कच्चा पटसन बहुत अधिक माला में आयात करना पड़ा। उर्वरकों का अधिक आयात कृषि-उत्पादन की मांगों की पूर्ति करने के उद्देश्य से हुआ। अमेरिका, जापान, बर्मा, संयुक्त अरब-गणराज्य तथा पश्चिम-जर्मनी से 1964 की अपेक्षा इस वर्ष आयात अधिक हुआ और ब्रिटेन तथा सऊदी अरब से होनेवाले आयात मे कमी हुई।

निर्यात

1965 मे भारत के कुल निर्यात 8 अर्ब 7 करोड़ 50 लाख रुपये के रहे जो 1964 की तुलना में 2.3 करोड़ रुपये के कम रहे। इसका मुख्य कारण कृषि, बागान तथा व्यापारिक फसलों के उत्पादन में भारी कमी होना रहा।

कृषि-जिन्सो के निर्यात से 70-80 करोड़ रुपये की हानि हुई। इस हानि को कुछ सीमा तक औद्योगिक वस्तुओं, इंजीनियरी की तथा निर्मित वस्तुओं, इस्पात, खनिज, लोहा, खनिज-पदार्थों आदि के अधिक निर्यात के द्वारा पूरा किया गया।

1965 में मेंगनीज़, चाय तथा चीनी-जैसी भारत की निर्यात की जिन्सों का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 1964 की तुलना में कम रहा। 1965 में पिछले वर्ष की तुलना में चाय, चीनी, मेंगनीज़, कच्चे तम्बाकू, वनस्पति-तेल, तिलहनों, कच्ची ऊन, हाथ की बनी दरियों, कहवा आदि का निर्यात कम रहा। पटसन की वस्तुओं, मसालों, हथकरघा की वस्तुओं, लोहे तथा इस्पात, इंजीनियरी की वस्तुओ आदि का निर्यात इस वर्ष अधिक हुआ।

व्यापार-नीति

व्यापार-नीति मे अधिक जोर निर्यात से होनेवाली आय मे वृद्धि करने और आयातित वस्तुओ तथा कच्ची सामग्री के स्थान पर देश मे ही उपलब्ध होनेवाली वस्तुओ के उपयोग से आयात मे कमी करने पर दिया जाता रहा।

आयात-नीति

1965-66 के वित्तीय वर्ष के लिए आयात-नीति विदेशी विनिमय की बढ़ती हुई कठिनाइयो को देखते हुए कुछ कठोर ही बनी रही। फिर भी खाद्यान्नों, उर्वरकों, आयात, प्रतिरक्षा तथा निर्यात की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता रहा। अनावश्यक वस्तुओं का आयात कम-से-कम करने पर जोर दिया गया। इस नीति की एक उल्लेखनीय विशेषता राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-विप्रेषण-योजना लागू करने की रही जिसका उद्देश्य भारत के लिए अधिक-से-अधिक विदेशी विनिमय प्राप्त करना था।

पिछले वर्षों की भांति, आयात के लिए लाइसेंस-सम्बन्धी प्रार्थनापत्र इस वर्ष भी वार्षिक आधार पर मांगे गए बशर्ते कि 50 प्रतिशत आयातित वस्तुओ का उपयोग जनवरी 1966 के अन्त तक अवश्य हो जाए। जनवरी 1966 में यह शर्त हटा दी गई।

विदेशी विनिमय की कठिन स्थिति को देखते हुए 1966-67 के लिए आयात-नीति का कठोरता से पालन करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। तो भी अनावश्यक तथा कम महत्त्ववाली वस्तुओ के लिए निर्धारित कोटों में कमी करके अथवा उनको रद्द करके आवश्यक वस्तुओं के कोटे निर्धारित करने में उदारता बरतने का प्रयास किया गया।

निर्यात-नीति

भारत सामान्यत: निर्यात पर लगे नियन्त्रणो में धीरे-धीरे ढील देने की तथा देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था के अनुरूप संगठित निर्यात-प्रोत्साहन की नीति अपनाता आ रहा है। 'निर्यात (नियन्त्रण) आदेश' के अधीन अनेक वस्तुओ के अनियन्त्रित निर्यात की व्यवस्था है तथा कुछ पर नियन्त्रण लगाने की।

निर्यात-प्रोत्साहन

तीसरी योजना मे प्रतिवर्ष औसतन 7.4-7.6 अर्ब रुपये की वस्तुओ के निर्यात का लक्ष्य रखा गया। प्रतिरक्षा-सम्बन्धी बढी-चढी आवश्यकताओ के कारण विदेशी विनिमय की बढ़ती हुई माग को देखते हुए अन्तिम वर्ष का निर्यात-लक्ष्य बढाकर 8.5 अर्ब रु० का रखा गया। चौथी योजना मे प्रतिवर्ष 10 2 करोड रु० की निर्यात-आय सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए है। व्यापार तथा उद्योग-क्षेत्रो के परामर्श से निर्यात-प्रोत्साहन-नीतियो पर निरन्तर विचार करते रहने के लिए मई 1962 मे एक व्यापार-मण्डल स्थापित किया गया जिसने अपने कार्य के लिए अनेक समितियां तथा अध्ययन-दलों की व्यवस्था की। विभिन्न जिन्सो के लिए 18 निर्यात-प्रोत्साहन-परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं। चाय, नारियल-जटा, कहवा, रबड तथा रेशम-उद्योगो के लिए भी जिन्स-मण्डल स्थापित किए जा चुके है। परिषदो के कार्यों में समन्वय स्थापित करने तथा विकास-कार्यों में उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए भारतीय निर्यात-संगठन-संघ नामक एक शीर्ष निकाय स्थापित किया गया है। सरकारी व्यापार-निगम के सहायक हस्तशिल्प तथा हथकरघा-निर्यात-निगम और भारतीय चलचित्र-निर्यात-निगम अपने-अपने क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहन देने मे लगे हुए है।

निर्यातकर्ताओ को ऋण की सुविधाए देने के सम्बन्ध मे दो अध्ययन-दलो की सिफारिशें सरकार-द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के अनुसार 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट' तथा 'स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट' में सशोधन किए गए। निर्यात-हानिलाभ-बीमा-निगम के स्थान पर एक निर्यात-ऋण तथा गारण्टी-निगम स्थापित किया गया है जो निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा उनके विकास के लिए ऋण-सम्बन्धी सुविधाए देता और देश में निर्यात-ऋण की कमी को पूरा करता है। निर्यात-गृहो को मान्यता देने की शर्तें ढीली कर दी गई है और अब तक ऐसे 72 गृहो को मान्यता दी जा चुकी है। निर्यात-कर्ताओं के लिए भी एक आचरण-संहिता तैयार कर ली गई है।

प्रदर्शनी-निदेशालय भारतीय सामान के व्यावसायिक दृश्य-प्रचार की देखभाल करता है। 1965 में भारत ने आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, संघीय जर्मनी-गणराज्य, लोक तन्त्रात्मक जर्मनी-गणराज्य, हंगरी, केनिया, लीबिया, पोलैण्ड, सोमालिया, सीरिया, तुर्की, अमेरिका तथा यूगोस्लाविया के मेलों में भाग लिया। 1966 में विभिन्न देशों में हुए 19 मेलो में भारत-द्वारा भाग लिए जाने की व्यवस्था की गई है। बैंकॉक में होनेवाले प्रथम एशियाई व्यापार-मेले तथा अप्रैल-अक्तूबर 1967 में मॉण्ट्रियल (कनाडा) में होनेवाले 1967 की सार्वभौमिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने की व्यवस्था पहले से ही की जा चुकी है।

15 महत्वपूर्ण विदेशी वाणिज्यीय केन्द्रों में प्रदर्शन-कक्ष तथा व्यापार-केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। निर्यात को प्रोत्साहन देने में सहायता देने के लिए बम्बई में भारतीय व्यापार-मेला तथा प्रदर्शनी-परिषद् स्थापित की गई है। 'समिति-पंजीयन-अधिनियम' के अधीन सरकार-द्वारा स्थापित भारतीय विदेश-व्यापार-संस्था का काम अप्रैल 1964 में चालू हो गया।

व्यापार-करार

भारत तथा अन्य देशो के बीच निकटतर आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने और विदेश-व्यापार में वृद्धि करने की दृष्टि से व्यापार-करार/व्यवस्थाएं तथा व्यापारिक/आर्थिक प्रतिनिधिमण्डलो का आदान-प्रदान होना महत्त्वपूर्ण है।

1965 में भारत ने अनेक नए करार किए तथा पहले के कुछ करारो का आगे के लिए विस्तार भी किया। इस वर्ष नए करार यूगाण्डा, संयुक्त अरब-गणराज्य, सूडान तथा श्रीलंका के साथ हुए। यूगाण्डा के साथ हुआ करार दो वर्षों के लिए तथा शेष एक-एक वर्ष के लिए है। सूडान के साथ एक नयाचार पर भी हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार भारत सूडान मे संयुक्त उद्योगो की स्थापना के लिए ऋण देगा। फ्रांस तथा यूनान के साथ हुए पहले के करारों को नवीकृत किया गया और लोकतन्त्रात्मक वियतनाम-गणराज्य, अफगानिस्तान तथा ईरान के साथ हुए करारो की अवधियां बढ़ा दी गईं। नेपाल के साथ हुई व्यापार-सन्धि का भी अक्तूबर 1970 तक विस्तार कर दिया गया। बल्गारिया तथा हंगरी के साथ हुए व्यापार तथा भुगतान-करारों की अवधि भी इस साल तक के लिए बढ़ा दी गई।

इस वर्ष भारत के व्यापार-प्रतिनिधिमण्डल यूगाण्डा, केनिया, तन्जानिया, संयुक्त अरब-गणराज्य, ट्यूनीशिया, स्पेन, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, जकार्ता, आस्ट्रेलिया, बैंकॉक, पूर्व-जर्मनी, यूगोस्लाविया, हंगरी तथा रूस की यात्रा पर गए। एक अध्ययन-मण्डल टर्की गया। अर्जेण्टीन, ट्यूनीशिया, ईराक, सूडान, संयुक्त अरब-गणराज्य, फिनलैण्ड, आस्ट्रेलिया, थाइलैण्ड, फिलीपीन, रूस तथा बर्मा के प्रतिनिधिमण्डल भारत आए।

विकासशील देशों के बीच परस्पर सहयोग की दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया गया है। विदेशों मे अब तक 30 संयुक्त औद्योगिक उद्यमों को स्वीकृति दी जा चुकी है। भारत ने श्रीलंका, नेपाल, सूडान, यूगाण्डा, तन्जानिया तथा घाना के एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को 23.5 करोड रुपये के रुपये-ऋण भी दिए।

तटकर (टैरिफ)

तटकर-आयोग की सिफारिश पर 1966 से दियासलाई-उद्योग को दिया जानेवाला संरक्षण समाप्त कर दिया गया। सरकार ने कुछ अन्य उद्योगों को दिया जानेवाला संरक्षण भी समाप्त कर दिया। तटकर आयोग के कार्य-संचालन तथा संरक्षण-नीति की समीक्षा करने और वर्तमान अधिनियम तथा आयोग के संविधान आदि में संशोधन करने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से डा० वी० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है।

तटकर-पुनर्विचार-समिति

1964 में सरकार तथा व्यापारिक निकायों के प्रतिनिधियों की एक मिलीजुली तटकर-पुनर्विचार-समिति नियुक्त की गई । यह समिति 'भारतीय सीमाशुल्क-तटकर (आयात तथा निर्यात) अनुसूची' की जांच करने, 1934 के 'भारतीय तटकर-अधिनियम (1949 का संशोधन-अधिनियम)' की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने तथा जांच के उद्देश्यों के अनुरूप अन्य सिफारिशें करने के कार्य करेगी । समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट मई 1965 में दे दी जिसे सरकार ने अपनी सहमति दे दी है और समिति इसके आधार पर एक परिवर्द्धित अनुसूची तैयार कर रही है ।

व्यापार की दिशा

ब्रिटेन तथा अमेरिका भारत के मुख्य ग्राहक बने रहे । भारत जिन देशों को निर्यात करता है, उनमें प्रमुख ये हैं : ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पश्चिम-जर्मनी, कनाडा, बर्मा, संयुक्त अरब-गणराज्य, फ्रांस, अर्जेण्टीन, सूडान, मलयशिया, सिंगापुर, नीदरलैण्ड्स, चेकोस्लोवाकिया, केनिया, इटली, नाइजीरिया, क्यूबा, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान तथा इण्डोनीशिया ।

1964-65 के प्रथम 10 महीनों में पूर्व-यूरोपीय देशों को भारत का निर्यात 86 करोड़ रु० के मूल्य का हुआ । अमेरिका, ब्रिटेन, रूस तथा जापान को होनेवाले निर्यात में तो वृद्धि होती रही, किन्तु पश्चिम-जर्मनी, कनाडा, सूडान, केनिया, न्यूजीलैण्ड, अर्जेण्टीन, इटली, पाकिस्तान तथा इण्डोनीशिया को होनेवाला निर्यात उतना ही रहा अथवा उसमें कमी आई ।

भारत मुख्यत इन देशों से आयात करता है अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम-जर्मनी, ईरान, जापान, इटली, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, स्विट्जरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, मलयशिया, सऊदी अरब, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, पाकिस्तान, बर्मा, नीदरलैण्ड्स, सिंगापुर, स्वीडन, संयुक्त अरब-गणराज्य, केनिया तथा सूडान । सबसे अधिक आयात अमेरिका से होता रहा और उसके बाद ब्रिटेन, पश्चिम-जर्मनी, जापान तथा रूस का स्थान आता है ।

निर्यात तथा आयात का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है ।

सारणी 28

भारत के आयात तथा निर्यात

(रुपये)

वर्ष	निर्यात	आयात
1961-62 .	6,60,34,00,000	10,90,06,00,000
1964-65	8,14,56,00,000	12,63,31,00,000
अप्रैल-अक्तूबर 1965 .	4,51,62,00,000	8,02,06,00,000

व्यापार का रूप

सौदागिरी की वस्तुओं का निर्यात

भारत से सौदागिरी की वस्तुओं के निर्यात में हाल के वर्षों में बहुत विस्तार हुआ

तथा विविधता आई। 1964-65 में हुआ 8.11 अर्ब रुपये का निर्यात 1963-64 के निर्यात से लगभग 22 करोड़ रुपये अधिक था। निर्यात में वृद्धि कई जिन्सों के सम्बन्ध में हुई। 1964-65 में पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात लगभग 1.66 अर्ब रुपये के मूल्य का हुआ जो अब तक में सबसे अधिक था। हाल के वर्षों में सूती वस्त्रों के निर्यात में होती आनेवाली कमी न केवल रुकी, बल्कि निर्यात में वृद्धि भी हुई। 1964-65 में खली का निर्यात 35 करोड़ रु० के मूल्य का हुआ। 1963-64 में वनस्पति-तेलों का निर्यात 20 करोड़ रुपये के मूल्य का तथा चीनी का निर्यात 27 करोड़ रुपये के मूल्य का हुआ, किन्तु 1964-65 में देश में इन वस्तुओं का अभाव होने के कारण इनके निर्यात में कमी हुई। पेट्रोल से बनी वस्तुओं, लोहा तथा इस्पात, काजू की गिरी, चमड़ा, चाय, मसाले आदि जैसी कई वस्तुओं का निर्यात पहले से अधिक हुआ।

1961-62, अप्रैल-अक्तूबर 1965 तथा अप्रैल-अक्तूबर, 1964 में भारत से हुआ मुख्य-मुख्य वस्तुओं का निर्यात तथा भारत में हुआ मुख्य-मुख्य वस्तुओं का आयात तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्रमश: सारणी 29 तथा सारणी 30 में दिया गया है।

आयात में हुई अधिक वृद्धि का कारण देश में मशीनों तथा अनेक पुर्जों आदि की अधिक माग होते का रहा। 1963-64 तथा 1964-65 में अनाज का आयात अधिक इसलिए हुआ कि देश में अनाजों का उत्पादन काफी कम रहा। कच्ची कपास तथा परिवहन के उपकरणों के आयात में हुई भारी कमी के साथ-साथ उत्पादन में होनेवाली वृद्धि के फलस्वरूप भारत को आयात पर बहुत कम निर्भर रहना पड़ा। लोहा तथा इस्पात रसायनों, सूत तथा ओषधियों आदि के आयात में भी कमी आई। बिजली-सम्बन्धी मशीनों तथा अलौह धातुओं के आयात में वृद्धि देखने में आई क्योंकि देश में इनकी आवश्यकता अधिक प्रतीत हुई।

सरकारी व्यापार

सरकारी व्यापार-निगम

मई 1956 में पूर्णत: सरकार के नियन्त्रण में एक सरकारी व्यापार-निगम की स्थापना हुई। इसकी अधिकृत पूंजी इस समय 5 करोड़ रु० की है। निगम का प्रमुख कार्य देश की सुरक्षित विदेशी राशियों पर भार डाले बिना नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्थावाले देशों के साथ भारत के निर्यात-व्यापार का विस्तार करके भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि करना है। निगम भारतीय व्यापार को बहुमुखी बनाने और भारत की परम्परागत तथा परम्परागत-भिन्न निर्यात-वस्तुओं के लिए नई मण्डियां ढूंढने का भी यत्न कर रहा है। इसने भारत से निर्यात की जानेवाली वस्तुओं के बदले में आवश्यक पूंजीगत सामान तथा औद्योगिक कच्ची सामग्री मंगाने के सम्बन्ध में कुछ देशों के साथ व्यवस्था की है। निगम ने मुख्य कच्ची सामग्री के उचित वितरण की भी व्यवस्था की है ताकि इन वस्तुओं के मूल्य उचित स्तर पर रखे जा सकें। इन वस्तुओं में कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, पारा, समाचारपत्र-कागज, कपूर, रंग-सामग्री आदि सम्मिलित हैं। आयात की मात्रा तथा समय इस प्रकार निश्चित किए गए हैं कि उपलब्धि में बारबार बाधा न आए। लघु तथा मध्यम उद्योगों की वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 1962

में एक आदर्श 'लघु उद्योग-निर्यात-सहायता-योजना' आरम्भ की गई । इस योजना के अधीन 30 देशों को 30 लाख रु० के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया जा चुका है। 1965-66 के अन्त तक 1 करोड़ रु० के मूल्य का निर्यात होने की आशा थी । 1965 में निगम ने कुल कारोबार लगभग 1 अर्ब 4 करोड़ 38 लाख रु० के मूल्य का किया।

फरवरी 1964 में निगम ने वस्त्र-उद्योग के लिए 10 करोड़ रु० के मूल्य की मशीनों के आयात के लिए ब्रिटेन की एक प्रसिद्ध फर्म के साथ करार किया। आस्थगित भुगतान के आधार पर 1 करोड़ डालर के मूल्य की मशीनों के आयात के लिए जापानी वस्त्र-मशीन-निर्माता-संगठन के साथ भी एक अन्य करार किया गया है।

खनिज-पदार्थ तथा धातु-व्यापार-निगम

अप्रैल 1963 में भारत-सरकार ने उपर्युक्त निगम की स्थापना के उद्देश्य से सरकारी व्यापार-निगम को दो भागों में बांटने का निर्णय किया। उपर्युक्त नए निगम का कार्य अक्तूबर 1963 में आरम्भ हुआ। 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ स्थापित इस पूर्णत: सरकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य खनिज-पदार्थों के निर्यात की तथा धातुओं के आयात की व्यवस्था करना और खनिज-पदार्थों आदि के निर्यात के लिए नई मण्डियां खोजना तथा उनका विकास करना है।

खनिज लोहे का निर्यात एकमात्र निगम ही करता है। 1965 में 39.9 करोड़ रु० के खनिज लोहे का निर्यात किया गया। शेष निर्यात प्राइवेट फर्मों ने किया।

धातु-पत्ती-व्यापार-निगम

सितम्बर 1964 में 2 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ धातु-पत्ती-व्यापार निगम नामक एक नया व्यापार-निगम स्थापित किया गया।

आन्तरिक व्यापार

देश के विस्तृत क्षेत्रफल, भिन्न-भिन्न स्थानों की भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु तथा विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक ससाधनों को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है कि भारत का आन्तरिक व्यापार इसके बाह्य व्यापार से कई गुना अधिक हो। राष्ट्रीय आयोजन-समिति की एक व्यापार उप-समिति के अनुसार 1947 में देश का आन्तरिक व्यापार 70 अर्ब रु० तथा बाह्य व्यापार 3.5 अर्ब रु० के मूल्य के थे।

आन्तरिक व्यापार के पूरे-पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बहुत-सा व्यापार तो बैल-गाड़ियों तथा छोटी-मोटी नौकाओं-द्वारा होता है जिसका हिसाब-किताब रखना सरल नहीं है। किन्तु रेल तथा देशी जहाजों-द्वारा होनेवाले व्यापार के आंकड़े उपलब्ध हैं।

1964-65 की अवधि में राज्यों तथा मुख्य बन्दरगाहों के बीच रेल तथा नदियों-द्वारा 26,79,85,000 क्विण्टल कोयले, 28,95,000 क्विण्टल कच्ची कपास; 19,64,000 क्विण्टल सूती कटपीस, 1,96,91,000 क्विण्टल चावल; 3,77,17,000 क्विण्टल गेहूं; 28,11,000 क्विण्टल कच्चे पटसन, 6,47,59,000 क्विण्टल लोहे तथा इस्पात की वस्तुओं; 60,30,000 क्विण्टल तिलहन; 1,42,46,000 क्विण्टल नमक तथा 81,66,000 क्विण्टल चीनी (खण्डसारी को छोड़कर) का व्यापार हुआ।

सारणी 29

निर्यात की गई वस्तुएं

(रुपये)

वस्तुएं	1961-62	अप्रैल-अक्तूबर 1965	अप्रैल-अक्तूबर 1964
1	2	3	4
चाय	1.22,26,00,000	61,77,00,000	69,10,00,000
सूती वस्त्र	48,25,00,000	29,87,00,000	33,82,00,000
अन्य वस्त्र (सूती वस्त्र को छोड़कर)	87,51,00,000	67,17,00,000	69,82,00,000
कपड़े की बनी चीजें (पहनने के कपड़ों तथा जूतों को छोड़कर)	76,81,00,000	50,12,00,000	61,33,00,000
कच्ची लोहारहित धातुएं	12,81,00,000	5,81,00,000	8,85,00,000
चमड़ा	25,33,00,000	15,85,00,000	15,66,00,000
कच्ची कपास	20,75,00,000	8,69,00,000	8,24,00,000
ताज़े फल तथा मेवे	20,27,00,000	17,50,00,000	17,80,00,000
कच्ची वनस्पतिजन्य सामग्री	15,36,00,000	9,46,00,000	9,74,00,000
कच्ची ऊन	9,19,00,000	3,81,00,000	5,62,00,000
चीनी	15,33,00,000	5,99,00,000	15,63,00,000
खनिज लोहा आदि	17,41,00,000	19,13,00,000	19,49,00,000
कच्चा तम्बाकू	14,05,00,000	16,65,00,000	19,02,00,000
वनस्पति-तेल	5,82,00,000	3,01,00,000	5,00,00,000
कच्चे खनिज-पदार्थ (कोयला, पेट्रोल, खाद तथा बहुमूल्य रत्नों को छोड़कर)	11,96,00,000	8,01,00,000	6,51,00,000

सारणी 29 (क्रमशः)

1	2	3	4
सूत	13,95,00,000	8,09,00,000	8,52,00,000
सजावटी तथा फर्श पर बिछाने का ऊनी सामान	4,28,00,000	3,34,00,000	2,50,00,000
लोहा तथा इस्पात	9,68,00,000	6,70,00,000	6,31,00,000
कहवा	9,02,00,000	9,59,00,000	10,85,00,000
चमड़ा तथा खालें (कच्ची)	8,22,00,000	4,99,00,000	4,92,00,000
पेट्रोलियम-उत्पादन	3,48,00,000	2,63,00,000	4,06,00,000
कोयला, कोक तथा कोयला-चूरे की ईंटें	2,42,00,000	2,23,00,000	2,44,00,000
योग	6,55,17,00,000	4,49,47,00,000	4,63,19,00,000

सारणी 30

आयात की गई वस्तुएं

(रुपये)

वस्तुएं	1961-62	अप्रैल-अक्तूबर 1965	अप्रैल-अक्तूबर 1964
मशीनें (बिजली की मशीनों को छोड़कर)	2,36,99,00,000	1,83,56,00,000	1,77,98,00,000
लोहा तथा इस्पात	1,07,81,00,000	59,08,00,000	59,57,00,000
पेट्रोलियम-उत्पादन	53,29,00,000	21,61,00,000	26,68,00,000
परिवहन का सामान	64,26,00,000	42,76,00,000	44,41,00,000
बिजली की मशीनें तथा उपकरण	65,91,00,000	54,02,00,000	49,46,00,000
कच्ची कपास	62,66,00,000	29,53,00,000	32,93,00,000

गेहूं	93,87,00,000	1,21,00,00,000	1,40,11,00,000
पेट्रोल (बिना साफ किया हुआ और आंशिक रूप से साफ किया हुआ)	42,36,00,000	18,59,00,000	18,82,00,000
रासायनिक मूल पदार्थ तथा उनके मिश्रण	35,59,00,000	22,84,00,000	19,61,00,000
धातु की बनी वस्तुएं	17,95,00,000	9,34,00,000	9,90,00,000
सूत	13,26,00,000	3,94,00,000	4,45,00,000
युद्ध-उपकरण	1,22,00,000	—	—
तांबा	23,45,00,000	24,62,00,000	14,22,00,000
चावल	18,73,00,000	31,37,00,000	17,75,00,000
ओषधियां	11,30,00,000	5,60,00,000	4,71,00,000
ताज़े फल तथा मेवे	10,15,00,000	8,34,00,000	9,24,00,000
कच्ची ऊन तथा बाल	12,18,00,000	3,84,00,000	5,71,00,000
कागज़ तथा गत्ता	15,95,00,000	7,17,00,000	6,81,00,000
तिलहन तथा गिरियां आदि	9,43,00,000	4,07,00,000	3,90,00,000
कोलतार, रंग-सामग्री तथा नील	11,18,00,000	2,46,00,000	3,40,00,000
अल्युमीनियम	7,93,00,000	4,51,00,000	3,90,00,000
दूध तथा क्रीम (डिब्बाबन्द)	8,43,00,000	3,69,00,000	4,58,00,000
विविध रसायन तथा उनके उत्पादन	12,14,00,000	3,78,00,000	2,85,00,000
जस्ता	7,35,00,000	10,10,00,000	5,98,00,000
कच्चा पटसन	6,27,00,000	7,12,00,000	1,93,00,000
कच्चे खनिज-पदार्थ (कोयला, पेट्रोल, खाद तथा बहुमूल्य रत्न-पत्थरों को छोड़कर)	7,86,00,000	2,69,00,000	2,48,00,000
वनस्पति-तेल	5,42,00,000	5,31,00,000	2,72,00,000
योग	10,90,06,00,000	8,02,06,00,000	7,80,67,00,000

तटीय व्यापार

भारतीय तटों को इन खण्डो में विभाजित किया गया है : (1) पश्चिम-बंगाल; (2) उड़ीसा; (3) आन्ध्रप्रदेश; (4) मद्रास, (5) केरल; (6) मैसूर; (7) महाराष्ट्र; (8) गुजरात; (9) अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह; (10) लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी-द्वीपसमूह, (11)पाण्डिचेरी, तथा (12) गोआ। एक ही खण्ड में विभिन्न बन्दरगाहों के बीच होनेवाला व्यापार 'आन्तरिक व्यापार' और एक खण्ड तथा अन्य खण्डों के बीच होनेवाला व्यापार 'बाह्य व्यापार' कहलाता है।

1963-64 में कुल तटीय व्यापार 5,15,79,00,000 रु० के मूल्य का हुआ। इसमें से 2,54,87,00,000 रु० का आयात तथा 2,60,92,00,000 रु० का निर्यात हुआ।

1955-56 से 1959 तक आयात निर्यात से अधिक रहा किन्तु 1960-61 से प्रवृत्ति बिल्कुल उलट गई।

मीट्रिक मापतोल

1956 में 'मानक मापतोल-अधिनियम' पास होने के बाद से यह सुधार एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न उद्योगो, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों तथा प्रदेशो में शनैः-शनैः लागू किया गया है। सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में 1958 में दो वर्ष की अवधि के लिए मीट्रिक बाट स्थानीय बाटों के साथ-साथ लागू किए गए। अक्तूबर 1960 से इन क्षेत्रों में इन बाटों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया। कुछ चुने हुए उद्योगों तथा सरकारी विभागों (रेल, डाक तथा तार आदि) में भी इनका प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया।

1962 में देश-भर में मीट्रिक बाटों तथा लम्बाई के मापों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। यह प्रणाली मोटर-परिवहन-उद्योग तथा शराब पर लगनेवाले उत्पाद-शुल्क के लिए भी लागू की गई। भूमि के लिए माप की मीट्रिक प्रणाली का प्रयोग अक्तूबर 1962 से लागू कर दिया गया। तीन वर्ष तक वर्तमान प्रणाली भी चालू रही। अप्रैल 1963 से तोल की मीट्रिक प्रणाली (लिटर आदि) देश-भर में लागू कर दी गई।

मापतोल के मीट्रिक बाटों का प्रयोग अब देशभर में अनिवार्य कर दिया गया है मापतोल की मीट्रिक प्रणाली रेलो, डाक-तार, सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सरकार के अन्य अनेक विभागों में उपयुक्त हो रही है। मापतोल के नए बाटों तथा नए उपकरणों की जाच करने के लिए एक 'आदिरूप (प्रोटोटाइप) स्वीकृति-केन्द्र' स्थापित किया जा रहा है। इस केन्द्र से स्वीकृति मिलने के बाद ही इनका नियमित रूप से उत्पादन किया जाएगा। मीट्रिक मानक प्रकाशित किए जा चुके हैं।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय वैध माप-विज्ञान तथा मीटर-अनुबन्ध-संगठन का सदस्य है।

अध्याय 22

परिवहन

रेल

58,300 किलोमीटर-क्षेत्र में फैली भारतीय रेलो का स्थान विस्तार की दृष्टि से संसार में दूसरा है तथा यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है। 30 अर्ब रुपये से अधिक की परिसम्पत्ति-सहित रेलो में 13 लाख व्यक्ति काम करते हैं और 12,000 रेल-इंजिन; 31,000 सवारीडिब्बे तथा 3,58,000 मालडिब्बे प्रयुक्त हो रहे हैं। रेलगाड़ियों से प्रतिदिन 50 लाख व्यक्ति यात्रा करते हैं तथा 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक माल ढोया जाता है। 6,800 स्टेशनों पर प्रतिदिन 10,000 गाडियां चल रही हैं जिनसे प्रतिवर्ष 7 अर्ब रुपये की आय होती है।

भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल, 1853 को चालू हुई थी। उस समय भारतीय रेल-लाइनो की लम्बाई 32 किलोमीटर थी। 1947-48 में यह लम्बाई 54,694 किलोमीटर थी तथा रेलो में 7 अर्ब 42 करोड़ 20 लाख रुपये की पूंजी लगी हुई थी। इनकी कुल आय 1 अर्ब 83 करोड़ 69 लाख रु० तथा शुद्ध आय 19.75 करोड़ रु० की थी। 1964-65 में इनसे 6 अर्ब 66 करोड़ 4 लाख रु० की कुल आय तथा 1 अर्ब 34 करोड़ 77 लाख रु० की शुद्ध आय हुई। 1964-65 में भारतीय रेलो से लगभग 2,01,46,00,000 लोगों ने यात्रा की तथा इनके द्वारा 19,51,00,000 मीट्रिक टन माल ढोया गया जिनसे क्रमशः 2 अर्ब 42 लाख रु० तथा 3 अर्ब 99 करोड़ 81 लाख रु० की आय हुई।

रेल-क्षेत्र

अगस्त 1949 से पहले की भारत की 37 रेल-प्रणालियों का वर्गीकरण करके इन्हे 8 रेल-क्षेत्रों में बाट दिया गया है (1) दक्षिण-क्षेत्र (मुख्यालय–मद्रास); (2) मध्य क्षेत्र (मुख्यालय–बम्बई); (3) पश्चिम-क्षेत्र (मुख्यालय–बम्बई); (4) उत्तर-क्षेत्र (मुख्यालय–दिल्ली); (5) उत्तर-पूर्व-क्षेत्र (मुख्यालय–गोरखपुर); (6) पूर्व-क्षेत्र (मुख्यालय–कलकत्ता); (7) दक्षिण-पूर्व-क्षेत्र (मुख्यालय–कलकत्ता); तथा (8) उत्तर-पूर्व-सीमान्त क्षेत्र (मुख्यालय–पाण्डु)।

कुछ छोटी रेल-लाइनों को, जो प्राइवेट कम्पनियों के अधिकार में थीं, पुनर्गठन-योजना में सम्मिलित नहीं किया गया।

रेल-वित्त

रेल-वित्त 1924-25 में सामान्य वित्त से अलग कर दिया गया तथा यह निर्णय किया गया कि रेलें सामान्य राजस्व में निर्धारित दर के अनुसार अंशदान करें।

योजनाओं के अधीन विकास

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास के साथ निकट से सम्बन्धित तथा परिवहन के सबसे बड़े माध्यम होने के कारण रेल-सम्बन्धी-व्यवस्था का काफी अधिक महत्त्व है। अपने पुनर्संस्थापन-कार्यों में रेलों ने निर्माण-कार्यक्रम में बहुत बड़ा भाग लिया। पहली दो योजनाओं में रेलों पर कुल 14 अर्ब 66 करोड़ 92 लाख रुपये व्यय हुए तथा तीसरी योजना के लिए 16 अर्ब 76 करोड़ 98 लाख रुपये निर्धारित किए गए थे। योजना-कार्यक्रमों में रेलों ने भी पहली दो योजनाओं में 7 45 अर्ब रुपये का योगदान दिया तथा तीसरी योजना में 5 अर्ब 41 करोड़ 41 लाख रुपये के योगदान का अनुमान लगाया गया था।

तीसरी योजना की अवधि में 2,200 किलोमीटर लम्बी नई रेल-लाइनें बिछाने; 3,200 किलोमीटर लम्बी लाइनों को दोहरा करने, 1,770 किलोमीटर लम्बी लाइनों के विद्युतीकरण, 1,860 रेल-इंजिनों, 8,437 सवारीडिब्बों तथा 1,47,671 माल-डिब्बों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था।

नए निर्माणकार्य

पहली योजना की अवधि में पहले उखाड़ी गई 692 किलोमीटर लम्बी लाइनें फिर से बिछाई गईं, 612 किलोमीटर लम्बी नई लाइनें बिछाई गईं तथा 74 किलोमीटर लम्बी छोटी लाइनों को मध्यम लाइनों में बदल दिया गया। इसके अतिरिक्त योजना की अवधि की समाप्ति के समय 734 किलोमीटर लम्बी नई लाइनें बिछाई जा रही थीं, 84 किलोमीटर लम्बी लाइनें बड़ी लाइनों में बदली जा रही थीं तथा 3,200 किलोमीटर से अधिक लम्बी नई लाइनों का सर्वेक्षण किया जा रहा था।

दूसरी योजना की अवधि में 660 किलोमीटर लम्बी नई बड़ी लाइनें तथा 651 किलोमीटर लम्बी नई मध्यम लाइनें यातायात के लिए खोल दी गईं और 799 किलोमीटर लम्बी बड़ी लाइनें तथा 332 किलोमीटर लम्बी मध्यम लाइनें बिछाई जा रही थीं। इनके अतिरिक्त 19,859 किलोमीटर लम्बी लाइनें नवीकृत की गईं तथा 11,364 किलोमीटर लम्बे मार्ग पर पुराने स्लीपरों को बदला गया।

तीसरी योजना के पहले चार वर्षों में 1,131 किलोमीटर लम्बी नई लाइनें चालू की गईं; 350 किलोमीटर लम्बी मध्यम लाइनें बड़ी लाइनों में बदली गईं; 2,720 किलोमीटर लम्बी लाइनों को दोहरा किया गया तथा 2,877 किलोमीटर लम्बी लाइनों को दोहरा किया जा रहा था।

रेल-इंजिन तथा डिब्बे आदि

पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में 1,586 रेल-इंजिन; 4,758 सवारी-डिब्बे तथा 41,192 मालडिब्बे उपयोग में आने लगे। दूसरी योजना की अवधि में अतिरिक्त स्थान-पूर्ति के लिए 2,172 रेल-इंजिन; 7,515 सवारीडिब्बे तथा 97,994 मालडिब्बे प्राप्त किए गए। तीसरी योजना के प्रथम चार वर्षों में 1,499 रेल-इंजिन; 6,183 नए सवारीडिब्बे, बिजली से चलनेवाले 412 डिब्बे तथा 1,11,370 नए माल-डिब्बे उपयोग में लाए गए।

कारखाने, संयन्त्र तथा मशीनें

विभिन्न योजनाओं के समय में इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का उल्लेख 'उद्योग' वाले अध्याय में किया गया है।

विद्युतीकरण

भारत में बिजली से चलनेवाली गाड़िया, जो सर्वप्रथम 1925 में चालू की गईं थीं, केवल कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में ही चलती है। 31 मार्च, 1965 तक 2,100 किलोमीटर लम्बी रेल-लाइनों का विद्युतीकरण किया गया।

डीजलीकरण

उपयुक्त मार्गों पर डीज़ल-रेलगाडियो मे तेज़ी से वृद्धि हो रही है। इस समय 486 डीजल-रेल-इंजिन हैं। सितम्बर 1964 तक वाराणसी के डीजल-रेल-इंजिन-कारखाने मे 10 डीजल-रेल-इंजिन जोडकर तैयार किए गए।

पुल

मोकामा के निकट गंगा का रेल-सड़क-पुल मई 1959 में यातायात के लिए चालू कर दिया गया। पाण्डु के निकट ब्रह्मपुत्र का पुल माल-यातायात के लिए अक्तूबर 1962 में तथा यात्री-परिवहन के लिए जनवरी 1963 में खोल दिया गया। विजयवाडा के निकट कृष्णा-नदी पर दूसरा पुल पूरा बन चुका है। राजमण्ड्रि के निकट दूसरा गोदावरी-पुल तथा दिल्ली के निकट यमुना का दूसरा पुल तेज़ी से तैयार किए जा रहे हैं। बिहार में सोन-नदी का सडक-पुल तथा उड़ीसा मे महानदी-पुल यातायात के लिए खोल दिए गए।

यात्रियों के लिए सुविधाएं

5,451 स्टेशनो पर रेल-यात्रियो के लिए सभी सुविधाओं की पूरी-पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। हाल मे यात्रियों—विशेषकर तीसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले लोगो—की सुविधा के लिए काफी सुधार-कार्य किए गए। उदाहरणस्वरूप कुछ महत्त्वपूर्ण रेलगाड़ियों में लम्बी यात्रा करनेवाले यात्रियो के लिए डिब्बे सुरक्षित करने की व्यवस्था लागू की गई, कुछ नई रेलगाड़िया चलाई गईं तथा कुछ रेलगाड़ियों का क्षेत्र-विस्तार किया गया। आठ सौ किलोमीटर से ऊपर यात्रा करनेवाले यात्रियों के लिए, बिना अतिरिक्त शुल्क के, तीसरी श्रेणी के डिब्बो में एक के ऊपर एक की तीन बर्थों की सुविधावाले डिब्बे लगाए गए, रेलगाडियो में भोजन आदि की व्यवस्था मे सुधार किया गया तथा पीने के पानी, पंखो आदि की भी व्यवस्था की गई। कई नए प्रतीक्षालय, पुल तथा प्लेटफार्म भी बनाए गए। दूसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए भी सोने की व्यवस्था की गई।

कर्मचारी-कल्याण

1964-65 में रेलों के विभिन्न एकाशो में 13,18,594 कर्मचारी थे जिन पर 2 अर्ब 76 करोड़ 10 लाख रुपये व्यय किए गए। कर्मचारी-कल्याण-कार्यों पर 16.19 करोड़ रु० व्यय हुए।

नए क्वार्टर बनाने तथा कर्मचारियो के हित के विभिन्न कार्यों पर प्रतिवर्ष औसतन पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में लगभग 4 करोड़ रु० तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना

की अवधि में 10 करोड़ रु० व्यय किए गए। तीसरी योजना के प्रथम चार वर्षों में इस उद्देश्य से प्रतिवर्ष लगभग 13 करोड रु० व्यय हुए।

कर्मचारियो के लिए पहली योजना की अवधि मे 40,000 क्वार्टर बनवाए गए तथा दूसरी योजना की अवधि मे 57,000 क्वार्टर। तीसरी योजना के चार वर्षों में लगभग 56,680 क्वार्टर बनवाए गए।

1964-65 के अन्त में रेल-कर्मचारियों के लिए 87 चिकित्सालय तथा 568 स्वास्थ्य-एकाश/औपधालय थे। क्षयरोग के रोगियो की चिकित्सा के लिए कुछ नए उपचारालय खोले गए। इसके अतिरिक्त रोगीशय्याओ की सख्या मे भी वृद्धि की गई। पहाड़ी स्थानो मे रेलों के अपने 21 अवकाशगृह है। रेल-कर्मचारियो के बच्चो के लिए शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। 1964-65 मे 755 विद्यालयों मे 1,20,067 विद्यार्थियो ने विद्याध्ययन किया।

जिन रेल-कर्मचारियो के बच्चे अपने माता-पिता से दूर रहकर विद्याध्ययन करते है, उनके लाभ के लिए 12 सहायता-प्राप्त छात्रावास स्थापित किए गए है। 1964-65 में प्राविधिक शिक्षा के लिए कर्मचारी कल्याण-निधि से 2,801 छात्रवृत्तिया दी गई। इसके अतिरिक्त दूरस्थ स्थानो पर नियुक्त रेल-कर्मचारियों के लिए चलते-फिरते पुस्तकालयों की भी व्यवस्था की जा रही है।

दिसम्बर 1957 मे यह निश्चय किया गया कि सभी रेल-कर्मचारियो को इस बात की छूट दी जाए कि यदि वे चाहे तो वे निवृत्ति-वेतन (पेशन) योजना का लाभ उठा सकते है। फरवरी 1957 मे पदों के पुनर्वितरण की एक बडी योजना आरम्भ की गई जिससे 1,70,000 अराजपत्रित कर्मचारियो को लाभ पहुंचेगा। चतुर्थ वर्ग-कर्मचारी-समिति की सिफारिशो के अनुसार उपाय भी किए जा रहे है।

सचालन-आंकड़े

यात्री-परिवहन तथा आय

1964-65 मे 2,01,46,00,000 यात्रियो ने यात्रा की जिनमें से वातानुकूलित (एयर-कण्डीशण्ड) डिब्बो में यात्रा करनेवाले यात्रियों की संख्या 2,11,00,000 और पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी तथा तीसरी श्रेणी मे यात्रा करनेवाले यात्रियो की संख्या क्रमश: 5,76,00,000, 1,17,00,000 तथा 1,94,51,00,000 थी। यात्रियो के किराये से रेल को कुल 2,00,42,00,000 रु० की आय हुई।

माल-यातायात तथा आय

1964-65 में रेलो से 19,51,00,000 मीट्रिक टन माल ढोया गया जिससे 3,99,81,000 रु० की आय हुई।

किराया तथा भाड़ा

1 जनवरी, 1962 से रेलो को सौंपे गए माल के बारे में 'सामान्य वाहक-दायित्व' रेलों के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन आया है।

रेलों ने यात्री-किरायों के लिए 15 सितम्बर, 1957 से तथा माल-भाड़ों के लिए 1 अक्तूबर, 1958 से दशमलव सिक्के अपनाए। रेलों के व्यावसायिक विभागों ने 1 अप्रैल, 1960 से माप-तोल की मीट्रिक प्रणाली भी अपना ली।

प्रशासन

रेलों का समस्त नियन्त्रण तथा प्रबन्ध रेल-मण्डल के हाथ मे है। रेल-मण्डल की स्थापना सर्वप्रथम 1905 में हुई थी। रेल-मण्डल में इस समय एक अध्यक्ष (जो केन्द्रीय रेल-मन्त्रालय का पदेन प्रधान सचिव है), एक वित्तायुक्त तथा तीन सदस्य हैं जो रेल-मन्त्रालय के सचिव-पद के होते हैं। जनता तथा रेल-प्रशासन के बीच घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखने के प्रयोजन से विभिन्न समितिया भी विद्यमान है।

सड़क

1966 मे अनुमानत. 2,83,680 किलोमीटर लम्बी पक्की तथा 6,74,240 किलोमीटर लम्बी कच्ची सडको का निर्माण हुआ। 1947 में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजपथो (सडकों) के निर्माण तथा उनकी देखभाल का दायित्व स्वय सम्हाल लिया। 'राष्ट्रीय राजपथ-अधिनियम 1956' के अधीन राष्ट्रीय राजपथ केन्द्र के और राज्यीय राजपथों के साथ-साथ जिलो तथा गावो की सडकें राज्य-सरकारो के दायित्व में आती हैं।

राष्ट्रीय राजपथ

1 अप्रैल, 1947 को जब से केन्द्र ने राष्ट्रीय राजपथों का दायित्व स्वयं सम्हाला है, तब से सड़को मे पर्याप्त सुधार हुआ है। इस समय कुल 24,020 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजपथ हैं। 31 मार्च, 1961 तक 2,230 किलोमीटर लम्बी सम्पर्क-मूलक सड़कों का निर्माण किया गया तथा 74 बड़े पुल बनाए गए और 11,905 किलोमीटर लम्बी वर्तमान सडकों का सुधार किया गया। 1 अप्रैल, 1961 से 28 फरवरी, 1966 तक के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्रमश: 608 तथा 61 और 3,840 है। देश में इस समय राष्ट्रीय राजपथो की संख्या 44 है।

अन्य सड़कें

इसके अतिरिक्त भारत-सरकार राज्यो की कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण सड़को के विकास के लिए भी सहायता देती है। ऐसी सड़कों मे असम की पासी-बदरपुर-सड़क और केरल, महाराष्ट्र, मसूर के राज्यों तथा गोआ के संघीय क्षेत्र की पश्चिमी तटवाली सड़कें उल्लेखनीय हैं।

अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्त्व की कुछ चुनी हुई राज्यीय सड़कों के विकास के लिए मई 1954 में स्वीकृत विशेष कार्यक्रम के अधीन दूसरी योजना में 1,480 किलोमीटर लम्बी नई सड़को का निर्माण किया गया तथा 3,180 किलोमीटर लम्बी वर्तमान सड़कों का सुधार किया गया। इस कार्यक्रम के अधीन तीसरी पंचवर्षीय योजना में 800 किलोमीटर लम्बी नई सड़को का निर्माण करने तथा 1,600 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार करने की व्यवस्था थी।

इसके अतिरिक्त राज्यो तथा संघीय क्षेत्रो-द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमो के अधीन दूसरी योजना की अवधि मे 35,400 किलोमीटर लम्बी पक्की सडकें बनाई गई। तीसरी योजना के अन्त तक 40,200 किलोमीटर लम्बी नई पक्की सडको का निर्माण किए जाने की आशा थी।

बीस-वर्षीय योजना

सड़क-विकास के लिए एक नई दीर्घकालीन योजना विचाराधीन है। इसके अधीन प्रत्येक गाव को सडक-द्वारा मिला दिया जाएगा।

सड़क-परिवहन

मोटरगाड़ियां

31 मार्च, 1947 को भारत मे कुल 2,11,949 मोटरगाड़िया थी। 31 मार्च, 1964 को यह सख्या 8,66,336 तक जा पहुंची। इनमे से 1,50,661 मोटरसाइकिले तथा आटो-रिक्शा, 3,77,533 प्राइवेट कारें तथा जीपे; 65,062 सार्वजनिक मोटर-गाड़िया; 2,19,933 भारवाहक (ट्रक आदि) गाडिया तथा 53,117 विविध गाडिया थी। आशा है कि मार्च 1966 तक 10 लाख मोटरगाडिया चलने लगेगी।

प्रशासन

राज्यो मे यात्री-परिवहन का भिन्न-भिन्न मात्रा मे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, पजाब, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर तथा राजस्थान मे अनुविहित निगम स्थापित किए गए है। माल-यातायात गैर-सरकारी क्षेत्र के ही अधीन है। परन्तु असम तथा उत्तर-बगाल-क्षेत्र में आवश्यक सेवाओ के यातायात के लिए 150 गाडियों से युक्त केन्द्रीय सडक-परिवहन-निगम अपना कार्य करता है।

अन्तर्राज्यीय मार्गो पर सडक-परिवहन के विकास, समन्वय तथा नियमन के लिए एक अन्तर्राज्यीय परिवहन-आयोग स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की परिवहन-सेवाओ और केन्द्रीय तथा राज्यीय परिवहन-नीतियो के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से भारत-सरकार ने परिवहन-विकास-परिषद्, सडक तथा अन्तर्देशीय जल-परिवहन-सलाहकार समिति तथा केन्द्रीय परिवहन-समन्वय-समिति स्थापित की है।

परिवहन-सस्थाओ के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए 1963 में सरकारी सड़क-परिवहन-संस्था-संघ स्थापित किया गया।

सरकार-द्वारा 1962 मे नियुक्त परिवहन-सहकारी समिति-अध्ययन-दल ने चौथी योजना की अवधि में परिवहन-सहकारी समितियो की स्थापना के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखने की सिफारिश की है।

देश मे मोटरगाड़ी-कराधान-व्यवस्था की सविस्तर जाच के लिए एक उच्चस्तरीय सड़क-परिवहन-कराधान-जांच-समिति नियुक्त की गई है। दो अध्ययन-दल और भी नियुक्त किए गए हैं।

अन्तर्देशीय जल-मार्ग

देश में नौकानयन के योग्य जल-मार्गों की लम्बाई 8,800 किलोमीटर से अधिक है। अधिक महत्त्वपूर्ण जल-मार्गों में गगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां, गोदावरी तथा कृष्णा और उनकी नहरें, केरल के पश्चजल तथा नहरें, आन्ध्रप्रदेश तथा मद्रास की बकिंघम-नहर, पश्चिम-तट की नहरें और उड़ीसा की डेल्टा-नहर उल्लेखनीय हैं।

ब्रह्मपुत्र, गगा तथा उनकी सहायक नदियों में होनेवाले जल-परिवहन के विकास में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के पारस्परिक सहयोग से 1952 में गंगा-ब्रह्मपुत्र-जल-परिवहन-मण्डल स्थापित किया गया।

इस समय 2,500 किलोमीटर लम्बी नदियों में यन्त्रचालित छोटी नौकाएं तथा 5,700 किलोमीटर लम्बे नदी-मार्गों में बड़ी नौकाए चल सकती हैं। कम गहरे पानी को थोड़ा-बहुत नौकानयन के योग्य बनाया जा सकता है। परन्तु यह कार्य बड़ा व्ययसाध्य है। इसलिए विशेष प्रकार की नौकाएं चलाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। देश में अन्तर्देशीय जल-परिवहन के विकास के लिए तीसरी योजना में लगभग 7 6 करोड़ रु० की लागत की केन्द्रीय योजनाएं सम्मिलित की गई थी। तीसरी योजना में राज्यों के खाते में भी इस मद में 1 48 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी।

जहाजरानी

योजनाकाल में प्रगति

दिसम्बर 1965 के अन्त में देश में 14 6 लाख सकल टन-भार के 217 जहाज थे। इनमें से 3 64 लाख सकल टन-भार के 104 जहाज तटीय व्यापार में लगे हुए थे तथा 10.96 लाख सकल टन-भार के 113 जहाज विदेशों के साथ व्यापार में।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में 9.5 लाख सकल टन-भार के जहाज थे। इनमें निर्माणाधीन जहाज भी सम्मिलित थे। दिसम्बर 1965 के अन्त तक जहाजों की क्षमता में 6 03 लाख सकल टन-भार की वृद्धि की गई। आशा थी कि तीसरी योजना के अन्त में देश में 15 लाख सकल टन-भार के जहाज होंगे।

राष्ट्रीय जहाजरानी-मण्डल

1965 में जहाजरानी के सम्बन्ध में नीति-विषयक बातों पर सरकार को परामर्श देनेवाले राष्ट्रीय जहाजरानी-मण्डल का पुनर्गठन किया गया।

भारत का जहाजरानी-निगम

1961 में पूर्वी तथा पश्चिमी जहाजरानी-निगमों को मिलाकर भारत के जहाजरानी-निगम की स्थापना की गई। इसके पास 2,82,491 सकल टन-भार के विभिन्न प्रकार के 32 जहाज हैं। इस निगम की सहायक कम्पनी 'मुगल लाइन्स लिमिटेड' के पास हज-यात्रियों के लिए 26,000 सकल टन-भार के 4 सवारी जहाज हैं।

अन्य जहाजरानी-कम्पनियां

इनके अतिरिक्त देश में 30 अन्य जहाजरानी-कम्पनियां हैं जिनमें से 6 कम्पनियां समुद्रपारीय तथा तटीय व्यापार के क्षेत्रों में अपना कार्य करती हैं। 1958 में स्थापित

जहाजरानी-समन्वय-समिति उपलब्ध जहाजरानी-सेवाओं के प्रभावकारी उपयोग की व्यवस्था करती है। 1964 में समिति ने 29,95,488 मीट्रिक टन माल लादा-उतारा।

हिन्दुस्तान-जहाजनिर्माणघाट

सरकार ने मार्च 1952 में सिन्धिया-कम्पनी से विशाखापटनम्-जहाजनिर्माण-घाट खरीदकर उसकी व्यवस्था का भार 'हिन्दुस्तान-जहाजनिर्माणघाट' को सौंप दिया। इसकी सारी अंश-पूंजी सरकार के हाथ में है। 2.6 करोड़ रुपये के विकास-कार्यक्रम के दोनों (पहला तथा दूसरा) चरणों का कार्य पूरा हो गया है। इस कारखाने में अब प्रतिवर्ष 3 आधुनिक जहाजों का निर्माण किया जा सकता है। यह क्षमता बढ़कर 1966-67 में 4 जहाजों तक तथा बाद को 6 जहाजों तक हो जानी है। इस कारखाने में अब तक 36 समुद्री जहाजों, 1 लंगर-जहाज तथा 3 छोटे जहाजों का निर्माण हो चुका है।

दूसरा जहाजनिर्माणघाट

कोचीन में दूसरा जहाजनिर्माणघाट स्थापित किया जा रहा है जिसमें प्रतिवर्ष 63,000 सकल टन-भार के जहाज बनाए जाएंगे। बाद में इसकी क्षमता 80,000 सकल टन-भार की कर दी जाएगी। इसके लिए भूमि प्राप्त कर ली गई है और स्थान के सर्वेक्षण तथा सविस्तर परियोजना-रिपोर्ट तैयार करने के लिए जापान की संस्था 'मेसर्स मित्सुबिशि हैवी इण्डस्ट्रीज' के साथ एक करार किया जा चुका है।

प्रशिक्षण-संस्थान

जून 1965 में समाप्त होनेवाले वर्ष में प्रशिक्षण-जहाज 'डफरिन' में 80 प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया जिन्हें बाद में विभिन्न जहाजों पर नियुक्त किया गया।

7,788 प्रशिक्षार्थियों ने दिसम्बर 1965 के अन्त तक बम्बई के नाविक तथा इंजीनियरी-कालेज में उपलब्ध प्रशिक्षण की सुविधाओं का लाभ उठाया। 1,655 सामुद्रिकों ने 'लाइफबोट ट्रेनिंग स्कूल' में प्रशिक्षण की सुविधाओं का लाभ उठाया। 1965 में कलकत्ता के समुद्री इंजीनियरी-कालेज की ग्यारहवीं टुकड़ी के 89 प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

नाविकों को प्रशिक्षण देनेवाले 'मेखला', 'भद्रा तथा' 'नवलक्ष्मी 'नामक जहाजों पर नवम्बर 1965 के अन्त तक 17,974 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

बन्दरगाह

भारत में 7 मुख्य बन्दरगाह हैं—कलकत्ता, काण्डला, कोचीन, बम्बई, मद्रास, मारमागाओ तथा विशाखापटनम्। 1964-65 में इन बन्दरगाहों पर 4,83,22,000 मीट्रिक टन माल लादा-उतारा गया।

सभी बड़े बन्दरगाहों का प्रशासन केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में अनुविहित बन्दरगाह-न्यास-मण्डलों के अधीन है।

तीसरी योजना में सभी छः बड़े बन्दरगाहों के विकास के लिए 75 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई।

छोटे बन्दरगाह

भारत के समुद्र-तट पर लगभग 225 छोटे बन्दरगाह है जहा प्रतिवर्ष लगभग 79 लाख मीट्रिक टन माल लादा-उतारा जाता है। इन बन्दरगाहों के प्रशासन का दायित्व राज्य-सरकारों पर है। पहली तथा दूसरी पचवर्षीय योजनाओ के अधीन इन बन्दरगाहो का सुधार किया गया। तीसरी योजना में छोटे बन्दरगाहों के लिए विभिन्न सुधार-कार्यों पर अनुमानत 16.79 करोड़ रु० व्यय हुए।

राष्ट्रीय बन्दरगाह-मण्डल

बन्दरगाहो, विशेषकर छोटे बन्दरगाहों, के समन्वित विकास के सम्बन्ध मे केन्द्र तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देने के लिए 1950 में राष्ट्रीय बन्दरगाह-मण्डल की स्थापना की गई जिसमें भारत-सरकार, समुद्रतटीय राज्यों, बडे बन्दरगाहो के अधिकारी और व्यापार, उद्योग तथा श्रमिकों के गैर-सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित है।

असैनिक उड्डयन

1965 मे भारतीय विमानो ने कुल मिलाकर लगभग 5 7 करोड किलोमीटर लम्बी उडानें भरी तथा वे 16 2 लाख यात्री और 6.2 करोड किलोग्राम माल तथा डाक लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को गए।

वायुमार्ग-निगम

'इण्डियन एअरलाइन्स-कार्पोरेशन' के पास 6 कैरेवेल, 12 वाइकाउण्ट, 3 स्काई-मास्टर, 10 फॉक्कर फ्रेण्डशिप तथा 34 डकोटा-विमान हैं। इसके विमान देश के मुख्य नगरो और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान तथा नेपाल-जैसे पड़ोसी देशों के बीच उड़ान करते है।

1964-65 मे 12,35,310 व्यक्तियों ने निगम के विमानों-द्वारा यात्रा की तथा इन विमानों ने कुल 3,39,73,000 किलोमीटर लम्बी उड़ाने भरी।

'एअर-इण्डिया-कार्पोरेशन' के 8 बोइंग जेट-विमान 21 देशों मे पहुचते है। 1964-65 में इसके विमानों से 2,37,996 व्यक्तियों ने यात्रा की तथा विमानो ने 1,79,74,000 किलोमीटर लम्बी उडाने भरी।

उड्डयन-क्लब

भारत मे 19 सहायता-प्राप्त उड्डयन-क्लब, 3 सरकारी ग्लाइडिग केन्द्र तथा 6 सहायता-प्राप्त ग्लाइडिंग-क्लब हैं। 1965 मे इन उड्डयन-क्लबों-द्वारा प्रशिक्षित विमान-चालको को लाइसेंस दिए गए।

हवाईअड्डे

भारत-सरकार के असैनिक उड्डयन-विभाग के नियन्त्रण तथा संचालन मे 84 हवाईअड्डे हैं। इनमें से कलकत्ता (दमदम), दिल्ली (पालम) तथा बम्बई (सान्ताक्रुज) के हवाईअड्डे अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे हैं।

खजुराहो का नया हवाईअड्डा बन चुका है तथा जोगबनी के हवाईअड्डे का निर्माण-कार्य जारी है।

विमान

31 दिसम्बर, 1965 को 551 विमानों को चालू पर्जीयन-प्रमाणपत्र तथा 238 विमानों को चालू उड़ानयोग्य प्रमाणपत्र प्राप्त थे।

वायु-परिवहन-करार

अफगानिस्तान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, इटली, ईराक, ईरान, चेकोस्लोवाकिया, जापान, थाइलैण्ड, नीदरलैण्ड्स, नेपाल, पश्चिम-जर्मनी, पाकिस्तान, फ्रांस, फिलीपीन, ब्रिटेन, रूस, लेबनॉन, श्रीलंका, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन, संयुक्त अरब-गणराज्य तथा हंगरी के साथ वायु-परिवहन-करार लागू है।

मौसम-विज्ञान

नई दिल्ली-स्थित मुख्यालय और कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर, बम्बई तथा मद्रास-स्थित प्रादेशिक कार्यालयों की ओर से उड्डयन, नौकानयन, रेल, सिंचाई तथा विद्युत-परियोजनाओं, कृषि, संचार-साधन आदि से सम्बन्धित उपयोगी सूचनाएं तथा जानकारी कराई जाती है। इस विभाग की कई संस्थाएं हैं जो अपने-अपने क्षेत्र का कार्य करती हैं।

पर्यटन

प्रशासकीय व्यवस्था

महानिदेशक के अधीन पर्यटन-विभाग देश तथा विदेश-स्थित प्रादेशिक कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है। कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास-जैसे प्रमुख नगरों में प्रादेशिक पर्यटन-कार्यालय और आगरा, औरंगाबाद, कोचीन, जयपुर तथा वाराणसी में पर्यटन-उपकार्यालय खोले जा चुके हैं। टोकियो, टोरण्टो, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, न्यूयार्क, मेलबोर्न, लन्दन, शिकागो तथा सानफ्रांसिस्को में भी भारत-सरकार के पर्यटक-कार्यालय हैं।

सरकार को पर्यटन समस्याओं पर परामर्श देने के लिए एक पर्यटन-विकास-परिषद् विद्यमान है जिसमें जनता, यात्रा-व्यवस्था तथा राज्य-सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं।

पर्यटक-निगम

पर्यटन-सम्बन्धी झा-समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1965 में भारत-पर्यटन-होटल-निगम, भारत-पर्यटन-निगम तथा भारत-पर्यटन-परिवहन-संस्था स्थापित की गई। तीनों (संस्थाओं) निगमों को मिलाकर भारत-पर्यटन-निगम स्थापित कर दिया गया है जो देश के प्रसिद्ध नगरों तथा पर्यटनयोग्य स्थानों में होटल खोलेगा और पर्यटक-बंगलों, कैण्टीनों आदि की व्यवस्था करेगा। बम्बई तथा दिल्ली में इसकी क्रमशः 14 तथा 20 शानदार मोटरकारें सुख-सुविधापूर्ण हैं।

होटल-उद्योग

भारत में होटलों के वर्गीकरण तथा मानकीकरण के प्रश्नों पर सरकार को परामर्श देने के लिए 1957 में एक होटल-मानक तथा दर-निर्धारण-समिति बनाई गई थी। इस समिति ने जो सिफारिशें कीं, उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

मार्च 1966 तक पर्यटन-विभाग ने देश के 217 होटलों में लगभग 14,500 शय्याओं की व्यवस्था स्वीकार कर ली थी। अमेरिका के अन्तर्महाद्वीप-होटल-निगम के सहयोग से दिल्ली में बना 350 कमरोंवाला ओबेराय-इण्टरनेशनल-होटल सितम्बर 1965 से चलू हो गया

पर्यटन-सम्बन्धी नियमनों में छूट

पर्यटन-व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पुलिस, पंजीयन, मुद्रा, विनिमय-नियन्त्रण तथा चुंगी आदि से सम्बन्धित नियमन कुछ ढीले कर दिए गए हैं। तदर्थ पर्यटन-समिति की सिफारिशों पर, जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1963 में दी, मद्यपान तथा भारत आने के अनुमतिपत्रों के नियमों में भी कुछ ढील दे दी गई है। देशाटन को बढ़ावा देने के लिए रेलें भी रिआयती दरों पर टिकट जारी करती हैं। विद्यार्थियों तथा तीर्थयात्रियों को और ग्रीष्म-ऋतु में पहाड़ी स्थानों को जानेवाले पर्यटकों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। इस समय देश में पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार-द्वारा स्वीकृत 69 यात्रा-संस्थाएं तथा 18 शिकार-एजेंसियां हैं।

पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए जनवरी 1966 में नई दिल्ली में प्रशान्त-क्षेत्र-यात्रा-संस्था (पाटा) का पन्द्रहवां अधिवेशन हुआ जिसमें 30 देशों के 520 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पर्यटन-सम्बन्धी जानकारी

पर्यटन-सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इतालवी तथा भारतीय भाषाओं में मार्गदर्शिकाएं, पुस्तिकाएं, फोटो-कार्ड आदि प्रकाशित किए जाते हैं तथा देश-विदेश में इनका वितरण किया जाता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से अंग्रेजी में 'ट्रैवलर इन इण्डिया' शीर्षक एक सचित्र मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। इसके अतिरिक्त विदेशों में प्रदर्शनार्थ पर्यटन-सम्बन्धी चलचित्र भी बनाए जाते हैं।

पर्यटकों की संख्या

पाकिस्तान, भूटान तथा सिक्किम के पर्यटकों को छोड़कर 1965 में कुल 1,47,900 विदेशी पर्यटक भारत आए।

विकास-योजनाएं

पर्यटन-व्यवसाय के विकास के लिए केन्द्र तथा कुछ राज्य-सरकारों ने योजनाएं बनाई हैं। इनके अधीन महत्वपूर्ण पर्यटन-केन्द्रों में निवासस्थानों, परिवहन तथा मनोरंजन की अधिक-से-अधिक व्यवस्था की जाएगी।

तीसरी योजना के अधीन पर्यटन-परिवहन-विकास-योजनाओं के लिए केन्द्र की ओर से 3.5 करोड़ रुपये तथा राज्य-सरकारों की ओर से 4.5 करोड़ रुपये व्यय किए जाने की आशा थी।

अध्याय 23

संचार-साधन

31 मार्च, 1965 को भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी संस्थान—डाक तथा तार-विभाग—में कर्मचारियों की संख्या 4,70,370 थी तथा उस वर्ष इन पर पूंजीगत व्यय 2 अर्ब 43 करोड़ 43 लाख रु० का हुआ ।

डाक तथा तार-विभाग अपना कार्य 15 क्षेत्रीय एकांशो के माध्यम से करता है । इस समय देश में कलकत्ता, नई दिल्ली, बंगलोर, बम्बई, मद्रास तथा हैदराबाद के लिए 6 टेलीफोन-जिले; कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास के लिए 4 दूरसंचार-एकांश, जम्मू-कश्मीर के लिए 1 दूरसंचार-वृत्त और अन्य अने प्रशासनिक एकांश हैं । इसकी प्रशासन-व्यवस्था 14 दिसम्बर, 1959 को स्थापित डाक तथा तार-मण्डल के अधीन है ।

डाक-व्यवस्था

1964-65 में डाक तथा तार-विभाग-द्वारा डाक की 5 अर्ब 71 करोड़ 40 लाख वस्तुएं लाई-ले जाई गईं जिनसे 59.4 करोड़ रु० की आय हुई ।

31 मार्च, 1965 को देश में कुल 96,895 डाकघर थे जिनमें से 9,033 नगरों में तथा 87,862 गावों मे थे । उसी दिन नगरों तथा गावों में क्रमशः 44,032 तथा 1,30,906 पत्रपेटिया लगी हुई थी ।

1 अप्रैल, 1965 तथा 31 अक्तूबर, 1965 के बीच 938 नए डाकघर खोले गए ।

नगरों में चलते-फिरते डाकघर

अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर, बम्बई तथा मद्रास में 10 चलते-फिरते डाकघरों की व्यवस्था है । सामान्य डाकघरो के बन्द होने के बाद य चलते-फिरते डाकघर रविवारों तथा छुट्टियों-सहित वर्ष के सभी दिनों में निर्धारित मय पर नगर के विभिन्न स्थानों का चक्कर लगाते हैं ।

रात्रिकालीन डाकघर

देश में लगभग 50 'रात्रिकालीन डाकघर' काम के दिनों में देर तक तथा रविवारों को काम करते रहते हैं । अतिरिक्त समय में ये डाकघर मनीआर्डर, पत्रों आदि के बीमे तथा सेविंग्स बैंक से रुपये निकालने आदि के कामों को छोड़कर शेष सभी कार्य करते हैं । रविवारों को ये डाक बांटने, मनीआर्डर के रुपये देने (भुगतान), सेविंग्स बैंक तथा सेविंग्स सर्टिफिकेटों के काम को छोड़कर शेष काम अन्य दिनों की भांति करते हैं ।

हवाई डाक

कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर, बम्बई तथा मद्रास-जैसे मुख्य नगरों के बीच रात को विमानों से डाक लाने-ले-जाने की अन्तर्देशीय व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त देश में सब पत्रादि तथा मनीआर्डर सामान्यतः बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के विमानों-द्वारा पहुंचाए जाते हैं।

विदेशों के साथ विमान-पार्सल-सेवा

भारत तथा अन्य अधिकांश देशों के बीच हवाई डाक-सेवाओं की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भारत और अदन, अफगानिस्तान, अमेरिका, अर्जेण्टीन, आयर्लेण्ड, आस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया, इजराइल, इटली, इण्डोनेशिया, इथियोपिया, ईराक, ईरान, उरुग्वे, एल साल्वाडोर, क्यूबा, कनाडा, कुवैत, केनिया, कोलोम्बिया, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, गयाना, ग्रेनेडा, घाना, चिली, चीन-लोक गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया, जंजीबार, जम्बिया, जमैका, जर्मनी (लोकतन्त्रात्मक गणराज्य), जर्मनी (संघीय गणराज्य), जापान, जिब्राल्टर, टर्की, टारटोला, ट्रिनीडाड, टोबागो, डुबाई, डेनमार्क, डोमिनिका, डोमिनिकी गणराज्य, थाइलैण्ड, दक्षिण-अफ्रीका-संघ, दक्षिण-कोरिया, दक्षिण-पश्चिम-अफ्रीका, दक्षिणी रोडेशिया, न्यूजीलैण्ड, नाइजीरिया, नार्वे, निकारागुआ, नीदरलैण्ड्स, पनामा-गणराज्य, पाकिस्तान, पुर्तगाली पूर्व-अफ्रीका, पीरू, पैराग्वे, पोलैण्ड, फ्रांस, फिजी, फिनलैण्ड, बर्मा, बरमूडा, बहामा, ब्राजील, बारबडोस, ब्रिटिश होण्डुरास, ब्रिटेन, ब्रुनेई, बेचुआनालैण्ड, बेल्जियम, बेहरीन, मलयशिया, मलावी, मॉरिशस, मैक्सिको, यूगोस्लाविया, यूनान, रूस, लेबनॉन, वेनेज्वेला, श्रीलंका, स्विट्ज़रलैण्ड, स्वीडन, संयुक्त अरब-गणराज्य, सऊदी अरब साइप्रस, सियर्रा लियोन, सीरिया, सूडान, सूरीनाम, सेण्ट लूसिया, हांगकांग तथा हैती के बीच विमानों-द्वारा सीधे पार्सल लाने-ले-जाने की व्यवस्था है।

भारत और अदन, अमेरिका, आयर्लेण्ड, आस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया, कनाडा, कुवैत, घाना, चेकोस्लोवाकिया, जंजीबार, जर्मनी (लोकतन्त्रात्मक गणराज्य), जर्मनी (संघीय गणराज्य), जापान, टर्की, डुबाई, डेनमार्क, थाइलैण्ड, नीदरलैण्ड्स, पाकिस्तान, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटिश-पूर्व अफ्रीका, ब्रिटेन, बेल्जियम, बेहरीन, यूनान, रूस, श्रीलंका, स्विट्ज़रलैण्ड, स्वीडन, संयुक्त अरब-गणराज्य तथा हांगकांग के बीच विमानों-द्वारा बीमा की हुई पार्सलें लाने-ले-जाने की व्यवस्था है।

भारत और अदन, आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, जंजीबार, जर्मनी (लोकतन्त्रात्मक गणराज्य), जर्मनी (संघीय गणराज्य), जापान, डेनमार्क, थाइलैण्ड, नार्वे, नीदरलैण्ड्स, पाकिस्तान, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटिश पूर्व-अफ्रीका, ब्रिटेन, बेल्जियम मलयशिया, श्रीलंका, स्विट्ज़रलैण्ड, स्वीडन, संयुक्त अरब-गणराज्य, सीरिया, तथा हांगकांग के बीच बीमाकृत हवाई पत्र लाने-ले-जाने की भी व्यवस्था विद्यमान है।

डाकघर-बचत-बैंक (पोस्टल सेविंग्स बैंक)

देश के अधिकांश डाकघरों में बचत जमा कराने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बचत-बैंक में एक व्यक्ति अधिक-से-अधिक 25,000 रु० जमा करवा सकता

है। संयुक्त खाते में 50,000 रु० जमा करवाए जा सकते हैं। इन पर प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत ब्याज मिलता है।

बचत-बैंक का काम करनेवाले सभी डाकघरों से रुपये चाहे जितनी बार निकाले जा सकते हैं। 1958 से चेक-द्वारा रुपये जमा कराने अथवा निकालने की प्रणाली भी लागू कर दी गई है। 1 अगस्त, 1960 से बचत-बैंक के लिए नामांकन-प्रणाली लागू की गई है। बचत बैंक-लेखा-सेवा के कार्य-संचालन में गति लाने के लिए नई दिल्ली के मुख्यालय में 'टेलर पद्धति' चालू की गई है। इसके अधीन धन पास बुक के बिना भी जमा कराया अथवा निकाला जा सकता है तथा 250 रु० तक की राशि निकलवानेवालों को डाकघर का क्लर्क स्वयं ही भुगतान कर सकता है।

डाक-जीवन-बीमा

1964-65 में डाक तथा तार-विभाग के असैनिक तथा सैनिक डाक-बीमा-विभागों-द्वारा मिलेजुले खाते में (1 अप्रैल, 1964 से दोनों विभागों को मिला दिया गया) 2.54 करोड़ रु० के मूल्य की 10,058 पालिसियां जारी की गईं और अब तक 40.84 करोड़ रु० की कुल 1,73,018 पालिसियां।

1964-65 में असैनिक तथा सैनिक डाक-बीमा-विभागों को सम्मिलित रूप में प्रीमियम से 1,73,17,000 रु० की आय हुई और इन विभागों पर 12,16,000 रु० व्यय हुए।

तार-व्यवस्था

1964-65 में देश में कुल 12,151 तारघर थे। इस वर्ष इन तारघरों के द्वारा 4.14 करोड़ तार भेजे गए तथा इनको 15.9 करोड़ रु० की आय हुई।

हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तार-व्यवस्था

हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था पहले-पहल 1 जून, 1949 को आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, गया, जबलपुर, नागपुर, पटना, लखनऊ तथा वाराणसी में आरम्भ की गई थी। इस समय देश में हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था लगभग 2,267 तारघरों में विद्यमान है। अब तक 4,677 व्यक्ति देवनागरी-लिपि में तार भेजने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। तार देवनागरी-लिपि में किसी भी भारतीय भाषा में भेजे जा सकते हैं।

हिन्दी-तारों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। 1950-51 में जहां हिन्दी में केवल 5,784 तार भेजे गए थे, वहां 1964-65 में 2,89,000 तार भेजे गए।

टेलीफोन-व्यवस्था

1964-65 में देश में 7,66,000 टेलीफोन तथा 11,707 टेलीफोन केंद्र

(एक्सचेंज) थे। इस वर्ष टेलीफोन से 48.1 करोड़ रु० की आय हुई। आलोच्य वर्ष में 5.36 करोड़ ट्रंक कालें की गई।

अपना टेलीफोन-योजना

यह योजना अमृतसर, अहमदाबाद, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, नागपुर, बंगलोर, बम्बई, मद्रास, वेरावल तथा हैदराबाद में चालू है।

अभिदाता-ट्रंककाल-व्यवस्था-सेवा

टेलीफोन रखनेवाले व्यक्ति अब लखनऊ-कानपुर, दिल्ली-आगरा, दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-कानपुर, दिल्ली-पटना, दिल्ली-लखनऊ, आगरा-कानपुर, दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-जालन्धर, कानपुर-वाराणसी तथा मद्रास-बंगलोर-लाइनों पर सीधे टेलीफोन कर सकते हैं।

टेलीफोन-उद्योग

1965 में बंगलोर के टेलीफोन-कारखाने में स्वचालित एक्सचेंज-लाइनों आदि के अतिरिक्त 1,87,788 टेलीफोनों का निर्माण हुआ।

दूरमुद्रक (टेलीप्रिण्टर्स)

दिसम्बर 1960 में स्थापित 'हिन्दुस्तान-टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड (मद्रास)' ने 1965 में 2,261 दूरमुद्रकों का निर्माण किया।

समुद्रपार-संचार-व्यवस्था

भारत तथा अन्य देशों के बीच दूरसंचार-सम्बन्ध के संचालन तथा विकास का उत्तरदायित्व 1 जनवरी, 1947 को राष्ट्रीयकृत समुद्रपार-संचार-सेवा पर है। दो पनडुब्बी-बेतार-तार-सम्बन्धों के अतिरिक्त इस समय 29 प्रत्यक्ष बेतार-तार-सेवाओं, 31 प्रत्यक्ष रेडियो-टेलीफोन-सेवाओं, 7 प्रत्यक्ष रेडियो-फोटो-सेवाओं तथा 6 प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स-सेवाओं की व्यवस्था विद्यमान है। 1964-65 में समुद्रपार-संचार-सेवा-द्वारा 9,65,00,000 रेडियो-तार-शब्दों को भेजने; 2,81,000 रेडियो-टेलीफोन-मिनटों की बातचीत; 2,51,000 वर्ग सेण्टीमीटर रेडियो-फोटो भेजने तथा 3,05,000 मिनटों की टेलेक्स-कालों का कार्य सम्पन्न हुआ।

रेडियो-टेलीफोन-सेवा

भारत और अदन, अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, इटली, इण्डोनीशिया, इथियोपिया, ईराक, ईरान, चीन, जर्मनी (संघीय गणराज्य), जापान, थाइलैण्ड, पूर्व-अफ्रीका, पोलैण्ड, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटेन, बेहरीन, मलयशिया, रूस, वियतनाम (दक्षिण), स्विट्जरलैण्ड, संयुक्त अरब-गणराज्य, सऊदी अरब तथा हांगकांग के बीच सीधी रेडियो-टेलीफोन-सेवाएं विद्यमान हैं।

भारत तथा 84 अन्य देशों के बीच भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के माध्यम से रेडियो-टेलीफोन-सेवाएं उपलब्ध हैं। पाकिस्तान तथा श्रीलंका के साथ भी रेडियो-

टेलीफोन-सेवा की व्यवस्था है। 1 अक्तूबर, 1964 को भारत-नेपाल-रेडियो-टेलीफोन-सेवा का उद्घाटन हुआ।

रेडियो-टेलीग्राफ-सेवा

भारत और अफगानिस्तान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, इटली, इण्डोनीशिया, ईराक, ईरान, उत्तर-वियतनाम, चीन, जर्मनी (संघीय गणराज्य), जापान, थाइलैण्ड, दक्षिण-वियतनाम, पोलैण्ड, फ्रांस, फिलीपीन, बर्मा, ब्रिटेन, यूगोस्लाविया, रूमानिया, रूस, स्विट्ज़रलैण्ड, संयुक्त अरब-गणराज्य तथा सिंगापुर के बीच सीधी रेडियो-टेलीग्राफ-सेवाएं चालू हैं। इन सेवाओ के माध्यम से संसार के अन्य देशों के साथ भी यह व्यवस्था विद्यमान है।

रेडियो-फोटो-सेवा

भारत और इटली, चीन, जर्मनी (संघीय गणराज्य), जापान, पोलैण्ड, फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस के बीच सीधी रेडियो-फोटो-सेवा की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भारत में सीधी सेवाओ के माध्यम से आस्ट्रेलिया, कनाडा, घाना, चेकोस्लोवाकिया, जमैका, जर्मनी, डेनमार्क, दक्षिण-अफ्रीका, नाइजीरिया, नार्वे, पुर्तगाल, फिनलैण्ड, बेल्जियम, यूगोस्लाविया, यूनान, रूमानिया, स्विट्ज़रलैण्ड, स्वीडन, संयुक्त अरब-गणराज्य, साइप्रस तथा सिंगापुर को भी फोटो भेजने की व्यवस्था है।

अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स-सेवा

इस सेवा का, जो 16 जून, 1960 को बम्बई तथा अहमदाबाद और ब्रिटेन के बीच आरम्भ की गई, अन्य 57 देशो तक विस्तार कर दिया गया है। इस सेवा के अधीन एक स्थान का अभिदाता दूसरे स्थान के अभिदाता को दूरमुद्रक-द्वारा सीधे तार भेज सकता है।

अन्य सेवाएं

विदेश-स्थित भारतीय वाणिज्य-दूतावासो को उनके लाभ के लिए भारत-सरकार की ओर से तथा भारत के बाहर विभिन्न क्षेत्रों को कुछ समाचार-सस्थाओ की ओर से भी समाचार भेजे जाते है।

अध्याय 24

श्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था के सगठित क्षेत्र में सबसे अधिक श्रमिक कारखानों में काम करते हैं। कारखानों में काम करनेवाले श्रमिको की अनुमानित दैनिक औसत संख्या 1964 में 45.62 लाख थी।

1964 में कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों की दैनिक औसत संख्या विभिन्न राज्यो तथा सघीय क्षेत्रों में इस प्रकार थी; असम 84,000; आन्ध्रप्रदेश 2,58,000; उड़ीसा 63,000; उत्तरप्रदेश 4,00,000; पंजाब 1,68,000, पश्चिम-बंगाल 8,87,000; बिहार 2,29,000; मध्यप्रदेश 2,00,000, महाराष्ट्र 9,60,000; मैसूर 2,36,000; राजस्थान 73,000; अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह 2,000, हिमाचलप्रदेश 2,000 तथा त्रिपुरा 2,000।

1964 में कोयला-खानो मे काम करनेवाले श्रमिको की दैनिक औसत सख्या 4,34,753, समस्त खानो में काम करनेवाले श्रमिको की यह सख्या 6,84,319 तथा सूती वस्त्र-उद्योग में काम करनेवाले श्रमिको की यह सख्या 8,31,987 थी। सूती वस्त्र-उद्योग में इसी वर्ष काम करनेवाले श्रमिको की कुल सख्या 9,69,873 थी।

राष्ट्रीय रोजगार-सेवा

पहले-पहल 1945 में देश-भर मे रोजगार-केन्द्र (एम्प्लायमेण्ट एक्सचेंज) खोले गए। ये केन्द्र काम चाहनेवाले सभी लोगो को काम दिलाने मे सहायता देते है। 'रोजगार-केन्द्र (रिक्त स्थानो की अनिवार्य सूचना) अधिनियम 1960' द्वारा 25 अथवा इनसे अधिक लोगो को काम पर लगानेवाले मालिको के लिए अपने रिक्त स्थानो की सूचना रोजगार-केन्द्रो को देना अनिवार्य कर दिया गया है।

1965 के अन्त में देश में 376 रोजगार-केन्द्र (36 विश्वविद्यालय-रोजगार-कार्यालयो को छोड़कर) थे। इन केन्द्रो में इस वर्ष 39,57,605 व्यक्तियो के नाम लिखे गए तथा उनमें से 5,70,191 को काम दिलवाया गया।

नवम्बर, 1956 से रोजगार-केन्द्रो का प्रशासनिक नियन्त्रण राज्य-सरकारों को सौप दिया गया है। अब केन्द्रीय सरकार केवल नीति आदि बनाने, तालमेल बनाए रखने तथा आवयश्क सहायता प्रदान करने का ही कार्य करती है।

1958 में स्थापित केन्द्रीय रोजगार-समिति रोजगार-सम्बन्धी विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में भारत-सरकार को परामर्श देती है। रोजगार-अधिकारियो के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था के लिए दिल्ली में एक केन्द्रीय रोजगार-सेवा-शोध तथा प्रशिक्षण-संस्था स्थापित कर दी गई है।

1965 में इस संस्था ने राज्य-सरकारों के रोजगार-अधिकारियों के लिए 6 प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की। मलयशिया तथा बर्मा से आए प्रशिक्षार्थियों के लिए भी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई।

कारीगरों को प्रशिक्षण

कारीगरो को प्रशिक्षण देने की योजना के अधीन देश में 356 प्रशिक्षण-केन्द्र खुल चुके है। राष्ट्रीय शिल्पछात्रत्व (अप्रेन्टिसशिप) प्रशिक्षण-योजना, औद्योगिक श्रमिक-प्रशिक्षण-योजना तथा शिक्षित बेरोजगार (व्यक्ति) कार्य-केन्द्र-योजना आरम्भ की गई। कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास, लुधियाना तथा हैदराबाद में 6 केन्द्रीय शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्थाएं [और नई] दिल्ली में एक शिक्षिका-प्रशिक्षण-संस्था स्थापित की जा चुकी है।

खनन-उद्योगो के लिए आवश्यक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भारत-सरकार ने भरकुण्डा (बिहार) तथा कुरसिया (मध्यप्रदेश) में दो खान-मशीनीकरण-प्रशिक्षण-संस्थाएं स्थापित की हैं। व्यापार तथा उससे सम्बन्धित विषयों के प्रशिक्षण के नियमन तथा नियन्त्रण-सम्बन्धी मामलों पर केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने के लिए 'शिल्पशिक्षार्थी-अधिनियम 1961' के अधीन एक केन्द्रीय शिल्पछात्रत्व-परिषद् स्थापित की गई है। इसी प्रकार एक राष्ट्रीय व्यवसाय-प्रशिक्षण-परिषद् भी स्थापित की गई है। यह परिषद् सरकार को प्रशिक्षण की नीति-सम्बन्धी समस्याओ पर परामर्श देने के अतिरिक्त कारीगरों तथा शिल्पशिक्षार्थियों को कार्यकुशलता का प्रमाणपत्र भी प्रदान करती है।

केन्द्रीय श्रम-अनुसन्धान-संस्था

श्रम-सम्बन्धी समस्याओ का अनुसन्धान करने के लिए एक केन्द्रीय श्रम-अनुसन्धान-संस्था और दिल्ली, बम्बई तथा लखनऊ में तीन श्रम-अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं।

मजदूरी तथा आय

1964 में कारखानो में 200 रु० मासिक से कम आयवाले श्रमिकों की औसत प्रति-व्यक्ति वार्षिक आय असम में 1,145 रु०; उत्तरप्रदेश में 1,394 रु०; केरल मे 1,148 रु०; गुजरात में 1,756 रु०, पंजाब में 1,317 रु०; पश्चिम-बंगाल मे 1,419 रु०; बिहार में 1,358 रु०; मध्यप्रदेश में 1,830 रु०; मैसूर में 1,518 रु०; अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह में 1,213 रु०; हिमाचलप्रदेश में 1,355 रु० तथा त्रिपुरा में 1,622 रु० थी।

वास्तविक आय

उपभोक्ता-मूल्य की वृद्धि के परिणामस्वरूप वास्तविक आय में हुई वृद्धि अगले पृष्ठ में दी गई है।

सारणी 31

श्रमिकों की वास्तविक आय के सूचनांक

(1947—100)

	1957	1963	1964
आय का सामान्य सूचनांक	170	205	210
अखिल भारतीय श्रमिक-उपभोक्ता-मूल्य का सूचनांक	128	154	175
वास्तविक आय का सूचनाक	134	133	120

मजदूरी का नियमन

मजदूरी का नियमन संशोधित 'मजदूरी-भुगतान-अधिनियम 1936' तथा 'न्यूनतम मजदूरी-अधिनियम 1948' के अधीन किया जाता है।

न्यूनतम मजदूरी

'न्यूनतम मजदूरी-अधिनियम 1948' के अधीन अनुसूची में उल्लिखित उद्योगो के कर्मचारियो को देय मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित करने का अधिकार सरकार को दिया गया है। इस वर्ष बेराइट, बॉक्साइट तथा खडिया मिट्टी की खानो के कुछ श्रेणियो के कर्मचारियो के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई। 1957 में इस अधिनियम मे संशोधन करके सूचीबद्ध नौकरियो मे काम करनेवाले कर्मचारियो के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की तिथि बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 1959 कर दी गई। 1961 के 'संशोधन-अधिनियम' द्वारा इस अन्तिम तिथि की आवश्यकता अब नही रही।

मजदूरी-मण्डल

मजदूरी-मण्डलो का कार्य उचित मजदूरी के सिद्धान्तो के अनुसार मजदूरी का रूप स्थिर करना है। भारत-सरकार-द्वारा सूती वस्त्र, चीनी, पटसन, सीमेण्ट, लोहा तथा इस्पात और कहवा-बागान-उद्योगो के लिए नियुक्त किए गए केन्द्रीय मजदूरी-मण्डलों ने अपनी-अपनी रिपोर्टें दे दी है। चाय तथा रबड-बागान, कोयला-खनन, खनिज लोहा-उद्योगो; चूना तथा डोलोमाइट-खनन-उद्योगो; समाचारपत्रो के पत्रकार-भिन्न कर्मचारियो; बडे बन्दरगाहो के बन्दर तथा गोदी-मजदूरो, इंजीनियरी, भारी रासायनिक पदार्थ-उद्योगो तथा उर्वरक-उद्योगो के लिए भी मजदूरी-मण्डल स्थापित कर दिए गए हैं। 'श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध-अधिनियम, 1955' के अधीन श्रमजीवी पत्रकारो के लिए दूसरा वेतन-मण्डल स्थापित किया जा चुका है। सूती-वस्त्र, चीनी तथा सीमेण्ट-उद्योगो के लिए भी दूसरे मजदूरी-मण्डल नियुक्त किए जा चुके हैं।

इस वर्ष कोयला-खान, बन्दर तथा गोदी-मजदूरों, पत्रकार-भिन्न कर्मचारियों तथा सीमेन्ट-उद्योग-सम्बन्धी मजदूरी-मण्डलों ने मजदूरी में अन्तरिम वृद्धि की सिफारिश की जो सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद कार्यान्वित की जा रही है।

वृत्ति-सम्बन्धी मजदूरी-सर्वेक्षण

इस योजना का उद्देश्य बड़े कारखानों, खानों पथा बागानों में काम करनेवाले श्रमिकों की मजदूरी की दरों तथा उनकी आय के आंकड़ों का संग्रह करना है। जुलाई 1958 से आरम्भ किए गए क्षेत्र-सर्वेक्षण में लगभग 3,000 प्रतिष्ठानों से जानकारी एकत्र की गई। इन आंकड़ो का सामान्य तथा उद्योगवार रिपोर्टों में संकलन किया जा रहा है। तत्सम्बन्धी दूसरा सर्वेक्षण भी पूरा हो चुका है।

कोयला-खान-अधिलाभांश-योजना

'कोयला-खान-भविष्य निधि तथा अधिलाभांश-योजनाएं अधिनियम 1948' के अधीन तैयार की गई कोयला-खान-अधिलाभांश-योजनाएं जम्मू-कश्मीर की खानों को छोड़कर भारत की सभी कोयला-खानो में लागू हैं। जून 1965 के अन्त तक इन योजनाओ के अधीन 824 कोयला-खानें आ चुकी थी। इन योजनाओं के अधीन असम के श्रमिको को छोड़कर शेष सभी कोयलाखान-श्रमिकों को तिमाही अधिलाभाश के रूप मे अपनी मूल आय की एक-तिहाई राशि प्राप्त करने का अधिकार है। 300 रु० मासिक तक की आयवाले 3,10,880 श्रमिकों को जून 1966 मे समाप्त होनेवाली तिमाही के लिए अधिलाभाश पाने का अधिकार मिला। असम में अधिलाभाश सप्ताह तथा तिमाही के हिसाब से दिया जाता है। सितम्बर 1966 के अन्त में समाप्त होनेवाली तिमाही के अन्त में 6,69,503 श्रमिक अधिलाभांश प्राप्त करने के अधिकारी हो गए।

मालिक-श्रमिक-सम्बन्ध

औद्योगिक विवाद

1964 में देश में 2,151 औद्योगिक विवाद उठे जिनसे 10,02,955 श्रमिक सम्बन्धित थे। इन विवादो के कारण 77,24,694 मानव-दिनों की क्षति हुई।

औद्योगिक रोजगार-सम्बन्धी स्थायी आदेश

'औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946' के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनमें 100 अथवा इनसे अधिक श्रमिक काम करते हैं।

1961 में इसमें संशोधन करके सम्बन्धित सरकारों को इसे 100 से कम श्रमिकों को काम पर लगानेवाले प्रतिष्ठानों पर भी लागू करने का अधिकार दे दिया गया। 1963 में इस अधिनियम में और संशोधन किया गया। यह अधिनियम गुजरात, पश्चिम-बंगाल तथा महाराष्ट्र के उन सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू कर दिया गया है जिनमें 50 अथवा इससे अधिक श्रमिक काम करते हैं। असम में

यह अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर (खानों, पत्थर-खानो, तेल-क्षेत्रों तथा रेलों को छोड़कर) लागू होता है जिनमें 10 अथवा इससे अधिक श्रमिक काम करते हैं। मद्रास में यह अधिनियम 'कारखाना-अधिनियम 1948' के अधीन पंजीकृत सभी कारखानों पर लागू होता है।

अनुशासन-संहिता

भारतीय श्रम-सम्मेलन में मई 1958 में स्वीकृत अनुशासन-संहिता के अनुसार मालिकों तथा श्रमिकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने झगड़ों को निबटाने के लिए वर्तमान व्यवस्था का सहारा लें। केन्द्रीय निष्पादन तथा मूल्यांकन-विभाग 46 प्रतिशत झगड़ों में वादी दलों को अपने मामले न्यायालय से बाहर ही निबटाने के लिए राजी करने में सफल हुआ है। केन्द्रीय मालिक तथा मजदूर-संगठनों ने औद्योगिक न्यायाधिकरणों अथवा श्रम-न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतर न्यायालयों में अपील न करने के लिए अपने सदस्यों को राजी करने के लिए समितियां स्थापित की हैं। सरकारी-क्षेत्र के उद्योगों द्वारा अपील किए जाने से पूर्व ही मामलों की जांच के लिए 1964 में एक व्यवस्था बनाई गई।

कार्य-समितियां

'औद्योगिक विवाद-अधिनियम 1947' के अधीन 1965 की दूसरी तिमाही के अन्त में केन्द्रीय संस्थाओं में 963 कार्य-समितियां काम कर रही थीं।

त्रिदलीय व्यवस्था

केन्द्र में भारतीय श्रम-सम्मेलन, स्थायी श्रम-समिति, औद्योगिक समितियां तथा अनुबन्ध-समिति हैं। इनके अतिरिक्त एक श्रम-मन्त्री-सम्मेलन भी है जो इनके साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है।

औद्योगिक समझौता

नवम्बर 1962 में कारखाना-मालिकों तथा श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों की एक संयुक्त बैठक में यह निश्चय किया गया कि संकटकाल की स्थिति में न तो काम बन्द होना चाहिए और न किसी प्रकार से उत्पादन में कमी आने देनी चाहिए। यह भी निश्चय किया गया कि प्रशिक्षा-प्रयत्नों को सभी सम्भव ढंग से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस समझौते को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किए जाने के कार्य की देख-रेख के लिए एक स्थायी समिति नियुक्त की गई। यह समिति केन्द्रीय निष्पादन तथा मूल्यांकन-विभाग के साथ मिला दी जा चुकी है। नवम्बर 1962 से 1965 के अन्त तक मालिकों तथा श्रमिकों ने 2,264 मामलों में से 518 मामले स्वैच्छिक पंचनिर्णय से निबटाना स्वीकार किया।

समझौता-तन्त्र

केन्द्र के क्षेत्र में आनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में औद्योगिक सम्बन्धों पर दृष्टि रखना मुख्य श्रम-आयुक्त का उत्तरदायित्व है इसकी सहायता के लिए

प्रादेशिक श्रम-आयुक्त, सहायक श्रम-आयुक्त तथा श्रम-निष्पादन-अधिकारी हैं। इसी प्रकार समझौता कराने की व्यवस्था राज्य-सरकारों ने भी कर रखी है।

अधिनिर्णयन (एडजुडिकेशन) तन्त्र

औद्योगिक विवादों का निर्णय करने के लिए भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था है—श्रम-न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। इन सबको विवादों की प्रारम्भिक सुनवाई का अधिकार है। धनबाद के केन्द्रीय श्रम-न्यायालय के अतिरिक्त कलकत्ता, दिल्ली, धनबाद तथा बम्बई में भी एक-एक औद्योगिक न्यायाधिकरण है। दिल्ली में दिल्ली-प्रशासन के लिए एक औद्योगिक न्यायाधिकरण है। इसका उपयोग केन्द्रीय सरकार भी करती है। राज्यों के भी अपने-अपने न्यायाधिकरण तथा श्रम-न्यायालय हैं जो आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय क्षेत्र के विवादों का निर्णय करने के लिए तदर्थ न्यायाधिकरण/श्रम-न्यायालय के रूप में भी बैठते हैं। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय न्यायाधिकरण भी स्थापित किए जाते हैं।

संयुक्त प्रबन्ध-परिषदें

सरकार-द्वारा 1957 में आरम्भ की गई संयुक्त प्रबन्ध-परिषद्-योजना के अनुसार प्रबन्ध में मजदूरों के निकट सहयोग की व्यवस्था हो गई है। इस समय ऐसी परिषदें 107 उद्योगों में कार्य कर रही हैं।

कार्यकुशलता-संहिता

दिसम्बर 1959 में भारतीय श्रम-सम्मेलन की उपसमिति-द्वारा सुझाई गई कार्यकुशलता-संहिता के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल के लिए एक समिति नियुक्त की जा चुकी है।

एक कार्यकुशलता तथा कल्याण-संहिता तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् ने संहिता के परिवर्द्धित रूप को स्वीकार कर लिया है।

श्रमिकों की शिक्षा

केन्द्रीय श्रमिक-शिक्षा-मण्डल में केन्द्र तथा राज्य-सरकारों और मालिकों के संगठनों के प्रतिनिधि तथा शिक्षा-शास्त्री हैं। मण्डल ने देश में 30 प्रादेशिक तथा 43 उप-प्रादेशिक श्रमिक-शिक्षा-केन्द्र खोले हैं जिनमें 1965 के अन्त तक 2,94,891 श्रमिकों ने प्रशिक्षण ग्रहण किया। श्रमिकों की शिक्षा का कार्यक्रम तीन भागों में बंटा हुआ है।

श्रमिक-संघ

पंजीकृत श्रमिक-संघ तथा उनकी सदस्य-संख्या

भारत में 1963-64 में 506 केन्द्रीय श्रमिक-संघ तथा 11,194 राज्यीय श्रमिक-संघ थे जिनमें से सरकार को विवरण देनेवाले संघों की संख्या क्रमश: 390

तथा 6,791 थी। विवरण देनेवाले इन संघों की सदस्य-संख्या क्रमश 7,19,896 तथा 32,00,512 थी।

अखिल भारतीय संगठन

1963 में इण्डियन नेशनल ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस से सम्बद्ध संघों की संख्या 1,219 तथा सदस्य-संख्या 12,68,339 थी, हिन्दू-मजदूर-सभा से सम्बद्ध संघों की संख्या 253 तथा सदस्य-संख्या 3,29,931 थी, आल इण्डिया-ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस से सम्बद्ध संघों की संख्या 952 तथा सदस्य-संख्या 5,00,957 थी और यूनाइटेड ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस से सम्बद्ध संघों की संख्या 241 तथा सदस्य-संख्या 1,08,982 थी।

समाज-सुरक्षा

कर्मचारी-राज्य-बीमा-योजना

'कर्मचारी-राज्य-बीमा-अधिनियम 1948' उन सभी कारखानों पर लागू होता है जो बारहों महीने चालू रहते हैं, जिनमें बिजली का उपयोग किया जाता है तथा 20 अथवा इनसे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। इसका लाभ 400 रुपये मासिक तक पानेवाले सभी श्रमिकों-क्लर्कों आदि को दिया जाता है। जनवरी 1966 के अन्त तक देश के लगभग 34 48 लाख मजदूर इस योजना के अधीन आ गए। 1964-65 के अन्त तक कर्मचारियों ने 8 88 करोड रु० तथा मालिकों ने 9 97 करोड रु० दिए। इसके अधीन बीमाधारी कर्मचारियों को लाभ के रूप में 6 36 करोड रु० दिए गए। अब तक 2,161 रोगीशय्याओं की व्यवस्था से युक्त 11 चिकित्सालय तथा 14 सम्बद्ध चिकित्सालयों का निर्माण किया जा चुका है।

कर्मचारी-भविष्य-निधि (प्राविडेण्ट फण्ड)

आरम्भ में 'कर्मचारी-भविष्य-निधि-अधिनियम 1952' छ मुख्य उद्योगों में लागू किया गया था। जनवरी 1966 के अन्त में यह 103 उद्योगों में लागू किया जा चुका था। इसके अधीन वे कारखाने तथा प्रतिष्ठान आते हैं जिनमें 50 अथवा इनसे अधिक व्यक्ति काम करते हैं तथा जिनको काम करते हुए 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी प्रकार इसके अधीन वे कारखाने भी आते हैं जो 5 वर्षों से चले आ रहे हो और जिनमें 50 से कम परन्तु 20 अथवा इनसे अधिक श्रमिक काम करते हों।

जिन श्रमिकों ने एक वर्ष निरन्तर काम किया हो अथवा एक वर्ष में वस्तुत. 240 दिन काम किया हो तथा जिनका मासिक वेतन (महगाई भत्ता तथा खाद्य-रिआयत के नकद मूल्य-सहित) 1,000 रु० से अधिक नहीं है, वे इस निधि के सदस्य हो सकते हैं। इन्हें अपने मूल वेतन का $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत चन्दा इस निधि में देना पड़ता है। मालिकों को भी इस निधि में इतना ही चन्दा देना पडता है। अक्तूबर 1965 के अन्त में यह योजना 32,181 प्रतिष्ठानों में लागू थी जिनमें काम करनेवाले 44 03

लाख कर्मचारी इसके सदस्य थे। इस समय भविष्य-निधि में कुल 7 अर्ब 10 करोड़ 70 लाख रु० जमा हो चुके हैं।

मृत सदस्यों-द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों अथवा उनके उत्तराधिकारियों लिए 500 रु० की न्यूनतम सहायता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में एक मृत्यु-सहायता-निधि की व्यवस्था की गई है।

कोयला-खान-भविष्य-निधि-योजनाएं

सितम्बर 1965 के अन्त में 1,273 कोयला-खानों तथा सगठनों को इनसे लाभ मिल रहा था। इन योजनाओं के अधीन श्रमिकों तथा मालिकों को अपनी कुल आय का आठ-आठ प्रतिशत भाग भविष्य-निधि में जमा करवाना पड़ता है। जून 1963 से श्रमिक इस निधि में इतनी राशि के अतिरिक्त स्वेच्छा से इतनी राशि और भी जमा करवा सकते हैं। ये योजनाएं जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू हैं। नवम्बर 1965 के अन्त में इस निधि की कुल राशि लगभग 51 79 करोड़ रु० की थी।

योजनाओं में उपभोक्ता-सहकारी समितियों के अंश खरीदने के लिए सदस्यों को ऐसी अग्रिम राशि देने की व्यवस्था रखी गई है जो लौटानी न होगी। 1965 में इन योजनाओं में और सशोधन किया गया जिससे सदस्यों की जीवन-बीमा पालिसियों के लिए अंशदान के उनकेवाले भाग में से धन की व्यवस्था की जा सके। इस वर्ष एक मृत्यु-सहायता-निधि की भी व्यवस्था की गई।

मातृत्व-लाभ

लगभग सभी राज्यों में मातृत्व-लाभ देने के कानून लागू हैं। दो केन्द्रीय अधिनियमों—'कर्मचारी-राज्य-बीमा-अधिनियम 1948' तथा 'बागान-श्रमिक-अधिनियम 1952'—के अधीन भी मातृत्व-लाभ देने की व्यवस्था है। मातृत्व-लाभ के एक-से मानदण्ड निश्चित करने के उद्देश्य से 1961 में इस सम्बन्ध में एक अधिनियम भी बना दिया गया। यह अधिनियम नवम्बर 1963 से खानों में लागू हुआ।

श्रम-कल्याण

'कारखाना-अधिनियम 1948' 'खान-अधिनियम 1952' तथा 'बागान-श्रमिक-अधिनियम 1951' के अधीन उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों के लिए जलपान-गृहों, शिशु-पालनगृहों, विश्रामगृहों, नहाने-धोने की सुविधाओं, चिकित्सा-सहायता तथा कल्याण-अधिकारियों की नियुक्ति आदि की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त कल्याण-योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए भी कानून लागू हैं अथवा लागू किए जा रहे हैं।

'मोटर-परिवहन-कर्मचारी-अधिनियम'

मोटर-परिवहन-कर्मचारियों के लिए भी उक्त सुविधाओं की व्यवस्था 'मोटर-परिवहन-कर्मचारी-अधिनियम 1961' के अधीन की गई है।

कोयला-खान-श्रम-कल्याण-निधि

इस निधि से 2 केन्द्रीय चिकित्सालय, 8 प्रादेशिक चिकित्सालय-मातृत्व तथा शिशु-कल्याण-केन्द्र, 53 मातृत्व तथा शिशु-कल्याण-केन्द्र, 1 क्षय-उपचारालय, 3 क्षय-रोग-चिकित्सालय, 2 औषधालय, 15 आयुर्वेदिक औषधालय और 2 चल चिकित्सा-एकाश चलाए जा रहे है। मलेरिया-उन्मूलन का काम तथा घर जाकर चिकित्सा करने की योजना भी जारी है।

इसके अतिरिक्त इस निधि से 57 संस्थाएं; 61 प्रौढ़-शिक्षा-केन्द्र, 60 महिला-कल्याण-केन्द्र; पुरुष तथा महिलाओं के 163 प्रौढ़-शिक्षा-केन्द्र, 1 अवकाश-गृह और 2 छात्रालय भी चल रहे है। खान-श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी एक योजना जारी है।

पुरानी बस्ती-सहायता-योजना तथा सहायता तथा ऋण-योजना के अधीन अब तक 5,851 घर बनाए गए। कोयला-खान-श्रमिकों की आवास-योजना के अधीन 23,771 घर बना दिए गए हैं तथा 6,279 घर बनाए जा रहे है। कम लागत-वाले मकानों की योजना के अधीन 6,931 घर बन चुके है तथा 7,480 घर बनाए जा रहे हैं।

अभ्रक-खान-श्रम-कल्याण-निधि

इस निधि से अभ्रक-खानों के श्रमिकों को चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाएं जुटाई जाती है। करमा तथा तिसरी (बिहार), कालिचेडु (आन्ध्र-प्रदेश) तथा गंगापुर (राजस्थान) में 4 चिकित्सालय स्थापित किए जा चुके है। अभ्रक-खानों के श्रमिकों को अनेक औषधालयों में चिकित्सा की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 7 चलते-फिरते औषधालय भी है। इस निधि से अनेक प्राथमिक विद्यालय भी चलाए जा रहे है और छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त पुस्तकें तथा लेखन-सामग्री नि:शुल्क दी जाती है। 1965-66 में आन्ध्रप्रदेश को 7 लाख रु०, बिहार को 20 लाख रु० तथा राजस्थान को 6 लाख रु० दिए गए।

लोहा-खान-श्रम-कल्याण

लोहे की खानों में काम करनेवाले श्रमिकों के कल्याण के लिए एक 'खनिज लोहा-खान-श्रम-कल्याण-उपकर-अधिनियम 1961' बनाया गया है जिसमे इन श्रमिकों को भी कोयला तथा अभ्रक-खानों में काम करनेवाले श्रमिकों-जैसी सुविधाएं उपलब्ध करने की व्यवस्था है। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है।

खानों में सुरक्षा के उपाय

'खान-अधिनियम 1952' तथा इसके अधीन बने नियमों, विनियमों तथा उपकानूनों के आधार पर खानों में श्रम तथा सुरक्षा के नियमन की व्यवस्था होती है। 1964 में कोयला-खानों तथा सभी खानों में प्रतिसहस्र 0.42 व्यक्ति मरे। एक राष्ट्रीय खान-सुरक्षा-परिषद स्थापित की जा चुकी है।

बागान-श्रमिकों का कल्याण

'बागान-श्रमिक-अधिनियम 1951' के अधीन सभी बागानो के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने निवासी श्रमिकों तथा उनके परिवारो के आवास की व्यवस्था करें और चिकित्सालय अथवा औषधालय खोलें। कुछेक बगानों में श्रमिको के बच्चो के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय भी खुले हुए हैं। इसके अतिरिक्त चाय-मण्डल की सहायता से कुछ चाय-बागानों मे मनोरंजन की तथा कला-कौशल सिखाने की सुविधाएं भी दी जा रही हैं।

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की श्रम-कल्याण-निधियां

श्रमिको के कल्याण के लिए धन जुटाने की दृष्टि से 1946 में श्रम-कल्याण निधियां चालू की गई। इनके अधीन कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं दी जा रही है।

श्रम-कल्याण-केन्द्र

अधिकाश राज्यो तथा संघीय क्षेत्रों की सरकारे भी अनेक कल्याण-केन्द्र चला रही हैं जिनमे श्रमिको तथा उनके बच्चो के लिए मनोरंजन, शिक्षा तथा अन्य सास्कृतिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

राष्ट्रीय पुरस्कार-योजना

'कारखाना-अधिनियम 1948' के अन्तर्गत आनेवाले औद्योगिक कारखानो में सुरक्षा-सम्बन्धी कार्यों को मान्यता देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा-पुरस्कार देने के लिए चार योजनाओं का कार्य आरम्भ किया गया है। प्रत्येक योजना में 15 पुरस्कारों की व्यवस्था रखी गई है। खानो, बागानों तथा गोदियों में अधिक उत्पादन अथवा अधिक कार्यकुशलता को प्रोत्साहन देने के सुझावों के लिए मजदूरों को पुरस्कार देने के उद्देश्य से 'श्रमवीर राष्ट्रीय पुरस्कार-योजना' नामक एक अन्य योजना भी आरम्भ की गई है। इस योजना के अधीन 35 पुरस्कार दिए जाते हैं।

श्रमिक-स्थिति-सर्वेक्षण-योजना

इस योजना का उद्देश्य 46 बडे निर्माणकारी, खनन तथा बागान-उद्योगो में श्रमिकों की रोजगार-सम्बन्धी स्थिति तथा उनकी सख्या, कल्याण-सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाओं, समाज-सुरक्षा-सम्बन्धी उपायो आदि के सम्बन्ध मे सविस्तर जानकारी का संग्रह करना है। अब तक 28 उद्योगों मे सर्वेक्षण किया जा चुका है और शेष 18 उद्योगो मे सर्वेक्षण का कार्य फरवरी 1966 तक पूरा हो जाने-वाला था। अब तक 11 सर्वेक्षण-रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी है।

अध्याय 25

आवास

भारत मे आवास की समस्या एक अत्यन्त जटिल समस्या है। इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता है तथा इस कमी को पूरा करना व्यक्तियो, सहकारी संस्थाओ, केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारो के सम्मिलित प्रयत्नो पर निर्भर है। शहरी तथा ग्रामीण, दोनो ही, क्षेत्रो मे निवासस्थानो की भारी कमी है। जो कुछ मकान है भी, वे बहुत निम्न स्तर के बने हुए है। शहरी क्षेत्रो मे मकानो की कमी के मुख्य कारण हैं . 1921 से अब तक जनसख्या मे तेज़ी से वृद्धि, ग्रामीण लोगो का बहुत बडी संख्या मे आकर शहरो मे बसना, गृहनिर्माण-कार्यों पर सरकार अथवा नगरपालिका का पर्याप्त नियन्त्रण न होने से नगरो का असन्तुलित विकास तथा आवास की बढ़ती हुई मागो को पूरा करने मे गैर सरकारी क्षेत्र की एक सीमा तक असमर्थता।

देश के स्वतन्त्र होने मे पहले ही सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाओ-द्वारा अपने कर्मचारियो के लिए आवास की उचित व्यवस्था करने का दायित्व स्वीकार किया जा चुका था। इस दिशा मे 1921 मे बम्बई-सरकार ने एक विकास-विभाग की स्थापना करके पथ-प्रदर्शन किया। 15,000 मकान बनवाने के बाद यह प्रयत्न बीच मे ही छोड दिया गया परन्तु 1949 मे यह कार्य पुन आरम्भ किया गया और एक विशेष आवास-मण्डल स्थापित किया गया। इस मण्डल का काम था— औद्योगिक कर्मचारियो तथा अन्य कम आय-वर्गों के लिए मकान बनवाना, भूमि का विकास करना और निर्माण-सामग्री के उत्पादन तथा वितरण मे सहायता देना। कलकत्ता, कानपुर, बम्बई तथा मद्रास मे भी सुधार-न्यासो ने आवास का अभाव दूर करने का प्रयत्न किया। नगरपालिकाओं ने भी न केवल अपने कर्मचारियो के लिए बल्कि समय-समय पर कम आयवर्गों के लोगो के लिए भी मकान बनवाए।

1950 तक केन्द्रीय सरकार का प्रयत्न अपने कर्मचारियो, विशेष रूप मे आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियो, के लिए ही मकान बनवाने तक सीमित रहा। पाकिस्तान से आनेवाले विस्थापितो के कारण केन्द्रीय सरकार के सामने अपने कर्मचारियो के अतिरिक्त अन्य लोगो के लिए भी मकान बनवाने की समस्या पहली बार आई। असम, उड़ीसा, बिहार, पजाब तथा पश्चिम-बंगाल मे राज्य-सरकारों ने भी इस प्रकार के प्रयत्न किए।

गैरसरकारी क्षेत्र में मालिको की ओर से अपने कर्मचारियो के लिए आवास की एक-सी कोई व्यवस्था नहीं हुई। यद्यपि बहुत-से मालिको ने अपनी आय का एक अंश कर्मचारियो के लिए आवास की उत्तम व्यवस्था करने में लगाया परन्तु सामान्यत: युद्धोत्तर वर्षों में कर्मचारियो के लिए मकानों का निर्माण बहुत कम हुआ।

सहकारी आवास-समितियों ने विशेष रूप से उत्तरप्रदेश, मद्रास तथा महाराष्ट्र में मध्यम तथा कम आय-वर्गों के लिए मकानो की कुछ व्यवस्था की।

अधिकांश निर्माणकार्य गैरसरकारी सस्थाओं के ही हाथो में रहा जो अनेक कारणो से आवास-सम्बन्धी माग की पूर्ति करने में असमर्थ रही।

मई 1952 मे केन्द्रीय सरकार मे आवास-मन्त्रालय अलग से स्थापित किए जाने के समय से आवास-सम्बन्धी गतिविधियो को तीव्र गति देने के संगठित प्रयास किए जा रहे है। वार्षिक राज्यीय मन्त्री-सम्मेलनो तथा समय-समय पर होनेवाली विचारगोष्ठियो आदि से इस समस्या के प्रति जागरूकता बनाए रखने में काफी सहायता मिली। केन्द्रीय निर्माणकार्य, आवास तथा शहरी विकास-मन्त्रालय के आवास-विभाग की भांति राज्य-सरकारो ने भी इसी सम्बन्ध मे अलग विभागों अथवा मण्डलो की स्थापना की है। कुछ राज्यों मे अनुविहित आवास-मण्डल स्थापित किए जा चुके है तथा कुछ मे स्थापना का निर्णय किया जा चुका है।

योजनाओं के अधीन प्रगति

पहली पचवर्षीय योजना की अवधि मे राष्ट्रीय आवास-कार्यक्रम तैयार करने की ओर ध्यान दिया गया। शहरी क्षेत्रो मे दो आवास-योजनाएं 1,20,000 मकान बनाने के लिए 38.5 करोड रुपये के व्यय से आरम्भ की गई। इसके अतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियो, सरकारी कर्मचारियो आदि के लिए केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारो और स्थानीय सस्थाओं ने भी प्रयत्न किया। अनुमान है कि पहली योजना की अवधि मे इन सरकारी सस्थाओ-द्वारा लगभग 7,00,000 मकान बनाए गए।

दूसरी योजना की अवधि मे छ: अन्य आवास-योजनाओ के लिए सरकार ने 84 करोड रुपये की व्यवस्था की। जीवन-बीमा-निगम-द्वारा लगाए गए 17.2 करोड रुपये इनके अतिरिक्त थे। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारो और स्थानीय निकायो ने अन्य आवास-कार्यक्रम अलग से पूरे किए। इस प्रकार दूसरी योजना में आवास-योजनाओ पर सरकारी क्षेत्र मे लगभग 2.5 अर्ब रुपये व्यय किए गए तथा 5,00,000 मकान बनाए गए। गैरसरकारी क्षेत्र में लगभग 10 अर्ब रुपये मकान आदि बनाने पर लगाए जाने का अनुमान है।

तीसरी योजना के प्रारम्भ मे देश मे कुल मिलाकर 7.92 करोड मकान थे —6.51 करोड ग्रामीण क्षेत्रों मे तथा 1.41 करोड शहरी क्षेत्रो में। ग्रामीण परिवार (6.89 करोड) ग्राम-क्षेत्रो के घरो से 38 लाख अधिक थे।

तीसरी योजना की अवधि मे आवास पर 15.65 अर्ब रु० के विनियोग की आशा थी। यह विनियोग शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे 42 लाख नए घरो के निर्माण पर होने की आशा थी। इसी अवधि में परिवारों की सख्या मे 1.05 करोड़ की वृद्धि होने का अनुमान था। कुल मिलाकर चौथी योजना के आरम्भ में 7.41 करोड़ मकानों का अभाव होने का अनुमान है।

तीसरी योजना में सामाजिक आवास-योजनाओ के लिए 1.82 अर्ब रु०

की व्यवस्था रखी गई थी। चौथी योजना में आवास-योजनाओं के लिए 4 9 अर्ब रु० की व्यवस्था रखे जाने की सम्भावना है।

दिसम्बर 1964 में हुए आवास-मन्त्री-सम्मेलन ने आवास-योजनाओं के लिए निर्धारित की गई राशि का उपयोग अन्य विकास-परियोजनाओं के लिए किए जाने का विरोध और सभी आवास-योजनाओं को एक विभाग तथा एक मन्त्री के अधीन रखे जाने का भी अनुरोध किया। सम्मेलन की सिफारिश पर किए गए निर्णय 1 अप्रैल, 1966 से आरम्भ हुई नई परियोजनाओं को लागू होंगे।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य-सरकारों-द्वारा उत्तम आवास-सुविधाओं की व्यवस्था के लिए आरम्भ की गईं सरकारी आवास-योजनाओं के अधीन हुई प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास-योजना

सहायताप्राप्त औद्योगिक आवास-योजना सितम्बर 1952 में आरम्भ हुई। इसके अधीन केन्द्रीय सरकार-द्वारा राज्य-सरकारों को तथा उनके द्वारा अन्तर्विहित आवास-मण्डलों, स्थानीय निकायों, उद्योगपतियों तथा औद्योगिक श्रमिकों की पंजीकृत सहकारी संस्थाओं-जैसी अन्य स्वीकृत संस्थाओं को उचित ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण तथा अनुदान दिए जाते हैं। यह सहायता 'कारखाना-अधिनियम 1948' के अधीन आनेवाले औद्योगिक श्रमिकों तथा 'खान-अधिनियम 1952' के अधीन आनेवाले खान-श्रमिकों (कोयला तथा अभ्रक-खान-श्रमिकों को छोड़कर) को मकान बनाने के लिए दी जाती है। 1965 के अन्त तक 63 77 करोड़ रु० की लागत से 1,79,458 मकानों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई जिनमें से 1,54,933 मकानों का निर्माणकार्य पूरा हो चुका है।

कम आयवाले लोगों के लिए आवास-योजना

कम आयवाले लोगों के लिए आवास-योजना नवम्बर 1954 में आरम्भ की गई। इस योजना के अधीन 6,000 रु० तक की वार्षिक आयवाले लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राज्य-सरकारों को दीर्घकालीन ब्याज-युक्त ऋण दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को भूमि प्राप्त करने, उसका विकास करने तथा योग्य व्यक्तियों को लाभ-हानि बिना बेचने के लिए भी अल्पकालीन ऋण देती है।

तदनुसार 31 मार्च, 1965 तक राज्य तथा संघीय क्षेत्र-सरकारों ने 70.72 करोड़ रुपये प्राप्त किए। 1965 के अन्त तक 1,39,894 मकानों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई तथा 1,00,340 मकान बनकर तैयार हो गए।

बागान-श्रमिक-आवास-योजना

'बागान-श्रमिक-अधिनियम 1951' के अधीन प्रत्येक बागान-मालिक का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था करे। बागान-मालिकों, विशेष रूप से छोटे बागान-मालिकों, को यह उत्तरदायित्व पूरा करने में

सहायता देने के लिए अप्रैल 1956 में बागान-श्रमिक-आवास-योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अधीन राज्य-सरकारें बागान-मालिकों को उचित ब्याज पर ऋण देती हैं। श्रम तथा नियोजन-मन्त्रालय-द्वारा नियुक्त अध्ययन-मण्डली ने बागान-मालिकों को प्रत्येक मकान के निर्माण-व्यय का 25 प्रतिशत पूंजीगत सहायता के रूप में तथा शेष 75 प्रतिशत ऋण के रूप में देने की सिफारिश की। योजना में इस दृष्टि से संशोधन किया जा रहा है। अब तक राज्य-सरकारें 40.64 लाख रु० की लागत के 1,825 मकानों के निर्माण के लिए स्वीकृति दे चुकी हैं जिनमें से 995 मकान बन चुके हैं।

गन्दी बस्ती-उन्मूलन-योजना

गन्दी बस्ती-उन्मूलन-योजना मई 1956 में लागू की गई। इस योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों के माध्यम से नगरपालिकाओं तथा स्थानीय निकायों को गन्दी बस्तियों के उन्मूलन के लिए आर्थिक सहायता देती है। यह सहायता उन परिवारों को बसाने के लिए दी जाती है जिनकी आय कलकत्ता, दिल्ली तथा बम्बई में 250 रु० प्रतिमास तक और अन्य नगरों में 175 रु० प्रतिमास तक है।

इस योजना के अधीन 1965 के अन्त तक 35.84 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से 94,898 मकानों के निर्माण के लिए राज्य-सरकारों की 329 गन्दी बस्ती-उन्मूलन/सुधार-परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई जिनमें से 52,984 मकानों का निर्माण पूरा हो गया। सघीय क्षेत्रों में 4.5 करोड़ रु० की लागत वाले 10,713 मकानों के निर्माण की परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है जिनमें से 6,810 से अधिक मकानों का निर्माण हो चुका है। इसके अतिरिक्त झुग्गी तथा झोंपड़ी-उन्मूलन-योजना के अधीन दिल्ली में 22,506 भू-खण्डों को ठीक-ठाक करके उनमें 3,872 छोटे मकानों का निर्माण हो रहा था।

ग्राम-आवास-परियोजना-योजना

ग्राम-आवास-परियोजना-योजना अक्तूबर 1957 में आरम्भ की गई। इसके अधीन योजना की अवधि में उपयुक्त सामुदायिक विकास-खण्डों के अधिकाशतः 5,000 चुने हुए गांवों में आवास-परियोजनाएं पूरी करने का कार्यक्रम बनाया गया। इस योजना के अधीन मकान की लागत की 80 प्रतिशत राशि अथवा 3,000 रु० (जो भी कम हो) की ऋण-सहायता दी जाती है। यह सहायता ऋण के रूप में होती है। चुने हुए गांवों में सड़कों तथा नालियों के निर्माण तथा भूमि-हीन कृषि-मजदूरों को मकान के लिए भूमि देने के लिए भी अनुदान दिए जाते हैं। राज्य-सरकारों तथा खण्ड-विकास-कर्मचारियों-द्वारा गांववालों को प्राविधिक परामर्श तथा मार्गदर्शन निःशुल्क दिया जाता है।

योजना के अधीन विकास के लिए निर्धारित सभी 5,000 ग्राम चुन लिए गए। 3,400 गांवों में सर्वेक्षण किया गया तथा 2,386 गांवों में कार्य आरम्भ हो गया। 1965 के अन्त तक राज्य-सरकारों-द्वारा 57,923 मकानों के निर्माण

के लिए 8.01 करोड़ रु० के ऋणों को स्वीकृति दी गई जिसमें से 6.2 करोड़ रु० बांट दिए गए तथा 28,362 मकान बनकर तैयार हो गए।

भूमि-प्राप्ति तथा विकास-योजना

यह योजना अक्तूबर 1959 में लागू की गई। इसके अधीन राज्य-सरकारों को भूमि प्राप्त करने तथा उसके विकास के लिए ऋण के रूप में सहायता दी जाती है जिससे मकान बनाने के इच्छुक व्यक्तियों, विशेषकर कम आयवाले वर्गों के लोगों, को उचित मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराई जा सके।

1965 के अन्त तक 23,736 एकड़ भूमि प्राप्त करने तथा उसके विकास के लिए राज्य-सरकारों को 47.01 करोड़ रु० दे दिए गए। 10,666 एकड़ भूमि प्राप्त की गई तथा 7,917 एकड़ भूमि का विकास किया गया।

मध्यम आय-वर्ग के लोगों के लिए आवास-योजना

यह योजना फरवरी 1959 में आरम्भ की गई तथा इसके अधीन उन लोगों को मकान-निर्माण-ऋण दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय 6,001 रु० से 15,000 रु० के बीच होती है। इसके अधीन अधिक-से-अधिक ऋण 20,000 रुपये प्रति मकान दिया जाता है। 1965 के अन्त तक 19,352 मकानों के निर्माण के लिए 33.01 करोड़ रुपये के ऋणों को स्वीकृति दी गई जिनमें से 12,465 मकान बन चुके थे।

राज्य-सरकारों के कर्मचारियों के लिए किराये के मकानों की योजना

1959 से लागू इस योजना के अधीन जीवन-बीमा-निगम-द्वारा राज्य-सरकारों को कम वेतनवाले कर्मचारियों की आवास-व्यवस्था के लिए सहायता दी जाती है। 1965 के अन्त तक 19.86 करोड़ रुपये की लागत से 19,246 मकानों के निर्माण को स्वीकृति दी गई जिनमें से 11,419 मकान बन चुके थे।

राष्ट्रीय भवन-संगठन

राष्ट्रीय भवन-संगठन की स्थापना जुलाई 1954 में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य निर्माण-सामग्री, नमूनों, नक्शों आदि के द्वारा कम लागत पर मकान बनाने में सहायता देना है। अब यह संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्राविधिक सहायता-संगठन के सहयोग से एशिया तथा सुदूरपूर्व-आर्थिक आयोग के अधीन शुष्क-उष्ण प्रदेशों के लिए क्षेत्रीय आवास-केन्द्र के रूप में भी कार्य कर रहा है।

यह संगठन आणन्द, चण्डीगढ़, नई दिल्ली, बंगलोर, रुड़की तथा शिवपुर में केन्द्रीय सरकार-द्वारा स्थापित 6 इंजीनियरी-संस्थानों के प्रादेशिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण-केन्द्रों की भी देखभाल करता है।

अब तक भवन-निर्माण-सम्बन्धी कई अल्पकालीन प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की जा चुकी है।

अध्याय 26

राज्य तथा संघीय क्षेत्र*

असम

क्षेत्रफल : 2,03,399 वर्ग किलोमीटर†	जनसंख्या : 1,22,09,33‡
राजधानी : शिलङ्	मुख्य भाषाएं : असमिया तथा बंगला

राज्यपाल : विष्णु सहाय

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
बिमला प्रसाद चलिहा	मुख्य मन्त्री, नियुक्तियां, गृह, राजनीतिक मामले, प्रशासन, सूचना, अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मामले, सार्वजनिक निर्माण-कार्य (सड़कें तथा भवन), वित्त, कानून, राजस्व, राजनीतिक पीड़ित, समन्वय और अन्य विभाग जो किसी अन्य मन्त्री को न दिए गए हों
कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी . .	बिजली, खान तथा खनिज-पदार्थ, उद्योग, आयोजन, नगर तथा ग्राम-आयोजन और श्रम तथा सांख्यिकी
देवकान्त बरुआ . . .	शिक्षा, सहकारिता और पर्यटन
बैद्यनाथ मुखर्जी . . .	स्वास्थ्य, उत्पाद-शुल्क, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री और पर्यटन
मोइनुल हक चौधरी . .	बाढ़-नियन्त्रण तथा सिंचाई, कृषि, संसदीय मामले, पंचायतें तथा सामुदायिक विकास और वक्फ
रूपनाथ ब्रह्म	पूर्ति, व्यापार, पंजीयन तथा स्टाम्प और सहायता तथा पुनर्वास

*1 दिसम्बर, 1966 की स्थिति के अनुसार। क्षेत्रफल-सम्बन्धी आंकड़े 1 जनवरी, 1966 की स्थिति के अनुसार हैं।

†उ० पू० सी० अभिकरण के 81,426 वर्ग किलोमीटर-सहित

‡उत्तर-पूर्व-सीमान्त अभिकरण-सहित

महेन्द्रनाथ हाजोरिका . .	खादी तथा ग्रामोद्योग, रेशम-उद्योग और जेल
छत्रसिंह तेरों . . .	आदिमजाति-क्षेत्र तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण, नगरपालिका-प्रशासन, समाज-कल्याण और भू-संरक्षण

मन्त्रालयों के राज्य-मन्त्री

गिरीन्द्र नाथ गोगोई . .	सार्वजनिक निर्माणकार्य (सड़कें तथा भवन)
राधिका रामदास . .	राजस्व और कानून
एमोर्नसिंह संगमा . . .	सामुदायिक विकास, आदिमजाति-क्षेत्र तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण और बिजली
श्रीमती कमल कुमारी बरुआ .	वित्त, सामान्य तथा सचिवालय-प्रशासन, समाज-कल्याण और प्रचार

उपमन्त्री

ललित कुमार दोले . .	आदिमजाति-क्षेत्र तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण, सहकारिता और वन
देवेन्द्रनाथ हाजोरिका . .	पंचायतें तथा सामुदायिक विकास

संसदीय सचिव

एस० एस० तेरंग . .	सहायता तथा पुनर्वास और कृषि

मुख्य सचिव : के० एन० किदवई

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति	गोपालजी मेहरोत्रा
न्यायाधिपति	सी० सजीवराव नायडू, एस० के० दत्त
महाधिवक्ता	बी० सी० बरुआ

लोक सेवा-आयोग

अध्यक्ष	एस० एन० बरकोटाकि
सदस्य	अब्दुल हुद, आर० थनलीरा

विधान-सभा

अध्यक्ष : महेन्द्र मोहन चौधरी **उपाध्यक्ष** : दण्डेश्वर हाजोरिका

सदस्य-संख्या : 105

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार असम-राज्य की राजस्वगत आय 73 करोड़ 74 लाख 39 हजार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 80 करोड़ 49 लाख

91 हजार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 82 करोड़ 74 लाख 47 हजार रुपये तथा 81 करोड़ 89 लाख 53 हजार रुपये हैं।

आन्ध्रप्रदेश

क्षेत्रफल : 2,75,244 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 3,59,83,447
राजधानी : हैदराबाद	मुख्य भाषा : तेलुगु

राज्यपाल : पट्टम् ए० ताणु पिल्लइ

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
के० ब्रह्मानन्द रेड्डि	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, सेवाएं, निर्वाचन, आयोजन, मुख्य उद्योग, बिजली, राजस्व और सिंचाई
एन० रामचन्द्र रेड्डि	असैनिक पूर्ति, खाद्य, संगठित दूध-परियोजना, गोदाम, पशुपालन, पंजीयन, स्टाम्प, निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति, अतियात जागीर-प्रशासन, ऋण-निबटारा-मण्डल, भूमि-सुधार और सहायता तथा पुनर्वास
एम० चेन्ना रेड्डि	वित्त, मध्यम तथा लघु उद्योग, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, खान और वाणिज्य-कर
पी० वी० जी० राजु	सांस्कृतिक मामले
ए० सी० सुब्बा रेड्डि	कृषि
मीर अहमद अली खां	गृह
वाई० शिवराम प्रसाद	स्वास्थ्य
एम० एन० लक्ष्मीनरसय्य	पंचायतें, लघु बचत और आवास
टी० रामस्वामि	सहकारिता, मछलीपालन और उत्पाद-शुल्क
टी० वी० राघवुलु	सार्वजनिक निर्माणकार्य, राजपथ, बन्दरगाह और समाज-कल्याण

मन्त्रालयों के राज्य-मन्त्री

एम० आर० अप्पाराव	मद्यनिषेध
पी० वी० नरसिंह राव	कानून, जेल, विधानमण्डल और धर्मादा
श्रीमती टी० एन० सदालक्ष्मि	महिला-कल्याण

ए० बलरामि रेड्डि	. . .	शिक्षा
बी० बी० गुरुमूर्ति	. .	श्रम, परिवहन, सूचना और पर्यटन
एन० वेंकुराम नायडु	. .	नगरपालिका-प्रशासन और वन

मुख्य सचिव : के० एन० अनन्तरामन्

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति	. .	मनोहर प्रसाद
न्यायाधिपति	. . .	एन० डी० कृष्णराव, पी० जे० रेड्डि, पी० बसि रेड्डि, एन०कुमारय्य, जी० चन्द्रशेखर शास्त्री, एच० अनन्तनारायण अय्यर्, के०वी०एल० नरसिंहम्, शर्फुद्दीन अहमद, ई० वेंकटशम्, गोपालराव एकबोटे, मुहम्मदमिर्जा
महाधिवक्ता	. . .	बी० वी० सुब्रह्मण्यम्

लोक सेवा-आयोग

अध्यक्ष	. . .	गुलाम हैदर
सदस्य	. . .	एच० रामलिंग रेड्डि, जी० सिंहाद्रि, सी० बंगार राज

विधान-सभा

अध्यक्ष : बी० वी० सुब्बा रेड्डि उपाध्यक्ष : वासुदेव कृष्णजी नाईक

सदस्य-संख्या . 301

विधान-परिषद्

सभापति : जी० ब्रह्मय्य उपसभापति : एम० आनन्दम्

सदस्य-संख्या : 90

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार आन्ध्रप्रदेश-राज्य की राजस्वगत आय 1 अर्ब 52 करोड़ 35 लाख 17 हज़ार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 1 अर्ब 66 करोड़ 86 लाख 51 हज़ार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 1 अर्ब 74 करोड़ 23 लाख 68 हज़ार रुपये तथा 1 अर्ब 73 करोड़ 92 लाख 98 हज़ार रुपये हैं।

उड़ीसा

क्षेत्रफल : 1,55,860 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 1,75,48,846
राजधानी : भुवनेश्वर	मुख्य भाषा : उड़िया

राज्यपाल : अयोध्यानाथ खोसला

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
सदाशिव त्रिपाठी . .	मुख्य मन्त्री, वित्त, उद्योग, आयोजन तथा समन्वय, खनन तथा भूगर्भ-विज्ञान, सिंचाई तथा बिजली, सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज, वाणिज्य, सहकारिता और वन
नीलमणि राउतराव . .	गृह, राजनीतिक मामले तथा सेवाएं, पूर्ति, श्रम, नियोजन और आवास
सत्यप्रिय महान्ति	शिक्षा, निर्माण, परिवहन और सांस्कृतिक मामले
पी० वी० जगन्नाथ राओ	स्वास्थ्य (स्वायत्त शासन को छोड़कर)
टी० संगन्ना . . .	आदिमजाति तथा ग्राम-कल्याण और उत्पाद-शुल्क तथा राजस्व (लेख्यपत्र-पंजीयन)
वनमालि बाबु . . .	कानून, स्वास्थ्य (स्वायत्त शासन)
राम प्रसाद मिश्र . .	कृषि तथा पशुपालन, सहकारिता और वन (वन-विद्या को छोड़कर)

उपमन्त्री	
प्रह्लाद मलिक . .	सिंचाई तथा बिजली, राजस्व (उन्नयन-शुल्क, जल-कर तथा उपकर) और वित्त
श्रीमती सरस्वती प्रधान . .	शिक्षा
सन्तोषकुमार साहु . .	सहकारिता, वन, सांस्कृतिक मामले और खनन तथा भूगर्भ-विज्ञान
चन्द्र मोहन सिंह . .	श्रम, नियोजन, आवास, गृह (जेल), उत्पाद-शुल्क और राजस्व (उन्नयन-शुल्क, जल-कर तथा उपकर)
चित्तरंजन नायक	उद्योग, वाणिज्य और परिवहन
अनूपसिंह देव . . .	गृह (जन-सम्पर्क) और सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज
मदन मोहन प्रधान . .	कृषि तथा पशुपालन

मुख्य सचिव : ए० के० बैरल

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति .	खलील अहमद
न्यायाधिपति . . .	एस० बी० बर्मन, आर० के० दास, जी० के० मिश्र
महाधिवक्ता . . .	डी० साहु

लोक सेवा-आयोग

अध्यक्ष . . .	एम० एल० पण्डित
सदस्य . . .	बी० सी० दास, यू० दास

विधान-सभा

अध्यक्ष : लिंगराज पाणिग्रहि उपाध्यक्ष लोकनाथ मिश्र

सदस्य-संख्या : 140

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार उड़ीसा-राज्य की राजस्वगत आय 85 करोड़ 82 लाख 50 हज़ार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 92 करोड़ 59 लाख 14 हज़ार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमश: 1 अर्ब 5 क़रोड़ 28 लाख 62 हज़ार रुपये तथा 1 अर्ब 5 करोड़ 24 लाख 71 हज़ार रुपये हैं।

उत्तरप्रदेश

क्षेत्रफल : 2,94,366 वर्ग किलोमीटर
राजधानी : लखनऊ
जनसंख्या : 7,37,46,401
मुख्य भाषा : हिन्दी

राज्यपाल : विश्वनाथ दास

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
श्रीमती सुचेता कृपालानी .	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, आयोजन, उद्योग (ग्राम तथा लघु उद्योगों-सहित), सूचना और अर्थनीति तथा सांख्यिकी
हुकम सिंह . . .	राजस्व और अभावग्रस्त क्षेत्र

गिरधारी लाल . . .	सिंचाई तथा बिजली
चरण सिंह . . .	वन तथा स्वायत्त शासन
सैयद अली ज़हीर . . .	न्याय, विधायी और मुस्लिम-वक्फ
हरगोविन्द सिंह	गृह (जेल तथा बाल-अपराध) और असैनिक सुरक्षा तथा होम गार्ड
मुज़फ्फर हुसन . . .	पर्यटन, परिवहन और राजनीतिक निवृत्ति-वेतन
राम मूर्ति	सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज और प्रान्तीय रक्षा-दल
जगमोहन सिंह नेगी . .	खाद्य तथा असैनिक पूर्ति
सीता राम . .	समाज-कल्याण, हरिजन-कल्याण, सहायता तथा पुनर्वास, गन्ना-विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक मामले
दाउदयाल खन्ना .	चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और उत्पाद-शुल्क
बनारसी दास . .	सहकारिता, श्रम और संसदीय मामले
कैलास प्रकाश .	शिक्षा, वित्त, बिक्री-कर और धर्मादा
जगन प्रसाद रावत .	सार्वजनिक निर्माणकार्य
गेन्दा सिंह . .	कृषि, पशुपालन और मछलीपालन

उपमन्त्री

शान्तिप्रपन्न शर्मा	सूचना, बिजली तथा सिंचाई और गन्ना-विपणन तथा गुड़-विकास
बलदेव सिंह आर्य .	कृषि
जयराम वर्मा . .	न्यायिक, विधायी और वित्त
राम नारायण पाण्डेय	चिकित्सा और शिक्षा
शिव प्रसाद गुप्त . .	उद्योग और गृह

संसदीय सचिव

श्रीमती तारा अग्रवाल .	स्वायत्त शासन और समाज-कल्याण
हरिदत्त कण्डपाल .	असैनिक पूर्ति और परिवहन
वजय कुमार वसु .	सिंचाई और सार्वजनिक निर्माणकार्य
वंशीधर पाण्डेय . .	सामुदायिक विकास
देवेन्द्र प्रसाद सिंह . .	सामुदायिक विकास, सहकारिता और परिवहन
राम कुमार शास्त्री . .	राजस्व

मुख्य सचिव : के० के० दास

उच्च न्यायालय

मख्य न्यायाधिपति . . **बी० भार्गव**

न्यायाधिपति . . **एन० बेग, बी० जी० ओक, जे० सहाय,** बी० दयाल, जे० एन० तकू, बी० एन० निगम, एस० एस० धवन, एस० के०, वर्मा, डब्ल्यू० ब्रूम, डी० एस० माथुर, डी० पी० उन्याल, एस० एन० द्विवेदी, आर० ए० मिश्र, एस० सी० मनचन्दा, टी० रामभद्रन्, बी० डी० गुप्त, के० बी० अस्थाना, एस० एन० काटजू, जी० कुमार, आर० एस० पाठक, डी० डी० सेठ, एम० चन्द्र, एम० एच० बेग, आर० एन० शर्मा , जी० डी० सहगल, एस० डी० खरे, जी० सी० माथुर, जी० प्रसाद, सी० बी० कपूर, एस० चन्द्र, एच० सी० पी० त्रिपाठी, एल० पी० निगम, एस० एन० सिंह, यू० एस० श्रीवास्तव, पी० प्रसाद, आर० चन्द्र, यशोदा-नन्दन

महाधिवक्ता के० एल० मिश्र

लोक सेवा-आयोग

अध्यक्ष आर० डी० मिश्र

सदस्य . जे० एन० उग्र, हबीब अहमद, सी० एम० एन० चाक, जे० पी० मित्तल

विधान-सभा

अध्यक्ष : मदन मोहन वर्मा

उपाध्यक्ष : होतीलाल अग्रवाल

सदस्य-संख्या 431

विधान-परिषद्

सभापति : दरबारी लाल शर्मा

उपसभापति : बीरेन्द्र स्वरूप

सदस्य-संख्या 108

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार उत्तरप्रदेश-राज्य की राजस्वगत आय तथा राजस्वगत व्यय, दोनो ही, 2 अर्ब 64 करोड 97 लाख 36 हजार रुपये के थे। 1966-67 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशियां 2 अर्ब 91 करोड़ 73 लाख 68 हजार रुपये तथा 2 अर्ब 92 करोड 4 लाख 86 हजार रुपये हैं।

केरल

क्षेत्रफल : 38,869 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 1,69,03,715
राजधानी : तिरुवनन्तपुरम्	मुख्य भाषा : मलयालम

राज्यपाल: भगवान सहाय

केरल-विधान-सभा-द्वारा 8 सितम्बर, 1964 को मन्त्रिपरिषद् के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 10 सितम्बर, 1964 को राष्ट्रपति ने एक घोषणा जारी की जिसके अनुसार उन्होंने केरल-सरकार के सभी कार्य और राज्य के राज्यपाल में निहित अथवा उसके-द्वारा प्रयोग किए जानेवाले सभी अधिकार स्वयं सम्हाल लिए और यह घोषित किया कि केरल-राज्य-विधानमण्डल के अधिकारों का प्रयोग संसद्-द्वारा अथवा संसद् के प्राधिकाराधीन किया जाएगा। उक्त घोषणा के उद्देश्यो को क्रियान्वित करने के लिए उन्होने आवश्यक अथवा वाछनीय प्रासंगिक तथा आनुषंगिक उपबन्धो की भी व्यवस्था की। यह घोषणा 24 मार्च, 1965 को समाप्त कर दी गई। इस सम्बन्ध मे 24 मार्च, 1965 को भारत के उपराष्ट्रपति ने, जो उस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, एक नई घोषणा जारी की। इसके पश्चात् मार्च 1965 में राज्य-विधान-सभा के लिए मध्यावधि-चुनाव हुए जिसके परिणामस्वरूप सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को आवश्यक बहुमत न मिला। यह नई घोषणा अभी चालू है। मार्च 1965 मे जो मध्यावधि-चुनाव हुए, उनमे विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार थी. भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 36, संयुक्त समाजवादी दल 13, अखिल भारतीय मुस्लिम-लीग 6, भारतीय साम्यवादी दल 3 तथा अन्य 35।

मई 1965 मे पारित 'केरल-राज्य-विधानमण्डल (अधिकार-प्रत्यायोजन) अधिनियम 1965' के अधीन केरल-विधान-सम्बन्धी एक परामर्शदात्री समिति नियुक्त की गई जिसमे लोक-सभा के अध्यक्ष-द्वारा नामनिर्दिष्ट 30 सदस्य तथा राज्य-सभा के सभापति-द्वारा नामनिर्दिष्ट 15 सदस्य हैं।

मुख्य सचिव : एन० एम० पट्टनायक

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति	एम० एस० मेनन
न्यायाधिपति	पी० टी० रामन् नायर्, सी० ए० वैद्यलिंगम्, एस० वेलु पिल्लइ, श्रीमती अन्ना चाण्डि, पी० गोविन्द मेनन, टी० सी० राघवन्, एम० माधवन् नायर्, पी० पी० गोविन्दन् नायर्, के० के० मात्यु, वी० पी० गोपालन् नम्बियार्, टी० एस० कृष्णमूर्ति अय्यर्
महाधिवक्ता	वी० ए० ए० सैयद मोहम्मद

लोक सेवा-आयोग

अध्यक्ष	बी० पारियारपूतम्
सदस्य . . .	ए० पी० उदयभानु, पी० टी० भास्कर पणिक्कर, सी० ओ० टी० कुञ्ञिपक्कि

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार केरल-राज्य की राजस्वगत आय 82 करोड़ 39 लाख 31 हजार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 83 करोड़ 46 लाख 37 हजार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 1 अर्ब 3 करोड़ 11 लाख 82 हजार रुपये तथा 99 करोड़ 30 लाख 74 हजार रुपये हैं।

गुजरात

क्षेत्रफल : 1,87,091 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 2,06,33,350
राजधानी : अहमदाबाद	मुख्य भाषा : गुजराती

राज्यपाल : नित्यानन्द कानूनगो

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
हितेन्द्र कनैयालाल देसाई	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, आयोजन गृह, सूचना और कानून तथा न्यायपालिका
श्रीमती इन्दुमती चिमनलाल	शिक्षा, समाज-कल्याण, मद्यनिषेध, उत्पाद-शुल्क, पुनर्वास, खेल-कूद और सांस्कृतिक गतिविधियां
विजयकुमार माधवलाल त्रिवेदी	सार्वजनिक निर्माणकार्य, बन्दरगाह, असैनिक पूर्ति और बिजली
उत्सवभाई शंकरलाल परीख	राजस्व, कृषि और उद्योग
मोहनलाल पोपटलाल व्यास	स्वास्थ्य, श्रम और आवास
वजुभाई मणिलाल शाह	पंचायतें, सामुदायिक परियोजनाएं, सहकारिता, सर्वोदय, नगरपालिकाएं, सड़क-परिवहन और जेल
मालदेवजी माण्डलिकजी ओडेदरा	वित्त, वन, मछलीपालन, आवास-नियन्त्रण, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, स्वर्ण-नियन्त्रण और मोज़म्बिक, बर्मा, ज़ंज़ीबार तथा पूर्व-अफ्रीका से स्वदेश आनेवाले प्रवासी भारतीय

उपमन्त्री

बहादुरभाई कण्ठाभाई पटेल	सार्वजनिक निर्माण कार्य (सिंचाई छोड़कर), बन्दरगाह और पर्यटन
श्रीमती उर्मिलाबेन प्रेमशंकर भट्ट	स्वास्थ्य, जेल, समाज-कल्याण और आवास
देवेन्द्रभाई मोतीभाई देसाई	सामुदायिक परियोजनाएं, पंचायतें, सर्वोदय, सहकारिता, उद्योग और नगरपालिकाएं
माधवसिंह फूलसिंह सोलंकी	राजस्व, आयोजन, गृह और कानून तथा न्यायपालिका
भानुप्रसाद वालजीभाई पण्ड्या	शिक्षा, खेल-कूद, मद्यनिषेध और उत्पाद-शुल्क
जयरामभाई आनन्द पटेल	कृषि, सिंचाई तथा बिजली और असैनिक पूर्ति

संसदीय सचिव

करीमजी रहेमानजी छीपा

मुख्य सचिव : बी० एन० गिडवानी

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति .	एन० एम० मियाभाई
न्यायाधिपति	बी० बी० राजु, पी० एन० भागवती, ए० आर० बक्षी, बी० जे० दीवान, एन० के० वकील, जे० बी० मेहता, एम० यू० शाह, एन० जी० शेलत, ए० एस० सरेला
महाधिवक्ता . .	जे० एम० ठाकोर

लोक सेवा-आयोग

अध्यक्ष	आर० टी० लेउआ
सदस्य	आर० एस० परीख, एन० आर० त्रिवेदी

विधान-सभा

अध्यक्ष: फतेहअली एच० पालेजवाला **उपाध्यक्ष** : प्रेमजी टी० लेउआ

सदस्य-संख्या : 154

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार गुजरात-राज्य की राजस्वगत आय 1 अर्ब 12 करोड़ 10 लाख 7 हज़ार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 1 अर्ब 8 करोड़ 83 लाख 89 हज़ार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 1 अर्ब 17 करोड़ 51 लाख 98 हज़ार तथा 1 अर्ब 13 करोड़ 84 लाख रुपये हैं।

जम्मू-कश्मीर

क्षेत्रफल : 2,22,870 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 35,60,976*
राजधानी : श्रीनगर	मुख्य भाषाएं : कश्मीरी, डोगरी तथा उर्दू

राज्यपाल : कर्ण सिंह

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
जी० एम० सादिक	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, मन्त्रिमण्डल-सम्बन्धी कार्य, असैनिक सचिवालय, गृह, कानून तथा व्यवस्था, मिलिशिया, पुलिस, वन, लद्दाख-सम्बन्धी मामले, व्यापार-अभिकरण, सड़क तथा भवन, सिंचाई, बिजली, बाढ़-नियन्त्रण, समाज-कल्याण और अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग
डी० एन० डोगरा . .	वित्त, कानून तथा न्यायपालिका, मताधिकार तथा विधान-निर्माण, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा नियोजन और खनन
डी० पी० धर .	शिक्षा, सूचना तथा प्रचार, राष्ट्रीय सैन्य-शिक्षार्थी-दल, सामान्य अभिलेख, अनुसन्धान, प्रकाशन, पर्यटन, आयोजन और साख्यिकी
मुहम्मद अय्यूब खां . .	खेत, राजस्व, उत्पाद-शुल्क, भू-अभिलेख, परिवहन, मीट्रिक बाट तथा तोल, ऋण-निवटारा तथा कृपापूर्ण कोष-मण्डल, धर्मस्व, जागीर और आवास
पीर ग्यासुद्दीन . . .	खाद्य तथा कृषि, स्वायत्त शासन, ग्राम-आयोजन तथा सफाई, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता और पशुपालन

मन्त्रालयों के राज्य-मन्त्री

अली मुहम्मद तारिक . .	समाज-कल्याण
कुशल बकुला . . .	लद्दाखी मामले और व्यापार-आयोग तथा अभिकरण

*आंकड़े केवल उन क्षेत्रों के हैं जहां जनगणना की गई थी।

हरबंससिंह आजाद . .	निर्माणकार्य, सिंचाई तथा बिजली और वन
पियारासिंह . . .	असैनिक रक्षा तथा मिलिशिया, उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम और भूगर्भ-विज्ञान तथा खनन
गुलाम रसूल कार . .	परिवहन, सामुदायिक विकास और पशु-पालन

मुख्य सचिव : ई० एन० मगतराय

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति . .	जे० एन० वज़ीर
न्यायाधिपति . .	एस० एम० फज़ल अली, जे० एन० भट
महाधिवक्ता . . .	जसवन्त सिंह

लोक सेवा-आयोग

अध्यक्ष . .	ए० एच० दुर्रानी
सदस्य	बल्देव सिंह सान्याल

विधान-सभा

अध्यक्ष : जी० एम० मीर राजपुरी **उपाध्यक्ष** : हेमराज जण्डियाल

सदस्य-संख्या : 75

विधान-परिषद्

सभापति : शिवनारायण फोतेदार **उपसभापति** : मुहम्मद शफी

सदस्य-संख्या : 36

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार जम्मू-कश्मीर-राज्य की राजस्वगत आय 32 करोड़ 47 लाख 16 हज़ार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 38 करोड़ 28 लाख 69 हज़ार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 43 करोड़ 7 लाख 77 हज़ार रुपये तथा 45 करोड़ 26 लाख 77 हज़ार रुपये हैं।

नागालैण्ड

क्षेत्रफल : 16,488 वर्ग किलोमीटर **जनसंख्या : 3,69,200**

राजधानी : कोहिमा

राज्यपाल विष्णु सहाय

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
टी०एन० अगामी . .	मुख्य मन्त्री, गृह, सूचना तथा प्रचार, पर्यटन और अन्य विभाग जो किसी अन्य मन्त्री को न सौंपे गए हों
होकिस सेमा	वित्त, राजस्व, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य और आयोजन तथा समन्वय
जासोकि अगामी . .	वन, परिवहन, उत्पाद-शुल्क और बिजली
आर० सी० चितङ जामीर .	कृषि, कानून, ससदीय मामले, उद्योग, वाणिज्य, समाज-कल्याण-अनुसन्धान और नगर तथा ग्राम-आयोजन
के० अकुम इम्लौङ	
म्नङामो कियाङ	

मन्त्रालय के राज्य-मन्त्री

एन० एल० उदियो .	सार्वजनिक निर्माणकार्य,
इहिज सेमा . .	पूर्ति और सहायता तथा पुनर्वास
पी० देमो . . .	पशु-चिकित्सा तथा पशुपालन

उपमन्त्री

एन० थियो . .	बिजली
ज़ेड औ .	सूचना तथा प्रचार और जेल

मुख्य सचिव : यू० एन० शर्मा

असम तथा नागालैण्ड उच्च-न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति . गोपालजी मेहरोत्रा

न्यायाधिपति . .	सी० संजीवराव नायडु, एस० के० दत्त
महाधिवक्ता . . .	डी० एम० सेन

विधान-सभा

अध्यक्ष : — उपाध्यक्ष : के० सिखु

सदस्य-सख्या 41

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानो के अनुसार नागालैण्ड-राज्य की राजस्वगत आय 10 करोड 12 लाख 61 हज़ार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 10 करोड 19 लाख 50 हज़ार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमश: 14 करोड़ 69 लाख 85 हज़ार रुपये तथा 14 करोड 27 लाख 17 हज़ार रुपये हैं।

पंजाब*

क्षेत्रफल : 1,22,010 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 2,03,06,812
राजधानी : चण्डीगढ़	मुख्य भाषाएं : पंजाबी तथा हिन्दी

राज्यपाल : धर्मवीर

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति . .	मेहर सिंह
न्यायाधिपति . . .	एस० बी० कपूर, आर० पी० खोसला, ए० एन० ग्रोवर, आई० डी० दुआ, हरबंस सिंह, डी० के० महाजन, जे० एस० बेदी, शमशेर बहादुर, पी० सी० पण्डित, गुरदेव सिंह, पी० डी० शर्मा, एच० आर० खन्ना, जिन्द्रा लाल, एस० के० कपूर, आर० एस० नरूला, जगन्नाथ कौशल

*1 नवम्बर, 1966 को पुनर्गठन के फलस्वरूप पंजाब को पंजाब तथा हरियाणा के दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया और चण्डीगढ़ को संघीय क्षेत्र घोषित किया गया। पंजाब तथा हरियाणा-राज्यों की मन्त्रिपरिषदों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

लोक सेवा-आयोग

अध्यक्ष . . .	जे० एस० बसूर
सदस्य . . .	दरबारी लाल गुप्त, मोहन सिंह, भीम सिंह

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार पंजाब-राज्य की राजस्वगत आय 1 अर्ब 32 करोड़ 99 लाख 51 हज़ार रुपये तथा राजस्वगत व्यय 1 अर्ब 25 करोड़ 58 लाख 1 हज़ार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमश: 1 अर्ब 48 करोड़ 36 लाख 27 हज़ार रुपये तथा 1 अर्ब 43 करोड़ 7 लाख 79 हज़ार रुपये हैं।

पश्चिम-बंगाल

क्षेत्रफल : 87,676 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या : 3,49,26,279**
राजधानी : कलकत्ता	**मुख्य भाषा : बंगला**

राज्यपाल : कु० पद्मजा नायडू

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
प्रफुल्ल चन्द्र सेन . . .	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, राजनीतिक मामले, पुलिस, रक्षा, विशेष मामले, गृह (भ्रष्टाचार-विरोधी तथा प्रवर्तन-विभाग), खाद्य तथा पूर्ति, कृषि, सामुदायिक विकास, आयोजन और विकास
खगेन्द्र नाथ दासगुप्त . .	सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा आवास
ईश्वरदास जालान . .	उत्पाद-शुल्क और न्यायिक तथा विधायी विभाग
रवीन्द्र लाल सिंह . . .	शिक्षा
तरुणकान्ति घोष . . .	कुटीर तथा लघु उद्योग, वन, सहकारिता, वाणिज्य और उद्योग
श्रीमती पूरबी मुखोपाध्याय . .	स्वास्थ्य

श्यामादास भट्टाचार्य . .	भूमि तथा लगान, सिचाई और जलमार्ग
जगन्नाथ कोले . . .	जेल, गृह-विभाग की समाचारपत्र तथा पासपोर्ट-शाखाएं और संसदीय मामले
शैलकुमार मुखर्जी . .	गृह-विभाग की परिवहन-शाखा और वित्त
श्रीमती आभा मैती . .	विस्थापित व्यक्तियों की सहायता तथा पुनर्वास, समाज-कल्याण और गृह-विभाग की संविधान तथा निर्वाचन-शाखाए
एस० एम० फज़लुर रहमान .	पशुपालन तथा पशुचिकित्सा-सेवाए, मछली-पालन और स्वायत्त शासन
बिजय सिंह नाहर . .	श्रम, सूचना और जनसम्पर्क-विभाग

मन्त्रालयों के राज्य-मन्त्री

सौरीन्द्र मोहन मिश्र . .	शिक्षा और पचायत
तेनजिंग वांगडी . .	सहकारिता, पशुपालन तथा पशुचिकित्सा-सेवाएं, मछलीपालन और आदिमजाति-कल्याण
स्मरजित बन्द्योपाध्याय . .	कृषि और सामुदायिक विकास
अर्धेन्दु शेखर नस्कर . .	उत्पाद-शुल्क और गृह (पुलिस तथा प्रतिरक्षा)

मुख्य सचिव : एस० एम० बासु

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति . .	डी० एन० सिन्हा
न्यायाधिपति . . .	पी० बी० मुखर्जी, पी० एन० मुखर्जी, जी० के० मित्र, एस० के० दत्त, बी० एन० बैनर्जी, ए० एन० राय, एस० पी० मित्र, के० सी० सेन, पी० चटर्जी, ए० सी० राय, सी० एन० लाइक, बी० मुखर्जी, ए० के० मुखर्जी, आर० एन० दत्त, ए० सी० सेन, बी० सी० मित्र, डी० डी० बासु, टी० पी० मुखर्जी, ए० सी० गुप्त, एस० एस० ए० मासूद, ए० के० दास, ए० एन० सेन, एस० के० मुखर्जी
महाधिवक्ता . . .	एस० डी० बैनर्जी

लोक सेवा-आयोग

अध्यक्ष . . .	ए० बी० चटर्जी
सदस्य	के० पी० सेन, पी० सी० रक्षित

विधान-सभा

अध्यक्ष : केशव चन्द्र बसु **उपाध्यक्ष** : रिक्त

सदस्य-संख्या 256

विधान-परिषद्

सभापति : पी० सी० गुहराय **उपसभापति** : उपेन्द्र नाथ बर्मन

सदस्य-संख्या . 75

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार पश्चिम-बंगाल-राज्य की राजस्वगत आय 1 अर्ब 67 करोड 74 लाख 24 हजार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 1 अर्ब 72 करोड़ 4 लाख 70 हज़ार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 1 अर्ब 80 करोड 97 लाख 77 हज़ार रुपये तथा 1 अर्ब 88 करोड़ 59 लाख 78 हज़ार रुपये हैं।

बिहार

क्षेत्रफल : 1,74,008 वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या : 4,64,55,610
राजधानी : पटना
मुख्य भाषा : हिन्दी

राज्यपाल : एम० अनन्तशयनम् अयंगार्

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	**विभाग**
के० बी० सहाय	मुख्य मन्त्री, राजनीतिक मामले तथा नियुक्तियां, वित्त, उद्योग तथा श्रम, आयोजन और वन
एस० एन० सिन्हा	शिक्षा, कृषि और स्वायत्त शासन
एम० पी० सिन्हा	नदी-घाटी-परियोजनाएं और सिंचाई तथा बिजली
ए० क्यू० अन्सारी	स्वास्थ्य (परिवार-नियोजन को छोड़कर) और जेल

बी० सी० पटेल . . .	लगान
एच० एन० मिश्र . . .	सहकारिता
जफर इमाम . . .	कानून और उत्पादन-शुल्क
एस० के० बागे . . .	सामुदायिक विकास और ग्राम-पचायतें
मुंगेरी लाल . . .	खाद्य, पूर्ति वाणिज्य और पशुपालन
आर० एल० सिंह यादव . .	सार्वजनिक निर्माणकार्य, लोक स्वास्थ्य-इंजीनियरी और होमगार्ड
श्रीमती सुमित्रा देवी . .	सूचना और परिवार-नियोजन

मन्त्रालयों के राज्य-मन्त्री

अम्बिका शरण सिंह . .	वित्त और कराधान, साख्यिकी, लेखा-परीक्षा और राष्ट्रीय बचत
नवल किशोर प्रसाद सिंह .	सामान्य प्रशासन और जेल
सहदेव महतो . . .	नदी-घाटी-परियोजनाएं, सिंचाई तथा बिजली, कानून और उत्पाद-शुल्क
गिरीश तिवारी . . .	शिक्षा
डूमर लाल बैठा . . .	आवास और कल्याण (अनुसूचित आदिम-जातियो को छोड़कर)
बरियार हेम्ब्रम . . .	अनुसूचित आदिमजातियो का कल्याण
राघवेन्द्र नारायण सिंह . .	परिवहन
बालेश्वर राम . . .	पर्यटन
शिव शंकर सिंह . . .	धार्मिक न्यास

मुख्य सचिव · रिक्त

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति . .	आर० एल० नरसिंहम्
न्यायाधिपति .	एस० सी० मिश्र, आर० के० चौधरी, के० सहाय, यू० एन० सिन्हा, एन० एल० उन्तवालिया, एच० महापात्र, तारकेश्वर नाथ, अनन्त सिंह, एस० पी० सिंह, जी० एन० प्रसाद, ए० बी० एन० सिन्हा, आर० जे० बहादुर, सैयद अनवर अहमद, के० के० दत्त
महाधिवक्ता . . .	एल० एन० सिंह

लोक सेवा-आयोग

अध्यक्ष . . .	बी० एन० रोहतगी
सदस्य . . .	जगत नन्दन सहाय, भागवत प्रसाद, इकबाल हुसेन

विधान-सभा

अध्यक्ष : लक्ष्मी नारायण 'सुधांशु' उपाध्यक्ष : सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल

सदस्य-संख्या : 319

विधान-परिषद्

सभापति : देव शरण सिंह उपसभापति : थियोडोर बोदरा

सदस्य-संख्या : 96

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार बिहार-राज्य की राजस्वगत आय 1 अर्ब 24 करोड़ 45 लाख 71 हज़ार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 1 अर्ब 23 करोड़ 28 लाख 58 हज़ार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानो के अनुसार ये राशियां क्रमश: 1 अर्ब 41 करोड़ 28 लाख 2 हज़ार रुपय तथा 1 अर्ब 25 करोड़ 41 लाख 46 हज़ार रुपये है।

मद्रास

क्षेत्रफल : 1,29,966 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 3,36,86,953
राजधानी : मद्रास	मुख्य भाषा : तमिल

राज्यपाल : जय चामराज उडयार्*

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
एम० भक्तवत्सलम्	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, आयोजन, वित्त, शिक्षा, श्रम, विधानमण्डल, निर्वाचन, धर्मस्व, ग्रामीण उद्योग-परियोजनाएं और सरकारी भाषा
आर० वेंकटरामन्	उद्योग, वाणिज्यीय कर, राष्ट्रीयकृत परिवहन, प्राविधिक शिक्षा, बिजली, आवास, हथकरघा, सूत, वस्त्र, खान तथा खनिज-पदार्थ, लोहा तथा इस्पात-नियन्त्रण, मूल्य, तथा माल-पूर्ति-अधिनियम, कम्पनी, समाचारपत्र-कागज-नियन्त्रण, भूतपूर्व सैनिक, चिट-सम्बन्धी विधान, कानून और परिवहन

*छुट्टी पर। सरदार उज्जल सिंह स्थानापन्न राज्यपाल

पी० कक्कन् . . . गृह, पुलिस, कृषि, छोटे सिंचाई-कार्य, पशुपालन, हरिजन-कल्याण, मद्यनिषेध, और भूदान तथा ग्राम-दान

पी० रामय्या . . . खाद्य, सार्वजनिक निर्माणकार्य, राजस्व, उधार-सम्बन्धी कानून (ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता), माप-तोल-सम्बन्धी कानून, समुद्रपार रहनेवाले भारतीय शरणार्थी तथा निष्क्रान्त व्यक्ति और पासपोर्ट

श्रीमती ज्योति वेंकटाचलम् . . लोक स्वास्थ्य तथा ओषधि, महिला तथा बाल-कल्याण, अनाथालय, स्थान-नियन्त्रण, भिखारी और चलचित्र-अधिनियम

एन० नल्लसेनापति सरक्करइ मनराडियार् सहकारिता, न्यायालय, वन तथा सिंकोना, खादी तथा ग्राम-उद्योग और बन्दरगाह

जी० भुवराहन् . . . सूचना तथा प्रचार, पंजीयन, लेखन-सामग्री तथा मुद्रण, सरकारी मुद्रणालय, जेल, मान्यताप्राप्त विद्यालय, निगरानी-सेवाएं और मछलीपालन

एस० एम० ए० मजीद . . नगरपालिका-प्रशासन और सामुदायिक विकास तथा पचायते

मुख्य सचिव : सी० ए० रामकृष्णन्

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति . . एम० अनन्तनारायणन्,

न्यायाधिपति . . . के० वीरास्वामि, के० श्रीनिवासन्, टी० वेंकटाद्रि, पी० रामकृष्ण अय्यर्, पी० एस० कैलासम्, पी० के० कुट्टि, आर० सदासिवम्, के० एस० वेंकटरामन्, के० एस० राममूर्ति, एम० नटेसन्, एन० कृष्णस्वामि रेड्डि,

महाधिवक्ता . . . एम० मोहन कुमारमंगलम्

लोक सेवा-आयोग

अध्यक्ष . . . के० जे० एम० शेट्टि

सदस्य . . . . एस० चिन्नप्पन्, ई० आदिकेशवन्, वी० के० अप्पन्दराजन

विधान-सभा

अध्यक्ष : एस० चेल्लपाण्डियन् **उपाध्यक्ष :** के० पार्थसारथि

सदस्य-संख्या . 207

विधान-परिषद्

सभापति : एम० ए० माणिकवेलु **उपसभापति :** वी० के० पलनिस्वामि गौण्डर्

सदस्य-संख्या : 63

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार मद्रास-राज्य की राजस्वगत आय 1 अर्ब 64 करोड़ 91 लाख 5 हजार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 1 अर्ब 72 करोड़ 78 लाख 51 हजार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 1 अर्ब 88 करोड़ 71 लाख 84 हजार रुपये तथा 1 अर्ब 88 करोड़ 41 लाख 18 हजार रुपये हैं।

मध्यप्रदेश

क्षेत्रफल : 4,43,459 वर्ग किलोमीटर **जनसंख्या :** 3,23,72,408
राजधानी : भोपाल **मुख्य भाषा :** हिन्दी

राज्यपाल : के० सी० रेड्डि

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
द्वारिका प्रसाद मिश्र	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, गृह, प्रचार, स्थानीय प्रशासन (ग्रामीण), पुरातत्व और पर्यटन
शम्भुनाथ शुक्ल	वित्त और भाषाएं
शंकर दयाल शर्मा	वाणिज्य, उद्योग और प्राकृतिक संसाधन
मिश्रीलाल गंगवाल	आयोजन तथा विकास और अर्थनीति तथा सांख्यिकी
नरेशचन्द्र सिंह	आदिमजाति-कल्याण और पुनर्वास
गणेशराम अनन्त	लोक स्वास्थ्य
श्रीमती पद्मावती देवी	स्थानीय प्रशासन (शहरी)

नरसिंहराव दीक्षित . .	शिक्षा (पुरातत्व छोड़कर)
गोविन्द नारायण सिंह . .	समाज-कल्याण
गुलशेर अहमद . . .	कानून, राजस्व और पंजीयन
गौतम शर्मा . . .	खाद्य, असैनिक पूर्ति और सहकारिता

मन्त्रालयों के राज्य-मन्त्री

सज्जनसिंह विशनार . .	बिजली
बसन्तराव विके . . .	वन और गृह
अर्जुन सिंह . . .	कृषि और सामान्य प्रशासन
कुंज बिहारीलाल गुरु . .	राजस्व, भू-अभिलेख, भूमि-सुधार, सवक्षण और निबटारा
परमानन्द भाई पटेल . .	सार्वजनिक निर्माणकार्य (पुल तथा सड़कें)
रामेश्वर प्रसाद शर्मा . .	सार्वजनिक निर्माणकार्य (चम्बल-परियोजना को छोडकर शेष सिंचाई)
वेदराम . .	जेल
श्याम सुन्दर पट्टीदार .	श्रम, आवास और सार्वजनिक निर्माण-कार्य (चम्बल-परियोजना-सहित)

मुख्य सचिव : आर० पी० नोरोन्हा

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति .	पी० वी० दीक्षित
न्यायाधिपति . . .	टी० पी० नाईक, अब्दुल हकीम खा, वी० आर० नेवासकर, पी० के० तारे, एच० आर० कृष्णन्, के० एल० पाण्डेय, एस० पी० श्रीवास्तव, एस० बी० सेन, एन० एम० गोलवलकर, एस० पी० भार्गव, एम० ए० रज्जाक, आर० जे० भावे, सूरजभान ग्रोवर
महाधिवक्ता . . .	एम० अधिकारी

लोक सेवा-आयोग

अध्यक्ष . . .	के० राधाकृष्णन्
सदस्य . . .	लाल प्रद्युम्न सिंह, आर० सी० मराब, मनोहर सिंह मेहता

विधान-सभा

अध्यक्ष : कुंजीलाल दुबे **उपाध्यक्ष** : एन० पी० श्रीवास्तव

सदस्य-संख्या : 289

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार मध्यप्रदेश-राज्य की राजस्वगत आय 1 अर्ब 23 करोड़ 42 लाख 29 हज़ार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 1 अर्ब 26 करोड़ 52 लाख 11 हज़ार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमश. 1 अर्ब 37 करोड़ 18 लाख 77 हज़ार रुपये तथा 1 अर्ब 39 करोड़ 3 लाख 34 हज़ार रुपये हैं।

महाराष्ट्र

क्षेत्रफल : 3,07,269 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 3,95,53,718
राजधानी : बम्बई	मुख्य भाषा : मराठी

राज्यपाल : पी० वी० चेरियन्

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
वी० पी० नाईक . . .	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, उद्योग, आयोजन और बिजली
डी० एस० देसाई . .	गृह
जी० बी० खेडकर . .	ग्रामीण विकास
पी० के० सावन्त	कृषि और खाद्य तथा असैनिक पूर्ति
एस० के० वानखेडे . .	वित्त
एस० बी० चव्हाण .	सिंचाई, बिजली, भवन और संचार-साधन
होमी जे० तल्यारखां . .	आवास, मुद्रणालय, मछलीपालन, छोटी बचत और पर्यटन
श्रीमती निर्मला राजे भोसले	समाज-कल्याण
एम० डी० चौधरी . .	शिक्षा और वन
के० एस० सोनवणे . .	सहकारिता
एन० एम० तिडके . .	श्रम
रफीक ज़कारिया . . .	शहरी विकास और वक्फ
एस० बी० सोनवणे . .	मद्यनिषेध
राजाराम अनन्त पाटील . .	राजस्व

उपमन्त्री

गुण्डू दशरथ पाटील . .	आयोजन, उद्योग और बिजली
कैलास शिवनारायण . .	शिक्षा
यशवन्तराव जिजाबा मोहिते .	कृषि
मधुसूदन आत्माराम वैराले . .	सिंचाई तथा बिजली, भवन और संचार-साधन
एस० बी० पाटील . .	राजस्व
हरि गोविन्दराव वर्तक . .	लोक स्वास्थ्य, खार-भूमि और मछली-पालन
भिकाजी जिजाबा खताल . .	सहकारिता और खाद्य तथा असैनिक पूर्ति
कल्याणराव पण्ढरीनाथ पाटील .	गृह और श्रम
धोण्डीराम शिडोजी जगनाप .	ग्रामीण तथा शहरी विकास और विधायी मामले
दिगम्बर नरसी पडवी . .	समाज-कल्याण, आवास और वन

मुख्य सचिव : डी० आर० प्रधान

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति	वाई० एस० ताम्बे
न्यायाधिपति	एस० पी० कोतवाल, एन० ए० मोदी, वी० एम० तारकुण्डे, डी० वी० पटेल, वी० एस० देसाई, के० के० देसाई, वी० ए० नाईक, एन० एल० अभ्यंकर, एम० जी० चितले, वाई० बी० चन्द्र-चूड़, डी० जी० पालेकर, आर० एम० काटावाला, वी० जी० वागले, एल० एम० पराजपे, वी० डी० तुलजापुरकर, बी० डी० बल, बी० एन० देशमुख, डी० बी० पाध्ये, एम० वी० परांजपे
महाधिवक्ता . . .	एम० एच० सीरवाई

लोक सेवा-आयोग

अध्यक्ष . . .	एस० पी० पी० थोरात
सदस्य . . .	एल० एम० पाटील, डी० वी० चौहान, डी० वाई० गोहोकर, एन० डी० बिलिमोरिया

विधान-सभा

अध्यक्ष : टी० एस० भारदे **उपाध्यक्ष** : के० टी० मिरमे

सदस्य-संख्या : 265

विधान-परिषद्

सभापति : वी० एस० पागे **उपसभापति** : वी० एन० देसाई

सदस्य-संख्या : 78

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार महाराष्ट्र-राज्य की राजस्वगत आय 2 अर्ब 21 करोड़ 44 लाख 24 हजार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 2 अर्ब 43 करोड़ 44 लाख 84 हजार का था। 1966-67 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 2 अर्ब 63 करोड़ 59 लाख 66 हजार रुपये तथा 2 अर्ब 63 करोड़ 6 लाख 66 हजार रुपये है।

मैसूर

क्षेत्रफल : 1,91,757 वर्ग किलोमीटर **जनसंख्या** : 2,35,86,772

राजधानी : बंगलोर **मुख्य भाषा** : कन्नड़

राज्यपाल : वी० वी० गिरि

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
एस० निजलिंगप्प	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, आयोजन, सिंचाई, कानून और समाज-कल्याण
एस० आर० कण्ठि	शिक्षा
बी० डी० जत्ति	खाद्य
एम० वी० कृष्णप्प	राजस्व, पशुपालन, पशु-चिकित्सा और दूध-पूर्ति
एम० वी० रामराव	गृह
आर० एम० पाटील	विकास, पंचायती राज और नगरपालिका-प्रशासन
के० मल्लप्प	वाणिज्य और उद्योग
के० नागप्प आल्व	लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा

वीरेन्द्र पाटील . . .	सार्वजनिक निर्माणकार्य और ऊर्जा तथा बिजली
बी० राचय्य . . .	वन, मछलीपालन और रेशम-कीड़ा-पालन
रामकृष्ण हेगडे . .	वित्त, सूचना तथा प्रचार, उत्पाद- शुल्क और मद्यनिषेध
डी० देवराज उर्स . .	श्रम, पर्यटन और सड़क परिवहन-निगम
के० पुट्टस्वामि . .	सहकारिता और आवास
जी० नारायण गौड .	कृषि और खाद्य-उत्पादन

उपमन्त्री

अब्दुल गफ्फार . . .	वित्त
मकसूद अली खा; .	खान तथा भूगर्भ-विज्ञान
श्रीमती ग्रेस टक्कर .	शिक्षा
वाई० रामचन्द्र . .	नगरपालिका-प्रशासन, विकास और पंचायती राज
के० प्रभाकर .	समाज-कल्याण
मल्लिकार्जुनस्वामि	स्वास्थ्य
कोण्डज्जि बसप्प	सूचना और उत्पाद-शुल्क
आलूर हनुमन्तप्प .	छोटे सिचाई-कार्य
आर० दयानन्द सागर	रेशम-कीड़ा-पालन

संसदीय सचिव

जी० बी० शकर राव .	सार्वजनिक निर्माणकार्य
एच० सी० बोरय्य . .	कृषि

मुख्य सचिव : के० बालचन्द्रन्

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति .	एच० होम्बे गौड
न्यायाधिपति .	ए० आर० सोमनाथ अय्यर्, एम० सदाशिवय्य, के० एस० हेगडे, ए० नारायण पई, अहमद अली खा, बी० एम० कलागते, जी० के० गोविन्द भट्ट, टी० के० तुकोले, के० आर० गोपी-वल्लभ अयंगार्, डी० एम० चन्द्र-शेखर्, एम० सन्तोष, सी० होन्नय्य के० भीमय्य
महाधिवक्ता . . .	टी० कृष्णराव

लोक सेवा-आयोग

अध्यक्ष . . .	आर० चेन्निगरामय्य
सदस्य . . .	नजराज उर्स, के० आर० मरुदेवगौड, एस० ए० एल० रजवी, एस० डी० कोठावले

विधान-सभा

अध्यक्ष : बी० वैंकुण्ठ बालिग **उपाध्यक्ष :** ए० आर० पंचगावि

सदस्य-संख्या : 209

विधान-परिषद्

सभापति : जी० वी० हल्लिकेरि **उपसभापति :** एस० डी० गांवकर

सदस्य-संख्या : 63

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानो के अनुसार मैसूर-राज्य की राजस्वगत आय 1 अर्ब 22 करोड़ 58 लाख 59 हज़ार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 1 अर्ब 30 करोड़ 22 लाख 79 हज़ार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानो के अनुसार ये राशिया क्रमश: 1 अर्ब 56 करोड 53 लाख 36 हज़ार रुपये तथा 1 अर्ब 54 करोड 51 हज़ार रुपये हैं।

राजस्थान

क्षेत्रफल : 3,42,267 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या :** 2,01,55,602
राजधानी : जयपुर	**मुख्य भाषा :** राजस्थानी तथा हिन्दी

राज्यपाल : सम्पूर्णानन्द

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
मोहनलाल सुखाडिया . . .	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, राजनीतिक मामले, नियुक्तिया और गृह (जेल को छोड़कर)
मथुरा दास माथुर . . .	आयोजन, सांख्यिकी, सार्वजनिक निर्माण-कार्य और सरकारी उद्यम

नाथूराम मिर्धा . . .	कृषि, पशुपालन, खाद्य और राजस्थान-नहर
हरिश्चन्द्र सिंह . . .	उद्योग और असैनिक पूर्ति
बी० के० कौल . . .	वित्त और कराधान
भीखा भाई . . .	वन, श्रम और निर्वाचन-विभाग
बरकतुल्ला खां . . .	स्वायत्त शासन, आवास, न्यास, पर्यटन, वक्फ और अल्पसंख्यक जातियां
कुम्भाराम आर्य . .	राजस्व और अकाल-सहायता
दामोदर लाल व्यास . .	सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, उत्पाद-शुल्क और देवस्थान
हरदेव जोशी . . .	जन-सम्पर्क, खान तथा खनिज उद्योग, लोक स्वास्थ्य और विधायी विभाग
बृज सुन्दर शर्मा . .	शिक्षा
अमृतलाल यादव . .	समाज-कल्याण, खादी तथा ग्रामोद्योग और आयुर्वेद
पारसराम मदेरना . .	सहकारिता, सहायता तथा पुनर्वास और मुद्रणालय
रामप्रसाद लाढा . . .	सिंचाई (बाढ़-नियन्त्रण-सहित) और बस्तियां
चन्दनमल वैद . .	बिजली और परिवहन
निरंजन नाथ आचार्य . .	कानून-विभाग, न्यायपालिका, जेल और भाषा विभाग

उपमन्त्री

घासी राम यादव . .	राजस्व और बिजली
रामदेव सिंह . . .	वित्त, कराधान, पंचायती राज और सहकारिता
मनफूल सिंह . . .	सिंचाई, उद्योग, असैनिक पूर्ति और बस्तियां
श्रीमती कमला बेनीवाल . .	आयोजन, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य और अकाल-सहायता
श्रीमती प्रभा मिश्र . .	शिक्षा और खान तथा खनिज उद्योग
दिनेश राय डांगी . .	कृषि और पशुपालन
भीम सिंह . . .	परिवहन, सरकारी उद्यम और सार्वजनिक निर्माणकार्य
दौलत राम सरना . .	स्वायत्त शासन और आयुर्वेद

मुख्य सचिव : बी० मेहता

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधिपति . . डी॰ एम॰ दवे

न्यायाधिपति . . आई॰ एन॰ मोदी, डी॰ एम॰ भण्डारी, जे॰ नारायण, एल॰ एन॰ छंगानी, सी॰ बी॰ भार्गव, बी॰ पी॰ बेरी, पी॰ एन॰ सिहल, वी॰ पी॰ त्यागी, कान सिह

लोक सेवा-आयोग

अध्यक्ष . . वी॰ वी॰ नरलीकर

सदस्य . . बी॰ एल॰ रावत, एस॰ एल॰ आहूजा, श्याम लाल, रामचन्द्र चौधरी

विधान-सभा

अध्यक्ष . रामनिवास मिर्घा   उपाध्यक्ष नारायण सिंह

सदस्य-सख्या 176

राजस्व-स्थिति

1965-66 के सशोधित अनुमानो के अनुसार राजस्थान-राज्य की राजस्वगत आय 97 करोड 84 लाख 56 हजार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 1 अर्ब 1 करोड 93 लाख 20 हजार रुपये का था। 1966-67 के बजट अनुमानो के अनुसार ये राशियां क्रमश 96 करोड 56 लाख 12 हजार रुपये तथा 98 करोड़ 49 लाख 43 हजार रुपये है।

अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह

क्षेत्रफल : 8,293 वर्ग किलोमीटर   जनसंख्या : 63,548

मुख्यालय : पोर्ट-ब्लेयर

मुख्य आयुक्त : बी॰ एन॰ माहेश्वरी

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानो के अनुसार अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह की राजस्वगत आय 2 करोड 21 लाख 63 हजार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 3 करोड 85 लाख 4 हजार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानो के अनुसार ये राशियां क्रमश. 2 करोड़ 25 लाख 6 हजार रुपये तथा 3 करोड़ 72 लाख 93 हजार रुपये है।

गोआ, दमन तथा दीव

क्षेत्रफल : 3,733 वर्ग किलोमीटर **जनसंख्या : 6,26,667**

राजधानी : पणजि

उप-राज्यपाल : के० आर० दामले

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	**विभाग**
दयानन्द बी० बान्दोडकर . .	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, विशेष विभाग, गृह, आयोजन तथा विकास (कृषि को छोड़कर) और वित्त
विट्ठल एम० करमाली	सूचना, पर्यटन, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माणकार्य
टोनी फर्नाण्डे . .	कानून, उद्योग, श्रम और कृषि

मुख्य सचिव : जी० के० भनोट

विधान-सभा

अध्यक्ष : पाण्डुरंग पी० शिरोडकर **उपाध्यक्ष** : एम० आर० जिवाणी

सदस्य-संख्या 30

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार गोआ, दमन तथा दीव की राजस्वगत आय 6 करोड 46 लाख 47 हजार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 7 करोड 71 लाख 89 हज़ार रुपये का था। 1966-67 के बजट अनुमानों के अनुसार ये राशिया दोनों ही 8 करोड़ 65 लाख 67 हजार रुपये की है।

दादरा तथा नगरहवेली

क्षेत्रफल : 489 वर्ग किलोमीटर **जनसंख्या : 57,963**

मुख्यालय : सिलवासा

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार दादरा तथा नगरहवेली की राजस्वगत आय 15 लाख 24 हज़ार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 25 लाख 99 हज़ार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशिया क्रमश. 15 लाख 32 हज़ार रुपये तथा 28 लाख 1 हज़ार रुपये है।

दिल्ली

क्षेत्रफल : 1,483 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या : 26,58,612**
मुख्यालय : दिल्ली	**मुख्य भाषाएं : हिन्दी, उर्दू तथा पंजाबी**

मुख्य आयुक्त : ए० एन० झा

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार दिल्ली की राजस्वगत आय 23 करोड़ 26 लाख 39 हज़ार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 24 करोड 80 लाख 53 हज़ार रुपये का था। 1966-57 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 25 करोड 23 लाख 68 हज़ार रुपये तथा 26 करोड 16 लाख 90 हज़ार रुपये है।

पाण्डिचेरी

क्षेत्रफल : 473 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 3,69,079
राजधानी : पाण्डिचेरी	मुख्य भाषाए तमिल तथा फ्रेंच

उप-राज्यपाल : एस० एल० सीलम्

मन्त्रिपरिषद

मन्त्री	विभाग
वी० वेंकटसुब्ब रेड्डियार् . .	मुख्य मन्त्री, गोपनीय तथा मन्त्रिमण्डल-विभाग, गृह, नियुक्तियां, सामान्य प्रशासन, उद्योग, पंचवर्षीय योजनाएं, सार्वजनिक निर्माणकार्य, बिजली, बन्दरगाह, मछलीपालन और किसी अन्य मन्त्री को न सौंपा गया कार्य
ए० एस० कांगेयन्	वित्त, शिक्षा, स्थानीय प्रशासन, खाद्य और विधायी तथा न्यायिक विभाग
पी० षणमुखम् . . .	विकास, असैनिक पूर्ति, सहकारिता, सामुदायिक विकास, स्थानीय विकास-कार्य, सांख्यिकी तथा नगर-आयोजन, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य और हरिजन-कल्याण

वी० एम० सी० वरद पिल्लइ .	श्रम, कृषि, सरकारी मुद्रणालय, पशु-पालन, समाज तथा बाल-कल्याण और सूचना तथा प्रचार

मुख्य सचिव : यू० वैद्यनाथन्

विधान-सभा

अध्यक्ष : एम० ओ० एच० फरूक मरइक्कायर् उपाध्यक्ष : वी० एन० पुरुषोत्तमन्

सदस्य-संख्या : 30

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार पाण्डिचेरी की राजस्वगत आय 3 करोड़ 77 लाख 86 हज़ार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 4 करोड़ 6 लाख 53 हज़ार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशियां क्रमशः 4 करोड़ 18 लाख 66 हज़ार रुपये तथा 4 करोड़ 49 लाख 18 हज़ार रुपये हैं।

मणिपुर

क्षेत्रफल : 22,346 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या : 7,80,037

राजधानी : इम्फाल

मुख्य आयुक्त : बालेश्वर प्रसाद

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
एम० के० सिंह . . .	मुख्य मन्त्री
एल० सोलोमन . .	वित्त
एस० ए० सिंह . . .	विकास और आयोजन
उपमन्त्री	
एस० बी० सिंह . . .	सार्वजनिक निर्माणकार्य
पौमिखै . . .	आदिमजाति-कल्याण

मुख्य सचिव : ए० एन० सेगल

विधान-सभा

अध्यक्ष : के० आई० सिंह उपाध्यक्ष : मोहम्मद अलीमुद्दीन

सदस्य-संख्या : 32

लक्षदीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी-द्वीपसमूह

क्षेत्रफल : 28 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 24,108

मुख्यालय : कवरत्ति

प्रशासक : सी० एच० नायर

हिमाचलप्रदेश

क्षेत्रफल : 28,195 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 13,51,144
राजधानी : शिमला	मुख्य भाषाएं : हिन्दी तथा पहाड़ी

उप-राज्यपाल : वी० विश्वनाथन्

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
यशवन्त सिंह परमार	मुख्य मन्त्री
करम सिंह	राजस्व
हरिदास	विकास

मुख्य सचिव : एम० सी० शर्मा

विधान-सभा

अध्यक्ष : देशराज महाजन — उपाध्यक्ष : तपेन्द्र सिंह

सदस्य-संख्या 43

राजस्व-स्थिति

1965-66 के संशोधित अनुमानों के अनुसार हिमाचलप्रदेश की राजस्वगत आय 16 करोड़ 3 लाख 85 हजार रुपये की तथा राजस्वगत व्यय 16 करोड़ 81 लाख 79 हजार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानों के अनुसार ये राशियां, दोनों ही, 17 करोड़ 57 लाख 6 हजार रुपये की हैं।

त्रिपुरा

क्षेत्रफल : 10,451 वर्ग किलोमीटर **जनसंख्या : 11,42,005**

राजधानी : अगरतला

मुख्य आयुक्त : एम० सी० मुखर्जी

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	**विभाग**
सचीन्द्र लाल सिह	मुख्य मन्त्री
एम० भौमिक	
रामप्रसाद चौधरी	
बिनोद बिहारी दास	

उपमन्त्री

आर० पी० चौधरी
विनोद बिहारी दास
मणीन्द्र लाल भौमिक

मुख्य सचिव : एच० एस० दुब

विधान-सभा

अध्यक्ष : उपेन्द्र कुमार राय **उपाध्यक्ष :** इरशाद अली चौधरी

सदस्य-सख्या 30

राजस्व-स्थिति

1965-66 के सशोधित अनुमानो के अनुसार त्रिपुरा की राजस्वगत आय 9 करोड 18 लाख 14 हजार रुपये तथा राजस्वगत व्यय 11 करोड 49 लाख 89 हजार रुपये का था। 1966-67 के बजट-अनुमानो के अनुसार ये राशिया क्रमश. 10 करोड 9 लाख 93 हजार रुपये तथा 11 करोड 87 लाख 77 हजार रुपये है।

अध्याय 27

भारत तथा संसार

भारत के संविधान के एक निदेशक तत्व के अनुसार सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाए रखने, विभिन्न राष्ट्रों के साथ न्यायोचित तथा सम्माननीय सम्बन्ध बनाए रखने और अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा सन्धि-सम्बन्धी दायित्वों को पूरा करने के लिए सदा प्रयास करती रहे। इन निदेशक तत्वों की दृष्टि से स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से भारत के वैदेशिक सम्बन्ध इन बातों के आधार पर संचालित होते आए है . (1) राष्ट्र-गुटो से किसी प्रकार सम्बद्ध न होने की स्वतन्त्र विदेश-नीति का अनुसरण, (2) पराधीन देशों को स्वतन्त्र कराने तथा जातीय भेदभाव के विरोध के सिद्धान्त का समर्थन, और (3) सभी शान्तिप्रिय राष्ट्रो तथा संयुक्त राष्ट्र-संघ के साथ पूरा-पूरा सहयोग जिससे एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र-द्वारा शोषण हुए बिना अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा समृद्धि को प्रोत्साहन मिले।

अन्य देशों के साथ सम्बन्ध

1965 मे विभिन्न देशो तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनो के साथ स्थापित हुए भारत के सम्बन्धों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है

भारत के पड़ोसी राष्ट्र

बर्मा

फरवरी 1965 मे बर्मा-संघ की क्रान्तिकारी परिषद् के अध्यक्ष जनरल ने विन की भारत-यात्रा तथा उसी वर्ष दिसम्बर मे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री की बर्मा-यात्रा के परिणामस्वरूप बर्मा तथा भारत के पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ हुए। अपनी यात्रा की अवधि में जनरल ने विन ने भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री से अत्यन्त सुहृद तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण मे बातचीत की। इस यात्रा से गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नो के सम्बन्ध मे दोनों देशो के समान दृष्टिकोणो की पुन पुष्टि होने मे सहायता मिली। प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री ने 20 दिसम्बर से आरम्भ हुई बर्मा की अपनी तीन दिन की यात्रा मे बर्मा-संघ के अध्यक्ष जनरल ने विन के साथ भारत-बर्मा-सम्बन्धो के सम्बन्ध मे बातचीत की और समान हित के अन्तर्राष्ट्रीय मामलो पर विचारो का आदान-प्रदान भी किया। भारतीयों की सम्पत्ति के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए एक भारतीय अधिकारी-मण्डल अगस्त मे बर्मा गया। समस्या के विभिन्न पहलुओ पर अत्यन्त मैत्रीपूर्ण वातावरण में विचार-विमर्श हुआ।

श्रीलंका

भारत तथा श्रीलका के बीच पारस्परिक सम्बन्ध निकटतर तथा मैत्रीपूर्ण बने रहे। अगस्त-सितम्बर 1965 मे भारत-पाकिस्तान-संघर्ष के अवसर पर श्रीलका तटस्थ बना

रहा और उसने पूर्व-पाकिस्तान को जानेवाले तथा पूर्व-पाकिस्तान से आनेवाले सशस्त्र कर्मचारियों तथा सैनिक माल-सहित पाकिस्तानी विमानों की उड़ान पर प्रतिबन्ध लगा दिया। भारत के वैदेशिक मामलों के उपमन्त्री 16 अक्तूबर, 1965 से 19 अक्तूबर, 1965 तक सद्भावना-यात्रा पर श्रीलंका में रहे उन्होंने श्रीलंका के प्रधान मन्त्री तथा अन्य नेताओं से पारस्परिक हित के मामलों पर मैत्रीपूर्ण विचार-विमर्श किया।

नेपाल

नेपाल के विदेश-मन्त्री श्री कीर्तिनिधि बिष्ट 25 जनवरी, 1965 से 7 फरवरी, 1965 तक भारत की यात्रा पर रहे। नई दिल्ली में भारतीय नेताओं के साथ हुई उनकी बातचीत में दोनों देशों-द्वारा अपनाई जा रही नीतियों में समान उद्देश्य तथा एकता की भावना बहुत अधिक मात्रा में पाई गई। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच लाभप्रद सहयोग के नए क्षेत्र का जन्म हुआ। भारत के वैदेशिक मामले के राज्य-मन्त्री 15 फरवरी, 1965 से 19 फरवरी, 1965 तक सद्भावना-यात्रा पर नेपाल में रहे।

नेपाल-नरेश के निमन्त्रण पर 23 अप्रैल, 1965 से 25 अप्रैल, 1965 तक की स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री की नेपाल-यात्रा के अवसर पर उनका शानदार तथा हार्दिक स्वागत किया गया। इस यात्रा के परिणामस्वरूप सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के पारस्परिक हित के विषयों पर तथा विशेषकर एशिया में होनेवाली नई घटनाओं के सम्बन्ध में नेपाल के साथ स्पष्ट तथा मैत्रीपूर्ण विचार-विनिमय के लिए अवसर प्राप्त हुआ।

भारत के राष्ट्रपति के निमन्त्रण पर नेपाल-नरेश महारानी-सहित 25 नवम्बर, 1965 से 20 दिसम्बर, 1965 तक राजकीय यात्रा पर भारत में रहे। यात्रा के अन्त में प्रचारित संयुक्त विज्ञप्ति में नेपाल-नरेश तथा भारत के प्रधान मन्त्री ने गुटनिरपेक्षता तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्तों में अपनी आस्था पुनः व्यक्त की और यह भी बताया कि आत्म-निर्णय का सिद्धान्त केवल पराधीन तथा न्यासी क्षेत्रों के लिए ही लागू हो सकता है, प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्यों के अविभाज्य अंगों के सम्बन्ध में नहीं। वे दोनों इस बात पर भी सहमत रहे कि भारत-पाकिस्तान-मतभेद दोनों देशों के बीच शान्तिपूर्ण ढंग से तथा किसी तीसरे पक्ष-द्वारा हस्तक्षेप किए बिना दूर किए जाने चाहिए।

भारत-सरकार नेपाल को उसके आर्थिक विकास के लिए निरन्तर सहायता देती रही और भारत की सहायता से आरम्भ होनेवाली परियोजनाओं की प्रगति सन्तोषजनक रही। भारत तथा नेपाल के बीच विमान-सेवाओं के सम्बन्ध में एक करार 29 सितम्बर, 1965 से लागू हुआ।

भारतीय राजदूतावास के डाकघर का काम बन्द होने पर भारत तथा नेपाल के बीच डाक-पत्रों, बीमा-पत्रों, पार्सलों के आदान-प्रदान के लिए हुए करार भी 13 अप्रैल, 1965 से लागू हो गए।

त्रिभुवन-राजपथ के रखरखाव का उत्तरदायित्व भी सितम्बर 1965 में नेपाल की सरकार को हस्तान्तरित कर दिया गया। भारत नेपाल में पूर्व-पश्चिम-राजमार्ग का निर्माण करने के लिए सहमत हो गया है। पूर्व में झापा को नेपाल की पश्चिम-सीमा पर स्थित नेपालगंज तथा टनकपुर से मिलानेवाली 640 मील लम्बी सड़क के अधिकांश भाग

का निर्माण भारत को ही करना है। भारत ने कमला-नदी पर एक बांध बनाने का दायित्व भी ग्रहण कर लिया है जिस पर से होकर यह पूर्व-पश्चिम-राजमार्ग गुजरेगा। इस वर्ष गोदावरी तथा खोटकू खोला-सिंचाई-योजनाओं का कार्य आरम्भ हुआ।

अनेक नेपाली विद्यार्थियों ने इंजीनियरी, चिकित्सा-विज्ञान तथा अन्य विषयों के उच्चतर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति के तथा स्वयं अपने ही धन के आधार पर भारत के विभिन्न संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करना चाहा। इनमें से अधिकांश को प्रवेश दिलाने की व्यवस्था की गई। विभिन्न प्रतिरक्षा-प्रतिष्ठानों में नेपाली सैनिक कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण की सुविधाएं निरन्तर दी जाती रहीं।

पाकिस्तान

पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्धों का पूर्ण विवरण अलग से परिशिष्ट में दिया गया है।

पूर्व-एशिया

चीन

भारत-चीन-सम्बन्धों का विवरण अलग से परिशिष्ट में दिया गया है।

जापान

जापान के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का आर्थिक तथा राजनीतिक, दोनों, क्षेत्रों में तेजी से विस्तार होता रहा।

जापानी प्रधान मन्त्री के विशेष दूत श्री कावाशिमा सितम्बर 1965 में उस समय भारत आए जब भारत-पाकिस्तान-संघर्ष गम्भीर स्थिति में था। अपनी यात्रा के अन्त में श्री कावाशिमा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि 'संयुक्त राष्ट्र-संघ की रिपोर्ट से सारा संसार जानता है कि कच्छ-समझौता होने के कुछ ही महीनों के अन्दर-ही-अन्दर कश्मीर में युद्ध-विराम-रेखा के पार अपने घुसपैठिये भेजकर वर्तमान संघर्ष पाकिस्तान-द्वारा आरम्भ किया गया है।' फिर भी जापानी सरकार ने भारत-पाकिस्तान-संघर्ष के दिनों में तटस्थता की नीति अपनाए रखी।

जून 1965 में 1965-66 के लिए पांचवें येन-ऋण-करार-सम्बन्धी समझौता-वार्ता सन्तोषजनक रूप से सम्पन्न हुई। 1965 के उत्तरार्ध में भारत-पाकिस्तान-संघर्ष में पूर्णतः तटस्थ रहने की जापान की इच्छा के परिणामस्वरूप जापान से मिलनेवाली आर्थिक सहायता में कुछ कमी अवश्य आई।

1964-65 के लिए जापान-सरकार की छात्रवृत्ति-योजना के अधीन 6 भारतीय विद्वान जापान गए और 6 अन्य भारतीय व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां दी गईं। इसके अतिरिक्त एशिया-उत्पादकता-संगठन-कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 4 भारतीय अधिकारी जापान गए।

भारत से अनेक सरकारी तथा गैरसरकारी व्यक्तियों ने जापान की यात्रा की और उन्होंने जापान-सरकार के साथ विभिन्न आर्थिक तथा राजनीतिक विषयों पर विचार-

विमर्श किया। जापानी राजदूतावास के अनुरोध पर भारत ने मद्रास में जापानी महा-वाणिज्य-दूतावास खोलने की अनुमति दे दी।

कोरिया

भारत-सरकार ने कोलम्बो-योजना-प्राविधिक सहयोग-योजना के अधीन कलकत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षण-केन्द्र में दो दक्षिण-कोरियाई विद्यार्थियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान कीं। विश्व-स्वास्थ्य-संगठन की शिक्षावृत्ति-योजना के अधीन कलकत्ता की भारतीय सफाई-विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य-संस्था में भारत-सरकार ने तीन दक्षिण-कोरियाई विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रबन्ध किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य योजनाओं के अधीन भी दक्षिण-कोरियाई विद्वानों को प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती रहीं। दक्षिण-कोरिया ने आधुनिक कोरियाई इतिहास-सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए एक भारतीय विद्वान को छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव रखा है।

मार्च-अप्रैल 1965 में सिओल में हुए प्रशान्त-क्षेत्र-यात्रा-संघ के चौदहवें वार्षिक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। परिवार-नियोजन-सम्मेलन के सम्बन्ध में तथा तत्सम्बन्धी कार्यक्रम के अध्ययन के लिए भारत के अनेक विशेषज्ञों ने दक्षिण-कोरिया की यात्रा की।

कोरियाई गणराज्य का एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डल 15 नवम्बर, 1965 से 18 नवम्बर, 1965 तक भारत की यात्रा पर रहा।

कोरिया के प्रश्न पर भारत का दृष्टिकोण यही बना रहा कि कोरिया के दोनों राज्यों को एक कर दिया जाना चाहिए और तब संयुक्त कोरिया संयुक्त राष्ट्र-संघ में अपना उचित स्थान ग्रहण करे। ऐसा एकीकरण संयुक्त राष्ट्र-संघ के घोषणापत्र के सिद्धान्तों के अनुसार ही किया जाना चाहिए और वह भी कोरिया से विदेशी सेनाओं तथा विदेशी कर्मचारियों के पूर्णतः हटा लिए जाने के बाद लोकतन्त्रात्मक ढंग से दोनों राज्यों के बीच पूर्ण सहमति के साथ हो।

मंगोलियाई लोक गणराज्य

मंगोलिया के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का निरन्तर विकास होता रहा। तत्कालीन सूचना और प्रसारण-मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी तथा तत्कालीन वैदेशिक मामलों के मन्त्रालय की राज्य-मन्त्री श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन मंगोलिया जानेवाले प्रमुख भारतीय यात्रियों में से थीं। श्रीमती गान्धी को मंगोलिया के राष्ट्रीय दिवस-समारोह के अवसर पर जुलाई 1965 में मंगोलिया आने का निमन्त्रण मंगोलिया के प्रधान मन्त्री ने दिया था। श्रीमती लक्ष्मी मेनन अगस्त 1965 में 'सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का योग' सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय गोष्ठी में भाग लेने के लिए उलनबटोर गईं।

भारत-पाकिस्तान-संघर्ष के दिनों में मंगोलियाई सरकार तथा समाचारपत्रों ने अपना मत शान्तिपूर्ण ढंग से समझौते के पक्ष में व्यक्त किया। उन्होंने किसी भी तीसरे पक्ष-द्वारा विवाद में हस्तक्षेप किए जाने का विशेष रूप से विरोध किया।

दक्षिण-पूर्व-एशिया

मलयशिया

कुछ देशों-द्वारा मध्यस्थता करने के प्रयत्नों के बावजूद मलयशिया-इण्डोनीशिया-विवाद समाप्त नहीं हुआ। भारत मलयशिया-द्वारा अपनी प्रभुसत्ता तथा क्षेत्रीय अखण्डता सुरक्षित बनाए रखने के उसके प्रयत्नों का समर्थन करता रहा और भारत ने अफ्रो-एशियाई सम्मेलन में मलयशिया के सम्मिलित किए जाने के लिए भी ज़ोरदार समर्थन किया। भारत-पाकिस्तान-संघर्ष के दिनों में मलयशिया ने भारत के दृष्टिकोण के प्रति सद्भाव तथा सहानुभूति का प्रदर्शन किया और इस प्रश्न को धार्मिक प्रश्न मानना बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। सुरक्षा-परिषद् में इस प्रश्न पर विचार-विमर्श होने के अवसर पर भारत-पाकिस्तान-प्रश्न पर मलयशिया के प्रतिनिधि-द्वारा अपनाए गए सहायतापूर्ण दृष्टिकोण तथा सहानुभूतिपूर्ण सद्भाव की भारतीय सरकार ने सराहना की।

मलयशिया के सूचना और प्रसारण-मन्त्री श्री ई० एस० बिन अब्दुल रहमान ने बम्बई में प्ल्युटोनियम-संयन्त्र के उद्घाटन-समारोह में भाग लिया। तत्कालीन परिवहन-मन्त्री श्री राजबहादुर ने मई 1965 में क्वालालम्पुर तथा सिंगापुर की यात्रा की। मलयशियाई सरकार के निमन्त्रण पर असम-सरकार के तत्कालीन वित्त-मन्त्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद तथा संसद्-सदस्य श्री ब्रजराज सिंह ने उनके कुछ राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेने के लिए भारत-सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में मलयशिया की यात्रा की। भारत-सरकार ने मलयशिया की राष्ट्रीय मस्जिद में स्थापित किए जाने के लिए चांदी की एक कुर्सी भेंट की।

मलयशियाई सैनिक अधिकारी भारतीय प्रतिरक्षा-प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे। दोनों देशों के बीच विद्यार्थियों तथा खेल-कूद-टुकड़ियों ने भी पारस्परिक रूप से यात्राएं कीं।

सिंगापुर

भारत-सरकार ने सिंगापुर के नए राज्य को मान्यता दी और मलयशिया से अलग होने के तुरन्त पश्चात् सिंगापुर के साथ उच्चायुक्त के स्तर पर कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए। भारत ने राष्ट्रमण्डल, सयुक्त राष्ट्र-संघ तथा अफ्रो-एशियाई सम्मेलन में सिंगापुर के प्रवेश का भी ज़ोरदार समर्थन किया।

वैदेशिक मामलों के उपमन्त्री ने अक्तूबर में सिंगापुर तथा मलयशिया की यात्रा की और सिंगापुर के उप-प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में विदेश-मन्त्री-सहित सिंगापुर-सरकार का एक प्रतिनिधिमण्डल नवम्बर 1965 में भारत आया। भारत-पाकिस्तान-संघर्ष के प्रश्न पर मलयशिया तथा सिंगापुर के नेताओं को भारतीय दृष्टिकोण से अवगत कराने के उद्देश्य से भारत से एक सद्भावना-प्रतिनिधिमण्डल इन देशों की यात्रा पर गया।

इण्डोनीशिया

मलयशिया का समर्थन करने के कारण इण्डोनीशिया में भारत की काफी आलोचना हुई। भारत-पाकिस्तान-संघर्ष के अवसर पर इण्डोनीशिया ने पाकिस्तान के पक्ष का

समर्थन किया और जकार्ता-स्थित भारतीय दूतावास तथा मेडा-स्थित भारतीय वाणिज्य-दूतावास के सम्मुख अनेक प्रदर्शन हुए। खाद्य तथा कृषि-मन्त्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने बाण्डुग-सम्मेलन की 10 वी वर्षगाठ के अवसर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया।

थाइलैण्ड

वैदेशिक मामलो के उपमन्त्री बैंकॉक गए और उन्होंने थाई नेताओं से बातचीत की। भारत ने लगभग 2 लाख टन चावल थाइलैण्ड से खरीदा। 1965 मे दोनों देशों के बीच एक सीधी रेडियो-टेलीफोन-सेवा की स्थापना हुई। एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधि-मण्डल थाइलैण्ड की यात्रा पर गया और उसने भारत-पाकिस्तान-संघर्ष के सम्बन्ध मे थाइलैण्ड के नेताओं को भारत के पक्ष के सम्बन्ध मे अवगत कराया।

फिलीपीन

भारत-सरकार ने जवाहरलाल नेहरू-पुस्तकालय के उद्‌घाटन के अवसर पर फिलीपीन के विश्वविद्यालय को पुस्तकें भेट की। मई 1965 मे एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल फिलीपीन की यात्रा पर गया। वैदेशिक मामलो के उपमन्त्री जून मे मनीला गए। जनसेवा-सम्बन्धी रेमन-मेगासेसे-पुरस्कार श्री जयप्रकाश नारायण को दिया गया। तत्कालीन पेट्रोलियम तथा रसायन-मन्त्री श्री हुमायुन कबिर के नेतृत्व मे एक प्रतिनिधिमण्डल ने 30 दिसम्बर को फिलीपीन के नए राष्ट्रपति श्री फर्डिनाण्ड मार्कोस के पदारोहण-समारोह में भाग लिया।

आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैण्ड

आस्ट्रेलिया ने भारत की विषम खाद्य-स्थिति की कठिनाई के निराकरण के लिए भारत को 1 5 लाख टन गेहूं उपहार मे दिया। भारत के वाणिज्य-मन्त्री मार्च 1965 में और खाद्य तथा कृषि-मन्त्री अप्रैल मे आस्ट्रेलिया गए। प्रधान मन्त्री के व्यक्तिगत दूत के रूप मे इस वर्ष श्री मोरारजी देसाई आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैण्ड गए।

लाओस

लाओस के प्रधान मन्त्री राजकुमार सुवन्न फूमा जुलाई 1965 मे भारत की यात्रा पर आए। भारतीय नेताओ के साथ अपनी बातचीत मे लाओस के प्रधान मन्त्री ने इस बात पर बल दिया कि लाओस, कम्बोडिया तथा वियतनाम की समस्याओं पर विचार करने के लिए 1954 का जेनेवा-सम्मेलन फिर से बुलाया जाना चाहिए। उनका विचार था कि लाओस की समस्या वियतनाम के प्रश्न को सुलझाए बिना हल नही हो सकती।

कम्बोडिया

भारत-सरकार ने तटस्थता तथा क्षेत्रीय अखण्डता बनाए रखने की कम्बोडिया की चिन्ता के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति प्रकटकी। कम्बोडिया-सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण तथा नियन्त्रण-आयोग के अध्यक्ष के नाते भारत जेनेवा-करार की व्यवस्थाओं के सही रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए निरन्तर प्रयास करता रहा। मई 1965 में कम्बोडिया की राजधानी मे एक मार्ग का नाम श्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया।

वियतनाम

भारत तथा अन्य 16 गुटनिरपेक्ष देशों ने सम्बन्धित पक्षों से समझौता-वार्ता आरम्भ करने की एक संयुक्त अपील की जिससे वियतनाम की समस्या का राजनीतिक समाधान ढूढ़ा जा सके। भारत 1954 के जेनेवा-करार के मूलभूत सिद्धान्तों का समर्थन करता है और यह चाहता है कि वियतनाम की जनता अपनी स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रता का उपभोग बिना किसी बाहरी हतस्क्षेप के करे। वियतनाम के प्रश्न पर भारत का दृष्टिकोण स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री की सोवियत रूस, कनाडा तथा यूगोस्लाविया की यात्राओं के बाद प्रचारित संयुक्त विज्ञप्तियों में भी व्यक्त किया गया।

पश्चिम-एशिया तथा उत्तर-अफ्रीका

पश्चिम-एशिया के क्षेत्र में भारत तथा अफगानिस्तान के पारस्परिक सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण बने रहे। भारत-पाकिस्तान-सघर्ष के दिनों में अफगानिस्तान ने मैत्रीपूर्ण तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाए रखा। अफगानिस्तान के वैदेशिक कार्यालय ने भारतीय राजदूत को असंदिग्ध रूप से यह आश्वासन दिया कि संयुक्त राष्ट्र-सघ की महासभा में होनेवाली बहस के अवसर पर पाकिस्तान के विदेश-मन्त्री का यह कथन कि अफगानिस्तान के शाह ने राष्ट्रपति अयूब खा को समर्थन करने का आश्वासन दिया था, बिल्कुल निराधार था। भारत-अफगानिस्तान के सम्बन्धों में सन्तोषजनक रूप से प्रगति होती रही। अफगानिस्तान के प्रधान मन्त्री डा० मोहम्मद यूसुफ 18 फरवरी, 1965 से 20 फरवरी, 1965 तक राजकीय यात्रा पर भारत में रहे। इस वर्ष भारत-अफगानिस्तान-सास्कृतिक करार-सम्बन्धी पुष्टि-विलेखों का भी नई दिल्ली में आदान-प्रदान हुआ। सदा की भांति भारत ने अगस्त 1965 में अफगानिस्तान के स्वाधीनता-समारोहों में भाग लिया।

भारत-पाकिस्तान-सघर्ष के दिनों में ईरान के पक्षपातपूर्ण रवैये के परिणामस्वरूप भारत-ईरानी सम्बन्धों में सन्तोषजनक रूप से प्रगति नहीं हो सकी। बाद में सकेत प्राप्त हुए कि ईरान भारत-पाकिस्तान-मतभेदों को ठीक रूप से समझने लगा था कि कश्मीर की समस्या सही ढग से तभी हल हो सकती है जब दोनों देशों को स्वय हल निकालने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाए।

भारत तथा अरब-देशों के बीच परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के अनुरूप अरब-राज्य-सघ को जुलाई 1965 में नई दिल्ली में अपना एक स्वतन्त्र कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई।

भारत-पाकिस्तान-संघर्ष के अवसर पर जौर्डन ने पूर्णत. पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। इसके विपरीत, अन्य मैत्रीपूर्ण अरब-देशों, विशेषकर संयुक्त अरब-गणराज्य, की सहानुभूति तथा सद्भाव से इस दृष्टिकोण का प्रभाव निष्फल रहा।

नई दिल्ली-स्थित संयुक्त अरब-गणराज्य के राजदूतावास के सरकारी प्रकाशन 'द यूएआर न्यूज' में 10 अक्तूबर, 1965 को काहिरा में राष्ट्रपति राधाकृष्णन् तथा राष्ट्रपति नासिर के बीच हुई भेंट तथा बातचीत पर टिप्पणी करते हुए राष्ट्रपति नासिर की उस पुनरोक्ति की ओर सकेत किया गया जिसमे उन्होंने कश्मीर तथा अन्य समस्याओं

के प्रति संयुक्त अरब-गणराज्य का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया तथा भारत के राष्ट्रपति को आश्वासन दिलाया कि संयुक्त अरब-गणराज्य अपने विचारों पर दृढ़ है और इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। राष्ट्रपति नासिर ने भारत के पक्ष का पूरा-पूरा समर्थन किया।

एक भारतीय संसदीय सद्भावनामण्डल दिसम्बर 1965 में मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लेबनॉन, जौर्डन, कुवैत, ईराक तथा ईरान-सहित पश्चिम-एशिया तथा उत्तर-अफ्रीका के देशों की यात्रा पर गया।

इस क्षेत्र के देशों ने भारत तथा पाकिस्तान के बीच शान्ति स्थापित होने तथा पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार होने की दिशा मे ताशकन्द-घोषणा का स्वागत किया।

सहारा के दक्षिणवर्ती अफ्रीकी देश

इस वर्ष अफ्रीकी देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ हुए। राष्ट्रपति राधाकृष्णन् अक्तूबर 1965 में इथियोपिया की राजकीय यात्रा पर गए। विदेश-मन्त्री और वैदेशिक मामलों के राज्य-मन्त्री तथा उप-मन्त्री अनेक अफ्रीकी देशों की सद्भावना-यात्रा पर गए। युगाण्डा के प्रधान मन्त्री डा० मिल्टन ओबोटे तथा मॉरिशस के प्रधान मन्त्री डा० एस० रामगुलाम-जैसे अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति अफ्रीका से भारत-यात्रा पर आए।

भारत ने रोडेशिया मे हुए विद्रोह तथा अल्पसंख्यक-शासन-द्वारा स्वाधीनता की एकपक्षीय घोषणा की तीव्र भर्त्सना की और सुरक्षा-परिषद्, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा तथा अफ्रीकी एकता-संगठन को अपना पूरा-पूरा सहयोग प्रदान किया। भारत ने रोडेशिया के साथ होनेवाले सभी व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों पर पूरा प्रतिबन्ध लगा दिया।

भारत-सरकार रोडेशिया के भविष्य के प्रश्न को एक ओर तो सदा से उपनिवेशवाद के उन्मूलन की दिशा मे सबसे अधिक महत्व देती आई है और दूसरी ओर, अंगोला मोज़म्बिक, दक्षिण-पश्चिम-अफ्रीका तथा दक्षिण-अफ्रीका मे जातिगत भेदभाव, प्रतिकिया तथा धर्मान्धता को बल देनेवाली शक्तियों के विरोध को।

रोडेशिया की गम्भीर स्थिति पर विचार करने के लिए 11 तथा 12 जनवरी, 1966 को लाओस में राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्राध्यक्षों तथा सरकारों का एक सम्मेलन हुआ। भारत ने इस सम्मेलन मे भाग लिया जिसमे घाना तथा तन्ज़ानिया को छोडकर सभी राष्ट्रमण्डलीय सरकारो ने अपना-अपना प्रतिनिधित्व किया। भारत ने यह विचार पुन: व्यक्त किया कि रोडेशिया में विद्रोह को कुचलने का उत्तरदायित्व मुख्यत· ब्रिटेन पर है। इस देश के विरुद्ध लगाए गए आशिक आर्थिक प्रतिबन्धों से वांछित परिणाम प्राप्त नही हुए और आवश्यकता इसके साथ होनेवाले व्यापार पर पूरा प्रतिबन्ध लगाने की थी। इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि यदि वर्तमान प्रतिबन्धों का उचित समय में कोई कारगर परिणाम न निकले तो अन्य उपाय भी किए जाने चाहिए जिसमे बलप्रयोग भी सम्मिलित समझा जाए।

भारत ने गैम्बिया के एक पूर्णत: स्वतन्त्र देश तथा राष्ट्रमण्डल के एक समान सदस्य-देश के रूप में उदय होने का स्वागत किया और उसके साथ उच्चायुक्त के स्तर पर कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए।

अफ्रीकी देशों के साथ भारत-सरकार के आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग के कार्यक्रम में प्रगति जारी रही। विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञों की मांग में बहुत अधिक वृद्धि हुई और भारतीय प्राविधिज्ञो, चिकित्सकों, अध्यापकों आदि की सेवाएं इथियोपिया, यूगाण्डा, नाइजीरिया, सोमालिया आदि अनेक देशों को उपलब्ध की गईं। भारतीय प्रतिष्ठानों में अनेक अफ्रीकी विद्यार्थियों तथा प्रशिक्षणार्थियों को उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं दी गईं। इनमें से अधिकांश विद्यार्थी तथा प्रशिक्षणार्थी भारत-सरकार-द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों के अधीन भारत आए।

यूरोप

सोवियत रूस

एक दूसरे की राष्ट्रीय अखण्डता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व और आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग की नीतियो पर आधारित भारत तथा सोवियत रूस के पारस्परिक सम्बन्ध सुदृढ़ तथा मैत्रीपूर्ण बने रहे।

कश्मीर के प्रश्न पर सोवियत सघ का दृष्टिकोण पहले-जैसा ही बना रहा। सोवियत संघ ने जनवरी 1966 मे ताशकन्द मे हुई शास्त्री-अयूब-वार्ता तथा ताशकन्द-वार्ता की सफलता में महत्वपूर्ण भाग लिया।

इसके पूर्व विदेश-मन्त्री सरदार स्वरन सिह के साथ प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री मार्च 1965 में राजकीय यात्रा पर सोवियत रूस गए और उन्होने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं तथा पारस्परिक हित के प्रश्नों पर सोवियत नेताओं से स्पष्ट तथा सौहार्दपूर्ण बातचीत की। तत्कालीन सूचना और प्रसारण-मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी फरवरी 1965 में तथा फिर से जुलाई मे सोवियत रूस की यात्रा पर गईं। सोवियत रूस की मन्त्रिपरिषद् के प्रथम उपाध्यक्ष श्री के० टी० माजुरोफ अगस्त 1965 में भारत की यात्रा पर आए और उन्होने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओ पर भारतीय नेताओं के साथ विचारो का आदान-प्रदान किया। सोवियत रूस की सरकार के निमन्त्रण पर विदेश-मन्त्री सरदार स्वरन सिंह दिसम्बर 1965 में सोवियत रूस गए। प्रधान मन्त्री श्री कोसिगिन स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री की शव-यात्रा मे भाग लेने के लिए भारत आए।

मार्च 1965 में मास्को में भारत तथा सोवियत संघ के बीच जिस वार्षिक सांस्कृतिक योजना पर हस्ताक्षर हुए, उसमें कला, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, खेल-कूद, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में आदान-प्रदान के 80 कार्यक्रम सम्मिलित थे। दोनो पक्षों ने दोनो देशों के विश्वविद्यालयों-द्वारा दी जानेवाली उपाधियों को मान्यता देने के एक नयाचार पर भी हस्ताक्षर किए। मास्को तथा ताशकन्द में आयोजित नेहरू-स्मारक प्रदर्शनी को असंख्य लोगो ने देखा। भारत में रूस-विषयक अध्ययन-संस्था की स्थापना के लिए भारत तथा सोवियत संघ के बीच 27 अक्तूबर, 1965 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए। इस संस्था का

उद्घाटन सोवियत रूस के उच्चतर तथा विशेष शिक्षा-मन्त्री श्री वी० पी० येलुतिन ने 14 नवम्बर, 1965 को किया।

दोनों देशों के आर्थिक सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ हुए। सोवियत रूस के भूगर्भविज्ञान तथा प्राकृतिक संसाधन-संरक्षण-मन्त्री श्री ए० वी० सिदेरेंको बरौनी के तेल-शोधनागार का काम चालू किए जाने के अवसर पर भारत की यात्रा पर भारत आए। यह शोधनागार सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। भारत-सरकार तथा सोवियत संघ की सरकार ने बोकारो में एक लोहा तथा इस्पात-कारखाने के निर्माण के लिए 25 जनवरी, 1965 को एक करार पर हस्ताक्षर किए। सोवियत सरकार ने इस कारखाने के निर्माण पर आनेवाली विदेशी विनिमय-सम्बन्धी लागत की पूर्ति के लिए 1 अर्ब 50 लाख रुपये का ऋण भी दिया है।

भारत तथा सोवियत रूस के बीच होनेवाले व्यापार में वृद्धि करने की एक योजना को अन्तिम रूप देने के लिए दिसम्बर 1965 में एक सोवियत व्यापार-प्रतिनिधिमण्डल भारत आया तथा दोनो देशों के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए। भारत तथा सोवियत रूस के बीच होनेवाले व्यापार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सोवियत रूस को निर्मित अथवा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात दिन-प्रति-दिन बढ़ता जाएगा।

दोनो देशो ने 7 जनवरी, 1966 को एक व्यापार-करार पर हस्ताक्षर किए जिसमें 1970 तक व्यापार में सौ प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है।

यूगोस्लाविया

भारत-यूगोस्लाविया-सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण बने रहे। जुलाई 1965 में प्रधान मन्त्री यूगोस्लाविया की यात्रा पर गए और राष्ट्रपति सितम्बर-अक्तूबर 1965 मे। इन यात्राओ के अवसर पर शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, गुट-निरपेक्षता, निशस्त्रीकरण, परमाणविक परीक्षणो तथा अस्त्रों पर प्रतिबन्ध और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा जातीय भेदभाव का अन्त करने की नीति पर विचारों की तादात्म्यता देखने में ग्राई।

राष्ट्रपति टीटो ने कश्मीर के प्रश्न पर भारत का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने चीन तथा कुछ अन्य देशों की भर्त्सना की जिन्होंने इस प्रश्न पर पक्षपात करके आग में घी डालने-जैसा काम किया। कश्मीर के प्रश्न पर यूगोस्लाविया की घोषणा का पाकिस्तान की ओर से तीव्र विरोध हुआ किन्तु यूगोस्लाविया का दृष्टिकोण इस प्रश्न पर स्पष्ट तथा ज्यों-का-त्यो बना रहा।

भारत तथा यूगोस्लाविया के बीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों में तीव्र गति से प्रगति होती रही। यूगोस्लाविया की अपनी यात्रा के दिनों में वाणिज्य-मन्त्री श्री मनुभाई शाह ने दोनों देशों के सम्बन्धों के विस्तार के लिए एक नयाचार पर हस्ताक्षर किए। भारत तथा यूगोस्लाविया अन्य देशों में औद्योगिक उद्यमों की स्थापना में परस्पर सहयोग देंगे।

लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के निमन्त्रण पर यूगोस्लाविया का एक 4-सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल 19 फरवरी, 1965 से 26 फरवरी, 1965 तक भारत की यात्रा पर रहा।

शान्तिपूर्ण उद्देश्यो तथा कार्यों के लिए अणु-शक्ति के विकास में परस्पर सहयोग करने की दिशा में भारत तथा यूगोस्लाविया के बीच 8 सितम्बर, 1965 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए।

अन्य पूर्व यूरोपीय देश

बल्गारिया, चेकोस्लावाकिया, हगरी, पोलैण्ड तथा रूमानिया के साथ भारत के सम्बन्ध व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा यात्राओं के पारस्परिक आदान-प्रदान में वृद्धि के साथ-साथ और अधिक सुदृढ़ हुए।

चेकोस्लोवाकिया के प्रधान मन्त्री श्री जे० लेनार्ट मार्च 1965 में भारत की यात्रा पर आए। भारत तथा चेकोस्लोवाकिया ने शिक्षा-मन्त्री श्री एम० सी० चगला की एक मास-पूर्व हुई चेकोस्लोवाकिया-यात्रा के अवसर पर हुई बातचीत के बाद जुलाई में 1965-66 के लिए एक सास्कृतिक योजना पर हस्ताक्षर किए। चेकोस्लोवाकिया ने 30 करोड रुपये का ऋण देने का निवेद दिया है और इस सम्बन्ध में एक करार पर नवम्बर 5, 1965 को प्राग में हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति राधाकृष्णन् अक्तूबर 1965 मे चेकोस्लोवाकिया तथा रूमानिया की यात्रा पर गए। संसद्-सदस्य श्री के० डी० मालवीय के नेतृत्व में एक संसदीय सद्भावना-प्रतिनिधिमण्डल भारत-पाकिस्तान-सघर्ष के सम्बन्ध मे भारत के दृष्टिकोण को समझाने के लिए नवम्बर 1965 मे बल्गारिया, रूमानिया, हगरी तथा पोलैण्ड गया।

आस्ट्रिया

आस्ट्रिया के साथ भारत के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण तथा सुखद बने रहे। आस्ट्रिया की सरकार ने आस्ट्रियाई माल के आयात के लिए 1965-66 के लिए भारत-सहायता-क्लब से मिलनेवाली सहायता के रूप में लगभग 2 करोड़ रुपये का साढ़े छ: प्रतिशत ब्याजवाला ऋण दिया। यह ऋण 20 ममान तथा छमाही किस्तों में चुकाया जाएगा।

संघीय जर्मन गणराज्य

संघीय जर्मन गणराज्य की ससद् की विकास-समिति के 6 सदस्यों तथा विकास-समिति के सचिव-सहित एक प्रतिनिधिमण्डल 3 अप्रैल, 1965 से 25 अप्रैल, 1965 तक भारत की यात्रा पर रहा।

इस्पात तथा खान-मन्त्री श्री संजीव रेड्डि जून 1965 में सघीय जर्मन गणराज्य की यात्रा पर गए: संघीय जर्मन गणराज्य के एक प्रान्त के मुख्य मन्त्री श्री के० जी० कीसिगर 14 मार्च, 1965 से 26 मार्च, 1965 तक भारत की यात्रा पर रहे।

जर्मन विकास-सेवा-शान्ति-दल के 28 स्वयंसेवकों को भारत में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। कुछ अन्य स्वयंसेवकों के भी आने की सम्भावना है। संघीय जर्मन गणराज्य के एक प्रान्त की सरकार ने भारत में विस्तारशील उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित उच्च कुशल कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए बंगलोर में प्राविधिक विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में उपकरणों तथा अध्यापकों के रूप में 50 लाख ड्यूश मार्क देने का निवेद दिया है।

नीदरलैण्ड्स

संसद-सदस्या श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित गत भारत-पाकिस्तान-संघर्ष के सम्बन्ध में भारत के दृष्टिकोण को समझाने के लिए भारत के प्रधान मन्त्री की व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में नवम्बर 1965 में नीदरलैण्ड्स गईं।

नीदरलैण्ड्स में उच्चतर अध्ययनों के लिए भारतीयों को अनेक छात्रवृत्तियां तथा शिष्यवृत्तियां दी गई हैं। पारस्परिक आदान-प्रदानवाली छात्रवृत्ति-योजना के अधीन भारत-सरकार ने 1965-67 में भारत मे उच्चतर अध्ययन के लिए नीदरलैण्ड्स के नागरिको को दो छात्रवृत्तियां दीं।

भारत-सहायता-क्लब के सदस्य के रूप में नीदरलैण्ड्स ने 1965-66 के लिए भारत को 3 प्रतिशत ब्याज पर 1 1 करोड़ डालर का ऋण दिया।

नीदरलैण्ड्स की सरकार भारत में वैमानिक फोटो-प्रशिक्षण-संस्था की स्थापना तथा इसके सचालन के लिए भी भारत-सरकार के साथ सहयोग करेगी। नीदरलैड्स की सरकार इस परियोजना के लिए लगभग 38 लाख रुपये के उपकरण आदि भी देगी।

फ्रांस

1965 के प्रारम्भ में फ्रास के प्रधान मन्त्री तथा विदेश-मन्त्री भारत की यात्रा पर आए। फ्रांसीसी सरकार के प्रधान की भारत की यह सबसे पहली यात्रा थी। भारत तथा फ्रांस के प्रधान मन्त्रियों-द्वारा प्रचारित संयुक्त विज्ञप्ति में कश्मीर तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर प्रकाश डालते हुए यह कहा गया कि 'शान्तिपूर्ण तथा न्यायोचित समाधान प्रत्यक्ष समझौतावार्ता के द्वारा शान्त तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण में खोजा जाना चाहिए।'

पाकिस्तान के साथ हुए सघर्ष के सम्बन्ध में भारत के दृष्टिकोण को समझाने के लिए भारत के प्रधान मन्त्री की व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में संसद्-सदस्या श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित फ्रांस गईं।

स्पेन

भारत तथा स्पेन के बीच होनेवाले व्यापार को चहुंमुखी बनाने तथा उसमें वृद्धि करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए भारत से एक व्यापार-प्रतिनिधिमण्डल जून 1965 में स्पेन गया। इसके पूर्व स्पेनिश व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमण्डल भारत आ ही चुका था।

बेल्जियम

अणु-शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए एक करार पर भारत तथा बेल्जियम ने 30 जनवरी, 1965 को हस्ताक्षर किए। इस करार के प्रसंग में भारत-सरकार ने जून 1965 में बेल्जियम को भारत के नंगल-हैवी वाटर-प्लाण्ट में उत्पादित 13 मीट्रिक टन हैवी वाटर देना स्वीकार किया। यह पहला ही अवसर है जब अमेरिका से भिन्न किसी देश ने पश्चिमी यूरोप को ऐसी व्यावहारिक वस्तु दी हो।

बेल्जियम-सरकार ने बेल्जियम में उच्चतर अध्ययन के लिए भारतीयों को अनेक छात्रवृत्तियां दीं। भारत-सरकार ने भी पारस्परिक आदान-प्रदानवाली छात्रवृत्ति-योजनाओं के अधीन 1965-67 में भारत में अध्ययन के लिए एक बेल्जियमवासी को छात्रवृत्ति दी।

स्वीडन

स्वीडिश सरकार ने भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए रखा। 29 सितम्बर, 1964 को हस्ताक्षरित भारत-स्वीडश वित्तीय विकास-सहयोग-करार के अधीन स्वीडन ने सरकारी आधार पर तीसरी पचवर्षीय योजना की कुछ योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भारत को सबसे पहली बार ऋण तथा सीधे अनुदान देना स्वीकार किया।

स्वीडन ने भारत से होनेवाले चाय के निर्यात पर लगनेवाला सीमा-शुल्क हटा दिया। स्वीडन तथा भारत के बीच अणु-शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए एक करार सम्पन्न हुआ।

नार्वे

नार्वे विभिन्न पारस्परिक सहयोग-योजनाओ के माध्यम से भारत को आर्थिक सहायता देता आ रहा है। केरल, मैसूर तथा मद्रास की नार्वेजियाई मछलीपालन-परियोजनाओ से मछली पकडने की नौकाओ में मशीन लगाने तथा प्रशीतन आदि की व्यवस्था का प्रबन्ध करने में मछलीपालन-उद्योग को सहायता मिलती है।

फिनलैण्ड

फिनलैण्ड के राष्ट्रपति श्री केक्कोनेन की फरवरी 1965 में हुई भारत-यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ हुए।

डेनमार्क

अणु-शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग की दिशा में सहयोग के लिए भारत तथा डेनमार्क के बीच एक करार सम्पन्न हुआ।

टर्की

भारत-टर्की-सम्बन्ध साइप्रस के प्रश्न पर भारत के दृष्टिकोण तथा भारत-पाकिस्तान-संघर्ष के प्रश्न पर टर्की के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में उत्पन्न कुछ गलत-

फहमियों के बावजूद मैत्रीपूर्ण बने रहे। जून 1965 में भारत के उपराष्ट्रपति की टर्की-यात्रा से साइप्रस के प्रश्न पर उत्पन्न गलतफहमी काफी हद तक दूर हो गई। भारत के सामुदायिक विकास-मन्त्री भी टर्की गए और दोनों देशों के बीच सामुदायिक विकास-सम्बन्धी सहयोग में वृद्धि हुई।

भारत-टर्की सांस्कृतिक तथा वाणिज्यीय सम्बन्धों में प्रगति जारी रही। भारत ने टर्की के वार्षिक इज़मर-उद्योग-मेले में भाग लिया।

यूनान

6 जून, 1965 से 11 जून, 1965 तक की भारत के उपराष्ट्रपति की यूनान-यात्रा के फलस्वरूप भारत तथा यूनान के पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में और अधिक सुदृढ़ता आई।

इटली

इटली के साथ भारत के वाणिज्यीय, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध निकटतर बने रहे। इटली भारत-सहायता-क्लब का एक महत्वपूर्ण सदस्य है।

1964 में पोप की भारत-यात्रा से इटली की जनता में भारत के प्रति अधिक रुचि जाग्रत हो गई है। दोनो देशो के बीच होनेवाले व्यापार में दिन-प्रति-दिन वृद्धि होती जा रही है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से आरम्भ की गई अनेक उपयोगी योजनाओं में दोनों देशों ने परस्पर सहयोग किया।

स्विट्ज़रलैण्ड

औद्योगिक तथा वाणिज्यीय क्षेत्रों में भारत तथा स्विट्ज़रलैण्ड के बीच सहयोग में और वृद्धि हुई।

साइप्रस

भारत तथा साइप्रस के पारस्परिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण बने हुए हैं। एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल भारत-पाकिस्तान-संघर्ष-सम्बन्धी भारत की स्थिति को समझाने के लिए साइप्रस गया। लरनाका की एक मुख्य वीथिका का नाम जनरल तिमय्य के नाम पर रखा गया है।

ब्रिटेन

भारत-पाकिस्तान-संघर्ष के दिनो में ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से भारत-ब्रिटिश सम्बन्धों पर अस्थायी रूप से कुछ विपरीत प्रभाव पड़ा। कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर छम्ब में पाकिस्तानी आक्रमण के अवसर पर तो ब्रिटिश सरकार मौन रही, किन्तु भारतीय सेनाओं को जब अपनी रक्षा के न्यायोचित अधिकार-पालन के सम्बन्ध में आक्रमण-विरोधी उपाय करने के लिए पश्चिम-पाकिस्तान में घुसना पड़ा तो ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने 6 सितम्बर 1965 को एक वक्तव्य में भारत की इस कार्रवाई को सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों का दुखदायी प्रत्युत्तर बताया और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय सेनाओं के पाकिस्तान मे घुसने पर चिन्ता व्यक्त की। भारत को भेजे जानेवाले

अस्त्र-शस्त्रों पर लगाए गए ब्रिटिश प्रतिबन्ध तथा वाणिज्यीय वस्तुओं की बिक्री रोक दिए जाने पर भारत में अत्यन्त क्षोभ प्रकट किया गया। भारत-ब्रिटिश सम्बन्धों की यह विपरीत स्थिति वैसे अधिक दिन नहीं चली। भारत को सैनिक सामग्री की उपलब्धि पर लगाए गए प्रतिबन्ध हटाने तथा आर्थिक सहायता पुनः देना आरम्भ करने के निर्णय के परिणामस्वरूप दोनों देशो के पारस्परिक सम्बन्धों में फिर कुछ सुधार हुआ। साथ ही ब्रिटेन में भारत के दृष्टिकोण तथा स्थिति को भी पहले से अधिक ठीक रूप से समझा जाने लगा।

माल्टा

माल्टा सितम्बर 1964 में एक स्वतन्त्र देश बन गया और राष्ट्रमण्डल के एक सदस्य-देश के रूप में इसका स्वागत किया गया। इटली-स्थित भारत के राजदूत श्री एल० आर० एस० सिह साथ-ही-साथ माल्टा में उच्चायुक्त भी नियुक्त किए गए हैं। उनका निवास-स्थान रोम में ही रहेगा।

द्वय अमेरिका

कनाडा

स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री जून 1965 में कनाडा की यात्रा पर गए। यात्रा के अन्त में प्रचारित संयुक्त विज्ञप्ति में भारत के आर्थिक विकास तथा चीन के साथ हुई सीमा पर मुठभेड़ के प्रति कनाडा की गहरी रुचि और 'सहानुभूति तथा समर्थन' व्यक्त किया गया। दोनो प्रधान मन्त्रियों ने 'संसार के अभिमत के बावजूद' चीन-द्वारा किए गए परमाणविक परीक्षण के प्रति 'गहरी चिन्ता तथा खेद' प्रकट किया।

अमेरिका

संयुक्त राज्य-अमेरिका को स्वर्गीय प्रधान मन्त्री की यात्रा के रद्द किए जाने तथा भारत को अमेरिका-द्वारा दिए गए आश्वासनो के विपरीत भारत के विरुद्ध पाकिस्तान-द्वारा अपने आक्रमण में अमेरिका के सैनिक उपकरणो का दिल खोलकर उपयोग किए जाने के कारण कुछ समय तक के लिए सयुक्त राज्य-अमेरिका के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धो पर विपरीत प्रभाव पड़ा। 6 सितम्बर को पश्चिमी सीमा पर भारत की प्रतिरक्षात्मक कार्रवाई के बाद संयुक्त राज्य-अमेरिका ने भारत तथा पाकिस्तान को अस्त्र-शस्त्र-सम्बन्धी सहायता देना बिल्कुल बन्द कर दिया। अमेरिका ने भारत-सरकार को यह भी आश्वासन दिलाया कि अमेरिका के साथ हुए समझौते के अधीन प्राप्त अस्त्र-शस्त्र तथा उनके पुर्जे किसी भी तीसरे देश-द्वारा पाकिस्तान को न देने दिए जाएंगे। दोनो देशों को दी जानेवाली आर्थिक सहायता भी बन्द कर दी गई यद्यपि पिछले वर्ष के लिए स्वीकृत सहायता दी जाती रही।

वर्ष के अन्त में दोनो देशों के पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार होने के लक्षण दिखाई पड़े। संयुक्त राज्य-अमेरिका ने ताशकन्द-घोषणा का स्वागत किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ह्यूबर्ट एच० हम्फ्रे तथा विदेश-मन्त्री श्री डीन रस्क

स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री की शव-यात्रा में सम्मिलित होने के लिए भारत आए और उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ पारस्परिक हित के मामलों पर बातचीत की। भारत के प्रधान मन्त्री की अमेरिका-यात्रा की घोषणा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को गेहूं तथा उर्वरक तुरन्त भेजने के आदेश दिए। 16 फरवरी, 1966 को अमेरिकी उपराष्ट्रपति दो दिन की यात्रा पर भारत आए और उन्होने घोषणा की कि अमेरिकी सरकार आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए 10 करोड़ डालर का ऋण देगी।

लेटिन अमेरिका तथा कैरिबियन

भारत लेटिन अमेरिकी देशों के साथ अपने सम्बन्ध तथा सांस्कृतिक सम्पर्क सुदृढ़ बनाने के प्रयत्न करता रहा।

भारत-पाकिस्तान-संघर्ष के दिनो में लेटिन अमेरिकी देशों ने भारत के प्रति सद्भाव तथा सहानुभूति का प्रदर्शन किया।

चिली-सरकार ने, जिससे पाकिस्तान ने अस्त्र-शस्त्रो की मांग की थी, सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह भारत के साथ अपने अत्यन्त महत्व-पूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण सम्बन्धो को देखते हुए पाकिस्तान को कोई अस्त्र नहीं दे सकता।

केन्द्रीय मन्त्री श्री एस० के० पाटिल तथा श्री ए० के० सेन प्रधान मन्त्री के व्यक्तिगत प्रतिनिधियो के रूप में अक्तूबर 1965 में लेटिन अमेरिका की यात्रा पर गए। उन्होने इस अवसर पर इन देशों की सरकारों तथा समाचारपत्रों को कश्मीर तथा भारत-पाकिस्तान की विगत सशस्त्र मुठभेड़ पर भारत के दृष्टि-कोण को समझाने का प्रयत्न किया।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष

स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू-द्वारा 1961 में की गई अपील के उत्तर में सयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा ने 1965 के वर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष घोषित किया था। भारत सयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष-समिति का सदस्य रहा। भारत के श्री एस० के० सिह इस समिति के सवाददाता रहे। भारत की राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष-समिति ने, जिसके अध्यक्ष वैदेशिक मामलों के मन्त्री थे, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष मनाने के लिए 1965 मे भारत में तत्सम्बन्धी गतिविधियों के आयोजन तथा समन्वय का भार ग्रहण किया। इस राष्ट्रीय समिति में विभिन्न अखिल भारतीय गैरसरकारी संगठनो का भी प्रतिनिधित्व था। भारत के सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो मे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष-सम्बन्धी कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने के लिए राज्य-अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष-समितिया स्थापित की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष मनाने की भारत की योजनाओं तथा परियोजनाओं में सूचना तथा प्रसार के सभी माध्यमों से कार्यान्वित करने के संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष की गतिविधियों के सर्वव्यापी प्रचार; 'अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के 20 वर्ष' सम्बन्धी वृत्तचित्र; 'भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग' सम्बन्धी पुस्तिका;

अखिल भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष-पोस्टर-प्रतियोगिता; अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष-स्मारक डाक-टिकट जारी करने; 'भारत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ' शीर्षक पुस्तक प्रकाशित करने; 'अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा' सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति-संगठन-परियोजना-जैसे शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम आरम्भ करने; भारत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष-सम्बन्धी सन्देशों प्रदर्शनियों, सभाओं, गोष्ठियों, व्याख्यानों, आकाशवाणी से विशेष रूपकों तथा कार्यक्रमों की व्यवस्था करने; समाचारपत्रों तथा स्वयंसेवी संगठनों को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष-सम्बन्धी विशेष लेख उपलब्ध करने; पत्रिकाओं तथा प्रकाशनों के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष-अंकों के प्रकाशन, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष-सम्बन्धी मुद्रा तथा नारों के उपयोग; स्वयंसेवी संगठनो-द्वारा कल्याण-कार्यक्रमो की व्यवस्था करने; सद्भावना-यात्राओ तथा प्रशिक्षण-सम्बन्धों की व्यवस्था करने; भारत की सभी शिक्षा-संस्थाओं में 15 सितम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष-दिवस के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष-सम्बन्धी पचांग के अंग के रूप में विशेष संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिवस तथा अन्य दिवस-सप्ताह मनाने और 16 अक्तूबर, 1965 को खाद्य तथा कृषि-संगठन की 20वी वर्षगांठ के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि-सगठन-दिवस मनाने के कार्यक्रम सम्मिलित थे।

भारत-सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-वर्ष की चिरस्थायी स्मृति के लिए नई दिल्ली में एक स्मारक बनाने का निर्णय किया। इस स्मारक मे ग्रेनाइट की बड़ी-बड़ी शिलाए होंगी जिन पर स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू-द्वारा 10 नवम्बर, 1961 को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा के 16वें अधिवेशन मे दिए गए भाषण के उद्धरण खुदे रहेगे।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा के 20वे अधिवेशन के लिए भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व विदेश-मन्त्री सरदार स्वरन सिह ने किया। 12 अक्तूबर को हुई सामान्य बहस में उन्होंने संयुक्त राष्ट्रसंघ को 'सहयोग, सहकार्य तथा समेकन' के सिद्धान्तों का प्रतीक बताया तथा भारत की गुटनिरपेक्षता तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाए रखने के दृढ़ निश्चय की पुष्टि की। उन्होने अल्पविकसित देशों के विकास, शान्ति तथा सुरक्षा, उपनिवेशवाद-उन्मूलन, जातीय भेदभाव तथा निशस्त्रीकरण की समस्याओ के तुरन्त हल किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

निशस्त्रीकरण-आयोग

संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य-देशों से मिलकर संगठित संयुक्त राष्ट्रसंघीय निशस्त्रीकरण-आयोग की 1960 के बाद 21 अप्रैल, 1965 से 16 जून, 1965 तक पहली बार बैठक हुई। इसने दो प्रस्ताव स्वीकार किए जो दोनो ही भारत-द्वारा रखे गए थे। पहले प्रस्ताव का सम्बन्ध विश्व-निशस्त्रीकरण-सम्मेलन बुलाने से था जिसमें सभी देश आमन्त्रित किए जाएंगे और दूसरे प्रस्ताव में परमाणविक परीक्षणों की निन्दा की

गई और संसार के सभी देशों से आंशिक परीक्षण-प्रतिबन्ध-सन्धि में सहयोग देने तथा 18देशीय निशस्त्रीकरण-समिति की बैठक फिर से बुलाने का अनुरोध किया गया ताकि सामान्य तथा पूर्ण निश्शस्त्रीकरण-सम्बन्धी किसी सन्धि के लिए प्रयत्न फिर आरम्भ किए जा सकें। 27 जुलाई को आरम्भ हुई 18देशीय निश्शस्त्रीकरण-समिति की बैठक 16 सितम्बर को स्थगित हो गई। इस बैठक में मुख्यत परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने तथा परमाणु-अस्त्र न बनाए जाने की समस्याओं पर विचार किया गया। भारत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि परमाणु-अस्त्र न बनाने की नीति-सम्बन्धी कोई भी सन्धि सन्तुलित तथा भेदभाव-रहित होनी चाहिए और इसके द्वारा इस सम्बन्ध में समान दायित्व परमाणविक तथा परमाणविक-भिन्न देशों, दोनों, पर डाला जाना चाहिए।

मानव-अधिकार-आयोग

भारत ने मार्च-अप्रैल 1965 में जेनेवा में हुए मानव-अधिकार-आयोग के 21वें अधिवेशन में भाग लिया।

भेदभाव-रोकथाम तथा अल्पसंख्यक-संरक्षण-सम्बन्धी उप-आयोग के 17वे अधिवेशन मे सभी प्रकार की धार्मिक असहिष्णुताओ के उन्मूलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का एक प्रारूप तैयार किया गया तथा इसे विचारार्थ मानव-अधिकार-आयोग को सौप दिया गया।

खाद्य तथा कृषि-संगठन

भारत खाद्य तथा कृषि-संगठन की सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं में अपना प्रतिनिधित्व बराबर करता रहा—परिषद्, जिन्स-समस्या-समिति, मछलीपालन-समिति और विश्व खाद्य-कार्यक्रम-सम्बन्धी अन्तर्सरकारी समिति। भारत ने विभिन्न प्रशिक्षण-केन्द्रो, पाठ्यक्रमो, विचारगोष्ठियों, परिसंवादों तथा अध्ययन-दलो मे भी भाग लिया जिनका आयोजन सयुक्त रूप से खाद्य तथा कृषि-सगठन तथा संयुक्त राष्ट्रसघ के अन्य संगठनो ने किया। भारत के कहने पर खाद्य तथा कृषि-सगठन ने एक अन्तर्राष्ट्रीय निवेश-बैंक तथा एक केन्द्रीय भूख-मुक्ति-अभियान-कोष स्थापित करने का निर्णय किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन ने अब तक हुए अपने 49 अधिवेशनो मे 124 अभिसमय तथा 125 सिफारिशें स्वीकार की हैं। इनमें से भारत ने 29 अभिसमयों की पुष्टि कर दी है। औपचारिक पुष्टिकरण के अतिरिक्त अन्य अनेक अभिसमयो तथा सिफारिशो की मुख्य व्यवस्थाए यथासम्भव कार्यान्वित की जा रही हैं।

जून 1965 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन के 49वें अधिवेशन तथा इसके शासकीय निकायों की 3 बैठकों में भाग लेने के अतिरिक्त भारत के त्रिदलीय प्रतिनिधि-मण्डलो ने अप्रैल 1965 में टोकियो में हुए दूसरे एशियाई सामुद्रिक सम्मेलन में भी भाग लिया। भारत के त्रिदलीय प्रतिनिधिमण्डलों अथवा विशेषज्ञो ने जेनेवा में स्थायी कृषि-समिति के सातवें अधिवेशन; धातु-व्यापार-सम्बन्धी औद्योगिक समिति के आठवें अधिवेशन; महिला-कार्यकर्त्री-समस्या-सम्बन्धी सलाहकार बैठक; होटल, भोजनालय

तथा ऐसे ही अन्य प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित त्रिपक्षीय प्राविधिक बैठक और मछुआ-समस्या-सम्बन्धी प्रारम्भिक प्राविधिक सम्मेलन में भी भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति-संगठन

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा सस्कृति-सगठन का एक संस्थापक-सदस्य भारत इस संगठन के साथ अपने सम्बन्धो को सुदृढ़ करता रहा। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति-संगठन के सहयोग से भारत-सरकार-द्वारा स्थापित प्रादेशिक एशियाई शिक्षा-आयोजक, प्रशासक तथा अधीक्षक-केन्द्र का नाम बदलकर एशियाई शिक्षा-आयोजन तथा प्रशासन-संस्था कर दिया गया। इस सस्था ने 23 अगस्त, 1965 से 22 दिसम्बर, 1965 तक छठे शिक्षा-आयोजक तथा प्रशासक-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जिसमें भारत के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

भारतीय प्रतिनिधिमण्डलो ने 1965 में पेरिस मे संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति-सगठन के कार्यकारी मण्डल के 70वें तथा 71वे अधिवेशनो में भाग लिया। भारत-सरकार सयुक्त राष्ट्रसघीय शिक्षा, विज्ञान तथा सस्कृति-संगठन के अफ्रीकी देशों को शिक्षा-विकास-सम्बन्धी सहायता देने के आपात कार्यक्रम में भाग लेती रही। भारत ने आस्वान-बाध के पानी से प्लावित होनेवाले नूबिया के स्मारको की रक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभियान की कार्यकारिणी समिति की छठी बैठक मे भी भाग लिया। भारत ने इस सम्बन्ध में सेवाओ, सामग्री तथा उपकरणो के रूप मे नूबिया-अभियान पर होनेवाले व्यय के अपने भाग के लिए 28 लाख रुपये देने स्वीकार किए हैं।

भारत ने नई दिल्ली-स्थित सयुक्त राष्ट्रसघीय शिक्षा, विज्ञान तथा सस्कृति-संगठन के दक्षिण-एशियाई सामाजिक तथा आर्थिक-विकास-केन्द्र को जारी रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रसघीय शिक्षा, विज्ञान तथा सस्कृति-सगठन के साथ एक करार किया। इस केन्द्र का कार्य कुछ छोटे-मोटे सशोधनो के साथ दो वर्ष तक और जारी रहेगा। इसके बाद यह केन्द्र सयुक्त राष्ट्रसघीय शिक्षा, विज्ञान तथा सस्कृति-संगठन का अंग न रहकर दिल्ली-विश्वविद्यालय की आर्थिक प्रगति-संस्था के साथ मिला दिया जाएगा। भारत-सरकार फिर भी इस संस्था के क्षेत्रीय रूप को बनाए रखने का भरसक प्रयत्न करेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से निरक्षरता-उन्मूलन-सम्बन्धी भारत के राष्ट्रीय अध्ययन-दल-द्वारा की गई सिफारिशें संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा सस्कृति-संगठन भेज दे दी गई हैं। भारत-सरकार ने इस संगठन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि निरक्षरता की समस्या को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की विशेष कोष-सहायता की व्यवस्था करने मे सहायता देने के लिए एक शिक्षाविद् तथा एक अर्थशास्त्री-सहित एक मण्डल भारत को भेजा जाए। संयुक्त राष्ट्रसघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति-सगठन एक साक्षरता-विशेषज्ञ की सेवाएं भी भारत को उपलब्ध कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा सस्कृति-संगठन के सहयोग से नई दिल्ली के राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा-केन्द्र में एक केन्द्रीय प्रौढ़-संगठन स्थापित करने का निर्णय किया गया है। यह संगठन प्रौढ़-शिक्षा के अध्यापक-शिक्षको को प्रशिक्षण देने, सामग्री तैयार करने और कार्यान्वयन के लिए आदर्श परियोजनाओं तथा योजनाओं का कार्यक्रम बनाने का

एक स्थानीय केन्द्र होगा। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति-संगठन ने विशेषज्ञों की सेवाओं की व्यवस्था की है।

मद्रास की तमिल-अकादमी ने 9 खण्डों में एक तमिल-विश्वकोश पूरा कर लिया है। भारत-सरकार की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति-संगठन ने अकादमी-द्वारा तमिल में एक बाल-विश्वकोश तैयार किए जाने के लिए दो हज़ार डालर निर्धारित करना भी स्वीकार कर लिया है।

भारत ने भयंकर भूकम्प आने के तुरन्त बाद भूकम्प-जांच तथा अध्ययन-मण्डल भेजने का संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा सस्कृति-सगठन का निवेद स्वीकार कर लिया है जिससे भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से भूकम्पों के कारणों की वैज्ञानिक तथा प्राविधिक दृष्टि से जाच की जा सके और उनके द्वारा हुई क्षति का अनुमान लगाया जा सके।

विश्व स्वास्थ्य-संगठन

विश्व स्वास्थ्य-सगठन ने 1965 में भारत में कार्यक्रमो के कार्यान्वयन के लिए अपने प्राविधिक सहायता-बजट के अधीन 7,88,528 डालर तथा अपने नियमित बजट के अधीन 7,06,429 डालर दिए। 1966 के लिए नियमित बजट के अधीन 8,14,650 डालर तथा प्राविधिक सहायता-बजट के अधीन 8,60,626 डालर की व्यवस्था की गई है। 1965 में विश्व स्वास्थ्य-सगठन को भारत-सरकार ने 34.32 लाख रुपये का अपना अंशदान दिया।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-कोष

संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-कोष के कार्यकारी मण्डल ने जून 1965 मे हुई अपनी बैठक मे भारत को 47,11,000 डालर देना स्वीकार किया। यह राशि अनेक परियोजनाओं के लिए दी गई जिनमे कुष्ठ-नियन्त्रण-कार्यक्रम से लेकर व्यावहारिक पोषण तक के कार्यक्रम सम्मिलित है। भारत-सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-कोष के स्थानीय कार्यालय को 7,29,000 रुपये का अनुदान देने के अतिरिक्त 1965-66 में इस कोष को 40 लाख रुपये का अंशदान देने का निश्चय किया। सयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-कोष के कार्यकारी मण्डल का अगला अधिवेशन मई 1966 में होनेवाला था। भारत इस मण्डल का एक सदस्य है तथा इसकी पदावधि जनवरी 1968 के अन्त तक जारी रहेगी।

व्यापार तथा तटकर-सम्बन्धी सामान्य करार तथा केनेडी-दौर-वार्ता

व्यापार तथा तटकर-सम्बन्धी सामान्य करार का विशेष अधिवेशन व्यापार तथा विकास-सम्बन्धी नए अध्याय को अन्तिम रूप देने के लिए नवम्बर 1964 में हुआ। इस अधिवेशन में सामान्य करार के खण्ड 4 के अधीन अल्पविकसित देशों के व्यापार तथा विकास-सहायक सिद्धान्त तथा उद्देश्य और साथ-ही-साथ इस सम्बन्ध में संविदा-कारी पक्षो के वायदे निर्धारित किए गए। इसने आवश्यकता पड़ने पर संविदाकारी पक्षों-द्वारा संयुक्त कारंवाई किए जाने की भी व्यवस्था की। व्यापार तथा विकास-सम्बन्धी अध्याय में उन प्रयत्नों की पराकाष्ठा का विवरण है जो अल्पविकसित देशों-द्वारा इस

अधिवेशन में व्यापार तथा तटकर-सम्बन्धी सामान्य करार के प्रसंग में किए गए और भारत ने इन व्यवस्थाओं की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण योग दिया जिनसे आनेवाले वर्षों में व्यापार तथा तटकर-सम्बन्धी सामान्य करार की नीतियों तथा रूप में परिवर्तन होगा। वाणिज्य-मन्त्री श्री मनुभाई शाह ने अधिवेशन में भाग लिया और 8 फरवरी, 1965 को नयाचार तथा अन्य कागज़-पत्रों पर हस्ताक्षर किए जिनके अनुसार खण्ड 4वाली व्यवस्थाएं वस्तुतः तब तक के लिए लागू हुई जब तक आवश्यक संख्या में संविदाकारी पक्ष अपनी-अपनी सांविधानिक प्रक्रियाओ के अनुसार इनकी औपचारिक रूप से पुष्टि न करें। एक व्यापार तथा विकास-समिति खण्ड 4वाली व्यवस्थाओं के लागू किए जाने की निरन्तर समीक्षा करती आ रही है। व्यापार-नीतियों में वे परिवर्तन, जिनसे विकासशील देशों को अपने निर्यात में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी, यथासम्भव तुरन्त लागू किए जाने चाहिए जिससे व्यापार तथा तटकर-सम्बन्धी सामान्य करार की केनेडी-दौर-वार्ताओं से उपलब्ध हुए अवसरों का लाभ उठाकर विकसित देशो की मण्डियों में विकासशील देशों के साथ होनेवाले व्यापार तथा विकासशील देशों के साथ वस्तुओं के अधिक आदान-प्रदान की विशेष व्यवस्था करने के लिए इस समय लागू तटकर तथा अन्य प्रतिबन्धों के हटाए जाने तथा उनमें कमी करने की व्यवस्थाओं को लागू किया जा सके। इसलिए भारत-सरकार ने नए अध्याय को तब तक लागू करने के प्रस्ताव का ज़ोरदार समर्थन किया जब तक सम्बन्धित सरकारें अपनी-अपनी सांविधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार इसकी औपचारिक रूप से पुष्टि न कर दे।

जनेवा में 1 मई, 1964 से व्यापार तथा तटकर-सम्बन्धी सामान्य करार-द्वारा आरम्भ हुई कैनेडी-दौर-व्यापारवार्ताएं जारी हैं। इन वार्ताओं का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव डालनेवाली तटकर-सम्बन्धी तथा तटकर-भिन्न बाधाओं मे कमी करना है। वार्ताओं में भाग लेनेवाले भारत और अधिकाश विकसित तथा विकासशील देशों ने अपने-अपने निवेद प्रस्तुत किए हैं। एक ओर तो व्यापार मे पड़नेवाली बाधाओं में कमी करने की समझौतावार्ता के लिए प्रकियाओं पर विचार-विनिमय जारी है, दूसरी ओर भाग लेनेवाले देशों के बीच द्विपक्षीय विचार-विनियम भी चल रहा है। तटकर तथा तटकर-भिन्न उपायो में समंजन-सम्बन्धी करार केनेडी-दौर-वार्ता में पूरा कर लिया जाएगा।

व्यापार तथा विकास-सम्बन्धी सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्रसघीय व्यापार तथा विकास-सम्बन्धी सम्मेलन 23 मार्च, 1964 से 16 जून, 1964 तक जेनेवा मे हुआ। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्-द्वारा मुख्यतः विकासशील देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपाय सुझाने तथा व्यावहारिक उपाय करने और सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। सम्मेलन ने स्थलरुद्ध देशों के संक्रान्त अधिकार-सम्बन्धी नीतियों तथा सिद्धान्तों का संचालन करनेवाले सामान्य तथा विशेष सिद्धान्तों को स्वीकृति दे दी और अन्तर्राष्ट्रीय जिन्स-व्यवस्था तथा वरीयता-सम्बन्धी सिफारिशें स्वीकार कर ली। इसने प्रस्तावित व्यापार तथा विकास-मण्डल के लिए 55 सदस्यों का भी चुनाव किया जो सम्मेलन की एक स्थायी

संस्था तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक अंग होगी। भारत इस मण्डल का तथा एक वर्ष बाद इस मण्डल-द्वारा स्थापित जिन्स, निर्मित वस्तु, जहाजरानी तथा वित्तीय व्यवस्था-सम्बन्धी चारों समितियों का सदस्य है।

भारत ने जून-जुलाई 1965 में न्यूयार्क मे हुए संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूर्णाधिकारी दूत-सम्मेलन में भी भाग लिया। सम्मेलन ने स्थलरुद्ध देशों के संक्रान्त व्यापार-सम्बन्धी एक अभिसमय स्वीकार कर लिया।

एशिया तथा सुदूरपूर्व-आर्थिक आयोग

एशिया तथा सुदूरपूर्व-आर्थिक आयोग का 21वां अधिवेशन 16 मार्च, 1965 से 21 मार्च, 1965 तक वेलिंग्टन (न्यूज़ीलैण्ड) में हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व वाणिज्य-मन्त्री ने किया। सम्मेलन में अन्य कार्रवाइयों के साथ-साथ एशिया तथा सुदूरपूर्व-आर्थिक आयोग की व्यापार; उद्योग तथा प्राकृतिक संसाधन; परिवहन तथा संचार-साधन-सम्बन्धी समितियों आदि की रिपोर्टों पर विचार किया।

एशिया तथा सुदूरपूर्व-आर्थिक आयोग के इस वार्षिक अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह रही कि इसमे एशियाई विकास-बैंक की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। भारत तथा अन्य 8 क्षेत्रीय सदस्य-सरकारों के विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति ने प्रस्ताव के पहलुओं का अध्ययन किया और इस क्षेत्र के सदस्य-देशों के अतिरिक्त एशिया तथा सुदूरपूर्व-आर्थिक आयोग के क्षेत्र के बाहर की भाग लेने-वाली सरकारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों से भी विचार-विनिमय किया। प्रस्तावित बैंक-सम्बन्धी करार के अनुच्छेदों के प्रारूप को मनीला में 29 नवम्बर, 1965 से 2 दिसम्बर, 1965 तक हुए सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया और संसद्-द्वारा इस पर स्वीकृति दिए जाने तथा इसकी सामान्य रूप से पुष्टि किए जाने तक के लिए इस पर भारत तथा अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए। मनीला के मुख्यालय-सहित बैंक का मुख्य कार्य एशिया तथा सुदूरपूर्व-आर्थिक आयोग के क्षेत्र में आर्थिक प्रगति तथा सहयोग को प्रोत्साहन देना और इस क्षेत्र के विकासशील सदस्य-देशों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से वृद्धि करना होगा। भारत ने दस खर्ब डालर की बैंक की अधिकृत पूंजी में 9.3 करोड़ अमेरिकी डालर लगाना स्वीकार कर लिया है।

जनवरी-फरवरी 1966 में एशिया तथा सुदूरपूर्व-आर्थिक आयोग ने बैंकॉक में 3 बैठकों का आयोजन किया—वाणिज्यीय पचनिर्णय-सम्मेलन (5 जनवरी से 8 जनवरी तक), उद्योग तथा प्राकृतिक संसाधन-समिति का 9वां अधिवेशन (24 जनवरी से 2 फरवरी तक) और परिवहन तथा संचार-साधन-समिति का 18वा अधिवेशन (4 फरवरी से 14 फरवरी तक)। इन बैठकों में इस क्षेत्र के सदस्य तथा सहायक सदस्य-देशों की सरकारों की व्यापार तथा उद्योग-सम्बन्धी गतिविधियों की समीक्षा की गई। भारत सदा की भांति इन बैठकों मे भाग लेता रहा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष

भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का एक संस्थापक-सदस्य है और इस कोष में

भारत का 5वां सबसे बड़ा कोटा है। इस कोष की स्थापना के समय से 31 दिसम्बर 1965 तक भारत ने इस कोष से 3 अर्ब 68 करोड़ 99 लाख रुपये की विदेशी मुद्राएं खरीदीं जिनमें से 2 अर्ब 14 करोड़ 23 लाख रुपये दे दिए गए।

सितम्बर 1965 में वाशिंगटन मे हुई इस कोष के संचालक-मण्डल की 20वीं वार्षिक बैठक में भारत की ओर से आर्थिक मामला-विभाग के सचिव ने भाग लिया जो भारत की ओर से वैकल्पिक संचालक भी हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास-बैंक

भारत इस बैंक का एक संस्थापक-सदस्य है और इसकी पूजी मे भारत का 5वां सबसे बड़ा भाग है। बैंक ने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रो की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 31 दिसम्बर, 1965 तक 4 अर्ब 62 करोड 90 लाख रुपये के ऋण दिए। इस राशि में से इस समय तक वस्तुत. 3 अर्ब 74 करोड़ 70 लाख रुपये प्राप्त कर लिए गए। बैंक ने जिन योजनाओं के लिए ऋण दिया है, उनमे ये हैं: (1) रेलो के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुर्ज़ों का आयात, (2) कासग्रस्त तथा जगली भूमि को साफ करके कृषि-योग्य बनाने के लिए आवश्यक कृषि-मशीनो की खरीद, (3) दामोदर-घाटी-निगम की बिजली-परियोजनाएं, (4) एअर-इण्डिया-कार्पोरेशन-द्वारा विमानो की खरीद, (5) कलकत्ता तथा मद्रास के बन्दरगाहों का विकास, (6) कोयना (महाराष्ट्र) की पनबिजली-परियोजना, (67) टाटा-आयरन ऐण्ड स्टील-कम्पनी तथा इण्डिया-आयरन-ऐण्ड-स्टील-कम्पनी के विस्तार-कार्यक्रम, (8) बम्बई के निकट ट्रॉम्बे मे तापीय बिजलीघर की स्थापना, (9) राज्य-बिजली-मण्डलो तथा कुछ बिजली-कम्पनियों-द्वारा बिजली-लाइनो के निर्माण के लिए सामग्री तथा उपकरण का आयात, (10) आन्ध्रप्रदेश मे कोत्तगूडेम-स्थित तापीय बिजलीघर का विस्तार (द्वितीय चरण), (11) गैरसरकारी क्षेत्र मे कोयला-उद्योग का विकास और (12) भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनियोगनिगम को सहायता जिससे यह गैरसरकारी कम्पनियो को ऋण दे सके। इस बैंक ने भारत की विदेशी विनिमय-सम्बन्धी आवश्यकताओ पर विचार करने तथा वित्तीय सहायता देने के मार्ग खोज निकालने के लिए मैत्रीपूर्ण देशों की बैठको की व्यवस्था करने मे भी भारत को सहायता दी।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विस्तृत प्राविधिक सहायता-कार्यक्रम

दिसम्बर 1965 तक भारत ने लगभग 1,700 प्रशिक्षणार्थी बाहर भेजे और लगभग 3.89 करोड़ रुपये (81.53 लाख डालर) के मूल्य के उपकरण तथा लगभग 1,800 विशेषज्ञ प्राप्त किए। 1964 में भारत ने इस कार्यक्रम में 40,47,619 रुपये का अंशदान दिया। 1965 में भी इतना ही अंशदान दिया गया। इस वर्ष विशेषज्ञों के जीवन-यापन-व्यय के लिए 10,61,859.33 रुपये दिए गए।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास-संघ

भारत अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास-बैंक से सम्बद्ध इस संघ का एक स्थापक-सदस्य है। इसने राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण; विभिन्न राज्यो में सिंचाई तथा बिजली-परियोजनाओं, पंजाब में बाढ़-सुरक्षा तथा निकासी-परियोजनाओं; बम्बई-बन्दर के विकास; दूरसंचार-साधनों तथा रेलों के विस्तार और वाणिज्यीय मोटर-

गाड़ियों के लिए पुर्जों तथा सामग्री के निर्माण-उपकरण तथा मशीनी औजारों के आयात के लिए 2 अर्ब 78 करोड़ 55 लाख रुपये के ऋण दिए हैं। 1965 के अन्त तक 1.84 अर्ब रुपयों का उपयोग किया जा चुका था ।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-निगम

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-निगम अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास-बैंक की एक अन्य सम्बद्ध संस्था है जो सदस्य-देशों, विशेषकर अल्पविकसित क्षेत्रों, में उत्पादनशील गैरसरकारी उद्यमों के विकास को प्रोत्साहन देकर अ०पु० विकास-बैंक की गतिविधियों में सहायता देती है । भारत इस निगम का सदस्य है जिसने दिसम्बर 1965 के अन्त तक गैर-सरकारी क्षेत्र की 6 भारतीय कम्पनियो मे 3 7 करोड़ रुपये का विनियोग कर रखा था ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष कोष

1963 में भारत ने अपरिवर्तनीय रुपयो में इस कोष में 21.5 लाख डालर (1,02,38,098 रुपये) का अशदान दिया। 1964 तथा 1965 के अंशदान भी इतने ही रहे ।

जनवरी 1966 तक इस विशेष कोष से सहायता के लिए 38 भारतीय परियोजनाए स्वीकृत की गई जिन के लिए कुल 3.7 करोड़ डालर दिए जाएंगे ।

कोलम्बो-योजना

कोलम्बो-योजना तथा विशेष राष्ट्रमण्डलीय अफ्रीकी सहायता-योजना आरम्भ होने के बाद से भारत ने 31 दिसम्बर, 1965 तक विभिन्न देशों के 3,193 व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं दी । ये प्रशिक्षणार्थी अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, इण्डोनीशिया, कम्बोडिया, केनिया, जापान, तन्जानिया, थाइलैण्ड, दक्षिण-कोरिया, न्यूजीलैण्ड, नाइजीरिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन, बर्मा, मलयशिया, मलावी, मॉरिशस, मालदीव-द्वीपसमूह, यूगाण्डा, लाओस, वियतनाम तथा श्रीलंका से आए। जीवन-बीमा के राष्ट्रीयकरण, कीटविज्ञान, कराधान, चर्म-प्रौद्योगिकी, काजू-उत्पादन, सांख्यिकीय-नियन्त्रण, सिंचाई, परिवहन, लघु उद्योग, इस्पात-उत्पादन में प्रशिक्षण, कृषि, योजना-प्रचार और मेकांग नदी-घाटी-परियोजना के टूल-सैंप-क्षेत्र के लिए भी भारतीय विशेषज्ञो की सेवाएं उपलब्ध की गईं।

जून 1965 के अन्त तक भारत को 362 विदेशी विशेषज्ञो की सेवाएं प्राप्त हुईं और कोलम्बो-योजना के देशों में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-शिक्षा, खाद्य तथा कृषि, उद्योग तथा व्यापार, बिजली तथा ईधन-इंजीनियरी, परिवहन तथा संचार-साधन, महाजनी, मद्रण आदि के क्षेत्रों में 3,887 भारतीयो के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त हुईं।

योजना के आरम्भकाल से 31 दिसम्बर, 1965 तक भारत को इन देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई : कनाडा से 1 अर्ब 44 करोड़ 73 लाख रुपये, आस्ट्रेलिया से 15.51 करोड़ रुपये, न्यूजीलैण्ड से 4.13 करोड़ रुपये तथा ब्रिटेन से 1.45 करोड़ रुपये की।

अध्याय 28

1965 के संसद् के कानून

विधेयक	प्रस्तुत किए जाने की तिथि	जिस सदन में प्रस्तुत किया गया, उसमें पास होने की तिथि	दूसरे सदन-द्वारा पास किए जाने की तिथि	राष्ट्रपति-द्वारा स्वीकृति दिए जाने की तिथि	उस सदन का नाम जिसमें विधेयक पहले प्रस्तुत किया गया
1	2	3	4	5	6
1. आय-कर (संशोधन) विधेयक 1965	19-2-65	3-3-65	9-3-65	12-3-65	लोकसभा
2. विनियोजन-विधेयक 1965 .	3-3-65	4-3-65	10-3-65	15-3-65	लोकसभा
3. विनियोजन (रेल) विधेयक 1965 . .	12-3-65	15-3-65	24-3-65	26-3-65	लोकसभा
4. विनियोजन (रेल) सख्या 2 विधेयक 1965 .	15-3-65	15-3-65	24-3-65	26-3-65	लोकसभा
5. विनियोजन ((लेखानुदान) विधेयक 1965 . .	25-3-65	25-3-65	29-3-65	29-3-65	लोकसभा
6. उद्योग (विकास तथा नियमन) सशोधन-विधेयक 1965	2-3-65	23-3-65	26-3-65	29-3-65	राज्यसभा
7. केरल-विनियोजन-विधेयक 1965 . . .	26-3-65	26-3-65	29-3-65	31-3-65	लोकसभा
8. केरल-विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक 1965 .	26-3-65	26-3-65	29-3-65	31-3-65	लोकसभा
9. सशस्त्र सेनाए (विशेषाधिकार) अवधिवर्धक विधेयक 1965	17-2-65	19-3-65	31-3-65	1-4-65	लोकसभा
10. वित्त-विधेयक 1965 . . .	27-2-65	5-5-65	10-5-65	11-5-65	लोकसभा
11. विनियोजन (संख्या 2) विधेयक 1965 . .	1-5-65	1-5-65	6-5-65	11-5-65	लोकसभा
12. केरल-राज्य-विधानमण्डल (अधिकार-प्रत्यायोजन) विधेयक 1965	3-5-65	10-5-65	11-5-65	14-5-65	लोकसभा

13.	केरल-विनियोजन (संख्या 2) विधेयक 1965	10-5-65	10-5-65	13-5-65	14-5-65	लोकसभा
14.	जन-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1965	29-4-65	11-5-65	13-5-65	21-5-65	लोकसभा
15.	वित्त (संख्या 2) विधेयक 1965	19-8-65	1-9-65	7-9-65	11-9-65	लोकसभा
16.	प्रेस तथा पुस्तक-पंजीयन (संशोधन) विधेयक 1965	3-12-64	18-2-65	14-9-65	22-9-65	राज्यसभा
17.	जन-प्रतिनिधित्व (दूसरा सशोधन) विधेयक 1965	3-10-64	27-11-64 14-9-65*	2-9-65	22-9-65	लोकसभा
18.	स्वर्ण (नियन्त्रण) विधेयक 1965	26-11-63	24-12-65 19-9-65*	31-8-65	22-9-65	लोकसभा
19.	अलीगढ़-मुस्लिम-विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1965	16-8-65	6-9-65	16-9-65	22-9-65	लोकसभा
20.	गोदाम-निगम (पूरक) विधयक 1965	22-9-64	27-11-64 15-9-65*	6-9-65	22-9-65	लोकसभा
21.	लाभांश-भुगतान-विधेयक 1965	16-8-65	9-9-65	22-9-65	25-9-65	लोकसभा
22.	कर्मचारी-भविष्य-निधि (संशोधन) विधेयक 1965	24-12-64	18-2-65	20-9-65	25-9-65	राज्यसभा
23.	महाजनी (बैंकिंग) कानून (सहकारी समितियों को लागू) विधेयक 1965	17-12-64	18-8-65	9-9-65	25-9-65	लोकसभा
24.	केरल-विनियोजन (संख्या 3) विधेयक 1965	15-9-65	16-9-65	24-9-65	25-9-65	लोकसभा
25.	केरल-विनियोजन (संख्या 4) विधेयक 1965	15-9-65	16-9-65	24-9-65	25-9-65	लोकसभा
26.	विनियोजन (संख्या 3) विधेयक 1965	15-9-65	16-9-65	24-9-65	25-9-65	लोकसभा
27.	विनियोजन (संख्या 4) विधेयक 1965	15-9-65	16-9-65	24-9-65	25-9-65	लोकसभा
28.	विनियोजन (रेल) संख्या 3 विधेयक 1965	15-9-65	16-9-65	24-9-65	25-9-65	लोकसभा
29.	विनियोजन (रेल) संख्या 4 विधेयक 1965	15-9-65	16-9-65	24-9-65	25-9-65	लोकसभा
30.	गोआ, दमन तथा दीव (असैनिक विधान-संहिता तथा पंच-निर्णय-अधिनियम का विस्तार) विधेयक 1965	16-8-65	13-9-65	22-9-65	25-9-65	राज्यसभा

*विधयक एक बार पास होने पर उस सदन ने, जिसमें विधेयक रखा गया था, दूसरे सदन-द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया तथा विधेयक अन्तिम रूप से इस तिथि को पास कर दिया।

1965 के संसद् के कानून (क्रमश.)

1	2	3	4	5	6
31. कम्पनी (संशोधन) विधेयक 1965†	21-9-64	26-8-65	14-9-65	25-9-65	लोकसभा
32. बीमा (संशोधन) विधेयक 1965	2-3-65	10-9-65	23-9-65	29-9-65	लोकसभा
33. जीवन-बीमा-निगम (संशोधन) विधेयक 1965	13-9-65	15-9-65	23-9-65	29-9-65	लोकसभा
34. प्रेस-परिषद्-विधेयक 1965	26-11-63	26-8-65	3-11-65	12-11-65	राज्यसभा
35. औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 1965‡	24-12-64	17-8-65	11-11-65	19-11-65	राज्यसभा
36. दिल्ली-मोटरगाड़ी-कराधान (सशोधन) विधेयक 1965	11-5-65	14-9-65	18-11-65	27-11-65	लोकसभा
37. विनियोजन (सख्या 5) विधेयक 1965	18-11-65	19-11-65	25-11-65	27-11-65	लोकसभा
38 दिल्ली-भूमिसुधार (संशोधन) विधेयक 1965	10-5-65	14-9-65	17-11-65	30-11-65	लोकसभा
39. भारतीय प्रतिरक्षा-कार्य (संशोधन) विधेयक 1965	23-8-65	21-9-65	24-11-65	3-12-65	लोकसभा
40. रेल (सशस्त्र सैनिक-नियोजन) विधेयक 1965	24-9-65	11-11-65	24-11-65	3-12-65	लोकसभा
41. कराधान-कानून (संशोधन तथा विविध व्यवस्थाए) विधेयक 1965	3-11-65	18-11-65	29-11-65	4-12-65	लोकसभा
42. इलायची-विधेयक 1965	11-5-65	17-9-65	25-11-65	9-12-65	लोकसभा
43. केरल-विनियोजन (सख्या 5) विधेयक 1965	29-11-65	30-11-65	7-12-65	10-12-65	लोकसभा
44. भारत का धातु-निगम (संख्या-अधिग्रहण) विधेयक 1965	10-11-65	22-11-65	7-12-65	12-12-65	लोकसभा
45. कोयला-खान [भविष्य-निधि तथा लाभाश-योजनाएं (संशोधन)] विधेयक 1965	6-4-65	16-9-65	1-12-65	13-12-65	लोकसभा
46 भारतीय तटकर (संशोधन) विधेयक 1965	3-12-65	8-12-65	11-12-65	17-12-65	लोकसभा
47 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक 1965	26-11-65	8-12-65	11-12-65	17-12-65	लोकसभा
48. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुए) सशोधन विधेयक 1965	26-11-65	8-12-65	11-12-65	22-12-65	लोकसभा

49.	संघीय क्षेत्र (लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव) विधेयक 1965	31-3-65	10-9-65	11-12-65	22-12-65	लोकसभा
50.	गोआ, दमन तथा दीव (नियुक्त कर्मचारी-विधेयक) 1965	16-9-65	8-12-65	11-12-65	22-12-65	लोकसभा
51.	सम्पदा-शुल्क (वितरण) संशोधन-विधेयक 1965	26-11-65	8-12-65	11-12-65	22-12-65	लोकसभा

†विधेयक 'कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक 1964 के रूप में लोकसभा में रखा गया। विधेयक का नाम लोकसभा-द्वारा पास करते समय बदल दिया गया।

‡विधेयक 'औद्योगिक-विवाद (दूसरा संशोधन) विधेयक 1964' के रूप में राज्यसभा में रखा गया। उसी सदन-द्वारा पास किए जाते समय इसका नाम बदल दिया गया।

अध्याय 29

1965 की महत्वपूर्ण घटनाएं

(टिप्पणी : भारत-चीन तथा भारत-पाकिस्तान-सम्बन्धो से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाएं परिशिष्ट मे विस्तार-सहित अलग से दी गई हैं।)

जनवरी

1 3 व्यक्तियों के तुर्की संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का नई दिल्ली में आगमन
— 39वां अखिल भारतीय शिक्षा-सम्मेलन इन्दौर में सम्पन्न
— 1963 के बीरबल साहनी-पदक से डा० एच० सन्तापाऊ तथा 1964 के पदक से प्रो० बी० पुरी पुरस्कृत
2 सरकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण संस्थाओ को 1962-63 के उनके कार्य-संचालन के लिए राष्ट्रपति के पुरस्कार प्रदत्त
3 अमेरिका तथा भारत के शिक्षाविदो के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली मे उद्घाटन
— आर० कृष्णन् को एशियाई लॉन-टेनिस-चेम्पियनशिप पुन: प्राप्त
4 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो के लिए महगाई-भत्ते की बढ़ी हुई दरों की घोषणा
5 कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र मे अनुविहित राशनिग लागू
6 राष्ट्रमण्डलीय सम्पर्क-सम्मेलन का नई दिल्ली मे उद्घाटन
— 69वां काग्रेस-अधिवेशन दुर्गापुर मे आरम्भ
8 राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन्-द्वारा नई दिल्ली मे तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र-समारोह का उद्घाटन
— प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री-द्वारा दुर्गापुर-उर्वरक-कारखाने का शिलान्यास
— प्रो० एम० एल० दातवाला की अध्यक्षता मे कृषि-मूल्य-आयोग नियुक्त
9 नेपाल-नरेश श्री महेन्द्र-द्वारा काठमाण्डू मे प्रथम भारतीय उद्योग-प्रदर्शनी का उद्घाटन
10 दुर्गापुर का काग्रेस-अधिवेशन सम्पन्न
11 भूटान-नरेश का कलकत्ता मे आगमन तथा प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री से भेंट
— बरौनी के तेल-शोधनागार के विस्तार के लिए नई दिल्ली मे भारतीय तेल-निगम तथा सोवियत-निर्यात-संगठन के बीच एक सविदा पर हस्ताक्षर
12 पश्चिम-जर्मनी के व्यापारियो तथा महाजनों के एक प्रतिनिधिमण्डल का नई दिल्ली में आगमन
14 ब्रिटेन की समुद्रपार-विकास-मन्त्री श्रीमती बारबरा कैसिल का नई दिल्ली में आगमन

14 शान्तिस्वरूप-भटनागर-स्मारक पुरस्कार प्रदत्त
15 बरौनी-तेल-शोधनागार उद्घाटित
— भारतीय भू-भौतिकी-संघ-द्वारा डा० माणिक तलवानी कृष्णन्-पदक से पुरस्कृत
— मद्रास में भारत के खाद्य-निगम का उद्घाटन
— यूगाण्डा के न्याय-मन्त्री श्री सी० जे० ओबवंगोर का भारत की दो सप्ताह की यात्रा पर बम्बई में आगमन
19 दूसरे दुग्धालय-उद्योग-सम्मेलन का कलकत्ता के निकट हरिणघाटा में उद्घाटन
21 उप-राष्ट्रपति डा० ज़ाकिर हुसेन-द्वारा तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र-समारोह की समाप्ति पर पुरस्कारों का वितरण
22 ट्रॉम्बे-स्थित प्ल्युटोनियम-संयन्त्र का प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री-द्वारा उद्घाटन
23 भारत के सरकारी क्षेत्र के प्रथम मिश्रित धातु तथा विशेष इस्पात-संयन्त्र का दुर्गापुर मे उद्घाटन
— प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री-द्वारा बंगलोर-दुग्धालय-परियोजना का उद्घाटन
24 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री-द्वारा मैसूर-राज्य मे शरावति-पनबिजली-परियोजना के प्रथम विद्युत-उत्पादन-एकाश का जोग में उद्घाटन
— मॉरिशस के प्रधान मन्त्री डा० एस० रामगुलाम का 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली में आगमन
25 राष्ट्रपति-द्वारा कुशल कारीगरो को मिले पुरस्कारो का वितरण
— नेपाल के विदेश-मन्त्री श्री कीर्तिनिधि बिष्ट का नई दिल्ली में आगमन
— बोकारो-इस्पात-संयन्त्र के निर्माण से सम्बन्धित भारत-सोवियत रूस-सहयोग-करार पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर
— बिजली-परियोजनाओ के लिए 10.5 करोड़ रुपये के पोलिश ऋण के एक करार पर नई दिल्ली मे हस्ताक्षर
26 हिन्दी संघ की राजभाषा घोषित
27 हिन्दी-विरोधी दगो का मद्रास मे गम्भीर रूप
27 सरकारी क्षेत्र मे पांचवे इस्पात-सयन्त्र के निर्माण-सम्बन्धी समझौते पर आंग्ल-अमेरिकी क्लब के साथ नई दिल्ली में हस्ताक्षर
— राजभाषा-सम्मेलन का नई दिल्ली मे उद्घाटन
— नेहरू-प्रदर्शनी न्यूयार्क मे आरम्भ
29 भारत को 55 लाख पौण्ड के ऋण के लिए 2 भारत-ब्रिटिश करारों पर नई दिल्ली मे हस्ताक्षर
— संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति-संगठन के महानिदेशक डा० रेने महेयू का नई दिल्ली में आगमन
31 सांस्कृतिक मामला-मन्त्री-सम्मेलन का हैदराबाद में उद्घाटन

फरवरी

1 उड़ीसा के मुख्य मन्त्री श्री बीरेन मित्र-द्वारा त्यागपत्र

— कोचीन जहाजनिर्माणघाट के निर्माण के लिए जापान की 'मित्सुबिशि हैवी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड' के साथ एक समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर

2 सोवियत रूस की मन्त्रिपरिषद् के उपाध्यक्ष श्री वी० ई० दिनिशित्स का नई दिल्ली में आगमन

— ब्रिटेन के नौसेनाध्यक्ष एडमिरल सर डेविड ल्यूस का नई दिल्ली में आगमन

— बम्बई में दूसरे विज्ञापन-सम्मेलन का उद्घाटन

3 डा० रेने महेयू-द्वारा सर्वप्रथम दो आज़ाद-स्मारक व्याख्यान

4 कोचीन-जहाजनिर्माणघाट का निर्माणकार्य आरम्भ

5 बर्मा की क्रान्तिकारी परिषद् के अध्यक्ष जनरल ने विन का राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली में आगमन

6 पंजाब के मुख्य मन्त्री सरदार प्रतापसिंह कैरों की दिल्ली के निकट गोली से हत्या

— सौदागिरी के जहाज़ों के टनभार-प्रमाणपत्रों को परस्पर मान्यता देने से सम्बन्धित एक करार पर डेनमार्क के साथ हस्ताक्षर

8 फ्रांस के प्रधान मन्त्री श्री जार्ज पौम्पिडू का 8 दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली में आगमन

— अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य-संघ के बीसवें सम्मेलन का प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री-द्वारा उद्घाटन

12 फिनलैण्ड के राष्ट्रपति डा० यू० के० केक्कोनेन का राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली में आगमन

13 भारत तथा संयुक्त अरब-गणराज्य के बीच सीधी जहाज़रानी-सेवा आरम्भ

15 1964 के साहित्य-अकादमी-पुरस्कारों का राष्ट्रपति-द्वारा वितरण

17 भारत के रिज़र्व बैंक-द्वारा बैंक-दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत

18 अफगानिस्तान के प्रधान मन्त्री डा० मुहम्मद युसुफ का 10 दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली में आगमन

19 4 व्यक्तियों के युगोस्लाव-संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का नई दिल्ली में आगमन

20 नए मुख्य मन्त्री श्री सदाशिव त्रिपाठी के नेतृत्व में उड़ीसा-मन्त्रिमण्डल-द्वारा शपथ ग्रहण

23 भाषा के प्रश्न पर विचार करने के लिए राज्य-मुख्य मन्त्री-सम्मेलन नई दिल्ली में आरम्भ

— लाओस के विदेश-मन्त्री श्री फेंग फोंगसावन का 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली में आगमन

23 एक सोवियत संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का नई दिल्ली में आगमन
24 1963 तथा 1964 के बाटूमल-स्मारक पुरस्कारों का वितरण
25 प्रशासनिक सुधार-समिति नियुक्त
27 1965-66 का केन्द्रीय बजट संसद् में प्रस्तुत
28 1965 के ललित कला-अकादमी के पुरस्कारों का वितरण

मार्च

1 सिक्किम के महाराज तथा महारानी का 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली में आगमन
2 चेकोस्लोवाकिया के प्रधान मन्त्री श्री जोसेफ लेनार्ट का राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली में आगमन
— जम्मू-कश्मीर-राज्य में कांग्रेस-विधानमण्डल-दल के निर्माण की घोषणा
3 अमेरिका के भ्रमणकारी राजदूत श्री एवरेल हैरिमैन का 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली में आगमन
4 केरल में मध्य-अवधीय चुनाव-सम्बन्धी मतदान आरम्भ
6 राष्ट्रपति-द्वारा राजगिर में रत्नगिरि-पहाड़ियो पर शान्ति-स्तूप का शिलान्यास
— नौवां वार्षिक नाटक-समारोह आरम्भ
7 काण्डला के स्वतन्त्र व्यापार-क्षेत्र का उद्घाटन
— घुवारण-तापीय बिजलीघर का उद्घाटन
9 एडिनबर्ग के ड्यूक का 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली में आगमन
11 केनिया के भूमि तथा बन्दोबस्त-मन्त्री श्री जे० एच० ऐंग्निन का सद्भावना-यात्रा पर नई दिल्ली में आगमन
13 ट्यूनीशिया के निर्विभाग-मन्त्री श्री मोगी स्लिम का 7 दिन की यात्रा पर आगमन
14 संघीय जर्मन गणराज्य के एक प्रान्त के मुख्य मन्त्री श्री के० जी० कीसिंगर का नई दिल्ली में आगमन
16 लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव गिरा
— उपराष्ट्रपति डा० ज़ाकिर हुसेन-द्वारा आंखो की शल्य-चिकित्सा के लिए लन्दन जाने के कारण राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी ओर से कार्य करने के लिए शपथ ग्रहण
18 मलयशिया के उप-प्रधान मन्त्री श्री टुन अब्दुल रज़ाक का दिल्ली में आगमन
21 केनिया के एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का नई दिल्ली में आगमन
22 प्रशासन-विज्ञान-सम्मेलन का प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री-द्वारा उद्घाटन
24 केरल में राष्ट्रपति के शासन की घोषणा
25 वर्धा में इस्पात की ढली तथा गढी हुई वस्तुओं के तथा जबलपुर में प्रशिक्षण-कार्यों के लिए लोहे की ढली हुई वस्तुओं के निर्माण के लिए चेकोस्लोवाकिया के साथ करारो पर हस्ताक्षर
27 शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अणु-शक्ति के विकास में सहयोग के एक करार स्पेन के साथ हस्ताक्षर

29 नई दिल्ली में भारतीय कृषि-अनुसन्धान-संस्था का हीरक जयन्ती-समारोह
— 10 व्यक्तियों के अफगान प्रतिनिधिमण्डल का नई दिल्ली में आगमन

अप्रैल

2 श्री ए० पी० जैन-द्वारा केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण
— श्री वी० वी० गिरि-द्वारा मैसूर के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण
3 कश्मीर के सदर-ए-रियासत तथा प्रधान मन्त्री के पद क्रमशः राज्यपाल तथा मुख्य मन्त्री में परिवर्तित
5 चीन-पाकिस्तान-सीमा-करार के अधीन पाकिस्तान-द्वारा कश्मीर में 2,000 वर्गमील भारतीय क्षेत्र चीन को समर्पित
7 कुण्डा के तीसरे बिजलीघर का कार्य आरम्भ
10 डा० पंजाबराव देशमुख का हृदय-गति रुक जाने से देहान्त
— यूगाण्डा के शिक्षा-मन्त्री श्री जे० एस० एल० ज़ाके का नई दिल्ली में आगमन
15 संयुक्त अरब-गणराज्य के वरिष्ट उपराष्ट्रपति श्री ज़करिया मोहि-एल-दीन का नई दिल्ली में आगमन
16 नामरूप-तापीय बिजली-परियोजना का कार्य आरम्भ
23 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री का तीन दिन की यात्रा पर नेपाल में आगमन
24 नेपाल-नरेश श्री महेन्द्र-द्वारा कोसी-बांध का उद्घाटन
— प्रतिरक्षा-मन्त्रालय के एक प्रनिनिधिमण्डल का मास्को में आगमन
25 संघीय जर्मन गणराज्य के डाक तथा दूरसंचार-मन्त्री श्री रिचर्ड स्ट्वीक्लिन का नीन दिन की राजकीय यात्रा पर आगमन
29 विकलाग-उपचार-सस्था का नई दिल्ली मे उद्घाटन

मई

1 उपराष्ट्रपति डा० ज़ाकिर हुसेन-द्वाग तिरुचि के बॉयलर-संयन्त्र का उद्घाटन
— प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री जी० एन० बालसुब्रह्मण्यम् का मद्रास में स्वर्गवास
4 लार्ड माउण्टबेटन का चार दिन की यात्रा पर नई दिल्ली में आगमन
6 दक्षिण-वियतनाम के प्रधान मन्त्री श्री त्रान का वान दो दिन का नई दिल्ली में आगमन
7 भारत-द्वारा दक्षिणी रोडेशिया के साथ कूटनीतिक सम्बधों का विच्छेद
— राज्य-सूचना-मन्त्री-सम्मेलन नई दिल्ली में आरम्भ
8 भारत-रक्षा-नियम के अधीन शेख अब्दुल्ला तथा मिर्ज़ा अफज़ल बेग उदक-मण्डलम् में बन्दी
9 मुद्रण तथा आकल्पन (डिज़ाइनिंग) में श्रेष्ठता के लिए राजकीय पुरस्कारों का वितरण
12 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री का 8 दिन की राजकीय यात्रा पर मास्को में आगमन

13 पश्चिम-जर्मनी से 8.5 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के एक करार पर फ्रैंकफर्ट में हस्ताक्षर

17 अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार-संघ का शताब्दी-समारोह सम्पन्न

19 उपराष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन का तीन सप्ताह की यात्रा पर पश्चिम-एशिया तथा यूनान को प्रस्थान

20 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री सोवियत रूस की यात्रा से स्वदेश वापस

— सर्वप्रथम भारतीय अभियान-दल-द्वारा एवरेस्ट पर विजय

— 'अलीगढ़-मुस्लिम-विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश' लागू

21 सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारो को राष्ट्रपति-द्वारा वितरण

— विश्व बैंक-द्वारा तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए 1 अर्ब 2 करोड़ 70 लाख डालर देने का वचन

2 भारतीय पर्वतारोहियों-द्वारा एवरेस्ट पर दूसरी बार विजय

— आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग के लिए भारतीय तथा कुवैती अधिकारियो की संयुक्त समिति स्थापित

24 भारतीय अभियान-दल माउण्ट एवरेस्ट पर चढने मे तीसरी बार सफल

28 भारतीय कोयला-खानो के इतिहास मे अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना में धनबाद के निकट धोरी-कोयला-खान में हुए विस्फोट से 275 व्यक्ति हताहत

29 भारतीय एवरेस्ट-अभियान-दल-द्वारा एवरेस्ट पर चौथी बार चढ़ने में सफल होकर विश्व रेकार्ड कायम

31 कारखानो तथा अन्य प्रतिष्ठानों में कर्मचारियो के वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम लाभांश निर्धारित करनेवाला अध्यादेश लागू

— वैज्ञानिको तथा विशेषताप्राप्त व्यक्तियों के आदान-प्रदान के एक करार पर बल्गारिया के साथ हस्ताक्षर

जून

5 राज्य-शिक्षा-मन्त्री-सम्मेलन श्रीनगर में आरम्भ

6 राज्य-गृह-मन्त्री-सम्मेलन नई दिल्ली में आरम्भ

— उपराष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन का 5 दिन की सद्भावना-यात्रा पर एथेन्स में आगमन

9 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री का संयुक्त अरब-गणराज्य, कनाडा, ब्रिटेन तथा अल्जीरिया की यात्रा के लिए प्रस्थान

— बिजली-परियोजनाओ के विस्तार के लिए विश्व बैंक-द्वारा भारत को 8.4 करोड़ डालर के दो ऋण स्वीकृत

10 सरकार-द्वारा भारत में विदेशी तेल-कम्पनियों की पेट्रोलियम से बनी वस्तुओ के वितरण का अधिकार ग्रहण

11 कुण्डा-पनबिजली-योजना के दूसरे विद्युत्-उत्पादन-यन्त्र का काम चालू

15 लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकमसिंह का ब्रिटेन के लिए प्रस्थान

15 6.6 करोड़ रुपये की ब्रिटिश सहायता के एक करार पर हस्ताक्षर
16 राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्री-सम्मेलन लन्दन में आरम्भ
17 92.3 करोड़ रुपये के अमेरिकी ऋण के एक करार पर हस्ताक्षर
19 संयुक्त अरब-गणराज्य के नए राजदूत श्री ईसा अब्दुल लतीफ सेराग-एल-दीन-द्वारा प्रत्ययपत्र प्रस्तुत
21 भारत तथा थाइलैण्ड के बीच रेडियो-टेलीफोन-सम्बन्ध स्थापित
23 एवरेस्ट-विजेताओ के लिए राष्ट्रपति के पुरस्कारों की घोषणा
24 ट्यूनीशिया के साथ मैत्री तथा प्राविधिक सहयोग के एक करार पर हस्ताक्षर
25 भारत तथा जैम्बिया के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित
29 बर्मा के सूचना तथा संस्कृति-मन्त्री श्री थुङ् दान का नई दिल्ली में आगमन

जुलाई

2 राष्ट्रपति-द्वारा मेट्टूर् मे मद्रास-अल्युमीनियम-कारखाने का उद्घाटन
4 तटकर-पुनर्विचार-समिति-द्वारा अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत
5 सैनिक सेवाओं के लिए 'लद्दाख 1962' तथा 'उत्तर-पूर्व-सीमान्त अभिकरण 1962' शीर्षक दो नए पदको की व्यवस्था
— निर्यात-वृद्धि-सम्बन्धी मुदलियार-समिति की रिपोर्ट स्वीकृत
10 इस्पात-उद्योग-सम्बन्धी वेतनमण्डल की सिफारिशे स्वीकृत
— राष्ट्रीय महिला-सैन्यशिक्षार्थी-दल-कालेज का ग्वालियर में उद्घाटन
12 भारत-द्वारा अरब-लीग को कूटनीतिक मान्यता
16 1965-66 की कपास की फसल के लिए मूल्य-नीति की घोषणा
18 परिवार-निवृत्तिवेतन-लाभ सैनिक कर्मचारियो के लिए भी लागू
20 विभिन्न प्रकार के 45 रगो के आयात पर प्रतिबन्ध
— महान क्रान्तिकारी श्री बटुकेश्वर दत्त का नई दिल्ली में स्वर्गवास
— प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री-द्वारा दिल्ली-पटना के बीच सीधे टेलीफोन-सम्बन्ध का उद्घाटन
22 देश की खाद्य-स्थिति पर विचार करने के लिए बंगलोर में मुख्य मन्त्री-सम्मेलन आरम्भ
23 बंगलोर मे 2 दिन का अखिल भारतीय कांग्रेस-समिति का अधिवेशन आरम्भ
25 रामपुर के सहायक आकाशवाणी-केन्द्र का कार्य आरम्भ
26 लाओस के प्रधान मन्त्री राजकुमार सुवन्न फूमा का दिल्ली मे आगमन
27 भारत तथा नीदरलैण्ड्स-द्वारा भारत के लिए डच समाजसेवी स्वयंसेवकों की व्यवस्था के लिए करार पर हस्ताक्षर
27 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री का चार दिन की राजकीय यात्रा पर यूगोस्लाविया के लिए प्रस्थान
28 उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में ढिलाई

29 1965-66 के लिए भारत-चेकोस्लोवाकिया-सांस्कृतिक आदान-प्रदान-योजना पर हस्ताक्षर

30 नइवेलि के तापीय बिजलीघर की क्षमता में वृद्धि करने की परियोजना-रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत-द्वारा मास्को की 'टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट' के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर

31 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री यूगोस्लाविया से स्वदेश वापस

अगस्त

1 श्री नित्यानन्द कानूनगो-द्वारा गुजरात के राज्यपाल-पद की शपथ ग्रहण

— यूगाण्डा के प्रधान मन्त्री डा० मिल्टन ओबोटे का 10 दिन की भारत-यात्रा पर बम्बई में आगमन

5 श्री जयप्रकाश नारायण लोक सेवाओं के लिए रेमन-मेगासेसे-पुरस्कार से पुरस्कृत

10 आयात जारी रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास-संघ-द्वारा 10 करोड़ डालर के ऋण को स्वीकृति

13 चौथे वित्त-आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को समर्पित

— श्रीमती अरुणा आसफअली लेनिन-शान्ति-पुरस्कार से पुरस्कृत

14 उपराष्ट्रपति डा० ज़ाकिर हुसेन-द्वारा दिल्ली-लखनऊ के बीच सीधी टेली-फोन-सेवा का उद्घाटन

15 नई दिल्ली में दैनिक टेलीविज़न-सेवा आरम्भ

— पूर्वी नाइजीरिया के न्याय-मन्त्री तथा महान्यायवादी श्री सी० सी० मोजेक्वू का नई दिल्ली में आगमन

17 दिल्ली में भारतीय जन-सम्पर्क-साधन-संस्था स्थापित

— भारत-द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष कोष के साथ आदर्श उत्पादन तथा प्रशिक्षण-केन्द्र-परियोजना के संचालन की योजना पर हस्ताक्षर

19 संसद् में पूरक बजट प्रस्तुत

21 सोवियत रूस की मन्त्रिपरिषद् के प्रथम उपाध्यक्ष श्री के० टी० माजुरोफ के नेतृत्व में रूसी प्रतिनिधिमण्डल का दो दिन की सद्भावना-यात्रा पर आगमन

28 ट्रैक्टरों के निर्माण में सहयोग के लिए चेकोस्लोवाकिया के साथ एक करार पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर

— परिसीमन-आयोग-द्वारा हिमाचलप्रदेश के निर्वाचनक्षेत्रों के परिसीमन-सम्बन्धी अन्तिम प्रस्तावों की घोषणा

सितम्बर

1 सोवियत रूस के सहयोग से मद्रास में शल्यचिकित्सा-उपकरण-संयन्त्र स्थापित

4 केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री श्री एम० सी० चगला-द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति-संगठन के साथ सहयोग-सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सातवें सम्मेलन का उद्घाटन

4 90 विद्यालय-अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा

5 भारत-सरकार-द्वारा फर्मों के प्रतिनिधियों को मान्यता देने से सम्बन्धित सन्तानम-समिति की सिफारिश पर अपने निर्णय की घोषणा

6 राष्ट्रीय विकास-परिषद्-द्वारा चौथी योजना के लिए 2.15 खर्ब रुपये के आकार को स्वीकृति

11 संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव श्री यू थां का भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्धविराम स्थापित कराने के लिए नई दिल्ली में आगमन

13 दियासलाई-उद्योग को दिया गया सरक्षण रद्द, 'भारत-रक्षा-नियम 1962' के अधीन तांबा, जस्ता, सीसा तथा टीन की उपलब्धि, वितरण तथा उपभोग का नियमन अपेक्षित

14 भारत-द्वारा बम्बई में सयुक्त स्वामित्ववाले स्नेहक तेल-शोधनागार के निर्माण के लिए 'एस्सो' के साथ एक करार पर हस्ताक्षर

16 सरकार-द्वारा भोजन बनाने तथा प्रकाश करने से भिन्न किसी भी कार्य के लिए मिट्टी के तेल के उपयोग पर प्रतिबन्ध

19 गुजरात के मुख्य मन्त्री श्री बलवन्तराय मेहता की विमान-दुर्घटना में मृत्यु

— राजस्थान-सरकार-द्वारा प्रतिरक्षा-कर्मचारियों के लिए भू-खण्ड सुरक्षित रखने की घोषणा

20 भारत-ईरान-वायु-करार लागू

— केन्द्रीय जल तथा बिजली-आयोग के तापीय आकलपन-संगठन को प्राविधिक सहायता देने के लिए मास्को के 'टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट' संस्था के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर

21 राष्ट्रीय कृषि-अनुसन्धान तथा विकास-वर्ष-कार्यक्रम आरम्भ

28 विदेश-मन्त्री सरदार स्वरन सिंह का मास्को के लिए प्रस्थान

29 राष्ट्रपति-द्वारा युगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, रूमानिया तथा इथियोपिया की राजकीय यात्रा के लिए दिल्ली से प्रस्थान

अक्तूबर

1 भारत-सरकार-द्वारा 'सीमा-शुल्क-अधिनियम 1965' के खण्ड 14(2) के अधीन कुछ जिन्सों पर सीमा-शुल्क लगाने के लिए संशोधित तटकर-मूल्य निर्धारित

— श्री हितेन्द्र देसाई के मुख्य मन्त्रित्व में नए गुजरात-मन्त्रिमण्डल-द्वारा शपथ ग्रहण

2 जयपुर के महाराज सवाई मानसिंह स्पेन मे भारत के प्रथम निवासीय राजदूत नियुक्त

4 नइवेलि-भूरा कोयला-निगम-द्वारा मास्को के 'टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट' के साथ एक संविदा सम्पन्न जिसके अधीन सोवियत रूस की सरकार नइवेलि-तापीय बिजलीघर के 400 मेगावाट से 600 मेगावाट तक के विस्तार के लिए सामग्री देगी ।

5 केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि-मन्त्रालय-द्वारा केन्द्रीय मछलीपालन-निगम स्थापित

6 परिसीमन-आयोग-द्वारा उड़ीसा तथा मद्रास के राज्यों के संसदीय तथा विधान-सभाई निर्वाचन-क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रस्तावों की घोषणा

— सरकार-द्वारा औद्योगिक उपयोग मे आनेवाले तांबे पर उत्पादन-शुल्क में छूट की घोषणा

— 'मैसूर-आयरन ऐण्ड स्टील-वर्क्स' तथा पश्चिम-जर्मनी की एक संस्था के बीच 1.3 करोड़ ड्यूश मार्क (1 55 करोड़ रुपये) के ऋण को भारत-सरकार-द्वारा गारण्टी दिए जाने के एक करार पर बौन मे हस्ताक्षर

10 आकाशवाणी के 34वे केन्द्र का भुज मे उद्घाटन

11 केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि-मन्त्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम् का विश्व कृषि-विकास-परिचायक योजना के परामर्शदात्री मण्डल की सर्वप्रथम बैठक में भाग लेने के लिए रोम के लिए प्रस्थान

12 सहकारी कृषि-सम्बन्धी गाडगिल-समिति की रिपोर्ट प्रकाशित

15 'कम्पनी (सशोधन) अधिनियम 1965' लागू

— भारत के उर्वरक-निगम के ट्रॉम्बे-कारखाने मे उत्पादन-कार्य आरम्भ

16 भारत तथा बेहरीन के बीच मुद्रा-सम्बन्धी व्यवस्था का परिवर्द्धन

18 निर्माणकार्य-आवास तथा उपलब्धि-मन्त्रालय मे अधिकारी-प्रधान प्रशासनिक व्यवस्था लागू

— तापीय बिजलीघर के कमचारियो के प्रशिक्षण के लिए एक संस्था स्थापित करने की एक सविस्तर योजना तैयार करने के लिए सोवियत प्राविधिक सहायता प्राप्त करने से सम्बन्धित भारत तथा सोवियत रूस के बीच एक सविदा पर हस्ताक्षर

— सूडान की व्यापार-मण्डली का आगमन

— प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री-द्वारा गोदावरी-परियोजना के निर्माणकार्य का उद्घाटन

19 संसदीय मामला तथा सचार-साधन-मन्त्री श्री सत्यनारायण सिन्हा के नेतृत्व में भारतीय ससदीय प्रतिनिधिमण्डल का मास्को के लिए प्रस्थान

20 एक करोड़ पौण्ड के ऋण के लिए ब्रिटेन के साथ भारत-द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर

— राष्ट्रपति-द्वारा भारतीय उच्चतर अध्ययन-सस्था का शिमला में उद्घाटन

21 चीनी-जाच-आयोग-द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट समर्पित

22 भारत तथा सूडान के बीच सर्वप्रथम व्यापार तथा नयाचार-करार पर हस्ताक्षर

25 मॉरिटेनिया के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित

26 राष्ट्रपति-द्वारा 'कराधान कानून (संशोधन तथा विविध व्यवस्थाएं) अध्यादेश 1965' लागू
— सोवियत रूस से 1,000 किलोवाट के मध्यमतरंगीय सम्प्रेषण-यन्त्र की उपलब्धि के लिए रूस के साथ भारत-द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर
27 रूस-विषयक अध्ययन-संस्था स्थापित करने में रूसी सहायता के लिए सोवियत रूस के साथ भारत-द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर
— भारत-सरकार-द्वारा दो प्रतिरक्षा-ऋण तथा सोने में देय 15वर्षीय स्वर्ण-बन्धपत्र जारी
30 एकाधिकार-जांच-आयोग-द्वारा रिपोर्ट समर्पित
— भारतीय श्रम-सम्मेलन नई दिल्ली में आरम्भ

नवम्बर

1 भारत-सरकार-द्वारा कोरबा में बड़ा अल्युमिना-संयन्त्र लगाए जाने की संशोधित परियोजना-रिपोर्ट तैयार करने के लिए हंगरी की 'केमो कौम्प्लैक्स' संस्था के साथ एक करार पर हस्ताक्षर
— 'व्यक्तिगत चोट (क्षतिपूर्ति-बीमा) अधिनियम 1965' लागू
3 राष्ट्रपति-द्वारा वर्धा में गान्धी-स्मारक कुष्ठ-प्रतिष्ठान का उद्घाटन
5 कर-ऋण-पत्र (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क) योजना की घोषणा
7 नई दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के छठे होटल—होटल रणजीत—का उद्घाटन
9 वीरता के कार्यों के लिए राष्ट्रपति के पुरस्कारो की घोषणा
— सिंगापुर के उप-प्रधान मन्त्री श्री तो चिन ची का नई दिल्ली में आगमन
12 भारत-द्वारा रोडेशिया के साथ व्यापारिक सम्बन्धो का विच्छेद
— दाउदी-वोहरा-समाज के प्रधान तथा अलीगढ-विश्वविद्यालय के कुलपति डा० सैफुद्दीन की मृत्यु
14 भारत तथा सोवियत संघ के बीच विश्व शान्ति तथा मैत्री को प्रोत्साहन देनेवाली साहित्य, पत्रकारिता तथा चित्रकला की सर्वोत्तम कृतियों के लिए भारतीयो को 'सोवियट लैण्ड' द्वारा 'नेहरू-पुरस्कार' दिए जाने की घोषणा
16 ब्रिटेन-द्वारा भारत को अस्त्र-शस्त्रो की बिक्री पर लगे प्रतिबन्ध में ढिलाई
— सूचना और प्रसारण-मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी-द्वारा महिला-स्वयंसेवी सेवा का नई दिल्ली में उद्घाटन
— तन्ज़ानिया के चार व्यक्तियो के संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का थोड़े समय की यात्रा के लिए आगमन
17 वार्षिक राज्यपाल-सम्मेलन आरम्भ
19 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री-द्वारा कांग्रेस-दल की बैठक में परमाणविक बमों के निर्माण पर सरकार के दृष्टिकोण की पुनराभिव्यक्ति
21 भारत-द्वारा तन्ज़ानिया को 2.5 करोड़ रुपये की सहायता का निवेद
25 नेपाल-नरेश का 25 दिन की राजकीय यात्रा पर आगमन

25 गृह-मन्त्री श्री गुलजारीलाल नन्दा-द्वारा 'बाल-अपराध तथा पुलिस का कर्तव्य' सम्बन्धी 3 दिनों की गोष्ठी का उद्घाटन

दिसम्बर

2 महाराजकुमार-विजयानगरम् का स्वर्गवास

— एशियाई तथा प्रशान्त-क्षेत्रीय लेखाकारों का 4 न का सम्मेलन समाप्त

4 अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का नई दिल्ली में आगमन

9 राष्ट्रपति श्री जौनसन-द्वारा खाद्य-सकट का सामना करने के लिए भारत को 15 लाख टन गेहूं जहाज़-द्वारा तुरन्त भेजे जाने का आदेश । उनके ही द्वारा उर्वरकों की खरीद के लिए भारत को 5 करोड़ डालर के ऋण दिए जाने की भी स्वीकृति

11 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री-द्वारा रामचन्द्रपुरम् (हैदराबाद) में 'भारत-मे हैवी इलेक्ट्रिकल्स' के भारी बिजली-उपकरण-संयन्त्र का उद्घाटन

12 विश्व हिन्दू-धर्म-सम्मेलन नई दिल्ली में समाप्त

12 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री-द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समाज-सुरक्षा-संघ के दूसरे क्षेत्रीय एशिया तथा ओशेनिया-सम्मेलन का उद्घाटन

17 सयुक्त अरब-गणराज्य-चलचित्र-समारोह नई दिल्ली में आरम्भ

18 साइप्रस में सयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्तिसेना के सेनापति जनरल के० एस० तिमय्य का निकोसिया में स्वर्गवास

19 जैम्बिया के पश्चिमी प्रान्त के स्थानिक मन्त्री श्री ए० बी० मुतेम्बा का नई दिल्ली में आगमन

— भारतीय अफ्रो-एशियाई एकता-पंच का पांचवां राष्ट्रीय सम्मेलन कानपुर में समाप्त

20 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री का तीन दिन की यात्रा पर रंगून में आगमन

— 40 लाख पौण्ड के ब्रिटिश ऋण के एक समझौते पर हस्ताक्षर

22 तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए 40.9 करोड रुपये के जर्मन ऋण के एक करार पर हस्ताक्षर

23 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री बर्मा से स्वदेश वापस

29 अवाडी-टैंक-कारखाने में निर्मित सर्वप्रथम टैंक प्राप्त

31 केन्द्रीय वित्त-मन्त्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारि-द्वारा त्यागपत्र

अध्याय 30

सामान्य जानकारी

पूर्वता-अधिपत्र (अधिकारियों का क्रम-निर्धारण)

1. राष्ट्रपति
2. उप-राष्ट्रपति
3. प्रधान मन्त्री
4. राज्यपाल (अपने-अपने क्षेत्र में)
5. भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा गवर्नर-जनरल
6. उप-राज्यपाल (अपने-अपने क्षेत्र में)
7. भारत का मुख्य न्यायाधिपति
   लोकसभा का अध्यक्ष
8. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलीय मन्त्री
9. 'भारतरत्न' से विभूषित महानुभाव
10. भारत-स्थित विदेशी असामान्य तथा पूर्णाधिकारी राजदूत
    भारत-स्थित राष्ट्रमण्डल-देशों के उच्चायुक्त
11. 17 तथा उससे अधिक तोपों की सलामीवाले भारतीय रजवाड़ों के शासक (अपने-अपने रजवाड़ों में)
12. राज्यपाल (अपने-अपने क्षेत्र के बाहर)
13. उप-राज्यपाल (अपने-अपने क्षेत्र के बाहर)
14. 17 तथा उससे अधिक तोपों की सलामीवाले भारतीय रजवाड़ों के शासक (अपने-अपने रजवाड़ों के बाहर)
15. राज्यों के मुख्य मन्त्री
16. केन्द्रीय मन्त्रालयों के राज्य-मन्त्री
    योजना-आयोग के सदस्य
    राज्यसभा का उप-सभापति
    लोकसभा का उपाध्यक्ष
17. 15 अथवा 13 तोपों की सलामीवाले भारतीय रजवाड़ों के शासक
18. भारत-स्थित विदेशी असामान्य दूत तथा पूर्णाधिकारी अमात्य
19. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति
20. मन्त्रिमण्डलीय सचिव
    भारत के प्रथम श्रेणी के राजदूत (भारत आए हुए)*

---

*भारत आए हुए भारत के प्रथम श्रेणी के राजदूत अथवा उच्चायुक्त के क्रम सं० 20 में अथवा क्रम सं० 31 में रहने का निर्णय उस विशेष व्यक्ति की वरिष्ठता (सीनियारिटी) के आधार पर विदेश-मन्त्रालय करेगा।

विदेशी-राजदूत (भारत-यात्रा पर आए हुए)
भारत के प्रथम श्रेणी के उच्चायुक्त (भारत आए हुए) तथा अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों के उच्चायुक्त (भारत-यात्रा पर आए हुए)*

21. अन्तःकालीन और अन्तरिम निःसृष्टार्थ तथा कार्यकारी उच्चायुक्त
22. जनरल अथवा उसके समान पदवाले सेनाध्यक्ष
23. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति
राज्यों की विधान-परिषदों के सभापति
राज्यों की विधान-सभाओं के अध्यक्ष
मन्त्रिपरिषद्वाले संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त (अपने-अपने क्षेत्र में)
दिल्ली का मुख्य आयुक्त (अपने क्षेत्र में)
24. राज्यों के मन्त्रिमण्डलीय मन्त्री
केन्द्रीय उपमन्त्री
महान्यायवादी (एटर्नी-जनरल)
महालेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक (कम्पट्रोलर ऐण्ड ऑडिटर-जनरल)
संघीय क्षेत्रों के मुख्य मन्त्री (अपने-अपने क्षेत्र में)
25 लेफ्टिनेण्ट-जनरल अथवा उसके समान पदवाले सेनाध्यक्ष
26. 11 अथवा 9 तोपों की सलामीवाले भारतीय रजवाड़ों के शासक
27 केन्द्रीय लोक सेवा-आयोग का अध्यक्ष
मुख्य निर्वाचन-आयुक्त
राज्यों के मन्त्रालयों के राज्य-मन्त्री
संघीय क्षेत्रों की विधान-सभाओं के अध्यक्ष (अपने-अपने क्षेत्र में)
संघीय क्षेत्रों के मन्त्री (अपने-अपने क्षेत्र में)
राज्यों के विधानमण्डलों के उप-सभापति तथा उपाध्यक्ष
28. उच्च न्यायालयों के न्यायाधिपति
29. राज्यों के उपमन्त्री
बिना मन्त्रिपरिषद्वाले संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त (अपने-अपने क्षेत्र में)
30. संसद्-सदस्य
31. जनरल अथवा उसके समान पदाधिकारी
राष्ट्रपति का सचिव
भारत सरकार के सचिव तथा प्रधान मन्त्री का सचिव
भारत के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के राजदूत तथा उच्चायुक्त (भारत आए हुए)
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति-आयुक्त
मेजर-जनरल अथवा उसके समान पदवाले स्थानापन्न सेनाध्यक्ष

*भारत आए हुए भारत के प्रथम श्रेणी के राजदूत अथवा उच्चायुक्त के क्रम सं० 20 में अथवा क्रम सं० 31 में रहने का निर्णय उस विशेष व्यक्ति की वरिष्ठता के आधार पर विदेश-मन्त्रालय करेगा ।

भारत के पूर्णाधिकारी अमात्य (भारत-यात्रा पर आए हुए) तथा विदेशी पूर्णाधिकारी अमात्य (भारत-यात्रा पर आए हुए)
रेल-मण्डल का अध्यक्ष
रेल-वित्त-आयुक्त
महावादेक्षक (सॉलिसिटर-जनरल)
रेल-मण्डल के सदस्य
मन्त्रिपरिषद्वाले संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त (अपने-अपने क्षेत्र के बाहर)
दिल्ली का मुख्य आयुक्त (अपने क्षेत्र के बाहर)

32. पूर्णाधिकारी अमात्यो से भिन्न विदेशो तथा राष्ट्रमण्डलीय देशो के अमात्य
लेफ्टिनेण्ट-जनरल अथवा उसके समान पदाधिकारी
संघीय क्षेत्रों के मुख्य मन्त्री (अपने-अपने क्षेत्र के बाहर)

33. भारत-सरकार के अतिरिक्त सचिव
तटकर-आयोग का अध्यक्ष
केन्द्रीय जल तथा बिजली-आयोग का अध्यक्ष
भारतीय कृषि अनुसन्धान-परिषद् का उपाध्यक्ष
वित्त-मन्त्रालय (प्रतिरक्षा) का वित्तीय सलाहकार
सशस्त्र सेनाओ के मेजर-जनरल अथवा उसके समान पदवाले मुख्य कर्मचारी-अधिकारी (पी० एस० ओ०)
भारत के तृतीय श्रेणी के राजदूत तथा उच्चायुक्त (भारत आए हुए)
सिक्किम-स्थित राजनीतिक अधिकारी
गुप्तचर-विभाग का निदेशक
सघीय क्षेत्रो के विधान-सभाओ के अध्यक्ष (अपने-अपने क्षेत्र के बाहर)
संघीय क्षेत्रों के मन्त्री (अपने-अपने क्षेत्र के बाहर)

34 राज्यों के लोक सेवा-आयोगो के अध्यक्ष
राज्य-सरकारों के मुख्य सचिव
वित्त-आयुक्त
केन्द्रीय लोक सेवा-आयोग के सदस्य
भारतीय नौसेना-टुकड़ी के फ्लैग-ऑफिसर-कमाण्डिंग
राजस्व-मण्डल के सदस्य

35. स्वास्थ्य-सेवाओ का महानिदेशक
डाक तथा तार-विभाग का महानिदेशक
रैलों के महाप्रबन्धक
भारत-सरकार का सिब्बन्दी-अधिकारी
भारत-सरकार के संयुक्त सचिव (मन्त्रिमण्डलीय सयुक्त सचिव-सहित)
प्रधान मन्त्री के संयुक्त सचिव
भारत के चतुर्थ श्रेणी के राजदूत तथा उच्चायुक्त (भारत आए हुए)
मेजर-जनरल अथवा उसके समान पदाधिकारी
महासर्वेक्षण-अधिकारी (सर्वेयर-जनरल)
तटकर-आयोग के सदस्य

राज्यों के पुलिस-इन्स्पेक्टर-जनरल
डिवीज़नों के कमिश्नर
असैनिक उड्डयन-विभाग का महानिदेशक
पूर्ति तथा निपटान-विभाग का महानिदेशक
शस्त्रास्त्र-निर्माणशालाओं (आर्डनेन्स कारखानों) का महानिदेशक
भारतीय नौसेना के कमोडोर-इन-चार्ज (नौसैनिक बन्दरगाह अथवा क्षेत्र)
एअर-कमोडोर के पद के भारतीय वायु-सेना-कमानों के सेनानायक
नौसेना तथा वायु-सेना के मुख्यालयों के कमोडोर तथा एअर-कमोडोर के समान पदवाले मुख्य कर्मचारी-अधिकारी
बिना मन्त्रिपरिषद्‌वाले संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त (अपने-अपने क्षेत्र के बाहर)
आकाशवाणी का महानिदेशक
राष्ट्रपति का सैनिक सचिव
भारत-स्थित राष्ट्रमण्डलीय तथा अन्य देशों के वाणिज्य-दूत
उपलेखा-नियन्त्रक तथा उप-महालेखा-परीक्षक (डिप्टी कम्पट्रोलर ऐण्ड ऑडिटर-जनरल)
डाक तथा तार-मण्डल के सदस्य

गणराज्य-दिवस पर प्रदान किए जानेवाले सम्मान

भारत-रत्न

यह सम्मान कला, साहित्य तथा विज्ञान की श्रीवृद्धि के लिए किए गए असाधारण कार्य तथा सर्वोत्कृष्ट देश-सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

यह पदक पीपल के पत्ते के आकार का ठोस कांसे का बना हुआ $2\frac{5}{16}$ इंच लम्बा, $1\frac{7}{8}$ इंच चौड़ा तथा $\frac{1}{8}$ इंच मोटा होता है। इसके मुख-भाग पर सूर्य की आकृति उत्कीर्ण होती है। इस आकृति का व्यास $\frac{5}{8}$ इंच होता है तथा इसके नीचे हिन्दी में 'भारत-रत्न' लिखा होता है। इसके पृष्ठ भाग पर राजचिह्न तथा हिन्दी में सूक्ति अंकित होती है। राजचिह्न, सूर्य की आकृति तथा प्रान्त (रिम) प्लैटिनम का होता है और 'भारत-रत्न' चमकीले कांसे के अक्षरों में लिखा होता है।

11 जनवरी, 1966 को राष्ट्रपति ने भारत के स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को 'भारत-रत्न' से विभूषित किया (मरणोत्तर)।

पद्म-विभूषण

यह पदक किसी भी क्षेत्र में की गई असाधारण तथा विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें राजकर्मचारियों की सेवा भी सम्मिलित है।

यह पदक वृत्ताकार होता है तथा वृत्त पर एक ज्यामितिक प्रतिकृति का ठप्पा लगा होता है। वृत्ताकार भाग का व्यास $1\frac{3}{4}$ इंच तथा इसकी मोटाई $\frac{1}{4}$ इंच

होती है। मुख-भाग के गोल हिस्से में कमल का पुष्प उभरा होता है। कमल के शीर्ष पर 'पद्म' और नीचे 'विभूषण' शब्द हिन्दी में उत्कीर्ण होते हैं। पदक के पृष्ठ भाग पर राजचिह्न तथा हिन्दी में सूक्ति होती है। यह पदक ठोस कांसे का होता है। पदक के मुख-भाग पर उत्कीर्ण 'पद्म-विभूषण' दोनों ओर की ज्यामितिक प्रतिकृतियां तथा परिधि के इर्द-गिर्द का किनारा चमकीले कांसे का होता है। पदक के दोनो ओर के उत्कीर्ण भाग निकल-चढ़े सोने के होते है।

9 नवम्बर, 1965 को 'पद्म-विभूषण' से अलंकृत :

1. जनरल जे० एन० चौधरी, स्थल-सेनाध्यक्ष
2. एअर-मार्शल अर्जन सिंह, वायु-सेनाध्यक्ष

26 जनवरी, 1966 को 'पद्म-विभूषण' से अलंकृत :

वेलेरियन कार्डिनल ग्रेशियस, बम्बई के लाटपादरी (आर्कबिशप)

पद्म-भूषण

यह पदक किसी भी क्षेत्र मे की गई विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें राजकर्मचारियो की सेवा भी सम्मिलित है।

इसकी भी बनावट 'पद्म-विभूषण' पदक-जैसी ही होती है। इसके मुख-भाग पर कमल-पुष्प के शीर्ष पर 'पद्म' तथा नीचे 'भूषण' उत्कीर्ण होते हे। पृष्ठ भाग पर 'पद्म-भूषण', दोनों ओर की ज्यामितिक प्रतिकृतिया तथा परिधि के इर्द-गिर्द का किनारा चमकीले कांसे का होता है। पदक के दोनो ओर का उत्कीर्ण भाग स्टैण्डर्ड सोने का होता है।

23 जून, 1966 को 'पद्म-भूषण' से अलंकृत

1. लेफ्टिनेण्ट-कमाण्डर मोहनसिंह कोहली, 1965 के भारतीय एवरेस्ट-अभियान-दल के नेता
2. नवाङ गोम्बु, 1965 के भारतीय एवरेस्ट-अभियान-दल के सदस्य
3. सोनम ग्यात्सो, 1965 के भारतीय एवरेस्ट-अभियान-दल के सदस्य

9 नवम्बर, 1966 को 'पद्म-भूषण' से अलंकृत

1. लेफ्टिनेण्ट-जनरल हरबख्श सिंह, पश्चिमी कमान के प्रधान सैन्य अधिकारी
2. लेफ्टिनेण्ट-जनरल के० एस० काटोच, 15वी कोर के सैन्य अधिकारी
3. लेफ्टिनेण्ट-जनरल जे० एस० ढिल्लो, 11वी कोर के सैन्य अधिकारी
4. लेफ्टिनेण्ट-जनरल पी० ओ० डन, 1ली कोर के सैन्य अधिकारी
5. एअर-वाइस-मार्शल पी० सी० लाल, वायु-उप-सेनाध्यक्ष
6. एअर-वाइस-मार्शल आर० राजाराम, पश्चिमी वायु-कमान के प्रधान वायुसेना-अधिकारी

26 जनवरी, 1966 को 'पद्म-भूषण' से अलंकृत :

1. बाबुभाई माणेकलाल चिनाइ, बम्बई के उद्योगपति
2. भवानीचरण मुखर्जी, भारत के उर्वरक-निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा प्रबन्ध-निदेशक
3. हरिभाऊ उपाध्याय, राजस्थान के लेखक तथा समाज-कार्यकर्ता
4. होमी नौशेरवानजी सेठना, ट्रॉम्बे-स्थित अणु-शक्ति-प्रतिष्ठान के इंजीनियरी-विभाग के निदेशक
5. भाई जोधसिंह, पंजाबी-विश्वविद्यालय (पटियाला) के भूतपूर्व उपकुलपति
6. के० पी० के० मेनन, कोझीकोड के पत्र 'मातृभूमि' के सम्पादक
7. एम० पद्मनाभन्, केरल के समाज-कार्यकर्ता
8. पी० के० दुरइस्वामि, नई दिल्ली के सफदरजंग-चिकित्सालय के विकलांग-शल्य-चिकित्सक
9. शंकर पिल्लइ, नई दिल्ली की 'शंकर्स वीकली' पत्रिका के सम्पादक
10. टी० एस० रामस्वामि अय्यर्, मद्रास की मैलापुर-अकादमी के अध्यक्ष
11. वी० कुरियन्, गुजरात की आणन्द-स्थित खेड़ा-जिला-सहकारी दूध-उत्पादक-संघ के प्रधान व्यवस्थापक
12. विक्रम अम्बालाल साराभाई, अहमदाबाद-स्थित भौतिकी-अनुसन्धान-प्रयोगशाला के निदेशक
13. विनायक सीताराम सर्वटे, इन्दौर के समाज-कार्यकर्ता
14. ज़ेड० मेहता, वाद्यवृन्द-निदेशक

पद्म-श्री

यह पदक किसी भी क्षेत्र में की गई असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें राजकर्मचारियों की सेवा भी सम्मिलित है।

इस पदक के मुख-भाग पर कमल-पुष्प के शीर्ष पर 'पद्म' तथा नीचे 'श्री' शब्द हिन्दी में उत्कीर्ण होते है। मुख-भाग का 'पद्म-श्री', दोनों ओर की ज्यामितिक प्रतिकृतिया तथा परिधि के इर्द-गिर्द का किनारा चमकीले कांस का होता है। पदक के दोनो ओर का उत्कीर्ण अंश स्टेनलेस स्टील का होता है।

23 जून, 1965 को 'पद्म-श्री' से अलंकृत :

1. मेजर नरेन्द्र कुमार, 1965 के भारतीय एवरेस्ट-अभियान-दल के उपनेता
2. कैप्टन अवतार सिंह चीमा, 1965 के भारतीय एवरेस्ट-अभियान-दल के सदस्य
3. सोनम वाङ्याल, 1965 के भारतीय-एवरेस्ट-अभियान-दल के सदस्य
4. चन्द्रप्रकाश वोहरा, 1965 के भारतीय-एवरेस्ट-अभियान-दल के सदस्य
5. अङ्कामि, 1965 के भारतीय-एवरेस्ट-अभियान-दल के सदस्य
6. हरिशचन्द्र सिंह रावत, 1965 के भारतीय-एवरेस्ट-अभियान-दल के सदस्य
7. कैप्टन हरिपाल सिंह अहलुवालिया, 1965 के भारतीय-एवरेस्ट-अभियान-दल के सदस्य
8. फु डोरजि, 1965 के भारतीय एवरेस्ट-अभियान-दल के सदस्य

26 जनवरी, 1966 को 'पद्म-श्री' से अलंकृत :

1. भानुमति रामकृष्ण, मद्रास की चलचित्र-अभिनेत्री
2. स्वामी चिचिलानन्द दास, उड़ीसा के समाज-कार्यकर्ता
3. बी० शिवमूर्ति शास्त्री, मैसूर के कन्नड-विद्वान
4. धर्मेन्द्र, मद्रास की चेंगलपट्टु-स्थित केन्द्रीय कुष्ठ-शिक्षण तथा अनुसन्धान-संस्था के निदेशक
5. इब्राहीम अल्काज़ी, नई दिल्ली-स्थित राष्ट्रीय नाटक-विद्यालय तथा एशियाई रंगमच-संस्था के निदेशक
6. अर्नेस्ट जोकिम जोसेफ बोर्गेस, महाराष्ट्र के कैन्सर-शल्यचिकित्सक
7. ईश्वर अय्यर् कृष्ण अय्यर्, मद्रास के सगीतज्ञ, अभिनेता तथा नृत्यकार
8. हरिशंकर शर्मा, उत्तरप्रदेश के हिन्दी-लेखक तथा कवि
9. इन्द्रजीत सिह तुलसी, पंजाबी-कवि
10. जगदीशप्रसाद, उत्तरप्रदेश के सार्वजनिक निर्माणकार्य-विभाग के इजीनियर
11. जे० जिराद, बम्बई की स्त्री-रोग-विज्ञा तथा समाज-कार्यकर्त्री
12. किशन लाल, हॉकी के खिलाड़ी
13. कुलदीपसिह विर्क, फिरोज़पुर के उपायुक्त
14. कुन्दनलाल बेरी, फिरोज़पुर-स्थित उत्तर-रेल-मुख्यालय के विभागीय अधीक्षक
15. मकबूल फिदा हुसेन, नई दिल्ली के चित्रकार
16. मोहम्मद दीन जागिर, जम्मू-कश्मीर
17 मोहनसिह, नई दिल्ली-नगरपालिका के वरिष्ठ उपाध्यक्ष
18. निर्मल कुमार बोस, पश्चिम-बगाल के विद्वान
19. राम अवतार पोद्दार 'अरुण' बिहार के हिन्दी-कवि
20. पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपाण्डे, महाराष्ट्र के नाटककार
21. राजेश्वर नाथ ज़ुत्सी, इन्दौर के डाली कालेज के प्रधानाध्यापक
22 रामप्रसाद रामचन्द्र खण्डेलवाल, महाराष्ट्र के उद्योगपति तथा परोपकारी व्यक्ति
23. रॉबर्ट ब्राकलेस्बी डेविस, बिहार के मानसिक रोग-चिकित्सक
24 एस० एम० पाटील, बगलोर की 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०' के प्रबन्ध-निदेशक
25 सतीश धवन, बगलोर-स्थित भारतीय विज्ञान-सस्था के निदेशक
26. सैयद अहमदुल्ला कादरी, आन्ध्रप्रदेश के उर्दू-लेखक तथा राज्यीय विधान-परिषद् के सदस्य
27. सुरेन्द्र सिह् बेदी, अमृतसर के उपायुक्त
28. एस० जे० कोएल्हो, कच्छ के कलक्टर तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
29. सुमित्रा चरतराम, दिल्ली की कला तथा संगीत-प्रोत्रायिका
30. वी० सी० गणेशन्, मद्रास के चलचित्र-अभिनेता

वीरता के लिए पुरस्कार

परमवीर-चक्र

वीरता के सम्मानार्थ सर्वोच्च पदक 'परमवीर-चक्र' है जो स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु का सामना करते हुए असीम शौर्य तथा अदम्य साहस के प्रदर्शन अथवा आत्म-बलिदान के उपलक्ष्य में प्रदान किया जाता है।

'परमवीर-चक्र' कांसे का बना हुआ तथा वृत्ताकार होता है। इसके मुख-भाग के मध्य में राजचिह्न के चारो ओर 'इन्द्र के वज्र' की चार प्रतिकृतियां उत्कीर्ण होती हैं और पृष्ठ भाग पर मध्य मे दो कमल-पुष्प और हिन्दी तथा अंग्रेज़ी मे 'परमवीर-चक्र' शब्द अंकित रहते हैं।

यह पदक सवा इच चौड़ी गुलाबी पट्टी के साथ वाम वक्ष पर लगाया जाता है।

1965 मे तथा 28 फरवरी, 1966 तक परमवीर-चक्र से अलकृत

1 लेफ्टिनेण्ट-कर्नल ए० बी० तारापोर (मरणोत्तर)
2 कम्पनी-क्वार्टर-मास्टर-हवलदार अब्दुल हमीद (मरणोत्तर)

महावीर-चक्र

'महावीर-चक्र' दूसरा सर्वोच्च सम्मान-पदक है जो स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु का सामना करते हुए असीम शौर्य-प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है।

'महावीर-चक्र' स्टैण्डर्ड चादी का तथा वृत्ताकार होता है और इसके मुख-भाग पर एक पचकोना नक्षत्र उत्कीर्ण होता है जिसके गुम्बदाकार मध्य भाग में स्वर्णमण्डित राजचिह्न की उभरी हुई आकृति रहती है। पदक के पृष्ठ भाग पर मध्य में दो कमल-पुष्प और हिन्दी तथा अग्रेज़ी में 'महावीर-चक्र' शब्द उत्कीर्ण होते हैं।

यह पदक सवा इच चौड़ी सफेद तथा नारगी रंग की पट्टी के साथ वाम वक्ष पर इस प्रकार लगाया जाता है कि नारगी पट्टी बाए कन्धे की ओर रहे।

1965 में तथा 28 फरवरी, 1966 तक महावीर-चक्र से दूसरी बार अलकृत:

1 मेजर-जनरल राजिन्दर सिह (महावीर-चक्र)
2. स्क्वॉड्रन-लीडर जगमोहन नाथ (महावीर-चक्र) जीडी (पी)

1965 मे तथा 28 फरवरी, 1966 तक महावीर-चक्र से अलंकृत.

1. मेजर एस० के० माथुर
2. मेजर बी० एस० रन्धावा (मरणोत्तर)
3. मेजर-जनरल गुरबख्श सिह
4. मेजर-जनरल एच० के० सिबल
5. मेजर-जनरल एस० एस० कलान
6. ब्रिगेडियर के० के० सिह

7. ब्रिगेडियर आर० डी० हीरा
8. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल गुरबंस सिंह संघा
9. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल सलीम कैलब
10. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल एन० एन० खन्ना (मरणोत्तर)
11. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल एच० एल० मेहता (मरणोत्तर)
12. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल डी० हाइड
13. विंग-कमाण्डर डब्ल्यू० एम० गुडमैन
14. विंग-कमाण्डर पी० पी० सिंह
15. मेजर भास्कर राय
16. मेजर रणजीत सिंह दयाल
17. मेजर भूपेन्द्र सिंह (मरणोत्तर)
18. मेजर आशाराम त्यागी (मरणोत्तर)
19. कैप्टन चन्द्रनारायण सिंह (मरणोत्तर)
20. स्क्वॉड्रन-लीडर पी० गौतम
21. सूबेदार अजित सिंह (मरणोत्तर)
22. ब्रिगेडियर जोरावर चन्द बख्शी (वीरचक्र)
23. ब्रिगेडियर टी० के० त्यागराज
24. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल ए० एस० वैद्य
25. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल रघुवीर सिंह
26. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल एम० एम० एस० बख्शी
27. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल पी० के० नन्दगोपाल (मरणोत्तर)
28. कैप्टन गौतम मोबायी (मरणोत्तर)
29. लास/हवलदार नौबत राम
30. नायक दर्शन सिंह (मरणोत्तर)

वीर-चक्र

इस क्रम में 'वीर-चक्र' तीसरा पदक है जो स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु का सामना करते हुए अपूर्व शौर्य-प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है।

'वीर-चक्र' स्टैण्डर्ड चांदी का तथा वृत्ताकार होता है। इसके मुख-भाग पर एक पंचकोना नक्षत्र होता है जिसके मध्य में अशोक-चक्र अंकित होता है। अशोक-चक्र के गुम्बदाकार मध्य भाग पर स्वर्णमण्डित राजचिह्न अंकित होता है। पदक के पृष्ठ भाग पर मध्य में दो कमल-पुष्प और हिन्दी तथा अंग्रेजी में 'वीर-चक्र' शब्द उत्कीर्ण रहते हैं।

यह चक्र सवा इंच चौडी नीली तथा नारंगी रंग की पट्टी के साथ वाम वक्ष पर इस प्रकार लगाया जाता है कि नारंगी रंग की पट्टी बाएं कन्धे की ओर रहे।

1965 में तथा 28 फरवरी, 1966 तक 'वीर-चक्र' से अलंकृत :

1. फ्लाइंग-ऑफिसर यू० बारबरा
2. लेफ्टिनेण्ट उजागर सिंह तेजे (मरणोत्तर)

3. सैकण्ड-लेफ्टिनेण्ट विनोद कुमार गोस्वामी (मरणोत्तर)
4. सूबेदार नन्द बहादुर गुरंग
5. मेजर आर० के० बाली
6. लेफ्टिनेण्ट अर्जन सिंह खन्ना
7. हवलदार गोपीनाथ भिगरडिवे
8. कैप्टन रनबीर सिंह
9. सिपॉय बुध सिंह
10. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल सम्पूरन सिंह
11. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल छज्जू राम
12. विंग-कमाण्डर भरत सिंह
13. मेजर एम० ए० आर० शेख (मरणोत्तर)
14. मेजर मेघ सिंह
15. मेजर जतिन्दर कुमार
16. मेजर एस० सी० वढेरा
17 मेजर एस० एम० शर्मा
18. मेजर एम० ए० ज़की
19 मेजर एस० एस० रतड़ा
20. मेजर सोमेश कपूर
21 स्क्वॉड्रन-लीडर ट्रेवर कीलर
22 स्क्वॉड्रन-लीडर एम० एस० जटार
23. स्क्वॉड्रन-लीडर एस० हाण्डा
24 स्क्वॉड्रन-लीडर ए० जे० एस० सन्धु
25 स्क्वॉड्रन-लीडर डेजिल कीलर
26. कैप्टन आर० सी० बख्शी (मरणोत्तर)
27. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट वी० एस० पठानिया
28. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट तिरलोचन सिंह
29. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट डी० एन० राठौर
30 फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट ए० टी० कुक
31. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट ए० के० मजुमदार
32. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट एच० एस० मगत
33. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट वी० कपिला
34. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट पी० एस० पिंगले
35 लेफ्टिनेण्ट सुरिन्दरपाल सिंह शेखों (मरणोत्तर)
36. लेफ्टिनेण्ट तेजा सिंह
37. लेफ्टिनेण्ट भीकम सिंह
38. फ्लाइंग-ऑफिसर एस० सी० मामगेन
39. फ्लाइंग-ऑफिसर ए० आर० गान्धी
40. फ्लाइंग-आफिसर वी० के० नेब
41. सैकण्ड-लेफ्टिनेण्ट एच० आई० एस० धालीवाल

42. सैकण्ड-लेफ्टिनेण्ट बी० के० वैद
43. सैकण्ड-लेफ्टिनेण्ट आर० एस० बेदी
44. सूबेदार मान बहादुर गुरग
45. सूबेदार सी० ए० माधवन् नम्बियार् (मरणोत्तर)
46. रिसालदार अच्छर सिंह
47. नायब रिसालदार जगदीश सिंह
48. नायब रिसालदार मुहम्मद अयूब खां
49. हवलदार सी० पेरुमाल्
50. हवलदार अजमेर सिंह
51. हवलदार ए० बी० जेसुदासन्
52. लांस-हवलदार गुरदेव सिंह
53. लास-हवलदार राज बहादुर गुरग
54. लास-हवलदार सिद्घु राम
55. लास-हवलदार के० सी० जौर्ज
56. लास-हवलदार उमराव सिंह (मरणोत्तर)
57. नायक प्रेम सिंह
58. नायक चांद सिंह
59. नायक गणेश दत्त
60. नायक देवी बहादुर गुरग (मरणोत्तर)
61. लांस-नायक प्रीतम सिंह (मरणोत्तर)
62 सिपॉय बालम राम
63. राइफलमैन महिलाल सिंह
64. राइफलमैन मातन सिंह (मरणोत्तर)
65. राइफलमैन धन बहादुर गुरंग
66. मेजर मुख्तार सिंह खेडा
67. स्क्वॉड्रन-लीडर आई० जे० एस० परमार
68. हवलदार गिरधारीलाल (मरणोत्तर)
69. नायक बचित्तर सिंह (मरणोत्तर)
70. कैप्टन अर्जन सिंह नरूला
71. स्क्वॉड्रन-लीडर ए० एल० मौसिन्हो
72. स्क्वॉड्रन-लीडर एस० के० दाह्र
73. स्क्वॉड्रन-लीडर एस० एस० मलिक
74. स्क्वॉड्रन-लीडर ए० एस० लाम्बा
75. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट एस० एन० देशपाण्डे
76. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट चन्द्रशेखर दोरइस्वामि
77. स्क्वॉड्रन-लीडर जे० डब्ल्यू० ग्रीन
78. विंग-कमाण्डर ओ० पी० तनेजा
79. स्क्वॉड्रन-लीडर एस० के० सिंह
80. स्क्वॉड्रन-लीडर बी० के० बिश्नोई

81. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट डी० एस० कहाइ
82. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट सी० के० के० मेनन
83. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट ए० एस० बुल्लड़
84. स्क्वॉड्रन-लीडर जसबीर सिंह
85. लास-नायक एम० मुत्तु
86. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट बी० के० भाटिया
87. हवलदार (जीडी) राम उजागर
88. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट पी० सी० चोपड़ा
89. रिसालदार करतार सिंह (मरणोत्तर)
90 विंग-कमाण्डर एस० भट्टाचार्य
91. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट वी० पाटने
92. स्क्वॉड्रन-लीडर एस० एन० बसल
93. स्क्वॉड्रन-लीडर सी० मेहता
94 मेजर भगत सिंह (मरणोत्तर)
95 लास-नायक देवराज
96 फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट पी० दस्तिदार
97 स्क्वॉड्रन-लीडर टी० पी० एस० गिल
98 विंग-कमाण्डर पी० एम० विल्सन
99 कैप्टन सुरेन्द्र शाह
100 नायक जगदीश सिंह (मरणोत्तर)
101 नायक चन्द्रेर सिंह
102 मेजर के० टी० एम० पिल्लइ
103 मेजर ए० टी० गणपति
104 सिपॉय धर्मसिंह
105 मेजर पी० एस० देशपाण्डे
106 कैप्टन ससार सिंह
107 सूबेदार प्यारा सिंह (मरणोत्तर)
108. हवलदार पोथराज

अशोक-चक्र—प्रथम श्रेणी

यह पदक स्थल, जल अथवा आकाश में असीम शौर्य, अदम्य साहस अथवा आत्म-बलिदान के सम्मानार्थ भेंट किया जाता है।

यह पदक सोने से मढा हुआ तथा वृत्ताकार होता है और इसके मुख-भाग पर कमल-माल से घिरा हुआ अशोक-चक्र उत्कीर्ण होता है। पदक के किनारे-किनारे कमल की पंखुड़ियों, पुष्पों तथा कलियों की आकृतियां बनी रहती हैं। पृष्ठ भाग पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में 'अशोक-चक्र' शब्द उत्कीर्ण रहते हैं जिनके मध्य का स्थान कमल-पुष्पो से सुशोभित रहता है।

यह पदक सवा इंच चौड़ी हरे रंग की रेशमी पट्टी के साथ, जिसके मध्य में उसके दो समान भागों में विभक्त करनेवाली एक खड़ी नारंगी रेखा होती है, वाम वक्ष पर लगाया जाता है।

1965 में तथा 28 फरवरी, 1966 तक 'अशोक-चक्र—प्रथम श्रेणी' से अलंकृत :

1. तेज सिंह (मरणोत्तर)
2. लज्जा राम (मरणोत्तर)
3. पुरुषोत्तम (मरणोत्तर)
4. चमन लाल (मरणोत्तर)

अशोक-चक्र—द्वितीय श्रेणी

यह पदक भी असीम शौर्य-प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। यह स्टैण्डर्ड चांदी का तथा वृत्ताकार होता है। इसके मुख तथा पृष्ठ भाग बिल्कुल 'अशोक-चक्र—प्रथम श्रेणी' जैसे ही होते हैं।

यह पदक सवा इंच चौडी हरे रंग की रेशमी पट्टी के साथ, जिस पर तीन समान भागों में विभक्त करनेवाली दो खड़ी नारंगी रेखाए होती है, वाम वक्ष पर लगाया जाता है।

1965 में तथा 28 फरवरी, 1966 तक 'अशोक-चक्र—द्वितीय श्रेणी' से अलंकृत :

1. सूबेदार येफुले अंगामी
2. सूबेदार जेविसे मेमा
3. पैट्रिक एडवर्ड क्रिज्ल (मरणोत्तर)
4. जिया लाल गुप्त
5. तिलक राज खन्ना
6. परताप

अशोक-चक्र—तृतीय श्रेणी

यह पदक भी वीरतापूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया जाता है तथा उपर्युक्त दोनों चक्रों के समान ही होता है। अन्तर केवल इतना है कि यह कांसे का बना होता है।

यह पदक सवा इंच चौड़ी हरे रंग की रेशमी पट्टी के साथ, जिस पर चार समान भागों में विभक्त करनेवाली तीन बड़ी नारंगी रेखाएं होती हैं, वाम वक्ष पर लगाया जाता है।

1965 में तथा 28 फरवरी, 1966 तक 'अशोक-चक्र—तृतीय श्रेणी' से अलंकृत :

1 एब्ल सीमैन तेजा सिंह
2. हवलदार जी० अंगामी

3. लांस-हवलदार एस० एम० चिदम्बरम् (मरणोत्तर)
4 हवलदार देहयोग
5. एसिस्टेण्ट सब-इन्स्पेक्टर वी० अंगामी
6. सैपर ज्ञानचन्द (मरणोत्तर)
7. सूबेदार तगंशीवा मरवाती
8. सिपॉय हरबंस सिंह (मरणोत्तर)
9. अमृत लाल
10 नायक अत्र बहादुर राय
11. हीरा सिंह ठाकुर
12. जमादार किशनलाल (मरणोत्तर)
13. कैप्टन मोहिन्दर सिंह तनवर
14 सूबेदार शेर सिंह राम
15 हवलदार दामर बहादुर लिम्बू
16. खेम राज
17. गुलाम दीन
18 सैकण्ड-लेफ्टिनेण्ट जे० पी० जोशी
19. नायब सूबेदार लाहौरा सिंह (मरणोत्तर)
20 जयदेव शर्मा
21 चेतन राम
22. सार्जेण्ट प्रताप सिंह
23. लेफ्टिनेण्ट एस० वर्मा
24. फ्लाइट-सार्जेण्ट पल्लवरम्
25. फ्लाइट-सार्जेण्ट एल० राघवय्य

विशिष्ट सेवा-पदक

यह विशिष्ट सेवा पदक सेना के तीनों अंगों के कर्मचारियों को क्रमश. 'परम विशिष्ट', 'विशिष्ट' और 'उच्च' कोटि की विशेष सेवाओं के सम्मानार्थ प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों में प्रदान किया जाता है।

प्रथम श्रेणी का पदक सोने का, द्वितीय का स्टैण्डर्ड चांदी का तथा तृतीय का कांसे का बना होता है। ये तीनों पदक गोल होते हैं। इन सभी का व्यास 35 मिलीमीटर होता है। प्रत्येक पदक के मुख-भाग पर पांच किनारोंवाला तारा बना रहता है तथा पृष्ठ भाग पर अशोक-चक्र। इसका फीता सुनहरा होता है। इसके साथ-साथ प्रथम श्रेणी के पदक में गहरे नीले रंग की एक पट्टी होती है जो पदक के केन्द्र तक जाती है। द्वितीय श्रेणी के पदक में गहरे नीले रंग की दो पट्टियां होती हैं जो सुनहरे फीते को तीन समान भागों में बांटती हैं तथा तृतीय श्रेणी के पदक में तीन पट्टियां होती हैं जो फीते को चार समान भागों में बांटती है।

1965 में तथा 28 फरवरी, 1966 तक 'विशिष्ट सेवा-पदक' से अलंकृत :

प्रथम श्रेणी

1. मेजर-जनरल करतार नाथ दुबे
2. ब्रिगेडियर एस० एन० आटिया
3. ब्रिगेडियर सैयद बकर रज़ा
4. ब्रिगेडियर बद्रीनाथ उपाध्याय
5. ब्रिगेडियर एस० एस० एम० पहलजानी,
6. ब्रिगेडियर वी० के० घड़
7. लेफ्टिनेण्ट-जनरल मोती सागर
8. मेजर-जनरल अमरीक सिंह (महावीर-चक्र)
9. रिअर-एडमिरल बी० ए० सैम्सन
10. मेजर-जनरल आर० एन० बत्रा
11. रिअर-एडमिरल एस० एम० नन्दा
12 ब्रिगेडियर आई० जे० जेन्किन्स (महावीर-चक्र)
13. ब्रिगेडियर जोरा सिंह
14. ब्रिगेडियर ओ० एस० कलकट
15. एअर-कमोडोर के० एम० अग्रवाल
16. मेजर-जनरल जोगिन्दर सिंह
17. ग्रुप-कैप्टन जी० के० के० जॉन
18. ग्रुप-कैप्टन डब्लयू० वी० ए० लॉयट

द्वितीय श्रेणी

1. ब्रिगेडियर विक्रम प्रकाश वढेरा
2. ब्रिगेडियर टी० वी० जगन्नाथन्
3. ब्रिगेडियर कृष्ण चन्द सोनी
4. कर्नल सिडनी अलेक्जैण्डर पिण्टो
5. विंग-कमाण्डर हरदयाल सिंह ढिल्लों
6. स्क्वॉड्रन-लीडर करम सिंह
7. ब्रिगेडियर एस० एन० पंज
8. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल बी० वी० शिवाने
9. विंग-कमाण्डर के० दण्डपाणि
10. स्क्वॉड्रन-लीडर बी० पी० सिंह
11. स्क्वॉड्रन-लीडर लखमीर सिंह
12 कमोडोर जौर्ज डगलस (डीएफसी)
13. एअर-कमोडोर केकी नादिरशाह गोकल
14. एअर-कमोडोर विक्टर श्रीहरि
15. ग्रुप-कैप्टन बाल भगवान मराठे
16. ग्रुप-कैप्टन त्रिलोक नाथ घड़िओक (वीर-चक्र)
17. ग्रुप-कैप्टन सुरेन्द्र सिंह

18. ग्रुप-कैप्टन वी० बी० डेविड
19. लेफ्टिनेण्ट इन्द्रजीत शर्मा (भारतीय नौसेना)

तृतीय श्रेणी

1. कर्नल नरेश प्रसाद
2. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल दलजीत सिंह रन्धावा (महावीर-चक्र)
3. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल फतेसिंह पाण्डुरंगराव शिन्दे
4. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल जोरावर चन्द बख्शी (वीर-चक्र)
5. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल जे० पी० एम० स्मिथ
6. मेजर जगदीश नारायण
7. मेजर कृष्ण लाल दुबे
8. मेजर के० प्रभाकरन्
9. कैप्टन बृज मोहन दुग्गल
10. कैप्टन सुरेन्द्र कृष्ण खन्ना
11. सूबेदार नौरंग लाल
12. सूबेदार भीम् कामले
13. जमादार केशव राम
14. जमादार हरजीत सिंह
15. लेफ्टिनेण्ट-कर्नल त्रिलोचन सिंह
16. विंग-कमाण्डर खरवण्डा जयचन्द्र
17. मेजर मुनुस्वामि गोविन्द रेड्डि (मरणोत्तर)
18. मेजर कृष्ण नन्दलाल बख्शी
19. मेजर राम पाल सिंह
20. लेफ्टिनेण्ट-कमाण्डर रणजीत कुमार चौधरी
21. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट जगमोहन सिंह विर्क
22. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट तपीश्वर दत्त वशिष्ट
23. जमादार लछमन सिंह
24. एमडब्ल्यूओ हरभजन सिंह रतन
25. एमडब्ल्यूओ विन्फ्रेड सेम्युअल
26. डब्ल्यूओ कृष्ण विट्ठल राव (मरणोत्तर)
27. एअर-कमाण्डर पी० याज्ञिक
28. एअर-कमाण्डर जी० आशीर्वादम्
29. मेजर पी० एन० कक्कड़
30. मेजर एम० एस० ग्रेवाल
31. मेजर एस० सी० सरकार
32. स्क्वॉड्रन-लीडर आई० जी० कृष्ण
33. स्क्वॉड्रन-लीडर एन० एस० शास्त्री
34. स्क्वॉड्रन-लीडर डी० एन० शर्मा
35. स्क्वॉड्रन-लीडर एन० चित्तरंजन
36. स्क्वॉडन-लीडर टी० एन० वेंकटरामन

37. स्क्वॉड्रन-लीडर जे० एम० कौशल
38. स्क्वॉड्रन-लीडर जे० ए० आर० बलराज
39. स्क्वॉड्रन-लीडर इकबाल सिंह
40. लेफ्टिनेण्ट ए० आर० दबीर
41. लेफ्टिनेण्ट एन० वैद्यनाथन्
42. फ्लाइट-लेफ्टिनेण्ट के० वाई० सिंह
43. सार्जेण्ट ओ० पी० मिर्धा
44. नायब सूबेदार दान बहादुर थापा
45. एमडब्ल्यूओ जे० ए० जौर्ज (संगीतज्ञ)

इनके अतिरिक्त साहसपूर्ण कार्यों के लिए सेना-पदक, वायुसेना-पदक तथा नौसेना-पदक भी दिए जाते हैं।

जीवन-रक्षा-पदक

यह पदक डूबने, आग तथा खानो की दुर्घटनाओ से बचाने में सराहनीय कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है।

प्रथम श्रेणी : यह पदक ऐसी परिस्थितियों मे उत्कृष्ट साहस के लिए दिया जाता है जिनमें बचानेवाले के जीवन को बहुत सकट का भय हो।

द्वितीय श्रेणी : यह पदक ऐसी परिस्थितियों में साहस तथा तत्परता के लिए दिया जाता है जिनमें बचानेवाले का जीवन संकटग्रस्त हो जाए।

तृतीय श्रेणी : यह पदक ऐसी परिस्थितियो में साहस तथा तत्परता के लिए दिया जाता है जिनमें बचानेवाले के शरीर पर गम्भीर चोट आने की आशंका हो।

1 जनवरी, 1965 को जीवन-रक्षा-पदक से विभूषित

प्रथम श्रेणी

1. अम्बिका मिश्र

द्वितीय श्रेणी

1. बी० सीतारामय्य
2. रघुराज सिंह
3. बुध राम (मरणोत्तर)
4. वेद चन्द सिंगारे
5. एन० जौन
6. कोमि सिद्दय्य

तृतीय श्रेणी

1. नानुभाई लालुभाई पटेल
2. हरि पुरुषोत्तम कामत

3. जगन्नाथ गोविन्द आम्बेडकर
4. शंकर पुरुषोत्तम नवाथे
5. राज कर्ण सिंह
6. साधु राम
7. रतन सिंह
8. शेर सिंह
9. संगत सिंह
10. ज्ञान सिंह

विद्वानों को पुरस्कार

संस्कृत, फारसी तथा अरबी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानो को 1958 से प्रतिवर्ष सम्मान-पत्र तथा 1,500 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है।

1965 में इस पुरस्कार से विभूषित

संस्कृत

1. राधा गोविन्द बसक
2. सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव
3. मंगल देव शास्त्री
4. टी० ए० वेंकटेश्वर् दीक्षितार्

अरबी

1. मोहम्मद अब्दुल मुइद खा

अर्जुन-पुरस्कार

वर्ष के सर्वोत्तम खिलाडियो को 'अर्जुन-पुरस्कार' देने का निर्णय 1961 में किया गया। खेल-कूद की प्रतिष्ठा बढ़ानेवाले खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण योगदान के आधार पर यह सम्मान प्रदान किया जाता है।

1965 में इस पुरस्कार से विभूषित :

1. के० एल० पॉवेल (खेलकूद)
2. दिनेश खन्ना (बैडमिण्टन)
3. पी० एल० मांजरेकर (क्रिकेट)
4. अरुण लाल घोष (फुटबॉल)
5. ई० ब्रिट्टो (हॉकी)
6. बलबीर सिंह (भार उठाना)
7. ऊधम सिंह (हॉकी)

परिशिष्ट

संकटकाल (एमर्जेन्सी)

चीन-द्वारा आक्रमण

1962 में भारत-चीन-सीमा-प्रश्न ने एक गम्भीर मोड़ लिया। पिछले कई वर्षों में भारतीय क्षेत्र में, विशेषकर सीमा के मध्य तथा पश्चिमी भागों में, घुसपैठ की अपनी कार्रवाइयों के बाद चीनी सशस्त्र सेनाएं 8 सितम्बर को मान्य सीमा पार करके पूर्वी भाग के कामेङ्ग-सीमान्त डिवीजन के संदोङ्ग-क्षेत्र में बढ़ आईं।* उसके बाद 20 अक्तूबर, 1962 को चीन ने उ० पू० सीमान्त अभिकरण तथा लद्दाख-क्षेत्रों में अचानक, बिना किसी कारण के, बर्बरतापूर्ण आक्रमण कर दिया। यह घुसपैठ न रहकर एक पूरा आक्रमण था। इस प्रकार का आक्रमण काफी लम्बे समय के आयोजन के बाद ही किया जा सकता था।

चीनी सैनिक बहुत अधिक संख्या में थे तथा उनके पास गोला-बारूद भी बहुत अधिक था। आरम्भ में उन्होंने कुछ क्षेत्र पर अधिकार भी कर लिया। भारतीय सैनिकों को, अनेक चौकियों में बटे होने के कारण, इन बड़े और बार-बार किए गए आक्रमणों के कारण पीछे हटना पड़ा। परन्तु इस पर भी उन्होंने असाधारण साहस तथा शूरवीरता का परिचय दिया और चीनियों को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई। व्यक्तिगत साहस तथा शूरवीरता के अनेक कारनामे भारतीय सशस्त्र सेना की सर्वोच्च परम्परा के अनुरूप थे जिन्हें लम्बे समय तक स्मरण किया जाएगा।

24 अक्तूबर, 1962 को अर्थात् 20 अक्तूबर के आक्रमण के चार दिन बाद चीन-सरकार ने सुझाव रखा कि दोनों देश उसके द्वारा-पारिभाषित 'वास्तविक नियन्त्रण-रेखा' को मानना स्वीकार करें तथा अपने सैनिक उस रेखा से 20 किलोमीटर पीछे हटा लें और युद्ध बन्द करें। ये शर्तें आत्मसमर्पण की शर्तों के समान थीं जिन्हें भारत ने स्वीकार नहीं किया। इस पर चीन-सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी, दोनों, भागों में और आक्रमण किए तथा भारतीय क्षेत्र के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। 21 नवम्बर, 1962 को उन्होंने एकपक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा की जिसका उद्देश्य आक्रमण से प्राप्त किए गए क्षेत्रों को अपने अधिकार में बनाए रखना था। भारत ने युद्ध-विराम का उल्लंघन करने की कोई कार्रवाई नहीं की। चीनी सैनिक ऐसे अनेक क्षेत्रों से पीछे हट गए हैं जो उन्होंने अपने अधिकार में ले लिए थे तथा उन क्षेत्रों में भारतीय असैनिक प्रशासन लागू कर दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

पूरा युद्ध छिड़ जाने के तुरन्त पश्चात भारत-सरकार ने अकस्मात हुए आक्रमण का सामना करने के लिए मित्र-राष्ट्रों से सहायता का अनुरोध किया। उसके उत्तर में

***जनवरी 1962 से मार्च 1966 तक की भारत-चीन-सम्बन्ध-सम्बन्धी महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इस परिशिष्ट के अन्त में दिया गया है।**

अनेक देशों ने अस्त्र-शस्त्र आदि दिए। विशेषकर अमेरिका तथा ब्रिटेन ने भारतीय रक्षा-सेनाओ के लिए अस्त्र-शस्त्र तथा उपकरण तुरन्त भेजें। अमेरिका से प्रतिरक्षा-उपकरण तथा शास्त्रास्त्र प्राप्त करने के लिए 14 नवम्बर, 1962 को एक भारत-अमेरिका-पूरक करार पर हस्ताक्षर हुए। इसी उद्देश्य के लिए 27 नवम्बर को भारत तथा ब्रिटेन के बीच एक दीर्घकालीन करार पर हस्ताक्षर हुए। इनके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया, इटली कनाडा, न्यूज़ीलैण्ड, पश्चिम-जर्मनी, फ्रांस, यूगोस्लाविया, रोडेशिया तथा सोवियत रूस-जैसे देशो ने शस्त्रास्त्र, गोला-बारूद, विमान तथा उनके पुर्जे, ऊनी वस्त्र तथा कम्बल आदि दिए। ब्रिटेन, अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया की वायु-सेनाओ के साथ मिलकर पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रो में नवम्बर 1963 में एक संयुक्त प्रतिरक्षा-प्रशिक्षण-अभ्यास 'शिक्षा' का आयोजन हुआ।

63 देशों से सहानुभूति तथा समर्थन के सन्देश प्राप्त हुए। मलय में 'प्रजातन्त्र-रक्षा-कोष' की स्थापना की गई जिससे भारत को आक्रमण का सामना करने में सहायता दी जा सके। विदेशो में रहनेवाले भारतीय उद्भव के लोगो और विदेशो की अनेक संस्थाओ तथा व्यक्तियों ने सामान तथा सन्देश भेजकर भारत के प्रति अपने सद्भाव तथा सहयोग का विश्वास दिलाया।

कोलम्बो-सम्मेलन

दोनो देशो के बीच प्रत्यक्ष समझौतावार्ता आरम्भ कराने तथा सीमा-विवाद के शान्तिपूर्ण समाधान मे सहायता देने के लिए राष्ट्र-गुटो से अलग रहनेवाले बर्मा, कम्बोडिया, श्रीलंका, घाना, इण्डोनीशिया तथा संयुक्त अरब-गणराज्य (छः राष्ट्रो) की कोलम्बो में 10 दिसम्बर से 12 दिसम्बर, 1962 तक एक बैठक हुई जिसमें कुछ प्रस्ताव रखे गए। भारत-सरकार को कोलम्बो-सम्मेलन के इन छ: देशो में से तीन देशो—श्रीलका, घाना तथा सयुक्त अरब-गणराज्य—के प्रतिनिधियो ने उन सुझावो की व्याख्या तथा स्पस्टीकरण दिया। इन प्रस्तावों तथा स्पष्टीकरणो पर ससद् ने विचार किया जिसके बाद भारत-सरकार ने अपने सम्मान के अनुरूप शान्ति के हित में इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया।

दूसरी ओर, चीन-सरकार ने 'सिद्धान्त रूप में' स्वीकार करने की आड़ में कोलम्बो-सम्मेलन के प्रस्तावो के आधार तथा उनके ठोस उपबन्धो को ही अस्वीकार कर दिया। इन प्रस्तावो का खुला तथा जानबूझकर उल्लंघन करके चीन ने पश्चिमी क्षेत्र में सात असैनिक चौकिया स्थापित कर ली जिनमें से छः चौकिया लद्दाख के विसैन्यीकृत क्षेत्र में है और तथाकथित 'वास्तविक नियन्त्रण-रेखा' के साथ-साथ पत्थर गाड दिए।

1964 तथा 1965 की घटनाएं

भारत-सरकार ने 26 फरवरी, 1964 की अपनी टिप्पणी (नोट) में इस खुले तथा गम्भीर उल्लंघन का विरोध किया। समझौता करने की चेष्टा तथा गतिरोध को समाप्त करने की दृष्टि से अप्रैल 1964 में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में कहा कि हम कोलम्बो-प्रस्तावों पर अमल हुआ, ऐसा समझ सकते हैं यदि दोनो देश लद्दाख के 20 किलोमीटर के विसैन्यीकृत क्षेत्र मे कोई चौकी न रखने पर सहमत हो जाएं। यह प्रस्ताव अमुक अन्य पक्ष के सुझावों के, जिनमे ब्रिटेन के अर्ल रसेल तथा श्रीलंका की तत्कालीन

प्रधान मन्त्री श्रीमती भण्डारनायके का सुझाव भी सम्मिलित है, और मई 1964 में श्री नेहरू तथा बाद में जून में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री-द्वारा पुन. व्यक्त सुझाव के अनुरूप है। पीकिंग ने समझौते की हमारी इन चेष्टाओं का उत्तर नकारात्मक तथा धृष्टतापूर्ण ढंग से दिया। काहिरा में हुए राष्ट्र-गुटों से अलग रहनेवाले देशों के सम्मेलन के अवसर पर 8 अक्तूबर, 1964 को चीन- सरकार ने श्रीमती भण्डारनायके के सुझाव को अस्वीकार करते हुए एक सरकारी वक्तव्य जारी किया। इस प्रकार चीन ने सीमा-समस्या के सम्भावित शान्तिपूर्ण समाधान के मार्ग में बाधा डाली तथा वह भारतीय सीमा के पास अपनी सैनिक शक्ति बराबर बढ़ाता रहा।

संसार के जनमत की उपेक्षा करते हुए तथा परमाणु अस्त्रों के प्रसार के संकट को बढ़ाते हुए 16 अक्तूबर, 1964 को चीन ने अपना पहला परमाणु-विस्फोट पूरा किया। प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री ने इस परीक्षण को 'शान्ति तथा सुरक्षा पर आक्रमण' करार दिया।

1965 में चीन-सरकार ने भारत के प्रति अपनी सरगर्मी जोरशोर से जारी रखी। चीन ने सीमा पर तनाव की स्थिति बनाए रखी और कभी-कभी वह भयकर रूप से सक्रिय हो गया। उसने अपने प्रचार-साधनों मे भारत को धमकी तथा गाली देना जारी रखा और वह भारत की हसी उडाने का प्रयत्न करता रहा। स्वय अपने देश मे चीन ने भारत के विकास-कार्यों के प्रति शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रात्मक ढग मे विरोधपूर्ण रुख अपनाए रखा और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे वह गुटनिरपेक्षता तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की हमारी नीति की भरसक आलोचना करने में लगा रहा। अफ्रो-एशियाई देशो मे तथा विशेषकर अल्जीरिया-सम्मेलन के सम्बन्ध में चीन ने भारत को सभी प्रकार से बदनाम करने तथा उसको सभी देशो से अलग-थलग रखने का प्रयत्न किया।

सितम्बर 1965 में भारत-पाकिस्तान-सघर्ष के दिनो मे चीन-सरकार ने पाकिस्तान का पूरा-पूरा समर्थन किया और भारत के विरुद्ध दूसरा युद्ध-मोर्चा स्थापित करने की धमकी दी। इन धमकियो के साथ हमारी सीमा पर वह घुसपैठ और उत्तेजनात्मक सशस्त्र कार्रवाई करता रहा। उत्तर मे भारत की प्रतिक्रिया अत्यन्त सयमित तथा शिष्टतापूर्ण बनी रही। भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्धविराम हो जाने के बाद चीन पीछे हट गया और उसकी चुनौती समाप्त हो गई। किन्तु बाद को नवम्बर में उसने घुसपैठ फिर जारी की और दिसम्बर में सिक्किम के क्षेत्र मे फिर से उत्तेजनात्मक कार्रवाई की।

6 जनवरी, 1966 की अपनी एक टिप्पणी मे चीन-सरकार ने अपनी रक्षा के पक्ष में झूठे-सच्चे प्रमाण प्रस्तुत करने के साथ-साथ अपने कार्यों का औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया जिसमें उसने सीमा पर अपनी सैनिक घुसपैठ को वस्तुतः स्वीकार भी कर लिया। हमने 8 फरवरी के अपने उत्तर में यह बताया कि भारत कोलम्बो-प्रस्तावो को असन्दिग्ध रूप से मानता आया है और सीमा पर चीन की कार्रवाई अकारण ही थी तथा उसका यह कार्य एक खुला आक्रमण था। सरकार ने उत्तर-पूर्व-सीमान्त अभिकरण में 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र के प्रति चीन के झूठे दावे को भी अस्वीकार कर दिया। संसार में चीन ही एकमात्र ऐसा देश था जिसे ताशकन्द-समझौते से अप्रसन्नता हुई। इस प्रकार वर्ष-भर की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया कि चीन के लिए

भारत के साथ चल रहा विवाद केवल एक सीमान्त-सम्बन्धी प्रश्न ही नहीं है, बल्कि यह चीन की विदेश-नीति का एक अविभाज्य अंग तथा भारत पर सैनिक दबाव डालने का एक बहाना है।

फरवरी 1966 में समाप्त होनेवाले दो वर्षों में भारत तथा चीन की सरकारों के बीच हुए टिप्पणियों, स्मरण-पत्रों तथा पत्रों के आदान-प्रदान की प्रतियां श्वेतपत्रों (संख्या 10 से 12) के रूप में संसद् में प्रस्तुत की गई हैं।

पाकिस्तान-द्वारा आक्रमण

1965 में भारत-पाकिस्तान-सम्बन्ध की एक अत्यन्त दुखद परिणति देखने में आई। 10 जनवरी, 1966 की ताशकन्द-घोषणा ने दोनों देशों के बीच शान्तिपूर्ण पड़ोसी देशों-जैसे सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया।

मार्च-अप्रैल 1965† में दहाग्राम (भारत-स्थित 74 पाकिस्तानी बस्तियों में से सबसे बड़ी—जिनका 1958 के नेहरू-नून-करार के अधीन पाकिस्तान-स्थित 123 भारतीय बस्तियों के साथ आदान-प्रदान होना है) की सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बड़ी गोली-बारी हुई और अन्य उत्तेजनात्मक कार्रवाइयां की गईं। पश्चिम-बंगाल-सरकार ने निरोधात्मक उपाय किए। इसके बाद पश्चिम-बंगाल तथा पूर्व-पाकिस्तान के मुख्य सचिवों की परस्पर बैठक हुई और इस सम्बन्ध में उनके बीच एक करार हुआ।

कच्छ-सिन्ध-सीमा

फरवरी में तथा उसके बाद कच्छ में भारतीय सीमा के किए गए अनेक उल्लघनों के बाद पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में 1,300 गज (1,190 मीटर) अन्दर कजरकोट में मार्च 1965 में सीमा का गम्भीर अतिक्रमण किया और कच्छ के रन में गश्त लगाने के अपने अधिकार के सम्बन्ध में अप्रामाणिक तथा बढ़े-चढ़े झूठे दावे किए। 9 अप्रैल को पाकिस्तान ने सीमा-स्थित हमारी सरदार-चौकी पर योजनाबद्ध आक्रमण किया। उसके बाद कच्छ के रन में भारत-पाकिस्तान-सीमा के दक्षिण में अनेक आक्रमण हुए तथा कुछ चौकियों पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया जो स्वयं उसके ही शब्दों में उसके अधिकार में कभी नही थीं। पाकिस्तान के विदेश-मन्त्री ने 15 अप्रैल को यह स्वीकार किया कि 'यह झगड़ा एक ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में है जो 24वी समानान्तर रेखा के उत्तर मे स्थित है।' इस पर भी पड़ोसी देश के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने की अपनी उत्कट इच्छा के अनुरूप तथा ब्रिटिश प्रधान मन्त्री की मध्यस्थता के उत्तर में भारत ने 30 जून को पाकिस्तान के साथ एक करार किया जिसमें यह व्यवस्था रखी गई कि: (1) 1 जुलाई, 1965 से युद्धविराम स्थापित हो, (2) इस क्षेत्र की स्थिति 1 जनवरी, 1965 की स्थिति के अनुसार रहे तथा (3) सिन्ध-कच्छ-सीमा निश्चित करने के लिए सम्मत प्रक्रिया का सहारा लिया जाए। इस करार के अधीन एक न्यायाधिकरण स्थापित कर दिया गया है जिसके अध्यक्ष स्वीडन के न्यायाधीश श्री लैगरग्रेन है और सदस्य यूगोस्लाविया के डा० एलेस बेब्लर (भारत-द्वारा नामनिर्दिष्ट) तथा ईरान के श्री नसरुल्ला इन्तज़ाम

†भारत-पाकिस्तान-संघर्ष-सम्बन्धी महत्वपूर्ण घटनाएं इस परिशिष्ट के अन्त में दी गई हैं।

(पाकिस्तान-द्वारा-नामनिर्दिष्ट) है। न्यायाधिकरण के निर्णय अन्तिम तथा मान्य होंगे। इसकी पहली बैठक 15 फरवरी, 1966 को जेनेवा में हुई।

कश्मीर पर आक्रमण

कुछ ही दिन पश्चात् 5 अगस्त को पाकिस्तान ने भारत पर एक दूसरा आक्रमण किया--इस बार कश्मीर में। हजारो पाकिस्तानी सशस्त्र घुसपैठिए युद्धविराम-रेखा के पार तोड़फोड़ के कार्य करने तथा स्थानीय प्रशासन को पगु बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर में भेजे गए। जब जम्मू-कश्मीर में उनकी आशा के अनुरूप कोई आन्तरिक उपद्रव अथवा विद्रोह नहीं उठा तो पाकिस्तान ने छम्ब-क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पारकर खुला सैनिक आक्रमण कर दिया। भारत को अपनी रक्षा के लिए बाध्य होकर प्रतिरोधात्मक उपाय करने पडे। छम्ब-क्षेत्र में (जिससे होकर ही हमारी आवश्यक सामग्री तथा वस्तुए कश्मीर तथा लद्दाख ले जाई जाती हैं) अपनी सेनाओ पर पडनेवाले भार को दूर करने तथा पाकिस्तान की ओर से अन्य कोई आक्रमण फिर न होने देने के लिए भारतीय सेनाओ को सीमा पारकर पश्चिम-पाकिस्तान में घुसने के लिए बाध्य होना पडा।

शान्ति स्थापित करने के अपने प्रयास में सितम्बर के दूसरे सप्ताह में सयुक्त राष्ट्रसघ के महासचिव ने भारत तथा पाकिस्तान की यात्रा की। सुरक्षा-परिषद् ने 20 सितम्बर, 1965 को एक प्रस्ताव पास करके दोनो देशो से युद्धविराम करने का अनुरोध किया। इसके उत्तर में भारत ने तो तुरन्त सकारात्मक कार्रवाई की परन्तु पाकिस्तान का प्रत्युत्तर स्पष्ट नही था। अन्ततोगत्वा 23 सितम्बर को तडके 3.30 बजे युद्धविराम स्थापित हुआ। पाकिस्तान ने तो युद्धविराम स्थापित होने के बाद भी भारतीय क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयत्न किया किन्तु हमारी सेनाओ ने उसके प्रयत्नो को निष्फल कर दिया।

युद्धविराम के पूर्व 17 सितम्बर, 1965 को सोवियत रूस की मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष ने अपनी मध्यस्थता का निवेदन और दोनो देशो के बीच मित्रता स्थापित करने के उद्देश्य से ताशकन्द मे भारत के प्रधान मन्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति मे परस्पर बातचीत आरम्भ कराने का प्रस्ताव रखा। यह बातचीत 4 जनवरी, 1966 को आरम्भ हुई और 10 जनवरी, 1966 को एक घोषणा जारी की गई। ताशकन्द-घोषणा संक्षेप में इस प्रकार है :

भारत के प्रधान मन्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हैं कि :

(1) दोनो पक्ष सयुक्त राष्ट्रसघीय घोषणापत्र के अनुसार अच्छे पडोसी-जैसे सम्बन्ध स्थापित करने का भरसक प्रयत्न करेंगे और घोषणापत्र के अधीन अपने विवादो को शान्तिपूर्ण ढग से ही निबटाने तथा किसी भी रूप मे बल-प्रयोग न करने के अपने दायित्व की पुन. पुष्टि करते हैं,

(2) दोनो देशों के सभी सशस्त्र सैनिक अधिक-से-अधिक 25 फरवरी, 1966 तक 5 अगस्त, 1965 की पूर्व-स्थिति के अनुसार अपने-अपने स्थानो पर पीछे हट जाएगे और युद्धविराम-रेखा पर युद्धविराम-सम्बन्धी

शर्तों का पालन करेंगे, (3) भारत तथा पाकिस्तान के पारस्परिक सम्बन्ध एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त पर आधारित होंगे, (4) दोनों पक्ष एक-दूसरे के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रचार को प्रोत्साहन न देंगे, (5) दोनों देशों के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्य रूप से पुनः स्थापित कर दिए जाएगे और कूटनीतिक आदान-प्रदान-सम्बन्धी 1961 के वियना-अभिसमय का पालन किया जाएगा, (6) दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धों; सचार-साधनो तथा साथ-ही-साथ सास्कृतिक आदान-प्रदान की व्यवस्था पुन स्थापित करने के उपायो पर विचार किया जाएगा और वर्तमान करारो को कार्यान्वित किया जाएगा, (7) दोनो देश अपने-अपने अधिकारियो को युद्धबन्दियो की वापसी के सम्बन्ध मे निर्देश देगे, (8) दोनो पक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगे जिससे एक देश से दूसरे देश मे लोगो का जाना बन्द हो और सघर्ष के दिनो मे किसी भी पक्ष-द्वारा हथियाई गई सम्पत्ति तथा परिसम्पत्ति लौटाने के प्रश्न पर विचार किया जा सके और (9) दोनो देशो मे प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित मामलो पर उच्चतम तथा अन्य स्तरो पर बैठके होती रहेगी।

घोषणा मे इस बैठक का आयोजन करने मे मैत्रीपूर्ण तथा रचनात्मक रूप से योग देने के लिए सोवियत सघ के नेताओ के प्रति दोनो नेताओ की कृतज्ञता तथा आभार-प्रदर्शन प्रकट किया जाता है। घोषणा पर हस्ताक्षर करते समय सोवियत रूस की मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष को भी आमन्त्रित किया गया।

ताशकन्द-घोषणा से पूर्वी सीमा पर भी स्थिति मे सुधार हुआ जहा पाकिस्तान 1965 की पहली तिमाही से निरन्तर कुछ-न-कुछ गडबडी करता आ रहा था और सितम्बर मे युद्ध के दिनो मे उसकी सरगर्मी जोरो से जारी रही।

भारत तथा पाकिस्तान के स्थल-सेनाध्यक्षों ने 22 जनवरी, 1966 को सेनाओ की मुठभेड समाप्त करने, दोनो ओर की सेनाओ को आमने-सामने से हटाने तथा सीमा पर बनी तनाव की स्थिति को कम करने के सम्बन्ध मे एक करार पर हस्ताक्षर किए। 10 फरवरी को दोनो देशो के पूर्वी क्षेत्र के स्थल-सेनानायको ने इस क्षेत्र मे तनाव की स्थिति उत्पन्न न होने देने के उपाय करने के लिए सहमति प्रकट की।

1965 मे पूर्व-पाकिस्तान से कुल 1,41,501 शरणार्थी भारत आए।

रक्षा के उपाय

देश की सुरक्षा निरन्तर सकट मे पडे रहने के कारण सेना को सुदृढ करने और अस्त्र-शस्त्रो तथा उपकरणों की कमी को आन्तरिक उत्पादन बढाकर, इनका आयात करके तथा मित्र-देशो से विशेष सहायता प्राप्त करके पूरा करने के उपाय किए जाते रहे। पाकिस्तान के साथ सघर्ष छिड जाने पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा कुछ पश्चिमी देशो ने भारत तथा पाकिस्तान को भेजे जानेवाले अस्त्र-शस्त्रो तथा गोला-बारूद पर प्रतिबन्ध लगा दिए।

चीनी आक्रमण के बाद उपयुक्त संख्या में रंगरूट भर्ती करने के लिए भर्ती-संगठन का विस्तार किया गया। भारतीय सैनिक-अकादमी का भी विस्तार किया गया। संकटकालीन राजादेश (कमीशन) प्रदान किए गए तथा अधिकारियों की अपेक्षित संख्या पूरी करने के लिए अधिकारियों के विशेष सूची-वर्ग में वृद्धि की गई। संकटकाल की अवधि में स्थायी नियमित राजादेश स्थगित कर दिए गए। केवल उन स्थितियों में, जहां प्रत्याशी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-अकादमी-द्वारा चुने गए हो अथवा सैन्यशिक्षार्थी-कालेज (नौगाव) तथा राष्ट्रीय सैन्यशिक्षार्थी-दल से लिए गए हो, राजादेश स्थगित नही किए गए। सरकार ने सैनिक सेवा मे आने के इच्छुक असैनिक कर्मचारियो को भी रिआयते प्रदान की। उत्तरी सीमा-सम्बन्धी सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण-कार्यक्रम में संशोधन और सुधार किए गए। जून 1963 में शिलङ में एक अतिरिक्त वायु-सेना-कमान स्थापित की गई। नियन्त्रण को प्रभावशाली बनाने के लिए पूर्वी कमान को पूर्वी तथा मध्य कमानो में बांट दिया गया। 14 अगस्त, 1963 से राष्ट्रीय सैन्यशिक्षार्थी-दल का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया जिसके अधीन 1965 के अन्त तक सैन्यशिक्षार्थियों की संख्या वस्तुत 15,44,341 हो गई थी। पाकिस्तान के साथ हाल में छिडे संघर्ष के दिनो में लगभग 63,000 सैन्यशिक्षार्थियो को असैनिक प्रतिरक्षा-पदो पर नियुक्त किया गया। शस्त्रास्त्र तैयार करनेवाले कारखानों का उत्पादन भी काफी बढ गया है।

राष्ट्रीय रक्षा-परिषद्

प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में 6 नवम्बर, 1962 को राष्ट्रीय रक्षा-परिषद् की स्थापना की गई। परिषद् के कार्य इस प्रकार है—(1) स्थिति का अध्ययन करना तथा राष्ट्रीय रक्षा का प्रबन्ध करना और सरकार को रक्षा तथा अन्य सम्बन्धित मामलो मे परामर्श देना, (2) आक्रमणकारी से लड़ने की राष्ट्रीय इच्छा-शक्ति का निर्माण करना तथा उसका मार्गदर्शन करने में सहायता देना और (3) केन्द्रीय नागरिक-समिति को राष्ट्रीय रक्षा मे लोगो के अशदान के समुचित उपयोग के लिए आवश्यक उपाय सुझाना।

परिषद् ने एक सैनिक विषय-समिति की स्थापना की जिसके अध्यक्ष प्रतिरक्षा-मन्त्री है। एक अन्य समिति भी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष गृह-मन्त्री हैं। पहली समिति रक्षा-व्यवस्था पर ध्यान देती है तथा दूसरी समिति सामान्यत आक्रमणकारी के विरुद्ध राष्ट्रीय इच्छा-शक्ति के निर्माण मे सहायता देती है। अनेक राज्यो में भी रक्षा-परिषदें स्थापित की गई है।

वैधानिक तथा अन्य उपाय

चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए किए गए वैधानिक तथा अन्य उपाय नीचे दिए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार ने 25 अक्तूबर को 'विदेशी व्यक्ति (चीनी राष्ट्रिकों पर प्रतिबन्ध) आदेश 1962' जारी किया जिसमें यह व्यवस्था थी कि भारत में रहनेवाले चीनी राष्ट्रिक अपने शहर, कस्बे अथवा गांव को छोड़कर, जिसके वे निवासी है, कही नही जाएंगे और न ही विहित अधिकारियो से अनुमति लिए बिना अपने पंजीकृत पते से 24 घण्टे से अधिक अनुपस्थित रह सकेंगे।

संकटकाल की घोषणा

26 अक्तूबर, 1962 को राष्ट्रपति ने सकटकाल की घोषणा की तथा 'भारत-रक्षा-अध्यादेश' लागू किया जिसके द्वारा सरकार को इस स्थिति का सामना करने के लिए संकटकालीन अधिकार दिए गए। 'भारत-रक्षा (सशोधन) अध्यादेश' 3 नवम्बर को जारी किया गया जिसके द्वारा सरकार को सकटकाल के समय में ऐसे लोगो के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया जो राष्ट्रीय प्रयत्नो मे बाधा उपस्थित करते हों। बाद में दोनों अध्यादेशों के स्थान पर 'भारत-रक्षा-अधिनियम 1962' जारी किया गया। सरकार ने इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित नियम जारी किए हैं; (1) 'भारत-रक्षा-नियम 1962', (2) 'असैनिक प्रतिरक्षा-सेवा-नियम, 1962', (3) 'भारत-प्रतिरक्षा (अचल सम्पत्ति-अर्जन तथा अधिग्रहण) नियम 1962' तथा (4) 'भारत-रक्षा (राष्ट्रीय सेवा मे प्राविधिक कर्मचारियो की नियुक्ति) नियम 1963'।

सकटकाल के समय मे केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारो को उन मामलो के बारे में भी निदेश दे सकती है जो राज्य-सरकारो के क्षेत्राधिकार मे है। ससद् राज्यो के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित विषयो पर भी कानून बना सकती है। ससद् तथा राज्यीय विधानमण्डल ऐसे कानून बना सकते है जिनसे अनुच्छेद 19 के अधीन दिए गए मूल अधिकारो पर प्रतिबन्ध लगाए जा सकें। लेकिन ऐसा तब तक नही किया जाएगा जब तक सकटकाल का सामना करने के लिए यह अनिवार्य न समझा जाए। 'भारत-रक्षा-अधिनियम' के अधीन केन्द्रीय सरकार ऐसे नियम बना सकती है जो मूल अधिकारो मे हस्तक्षेप करते हो तथा कुछ विषय कानूनी न्यायालयो के क्षेत्राधिकार से बाहर भी किए जा सकते है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के विभाग तथा राज्य-सरकारे इस अधिनियम के अधीन नियम बना सकती है।

सिक्किम-सरकार ने भी 13 नवम्बर, 1962 को सकटकालीन स्थिति की घोषणा कर दी।

फरवरी 1966 मे केन्द्रीय गृह-मन्त्री ने कुछ राज्यो के मुख्य मन्त्रियो के साथ उन सामान्य उद्देश्यो के विषय पर विचार-विमर्श किया जिनके लिए 'भारतीय रक्षा-अधिनियम' का उपयोग किया जा सकता हो।

विदेशियों पर प्रतिबन्ध

'विदेशी व्यक्ति (प्रतिबन्धित क्षेत्र) आदेश' के द्वारा, जो 14 जनवरी, 1963 को लागू हुआ, असम और पश्चिम-बगाल, उत्तरप्रदेश, हिमाचलप्रदेश तथा पजाब के कुछ जिलो में विदेशियो के प्रवेश तथा रहने पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए है।

सरकार ने 30 अक्तूबर, 1962 को एक आदेश जारी किया (26 नवम्बर को इसके उपबन्धो को और कठोर बनाने के लिए इसमें सशोधन किया गया) जिसके द्वारा सकटकाल के समय मे किसी ऐसे व्यक्ति के, जो विदेशी है अथवा भारतीय उद्भव का नही है, इस अधिकार को कि वह संविधान के अनुच्छेद 21 तथा 22 के अधीन मिले अधिकार लागू करने के लिए न्यायालय में अपील कर सकता है, निलम्बित कर दिया गया। सरकार

ने 'विदेशी-व्यक्ति कानून (प्रयोग तथा संशोधन) अध्यादेश 1962' के अधीन ये अधिकार भी प्राप्त कर लिए हैं कि वह ऐसे विदेशियो को पकड़ सकेगी, रोक सकेगी, परिरुद्ध कर सकेगी तथा स्थानबद्ध कर सकेगी जो भारत के विरुद्ध लड़ाई कर रहे देश अथवा भारत पर आक्रमण करनेवाले देश को सहायता दे रहे हों। 'विदेशी व्यक्ति आदेश 1948' में सशोधन कर दिया गया है जिसके अनुसार निर्दिष्ट स्थानो के लिए अनुमतिपत्र प्राप्त विदेशी व्यक्तियो के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे उन स्थानो मे पहुचने तथा वहा से चल देने की यथावत् सूचना दे। 'भारतीय पारपत्र नियम 1950' मे भी सशोधन कर दिए गए है। चीनी उद्भव के सभी व्यक्तियो को, जिनमे वे लोग भी सम्मिलित हैं जो भारतीय नागरिक बन गए थे, विदेशी मानकर उनके साथ विदेशियो-जैसा व्यवहार किया जा रहा है। असम मे तथा पश्चिम-बगाल के पाच उत्तरी जिलो में रहनेवाले लगभग 2,000 चीनियो को नवम्बर 1962 के अन्त मे राजस्थान मे देवली नामक स्थान पर केन्द्रीय बन्दी-शिविर मे नजरबन्द कर दिया गया जिनमे से 1,654 चीनियो को बाद मे चीन वापस भेज दिया गया। देश के अन्य भागो मे रहनेवाले चीनियो पर भी प्रतिबन्ध लगा दिए गए।

रिजर्व बैंक ने 2 नवम्बर, 1962 को बैंक ऑफ चाइना का लाइसेंस रद्द कर दिया और इस बैंक की कलकत्ता तथा बम्बई-शाखाओ के व्यापार के परिसमापन की कार्रवाई की गई। जाच की कार्रवाई पूरी हो चुकी है तथा रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

पाकिस्तानी घुसपैठियो के मामलो को निबटाने के लिए 'विदेशी व्यक्ति (न्यायाधिकरण) आदेश 1964' के अधीन 1964 में असम मे चार विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किए गए। एक न्यायाधिकरण अप्रैल 1965 मे और स्थापित किया गया। 6 सितम्बर, 1965 को 'विदेशी व्यक्ति (पाकिस्तानी नागरिको पर प्रतिबन्ध) आदेश 1965' जारी किया गया। उसी दिन 'विदेशी व्यक्ति (बन्दीकरण) आदेश 1962' मे सशोधन किया गया जिससे वह पाकिस्तानी नागरिको पर भी लागू हो और तदनुसार विभिन्न राज्यों में 7,500 पाकिस्तानी व्यक्ति बन्दी बनाए गए। पाकिस्तान-सरकार के साथ हुए एक करार के अधीन तीन जत्थों में 3,800 पाकिस्तानी व्यक्ति परिवार-सहित पूर्व-पाकिस्तान को तथा 1,925 पाकिस्तानी व्यक्ति पश्चिम-पाकिस्तान को वापस भेजे गए।

आर्थिक उपाय

आर्थिक मोर्चों पर पहला काम यह था कि आर्थिक ढाचे के सामान्य रूप को बिगाड़े बिना प्रतिरक्षा के लिए शीघ्रता से साधन जुटाए जाए।

1962-63 में 3.76 अर्ब रुपये के प्रतिरक्षा-बजट में सकटकाल को ध्यान मे रखते हुए 95 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट जोड़ा गया। 1963-64 के सशोधित बजट में 8 अर्ब 8 करोड़ 18 लाख रुपये और 1964-65 तथा 1965-66 के बजटों मे क्रमश: लगभग 8 अर्ब 5 करोड़ 80 लाख रु० तथा 8 अर्ब 88 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। 1966-67 में व्यय प्रतिरक्षा-योजना में दिखाई गई 10 अर्ब रुपये की अधिकतम वार्षिक सीमा के अन्तर्गत ही रहेगा।

राष्ट्रीय रक्षा-कोष

राष्ट्रीय रक्षा-कोष 27 अक्तूबर, 1962 को स्थापित किया गया। इसकी व्यवस्था एक समिति कर रही है जिसके अध्यक्ष प्रधान मन्त्री हैं तथा कोषाध्यक्ष वित्त-मन्त्री। इस कोष में स्वैच्छिक अशदान के रूप में प्रतिरक्षा-सम्बन्धी तैयारियों के लिए नकदी तथा सोना आदि दिया जाता है। 31 मार्च, 1966 तक इस कोष के केन्द्रीय खाते में 76.78 करोड़ रुपये नकदी के रूप में तथा लगभग 24.66 लाख ग्राम सोना तथा सोने के जेवर और 15.62 लाख ग्राम चांदी प्राप्त हो चुकी थी।

स्वर्ण बन्धपत्र-योजना

विदेशी भुगतान की स्थिति को सुदृढ करने के उद्देश्य से सरकार ने देश में उपलब्ध सोना प्राप्त करने के लिए 12 नवम्बर, 1962 को 6½ प्रतिशत वार्षिक (छमाही के आधार पर देय) ब्याजवाले 15-वर्षीय स्वर्ण बन्धपत्र जारी किए। इसमें सोना, सोने के सिक्के तथा सोने के जेवर लिए गए जिनका मूल्य .995 की शुद्धता के प्रत्येक 10 ग्राम सोने के 53.58 रुपये के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुसार लगाया गया। ये बन्धपत्र सम्पदा तथा पूंजीगत लाभकरों से मुक्त हैं और ये 15 वर्ष बाद नकदी के रूप में वापस लौटाए जाएंगे। 8.62 करोड़ रु० के मूल्य का 16,088 किलोग्राम सोना इन बन्धपत्रों में लगाई गई राशि के रूप में प्राप्त हुआ। 1 मार्च, 1965 से दूसरे क्रम के 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याजवाले बन्ध-पत्र जारी किए गए जो मई, 1965 के अन्त तक बेचे गए। 3.29 करोड़ रु० के मूल्य का 6,146 किलोग्राम सोना इन बन्धपत्रों में लगाई गई राशि के रूप में प्राप्त हुआ। 1 अप्रैल, 1965 से पहले क्रम के बन्धपत्रों पर भी उनकी शेष अवधि के लिए अधिक ब्याज दिया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा-स्वर्ण-बन्धपत्र नामक नए बन्धपत्रों में लगाई जानेवाली राशि 27 अक्तूबर, 1965 से 31 मई, 1966 तक प्राप्त की गई। 31 मार्च, 1966 तक 11,861 किलोग्राम सोना प्राप्त हुआ। यह राशि लौटाई भी सोने में ही जाएगी।

10 नवम्बर, 1962 को रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वे सोने पर दी गई अग्रिम राशियां वापस ले लें, विशेष रूप से वे अग्रिम राशियां जो उत्पादक प्रयत्नों में न लगाई जा रही हों। 14 नवम्बर से सोने में वायदे के सौदे बन्द कर दिए गए जिससे देश में चोरी से लाया गया सोना बेचना असम्भव कर दिया गया। इससे अगले दिन सोने के अहस्तान्तरणीय प्रदाय-सौदों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। चांदी के वायदे के सौदों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

स्वर्ण-नियन्त्रण-योजना

'भारतीय रक्षा-नियम 1962' के अधीन 10 जनवरी, 1963 को एक योजना आरम्भ की गई जिससे सोने तथा सोने की वस्तुओं के लेन-देन पर नियन्त्रण रखा जा सके। सोने की मांग कम करने, उसका मूल्य घटाने तथा विदेशी मुद्रा बचाने के लिए भारत में चोरी से सोना लाया जाना रोकने के उद्देश्य से आरम्भ की गई

यह योजना देश के सामाजिक तथा आर्थिक इतिहास में एक नए मोड़ के समान है। 'स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम' सितम्बर 1965 में पास हो गया। स्वर्ण-योजना से प्रभावित स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिए एक विस्तृत योजना लागू की गई। इस उद्देश्य के लिए 9.82 करोड रु० की राशि को स्वीकृति दे दी गई है।

रक्षा-बन्धपत्र तथा पत्र

नवम्बर 1962 में सरकार ने (क) 10 नवम्बर, 1972 को चुकाए जानेवाले $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याजवाले राष्ट्रीय रक्षा-बन्धपत्र, 1972 (9 मई, 1963 तक बिक्री के लिए तथा जिनका ब्याज प्रति छमाही दिया जाएगा); (ख) 4 प्रतिशत ब्याजवाले राजकोष-बचतपत्रो के स्थान पर 10-वर्षीय $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याजवाले रक्षा-जमा-पत्र तथा (ग) 12-वर्षीय राष्ट्रीय योजना-बचतपत्रों के स्थान पर 75 प्रतिशत प्रीमियमवाले 12-वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा-पत्र जारी किए। विदेशो मे रहनेवाले भारतीयो तथा अन्य लोगो को भारत के रक्षार्थ पूजी लगाने के योग्य बनाने के लिए 20 दिसम्बर, 1962 को वाशिगटन-स्थित भारतीय दूतावास तथा लन्दन-स्थित भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय में 60 प्रतिशत प्रीमियमवाले 10-वर्षीय रक्षा-पत्र बिक्री के लिए रखे गए। बाद मे यही व्यवस्था हागकाग तथा कनाडा में भी कर दी गई। 1963 के अन्त से यह बिक्री बन्द कर दी गई। इन पत्रो से कुल 7.45 लाख रुपये प्राप्त हुए।

19 अक्तूबर, 1965 को 'तीन वर्षीय $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याजवाले राष्ट्रीय रक्षा-ऋण 1968' तथा 'सातवर्षीय $4\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याजवाले राष्ट्रीय रक्षा-ऋण 1972' नामक दो रक्षा-ऋणो की घोषणा की गई। इन ऋणो में लगाई जानेवाली राशिया नकदी में 27 अक्तूबर, 1965 से 31 मार्च, 1966 तक जमा होती रहीं जिनमें से पहले ऋण के लिए 10.43 करोड़ रु० तथा दूसरे ऋण के लिए 17.05 करोड रु० प्राप्त हुए।

विदेशी विनिमय के संसाधनो का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-विप्रेषण-योजना लागू की गई। यह योजना 26 अक्तूबर, 1965 को अथवा उसके बाद 31 मई, 1966 तक महाजनी के स्रोतों के माध्यम से प्राप्त परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशों से विप्रेषित राशियों पर लागू होती है। विप्रेषण करनेवाले व्यक्ति को एक बैंक-पत्र जारी किया जाता है जिसमें भारत को विप्रेषित कुल राशि के बराबर रुपये अंकित रहते हैं। 31 मार्च, 1966 तक 41 करोड़ रु० की कुल विप्रेषित राशियां प्राप्त हुईं।

प्रतिरक्षा तथा विकास

चीनी आक्रमण के बाद आनेवाले वर्षों में रक्षा-उपायों के लिए अधिक साधनों की आवश्यकता होने के कारण योजना-व्यय तथा योजना-सम्बन्धी प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया गया जिससे आरम्भ किए गए काम को शीघ्र पूरा करने तथा प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित कामों को

शीघ्र आरम्भ करने [का कार्य गतिपूर्वक हो सके । सितम्बर 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष से इसको और भी बल मिला । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिरक्षा-उपाय तथा विकास-कार्य मूलत: एक-दूसरे से सम्बद्ध है, राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने निर्णय किया कि आन्तरिक साधनो को प्रत्येक सम्भव ढंग से इतने बडे पैमाने पर तथा इस ढंग से काम में लाया जाए कि उससे प्रतिरक्षा तथा विकास के प्रयत्नो को अपने उपलब्ध भौतिक साधनो के अनुरूप पूर्ण रूप से पूरा किया जा सके । ये उद्देश्य पूरे करने के हमारे निश्चय को 1963-64 के बाद के बजटो में दिखाया गया है जिनमें ये साधन जुटाने के लिए बडे राष्ट्रीय प्रयत्नो की व्यवस्था की गई है ।

अनेक क्षेत्रो मे—विशेष रूप से उद्योग, खनिज, यातायात तथा बिजली के क्षेत्रों में—योजना की गतिविधियो को गति दी गई तथा उन्हें बढ़ाया गया । योजना को कार्यान्वित करने की क्षमता का भी काफी विस्तार करना पड़ा । तदनुसार इस स्थिति का सामना करने तथा आगे के लिए तैयार रहने के लिए अनेक उपाय किए गए । महत्वपूर्ण उपायो में निम्नलिखित मुख्य हैं :

इस्पात-उद्योग का उत्पादन बढ़ाया गया—विशेष रूप से इस्पात की उन किस्मो का जिनकी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यकता है । प्रतिरक्षा की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए मुख्य उत्पादको के कार्यक्रमो में संशोधन किया गया । इसी प्रकार मशीनी औजारों का उत्पादन भी बढ़ाया गया और इंजीनियरी तथा अन्य उद्योगो से उनकी क्षमता के अनुरूप पूरा काम लेने का यत्न किया गया । बड़े उद्योगो के लिए कच्चे माल तथा खनिज-आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए भी ठोस प्रयत्न किए गए ।

रेलों ने अपने कार्य में बहुत अधिक सुधार कर लिया है । कई मुख्य तथा अन्य सड़कों को सुधारा जा रहा है । सीमान्त क्षेत्रों की सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी सीमान्त की वर्तमान सड़कों का सुधार किया जा रहा है और नई सड़कें बनाई जा रही है जिससे इन क्षेत्रो में सुगमता से पहुंचा जा सके ।

बिजली-परियोजनाओ को, जहां सम्भव हो, समय से पूर्व पूरा किया जा रहा है तथा संकटकालीन आरक्षण के तौर पर विद्युत्-उत्पादन-संयन्त्रों के संग्रहण का निश्चय किया गया ।

कृषि को सफल बनाना राष्ट्रीय महत्व का हमारा सबसे बड़ा कार्य है । राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने राज्य-सरकारो को विकास की गति बढ़ाने तथा त्रुटिया दूर करने को कहा ।

ग्राम-स्वयंसेवक-दल

ग्राम-स्वयंसेवक-दल-योजना पूरे देश में जनवरी 1963 में आरम्भ की गई । इसके कार्यक्रम तीन हैं—उत्पादन, असैनिक प्रतिरक्षा तथा व्यापक रूप से शिक्षा का प्रसार ।

सहायता-कार्य

सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए अनेक सहायता-कार्यों की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय रक्षा-कोष से 5 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक राशि तथा प्रतिरक्षा-बजट से 1 करोड़ रुपये का वार्षिक अंशदान प्राप्त कर भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति तथा पुनर्वास के लिए एक विशेष सैनिक-कोष की स्थापना की गई है। असैनिक जीवन से सीधे फिर से बुलाकर संकटकालीन राजादेश-प्राप्त अधिकारियों के लिए सन्तोषजनक सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 1,000 रुपये के आन्तिक उपदान की घोषणा की गई है। किए गए अन्य उपायों में से हैं—संकटकालीन राजादेश-प्राप्त सेवारत जेसीओ और ओआर सैनिकों के लिए) उच्चतर निवृत्ति-वेतन-सम्बन्धी लाभ, अयोग्यता-सम्बन्धी निवृत्तिवेतन तथा निरन्तर उपस्थिति-भत्ता। प्रतिरक्षा-सेवा-अधिकारियों और 5 अगस्त, 1965 को अथवा उसके बाद पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष में मृत अथवा विकलांग हुए कर्मचारियों को मिल सकनेवाले विशेष परिवार-निवृत्तिवेतन-सम्बन्धी पुरस्कारों तथा अशक्यता-सम्बन्धी निवृत्तिवेतन में संशोधन करनेवाले आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। पुरस्कार तथा निवृत्ति-वेतन-सम्बन्धी यही व्यवस्था 1962 के चीनी आक्रमण तथा 1965 के कच्छ-सम्बन्धी सैनिक कार्रवाई से प्रभावित व्यक्तियों के लिए भी लागू थी। कुछ राज्य-सरकारों ने वर्तमान संकटकाल में संघर्ष में मारे गए सैनिकों के परिवारों को उदाहरणस्वरूप अनुदान दिए हैं।

प्राविधिक कर्मचारी तथा प्रशिक्षण

प्राविधिक कर्मचारियों—इंजीनियर, निरीक्षक कर्मचारी, विभिन्न प्रकार के शिल्पी, चिकित्सक तथा अन्य विशेषज्ञ—के लिए तीसरी योजना के लक्ष्यों में बढ़ी हुई मांग को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए गए और प्रतिरक्षा-सेवाओं तथा सामान्य आर्थिक विकास के लिए श्रमसाधनों का एक सम्मिलित कार्यक्रम बनाया गया। इस सम्बन्ध में जो उपाय किए जा रहे हैं, उनमें अल्पकालीन पाठ्य-क्रम आरम्भ करना, वर्तमान प्रशिक्षण-कार्यक्रमों को मिलाकर एक करना तथा प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार करना सम्मिलित है। कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए इंजीनियरी-कालेजों, बहुधन्धी-प्रशिक्षण-संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं से लाभ उठाया गया। उपलब्ध प्राविधिक कर्मचारियों को प्रतिरक्षा-प्रतिष्ठानों में काम पर लगाने के प्रयत्न किए गए। अकुशल मजदूरों की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय श्रमिक-दल-एकांश संगठित किए गए। 'भारत-रक्षा-अधिनियम' में प्राविधिक जनशक्ति का आवश्यकतानुसार उपयोग करने की व्यवस्था की गई है। इसमें राष्ट्रीय सेवा-न्यायाधिकरणों तथा प्राविधिक कर्मचारी (पुनर्नियुक्ति) न्यायाधिकरणों की स्थापना करने की भी व्यवस्था की गई है। पहले प्रकार के न्यायाधिकरण प्राविधिक कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने, नौकरी से निकाल दिए जाने तथा उन्हें काम पर लगाने से सम्बद्ध मामलों के बारे में विचार करते हैं और दूसरे प्रकार के न्यायाधिकरण राष्ट्रीय सेवा में लगे व्यक्तियों के नौकरी से मुक्त होने पर उनकी पुनर्नियुक्ति से सम्बन्धित मामलों पर विचार करते हैं।

वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्राविधिक शिक्षा-कार्यक्रमों की गति तेज कर दी गई है। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाओ को प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के काम में लाया गया। लोगो में मनोबल तथा एकता की भावना पैदा करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक गतिविधियों को भी नया रूप दिया गया।

संकटकालीन हानिभय-बीमा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधियों मे रुकावट न पड़े, सरकार ने व्यापार तथा उद्योग-क्षेत्रों के कर्मचारियो को आश्वासन दिया कि यदि उन्हें शत्रु के आक्रमण के कारण हानि उठानी पड़ी तो उसकी पूर्ति की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए संसद् ने दिसम्बर 1962 मे दो अधिनियम पास किए—एक 'सकटकालीन हानिभय (कारखाने) बीमा अधिनियम' और दूसरा 'सकटकालीन हानिभय (माल) बीमा अधिनियम'। सामान्य स्थिति मे उपलब्ध अन्य किसी प्रकार के बीमे को छोड़कर इन अधिनियमों मे माल (कुछ प्रकार की वस्तुओं को छोडकर), कारखानों तथा अन्तर्देशीय जहाजो के अनिवार्य बीमे की व्यवस्था है। इन अधिनियमो के अधीन बीमा-योजनाओ मे किसी भी जिले में 30,000 रुपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति, संयन्त्र, तेल-कम्पनियों की मशीनें तथा साज-सामान, चाय की फसलों, बिक्री-योग्य माल आदि के बीमे की व्यवस्था है। इन अधिनियमों के अधीन सरकारी माल को अनिवार्य बीमे से छूट दी गई है।

1964 में इन योजनाओ के अधीन कोई प्रीमियम नही लिया गया। 1 जनवरी, 1964 को अथवा उसके बाद बीमाकृत माल अथवा कारखानो के लिए प्रति 100 रुपये के बीमा-मूल्य पर माल तथा कारखानों के लिए क्रमश. 6 पैसे तथा 10 पैसे की दरों से प्रीमियम (अधिक-से-अधिक 25 रुपये तक) लेना निर्धारित किया गया। 1 सितम्बर, 1965 में ये दरें बढाकर क्रमश. 10 पैसे तथा 15 पैसे कर दी गई।

औद्योगिक सन्धि-प्रस्ताव

3 नवम्बर, 1962 को मालिको तथा मजदूरों के सगठनो की एक सयुक्त बैठक में एक औद्योगिक सन्धि-प्रस्ताव स्वीकार किया गया। सतत प्रयत्नो तथा औद्योगिक शान्ति के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने का संकल्प किया गया जिससे माल के उत्पादन तथा उपलब्धि मे कोई बाधा तथा शिथिलता न आए और मालिक-मजदूर अपने पर स्वेच्छा से नियन्त्रण रखे तथा देश की रक्षा के हित में अधिक-से-अधिक त्याग करने की भावना का आदर करे। यह निश्चय किया गया कि झगड़े आपस में बातचीत-द्वारा अथवा स्वैच्छिक पचाट-द्वारा निबटाए जाएं। अन्य उपायों मे मूल्य स्थिर रखना, बचत मे वृद्धि करना तथा राष्ट्रीय रक्षा-कोष में स्वेच्छा से अंशदान देना सम्मिलित है।

औद्योगिक सन्धि-प्रस्ताव के फलस्वरूप अब बहुत कम मानव-दिनो की हानि होती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब मजदूरों ने अपनी छुट्टी के दिन अतिरिक्त समय में काम किया परन्तु अतिरिक्त वेतन नही लिया। मजदूरों ने राष्ट्रीय रक्षा-कोष में भी दिल खोलकर अंशदान दिया।

लोगों का योगदान

औद्योगिक श्रमिकों की यह प्रशंसनीय प्रतिक्रिया इस आक्रमण का विरोध करने के भारत के लोगों के सामान्य संकल्प के अनुरूप थी। भारत के सभी राजनीतिक दलों तथा सभी लोगों ने अपनी संकुचित मान्यताओं को त्याग दिया; उन्होंने अपने पारस्परिक राजनीतिक, प्रादेशिक तथा अन्य मतभेद दबा दिए और वे विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए एक होकर खड़े हो गए। सामान्य पुरुषों तथा स्त्रियों और धनी लोगों ने प्रशंसनीय सहायता की। आक्रमण ने हममें इतनी अधिक राष्ट्रीय एकता ला दी कि राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिकता-सम्बन्धी समिति ने बहुत सन्तोष के साथ कहा : "चीनी आक्रमण ने यह प्रमाणित कर दिया कि हम एक हैं। आइए, हम प्रयास करे कि हम एक राष्ट्र बने रहे और समुदायों तथा जातियों के अप्रचलित दावों को भूल जाए। इसी भावना तथा निश्चय के कारण समिति ने अपना विचार-विमर्श स्थगित कर दिया है।" देश के सभी भागों में लोगों के निश्चय को रचनात्मक प्रयत्नो का रूप देने के लिए नागरिक-समितिया बनाई गई। मोर्चों पर जवानों को प्रोत्साहन देने तथा उनके परिवारों को सहायता देने के लिए अनेक स्वैच्छिक समितियो का सगठन किया गया। अनेक औद्योगिक तथा व्यापारिक सस्थाओं ने उत्पादन बढ़ाने तथा मूल्य स्थिर रखने का संकल्प किया।

सकटकालीन आवश्यकताओ के अनुरूप सरकार के अनेक सूचना-एकाशों ने अपने कार्यक्रमो को नया रूप दिया जिससे वे अधिकृत जानकारी जुटा सकें, चीनी प्रचार तथा अफवाहो का निराकरण कर सके, लोगो का मनोबल बनाए रखें और राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता तथा देशभक्ति को बढ़ावा दें। चीनी आक्रमण का सामना करने के लिए सरकार-द्वारा किए गए उपायो का भारतीय पत्र-पत्रिकाओं ने हृदय से समर्थन किया तथा भारत-पाक-सघर्ष के दिनों में राष्ट्रीय हित का पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए सयम से काम लिया। 'भारतीय रक्षा-नियम' के अधीन मुख्य पत्र-सलाहकार को प्रतिरक्षा-सम्बन्धी सामग्री की उपलब्धि से सम्बन्धित समाचारों के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार देने का आदेश 11 दिसम्बर, 1965 को जारी किया गया।

सरकार ने विशेष प्रतिरक्षा-उपाय भी किए, विशेषकर सीमान्त राज्यों तथा क्षेत्रों में। एक असैनिक प्रतिरक्षा-सलाहकार समिति नियुक्त की जा चुकी है। 5 दिसम्बर, 1965 तक देश में लगभग 3 72 लाख होमगार्ड बनाए गए जिन्होंने पाकिस्तान के साथ छिड़े संघर्ष के दिनों में महत्वपूर्ण स्थानों पर पहरा देने का काम किया। इन्होंने पाकिस्तानी छतरीधारियों तथा घुसपैठियों की धर-पकड़ के काम में भी पुलिस की सहायता की। सीमा की सुरक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सीमा-सुरक्षा-दल-महानिदेशालय स्थापित किया जा चुका है।

'व्यक्तिगत चोटें (संकटकालीन उपबन्ध) अधिनियम, 1962' पास किया गया जिसके अधीन संकटकाल की अवधि में कुछ प्रकार की व्यक्तिगत चोटों के सिलसिले में सहायता दिए जाने की व्यवस्था है।

भारत-चीन-सम्बन्धों की महत्वपूर्ण घटनाएं

(जनवरी 1962 से मार्च 1966 तक)

(सविस्तर दैनन्दिनी के लिए 'भारत 1965' देखिए)

1962

जनवरी

8 चीन ने पाकिस्तान के अधिकारवाले कश्मीर के **गिलगित-क्षेत्र** के लगभग 4 हज़ार वर्गमील-क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया।

फरवरी

22 भारत-सरकार ने चीन-सरकार के पास लद्दाख मे घुसकर गश्त लगाने के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा।

अप्रैल

15 भारत ने लद्दाख में **सुमदो** से 6 मील पश्चिम में सैनिक चौकी स्थापित करने के विरुद्ध चीन-सरकार को विरोधपत्र भेजा।

18 भारत ने पूर्वी भाग में **रोइ-ग्राम** मे चीनी घुसपैठ के विरुद्ध विरोध-पत्र भेजा।

30 चीन ने घोषणा की कि उसके सैनिक **कराकोरम-दर्रे से कोंडका-दर्रे** तक गश्त लगाएंगे। उसने भारत से यह भी कहा कि वह वहां से अपनी दो चौकियां (जो पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में हैं) हटा ले नहीं तो चीन समूचे सीमान्त पर गश्त लगाना आरम्भ कर देगा।

मई

14 भारत ने चीन को लद्दाख के **चिपचैप-क्षेत्र** मे चीनी सैनिको की गश्त के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा और यह सुझाव फिर से रखा कि दोनों पक्ष पश्चिमी भाग मे अपनी सेनाए पीछे हटा लें। भारत ने इस बात का भी संकेत दिया कि शान्ति के हित में वह चीनी असैनिक यातायात के लिए **अक्साइ-चीन-सड़क** का प्रयोग करने की अनुमति दे देगा।

21 भारत ने **स्पंग्गुर** के निकट नई चीनी चौकियां स्थापित करने के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा।

जून

2 1954 का भारत-चीन-करार, जिसका चीन ने प्रत्येक रूप से उल्लंघन किया, समाप्त हो गया।

जुलाई

14 भारत के विरोध पर **गलवान-घाटी** में भारतीय चौकी को घेरे में लेनेवाले चीनी सैनिकों के पीछे हटाए जाने की घोषणा की गई।

अगस्त

14 लोकसभा ने सरकार की चीन-सम्बन्धी नीति का अनुमोदन किया।

सितम्बर

8 चीन ने पूर्वी भाग मे भारतीय क्षेत्र मे घुसपैठ की।

13 **मैकमहोन-रेखा** के दक्षिण मे चीनी सैनिकों की उपस्थिति की पुष्टि कर दी गई।

अक्तूबर

12 उ० पू० सीमान्त अभिकरण-मोर्चे पर भारी लड़ाई की सूचना मिली।

20 चीन ने उ० पू० सीमान्त अभिकरण तथा लद्दाख में बड़ा आक्रमण आरम्भ कर दिया।

24 चीन-सरकार ने प्रस्ताव रखा कि दोनो देश 'वास्तविक नियन्त्रण-रेखा' (चीन की परिभाषा के अनुसार) से 20 किलोमीटर पीछे हट जाए।

25 उ० पू० सीमान्त अभिकरण मे **तावाङ** पर चीनियो का अधिकार हो गया।

26 राष्ट्रपति ने देश म सकटकाल की घोषणा की।

— 'भारत-रक्षा-अध्यादेश' जारी किया गया।

31 'भारत-रक्षा-अध्यादेश' के सभी उपबन्ध लागू हुए।

— राष्ट्रपति-द्वारा 'विदेशी व्यक्ति कानून (प्रयोग तथा सशोधन) अध्यादेश 1962' जारी किया गया।

नवम्बर

5 लद्दाख मे **दौलतबेग-ओल्दी** की चौकी चीन के अधिकार मे चली गई।

6 राष्ट्रीय रक्षा-परिषद् की स्थापना की गई।

19 उ० पू० सीमान्त अभिकरण में 'वालोङ के अतिरिक्त **सेला-रिज** के चीनी अधिकार में जाने की घोषणा की गई।'

21 प्रधान मन्त्री ने लोकसभा को बताया कि 8 सितम्बर, 1962 से पहले की स्थिति पुन स्थापित होने पर ही चीन के साथ बातचीत आरम्भ की जा सकेगी।

— चीन ने घोषणा की कि उसकी सेनाए समूची भारत-चीन-सीमा पर मध्य रात्रि से युद्धविराम कर देगी।

दिसम्बर

2 भारत के साम्यवादी दल ने चीन पर आरोप लगाया कि उसने भारत पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया है।

8 प्रधान मन्त्री ने राज्यसभा को बताया कि चीन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सेनाएं पूर्वी भाग में जलविभाजक से पीछे हटा लेगा लेकिन वह ढोला तथा लौङजू की असैनिक चौकियां बनाए रखना चाहता है ।

9 चीन ने बम्बई तथा कलकत्ता में अपने वाणिज्यिक कार्यालय बन्द करने का निर्णय किया ।

10 कोलम्बो में भारत-चीन-विवाद पर विचार करने के लिए राष्ट्र-गुटों से अलग रहनेवाले 6 देशों का सम्मेलन आरम्भ हुआ ।

16 उ० पू० सीमान्त अभिकरण के प्रशासन-कर्मचारियो का पहला दल बोमदि-ला वापस पहुंचा ।

21 प्रधान मन्त्री ने बताया कि रूस को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि भारत अमेरिका तथा ब्रिटेन से सैनिक तथा अन्य सहायता प्राप्त करे ।

1963

जनवरी

3 एक अग्रिम भारतीय असैनिक दल जंग पहुंचा ।

10 श्रीलका की प्रधान मन्त्री कोलम्बो-प्रस्तावो की व्याख्या करने के लिए नई दिल्ली पहुंची ।

13 चीन के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-मन्त्रालय ने घोषणा की कि चीनी सैनिक 14 तथा 15 जनवरी को 'समूची भारत-चीन-सीमा पर' पूर्वी भाग में '7 नवम्बर, 1959 की वास्तविक नियन्त्रण-रेखा' से उत्तर की ओर पीछे हट जाएंगे तथा पश्चिमी भाग में '7 नवम्बर, 1959 की वास्तविक नियन्त्रण-रेखा' से 20 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे ।

14 कोलम्बो-प्रस्तावों के सिद्धान्त भारत-द्वारा स्वीकार कर लिए गए ।

21 श्रीलंका, संयुक्त अरब-गणराज्य तथा घाना-द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण-सहित कोलम्बो-प्रस्ताव संसद् में रखे गए ।

23 प्रधान मन्त्री ने लोकसभा मे घोषणा की कि चीन ने कोलम्बो-प्रस्ताव तथा उनके स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से स्वीकार नही किए हैं ।

— साम्यवादियों को छोड़कर सभी विरोधी दलो ने लोकसभा में कोलम्बो-प्रस्ताव अस्वीकार करने को कहा ।

25 लोकसभा ने कोलम्बो-प्रस्तावो के बारे में सरकार की नीति का अनुमोदन किया ।

28 सिक्किम ने तिब्बत के साथ सीमा बन्द कर दी ।

30 संयुक्त राज्य-अमेरिका तथा राष्ट्रमण्डल का सम्मिलित वायुसेना-मण्डल नई दिल्ली पहुंचा ।

फरवरी

18 प्रतिरक्षा-उत्पादन-कार्यक्रम का पुनर्गठन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय मन्त्रिमण्डलीय समिति स्थापित की गई ।

मार्च

2 पीकिंग में चीन-पाकिस्तान-करार पर हस्ताक्षर किए गए।
— भारत ने चीन-पाकिस्तान-करार के विरुद्ध चीन को विरोधपत्र भेजा।
— चीन ने भारत को सूचित किया कि समूची भारत-चीन-सीमा पर उसके एकपक्षीय रूप से पीछे हटने का काम पूरा हो गया है।
14 चीनी उप-प्रधान मन्त्री श्री चेन यी ने कहा कि कोलम्बो-प्रस्तावों में विरोधमूलक तथा तर्कहीन बातें हैं।

अप्रैल

22 प्रधान मन्त्री ने कहा कि यदि आक्रमण हुआ तो भारत सिक्किम तथा भुटान की रक्षा करेगा।

मई

2 प्रधान मन्त्री ने चीनी प्रधान मन्त्री को बताया कि जब तक चीन पूर्ण रूप से कोलम्बो-प्रस्तावो को स्वीकार नहीं करता, तब तक चीन से बातचीत आरम्भ नही की जा सकती।

जून

15 प्रधान मन्त्री ने कहा कि चीन-द्वारा स्थापित की गई 26 असैनिक चौकियों में से 6 चौकियां चीन-द्वारा अधिकृत भारतीय प्रदेश में हैं।
17 भारत ने चीन को लद्दाख में दौलतबेग-ओल्दी के पास चौकी बनाने के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा।

जुलाई

26 भारत ने कोलम्बो-राष्ट्रो को भारतीय सीमा पर चीनी सैनिकों के जमाव की सूचना दी।

सितम्बर

2 प्रतिरक्षा-मन्त्री ने उत्तर-पूर्व-सीमान्त अभिकरण-सम्बन्धी पराजय-जाच-प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष संसद् के दोनों सदनों में प्रस्तुत कर दिए।

अक्तूबर

9 कोलम्बो-राष्ट्रों का एक और सम्मेलन बुलाने के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री को घाना के राष्ट्रपति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।
13 भारत ने चीन के प्रधान मन्त्री के दिल्ली आने के प्रस्ताव को 'प्रचारवाद' बताते हुए अस्वीकार कर दिया।
14 संयुक्त अरब-गणराज्य के राष्ट्रपति तथा श्रीलंका की प्रधान मन्त्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोलम्बो-राष्ट्रों को भारत-चीन-सीमा-विवाद को हल करने के प्रयत्न जारी रखने चाहिए।

दिसम्बर

10 सरकार ने यह बताया कि चीन ने लद्दाख के 14,500 वर्गमील-क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है किन्तु उत्तर-पूर्व-सीमान्त अभिकरण का कोई भाग चीन के नियन्त्रण में नहीं है ।

1964

फरवरी

3 सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि भारत ने ऐसा आश्वासन कभी नहीं दिया कि भारत अपनी सेनाएं मैकमहोन-रेखा तक नहीं ले जाएगा ।

26 भारत ने चीन को लद्दाख में उसके द्वारा बताई जानेवाली 'वास्तविक नियन्त्रण-रेखा' पर पत्थर लगाने के विरुद्ध एक विरोधपत्र भेजा ।

अप्रैल

25 सरकार ने भारत में दलाई लामा की गतिविधियों के बारे में चीनी विरोध-पत्र अस्वीकार कर दिया ।

मई

17 प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने अपने इस प्रस्ताव को फिर दुहराया कि यदि चीन लद्दाख के विसैन्यीकृत क्षेत्र में चौकियां न रखने पर सहमत हो जाए तो उसके साथ बातचीत आरम्भ की जा सकती है ।

जून

1 प्रतिरक्षा-मन्त्री ने लोकसभा में भारत की पंचवर्षीय प्रतिरक्षा-योजना के विवरण प्रस्तुत किए ।

अगस्त

7 भूटान के कार्यवाहक प्रधान मन्त्री ने बताया कि भूटान की उत्तरी सीमा के पार चीन बड़े ज़ोर-शोर से सड़कें बना रहा है ।

19 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री ने कहा कि सरकार न्यायोचित तथा सम्मानपूर्ण समझौते के लिए ही चीन के साथ बातचीत करने को तैयार है ।

सितम्बर

5 27 अगस्त को सिक्किम में चीनियों की घुसपैठ के विरुद्ध सरकार ने कड़ा विरोधपत्र भेजा ।

30 जर्मनी (लोकतन्त्रात्मक) गणराज्य के नेता हर वाल्टर उल्ब्राइट ने भारत के साथ सीमा-विवाद की समस्या उत्पन्न करने के लिए चीनी नेताओं की भर्त्सना की ।

अक्तूबर

7 चीन-सरकार को भेजी गई दो टिप्पणियों में भारत ने चीन से कोलम्बो-प्रस्ताव स्वीकार करने की मांग की ।

दिसम्बर

30 चीनी प्रधान मन्त्री ने भारत की इस मांग को युक्तिहीन बताया कि समझौता-वार्ता आरम्भ होने से पहले चीन अपनी सात असैनिक चौकियों को खाली कर दे ।

1965

जनवरी

21 सरकार ने चीन पर सिक्किम के विरुद्ध आक्रामक उद्देश्यों का आरोप लगाया ।

मार्च

26 सरकारी सूत्रों ने चीन तथा पाकिस्तान के बीच हुए सीमा-करार को 'एशिया के इतिहास में एक अत्यन्त अवसरवादी कार्य' तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में अवैध बताया ।

— श्रीलंका के नए प्रधान मन्त्री श्री सेनानायके ने भारत-चीन-विवाद में भारत के पक्ष का समर्थन किया ।

मई

5 चीन ने पाकिस्तानी आक्रमण का समर्थन तथा 'कच्छ के रन में सशस्त्र मुठभेड़ आरम्भ करने' के लिए भारत पर दोषारोपण किया ।

6 भारत-पाकिस्तान-सीमा-संघर्ष के अवसर पर चीन के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को सोवियत रूस ने भारत के विरुद्ध 'सिद्धान्तहीन' साठगांठ बताई ।

15 वामपक्षी साम्यवादी नेता श्री ई० एम० एस० नम्बूद्रिपाद ने परमाणविक परीक्षण के लिए चीन की निन्दा की ।

जून

17 चीन ने भारत के विरुद्ध अपना प्रचार-अभियान ज़ोरों से जारी रखा जिससे 29 जून को अलजीयर्स में होनेवाले दूसरे अफ्रो-एशियाई सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों को गुमराह किया जा सके ।

सितम्बर

7 चीन ने भारत पर 'पाकिस्तान पर अकस्मात सशस्त्र आक्रमण' करने का आरोप लगाया ।

16 चीन ने भारत को 'चीन-सिक्किम-सीमा पर ही अथवा सीमा के चीनी प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए स्थापित अपने सभी सैनिक केन्द्रों को वर्तमान टिप्पणी मिलने के 3 दिन के अन्दर-ही-अन्दर तोड़-डालने' तथा

'पकड़े गए सीमावर्ती चीनी लोगों तथा पशुओं की वापसी' के लिए चुनौती दी ।

17 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री ने सिक्किम-सीमा-स्थित अड्डों आदि के संयुक्त निरीक्षण का निवेद रखा तथा कहा कि आक्रमण होने पर भारत पूरी दृढ़ता के साथ सामना करेगा ।

18 चीन ने अपनी सेना पूर्व में सिक्किम-सीमा तथा पश्चिम में लद्दाख के दमचौक-क्षेत्र के निकट पहुंचाई ।

19 चीन ने अफ्रो-एशियाई एकता-संगठन के स्थायी सचिवालय-द्वारा भारत तथा पाकिस्तान से युद्धविराम करने का अनुरोध किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया ।

— चीन ने अपनी चुनौती की अवधि 3 दिन और बढ़ा दी ।

— चीनी सैनिकों ने लद्दाख में त्सासकुर की भारतीय चौकी के निकट गश्त लगानेवाले भारतीय दल के 3 असैनिक कर्मचारियों को उठा ले जाकर मार डाला ।

20 प्रधान मन्त्री ने चीन को भारत पर आक्रमण करने से रोकने में अपना प्रभाव डालने के लिए कोलम्बो-राष्ट्रों को पत्र लिखे ।

21 चीनी दूतावास को भेजे गए विरोधपत्र में भारत ने चीनी घुसपैठ की ओर संकेत किया—सिक्किम में 2 चौकियो पर अधिकार किया जाना और लद्दाख तथा बाड़ाहोती में तीन बार घुसपैठ ।

— चीन ने भारत-चीन-सीमा पर सभी घुसपैठों तथा उत्तेजनात्मक कार्यों को तुरन्त बन्द करने की नई चेतावनी दी ।

23 चीन ने उठाकर ले जाए गए कर्मचारियों तथा पशुओं की वापसी की माग करते हुए भारत को एक अन्य चेतावनी दी ।

— चीन ने दावा किया कि चीन की चुनौती के उत्तर में भारतीय सैनिक तिब्बती क्षेत्र से पीछे हट चुके है ।

24 चीन ने यह माग रखी कि 'भारत अपने सैनिकों-द्वारा उठाकर ले आए गए चीनी सीमा-वासियों तथा पशुओं को लौटाने का दायित्व ग्रहण करे और घुसपैठ तथा उत्तेजनात्मक कार्य बन्द करे ।'

25 समाचारों के अनुसार सिक्किम-सीमा के सभी क्षेत्रों से चीनी पीछे हट गए ।

27 भारत ने सिक्किम-सीमा पार करने तथा 3 भारतीय सैनिको को उठा कर ले जाने के विरोध में चीन को विरोधपत्र भेजा ।

नवम्बर

8 भारत ने चीन से सिक्किम के क्षेत्र से उठा कर ले जाए गए तीन भारतीय सैनिक वापस करने का अनुरोध किया ।

13 चीनी सैनिकों की एक कम्पनी सिक्किम-तिब्बत-सीमा पर दोङचुइ-ला में घुस आई ।

14 सिक्किम में **डोङचुइ-ला-क्षेत्र** पर पहरा देनेवाले भारतीय सैनिकों के साथ 12 घण्टे तक गोलीबारी जारी रहने के बाद चीनी सैनिक सीमा से चीनी प्रदेश की ओर पीछे हटे।

15 सरकारी सूत्रों के अनुसार चीन ने लद्दाख के 20 किलोमीटर के विसैन्यीकृत क्षेत्र में वस्तुतः सैनिक फिर तैनात कर दिए।

23 भारत ने उत्तर-सिक्किम तथा **दौलतबेग-ओल्दी-क्षेत्र** में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के विरुद्ध चीन को विरोधपत्र भेजा।

27 भारत ने चीन पर 24 नवम्बर को **बोम-ला** के दक्षिण में असम-राइफल्स के 3 सैनिकों की हत्या करने के 'निर्मम तथा अमानवीय अपराध' का आरोप लगाया।

दिसम्बर

6 सिक्किम के महाराज के अनुसार चीन ने **चुम्बि-घाटी** से **नाथु-ला** की तलहटी तक 12 मील लम्बी मोटर-परिवहन-सड़क बनाई तथा **चुम्बिताङ** में अपने सैनिक फिर से तैनात किए।

9 एक समाचार के अनुसार चीन ने **अक्सइ-चीन** से **ल्हासा** तक 1,300 मील लम्बी पक्की सड़क बनाई।

11 भारत ने चीन-सरकार से तथाकथित वास्तविक नियन्त्रण-रेखा का चीनी सैनिकों-द्वारा उल्लंघन किया जाना तथा भारत-चीन-सीमा के **लद्दाख-क्षेत्र** के 20 किलोमीटर के विसैन्यीकृत क्षेत्र में फिर से सैनिक तैनात करना 'तुरन्त बन्द करने का' अनुरोध किया।

12 सिक्किम-क्षेत्र में गश्त लगानेवाले भारतीय सैनिकों तथा चीनी सैनिकों के बीच हुई एक मुठभेड मे 30 चीनी सैनिक मारे गए।

13 भारत ने एक विरोधपत्र में पूर्वी क्षेत्र में सबसे हाल में 'किए गए आयोजित अतिक्रमण' की निन्दा की।

14 केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने भारत की उत्तरी सीमा पर चीनी सैनिकों-द्वारा बार-बार किए जानेवाले अतिक्रमणो तथा भारतीय गश्त-टुकड़ियों पर होनेवाले उत्तेजनात्मक आक्रमणो पर विचार-विमर्श किया।

20 चीन ने सिक्किम-क्षेत्र में 12 दिसम्बर को मारे गए 6 भारतीय सैनिकों के शव लौटाए।

1966

जनवरी

4 पीकिंग ने ताशकन्द मे होनेवाली शिखर-वार्ताओ को भंग करने के लिए ताशकन्द-वार्ता-विरोधी प्रचार तेज़ किया।

6 चीन ने **थागला-रिज-क्षेत्र** तथा **लौङजू** में बार-बार किए गए अपने सैनिक अतिक्रमण तथा लद्दाख में 20 किलोमीटर क्षेत्र में फिर से सैनिक तैनात करने की बात वस्तुतः स्वीकार कर ली।

9 भारत को उत्तर-पूर्व-सीमान्त अभिकरण के 92,000 किलोमीटर-क्षेत्र पर चीनी दावे के सम्बन्ध में पीकिंग से नई टिप्पणी मिली।

फरवरी

26 पीकिंग ने 'देश की अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने तथा लोगों को संकट में डालने' के लिए भारतीय नेताओं की निन्दा की।

मार्च

1 प्रधान मन्त्री ने लोकसभा में बताया कि भारत चीनी साम्यवाद को दक्षिण-पूर्व-एशिया में समाप्त करने के किसी समझौते में सम्मिलित होने के पक्ष मे नहीं है।

14 भारत ने उत्तर-पूर्व-सीमान्त अभिकरण मे लौङजू तथा थागला-रिज के निकट सीमा का चीनी सैनिकों-द्वारा 'जानबूझकर उल्लंघन' किए जाने और लद्दाख के 20 किलोमीटर के विसैन्यीकृत क्षेत्र में फिर से सैनिक तैनात किए जाने के विरोध में चीन के पास विरोधपत्र भेजा।

भारत-पाकिस्तान-संघर्ष-सम्बन्धी महत्वपूर्ण घटनाएं

1965

मार्च

17 भारत ने पाकिस्तान-सरकार के 13 मार्च को भारतीय सैनिकों-द्वारा दहाग्राम की चौकी पर बलपूर्वक अधिकार कर लिए जाने के आरोप का खण्डन किया।

— पाकिस्तानी सैनिकों ने पश्चिम-बंगाल मे तिनबिघा तथा अन्य स्थानो मे भारतीयों पर लगातार गोलीबारी की।

अप्रैल

9 पाकिस्तानी सैनिकों ने कच्छ-सिन्ध-सीमा पर भारत की सरदार-चौकी पर आक्रमण किया।

11 भारतीय सैनिकों ने सरदार-चौकी पुनः अपने अधिकार में ले ली।

17 प्रधान मन्त्री ने पाकिस्तान के सामने 'युद्ध न करने' का निवेद फिर रखा।

20 पाकिस्तान ने 17 अप्रैल को छम्ब में पंजाब के प्रधान मन्त्री पर पाकिस्तान सैनिको-द्वारा गोली चलाए जाने के विरुद्ध भेजा गया भारतीय विरोधपत्र अस्वीकार कर दिया।

23 पाकिस्तान ने कच्छ-सिन्ध-सीमा पर चौदह सैनिक-बटालियनें तैनात कीं।

24 पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने कंजरकोट के निकट स्थित चौकी पर अपने आक्रमण में टैंक का उपयोग किया।

29 भारत ने 26 अप्रैल को **बियारबेट** में पाकिस्तान-द्वारा अमेरिकी टैंकों का उपयोग किए जाने के वैमानिक आलोक-चित्र (फोटोग्राफ) अमेरिका को दिए।

30 प्रधान मन्त्री ने बताया कि ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने भारत तथा पाकिस्तान से कच्छ में युद्धविराम करने का अनुरोध किया है।

मई

1 भारत-पाकिस्तान-मैत्री-दल ने राष्ट्रपति अय्यूब से कच्छ-क्षेत्र मे तुरन्त युद्धविराम लागू करने, सभी पाकिस्तानी सैनिकों को वापस बुला लेने तथा सीमा निर्धारित करने के लिए एक उच्चस्तरीय आयोग की व्यवस्था करने का अनुरोध किया।

3 पाकिस्तान ने कच्छ की **डींग-चौकी** छोड दी।

4 प्रतिरक्षा-मन्त्री ने लोकसभा मे पश्चिम-बंगाल-पूर्व-पाकिस्तान-सीमा पर पाकिस्तान-द्वारा सशस्त्र तैयारी किए जाने के समाचार की पुष्टि की।

— राष्ट्रपति अय्यूब ने यह स्वीकार किया कि कच्छ के रन में एक पाकिस्तान ब्रिगेड अमेरिकी तथा ब्रिटिश अस्त्र-शस्त्रों से लैस थी।

— चीनी विशेषज्ञों ने पूर्वी सीमा पर भारी सख्या में सैनिक तैनात करने में पाकिस्तानी अधिकारियो को सहायता दी।

6 पाकिस्तानी विमानों ने राजस्थान पर गैरकानूनी उडाने की।

11 भारत तथा पाकिस्तान कच्छ के रन मे युद्धविराम के लिए समझौतावार्ता करने के लिए सहमत।

— पाकिस्तान ने वस्तुत: पूर्व-पाकिस्तान-स्थित सभी भारतीय चौकियो पर अधिकार कर लिया जबकि भारत-स्थित उसकी चौकियों पर उसका ही अधिकार बना रहा।

19 पाकिस्तान ने कच्छ के रन-सम्बन्धी समझौते के एक अंग में के रूप में भारत-पाकिस्तान-सीमा पर से सभी भारतीय सशस्त्र सैनिकों की वापसी का प्रस्ताव रखा।

20 **मेण्ढार** (जम्मू-कश्मीर) के दक्षिण-पश्चिम मे स्थित एक भारतीय चौकी पर पाकिस्तान की एक पूरी बटालियन-द्वारा किए गए आक्रमण को निष्फल कर दिया गया।

21 अमेरिका ने कच्छ के रन में पाकिस्तान-द्वारा अमेरिकी उपकरणो का उपयोग किए जाने पर विरोध प्रकट किया।

— पाकिस्तान ने सम्पूर्ण **लाठी-टीला-क्षेत्र** पर दावा किया।

22 भारत ने 9, 10 तथा 18 मई को त्रिपुरा के भारतीय क्षेत्र में पूर्व-पाकिस्तान-राइफल्स-द्वारा की जानेवाली गोलीबारी के विरुद्ध पाकिस्तान से विरोध प्रकट किया।

26 पाकिस्तानी सैनिकों को **छम्ब-क्षेत्र** में भारतीय सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ों में भारी क्षति उठानी पड़ी।

26 पाकिस्तान की नियमित सेना की दो टुकड़ियों (प्लैटूनों) ने **करगिल-क्षेत्र** मे युद्धविराम-रेखा का उल्लंघन किया ।

28 भारतीय सीमा-पुलिस ने भारत तथा पूर्व-पाकिस्तान के बीच कुछ स्थानों से सीमा पर लगे खम्भों को हटाने के पाकिस्तानी प्रयास को निष्फल कर दिया ।

29 भारत ने सम्पूर्ण भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों के 'आक्रमण-कारी स्थिति में' भारी जमाव के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा-परिषद् में शिकायत की ।

जून

1 मुख्य सयुक्त राष्ट्रसंघीय सैनिक पर्यवेक्षक ने 21 मई को **नौशेरा** के दक्षिण-पश्चिम में संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षको पर पाकिस्तानी सैनिको-द्वारा गोली चलाए जाने के विरोध मे पाकिस्तान से विरोध प्रकट किया ।

3 प्रधान मन्त्री श्री विल्सन को वार्ता-द्वारा समझौता करने के अनुरोधवाले अपने पत्र के उत्तर मे भारत तथा पाकिस्तान से उत्तर प्राप्त हुए ।

7 पाकिस्तानी सैनिको को, जो 5 जून को तड़के **करगिल-क्षेत्र** में युद्धविराम-रेखा को पारकर घुस आए थे, भारतीय सैनिको ने मार भगाया ।

— भारत ने पाकिस्तान से पूर्व-पाकिस्तान-राइफल्स-द्वारा की जानेवाली आक्रमणात्मक कार्रवाइयाँ बन्द करने के लिए कहा ।

11 **शिलङ**-स्थित पाकिस्तानी सहायक उच्चायुक्त-कार्यालय बन्द हो गया ।

13 पाकिस्तानी सैनिको ने त्रिपुरा के **बेलोनिया-नगर** पर भारी गोलाबारी की ।

25 भारत तथा पाकिस्तान कच्छ-सिन्ध-अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-सम्बन्धी पंचाट देने के लिए नियुक्त 3 व्यक्तियो के पचनिर्णय-न्यायाधिकरण के सम्बन्ध मे सहमत ।

26 पाकिस्तानी सैनिको ने काश्मीर-स्थित सयुक्त राष्ट्रसंघीय सैनिक पर्यवेक्षको को भ्रम मे डालने के लिए युद्धविराम-रेखा के निकट लगे मुख्य पत्थरो की स्थिति बदल दी ।

29 सरकार ने कच्छ के रन मे युद्धविराम स्थापित करने तथा कच्छ-सिन्ध-सीमा-विवाद से सम्बन्धित ब्रिटेन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ।

30 कच्छ-युद्धविराम-करार पर हस्ताक्षर हुए ।

जुलाई

1 भारतीय सैनिको ने कच्छ के रन के क्षेत्र से पीछे हटना आरम्भ किया ।

— **करगिल-क्षेत्र** की दो पाकिस्तानी चौकियो से भारतीय सैनिकों के पीछे हटने का कार्य पूरा हुआ ।

8 पाकिस्तानी सैनिको ने कच्छ के रन के क्षेत्र से पीछे हट जाने का कार्य पूरा किया ।

9 भारत युद्धविराम-करार के सम्बन्ध में अगस्त में विदेश-मन्त्रियों की बैठक बुलाने के पाकिस्तानी सुझाव से सहमत हुआ ।

14 सोवियत प्रधान मन्त्री ने कच्छ-युद्धविराम-करार के लिए प्रधान मन्त्री को धन्यवाद दिया ।

17 पूर्व-पाकिस्तान-राइफल्स की सहायता से 400 सशस्त्र पाकिस्तानियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसने तथा नादिया-जिले में एक भूखण्ड पर बलपूर्वक अधिकार करने का प्रयत्न किया ।

अगस्त

5 जम्मू-कश्मीर की सम्पूर्ण युद्धविराम-रेखा पारकर भारी संख्या में सशस्त्र पाकिस्तानी घुसपैठियों के आने के समाचार प्राप्त हुए ।

10 भारत ने कश्मीर-सम्बन्धी नई घटनाओं के विषय में पाकिस्तान को तथा कश्मीर-स्थित मुख्य संयुक्त राष्ट्रसंघीय सैनिक पर्यवेक्षक को विरोध-पत्र भेजा और अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन तथा अन्य मित्र देशों को सूचित किया ।

16 प्रतिरक्षा-मन्त्री ने संसद् में बताया कि लेह-सड़क पर पहरा देनेवाले भारतीय सैनिकों पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद करगिल-क्षेत्र-स्थित दो पाकिस्तानी चौकियों पर भारत ने पुनः अधिकार कर लिया ।

26 भारतीय सेनाओं ने उड़ि-क्षेत्र में युद्धविराम-रेखा पार की ।

30 भारतीय सेना ने हाजीपीर-दर्रे तथा अन्य अनेक महत्वपूर्ण चौकियों पर अधिकार कर लिया ।

सितम्बर

1 छम्ब-क्षेत्र में पाकिस्तान ने भारी आक्रमण किया । प्रधान मन्त्री ने बताया कि पाकिस्तान ने 'एक खुला आक्रमण' किया है और 'हम इसका पूरा सामना करेंगे ।'

2 संसद् के विरोधी दलों के नेताओं ने पाकिस्तानी आक्रमण का सामना करने में सरकार का पूरा समर्थन करने की प्रतिज्ञा ली ।

2 संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव श्री ऊ थां ने युद्धविराम के लिए अपील की ।

4 श्री ऊ थां ने कश्मीर-सम्बन्धी स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें वर्तमान संघर्ष के लिए पाकिस्तान को उत्तरदायी ठहराया गया ।

— प्रधान मन्त्री ने युद्धविराम के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव के अनुरोध का उत्तर दिया ।

5 पाकिस्तान ने अमृतसर के निकट एक अड्डे पर हवाई हमला करके संघर्ष को बढ़ाया ।

— संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा-परिषद् ने कश्मीर में युद्धविराम तुरन्त स्थापित करने की मांग की ।

6 राष्ट्रपति अय्यूब ने एक प्रसारण में कहा. "हम भारत के साथ युद्ध कर रहे हैं।"

— भारतीय सैनिक पंजाब की सीमा पारकर पश्चिम-पाकिस्तान में घुसे।

— ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने युद्ध तुरन्त बन्द करने के लिए कहा।

7 अमेरिका ने भारत तथा पाकिस्तान को दी जानेवाली अस्त्र-शस्त्र-सहायता बन्द कर दी।

— दो भारतीय सौदागिरी-जहाज़ कराची में रोक लिए गए।

— पूर्व-पाकिस्तान ने पश्चिम-बंगाल के कूच-बिहार के साथ अपना सम्पूर्ण संचार-साधन-सम्पर्क तोड दिया।

— पाकिस्तान ने भारत के पाकिस्तान-स्थित दूतावास-कर्मचारियों के चलने-फिरने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

— पाकिस्तान ने भारत के पाकिस्तान-स्थित बैंकों को बन्द करने का आदेश दिया।

8 भारतीय सैनिक पश्चिम-पाकिस्तान में दो अन्य क्षेत्रों में और घुसे।

— सिन्ध मे गद्रा-नगर पर भारतीय सैनिको ने अधिकार कर लिया।

— पाकिस्तान ने कच्छ-स्थित द्वारिका-बन्दरगाह पर दूर तक बमवर्षा करने के लिए पहली बार अपनी नौ-सेना का उपयोग किया।

— पाकिस्तान ने टर्की से अस्त्र-शस्त्र मागे।

— भारत-स्थित पाकिस्तानी बैंक बन्द हो गए।

— भारतीय बन्दरगाहो मे तीन पाकिस्तानी जहाज़ रोक लिए गए।

— कराची-स्थित भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियो के वस्तुत. हिरासत में लिए जाने के समाचार मिले; नई दिल्ली-स्थित पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारियो के सम्बन्ध में भारत ने भी बदले में ऐसी ही कारंवाई की।

— सयुक्त राष्ट्रसघीय महासचिव रावलपिण्डी पहुचे और उन्होने राष्ट्रपति अय्यूब के साथ भारत-पाकिस्तान-संघर्ष पर विचार-विमर्श किया।

— सिंगापुर के प्रधान मन्त्री ने भारत-पाकिस्तान-सघर्ष के दिनो में भारत का समर्थन किया।

— पाकिस्तान ने भारत से होनेवाले निर्यात तथा भारत को होनेवाले आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया और भारतीयो की पाकिस्तान-स्थित सम्पत्ति अपने अधिकार में ले ली।

11 भारतीय सेना ने उड़ि से लेकर पुंछ तक की सम्पूर्ण पर्वतमाला पर अधिकार कर लिया।

12 सयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव ने प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री के साथ विचार-विमर्श आरम्भ किया।

13 जनरल निम्मो की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो गई कि 5 अगस्त को युद्धविराम-रेखा पारकर सशस्त्र पाकिस्तानी आक्रमणकारी ही भारतीय क्षेत्र में घुसे।

15 राष्ट्रपति श्री जौनसन ने पाकिस्तान तथा भारत से शान्ति-स्थापन के लिए संयुक्त राष्ट्रसघ के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया।

16 चीन ने सशस्त्र कार्रवाई की धमकी दी (देखिए भारत-चीन-सम्बन्ध)।
18 सोवियत-संघ ने ताशकन्द में प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री तथा राष्ट्रपति अयूब के बीच वार्ता आरम्भ करने का सुझाव रखा।
19 गुजरात के मुख्य मन्त्री के विमान को पाकिस्तानी वायु-सेना ने मार गिराया।
20 सुरक्षा-परिषद् ने भारत तथा पाकिस्तान से 48 घण्टों में युद्ध समाप्त करने तथा अपने-अपने सैनिकों को 5 अगस्त से पहले की यथास्थिति में लौटने के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध किया।
22 भारत तथा पाकिस्तान सुरक्षा-परिषद् के अनुरोध पर भारतीय समय के अनुसार तड़के 3.30 पर सामान्य युद्धविराम स्थापित करने के लिए सहमत हुए।
— पाकिस्तान ने युद्धविराम के लिए सहमत होने के बाद अमृतसर के निकटवर्ती क्षेत्र पर बम गिराए।
23 तड़के 3.30 पर सभी मोर्चों पर युद्धविराम लागू हुआ।
27 प्रधान मन्त्री ने बताया कि भारत की भूमि पर संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति-स्थापन-सेना रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
28 पाकिस्तानी सैनिकों ने फीरोज़पुर के उत्तर में खेमकरण को तथा छम्ब-क्षेत्र में अनेक गांवों को आग लगा दी।
— कराची-स्थित भारतीय दूतावास को लूटा गया।

अक्तूबर

3 भारत ने पाकिस्तान को नहरी पानी खुले दिल से देना जारी किया।
4 भारत ने पाकिस्तान से दोनों देशों के बीच संघर्ष आरम्भ होने के बाद कराची में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के प्रति किए गए बर्बरतापूर्ण व्यवहार को सुधारने तथा क्षमायाचना करने के लिए कहा।
— भारत के लिए बेल्जियम-द्वारा भेजे गए लाखों रुपयों के टेलीफोन-उपकरण कराची में पाकिस्तान ने ज़ब्त कर लिए।
— राष्ट्रपति श्री टीटो ने भारत-पाकिस्तान-संघर्ष को बढ़ाने का प्रयास करने के लिए चीन की भर्त्सना की।
5 पाकिस्तान ने रेड क्रॉस को भारतीय युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में जानकारी देने से इन्कार कर दिया।
6 पूर्व-पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की सबसे हाल की जनगणना से पता चला कि पाकिस्तान से ईसाई तथा बौद्ध भारी संख्या में बाहर जा रहे (भारत आ रहे) हैं।
7 भारतीय सैनिकों ने अखनूर-क्षेत्र में देवा के 8 मील उत्तर-पूर्व में भारतीय क्षेत्र में घुसकर आनेवाले पाकिस्तानी सैनिकों को भारी क्षति पहुंचाई।
9 पाकिस्तान ने अमेरिका से भारत के साथ हुए संघर्ष में क्षत-विक्षत सेबर-जेट-विमानों तथा पैटन-टैंकों के पुनस्संस्थापन के लिए अनुरोध किया।

12 भारत ने यह चेतावनी दी कि पाकिस्तान-द्वारा युद्धविराम का निरन्तर उल्लंघन—20 दिनों में 251 बार—किए जाने से संघर्ष का विस्तार होगा ।

13 भारत तथा पाकिस्तान, दोनों, बन्दी बनाए गए समाचारपत्र-संवाददाताओं को उनके अपने-अपने देशों को वापस भेजने के लिए सहमत हुए ।

— पाकिस्तानी विमान ने राजस्थान के बन्ध-गांव पर गोले बरसाए ।

15 बेरुबारी के सीमांकन से सम्बन्धित संयुक्त भारत-पाकिस्तान-सर्वेक्षण-कार्य अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ ।

18 भारतीय सैनिकों ने पुंछ-क्षेत्र में एक चौकी से उन्हें मार भगा दिए जाने के पाकिस्तानी प्रयास को निष्फल कर दिया ।

19 पाकिस्तानी वायु-सेनाध्यक्ष ने भारत-पाकिस्तान-संघर्ष के दिनों में भारतीय स्थानों पर नापाम-बमों का उपयोग किया जाना स्वीकार कर लिया ।

26 भारत ने सुरक्षा-परिषद् में अपने विरुद्ध पाकिस्तानी विदेश-मन्त्री-द्वारा कहे गए अपशब्दों के लिए उनकी निन्दा की । भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल बैठक से उठकर बाहर चला गया ।

नवम्बर

8 भारत ने सम्पूर्ण मोर्चे पर पाकिस्तानी सैनिकों के जमाव की सूचना संयुक्त राष्ट्रसंघ को दी ।

9 संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा-परिषद् को दी एक रिपोर्ट में श्री ऊ थां ने बताया कि पाकिस्तान विभिन्न क्षेत्रों में युद्धविराम का जोरशोर से उल्लंघन करता आ रहा है ।

12 भारत ने पश्चिम-बंगाल-पूर्व-पाकिस्तान-सीमा पर 'उत्तेजनात्मक तथा आक्रामक' गतिविधियों के विरुद्ध पाकिस्तान से फिर विरोध प्रकट किया ।

15 राष्ट्रपति अय्यूब ने कहा कि भारत के साथ दूसरी मुठभेड़ हो जाने का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

— श्री ऊ थां ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत तथा पाकिस्तान युद्ध-विराम-रेखा के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फिर चांदमारी न करने के लिए सहमत हो चुके हैं ।

16 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री ने लोकसभा में बताया कि सोवियत प्रधान मन्त्री-द्वारा उनके तथा राष्ट्रपति अय्यूब के बीच सुझाई गई ताशकन्द-वार्ता का कश्मीर की चर्चा होने पर कोई लाभ न होगा ।

22 विदेश-मन्त्री ने लोकसभा में बताया कि भारत ने जम्मू-कश्मीर में संयुक्त राष्ट्रसंघीय अफ्रो-एशियाई सेना तैनात कराने के पाकिस्तानी प्रस्ताव को 'शरारतपूर्ण' बता कर अस्वीकार कर दिया है ।

— पाकिस्तान ने भारत को सूचना दी कि पाकिस्तान में 3,018 भारतीय बन्दी हैं ।

23 प्रतिरक्षा-मन्त्री ने राज्यसभा में बताया कि पाकिस्तान ने भारत-पाकिस्तान-संघर्ष के दिनों में पश्चिम-जर्मनी के बने टैंक-विरोधी प्रक्षेपणास्त्रों का उपयोग किया था।

— पूर्व-पाकिस्तान-सरकार ने ढाका-स्थित इण्डियन एअरलाइन्स-कार्पोरेशन का कार्यालय तथा नारायणगंज की भारतीय स्वामित्ववाली ढाकेश्वरी-कॉटन-मिल्स अपने अधिकार में ले ली।

29 प्रतिरक्षा-मन्त्री ने लोकसभा में बताया कि पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के दिनों में भारतीय सेना ने अमेरिकी, ब्रिटिश, पश्चिम-जर्मन, चीनी तथा फ्रांसीसी अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद तथा उपकरण पकड़े।

दिसम्बर

2 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री ने राष्ट्रपति अय्यूब के साथ वार्ता करने के लिए ताशकन्द जाने के अपने निर्णय के सम्बन्ध मे सहयोगियो को सूचित किया।

7 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री ने पाकिस्तान के सामने फिर से युद्ध न करने की सन्धि का निवेद रखा।

8 सोवियत रूस ने अधिकृत रूप से यह घोषणा की कि ताशकन्द-वार्ता 4 जनवरी को आरम्भ होगी।

11 भारत ने **देवीपुर-क्षेत्र** मे पूर्व-पाकिस्तानी सेना की आक्रामक कार्रवाई निरन्तर जारी रहने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया।

14 राष्ट्रपति अयूब ने इस शर्त पर युद्ध न करने की सन्धि स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की कि भारत कश्मीर मे 'आत्मनिर्णय' के लिए सहमत हो जाए।

15 भारतीय राष्ट्रिकों तथा भारतीय सरकारी अधिकारियो की सम्पत्ति तथा परिसम्पत्ति पर पाकिस्तान-द्वारा अवैध रूप से अधिकार कर लिए जाने के विरुद्ध भारत ने विरोध प्रकट किया।

16 भारतीय सेना ने अमृतसर के निकट अपने क्षेत्र पर अवैध रूप से उड़कर आनेवाले पाकिस्तानी विमान को मार गिराया।

17 पाकिस्तान ने वायु-सीमा के इस उल्लंघन को स्वीकार किया।

1966

जनवरी

3 प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री तथा राष्ट्रपति अयूबखां ताशकन्द पहुंचे।

— पाकिस्तानी सैनिकों ने **लाहौर-क्षेत्र** में कई चौकियों पर गोलीबारी की।

4 शास्त्री-अयूब-वार्ता आरम्भ हुई।

6 अमृतसर में संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में दोनों देशों के स्थल-सेनानायकों के बीच हुई बैठक में भारत तथा पाकिस्तान-द्वारा 'सशस्त्र सैनिकों' की वापसी पर विचार-विमर्श हुआ।

8 विदेश-सचिव श्री सी० एस० झा ने ताशकन्द में संवाददाताओ को बताया कि ताशकन्द-शिखर-सम्मेलन के दिनों में भारत-सरकार को चीन से नई तथा 'कड़ी कड़ी चेतावनी' मिली थी।

10 ताशकन्द-घोषणा पर हस्ताक्षर हुए।

— घोषणा पर हस्ताक्षर करने के तुरन्त बाद प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री की ताशकन्द में जीवन-लीला समाप्त।

17 पाकिस्तान-स्थित भारतीय उच्चायुक्त श्री केवल सिह अपना कार्य पुन. सम्हालने के लिए पाकिस्तान लौटे।

19 नई प्रधान मन्त्री श्रीमती गान्धी ने बताया कि ताशकन्द-समझौते का पालन किया जाएगा।

22 जनरल चौधरी तथा जनरल मूसा युद्धविराम-रेखा पर सैनिकों को आमने-सामने से हटाने की एक योजना पर सहमत हुए।

— भारत तथा पाकिस्तान ने बन्दी वायु-सैनिकों का आदान-प्रदान किया।

25 भारतीय तथा पाकिस्तानी सैनिको ने सभी चारों क्षेत्रों में सैनिकों को आमने-सामने से हटाने के प्रथम चरण का कार्य आरम्भ किया।

29 सशस्त्र सैनिको की वापसी के एक करार पर लाहौर में हस्ताक्षर हुए।

30 सैनिकों को आमने-सामने से हटाने का कार्य पूरा हो गया।

फरवरी

1 भारतीय तथा पाकिस्तानी-सेनाओ के अधिकारियो ने भारत-पूर्व-पाकिस्तान सीमा पर तनाव कम करने के उपायो पर विचार-विमर्श करने के लिए कलकत्ता में एक बैठक में भाग लिया।

2 भारत तथा पाकिस्तान ने युद्ध-बन्दियों के पहले जत्थे का आदान-प्रदान किया।

4 भारत अपने क्षेत्र पर से पाकिस्तानी विमानों को तुरन्त फिर से जाने देने के लिए सहमत हो गया।

10 एक-दूसरे के क्षेत्र पर से विमानों की सीधी उड़ान पुन. जारी हो गई।

11 भारत तथा पाकिस्तान के बीच डाक-सम्बन्ध पुन स्थापित हुए।

21 लोकसभा ने ताशकन्द-करार को स्वीकृति दे दी। हाजीपीर से सैनिकों की वापसी आरम्भ हुई।

25 भारतीय सैनिक पाकिस्तान-द्वारा खाली किए गए क्षेत्रो में घुसे।

मार्च

2 भारत-पाकिस्तान की मन्त्रिस्तरीय वार्ता का पहला दौर किसी भी प्रश्न पर कोई समझौता हुए बिना समाप्त हो गया।

9 फीरोजपुर तथा कसूर के सीमा-पुलिस-अधिकारियों के बीच पहली औपचारिक बैठक हुसैनीवाला में हुई।

15 पाकिस्तान के विदेश-मन्त्री ने बताया कि 'कश्मीर-विवाद' बने रहने तक पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध न करने का समझौता नहीं कर सकता ।

24 प्रधान मन्त्री श्रीमती गान्धी ने बताया कि रावलपिण्डी की परेड में चीनी सैनिक सामग्री के प्रदर्शन से केवल चीन-पाकिस्तान-साठगाठ का ही पता चलता है ।

ललित कला-अकादमी-पुरस्कार (1966)*

चित्रकला

प्रकाश करमरकर
जे० सुल्तान अली
अम्बादास
डी ० के० दासगुप्त
बाल चावडा
सूर्य प्रकाश
रामसिह बावा
एम० के० वर्धन
के० एस० कुलकर्णी

मूर्तिकला :

पी० वी० जानकिराम्

संगीत-नाटक-अकादमी-पुरस्कार (1964-65)*

हिन्दुस्तानी संगीत :

गायन—हीराबाई बड़ोदेकर
वादन—प० सखाराम

कर्नाटक संगीत :

गायन—टी० वृन्दा
वादन—टी० आर० महालिंगम्

नृत्य :

कथकलि—गुरु गोपीनाथ
मणिपुरी—गुरु बिपिन सिन्हा
शास्त्रीय नृत्य-अध्यापक—चोकलिंगम् पिल्लइ

*अध्याय 6 का परिशिष्ट

नाटक :

गुजराती में अभिनय—मूलजी खुशाल नायक
मलयालम में अभिनय—अरविन्दाक्ष मेनन्
संस्कृत में अभिनय—कृष्णचन्द्र भाटवडेकर
नाटक-लेखन—उपेन्द्रनाथ 'अश्क'

साहित्य-अकादमी-पुरस्कार (1965)

भाषा	पुस्तक का नाम	लेखक
अंग्रेजी	द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन (आत्मकथा)	(स्वर्गीय) वेरियर एल्विन
उड़िया	उत्तरायण (कविता)	बैकुण्ठनाथ पट्टनायक
उर्दू	एक चादर मैली-सी (लघु उपन्यास)	राजेन्द्रसिंह बेदी
कन्नड	रग विन्नप (दर्शन-सम्बन्धी लेख)	एस० वी० रगन्न
गुजराती	जीवन-व्यवस्था (निबन्ध)	काका कालेलकर
तमिल	श्रीरामानुजर्	श्री आचार्य
तेलुगु	मिश्र मजरि (कविता)	आर० सुब्बराव
पंजाबी	इक छिट चांदनी (लघु-कहानियां)	करतारसिंह दुग्गल
बंगला	स्मृति सत्त भविष्यत् (कविताएं)	विष्णु दे
मराठी	व्यक्ति आणि वल्ली (प्रहसन)	पी० एल० देशपाण्डे
मलयालम	मुतच्चि (कविताएं)	एन० बालमणि अम्मा
हिन्दी	रस-सिद्धान्त (काव्यालोचना)	डा० नगेन्द्र

1965 में निर्मित चलचित्रों पर राजकीय पुरस्कार†

पुरस्कार	चलचित्र	निर्माता
1	2	3
रूपक चलचित्र		
सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के	चेम्मीन् (मलयालम)	बाबु, कममणि-फिल्म्स, मद्रास

*अध्याय 6 का परिशिष्ट
†अध्याय 11 का परिशिष्ट

1	2	3
लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण-पदक तथा 20,000 रु० का नकद पुरस्कार		
दूसरे सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाण-पत्र तथा 10,000 रु० का नकद पुरस्कार	अतिथि (बंगला)	न्यू थिएटर्स, कलकत्ता
तीसरे सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाण-पत्र	छोटी-छोटी बातें (हिन्दी)	राजवंशी-प्रोडक्शन्स, बम्बई
कन्नड़ के सर्वोत्तम रूपक चल-चित्र के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक	सत्य हरिश्चन्द्र (कन्नड़)	के० वी० रेड्डि, मद्रास
कन्नड़ के दूसरे सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	मिस लीलावती (कन्नड)	के० एस० जगन्नाथ, मद्रास
कन्नड़ के तीसरे सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	मदुवे माडि नोडु (कन्नड)	नागि रेड्डि चक्रपाणि, मद्रास
गुजराती के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	कसुम्बी-नो-रंग (गुजराती)	मनुभाई एन० गढवी, बम्बई
तमिल के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक	कुजनदैयुम् दैवमम् (तमिल)	एवीएम प्रोडक्शन्स, मद्रास
तमिल के दूसरे सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	तिरुविल्लयुयाडल् (तमिल)	श्री विजयलक्ष्मी-पिक्चर्स, मद्रास
तेलुगु के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक	अन्तस्तुलु (तेलुगु)	वी० बी० राजेन्द्रप्रसाद, मद्रास
तेलुगु के दूसरे सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	पलनतियुद्धमु (तेलुगु)	वाई० लक्ष्मय्य चौधरी मद्रास
तेलुगु के तीसरे सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	मानुषुलु ममतालु (तेलुगु)	ए० वी० सुब्बराव, मद्रास

1	2	3
पंजाबी के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	सस्सि पुन्नु (पंजाबी)	फिल्मिस्तान, बम्बई
बंगला के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक	आकाश-कुसुम (बंगला)	रणजीत बसु, कलकत्ता
बंगला के दूसरे सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	स्वर्ण रेखा (बंगला)	राधेश्याम, कलकत्ता
बंगला के तीसरे सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	राजा राममोहन (बंगला)	अरोड़ा-फिल्म-कार्पोरेशन, कलकत्ता
मराठी के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक	साधी माणसे (मराठी)	श्रीमती लीलाबाई भालजी, कोल्हापुर
मराठी के दूसरे सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	निर्माण (मराठी-कोंकणी)	फ्रैंक फर्नाण्ड, बम्बई
मराठी के तीसरे सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	युगे युगे मी वाट पाहिली (मराठी)	बाबासाहेब एस० फतेलाल, पूना
मलयालम के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक	काव्यमेला (मलयालम)	टी० ई० वसुदेवन्, मद्रास
मलयालम के दूसरे सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	ऊडयीलनिन्नु (मलयालम)	पी० रामस्वामि, मद्रास
मलयालम के तीसरे सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	मुरप्पेन्नु (मलयालम)	के० परमेश्वरन् नायर्, मद्रास
हिन्दी के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक	शहीद (हिन्दी)	केवल पी० कश्यप, बम्बई
हिन्दी के दूसरे सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	ऊंचे लोग (हिन्दी)	चित्रकला, मद्रास

1	2	3
हिन्दी के तीसरे सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	गाइड (हिन्दी)	देव आनन्द, बम्बई
वृत्तचित्र		
सर्वोत्तम वृत्तचित्र के लिए अ० भा० योग्यता का प्रमाणपत्र	क्लोवेन हॉरिज़न (अंग्रेज़ी)	कान्तिलाल राठौर, बम्बई
दूसरे सर्वोत्तम वृत्तचित्र के लिए अ० भा० योग्यता का प्रमाणपत्र	एक्रॉस इण्डिया (अंग्रेज़ी)	फिल्म्स-डिवीज़न, बम्बई
शिक्षात्मक चलचित्र		
सर्वोत्तम शिक्षात्मक चलचित्र के योग्यता का प्रमाणपत्र	प्ले बेटर हॉकी (अंग्रेज़ी)	फिल्म्स-डिवीज़न, बम्बई
बाल-चलचित्र		
सर्वोत्तम बाल-चलचित्र के लिए अ० भा० योग्यता का प्रमाणपत्र तथा 10,000 रु० का नकद पुरस्कार	द एडवेंचर ऑफ ए शुगर डॉन (अंग्रेज़ी)	बाल-चलचित्र-समिति, बम्बई
दूसरे सर्वोत्तम बाल-चलचित्र के लिए अ० भा० योग्यता का प्रमाणपत्र	ऐज़ यू लाइक इट (अंग्रेज़ी)	बाल-चलचित्र-समिति, बम्बई
सर्वोत्तम कथा-लेखक		
स्वर्गीय मोतीलाल राजवंशी को योग्यता का प्रमाणपत्र	छोटी-छोटी बातें (हिन्दी)	—

टिप्पणी—'शहीद' चलचित्र को राष्ट्रीय कथावस्तु के लिए 20,000 रु० का नकद पुरस्कार भी दिया गया।

तोल तथा माप

तोल		क्षेत्रफल	
1 कि॰ ग्रा॰	=2.2046 पौण्ड	0.8361 वर्ग मीटर	=1 वर्ग गज़
0.4536 कि॰ ग्रा॰	=1 पौण्ड	1 वर्ग किलोमीटर	=0.3861 वर्ग मील
1016.05 कि॰ ग्रा॰	=1 टन	1 हेक्टर	=2 471 एकड़
37.3242 कि॰ ग्रा॰	=1 मन अथवा 82.2858 पौण्ड	0 40469 हेक्टर	=1 एकड़ अथवा 4830 वर्ग गज़

		द्रव्य	
1 मीट्रिक टन	=0.9842 टन	1 लिटर	=1.759 पिण्ट
1 क्विण्टल	=1.968 हण्डरवेट अथवा 220.46 पौण्ड	4.546 लिटर:	=1 गैलन
		0 29 किलोलिटर	=1 क्वार्टर

माप

0.9144 मीटर	=1 गज़
1 किलोमीटर	=1093.61 गज़ अथवा 0.62137 मील
1.6093 किलोमीटर	=1 मील

पंजाब (राज्य)*

राज्यपाल : धर्मवीर

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
गुरमुखसिंह मुसाफिर .	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन (पुनस्संगठन-सहित), गृह, निगरानी, परिवहन, जन-सम्पर्क, प्रतिरक्षा-सेवाएं, समाज-कल्याण, संसदीय मामले और सांस्कृतिक मामले
बृषभान . .	लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा-शिक्षा, स्वायत्त शासन
प्रबोध चन्द्र . .	सामुदायिक विकास (पंचायत तथा पंचायती राज-सहित), श्रम तथा रोजगार, नगर तथा ग्राम-आयोजन, शहरी सम्पदा

*अध्याय 26 का परिशिष्ट

मोहन लाल	.	वित्त, कराधान, न्याय और सांख्यिकी
ज्ञान सिंह राड़ेवाला	.	कृषि, भाषा और चुनाव
दरबारा सिंह	.	सिंचाई तथा बिजली (ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को छोड़कर), आयोजन और राजनीतिक पीड़ित
हरिन्द्र सिंह	.	राजस्व, सुधार तथा सहायता, चकबन्दी, उद्योग (औद्योगिक शिक्षा-सहित) और कुटीर उद्योग
प्रेम सिंह प्रेम	.	शिक्षा (प्राविधिक शिक्षा-सहित), सहकारिता और उत्पाद-शुल्क
निरंजन सिंह तालिब		सार्वजनिक निर्माणकार्य, लोक स्वास्थ्य, स्थापत्य, खेल-कूद, पर्यटन और जेल
बशवन्त राय	.	कल्याण-विभाग, आवास और गन्दी बस्ती-उन्मूलन

मन्त्रालय के राज्य-मन्त्री

यशपाल	.	खाद्य तथा असैनिक पूर्ति, राजनीतिक पीड़ित और सांस्कृतिक मामले
रत्तन सिंह	.	पशुपालन, दुग्धालय, मछलीपालन, सिंचाई तथा बिजली और सहकारिता
हरचरनसिंह बार	.	ग्राम-बिजलीकरण, छोटी बचत, असैनिक उड्डयन और कृषि
करम सिंह कीर्ति	.	सहायता तथा पुनर्वास, वन, वन्य जीव-संरक्षण और परिवहन
चादी राम वर्मा	.	मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, सार्वजनिक निर्माणकार्य और लोक स्वास्थ्य

उपमन्त्री

श्रीमती प्रकाश कौर	.	शिक्षा (प्राविधिक शिक्षा-सहित), ग्राम तथा नगर-आयोजन और समाज-कल्याण
हरचन्द सिंह	.	कल्याण-विभाग, समाज-कल्याण, श्रम तथा रोजगार और सहायता तथा पुनर्वास
सतपाल मित्तल	.	गृह, जन-सम्पर्क, स्थानीय निकाय
शाम लाल थापर	.	स्वास्थ्य, चिकित्सा-शिक्षा, खाद्य तथा असैनिक पूर्ति और कराधान
गुरमेल सिंह	.	राजस्व, छोटी बचत, आवास और गन्दी बस्ती-उन्मूलन

हरयाना (राज्य)

राज्यपाल : धर्मवीर

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	विभाग
भगवतदयाल शर्मा .	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, ग्राम तथा नगर-आयोजन और गृह
चांद राम . .	राजस्व, पुनर्वास, सहायता तथा पुनर्व्यवस्था, कृषि, पशुपालन, दुग्धालय, समाज-कल्याण, अनुसूचित जाति-कल्याण और सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज
गुलाब सिंह . .	परिवहन, पर्यटन, असैनिक उड्डयन और वन
रणबीर सिंह .	सार्वजनिक निर्माणकार्य (भवन और सड़कें), लोक स्वास्थ्य, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा-शिक्षा और आवास
श्रीमती ओमप्रभा जैन	वित्त, आयोजन, उत्पाद-शुल्क और कराधान
देवराज आनन्द .	मुद्रण तथा लेखन-सामग्री और स्थानीय निकाय
डाल सिंह . .	सिंचाई तथा बिजली
मन्त्रालयों के राज्य-मन्त्री	
बाबू दयाल . .	खाद्य तथा असैनिक पूर्ति
ठाकर राम गुप्त .	श्रम तथा रोजगार
निहाल सिंह . .	सहकारिता
खान अब्दुल गफ्फार खां	कल्याण-विभाग
उपमन्त्री	
के० एल० पोर्सवाल .	
बनारसीदास गुप्त	
केसर राम . .	
राव निहाल सिंह .	
रामपाल सिंह .	

चण्डीगढ़ (संघीय क्षेत्र)

मुख्य आयुक्त : श्री एम० एस० रन्धावा

हिन्दी समिति
उत्तर प्रदेश
लखनऊ

के

वैज्ञानिक प्रकाशन

१.	परमाणु विखण्डन	डा० आर० सी० कपूरी	६.००
२.	पृथ्वी की आयु	डा० महाराज नारायण मेहरोत्रा	८.००
३.	तारा भौतिकी	डा० निहाल करण सेठ	८.००
४.	विमान और वैमानिकी	श्री चमन लाल गुप्त	५.५०
५.	रेडियो सर्विसिंग	श्री रमेश चन्द्र विजय	८.५०
६.	प्रकाश और वर्ण	श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव	११.५०
७.	रेडार परिचय	डा० विश्वेश्वर दयाल	५.५०
८.	यांत्रिकी	श्री जगत बिहारी सेठ	११.००
९.	दूरवीक्षण के सिद्धांत	श्री हरिप्रसाद शर्मा	६.५०
१०.	क्रोमेटोग्राफी	डा० हरिभगवान	५.५०
११.	काच विज्ञान	डा० राम चरन	६.००
१२.	भौतिक विज्ञान में क्रान्ति	डा० निहालकरण सेठी	४.५०
१३.	शक्ति वर्तमान और भविष्य	श्री एस० पी० गोयल	४.००
१४.	उद्योग और रसायन	डा० गोरख प्रसाद	७.००
१५.	तारे और मनुष्य	डा० गोरख प्रसाद	५.५०
१६.	औद्योगिक इलैक्ट्रानिक्स के सिद्धांत और प्रयोग	प्रो० कृष्ण जी	७.००
१७.	विद्युत रोपण तथा घनाग्रीकरण	श्री एम० एस० भटनागर	१०.५०

यह समिति ज्ञान-विज्ञान, एवं तकनीक से सम्बन्धित १३५ ग्रन्थ प्रकाशित कर चुकी है ।

उत्तम काम, सुन्दर छपाई, सुदृढ जिल्द, आकर्षक आवरण, पुस्तक विक्रेताओं को कमीशन की विशेष सुविधा विस्तृत सूची-पत्र व विवरण के लिये—अविलम्ब लिखे—

सचिव
हिन्दी समिति, सूचना विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ ।

